IFCI LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2022–23

तीसवीं वार्षिक महासभा

दिनांक : 20 दिसम्बर, 2023

दिन : बुधवार

समय : प्रातः 11:30 बजे

स्थान : सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली – 110 019
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/
अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम)
के द्वारा

विषय–वस्तु

निदेशक बोर्ड व प्रमुख अधिकारी.	02
वित्तीय विशेषताएं	03
वार्षिक कार्य निष्पादन रूझान	04
सूचना	05
बोर्ड की रिपोर्ट	14
नियंत्रक व महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां(स्टेण्डअलोन व समेकित) व प्रबन्धन के उत्तर	39
निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट	59
कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	72
एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का कल्याण	91
एओसी–1 प्रपत्र	93
स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट	95
तुलन–पत्र	105
लाभ एवं हानि का विवरण	106
नकद–प्रवाह विवरण	107
लेखांकन नीतियां तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	109
स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट (समेकित)	173
समेकित तुलन–पत्र	182
समेकित लाभ एवं हानि का विवरण	183
समेकित नकद–प्रवाह विवरण	184
लेखांकन नीतियां तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	186

(08.11.2023 की स्थिति अनुसार)

निदेशक बोर्ड

श्री मनोज मित्तल	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री मुकेश कुमार बंसल	
श्री कार्तिकेय मिश्रा	
प्रो. एन बालाकृष्णन	
प्रो. अरविन्द सहाय	
श्री सुरेन्द्र बेहरा	
श्री अरविंद कुमार जैन	
श्री उमेश कुमार गर्ग	

(20.11.2023 की स्थिति अनुसार)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री बी वी एस अच्चुता राव

प्रमुख अधिकारी

कार्यकारी निदेशक

श्री प्रसून — **श्री सचिकान्त मिश्रा**

मुख्य महाप्रबंधक

श्री सुनीत शुक्ला
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

सुश्री पूजा एस महाजन
(बोर्ड की सचिव)

श्री अतुल सक्सेना

महाप्रबंधक

श्री शिवेन्द्र तोमर	**श्री बिकाश कान्ति रॉय**	**सुश्री रीता जान**
श्री राजीव आहलूवालिया (मुख्य जोखिम अधिकारी)	**श्री दीपक मिश्रा**	**श्री शमीक दासगुप्त**
श्री वी अनीश बाबू	**श्री राजेश कुमार गुप्ता**	**श्री आलोक सभरवाल**
सुश्री सी सैंति	**श्री शक्ति कुमार**	**श्री वी के देशराज**
श्री मनोज कुमार परिदा	**श्री देबाशीष गुप्ता**	**श्री वी श्रीकुमारन नायर**
श्री बी. बी. साहू	**श्री पी जी जयशंकर**	**श्री हिमांशु शर्मा**
श्री हर्ष गुप्ता	**श्री एलन सावियो पाचेको**	**सुश्री छवि सिंघल**
श्री जगदीश गरवाल		

कंपनी सचिव

प्रियंका शर्मा

सांविधिक लेखा–परीक्षक

एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

वित्तीय विशेषताएं

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार
देयताएं तथा इक्विटी			
वित्तीय देयताएं	8220.32	8,545.44	12,845.49
गैर-वित्तीय देयताएं	83.68	79.31	82.60
शेयर पूंजी	2195.93	2,102.99	1,895.99
अन्य इक्विटी	-1569.83	-1,657.54	476.11
	8,930.10	**9,070.20**	**15,300.19**
परिसम्पत्तियां			
गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	4022.61	4,160.70	4,551.41
वित्तीय परिसम्पत्तियां	4907.45	4,909.46	10,748.74
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	0.04	0.04	0.04
	8,930.10	**9,070.20**	**15,300.19**
	2022-2023	2021-2022	2020-2021
अर्जन			
कुल आय (करोड़ रुपए)	545.26	763.61	1,396.92
क्षति पूर्व लाभ	(264.86)	(411.78)	124.40
कर-पूर्व लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए)	(185.57)	(1,785.10)	(2,147.23)
कर-पश्चात् लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए)	(287.58)	(1,991.33)	(1,957.81)
कुल समग्र आय	(319.35)	(2,026.66)	(1,935.68)
अनुपात			
जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी	-70.66%	-64.85%	-10.81%
ऋण-इक्विटी अनुपात	9.28	15.74	4.58

वार्षिक कार्य-निष्पादन रूझान

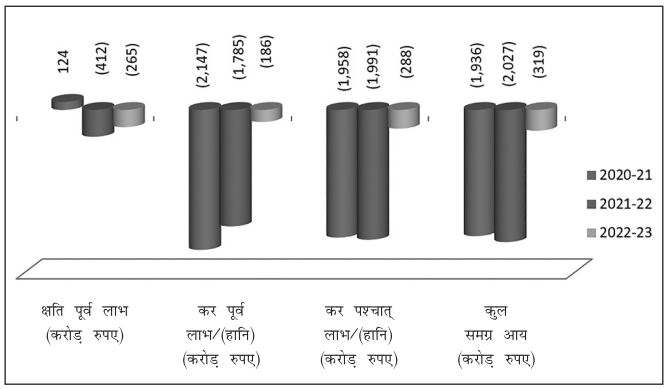

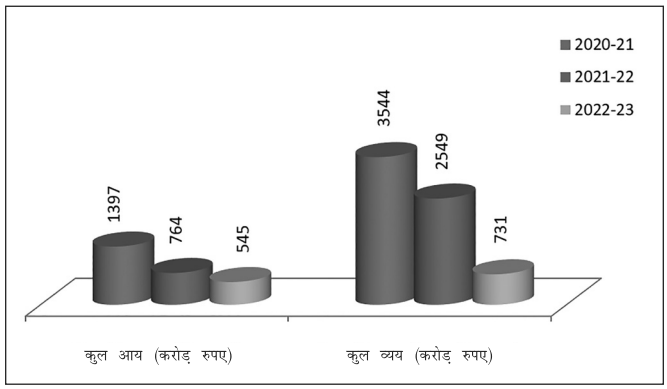

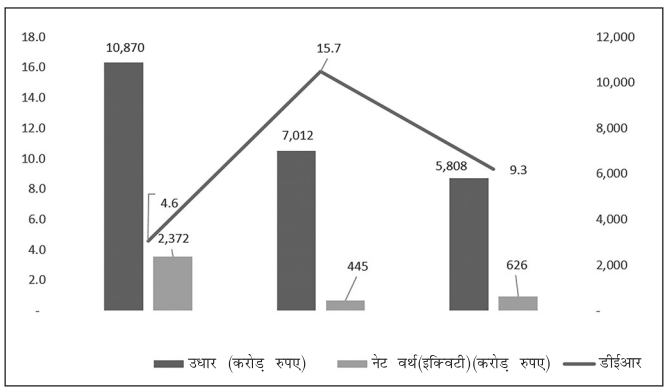

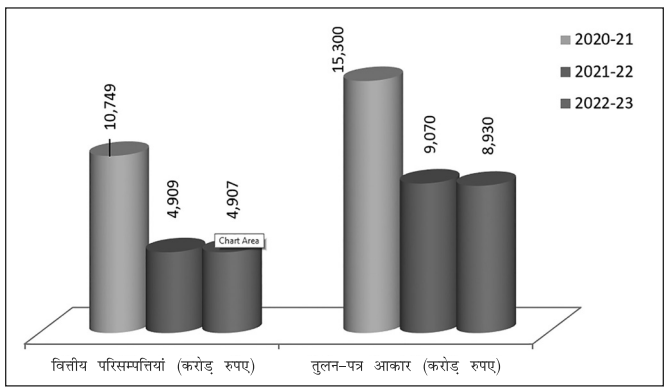

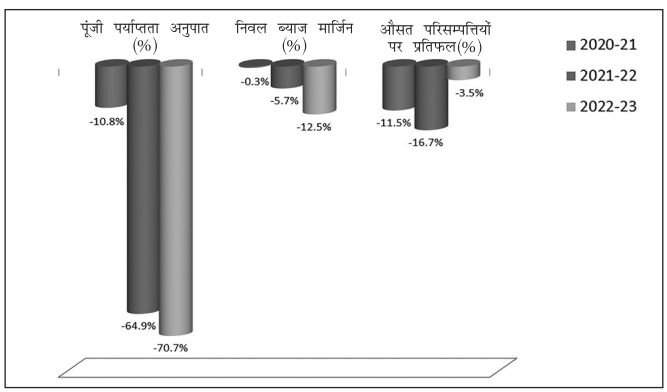

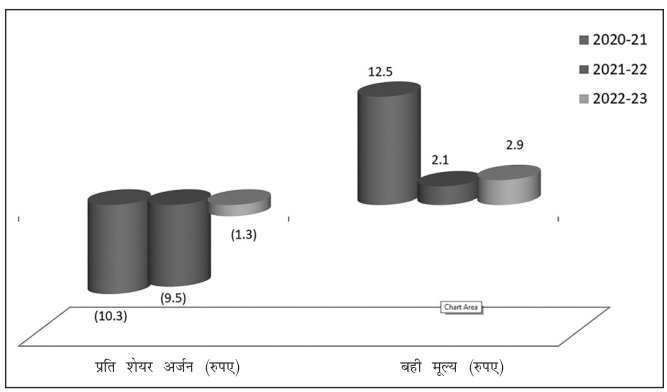

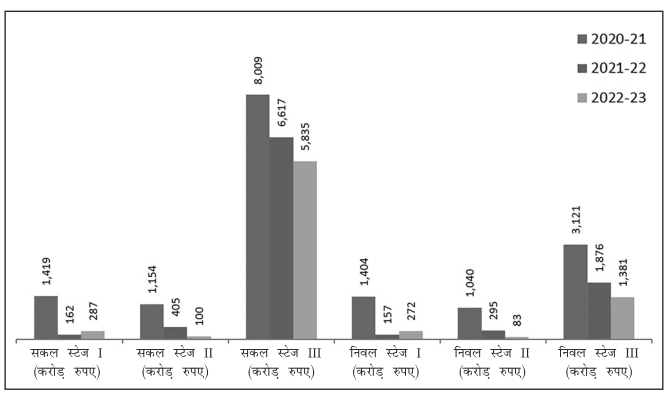

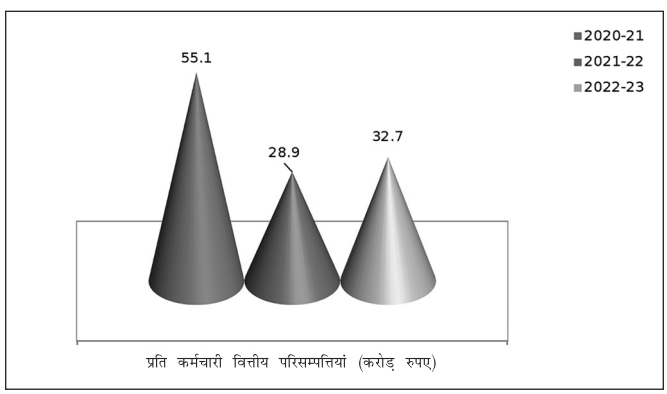

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईएफसीआई लिमिटेड** के सदस्यों की तीसवीं (30वीं) वार्षिक महासभा बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11:30 (आईएसटी) बजे सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110 019 में विडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (ओएवीएम) से निम्नलिखित संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य-संव्यवहार

1. दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा-परीक्षकों और बोर्ड की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
2. प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन (डीआईएन: 00181842) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक महासभा पर रोटेशन से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और पात्रता के कारण उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 142 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक (कों) का पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उनके बिना एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   ''संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 142 तथा लागू अन्य सभी उपबन्धों, यदि कोई हों, और कम्पनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 {समय-समय पर लागू किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या पुनः अधिनियमन(नों) सहित} के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक (कों) का पारिश्रमिक, जो भी उचित समझा जाए, निर्धारित और निश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।''

विशेष कार्य-संव्यवहार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ अथवा उनके बिना, एक **विशेष संकल्प(ों)** के रूप में पारित करना:-

   ''संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 के उपबन्धों तथा लागू अन्य उपबन्धों, यदि कोई हों, एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार (उस समय लागू किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या उसके अधिनियमन (अधिनियमनों) तथा अन्य किन्हीं प्रयोज्य विधियों, जिसमें सेबी (गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम व सूचीकरण) विनियमावली, 2021, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और लागू अन्य सेबी विनियम और मार्गनिर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों/निदेशों/मार्गनिर्देशों तथा समय-समय पर यथासंशोधित लागू अन्य कोई नियम/विनियम, कम्पनी के संगम-ज्ञापन एवं संगम-अनुच्छेद के उपबन्ध शामिल है तथा यथालागू, यथापेक्षित, आवश्यक अनुमोदन लेने की शर्त, जिसमें करार/विलेख की शर्तो के अधीन, यदि अपेक्षित हो, डिबेंचरधारकों के ऋणदाताओं/न्यासियों का अनुमोदन भी शामिल है और ऐसा अनुमोदन, अनुमति/मंजूरियां, जिस पर बोर्ड (बोर्ड में इस संकल्प द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाली उस समय कार्य कर रही कोई विधिवत् गठित कोई समिति भी शामिल है), द्वारा सहमति दी जाए, कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए की राशि के अप्रतिभूत/प्रतिभूत, सूचीबद्ध/गैर सूचीबद्ध, अनवरत/ विमोच्य, असंपरिवर्तनीय संचयी/गैर संचयी/कर योग्य/कर मुक्त, वरिष्ठ/अधीनस्थ बॉन्ड/इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड/जीरो कूपन बॉन्ड/मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड/डिबेंचर/नोट भारत में और या भारत में और/या भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियों बाह्य वाणिज्यिक उधारों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, अन्य ऋण प्रतिभूतियों आदि के माध्यम से एक या एक से अधिक सीरीज में कम्पनी द्वारा जारी किए जा सकने वाले पेशकश पत्र/प्रकटन प्रलेखों की एक या एक से अधिक ट्रांचिस/सीरीज/ संयोजन (ग्रीन शू ऑप्शन के उपयोग सहित) के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए सदस्यों को सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। सहमति प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित या लगाई जाने वाली ऐसी शर्तो के अधीन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित ऐसे व्यक्तियों, जो कम्पनी के मौजूदा बांड/ डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड द्वारा पूर्ण विवेक से निर्धारित किया जाए, जिसमें पात्र निवेशक (चाहे वे निवासी और/या अनिवासी और/या संस्थान/ निगमित निकाय और/या कोई व्यक्ति और/या न्यासी और/या बैंक और/या घरेलू और/या एक या एक से अधिक अन्तरर्राष्ट्रीय बाजारों में से अन्य कोई हो) सहित, जिसमें गैर निवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईज) उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कम्पनियां, भविष्य निधियां, अधिवर्षिता एवं पेंशन निधियां, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, प्राइमरी/राज्य/जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्युचुअल फंड्स, निगमित निकाय, कम्पनियां, प्राइवेट या सरकारी न्यास या अन्य कोई संस्था प्राधिकरण और चालू प्रयोज्य नियमों, अधिनियमों, विधियों आदि के अन्तर्गत ऊपर दिए गए अनुसार (1,000 करोड़ रुपए की समग्र सीमा के अन्तर्गत) ग्रीन शू ऑप्शन का प्रयोग करने सहित एक या एक से अधिक ट्रांचिस में निजी धारण के माध्यम से एक या एक से अधिक संयोजन से निवेश करने की पात्र श्रेणी के निवेशक, यदि कोई हों, जो लागू मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित ऐसी शर्तो और बोर्ड द्वारा निर्णीत ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए की राशि के अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचरों के एक या एक से अधिक ट्रांचिस के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए सदस्यों को सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि भारत में और भारत से बाहर अप्रतिभूत/ प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी निजी धारण को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को निर्गम की शर्तो का निर्धारण/अनुमोदन/परिवर्तन/या आशोधन, जिसमें निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें बांडों/डिबेंचरों का आबंटन किया जाएगा, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, उस समय प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार प्रीमियम, छूट, निर्गम की राशि, बांड/डिबेंचरधारकों की एक श्रेणी को निर्गम मूल्य में छूट, सूचीकरण, निजी धारण प्रस्ताव पत्र में शामिल की जाने वाली कोई घोषणा/वचनपत्र आदि जारी करना शामिल है, करने और किसी प्रस्ताव, निर्गम, उपर्युक्त अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित, परंतु सीमित नहीं, के आबंटन के लिए अपने पूर्ण विवेक पर आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे जाने वाले ऐसे सभी कार्य, कृत्य और काम करने के लिए और उपर्युक्त असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों की प्रस्तावित पेशकश, निर्गम और आबंटन में आने वाली पूछताछ या कठिनाई का समाधान करने या सुलझाने एवं उससे प्रासंगिक या उससे सम्बन्धित ऐसे सभी कार्य या कृत्य, जो भी बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर कम्पनी के सदस्यों का आगे और अनुमोदन या सहमति लेने की जरूरत के बिना उचित समझे जाएं, या अन्यथा इस आशय और उद्देश्य से कि उन्हें इस संकल्प के प्राधिकरण से स्पष्ट रूप से इसके प्रति उनका अनुमोदन दिया हुआ माना जाएगा, करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड स्वयं को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति को बोर्ड की किसी समिति या ऐसे किसी व्यक्ति, जो भी इसके पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित करने, ऐसे प्रयासों को करने की शक्ति सहित, और निर्गम, आबंटन और निर्गम के सम्बन्ध में किसी प्रश्न या कठिनाई का समाधान करने के प्रयोजन से उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले

ऐसे सभी कार्य, विलेख, कृत्य और मामले करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।''

5. श्री उमेश कुमार गर्ग (डीआईएन: 00599426) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव को **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

''संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 149, 150, 152, अनुसूची IV के साथ पठित और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी), 25 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और/या कोई अन्य लागू कानून, कंपनी आर्टिकल एसोसिएशन (उसके किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू है) के अनुसार श्री उमेश कुमार गर्ग (डीआईएन: 00599426), जिन्हें वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश दिनांक 10 मई 2023 द्वारा, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 25 मई, 2023 को निदेशक मंडल द्वारा 10 मई, 2023 से एक अतिरिक्त व स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा नियुक्त किया गया और उनके कार्यकाल पर रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति का नियम लागू नही होगा।''

पंजीकृत कार्यालय:
आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110019
सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677
टेलीफोन: 011-41732000
वेबसाइट: www.ifciltd.com
ई-मेल: complianceofficer@ifciltd.com

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 08 नवम्बर, 2023

टिप्पणियां:

1. कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25.09.2023 और अन्य प्रासंगिक परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों का अनुपालन करते हुए कंपनी की 30वीं वार्षिक आम सभा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित, सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 ('सेबी लिस्टिंग विनियम') (यथा संशोधित) और एमसीए परिपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 05 मई 2020 के अनुपालन में कंपनी एजीएम की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस कार्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मतदान की सुविधा के लिए कंपनी ने अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। एजीएम ('वेन्यू वोटिंग') की तिथि पर रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग सिस्टम से सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
3. चूंकि यह एजीएम एमसीए और सेबी द्वारा जारी किए गए उपरोक्त परिपत्रों का पालन करते हुए वीसी/ओएवीएम माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न नहीं किया गया है। इसी कारण से उपस्थिति पर्ची और रूट मैप भी इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है। लेकिन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (धाराओं) 112 और 113 का पालन करते हुए, सदस्यों के प्रतिनिधि जैसे भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल या कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते है और ई-वोटिंग सुविधा से अपना वोट डाल सकते है।
4. एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के अनुपालन में, वार्षिक आम सभा आमंत्रित करने का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर अपलोड किया जाएगा। एजीएम का नोटिस सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट यानि www.evotingindia.com से भी प्रसारित किया जाएगा।
5. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलरों का पालन करते हुए यह बैठक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्पन्न की जा रही है। अत: सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित हों और उसमें भाग लें। इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप नोटिस के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं।
6. 30वीं वार्षिक महासभा के लिए सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110 019 को बैठक का स्थान माना जाएगा।
7. निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार एजीएम बुलाने की सूचना या वित्तीय वर्ष 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति भौतिक रूप से नहीं भेजी जाएगी। कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, 30वीं एजीएम बुलाने की सूचना उन सदस्यों को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके सम्बन्धित डिपोजेटरी भागीदारों के पास पंजीकृत है।
8. जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हो पायी है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी को रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड एसटीए) को admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर अपने विवरण यानि आर एंड एसटीए में अपना पंजीकृत नाम, पता, ईमेल आईडी, पैन, डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर और धारण किये गये शेयरों की संख्या भेजें।
9. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओं पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

इसमें बड़े शेयरधरक (2% या अधिक शेयरधरिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक सम्बन्ध समिति के अध्यक्ष, लेखा-परीक्षक शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ

आधार पर प्रतिबन्ध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

10. संस्थागत शेयरधारकों को कम्पनी की 30वीं एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अनुरोध और प्रोत्साहित किया जाता है।

11. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

12. सदस्यों को बैठक के दौरान सवाल पूछने की अनुमति होगी। सवालों को complianceofficer@ifciltd.com पर पहले से भेजा जा सकता है।

13. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के उपबंधों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण मद संख्या 4 और 5 के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्यों सहित इसके साथ संलग्न है।

14. साथ में दिये गये नोटिस में बताये गये सभी दस्तावेज और अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण व अन्य दस्तावेज इस एजीएम की तारीख तक सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच, शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर, सभी कार्य दिवसों पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखा जाने वाला रजिस्टर एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मोड से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

15. सदस्यों का रजिस्टर और इक्विटी शेयरों की शेयर-अन्तरण बहियां बृहस्पतिवार, 14 दिसम्बर, 2023 से बुद्धवार, 20 दिसम्बर, 2023 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

16. नियुक्त और पुन:नियुक्त किए जा रहे निदेशक का संक्षिप्त विवरण सेबी सूचीकरण विनियमों तथा अधिनियम के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसार इसके साथ संलग्न है।

17. सेबी अपेक्षाओं के अनुसार डी-मैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन उस डिपाजिटरी भागीदार के पास जमा कराएं जो उनके डी-मैट खाते का रखरखाव कर रहे है। भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य अपने पैन के विवरण कम्पनी या आरएण्डएसटीए को भेज सकते है।

18. बैठक में संयुक्त धारक के भाग लेने के मामले में केवल वही संयुक्त धारक, जिसका नाम पहले धारक के रूप में पंजीकृत है, ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में वोट देने का पात्र होगा।

19. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के परंतुक के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से कम्पनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक नही किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां डिपाजिटरी के पास डीमैट रूप में धारित नहीं की जाती। तद्नुसार भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर डीमैट रूप में धारित करें।

ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों के अनुदेश निम्नानुसार हैं:

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

चरण 2: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

- मतदान की अवधि रविवार, 17 दिसंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होती है और मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 की कट-ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि) के अनुसार भौतिक रूप में या डीमेटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते है। उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।
- जो शेयरधारक वोटिंग की तारीख से पहले ही वोट डाल चुके है उन्हें बैठक के स्थान पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के तहत, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को, सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में, अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। हालाँकि, यह देखने में आता है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/रिटेल शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य रहती है।

  वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) है। विभिन्न ईएसपी पर शेयरधारकों द्वारा पंजीकरण और कई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

  सार्वजनिक स्तरों पर किये गये परामर्श के बाद, मतदान प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-वोटिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ दोबारा पंजीकरण कराए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल त्वरित प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी भी रहेगी।

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली से पहुंच।

(i) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के बारे में सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संदर्भ में, डीमैट मोड में स्टॉक रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट के पास रखे अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

(ii) उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में स्टॉक रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभाओं में शामिल होने के लिए लॉग-इन करने की विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का स्वरूप	**लॉग-इन पद्धति**
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते है। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट पर लॉगइन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन और न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें।

	2) सफल लॉगइन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ईवोटिंग प्रगति पर है। ईवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए है, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नही है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगइन और न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते है। उसके बाद सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को भाग लेने के लिए ऑथेन्टिकेट करता है। सफल ऑथेन्टिकेशन के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग के विकल्प देख पायेगा जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक उसकी सीधी पहुंच हो जायेगी।
एनएसडीएल डिपॉजिटरी के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत है, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसस वेबसाइट पर जाएं। या तो निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोल सकते है। ई-सर्विसस का होम पेज खुल जाने पर ''लॉगइन'', जो आईडीईएएस सेक्शन के अधीन उपलब्ध है के अन्तर्गत बेनिफिशयल ऑनर आईकॉन पर क्लिक करें, जिससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्व प्रमाणीकरण होने के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसिज को देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसिज के अंतर्गत ''एक्सेस टू ई-वोटिंग'' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। कंपनी के नाम अर्थात ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि प्रयोक्ता आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है। ''रेजिस्टर ऑनलाईन फॉर आईडीइएएस'' पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ईवोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो अपने पर्सनल कम्प्युटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएलः https://www.evoting.nsdl.com/ को टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोले। ईवोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने पर ''लॉगइन'' आईकॉन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/मेम्बर सेक्शन पर उपलब्ध है। इससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको यहा अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 अंकों वाला डीमैट अकाउंट नम्बर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड डालना होगा। सफलता प्रमाणीकरण होने के बाद एनएसडीएल डिपोजटरी साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा। कम्पनी के नाम या ईवोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।
अपने **डिपाजिटरी भागीदार** के माध्यम से लॉगइन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)	ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपाजिटरी भागीदार के माध्यम से अपने डी-मैट खाते की लॉगइन साख का उपयोग करते हुए भी लॉगइन कर सकते है। सफलतापूर्वक लॉगइन होने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे। जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते है तो प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी भागीदार की साइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग के फीचर्स देख सकेंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए है उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगैट यूजर आईडी और फॉरगैट पासवर्ड ऑप्शन का उपयोग करें।

भागीदार अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से सम्बन्धित किसी तकनीकी मामले के लिए डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हैल्पडैस्क।

लॉगइन का प्रकार	हैल्पडैस्क के विवरण
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रुकावट के लिए सदस्य सीडीएसएल के helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते है या टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते है।
एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रुकावट के लिए सदस्य एनएसडीएल के evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते है या टोल फ्री नं. 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000 पर संपर्क कर सकते है।

चरण 2: कागजी प्रमाणपत्रों के रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से पहुंच।

(vi) भौतिक शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में व्यक्तिगत होल्डिंग के अलावा गैर-शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग-इन विधि।

1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।
2) ''शेयरहोल्डर्स'' मॉड्यूल्स पर क्लिक करें।
3) अब अपना यूजर आईडी डालें
   क. सीडीएसएल के लिए : शेयरधारक अपना 16 डिजिट का बेनेफिशरी आईडी डालें;
   ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी डालें।
   ग. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक कम्पनी में पंजीकृत अपना फोलियो नम्बर डालें।
4) इसके उपरांत यथाप्रदर्शित इमेज वैरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉग इन पर क्लिक करें।
5) यदि आपके पास डीमैट के रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है और इससे पहले किसी और कम्पनी की ईवोटिंग की है तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड ही इस्तेमाल करना होगा।
6) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे है तो नीचे बताया गया तरीका अपनाएं:

	डीमैट में शेयर रखने वाले भौतिक शेयरधारकों और व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य के लिए।
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 वर्णों व अंकों वाला पैन नं. डालें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)। • जिन सदस्यों ने अपना पैन कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के पास अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम नं. का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से सम्पर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि	लॉगइन करने के लिए आपने डीमैट खाते या कम्पनी में दिए गए रिकार्ड के अनुसार, लाभाशं बकैं विवरण या जन्म-तिथि डालें।
	० यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कम्पनी के रिकार्ड में नहीं है तो कृपया लाभांश बैंक विवरण में सदस्यता आईडी/फोलियो नं. की प्रविष्टि करें।

(vii) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

(viii) उस समय भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक सीधे तौर पर कम्पनी की चयन स्क्रीन पर जाएंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मैन्यू में जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का इस्तेमाल केवल डीमैट धारकों द्वारा ही किसी अन्य कम्पनी के संकल्पों के लिए वोट देने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह कम्पनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प अपनाए। इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

(ix) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य इस सूचना में निर्दिष्ट संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए ही इन विवरणों का प्रयोग कर सकते है।

(x) आईएफसीआई के लिए के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'संकल्प विवरण' दिखाई देगा और उसके सामने वोट देने के लिए आपको 'हां/नहीं' का विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छा के अनुसार 'हां' अथवा 'नहीं' का विकल्प चुनें। 'हां' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत है और 'नहीं' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत नही है।

(xii) यदि आप समग्र संकल्प विवरण देखना चाहते है तो 'संकल्प फाइल लिंक' पर क्लिक करें।

(xiii) संकल्प का चयन करने के बाद आपने वोट करने का निर्णय किया है तो 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। तब आपको एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते है तो 'ओके' बटन पर क्लिक करें और यदि आप अपना वोट बदलना चाहते है तो 'कैंसिल' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।

(xiv) एक बार संकल्प पर अपने वोट की 'पुष्टि' करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

(xv) आप वोटिंग पेज पर 'प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें' बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भी ले सकते है।

(xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना लॉग-इन करने का पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर करें और 'फॉरगेट पासवर्ड' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दें।

(xvii) यदि कोई अपलोड किया गया हो तो बीआर/पीओए अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xviii) **व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए केवल रिमोट वोटिंग हेतू अतिरिक्त सुविधा**

- व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों (अर्थात् किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, गैर निवासी भारतीय आदि को छोड़कर) तथा अभिरक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वे www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और ''कॉरपोरेट'' के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें।
- संस्था को हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे पंजीकरण प्रपत्र की एक स्कैन की गई कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करनी होगी।

- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक अनुपालन प्रयोक्ता का सृजन करना होगा। अनुपालन प्रयोक्ता उन्हें उस खाते (खातों) के साथ जोड़ेगा, जहां वे वोट करना चाहता है।
- लॉगिन में जुड़े खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में इसे डीलिंक किया जा सकता है।
- उन्हें बोर्ड संकल्प व मुख्तारनामे की स्कैन की गई एक प्रति सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया हो, ताकि पड़ताल करने वाला प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।
- वैकल्पिक रूप से, गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों को सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो वोट देने के लिए अधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित, पड़ताल अधिकारी और कम्पनी को ई-मेल पते अर्थात् complianceofficer@ifciltd.com पर भेजनी होगी, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से पड़ताल अधिकारी को सत्यापित करने के लिए इसे अपलोड नहीं किया है, भेजा जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश

1. एजीएम के दिन बैठक तथा ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए ई-वोटिंग के अनुदेशों के अनुसार ही है।
2. ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां कम्पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है वह बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बैठक में लैपटॉप/आईपैड की मार्फत भाग लें।
5. इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा और अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का उपयोग करना होगा, ताकि बैठक के दौरान किसी तरह की कोई बाधा न हो।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइसिस या टैबलेट्स या मोबाइल हॉटस्पाट के माध्यम से जुड़े हुए लैपटाप की मार्फत अपने सम्बन्धित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो वीडियो में रूकावट का सामना करना पड़ सकता है। अत: यह सिफारिश की जाती है कि वे स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करें, ताकि ऊपर दी गई किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।
7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते है/प्रश्न पूछना चाहते है, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले अपना अनुरोध complianceofficer@ifciltd.com. पर भेजकर स्पीकर के तौर पर खुद का पंजीकरण करा सकते है। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते है, लेकिन प्रश्न रखना चाहते है, वे बैठक से 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए complianceofficer@ifciltd.com. पर अपने प्रश्न भेज सकते है। उन प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा भेजे जायेंगे।
8. जिन शेयरधारकों ने स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया है केवल वे ही बैठक के दौरान अपनी राय व्यक्त कर सकते है/प्रश्न पूछ सकते है बशर्ते कि इसके लिए पर्याप्त समय हो।
9. केवल वही शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित है और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने के लिए अन्यथा रोका नहीं गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उसी शेयरधारक ने वीसी/ओएवीएम पद्धति के माध्यम से एजीएम में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल एजीएम में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों को ही उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. कंपनी/जमाकर्ताओं के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (कार्ड की स्वत: सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वत: सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे विवरण ईमेल के द्वारा कम्पनी की ईमेल आईडी complianceofficer@ ifciltd.com पर या आरएण्डएसटीए की ईमेल आईडी admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistraras.com पर भेजें।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें। आपके संबंधित **डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)** के साथ।
3. **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें। अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।**

यदि एजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल की ई-वोटिंग पद्धति से ईवोटिंग के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा मुद्दा हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते है या टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर सर्म्पक कर सकते है।

श्री राकेश दलवी
वरिष्ठ प्रबन्धक
सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया लिमिटेड)
ए विंग, 25वां तल, मैराथान फ्यूचरेक्स
मफतलाल मिल कम्पाउंड्स
एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई)
मुम्बई - 400 013
ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com
टोल फ्री नं. 1800 22 55 33

अन्य सूचना:

1) कट ऑफ तारीख तक अर्थात् (बुद्धवार, 13 दिसम्बर, 2023) को भौतिक रूप में अथवा डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कम्पनी के शेयरधारक ही रिमोट ईवोटिंग या एजीएम में वीसी/ओएवीएम की मार्फत, जो भी मामला हो, स्थल वोटिंग से अपना वोट डालने के पात्र होगें। यदि कोई व्यक्ति कट ऑफ तारीख को सदस्य नही है तो यह इस नोटिस को केवल सूचना के प्रयोजनार्थ ही समझें।

2) रिमोट ईवोटिंग की अवधि रविवार, 17 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त हो जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा।

3) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट-ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम की कार्यवाही में उपस्थित हो सकते है और उसमें भाग ले सकते है, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

4) शेयरधारक मतदान के लिए केवल एक ही तरीका अपना सकते हैं अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में वीसी/ओएवीएम की मार्फत स्थल मतदान। दोनों तरीकों से वोट देने के मामले में रिमोट ई-वोटिंग की मार्फत दिए गए वोट को अन्तिम वोट माना जाएगा और एजीएम में वीसी/ओएवीएम की मार्फत ईवोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

5) निदेशक मंडल ने रिमोट ई की जांच के लिए श्री आस्तिक मणि त्रिपाठी (एफसीएस 8670; सीओपी 10384) को एसएएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली से सुश्री शाजान अली (एफसीएस 8748; सीओपी 9354) को नियुक्त किया है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

6) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तत्काल प्रदर्शित किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद इसे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इन परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. को भी प्रेषित किया जाएगा।

7) आईएफसीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्टेण्ड-अलोन आधार पर अपनी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को शामिल नहीं किया है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के इन कम्पनियों के वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखे कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध होंगे। इन कम्पनियों के वार्षिक लेखे इस वार्षिक महासभा होने की तारीख तक किसी भी कार्य दिवस में आईएफसीआई के पंजीकृत कार्यालय तथा सम्बन्धित कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कम्पनी प्रत्येक सहायक कम्पनी के सम्बन्ध में उनके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति कम्पनी के उस शेयरधारक को उपलब्ध कराएगी, जो इसकी मांग करेगा।

8) जिन सदस्यों के पास इक्विटी शेयर भौतिक रूप में है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 020 को अपना पंजीकृत फोलियो नम्बर बताते हुए शीघ्र सूचित करें। डी-मैट रूप में धारित शेयरों के सम्बन्ध में पते में परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार को दी जानी अपेक्षित है।

9) जिन सदस्यों के पास एक ही नाम से एक से अधिक फोलियो है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को भेजें ताकि उनकी धारिता को एक ही फोलियो में समेकित किया जा सके और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

10) सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर निवेशक संबंधी सेवाओं और दावों के प्रसंस्करण के लिए, जैसा भी मामला हो, आर एंड एसटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने पैन और बैंक खाते के विवरण अपडेट करें। लावारिस लाभांश राशि, यदि कोई हो, कंपनी के पास पड़ी हो। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विवरण के लिए आईएफसीआई की वेबसाइट www.ifciltd.com पर जाएं

11) लेखों अथवा परिचालनों के सम्बन्ध में सदस्यों को यदि कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी को शीघ्र, अधिमानत: वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले लिखें, ताकि प्रबन्धन सूचना तैयार रख सके।

12) एमसीए परिपत्र 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार, एमसीए परिपत्र 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और परिपत्र संख्या के साथ पढ़ें। 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 के अनुसार, एजीएम का नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजा गया है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत है। इसके अलावा, यदि कोई अद्यतनीकरण होता है, तो वह कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध कराया जाएगा।

13) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205ए के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक घोषित सभी दावा न किए गए लाभांश को पहले ही केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में स्थानांतरित कर दिया है, जैसा कि अचुकता लाभांश (केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में स्थानांतरण) नियमावली, 1978 के अनुसार आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए में संशोधन और धारा 205-सी बनने के बाद, परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक दावा न किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 1999-2000 से 2007-08 तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया था। इस संबंध में अन्य लागू कानून/नियम/विनियमन के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक दावा न किए गए लाभांश को भी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन शेयरों पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा-परीक्षा, स्थानांतरण और रिफंड) नियम, 2016 (संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है। आईईपीएफ में हस्तांतरित, दावा न किये गये लाभांश और शेयर राशि के लिए वेबसाइट www.iepf.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके दावा किया जा सकता है।

14) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/ओआईएई/आईएडी-1/पी/सर्कु/2023/145, दिनांक 31 जुलाई 2023 के माध्यम से भारतीय स्टॉक बाजारों से संबंधित मामलों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (ओडीआर पोर्टल) की शुरूआत की है। भारतीय प्रतिभूति बाजार में विवाद। यह पोर्टल मौजूदा विवाद समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निवेशक हित को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन सुलह और मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करता है। ओडीआर पोर्टल निवेशकों/ग्राहकों और सूचीबद्ध कंपनियों (उनके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों सहित) या स्टॉक बाजार में निर्दिष्ट मध्यस्थ संस्थाओं के बीच विवादों का समाधान करता है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थागत या कॉर्पोरेट ग्राहकों और निर्दिष्ट मध्यस्थों/विनियमित संस्थाओं के बीच विवादों का भी निपटारा करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण
मद संख्या 4

कम्पनी (प्रतिभूतियों का प्रविवरण तथा आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कम्पनी (शेयर पूंजी व डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और उसके अधीन बनाए गए प्रयोज्य अन्य नियमों के अनुसार निजी धारण आधार पर असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों में अभिदान की पेशकश या आमंत्रण करने वाली किसी कम्पनी को एक विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपयुक्त उपबन्धों में भी यह व्यवस्था है कि वर्ष के दौरान ऐसे असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों के सभी निर्गमों, प्रस्तावों और आमंत्रणों के लिए वर्ष में एक बार विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। 22 दिसम्बर, 2022 को आयोजित 29वीं वार्षिक महासभा में कम्पनी के सदस्यों ने 22 दिसम्बर, 2022 अर्थात् शेयरधारकों के अनुमोदन की तारीख से आरम्भ होने वाले वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए से अनधिक राशि के लिए निजी धारण आधार पर प्रतिभूतियों के निर्गम का विशेष संकल्प के द्वारा अनुमोदन दिया था। लेकिन शेयरधारकों का उक्त अनुमोदन एक वर्ष, जो 21 दिसम्बर 2023 को समाप्त हो रहा है, तक की अवधि के लिए ही वैध है।

आगे उधार क्रियाकलापों, मौजूदा उधारों के मूलधन की पुन: अदायगी/समय-पूर्व अदायगी और/या सामान्य निगमित प्रयोजनों के लिए दीर्घकालीन संसाधन जुटाने के लिए सदस्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता है, इसके बाद उपर्युक्त सांविधिक उपबन्धों के अनुसार, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिभूत/अप्रतिभूत/असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के निजी धारण की मार्फत निधियां जुटाने के लिए इस वार्षिक महासभा में विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक है।

निदेशक बोर्ड ने इसकी बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2023 में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्ताधीन, भारत में और भारत से बाहर अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बान्डों/डिबैंचरों के निजी धारण के आधार पर एक या अधिक किस्तों (टैंचिस) में, 1000 करोड़ रुपए तक की निधियों के जुटाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था।

अत: अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 और 71 के अधीन विशेष संकल्प के रूप में सदस्यों का अनुमोदन लिया जा रहा है ताकि कम्पनी समय-समय पर सदस्यों द्वारा यथानुमोदित, कम्पनी की समग्र उधार सीमाओं के अन्तर्गत मद संख्या 4 के संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान एक या एकाधिक ट्रांचिस में निजी धारण आधार पर 1,000 करोड़ रुपए के बांडों और असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों, परंतु सीमित नहीं, सहित प्रतिभूतियों के लिए अभिदान का प्रस्ताव या आमंत्रण कर सके।

कम्पनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनका सम्बन्धी इस संकल्प से वित्तीय रूप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं है।

आपके निदेशक सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस विशेष संकल्प की सिफारिश करते है।

मद संख्या 5

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने आदेश पत्र संख्या एफ. नं. 18/7/2022-आईएफ-I दिनांक 10/05/2023 के माध्यम से श्री उमेश कुमार गर्ग (डीआईएन: 00599426) को उनकी नियुक्ति आदेश की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, आपकी कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया।

निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, बोर्ड ने 25 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, उन्हें उनकी नियुक्ति आदेश की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक पद के लिए श्री उमेश कुमार गर्ग की उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार श्री उमेश कुमार गर्ग से आवश्यक प्रकटीकरण और स्वतंत्र-पद संबंधी घोषणा भी प्राप्त हुई है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री उमेश कुमार गर्ग को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने संबंधी इस नोटिस के मद सं. 5 में निर्धारित विशेष संकल्प को पारित करके, शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 36 के तहत अनिवार्य नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के ब्यौरे में श्री उमेश कुमार गर्ग का संक्षिप्त प्रोफाइल दिया गया है, जो नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री उमेश कुमार गर्ग कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति होने की सीमा तक संकल्प में रुचि रखते है। कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी इस संकल्प में कोई वित्तीय हित या संबंध या अन्य हित नहीं है।

श्री उमेश कुमार गर्ग ने अपनी नियुक्ति की तिथि से, 2 (दो) बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

निदेशक मंडल का मानना है कि श्री उमेश कुमार गर्ग की पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए, उन्हें कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना कंपनी के हित में रहेगा।

तदनुसार, आपके निदेशक विशेष प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सदस्यों को अनुशंसा प्रदान करते है।

पंजीकृत कार्यालय:
आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110019
सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677
टेलीफोन: 011-41732000
वेबसाइट: www.ifciltd.com
ई-मेल: complianceofficer@ifciltd.com

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार
(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 08 नवम्बर, 2023

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 36 के अन्तर्गत आदेशित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन

प्रो. एन. बालाकृष्णन, उम्र 73 वर्ष, ने 1972 में मद्रास विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार में बी.ई. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की और 1979 में भारतीय विज्ञान संस्थान से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। वे जुलाई 2015 तक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग और सुपरकंप्यूटर शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र में प्रोफेसर रहे। इसके बाद, वे जुलाई 2020 तक सुपरकंप्यूटर शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान में मानद प्रोफेसर रहे और वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान में आईएनएसए वरिष्ठ वैज्ञानिक है। उन्होंने सितंबर 2005 से मार्च 2014 के दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान के एसोसिएट निदेशक के पद पर भी कार्य किया। साथ ही वे 1999-2005 के दौरान सूचना विज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष और 1994-2001 के दौरान सुपरकंप्यूटर शिक्षा व अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष भी रहे।

शोध जगत में अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में उनके कई शोध प्रकाशित हुए है, जिनमें न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क, पोलारिमेट्रिक रडार, एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क एंड डिजिटल लाइब्रेरी शामिल है।

वर्तमान में वे कतर स्थित कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के संयुक्त सलाहकार बोर्ड के सदस्य, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी एमके, केरल के प्रशासी मंडल के सदस्य और इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी, बीजिंग चीन के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र की सलाहकार समिति में सदस्य है।

पूर्व में, वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और आईआईटी दिल्ली तथा आईआईटी मद्रास के प्रशासी मंडल के सदस्य, सीडीएसी के परिषद सदस्य, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की परिषद के सदस्य और कैबिनेट की एसएसी के सदस्य और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चेन्नई स्थित सीडीओटी-अल्काटेल रिसर्च सेंटर के निदेशक रह चुके है। वे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बीएसएनएल के निदेशकों में शामिल रह चुके है और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य भी रह चुके है।

आईएफसीआई लिमिटेड के अलावा, प्रो. एन. बालाकृष्णन भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बोर्ड में भी है।

प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन आईएफसीआई लिमिटेड की निम्नलिखित बोर्ड स्तरीय समितियों में है:

1) लेखापरीक्षा समिति - सदस्य
2) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य
3) जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति - सदस्य
4) इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर्स) समीक्षा समिति - सदस्य
5) कार्यकारी समिति - सदस्य
6) आईटी रणनीति समिति - अध्यक्ष

उन सूचीबद्ध कंपनियों नाम, जिनके निदेशक मंडल / समितियों में वे सदस्य थे और पिछले तीन वर्षों में जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है:

1. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
   अ) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य
   ब) जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य

प्रो. एन बालाकृष्णन 30 अक्टूबर, 2017 से कंपनी के बोर्ड में हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित सभी बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

उनके पास आईएफसीआई लिमिटेड में न तो उनके नाम पर और न ही लाभार्थी स्वामी के तौर पर कोई शेयर है। इसके अलावा, उन्हें सेबी के किसी आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी के निर्णय पर निदेशक का पद संभालने से रोका नहीं गया है।

प्रो. एन बालाकृष्णन का इस संकल्प में हित निहित है, क्योंकि यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी इस संकल्प में कोई वित्तीय हित या अन्यथा संबंध नहीं है।

निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नही है।

श्री उमेश कुमार गर्ग

श्री उमेश कुमार गर्ग, उम्र 60 वर्ष, एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। श्री उमेश कुमार गर्ग आगरा विश्वविद्यालय से वाणिज्य व कानून में स्नातक है। उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से सूचना प्रणाली ऑडिट (डीआईएसए) में डिप्लोमा की उपाधि भी ली है।

वे उमेश अमिता एंड कंपनी नामक फर्म में सीनियर पार्टनर हैं। वे वर्तमान में इनक्रेडिबल इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड और हरकिरण प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं। उनके पास कॉर्पोरेट कानून, वित्त, बीमा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन और कराधान (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) के क्षेत्र में लगभग 32 वर्षों का अनुभव है।

वे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एडजस्टर्स और इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के फेलो सदस्य भी है।

वे वर्ष 2015-16 में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की मध्य भारतीय क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष और वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में इसके कार्यकारी सदस्य भी रह चुके है।

श्री उमेश कुमार गर्ग आईएफसीआई लिमिटेड की निम्नलिखित बोर्ड स्तरीय समितियों में शामिल है:

1) लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष
2) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - अध्यक्ष
3) हितधारक संबंध समिति - सदस्य
4) जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति - सदस्य

उनके पास किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में कोई निदेशक का पद/समिति की सदस्यता नहीं है और उन्होंने पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से इस्तीफा नहीं दिया है। उनके पास आईएफसीआई लिमिटेड में न तो उनके नाम पर और न ही लाभार्थी स्वामी के तौर पर कोई शेयर है।

कॉर्पोरेट कानून, वित्त, बीमा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन और कराधान (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) के क्षेत्र में लगभग 32 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाले प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते श्री उमेश कुमार गर्ग के पास स्वतंत्र निदेशक की भूमिका निभाने के लिए सभी जरूरी कौशल विशेषताएं और क्षमताएं है।

इसके अलावा, उन्हें सेबी के किसी आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी के निर्णय पर निदेशक का पद संभालने से रोका नहीं गया है।

निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नही है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है। इसके अलावा, कंपनी के बांड/डिबेंचर भी बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है। इसके अलावा प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय डिबेंचर का पब्लिक इश्यू बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों पर सूचीबद्ध है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

सभा-स्थल का रूट मैप

एजीएम स्थल का रूट मैप और प्रमुख लैंडमार्क तथा उपस्थिति पर्ची

एमसीए के सर्कुलरों के मद्देनजर, कंपनी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 में आयोजित करेगी। एमसीए के निर्देशों के मद्देनजर, बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुलाई जा रही है और सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है और आयोजित एजीएम की कार्यवाही इसी स्थल पर की गई मानी जाएगी।

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

आपकी कंपनी (''आपकी कम्पनी'' या ''आईएफसीआई'') के निदेशक बोर्ड को आईएफसीआई लिमिटेड की 30वी (तीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय सारांश और कंपनी के कार्यों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सारांश निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

विवरण	स्टेण्डअलोन		समेकित	
	2022-23	2021-22	**2022-23**	2021-22
कुल आय	546	764	1,519	1,596
घटाएं:				
क्षति हानि भत्ता, मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन से पूर्व कुल व्यय	786	1,153	1,504	1,661
वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	(79)	1,373	(86)	1,391
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन	24	23	74	66
कुल व्यय	731	2,549	1,492	3,118
अपवादात्मक मदें	0	-	1	1
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	(185)	(1,785)	26	(1,523)
कर व्यय	102	206	146	(238)
सहयोगी कम्पनियों के लाभ में हिस्से से पूर्व लाभ/(हानि)	(287)	(1,991)	(120)	(1,761)
सहयोगी कम्पनियों के लाभ में कुल व्यय का हिस्सा	0	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(287)	(1,991)	(120)	(1,761)
अन्य समग्र आय (कर घटा कर)	(32)	(35)	1,269	1,754
कुल समग्र आय	(319)	(2,026)	1,149	(7)
निवल लाभ/(हानि) के कारण –				
कम्पनी के मालिक	लागू नही	लागू नही	(207)	(1,831)
गैर-नियंत्रक हित	लागू नही	लागू नही	88	70
कुल समग्र आय के कारण –				
कम्पनी के मालिक	लागू नही	लागू नही	448	(920)
गैर-नियंत्रक हित	लागू नही	लागू नही	701	914
प्रति शेयर अर्जन				
प्रत्येक 10 रुपए का प्रति शेयर बेसिक अर्जन	(1.31)	(9.47)	(0.95)	(8.71)
प्रत्येक 10 रुपए का प्रति शेयर डाईल्यूटिड अर्जन	(1.31)	(9.47)	(0.95)	(8.71)

उपरोक्त आंकड़े यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन अधिसूचित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 और लेखा मानकों के अनुपालन में भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार की गई वित्तीय विवरणियों से उद्धृत है।

भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या आपकी कंपनी के किसी अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी विनियमन/मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देश के जारी/लागू होने पर, आपकी कंपनी द्वारा उसे लागू किया जाएगा।

वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने सलाहकारिता सेवाओं में अपने योगदान को मजबूत और विस्तारित करना जारी रखा और आत्मनिर्भर भारत के तत्वावधान में शुरू की गई योजनाओं के लिए स्वयं को भारत सरकार के प्राथमिक सलाहकार के रूप में स्थापित किया। हालाँकि, ऋणों के पुनर्भुगतान और चरण-3 परिसंपत्तियों पर आय की गैर-मान्यता के कारण ऋण परिसंपत्तियों में गिरावट आने से, आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 319.35 करोड़ रु. का कुल व्यापक घाटा दर्ज किया। वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों से प्रावधान कवरेज अनुपात 86.47% से अधिक तक बढ़ गया। हालाँकि, वर्तमान वित्त वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात घटकर -70. 66% हो गया, जबकि टियर-I पूंजी -71.06% थी। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने आपकी कंपनी की शेयर पूंजी की सदस्यता पाने के लिए 400 करोड़ रु. का निवेश किया। आपकी कंपनी ने व्यवसाय में तरलता बढ़ाने के लिए, प्रभावी पुनर्प्राप्ति उपायों और फिनटेक टूलों को भी अपनाया है। आपकी कंपनी दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत ज्यादा से ज्यादा वसूली करने के उपायों और अन्य तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। गैर-प्रमुख संपत्तियों के विनिवेश में तेजी लाने और सलाहकारिता व्यवसाय को मजबूत करने के प्रयास किये जा रहे है, जिससे कंपनी के नकदी प्रवाह में सुधार होने और आपकी कंपनी की बैलेंस शीट सशक्त बनने की उम्मीद है।

मंजूरियां, संवितरण और वसूली

सलाहकारिता सेवा व्यवसाय तेजी से आईएफसीआई के व्यवसाय संचालन का मुख्य आधार बनता जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई नये ऋण मंजूर नही किये। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किसी ऋण/अग्रिम का भी संवितरण नही हुआ।

आपकी कंपनी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से वसूली का कार्य सक्रियता से किया, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनपीए व सिक्योरिटी प्राप्तियों (एसआर) से 714 करोड़ रु. की वसूली हुई।

आपकी कंपनी बहु-आयामी रिजॉलूशन मोड और रणनीतियों के माध्यम से एनपीए और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से वसूली के लिए अपने आक्रामक दृष्टिकोण को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोष, निवेश और विदेशी मुद्रा संचालन

आपकी कंपनी तरलता प्रबंधन के अनुरूप अधिकतम आय अर्जित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विविध निवेश विकल्पों में अधिशेष निधियों का निवेश करने के मामले में सतर्क रही है।

रुपये के परिचालन में, कंपनी का उद्देश्य न्यूनतम जोखिम के साथ अधिशेष निधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए अधिशेष निधियों को कम अवधि के वित्तीय-उपकरणों में निवेश करना है। ऐसा भविष्य में मौद्रिक तंगी की आशंका और ब्याज दरों में अस्थिरता के कारण किया गया। अंतर्निहित निवेश सिद्धांत सुरक्षा, तरलता और जोखिम नियंत्रण था और तदनुसार आपकी कंपनी ने ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियों, जमा प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पेपरों, अंतर-कॉर्पोरेट जमाओं/लघु अवधि जमाओं (एसटीडी), सावधि जमाओं/बांडों और म्यूचुअल फंडों में निवेश किया। वर्ष के दौरान औसत निवेश राशि 411.19 करोड़ रु. थी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 1346.83 करोड़ रु. का निवेश किया गया था और निवेशित निधि पर वार्षिक रिटर्न की दर 4.87% थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ट्रेजरी परिचालन से होने वाली आय पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, क्योंकि सुरक्षा और तरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कम अवधि में परिपक्वता वाले वित्तीय-उपकरणों में निवेश किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निवेश से 26.51 करोड़ रु. की ब्याज आय प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 75.68 करोड़ रु. थी।

वर्ष के दूसरी छमाही में कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और भू-राजनैतिक संघर्षों के कारण बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण बाजार में व्याप्त अस्थिरता को देखते हुए, आपकी कंपनी ने धीमी गति से चलने वाले/अतरल शेयरों में चयनात्मक विनिवेश किया और शेयरों में निवेश से मुनाफा बुक करने की विवेकपूर्ण रणनीति जारी रखी। 31 मार्च 2023 को आपकी कंपनी का शुद्ध निवेश पोर्टफोलियो 2,277 करोड़ रु. का था, जबकि पिछले वित्त वर्ष के अंत में यह 2,944 करोड़ रु. का था। विदेशी मुद्रा परिचालन, एफसी देनदारियों की सर्विसिंग तक सीमित रहा और इसमें एफसी परिसंपत्तियों और देनदारियों की बकाया राशि में मेल न होने के कारण निवेश जोखिम बना रहा। वायदा अनुबंधों और मुद्रा वायदा से निवेश में हुए नुकसान को कवर किया गया था। कंपनी द्वारा लगभग स्क्वायर पोजिशन बनाए रखते हुए, शुद्ध मिस्मैच स्थिति को बोर्ड और आरबीआई द्वारा अनुमोदित सीमा से काफी नीचे बनाए रखा गया।

संसाधन जुटाने और उधार प्रक्रिया की रूपरेखा

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी रेटिंग बाधाओं और कमजोर वित्तीय मानकों के कारण नए संसाधनों का उपयोग नही कर सकी। लेकिन प्रभावी तरलता प्रबंधन के माध्यम से, आपकी कंपनी ने नियत तारीखों पर और उससे पहले अपनी देनदारियों का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 1,832 करोड़ रु. (1,267 करोड़ रु. मूलधन और 565 करोड़ रु. ब्याज) का कर्ज चुकाया, जिसमें पूर्व-भुगतान भी शामिल था।

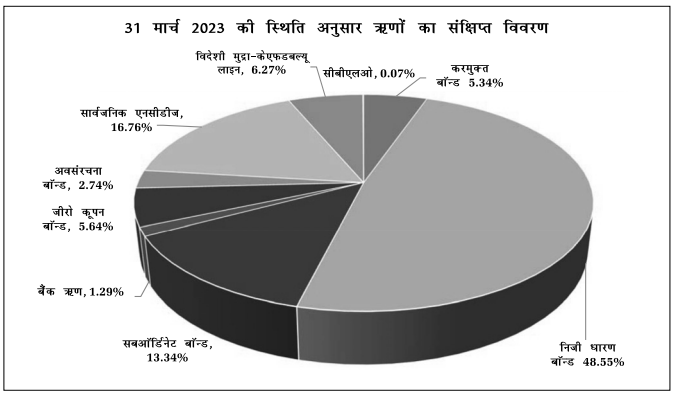

31 मार्च 2023 को आपकी कंपनी की मूल देनदारियां 5,808.07 करोड़ रु. की थी, जिसमें 5,443.82 करोड़ रु. की उधारियां और 364.25 करोड़ रु. के विदेशी मुद्रा ऋण भी शामिल थे। 31 मार्च, 2023 को बकाया ब्याज देनदारी (यानि अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं) 696.59 करोड़ रु. थी। 31 मार्च, 2023 तक बकाया उधारियों का विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है:

आपकी कंपनी निवेशक सेवाओं के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और निवेशकों की शिकायतों के समय पर समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और उनका पालन करने के लिए प्रयासरत है। आपकी कंपनी ने निवेशकों के अनुकूल कई पहलें की है, जैसे आर एंड टीए में केवाईसी विवरण अपडेट प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, प्रतिभूतियों का डीमटेरियलाइजेशन, ब्याज और भुगतान-योग्य आय का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निवेशकों की शिकायतों व अनुरोधों को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन सर्विस रिक्वेस्ट पोर्टल का संचालन आदि।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

ऊर्जा संरक्षण – कंपनी के संचालन में कोई विनिर्माण या प्रसंस्करण गतिविधियाँ शामिल नहीं है। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इसके लिए बिजली की सामान्य खपत की आवश्यकता होती है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित, कंपनी पर लागू नहीं होते है। फिर भी, आपकी कंपनी ने ऊर्जा के बेहतर उपयोग को प्राथमिकता दी है। मई, 2023 में आईएफसीआई टॉवर को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से गोल्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ।

प्रौद्योगिकी समावेशन – सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में व्यवसाय के आचरण को बदल दिया है। आपकी कंपनी में आईटी पेशेवरों की इन-हाउस टीम ने ''सीआईआईएस'' नामक प्रणाली विकसित की थी, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख व्यावसायिक कार्यों के साथ-साथ गैर-मुख्य कार्यों का समर्थन करने वाले एप्लीकेशन भी शामिल है। सिस्टम सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और आवश्यकताओं के अनुरूप इसे लगातार उन्नत किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मौजूदा सॉटवेयर एप्लिकेशन को नई उन्नत सुविधाओं से अपग्रेड किया गया। विभिन्न कार्यों के लिए नए मॉड्यूल कंपनी में ही विकसित किए गए। आपकी कंपनी ने विभिन्न नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार एक सर्विस रिक्वेस्ट पोर्टल लॉन्च किया है। आपकी कंपनी उचित डेटा बैकअप बनाए रखती है और डेटा और व्यावसायिक सूचना प्रणालियों की सुरक्षा के लिए एक डिजास्टर रिकवरी साइट भी स्थापित की गई है। आपकी कंपनी ने साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न उपकरण भी स्थापित किये है और अपने आईटी बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया है। आपकी कंपनी ने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग शुरू कर दिया है और इसके आईटी बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया है। कंपनी में सुव्यवस्थित वीडियो संचार और लाइव कंटेंट शेयरिंग के लिए वेबेक्स/टीम्स मीटिंग का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी शुरू की गई है।

विदेशी मुद्रा अर्जन

विदेशी मुद्रा व्यय/आय का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
विदेशी मुद्राओं में व्यय:		
उधारों पर ब्याज	2.87	3.16
अन्य मामले	0.00	0.00
जोड़	**2.87**	**3.16**
विदेशी मुद्राओं में आय:		
विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास नीतियों और प्रक्रियात्मक मैनुअल के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग पर मजबूत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, जिसे आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले वर्षों में डिजाइन और कार्यान्वित इकाई स्तर के नियंत्रण ढांचे को आपकी कंपनी के प्रबंधन द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नमूना परीक्षणों में उपयोग किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की अत्यंत अनुभवी आंतरिक लेखा-परीक्षा टीम द्वारा आंतरिक व समानांतर अंकेक्षण किया गया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संतुष्ट होने पर निदेशक मंडल का मानना है कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और वे प्रभावी ढंग से काम कर रहे है।

सतर्कता

कंपनी के पास मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित सतर्कता विभाग है। प्रधान कार्यालय से कार्यरत सतर्कता विभाग आईएफसीआई, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक कम्पनियों के सभी सतर्कता-संबंधी मामलों का ध्यान रखता है।

विभाग की व्यापक कार्यप्रणाली को निवारक सतर्कता, जासूसी सतर्कता और दंडात्मक सतर्कता में विभाजित किया गया है।

निवारक सतर्कता को महत्व देते हुए, विभाग समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करता है। यदि अनियमितताएं/खामियां पायी जाती हैं, तो उन्हें सुधारात्मक उपाय शुरू करने या प्रणालीगत सुधार की दिशा में कार्रवाई करने या मामले की प्रकृति के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए क्षेत्रीय प्रभारियों और प्रधान कार्यालय के संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाता है। सतर्कता विभाग निष्कर्षों के आधार पर प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार की सलाह भी देता है। सतर्कता विभाग मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करता है।

सतर्कता विभाग मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतों और अन्य संदर्भित मामलों का निपटान सुनिश्चित करता है। सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता के बारे में कर्मचारियों से सम्पर्क करता है। सतर्कता विभाग की सहायता से, आपकी कंपनी सतर्कता संबंधी मामलों और गैर-सतर्कता मामलों का निपटान सुनिश्चित करती है।

वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा सुझाए गए प्रणालीगत सुधारों को प्रबंधन द्वारा लागू किया गया है जैसे कि जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, सामान्य व संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों की रोटेशन के आधार पर नियुक्ति। नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।

वर्ष के दौरान 31 अक्टूबर से 06 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 मनाया गया, जिसकी थीम ''भ्रष्टाचार-मुक्त भारत - विकसित भारत'' थी।

व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) और (10), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के प्रावधानों के अनुसार एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत, आईएफसीआई के निदेशक और कर्मचारी, प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आईएफसीआई के व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के उल्लंघन के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकते है। इस नीति के तहत शिकायतकर्ता के किसी भी तरह के उत्पीड़न की दशा में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। नीति में असाधारण मामलों में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंचने का भी प्रावधान है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी https://www.ifciltd.com/2022/Whistle%20Blower%20Policy.pdf इस लिंक पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन

एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है और इस रिपोर्ट की तारीख तक समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है:

1. मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) - पीठासीन अधिकारी
2. सुश्री लता लोचव - बाहरी सदस्य
3. महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
4. सुश्री शिखा गुप्ता, उप महाप्रबंधक
5. सुश्री ट्रिना तेजस्विनी, उप महाप्रबंधक (विधि)

उपरोक्त किसी भी आंतरिक सदस्य की अनुपस्थिति में, सुश्री प्रियंका शर्मा, डीजीएम और कंपनी सचिव वैकल्पिक सदस्य होंगी। समिति के कोरम में सभी सदस्य शामिल होंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	1
नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	शून्य

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. उद्योग संरचना एवं विकास*

उद्योग परिदृश्य- भारतीय वित्तीय जगत स्थिर और लचीला बना हुआ है। यहां संपत्तियों की गुणवत्ता, पूंजी और लाभप्रदता में सुधार होता देखा गया है। हाल ही में वैश्विक वित्तीय बाजार में अशांति और कुछ क्षेत्रों में भारी बैंकिंग तनाव के बावजूद, क्रेडिट जोखिम के मापक मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से पता चला है कि सभी बैंकों ने गहरे संकट की स्थिति में भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन किया। परिणामस्वरूप संक्रमण और शोधन-क्षमता संबंधी जोखिम कम हो गए है। दिसंबर 2022 से, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी बैलेंस शीट, व्यवसाय और लाभप्रदता में विस्तार किया है। यहां तक कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर एक दशक के निचले स्तर पर आ गई, सिस्टम-स्तरीय

**(स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, आरबीआई एफएसआर जून 2023, आरबीआई गवर्नर का वक्तव्य 10 अगस्त, 2023, एमओएसपीआई प्रेस विज्ञप्ति)*

पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। शुद्ध ब्याज मार्जिन में काफी वृद्धि हुई और कर-पश्चात मुनाफे में वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि बैंकों द्वारा पर्याप्त प्रावधान और पूंजी बफर मजबूत किये जाने से ऋणों में बढ़ोत्तरी हुइ। चूँकि ऋण वृद्धि अब जमा वृद्धि से अधिक हो रही है, वित्तपोषण की स्थितियाँ, विशेष रूप से बैंकों की निधि लागत कम हो गई है। हाल की अवधि में रिटेल सेक्टर के कारण बैंक ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

एनबीएफसी द्वारा वितरित ऋणों की वार्षिक वृद्धि दर, सितंबर 2022 में दोहरे अंक तक पहुंचने के बाद से निरंतर अच्छी बनी रही। मार्च 2023 में व्यक्तिगत ऋणों में 31.3% की वृद्धि और उद्योगों को दिये गये ऋणों में 12.7% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज हुई। एनबीएफसी के व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो में इस दौरान सबसे अधिक वृद्धि हुई। इनमें पिछले चार साल की अवधि में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 30% से अधिक रही, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2023 में कुल ऋण पोर्टफोलियो में इनकी हिस्सेदारी 31. 2% तक बढ़ गई। मार्च 2023 में गतिविधि-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सबसे बड़ी दो श्रेणियों, अर्थात् इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) ने बकाया क्रेडिट में क्रमशः 54% और 40% शेयरों के साथ दोहरे अंक में ऋण वृद्धि दर्ज की। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) ने पिछले दो वर्षों में मजबूत ऋण वृद्धि (सीएजीआर 27.6%) बनाए रखी।

2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान एनबीएफसी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट जारी रही, उद्योग और सेवा क्षेत्र, दोनों में दो प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी (बकाया ऋण में 44% की हिस्सेदारी वाली) का उनके निजी समकक्ष कंपनियों (क्रेडिट हिस्सेदारी 56% और जीएनपीए अनुपात 5.5%) की तुलना में कम जीएनपीए अनुपात (2.8%) था। मार्च 2023 में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 70.4% होने से एनबीएफसी का कुल एनएनपीए अनुपात घटकर 1.3% हो गया।

मार्च 2023 में सीआरएआर 27.5% के साथ एनबीएफसी की पूंजी स्थिति मजबूत बनी रही, जो 15% की न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक आरओए धीरे-धीरे बढ़कर 3.3% तक पहुंच गया। पिछले कुछ वर्षों में एनबीएफसी की शेयर पूंजी, संचय और अधिशेष में वृद्धि हुई है, जिसमें ज्यादातर पूंजी संचय और लाभ व हानि खातों की शेष राशि का योगदान है। दूसरी ओर, समस्त निधियों में कुल उधारियों में उनकी हिस्सेदारी, जो मार्च 2020 में 66.4% थी, घटकर मार्च 2023 में 62.3% हो गई, जिसका मुख्य कारण इस अवधि के दौरान फंड के अन्य स्रोतों की तुलना में एनबीएफसी द्वारा डिबेंचर कम जारी करना था। लगभग दो-तिहाई उधारियां दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) थी। 2022-23 में एनबीएफसी की बैंकों से उधारियां बढ़ी है।

2. अवसर और चुनौतियां

राष्ट्रीय निर्माण चैंपियन तैयार करने, और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार के प्रयास की आधारशिला है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बनाना है। पीएलआई योजनाओं की रणनीति आधार वर्ष के बाद भारत में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करने पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। वे विशेष रूप से नये और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, सस्ते आयात पर अंकुश लगाने और आयात बिलों को कम करने, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और घरेलू क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है।

भारत सरकार की निम्नलिखित पीएलआई और अन्य योजनाएं है, जहां आईएफसीआई को नोडल एजेंसी/परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त किया गया है:

क्र. सं.	पीएलआई योजना के विवरण	योजनाओं का विवरण निम्न पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध है
1.	इलैक्ट्रॉनिक संघटक एवं सेमीकन्डक्टर्स के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस)	https://specs.ifciltd.com
2.	बड़े पैमाने पर इलैक्ट्रॉनिक उत्पादन (पीएलआई-एलएसईएम) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)	https://pli.ifciltd.com
3.	क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटिरियल्स (केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडियेट्स (डीआईएस)/एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इनग्रिडिएन्टस (एपीआई) के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई-बल्क ड्रग्स)	https://plibulkdrugs.ifciltd.com
4.	चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई (पीएलआई-एमडी)	https://plimedicaldevices.ifciltd.com
5.	बल्क ड्रग्स पार्को को बढ़ावा देने की योजना	https://pharmaceuticals.gov.in/schemes/guidelines-scheme-promotion-bulk-drug-parks
6.	चिकित्सा यंत्रों पार्को को बढ़ावा देने की योजना	https://pharmaceuticals.gov.in/schemes/guidelines-scheme-promotion-medical-devices-parks
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएफपीआई)	https://plimofpi.ifciltd.com
8.	सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए पीएलआई (पीएलआई- आईटीएचडब्ल्यूजी)	https://pliithw.com
9.	वाइट गुड्स के लिए पीएलआई (पीएलआई-डब्ल्यूजी)	https://pliwhitegoods.ifciltd.com
10.	ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई-ऑटो)	https://pliauto.in
11.	पीएलआई टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स: एमएमएफ सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल्स	https://pli.texmin.gov.in
12.	ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना	https://www.civilaviation.gov.in/en/application-pli-scheme

क्र. सं.	पीएलआई योजना के विवरण	योजनाओं का विवरण निम्न पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध है
13.	पीएलआई योजना 'उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (पीएलआई-एसीसी)	https://pliacc.in/
14.	भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना चरण II (प्रसिद्धि-II)	https://fame2.heavyindustries.gov.in/
15.	चीनी विकास निधि हेतु नोडल एजेंसी	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/nodal-agency-sugar-development-fund
16.	संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/msips

टिप्पणी:

1. *आईएफसीआई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ तकनीकी वित्तीय मूल्यांकन, उचित परिश्रम और सत्यापन के लिए एजेंसी के रूप में भी जुड़ा हुआ है (i) सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए योजना, (ii) डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए योजना और (iii) सेटिंग के लिए योजना भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/ सिलिकॉन फोटोनिक्स/ सेंसर फैब/ डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाएं (पोर्टल: https://ism.gov.in/).*
2. *आईएफसीआई को कर्नाटक सरकार के ईएसडीएम सेक्टर 2020-2025 के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के लिए सत्यापन एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है (पोर्टल: https://k-tech.karnataka.gov.in/)।*

भारत सरकार के महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए, आपकी कंपनी ने राज्य सरकारों के साथ भी इसी तरह के अवसरों की खोज की और कर्नाटक सरकार से भी एक असाइनमेंट प्राप्त किया।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट सलाहकारिता के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और 31 असाइनमेंट प्राप्त किये। विभिन्न असाइनमेंटों में व्यवसाय पुनर्गठन, ऋणों का सिंडिकेशन और उद्योगों/क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश विश्लेषण शामिल था। आपकी कंपनी को नवीन प्रौद्योगिकियों वाली औद्योगिक संस्थाओं द्वारा टीडीबी में प्रस्तुत किए गए फंडिंग प्रस्तावों की उचित परिश्रम/परियोजना मूल्यांकन करने के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) के एकमात्र सलाहकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपकी कंपनी महारत्न और नवरत्न कंपनियों के पैनल में भी शामिल है।

तमाम व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए, कंपनी कर्मचारियों की रि-स्किलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बीआरएसआर फ्रेमवर्क, क्लाइमेट फाइनेंस/ईएसजी, एडवांस्ड वित्तीय मॉडलिंग, बातचीत कौशल, नेतृत्व, व्यवसाय का कार्यात्मक विश्लेषण जैसे कई विषयों पर कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी समूह स्तर पर सामुहिक तालमेल और मूल्य-वर्धन पर विशेष जोर देती है। आईएफसीआई अपनी सहायक कंपनी स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के माध्यम से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान दे रही है।

एसएचसीआईएल देश के सबसे बड़े डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में से एक है, इसके अलावा यह कस्टोडियल संपत्तियों के मामले में देश का सबसे बड़ा संरक्षक है, और यह संस्थागत निवेशकों, म्यूचुअल फंडों, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि को पोस्ट ट्रेडिंग और कस्टोडियल सेवाएं प्रदान करता है। यह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टांप शुल्क, ई-कोर्ट शुल्क और ई-पंजीकरण के संग्रह के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) का कार्य भी करता है।

31 मार्च, 2023 तक, 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ई-स्टैंपिंग सेवाएं चालू थी और ई-स्टैंपिंग सेवाओं में वित्त वर्ष 2021-22 में 39,672 करोड़ रु. की तुलना में, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 53,132 करोड़ रु. की राशि जुटाई गई।

स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज (एसडीएमएस) को राष्ट्रीय महत्व की एक प्रतिष्ठित परियोजना मिली है। उसने सहारा सहकारी समितियों के वास्तविक निवेशकों के दावों के प्रसंस्करण के लिए एक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री द्वारा किया गया।

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ), जो आईएफसीआई की एक अन्य सहायक कंपनी है, देश में सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहल को बढ़ावा दे रही है। आईवीसीएफ अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी) का प्रबंधन करता है। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, जिनके तहत रियायती दरों पर ऋण देकर समाज के चयनित वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। 14 अप्रैल, 2022 को आईवीसीएफ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दलित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के सहयोग से अनुसूचित जाति समुदाय में उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए ''डॉ अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर लीग'' (एवाईई लीग) नाम से एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में देश भर से 1000 से अधिक अनुसूचित जाति के उद्यमियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए अपने नवीन विचारों को रखने और वीसीएफ-एससी की एक और पहल, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) के तहत 30 लाख तक की फंडिंग प्राप्त करने के लिए एक मंच तैयार करना था। कार्यक्रम के दौरान, एमएसएमई में एससी उद्यमियों को व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया और कुछ अग्रणी बैंकों/वित्तीय संस्थानों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने एससी उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फंडिंग के अलावा, आईवीसीएफ ने एक मेंटर नेटवर्क को भी बढ़ावा दिया है जो उभरते एससी उद्यमियों को उद्योग विशेषज्ञों/उद्यमियों से जोड़ने में मदद करता है और व्यापार विशेषज्ञों/स्वामियों के डोमेन ज्ञान और अनुभव को युवा एससी उद्यमियों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर लीग (एवाईई) ने विभिन्न कौशल/अनुभव वाले 90 मेंटर्स को अपने साथ जोड़ा है और लगभग 200 मेंटरशिप सेशन आयोजित किए गए है। आईवीसीएफ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक अन्य पहल का प्रबंधन भी कर रहा है, जिसका नाम ''सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन वेंचर फंड'' (सेज) है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल हेतु नवीन विचारों के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पहल की सफलता को देखते हुए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने आईवीसीएफ को अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ एंड एसटी) के प्रबंधन का कार्य भी सौंपा है, जो देश में अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

सभी सहायक कंपनियों के विवरण आईएफसीआई की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध हैं।

विभिन्न प्रकार के खतरों के संबंध में, आपकी कंपनी तरलता जोखिम, नकारात्मक सीआरएआर, उच्च एनपीए स्तर और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट का सामना कर रही है। आपकी कंपनी अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए प्रभावी रिकवरी प्रयासों को अपनाकर एनपीए को कम कर रही है। आपकी कंपनी ने अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने के लिए सलाहकारिता सेवाओं में भी अपना दायरा बढ़ाया है। आपकी कंपनी ने ऊर्जा दक्षता उपायों सहित कई लागत अनुकूलन उपायों को भी अपनाया है।

भारत सरकार आपकी कंपनी की प्रवर्तक है और सबसे बड़ी इक्विटी शेयरधारक भी है, जो सभी हितधारकों को पर्याप्त सुरक्षा का भरोसा प्रदान करती है। भारत सरकार ने आपकी कंपनी में अपनी इक्विटी भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार धन निवेशित किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने सितंबर 2022 और मार्च 2023 में क्रमश: 100 करोड़ रु. और 400 करोड़ रु. तक की धनराशि कंपनी को प्रदान की।

3. खंड-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन

आपकी कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय वित्तीय सहायता प्रदान करना है और यह एकल खंड रिपोर्टिंग ढांचे के तहत कार्य करती है।

4. दृष्टिकोण*

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई, 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 (वर्ष-दर-वर्ष आधार) में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.2% की वृद्धि दर्ज हुई। पिछले वित्त वर्ष में 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 6.1% की जीडीपी वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) दर्ज की गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, विवेकाधीन खर्च में निरंतर सुधार, विशेष रूप से संपर्क गहन सेवाओं में, उपभोक्ताओं के विश्वास की वापसी, कोविड-19 से प्रभावित लगातार दो वर्षों के बाद त्योहारी सीजन में भारी व्यय और पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर से विकास की गति बढ़ी है।

एनएसओ के अनुसार, 2022-23 के दौरान ''व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं'' के क्षेत्र में 14.0% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज हुई, इसके बाद पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण क्षेत्र में 10.0% की वृद्धि हुई। जहां ''वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवा'' क्षेत्र में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में 1.3% की वृद्धि दर्ज हुई। 2022-23 में खनन और उत्खनन में 4.6% की वृद्धि हुई और ''बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं'' में 9.0% की वृद्धि दर्ज हुई।

2022-23 में कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में लचीलापन रहा, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई। औद्योगिक क्षेत्र में, विनिर्माण गतिविधियों को वैश्विक प्रभाव का सामना करना पड़ा, जबकि बिजली उत्पादन में अच्छी वृद्धि देखी गई, और खनन-गतिविधियों में स्थिरता दर्ज की गई। निर्माण गतिविधियों में निरंतर गति बनी रही, जबकि बुनियादी ढांचे और पूंजीगत सामान के उत्पादन को बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश से लाभ हुआ। दूसरी ओर, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन मंद रहा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सुधार असंतुलित रहा। खपत के क्षेत्र में असमान सुधार देखा गया, मूल्य-संवेदनशील एंट्री-लेवल कार सेगमेंट में वृद्धि दर, पैसेंजर कारों की वृद्धि की तुलना में सुस्त रही। दोपहिया वाहनों की बिक्री में लगातार गिरावट रही, इसका 40% हिस्सा ग्रामीण भारत में इस्तेमाल होता है। यह ग्रामीण भागों में कम मांग का संकेत है।

** (स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, आरबीआई एफएसआर जून 2023, आरबीआई गवर्नर का वक्तव्य 10 अगस्त, 2023, एमओएसपीआई प्रेस विज्ञप्ति)*

2022-23 में वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का माहौल रहा, क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव तेज हो गया, यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी ज्यादा हो गई और वैश्विक विकास दृष्टिकोण खराब हो गया, जिससे निवेशकों की भावनाएं कमजोर हो गईं। हालाँकि, पोर्टफोलियो आउटलो और विदेशी मुद्रा बाजार के दबाव के बावजूद, भारत के इक्विटी बाजारों में मामूली वृद्धि देखी गई, जो भारत के विकास में लचीलेपन और निवासी संस्थाओं द्वारा बाजार में बढ़ते निवेश को दर्शाता है। 2022-23 के दौरान मुद्रा बाजार की ब्याज दरें सख्त रहीं, जिससे पॉलिसी रेपो दर में वृद्धि और अधिशेष तरलता की स्थिति में कमी आई। मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और मुद्रास्फीति वृद्धि के बदलते दृष्टिकोण के अनुरूप सॉवरेन बांड आमदनी में वृद्धि देखी गई। अमेरिका में कुछ प्रमुख बैंकों के पतन के बाद वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों के उभरने और यूरोप में एक प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदाता के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में उभरती चिंताओं से कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण वर्ष के अंत में बाजारों में अस्थिरता देखी गई।

कर राजस्व मजबूत बना रहा - सकल कर राजस्व, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और प्रत्यक्ष कर संग्रह के योगदान से बजट अनुमान से 2.9 लाख करोड़ रु. अधिक हो गया। राज्य सरकारों ने 2022-23 के दौरान सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% तय किया था। अनंतिम खातों से संकेत मिलता है कि राज्य सरकारों का वास्तविक प्रदर्शन बेहतर रहा, खासकर केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षा से अधिक कर हस्तांतरण करने और राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण ऐसा हुआ।

लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और धीमे वैश्विक व्यापार के बावजूद, भारत का व्यापारिक निर्यात 2022-23 के दौरान 450.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड स्तर से 6.7% अधिक है। भारत मोबाइल फोन और खिलौनों जैसे क्षेत्रों में शुद्ध आयातक से निर्यातक बन गया और 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियों का लाभ उठाते हुए, भारत ने कम समय में रक्षा उपकरणों के निर्यात में 10 गुना वृद्धि दर्ज की। वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में वृद्धि के कारण, सामग्री निर्यात के विपरीत, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (बीपीएम), और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन (ईआर एंड डी) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर सेवाओं से सेवा निर्यात में 27.9% की सशक्त वृद्धि देखी गई। पूंजीगत प्रवाह में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तहत शुद्ध प्रवाह, हालांकि मजबूत है, 2022-23 के दौरान एक साल पहले के 38.6 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 28.0 अरब अमेरिकी डॉलर कम रहा। भारत की बाहरी कमजोरियों में संभावित वृद्धि से बाजार आशंकाओं को झुठलाते हुए, भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% (अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान) रहा, जिसे टिकाऊ कहा जा सकता है। हालांकि यह एक साल पहले यह घाटा 1.1% तक बढ़ गया था। 2022-23 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 28.9 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 10 अगस्त 2023 को अपने वक्तव्य में कहा: वैश्विक अर्थव्यवस्था को निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति, ऋण के उच्च स्तरों, तंग व अस्थिर वित्तीय स्थितियों, निरंतर भूराजनीतिक तनावों, विखंडन और कठिन मौसमी परिस्थितियों जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ द्वारा 2023 में वैश्विक विकास पूर्वानुमान में बढ़ोतरी के बावजूद वर्तमान वर्ष और अगले कुछ वर्षों में वैश्विक विकास ऐतिहासिक मानकों के अनुसार कम रहने की संभावना है। डब्ल्यूटीओ द्वारा 2022 में विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि 2.7% से घटकर, 2023 में 1.7% होने का अनुमान है।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 8.0%; दूसरी तिमाही में 6.5%; तीसरी तिमाही में 6.0% और चौथी तिमाही में 5.7% रह सकती है। 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6% अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित है।

5. जोखिम और चिंताएं

जोखिमों को दूर करने के लिए, आपकी कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएमपी) बनाई है जो इसके व्यवसाय मॉडल के साथ एकीकृत व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक भाग है।

बदलते आर्थिक और कारोबारी माहौल को ध्यान में रखते हुए, सामान्य उधार नीति, आईआरएमपी, चलनिधि जोखिम प्रबंधन और आपकी कंपनी की अन्य व्यावसायिक नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आईएफसीआई के रिस्क मैनेजमेंट विजन स्टेटमेंट और क्वालिटेटिव रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट्स भी तैयार किए गए है। क्वालिटेटिव रिस्क एपेटाइट विवरण में शामिल मानदंडों का समय-समय पर परीक्षण किया जाता है।

आपकी कंपनी ने विवेकपूर्ण सीमाओं के साथ वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी, विभिन्न परिदृष्यों के तहत तनाव परीक्षण, वार्षिक रेटिंग प्रवासन अभ्यास, रेटिंग वितरण, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को उजागर करने वाली पोर्टफोलियो रेटिंग, आंतरिक और बाहरी रेटिंग की मैपिंग से पोर्टफोलियो स्तर के जोखिमों का आकलन किया। आपकी कंपनी नियमित रूप से मौजूदा बाजार, मैक्रो और सूक्ष्म आर्थिक कारकों और लाभप्रदता के आधार पर अपनी बेंचमार्क दरों की निगरानी और उनमें संशोधन करती है।

इंड-एएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी पिछले डेटा के आधार पर अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की रेटिंग ग्रेड-वार डिफॉल्ट की संभाव्यता (पीडी) संख्याओं का अनुमान लगाती है, जबकि एनपीए से नकदी प्रवाह के पिछले इतिहास के आधार पर लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) संख्याओं की गणना की जाती है। जोखिम घटकों का उपयोग इंड-एएस कार्यान्वयन के भाग के रूप में अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना के लिए किया जाता है।

कार्यकारी अधिकारियों की जोखिम और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई), मौजूदा नियामक उपाय के आधार पर समय-समय पर गतिशील तरलता स्थिति, संरचनात्मक तरलता अंतराल और ब्याज दर संवेदनशीलता स्थिति का विश्लेषण करती है। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मिड-ऑफिस फंक्शन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को रिपोर्ट करता है और एक स्वतंत्र रिस्क मॉनिटरिंग फंक्शनरी के रूप में काम करता है। परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियां मौजूद है। जिन्हें आंतरिक लेखा-परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, डेटा का रिमोट बैक-अप, आपदा प्रबंधन नीति, आईटी सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा और आपकी कंपनी की तथा साथ ही आपकी कंपनी के पास बंधक रखी गई बीमा योग्य संपत्तियों के बीमा के द्वारा समर्थन एवं सहायता मिलती है। इसके अलावा, सीआरएआर, लाभप्रदता और तरलता पर संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए, ऋण पोर्टफोलियो के तनाव परीक्षण और तरलता की स्थिति के मापन के लिए एक मैकेनिज्म भी मौजूद है।

आपकी कंपनी ऋण जोखिम मानकों को मजबूत करने, आपकी कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पोर्टफोलियो की मंजूरी के बाद निगरानी के उद्देश्य से विभिन्न पहलों पर काम करना जारी रखेगी। आपकी कंपनी संगठन के भीतर जोखिम प्रबंधन और जागरूकता के लिए एक मजबूत संस्कृति विकसित करने का भी प्रयास करेगी।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां, उनकी पर्याप्तता और आंतरिक लेखा-परीक्षा

आपकी कंपनी के पास अपने व्यवसाय और संबद्ध कार्यों के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा इन आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का नियमित आधार पर सत्यापन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से, अनुभवी कर्मियों की एक टीम द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा की जा रही है। निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्षेत्र के आधार पर लेन-देन की गंभीरता और महत्त्व के आधार पर इस तरह के ऑडिट की समयावधि त्रैमासिक से वार्षिक होती है। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा के अनुरूप आवधिकता के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की पर्याप्तता सुनिश्चित करने की कवायद भी आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की टिप्पणियों के आधार पर, प्रक्रिया मालिकों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है जिससे नियंत्रण प्रणाली मजबूत होती है।

आपकी कंपनी 03 फरवरी, 2021 के परिपत्र संख्या DoS. CO. PPG/ SEC.05/ 11.01.005/2020-21 के तहत जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट (आरबीआईए) के दिशानिर्देशों के आधार पर ऑडिट करती है। सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए।

7. मानव संसाधन का विकास, औद्योगिक संबंध मंच, नियुक्त व्यक्तियों की संख्या सहित

पिछले कुछ वर्षों में, आपकी कंपनी ने सलाहकारिता सेवा व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रगति की है। सलाहकारिता सेवा व्यवसाय तेजी से आईएफसीआई के व्यवसाय संचालन का मुख्य आधार बनता जा रहा है। इसे स्वीकार करते हुए, आईएफसीआई ने अपने व्यवसाय संचालन में आमूल-चूल बदलाव को करने के लिए अपने मानव संसाधन समूह को फिर से नियोजित करने और विकसित करने के प्रयास किए है।

इस प्रयास में, सलाहकारिता केंद्रित व्यवसाय के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण, कौशल, ज्ञान व दृष्टिकोण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 98% कार्यबल को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जो संगठन के लिए प्रासंगिक है। कुल मिलाकर, व्यवहारिक, तकनीकी और कार्यात्मक पहलुओं से जुड़े विषयों पर कुल 2,900 मानव घंटों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आईएफसीआई ने कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने और सभी मामलों में उनकी जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मजबूत एवं कारगर मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। परामर्शी निर्णय लेने के लिए मंच तैयार करने और कार्य वितरण में गति लाने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शक्तियों की समीक्षा की गई है। अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करने के लिए संगठन की मूल्य प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया जा रहा है और इस दिशा में कर्मचारी जवाबदेही संबंधी नीतियों को भी मजबूत किया गया है। महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतिभासम्पन्न अधिकारियों की पहचान करने के लिए और कर्मचारियों की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पदोन्नति नीति को भी संशोधित किया गया है। इसे संगठन के व्यवसाय संचालन में होने वाले बड़े बदलावों के मद्देनजर संगठन की आवश्यकताओं के अनुकूल और अधिक प्रासंगिक बना दिया गया है।

संगठन ने समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों के आयोजन से कर्मचारी एकजुटता और कर्मचारियों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम, 75वां आईएफसीआई स्थापना दिवस समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह, स्वच्छता अभियान में भागीदारी, दिवाली उत्सव, नव वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह और 10 कि. मी. मैराथन में भागीदारी निभाना जैसी गतिविधियां शामिल रही। महिला कर्मचारियों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए सत्र भी आयोजित किए गए।

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का कल्याण

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस संबंध में भारत सरकार की नीतियों का पालन करती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षण और छूट को लागू करने वाले दिशानिर्देशों का आपकी कंपनी द्वारा सख्ती से पालन किया जाता है। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपकी कंपनी आरक्षित श्रेणियों से संबंधित

कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व देती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 92% एससी, 100% एसटी, और 78% ओबीसी कर्मचारियों को शामिल किया गया।

31 मार्च, 2023 तक, आपकी कंपनी में 148 नियमित कर्मचारी थे, जिनमें से 21 (14%) अन्य पिछड़े वर्गो से थे, 13 (9%) अनुसूचित जातियों से थे, और 1 (1%) अनुसूचित जनजाति से थे।

01 जनवरी, 2023 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरण:

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2023 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	श्रेणी I	152	13	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	संविदा पर*	9	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	162	13	1	23	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* कैलेंडर वर्ष के दौरान एक संविदा कर्मचारी शामिल हुआ और कार्यमुक्त हो गया।

01 जनवरी, 2023 को विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2023 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	21	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	डी	30	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	50	5	1	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	40	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	9	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	संविदा पर*	9	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	162	13	1	23	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

*** कैलेंडर वर्ष के दौरान एक संविदा कर्मचारी शामिल हुआ और कार्यमुक्त हो गया।**

दिव्यांग जनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व (31.12.2022 तक)

क्रम स.	समूह	कर्मचारियों का स्वरूप (31.12.2022 की स्थिति अनुसार)					कैलेण्डर वर्ष 2022 (अर्थात् 01.01.2022 से 30.12.2022) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																			
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नतियां									
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या				
		जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	श्रेणी I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी-III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी: (i) वीएच से अभिप्राय दृष्टि से विकलांग (अंधेपन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से विकलांग (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)
(iii) ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से विकलांग (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)
(iv) आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तता

8. प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023	वित्तीय वर्ष 2022	टिप्पणी	महत्वपूर्ण परिवर्तन*
ब्याज कवरेज अनुपात	0.71	-0.93	ब्याज और करों से पूर्व आय/ कुल ब्याज व्यय(कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत)/वित्त लागत	जी हाँ(>25%)
चालू अनुपात	1.53	1.33	चालू परिसम्पत्ति/चालू देयता	नही (<25%)
ऋण इक्विटी अनुपात	9.28	15.74	कुल उधार/निवल मूल्य	जी हाँ(>25%)
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	-48.57%	-53.93%	परिचालन लाभ /कुल राजस्व (कर-पूर्व लाभ + क्षति)/ कुल राजस्व	जी हाँ(>25%)
निवल लाभ मार्जिन (%)	-58.57%	-265.41%	कुल समग्र आय/ कुल राजस्व	जी हाँ(>25%)
निवल मूल्य पर प्रतिफल	-59.61%	-143.86%	कुल समग्र आय/औसत निवल मूल्य	जी हाँ(>25%)

***स्पष्टीकरण:** अनुपातों में परिवर्तन परिचालन आय में कमी के कारण हुआ, जो ऋणों के समय पूर्व भुगतान और मानक परिसंपत्तियों में परिणामी गिरावट के कारण प्रभावित हुआ। इसके अलावा, चूंकि देनदार टर्नओवर अनुपात या इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात कंपनी (एनबीएफसी) पर लागू नही होते है, इसे उपरोक्त तालिका में शामिल नही किया गया है।

9. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ)

आईएफसीआई ने हमेशा अपने व्यवसाय को स्वस्थ परम्पराओं के साथ और जिम्मेदारी से संचालित करने का प्रयास किया है। आईएफसीआई में, आर्थिक प्रदर्शन के साथ-साथ, समुदाय और सामाजिक नेतृत्व, इसके समग्र कारोबार विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक रहे है। आईएफसीआई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहलों को अंगीकार करने वाले पहले संस्थानों में शामिल रहा है और यह 1948 में अपनी स्थापना के बाद से ही सामाजिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में शामिल रहा है। आज, यह 2014 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ) के माध्यम से सामाजिक और सामुदायिक विकास के क्षेत्र और अन्य ध्यान दिये योग्य क्षेत्रों में काम कर रहा है। आईएसएफ आईएफसीआई और आईएफसीआई समूह की सीएसआर गतिविधियों के लिए एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है। आईएसएफ ''भारत के प्रमुख सीएसआर संस्थानों में शामिल होना और समावेशिता स्थायी सामाजिक प्रभाव बनाने का प्रयास करना'' की समग्र दृष्टि के साथ समावेशिता, अखंडता, प्रतिबद्धता और उत्साह जैसे मूल्यों के द्वारा संचालित दिशा-निर्देशित रहता है। इसका प्रमुख फोकस शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं तथा लड़कियों के सामाजिक कल्याण पर रहा है।

सीएसआर गतिविधियों से जुड़ने के लिए ''आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन'' (आईएसएफ) के नाम से एक ट्रस्ट भी स्थापित किया गया है (एमसीए पंजीकरण संख्या सीएसआर 00005110)। आईएफसीआई और आईएसएफ ने अपनी सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से भारत के लगभग 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया है। ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 12ए और 80जी के तहत छूट के लिए पंजीकृत है। ट्रस्ट सीएसआर संशोधन नियम, 2021 के अनुरूप कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ भी पंजीकृत है। आईएसएफ आईएफसीआई और आईएफसीआई समूह कंपनियों की ओर से सीएसआर गतिविधियां करता है। सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-I** पर बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर गतिविधियों में निवेश परियोजना आधारित है और प्रत्येक परियोजना के लिए शुरुआत में समय सीमा और आवधिक मील के पत्थर निर्धारित किए जाते है।

चूंकि पिछले तीन वर्षो के लिए आईएफसीआई लिमिटेड का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक था, आईएफसीआई को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई राशि आवंटित करने की आवश्यकता नहीं थी।

सचेतक कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले कुछ कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भविष्योन्मुखी' हो सकते है। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से किसी हद तक भिन्न हो सकते है।

वर्ष के दौरान नियुक्त या इस्तीफा देने वाले निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान और इस बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख तक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए थे:

क) श्री सुनील कुमार बंसल (डीआईएन: 06922373), उप प्रबंध निदेशक, अपना कार्यकाल पूरा होने पर 13 सितंबर, 2022 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहेंगे।

ख) श्री कनकसाबापति कादिरेसन (डीआईएन: 09551363) इस्तीफे के बाद 02 अक्टूबर, 2022 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहेंगे।

ग) श्री सुरेंद्र बेहरा (डीआईएन: 09784122) और श्री अरविंद कुमार जैन (डीआईएन: 07911109) को 09 नवंबर, 2022 से कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्तियों को नियमित कर दिया गया और उन्हें रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 22 दिसंबर, 2022 को आयोजित 29वी एजीएम में शेयरधारकों का प्रस्ताव पारित हुआ।

घ) डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (डीआईएन: 08135512) सरकारी निदेशक, भारत सरकार के दिनांक 06 जनवरी, 2023 के आदेश के तहत 06 जनवरी, 2023 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहेंगे।

ङ) सुश्री अनिंदिता सिंहराय (डीआईएन: 07724555), सरकारी निदेशक, भारत सरकार के दिनांक 06 जनवरी, 2023 के आदेश के तहत 06 जनवरी, 2023 से कंपनी के बोर्ड में शामिल नहीं रही।

च) सरकार ने अपने आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2023 द्वारा श्री मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव, डीएफएस (डीआईएन: 03359724) को कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया था। तदनुसार, श्री मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव, डीएफएस को 02 फरवरी, 2023 से आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

छ) सरकार ने अपने आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2023 द्वारा कंपनी के बोर्ड में श्री कार्तिकेय मिश्रा, निदेशक, डीएफएस, (डीआईएन: 06440653) को सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया था। तदनुसार, डीएफएस के निदेशक श्री कार्तिकेय मिश्रा को 02 फरवरी, 2023 से आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ज) सरकार ने अपने आदेश दिनांक 10 मई, 2023 के माध्यम से, श्री उमेश कुमार गर्ग (डीआईएन: 00599426) को उनकी नियुक्ति के आदेश की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 10 मई, 2023 से प्रभावी) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। बोर्ड ने 25 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में उन्हें उनकी नियुक्ति के आदेश की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त

किया था। कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कंपनी के एसोसिएशन के लेख। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति को मंजूरी के लिए कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाएगा।

झ) बोर्ड ने 11 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनीत शुक्ला को 11 अगस्त, 2023 से कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया था।

न) प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन (डीआईएन: 00181842) जो इस वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होते है और पात्र होने के कारण खुद को पुन: नियुक्ति के लिए पेश करते है और उनकी पुन: नियुक्ति का प्रस्ताव इस एजीएम में शेयरधारकों के सामने रखा जा रहा है।

निगमित शासन प्रणाली और अनुपालन

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत यथा निर्धारित निगमित शासन प्रणाली पर एक विस्तृत रिपोर्ट, इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की विभिन्न वित्तीय सुविधाओं/उपकरणों को दी गई क्रेडिट रेटिंग, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल निगमित शासन प्रणाली रिपोर्ट में दी गई है।

ख) निदेशक बोर्ड और लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट में अलग से प्रस्तुत की गई निगम शासन रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा, रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां बोर्ड ने लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नही किया है।

ग) बोर्ड और समितियों की संरचना का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का हिस्सा है जो वार्षिक रिपोर्ट में अलग से प्रदर्शित होता है।

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को कंपनी की वेबसाइट पर विभिन्न नीतियां/दस्तावेज/विवरण डालने की आवश्यकता है। कंपनी की एक सुचारू वेबसाइट www.ifciltd.com है और सभी आवश्यक जानकारी व दस्तावेज वहां अपलोड किये जा रहे है और विभिन्न नीतियां/दस्तावेज/विवरण https://www.ifciltd.com/?q=en/content/disclosure-under-regulation-46-and-62-sebi-%E2%80%93-lodr पर उपलब्ध हैं।

ङ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नही थे। हालाँकि, आईएफसीआई एक सरकारी कंपनी है, स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति वित्तीय विभाग के पास है। सेवाएँ, प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी मंत्रालय है। आपकी कंपनी के अनुरोध पर विचार करते हुए, डीएफएस, एमओएफ ने 10 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से श्री उमेश कुमार गर्ग को 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

च) जैसा कि सूचीकरण विनियमों के तहत निर्धारित किया गया है, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट ('बीआरएसआर') वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

छ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, न तो सांविधिक लेखा-परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा-परीक्षकों ने अपने संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में किसी धोखाधड़ी की सूचना दी है।

ज) कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरबीआई, सेबी और अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा सूचित किए गए अनुसार संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत सभी रिटर्न/डेटा/विवरण प्रस्तुत किए गए है।

झ) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूरक ऑडिट रिपोर्ट पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां प्राप्त होने में देरी को देखते हुए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को बैठक बुलाने, बुलाने के लिए 3 महीने के विस्तार की मंजूरी दी गई है। और 30 सितंबर, 2023 से आगे एजीएम आयोजित करने की मांग की गई थी। आरओसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम आयोजित करने के लिए 3 महीने का विस्तार दिया था।

ण) निवेशक सेवा पहलों के लिए कई कदम उठाये गए, क्योंकि आपकी कंपनी में निवेशक सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या वेब-आधारित पूछताछ सबमिशन सिस्टम से प्राप्त निवेशकों की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाई करके उनका निवारण किया गया।

अन्य प्रकटीकरण:

क) आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक महासभा आयोजित करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार- दिल्ली (आरओसी) में एक आवेदन किया था। तदनुसार, यह वार्षिक महासभा आरओसी द्वारा बढ़ाई गई समयावधि के भीतर बुलाई जा रही है।

ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हुए हानि को देखते हुए इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो आपकी कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है।

ग) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, जो आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी बनी हो या बंद हो गई हो। 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार कंपनी की दो 'मैटेरियल सब्सिडियरीज' है यानि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि. है। महत्त्वपूर्ण सहायक कम्पनी के निर्धारण के सम्बन्ध में नीति कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर विवरण को इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग **फॉर्म एओसी-1** से देखा जा सकता है।

घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 9,29,36,802 इक्विटी शेयर कंपनी के प्रमोटरों यानी भारत सरकार (जीओआई) को 10.76 रुपये (केवल दस रुपये और छिहत्तर पैसे) की कीमत पर आवंटित किए गए थे ख्यक सहित, का प्रीमियम 0.76 रुपये (छहत्तर पैसे मात्र), प्रति इक्विटी शेयर कुल मिलाकर 100,00,00,000 रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) तक। इक्विटी शेयरों के आवंटन के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत सरकार की शेयरधारिता मौजूदा 64.86% से बढ़कर 66.35% हो गई।

इसके अलावा, 29,36,85,756 इक्विटी शेयर कंपनी के प्रमोटरों यानी भारत सरकार (भारत सरकार) को 13.62 रुपये (केवल तेरह रुपये और बासठ पैसे) की कीमत पर आवंटित किए गए थे 3.62 (रुपये) के प्रीमियम सहित केवल तीन और बासठ पैसे), वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति इक्विटी शेयर कुल मिलाकर 400,00,00,000 रुपये (चार सौ करोड़ रुपये) तक। वित्त वर्ष 2023-24 में इक्विटी शेयरों के आवंटन के परिणामस्वरूप, कंपनी की कुल पेड-अप शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता 66.35% से बढ़कर 70.32% हो गई (27 अप्रैल, 2023 तक)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की ऋण संरचना में परिवर्तन निम्नानुसार है:

वर्ष के आरम्भ में प्रतिभूतियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान मोचित	वर्ष के अन्त में प्रतिभूतियों की कुल संख्या
113,92,949	-	65,395	113,27,554

ङ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 (अंतिम) और 2015-16 (अंतरिम) के लिए दावा न किए गए लाभांश से संबंधित क्रमश: 1,30,82,420 रुपये और 2,25,96,911 रुपये की राशि हस्तांतरित की थी। इसके अलावा, 40,78,288 इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया गया था, जिसके संबंध में लाभांश लगातार 7 वर्षों से लावारिस बना हुआ है। जिन शेयरधारकों का दावा न किया गया लाभांश/शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फॉर्म संख्या आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं।

च) चूंकि कंपनी प्राथमिक रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण वित्तीय कंपनियों के कारोबार में संलग्न है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (उपधारा(1) को छोड़कर) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

छ) आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि नहीं जुटाई।

ज) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, नियामकों या न्यायालय द्वारा कंपनी के चालू कारोबार की स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के कारोबार में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बीच आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुए है।

झ) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे विवरणों को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के एमडी और सीईओ सहित, किसी भी निदेशक, को आपकी कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके बोर्ड में वे आपकी कंपनी द्वारा नामित निदेशक थे।

ण) कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) और लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने नामांकन और पारिश्रमिक नीति तैयार की है। तथापि, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1/2/2014-सीएल.वी दिनांक 5 जून 2015 के द्वारा सरकारी कंपनियों को प्रदत्त छूट के कारण इस नीति को बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

त) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है।

थ) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन कारोबार के सामान्य कामकाज के अनुसार और आर्म्स लेंग्थ आधार पर किए गए थे। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण सम्बन्धित पक्षकार से व्यवहार लेनदेन नहीं किया गया। तदनुसार, फार्म एओसी-2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत आवश्यक संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा लागू नहीं है और इसलिए यह बोर्ड की रिपोर्ट का भाग नहीं है।

द) बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन नामांकन और पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। निदेशकों द्वारा उल्लिखित सुधारों के फोकस क्षेत्रों में बोर्ड की संरचना/समितियों की संरचना शामिल है जो वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। चूंकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध करने वाला संचार प्रशासनिक मंत्रालय प्रभारी होने के नाते वित्तीय सेवा विभाग को भेजा गया है और नियुक्तियों की प्रतीक्षा है। इस बीच, हमारे अनुरोध पर विचार करते हुए 1(एक) स्वतंत्र निदेशक श्री उमेश कुमार गर्ग को भारत सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

ध) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दिवाला व दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई आवेदन नहीं किया गया था, या कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

न) आपकी कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर न्यासी(यों) का विवरण निम्नानुसार है:

डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क विवरण
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड	दि रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर वेस्ट, मुंबई - 400 028 फोन नं0: +91 022 6230 0451 ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.in वेबसाइट: www.axistrustee.in
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, सर पी एम रोड, किला, मुंबई - 400 001 फोन नं0: 022 66311776 ई-मेल: itsl@idbitrustee.com वेबसाइट: www.idbitrustee.com
सेन्टबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	तृतीय तल, (ईस्ट विंग), सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमओ बिल्डिंग, 55 एमजी रोड, मुंबई-400 001 फोन नं0: (022) 2261 6217 ई-मेल: info@cfsl.in; complaints@cfsl.in वेबसाइट: www.cfsl.in

लेखा-परीक्षक

मेसर्स एम के अग्रवाल एंड कंपनी (डीई0500) (फर्म पंजीकरण संख्या 001411एन) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, C&AG ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स एस मान एंड कंपनी (डीई1161) (फर्म पंजीकरण संख्या 000075एन) को आपकी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की आवश्यकता के अनुसार, लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा व्यक्त अर्हक, शंकाए या प्रतिकूल टिप्पणी अथवा डिस्क्लेमर

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा अर्हक नहीं किया गया। तथापि, सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने कुछ 'मैटर ऑफ इन्फोसिस' का प्रावधान किया। स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षकों की संपूर्ण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव फर्म को कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया

गया। सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणिया एवं उनके बारे में प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
क.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) का अनुपालन न करना, कंपनी में 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए।	सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015, के विनियम 17(1)(ए) के लागू प्रावधान के अनुसार निदेशक मंडल में कम से कम 1 महिला स्वतंत्र निदेशक होनी चाहिए। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के विनियम 149(6)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय होने के नाते वित्तीय सेवा विभाग, वित्त-मंत्रालय कंपनी के पास है। कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय होने के नाते वित्तीय सेवा विभाग, वित्त-मंत्रालय को इसकी जानकारी है। क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध पहले ही वित्तीय सेवा विभाग, वित्त-मंत्रालय को भेजा जा चुका है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का इंतजार है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एक बार महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति जाने के बाद, उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
ख.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) का अनुपालन न करना; 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या होनी चाहिए।	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताए) नियम 2015 के विनियम 17(1)(बी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पा रही है। जैसा कि उपरोक्त बिंदु (ए) में उल्लेख किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6)(ए) के अनुसार, आईएफसीआई के एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार प्रशासनिक प्रभारी अर्थात वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पास निहित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त-विभाग को पहले ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जा चुका है। एक बार आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, प्रावधानों का अनुपालन हो जाएगा।
ग.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) का गैर-अनुपालन, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, वित्तीय वर्ष के दौरान कोई अलग बैठक आयोजित नही की गई थी। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा/के लिए निष्पादन मूल्यांकन नही किया गया था।	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति होने के मामले में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों द्वारा और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।
घ.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178(1) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(बी), 19(1)(बी) और (सी), 20(2ए) और 21 का अनुपालन न करना; लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों की संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन के बारे में 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 की अदधि के दौरान सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया।	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों की संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के बिना किया गया और कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) एवं धारा 178(1) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(बी), 19(1)(बी) और (सी), 20(2ए) और 21 का अनुपालन नही हो रहा था। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, तदनुसार समितियों का गठन किया जाएगा।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी की सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण सहायक कम्पनियां अर्थात मेसर्स आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और मेसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएण्डएजी) की टिप्पणियाँ सीएण्डएजी की अनुपूरक लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर आईएफसीआई की समेकित टिप्पणियों सहित **अनुबंध-III** में संलग्न की जाएगी।

निदेशक दायित्व विवरण

निदेशक दायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार, एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्त्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय व अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि में कंपनी के लाभ व हानि का सही और निष्पक्ष परिदृश्य सामने रख जा सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल व्यवस्था की थी,

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को चालू कारोबार के आधार पर तैयार किया था,

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

आभार

आपके निदेशक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक निकायों, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक और राज्य सरकारों के सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहते है। आपके निदेशक सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विदेशी अनुसंगी बैंकों, बैंकिंग संस्थानों के अन्य सदस्यों और निवेशकों से प्राप्त बहुमूल्य सहायता और निरंतर सहयोग के लिए आभारी है। आपके निदेशक आपकी कंपनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों और समर्पित सेवा के लिए उनकी भी भरपूर सराहना करते है।

अरविन्द कुमार जैन
निदेशक
डीआईएन: 07911109
पता: आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110 019

श्री मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076
पता: आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110 019

दिनांक: 08 नवम्बर, 2023

अनुबंध-I

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

(i) आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई) 1948 में अपनी स्थापना के आरंभ से ही देश भर में सामाजिक-आर्थिक विकास की मार्फत समाज को सशक्त बनाने का दृष्टिकोण रखता है। आईएफसीआई सीएसआर नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से निम्नानुसार है:

- बेहतर निगरानी और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक संरचना/परिसम्पत्तियां (जिनमें आईएसएफ को सौंपी गई इसकी कुल निधियों का कम से कम 70 प्रतिशत शामिल है) सृजित करने के लिए वित्तीय सहयोग से सम्बन्धित क्रियाकलाप।
- जिस समुदाय के साथ हम कार्य करते है उनके सुधार के लिए परिवर्तन लाने हेतु सहायक क्रियाकलाप करना जैसे भूख तथा कुपोषण, निर्धनता, स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा और कौशल विकास, रोजगार और प्रौद्योगिकी उद्भवन, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और प्रौढ़ों की देखभाल संबंधी हमारे प्रयासों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव का सृजन करने का प्रयास करना।

(ii) चूंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, तत्काल पिछले तीन वर्षो के लिए आईएफसीआई का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा। अत: आईएफसीआई द्वारा (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन) सीएसआर क्रियाकलापों हेतु कोई राशि आबंटित करना अपेक्षित नहीं था। वित्तीय वर्ष 2018-19 की सीएसआर नीति का वित्तीय वर्ष 2022-23 में निरंतर पालन किया गया, जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया था। 2022-23 में कोई अलग नीति नहीं बनाई गई।

2. सीएसआर समिति की संरचना (31 मार्च, 2023 तक):- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) को शामिल करने के मद्देनजर और पिछले 3 वित्तीय वर्षो में घाटे के कारण आईएफसीआई के नगण्य सीएसआर खर्च के आलोक में वर्तमान सीएसआर समिति को समाप्त कर दिया गया है और सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। यह निर्णय 23 जून 2021 से प्रभावी कर दिया गया है।

3. वेब-लिंक प्रदान करें, जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	वेब-लिंक
1.	सीएसआर समिति	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) और 135 (9) के अनुसार तथा पिछले वित्तीय वर्ष में हुई हानियों तथा कम्पनी के नाममात्र सीएसआर व्यय को देखते हुए निदेशकों की सीएसआर समिति को 23 जून, 2021 से समाप्त कर दिया गया।
2.	सीएसआर नीतियाँ	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/our-csr-policy
3.	सीएसआर परियोजनाएं	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/our-csr-policy

4. यदि लागू हो, तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें। **लागू नहीं**

5. (क) धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ - (5656.48 करोड़ रुपए)
(ख) धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत - **शून्य**
(ग) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों/क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष राशि - **शून्य**
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, - **शून्य**
(ङ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (ख)+(ग)-(घ) - **शून्य**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चल रही परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के अलावा दोनों) - 70,91,966/- रुपए
(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों के लिए व्यय की गई राशि - **शून्य**
(ग) प्रभाव निर्धारण पर व्यय की गई राशि, यदि कोई हो, - **शून्य**
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (क+ख+ग) - 70,91,966/- रुपए
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि-शून्य @ 70,91,966/- रुपए	व्यय न की गई राशि (रुपए)				
	धारा 135 की उप धारा (6) के अनुसार अव्यदित सीएसआर खाते में अन्तरित कुल राशि		धारा 135 की उप धारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अन्तरित राशि		
	राशि (रुपए)	अन्तरण की तारीख	निधि का नाम	राशि (रुपए)	अन्तरण की तारीख
	लागू नहीं	-	लागू नहीं	लागू नहीं	-

(च) समायोजन हेतू अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, – **शून्य**

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	70,91,966/-
3.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (2-1)	शून्य
4.	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष राशि, यदि कोई हो	शून्य
5.	अगले वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (iii-iv)	शून्य

7. पिछले तीन वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि के विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष **	धारा 135 की उप धारा(6) के अधीन खर्च न की गई सीएसआर राशि में अन्तरित राशि (रुपए)	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपए)	वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए)	धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपए)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रूपए में)	स्थानांतरण की तिथि		
1	2018-19	45,70,533/-	0	25,66,966/-	-	-	शून्य	-
2	2019-20	41,32,750/-	0	39,75,000/-	-	-	शून्य	-
3	2020-21	5,50,000/-	0	5,50,000/-	-	-	शून्य	-

** कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में, चालू सीएसआर परियोजनाओं के लिए अव्ययित सीएसआर निधि खाते खोले गए और 28/04/2021 को अव्ययित धनराशि उक्त खातों में स्थानांतरित कर दी गई। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं थी।

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है:
नही

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें – लागू नहीं।

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति(एस) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं।

9. यदि कम्पनी धारा, 135 की उप धारा(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असमर्थ रही तो इसके कारण बताए –
चूंकि लगातार पिछले तीन वर्षों में कम्पनी का औसत निवन लाभ नकारात्मक रहा था अत: कम्पनी द्वारा कोई सीएसआर बजट का आबंटन करना अपेक्षित नही था अत: लागू नहीं

(मनोज मित्तल)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

अनुबंध–II

सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर,
61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019

हमने प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा **आईएफसीआई लिमिटेड**, (जिसे इसमें आगे 'कम्पनी' या 'आईएफसीआई' कहा गया है) द्वारा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन में सचिवीय लेखा–परीक्षा की है। सचिवीय लेखा–परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

प्रस्तुत की गई कम्पनी की खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डो तथा सचिवीय लेखा–परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते है कि हमारी राय में लेखा–परीक्षा अवधि जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखा–परीक्षा अवधि) शामिल है, के दौरान इसमें नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली उस सीमा तक और उस रूप में है और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डो की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अधीन बनाए गए नियम;
(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उप–विधियां;
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधर;
(v) यथाप्रयोज्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा मार्गनिर्देश:
  (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण तथा टेकओवर्स) विनियम, 2011;
  (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015;
  (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
  (घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हित) विनियम, 2021
  (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
  (च) कम्पनी अधिनियम और ग्राहकों से लेन–देन के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियम, 1993;
  (छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करना) विनियम, 2021;
  (ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
  (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और भागीदार) विनियम, 2018
(vi) कम्पनी पर लागू (उद्योग पर यथा लागू) अन्य विशिष्ट विधियों के अधीन अनुपालन/प्रक्रियाओं/पद्धतियों का सत्यापन कम्पनी के निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की गई आन्तरिक अनुपालन पद्धति के अधीन आवधिक प्रमाणपत्र के आधार पर किया जा रहा है।

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय–समय पर यथा संशोधित सचिवीय मानक – सामान्यतया पालन किया गया।
(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. और बीएसई लि. के साथ भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानको आदि के उपबंधों का पालन किया है:

(क) भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1)(क) का अनुपालन न करना, 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान कम्पनी कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक रखेगी।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) का अनुपालन न करना, 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान कम्पनी अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक रखेगी।

(ग) भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) का अनुपालन न करना, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में वित्तीय वर्ष के दौरान अलग से कोई बैठक आयोजि नहीं की गई। तद्नुसार स्वतंत्र निदेशकों के लिए/के द्वारा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178(1) और प्रतिभूतियों के विनियम 18(1)(बी), 19(1)(बी) और (सी), 20(2ए) और 21 का गैर-अनुपालन और भारतीय विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना 01 अप्रैल, 2022 से अवधि के दौरान वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। 31 मार्च 2023.

हम यह भी सूचित करते हैं कि कम्पनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी के बोर्ड का गठन किया जाना अपेक्षित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के अनुरूप थे।

प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार, कम्पनी पर डीपीई मार्गनिर्देश लागू नहीं होते, क्योंकि आईएफसीआई का नाम सीपीएसई की सूची में दिखाई नहीं देता जो कि dipam.gov.in पर उपलब्ध है।

सामान्यतया सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के आयोजन की सूचना पर्याप्त समय रहते दी जाती है। कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत टिप्पणियां सामान्यतया बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी गई और बैठक से पूर्व कार्य-सूची मदों पर अतिरिक्त सूचना मांगने और प्राप्त करने और स्पष्टीकरणों एवं निदेशकों से बैठक में सार्थक भागीदारी करने हेतु एक पद्धति उपलब्ध है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए और असहमति/अस्वीकृति यदि कोई थी, को कार्यवृत्त में विधिवत् शामिल किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि कंपनी ने सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) के अनुसार एसडीडी अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कम्पनी में कम्पनी के आकार के अनुरूप और परिचालनों के अनुवर्तन तथा प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने की पर्याप्त पद्धतियां और प्रक्रियाएं है।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. और बीएसई लि. ने भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1), 17(2क), 18(1), 19(1)/19(2), 20(2)/20(2क), 21, 50 व 60(2) का अनुपालन न करने के कारण मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसके विरुद्ध कम्पनी ने कम्पनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के अनुरोध सहित जवाब प्रस्तुत किया है।

हम सूचित करते हैं कि लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कोई ऐसी विशेष घटना/कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ऊपर निर्दिष्ट विधियों के अनुसरण में कम्पनी के कार्यो पर कोई महत्वपूर्ण असर पड़ता हो।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोड: पी2003डीई049100
पियर रिव्यू प्रमाणन संख्या: 2725/2022

सीएस अंजलि
साझेदार
एसीएस: 65330
सीपी संख्या: 26496

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई, 2023
यूडीआईएन: ए065330ई000317934

(टिप्पणी: इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुबन्ध-'क' के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।)

अनुबंध-क

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर
61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019

इस पत्र के साथ इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार पढ़ी जाए:

(1) सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व लेखा-परीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकार्डो के निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डो पर अपनी राय व्यक्त करना है।

(2) हमने ऐसी लेखा-परीक्षा पद्धतियां और कार्यविधियां अपनाई है, जो सचिवीय रिकार्डो की विषय-वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकार्डो में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।

(3) हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डो और खाता-बहियों के सही होने और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों/ अभ्युक्तियों और कमजोरियों को शामिल नहीं करती है।

(4) जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन की राय ली है।

(5) निगमन के उपबंधों तथा अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन करने का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने और उन पर अपनी राय देने तक सीमित थी कि क्या कम्पनी में उचित बोर्ड कार्य-विधियां और अनुपालन प्रणाली है अथवा नहीं।

(6) सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यो का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोड: पी2003डीई049100
पियर रिव्यू प्रमाणन संख्या: 2725/2022

सीएस अंजलि
साझेदार
एसीएस: 65330
सीपी संख्या: 26496

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई, 2023

प्रपत्र संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
सीआईएन: यू45400डीएल2007जीओआई169232
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110019

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड,** (जिसे इसमें आगे **'कम्पनी'** कहा गया है) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन किए जाने की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

कम्पनी की खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत की गई विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डो तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते है कि हमारी राय में लेख-परीक्षा अवधि जिसमें **31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष** (लेखा-परीक्षा अवधि), के दौरान कम्पनी ने नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली, उस सीमा तक और उस रूप में और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन मौजूद है।

हम सूचित करते है कि हमने निम्नलिखित उपबंधों (यथासंशोधित) के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डो की जांच की है।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसकी अधिसूचनाओं, छूटों और स्पष्टीकरणों के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उप-विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा मार्गनिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण तथा टेकओवर्स) विनियम, 2011 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हित) विनियम, 2014 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(ङ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व सूचीकरण) विनियम, 2008 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों से संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियम, 1993 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करना) विनियम, 2009 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

(झ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 - ***(समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);***

हम यह भी सूचित करते हैं कि हमने कम्पनी पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित विधियों के अनुसार, कम्पनी द्वारा रखे गए उपयुक्त प्रलेखों और रिकार्डो की परीक्षण जांच आधार पर भी जांच की है।

(i) भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016;

(ii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और निस्तारण) अधिनियम, 2013;

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि व विविध उपबंध अधिनियम, 1952;

(iv) प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961;

ऐसी जांच के आधार पर और कम्पनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को देखते हुए, कम्पनी ने लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त विधियों के उपबंधों का अनुपालन किया है।

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है:

1. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - पालन किया गया।
2. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं)।

सूचनाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने सामान्यतया ऊपर दिए गए प्रयोज्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, सचिवीय मानकों आदि के उपबंधों का पालन किया है।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान:

1. कम्पनी के निदेशक बोर्ड का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और महिला निदेशक के उपयुक्त संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक बोर्ड के गठन में किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया में अधिनियम के उपबंधों का पालन किया गया।
2. बोर्ड बैठकों के आयोजन की सूचना सभी निदेशकों को समय रहते दी गई और कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां भी बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजी गई। तथापि कम्पनी में बैठक से पूर्व अतिरिक्त सूचना मांगने और प्राप्त करने तथा कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण मांगने तथा बैठक में सक्रिय भागीदारी करने की एक प्रक्रिया मौजूद है।
3. बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए और असहमति, यदि कोई थी, को कार्य-विवरण में विधिवत् रिकार्ड किया गया।
4. कम्पनी में इसके आकार और परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं है, जिससे प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुपालन और अनुवर्तन सुनिश्चित हो सके।
5. ऊपर निर्दिष्ट को छोड़कर, कम्पनी में ऊपर संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कम्पनी के कार्यों पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाली कोई ऐसी घटना/कार्यवाही नहीं की गई है।

कृते **सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव

सूर्याकान्त गुप्ता
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
सीपी संख्या: 10828
सदस्यता संख्या: एफ9250
यूडीआईएन: एफ009250ई000713745
पियर रिव्यू प्रमाणन संख्या: 907/2020

दिनांक: 31 जुलाई, 2023
स्थान: नई दिल्ली

(**टिप्पणी:** यह रिपोर्ट सचिवीय लेखा-परीक्षक के इसी तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो **''अनुबंध-क''** के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।)

अनुबंध-''क''

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
सीआईएन: यू45400डीएल2007जीओआई169232
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110019

इस पत्र और इसी तारीख की हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ पढ़ी जाए:

प्रबंधन का दायित्व:

(1) सचिवीय रिकार्डो का रखरखाव करना और सभी प्रयोज्य विधियों और विनियमो के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां बनाने तथा यह सुनिश्चित करना कि यह प्रणालियां पर्याप्त है और सक्रियरूप से काम कर रही है, कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है।

लेखा-परीक्षक का दायित्व:

(2) हमारा दायित्व सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कम्पनी द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय रिकार्डो, मानको और प्रक्रियाओं पर अपनी राय व्यक्त करना है।

(3) हमने ऐसी लेखा-परीक्षा पद्धतियां और प्रक्रिया अपनाई है, जो सचिवीय रिकार्डो की विषय-वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थी। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकार्डो में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।

(4) हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डो और खाता-बहियों के सही होने और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है।

(5) जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन के प्रतिवेदन प्राप्त किए है।

(6) हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

अस्वीकरण

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यो का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते **सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव

सूर्याकान्त गुप्ता
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
सीपी संख्या: 10828
सदस्यता संख्या: एफ9250
यूडीआईएन: एफ009250ई000713745
पियर रिव्यू प्रमाणन संख्या: 907/2020

दिनांक: 31 जुलाई, 2023
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के लिए

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबन्धकीय कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेंटर प्वाइंट, यूनिट नं. 301, तीसरा तल,
डॉ. बी अंबेडकर रोड, परेल, मुंबई - 400012

हमने **स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CIN: U67190MH1986GOI040506)** जिसे इसमें आगे **'कम्पनी'** कहा गया है; द्वारा प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन किए जाने की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

कम्पनी की खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत की गई विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते है कि हमारी राय में लेखा-परीक्षा अवधि जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष, के दौरान कम्पनी ने नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली, उस सीमा तक और उस रूप में और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन, मौजूद है।

हमने कंपनी द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

I. हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत की गई विवरणियों, विभिन्न सहयोगी व्यावसायिको द्वारा जारी की गई रिपोर्टो एवं कम्पनी द्वारा रखे गए प्रयोज्य रिकार्डो और रजिस्टरों की जांच की है:

1. कम्पनी अधिनियम, 2013; और उसके अधीन बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति सेबी कस्टोडियन विनियम 1996;
3. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके तहत बनाए गए नियम;
4. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
5. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी) विनियम, 2021;
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियमन, 2014;
8. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015;
9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियमन, 2008;
10. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015;
11. एएमएफआई की आवश्यकता के अनुसार म्यूचुअल फंड वितरक के लिए आचार संहिता;
12. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) द्वारा पालन की जाने वाली परिचालन गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश
13. स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र (लागू सीमा तक);
14. डिपोजिटरी द्वारा समय-समय पर जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र (लागू सीमा तक);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने इस रिपोर्ट में बताई गई सीमा तक ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

II. रिपोर्ट के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धकरण) विनियम, 2009;
(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998।
(ड़) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009;
(च) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का संरक्षक) विनियमन, 2014 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी;
(छ) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियमन, 2016।

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; और

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008;

III. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए सहयोगी व्यावसायिकों से प्राप्त सूचना, दस्तावेजों, अभिलेखों, फाइलों और अन्य प्रमाणपत्रों या पुष्टियों की समीक्षा की है और कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी पर लागू अन्य कानूनों के तहत सिस्टम, रिकॉर्ड और अनुपालन पर किए गए अभ्यावेदन की समीक्षा की है। कंपनी पर लागू होने वाले प्रमुख कानूनों और अधिनियमों की सूची इस रिपोर्ट के **अनुबंध–I** में दी गई है।

IV. हमने कंपनी सचिव संस्थान, भारत द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक–I और II के लागू और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 118(10) के तहत जारी और एमसीए द्वारा अधिसूचित प्रावधानों के अनुपालन की जांच की है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक बोर्ड का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत तरीके से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय सभी निदेशक मंडल की सर्वसम्मत सहमति से किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम रिपोर्ट करते है कि रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित घटनाएं/कार्रवाई की है:

(1) कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है, जिसे 23 सितंबर, 2022 को आयोजित 35वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित और घोषित किया गया था। कंपनी के शेयरधारकों ने कंपनी की चुकता शेयर पूंजी पर 115% का अंतिम लाभांश (रु. 11.50 प्रति इक्विटी शेयर) यानि वित्त वर्ष 2021–22+ के लिए 305% का कुल लाभांश अनुमोदित किया है।

(2) कंपनी ने 23 सितंबर, 2022 को आयोजित अपनी 35वीं वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री रमेश नारायणस्वामी गौरी शंकरन (डीआईएन: 06932731) के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए यानि 14 अप्रैल, 2022 से 13 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी। उसके बाद, कंपनी ने 10 अक्टूबर, 2022 को आयोजित अपनी 224वीं बोर्ड बैठक में कार्यकाल को छह महीने और यानि 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अप्रैल, 2023 तक बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दे दी। श्री रमेश नारायणस्वामी गौरी शंकरन का कार्यकाल 13 अप्रैल, 2023 को समाप्त हुआ।

(3) कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए दावा न किए गए अंतिम लाभांश के 7700 रु. की राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईपीएएफ) में हस्तांतरित की। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश के 8100 रुपये की राशि आईईपीएफ में हस्तांतरित की। कंपनी ने भुगतान की मैपिंग के लिए एमसीए वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी को सुधारने के लिए 28 जनवरी, 2023 को अपनी आपत्ति दर्ज करायी है।

(4) निदेशक मंडल ने 01 नवंबर 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 235% के अंतरिम लाभांश के भुगतान की घोषणा की, जो प्रति इक्विटी शेयर 23.5 रु. है और जिसमें कंपनी के इक्विटी शेयरों पर लाभांश के 49,47,78,400 रु. की राशि शामिल है। इसके अलावा, कंपनी ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में ''अंतरिम लाभांश–सह–अवैतनिक खाता 2022–23'' खोला है और लाभांश राशि, घोषणा के सात दिनों के भीतर उक्त खाते में विधिवत हस्तांतरित कर दी गई है। तदनुसार 11 नवंबर, 2022 को 16,500 रु. का भुगतान आईईपीएफ के बैंक खाते में कर दिया गया है, जो उन शेयरधारकों को देय अंतरिम लाभांश के संबंध में है, जिनका हिस्सा आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया गया है और समय सीमा के भीतर आवश्यक फॉर्म आईईपीएफ–7 जमा करा दिया गया है।

(5) कंपनी ने वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर फंड निम्नानुसार निर्धारित किया:

(क) 55,36,092 रु. एसएचसीआईएल फाउंडेशन ट्रस्ट को दिए जाएंगे

(ख) 50,00,000 रु. आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ) दिए जाएंगे

इसके अलावा, जैसा कि आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी द्वारा दिये गये कुल योगदान 50,00,000 रु. में से 25,05,454 रु. की राशि खर्च नहीं की गई है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आईडीबीआई बैंक में एक अलग अव्ययित सीएसआर खाता खोला गया, जिसमें आईएसएफ ने 28 अप्रैल, 2023 को जारी परियोजनाओं हेतु उक्त अव्ययित सीएसआर राशि भेज दी गई है।

(6) कंपनी को 30 अगस्त, 2022 को सहायक कंपनी यानि स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड से 9.5% गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जमाओं के मूल पुनर्भुगतान की तीसरी किश्त के 500 लाख रु. की परिपक्व जमा राशि प्राप्त हुई है।

कृते डी.ए. कामत एंड कंपनी
कंपनी सचिव

पीआर संख्या: 1714/2022
स्थान: मुंबई
दिनांक: अगस्त 10, 2023

डी.ए. कामत
पार्टनर
एफसीएस 3843
सीपी 4965
यूडीआईएन: एफ008227ई000795816

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेंटर प्वाइंट, यूनिट नं. 301, तीसरा तल,
डॉ. बी अंबेडकर रोड, परेल, मुंबई - 400012

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे है। सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट को निम्नलिखित के साथ पढ़ा जाना चाहिए:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है। हमारी दायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखा-परीक्षा पद्धतियां और कार्यविधियां अपनाई है, जो सचिवीय रिकार्डो की विषय-वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकार्डो में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन की राय ली है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यो का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।
7. हमने ऑडिट के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक) पर भरोसा किया है और जहां उपयुक्त डेटा उपलब्ध नहीं था, प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया गया था।

कृते डी.ए. कामत एंड कंपनी
कंपनी सचिव

पीआर संख्या: 1714/2022
स्थान: मुंबई
दिनांक: अगस्त 10, 2023

डी.ए. कामत
पार्टनर
एफसीएस 3843
सीपी 4965
यूडीआईएन: एफ008227ई000795816

अनुलग्नक-I: कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य अधिनियमों की सूची

कंपनी द्वारा प्रदान किये गये अन्य कानूनों की सूची के आधार पर, व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख अधिनियमों की निम्नलिखित सूची कंपनी पर लागू होती है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत लागू नियम
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का संरक्षक) विनियमन, 1996
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी) विनियमन, 2021
4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियमन, 2014
5. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियमन, 2008
7. धन-शोधन अर्थात मनी-लॉन्डरिंग निवारण अधिनियम, 2002
8. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
9. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
10. महाराष्ट्र श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1953
11. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
12. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
13. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
15. दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम
16. स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र
17. डिपॉजिटरी द्वारा जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र
18. सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध (विनियम), 2015
19. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
20. आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021
21. आईएफएससीए (बाजार संरचना संस्थान) विनियम 2021
22. सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2020
23. सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स) विनियम, 1992

अनुबंध-III

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्राक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा-परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह सूचित किया जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 25 मई 2023 की उनकी लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के द्वारा किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अधीन, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा कर ली है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा-परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो मेरे ध्यान में आएं है और जिन पर मेरी राय देना अनिवार्य है जिससे कि वित्तीय विवरणों और इससे संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझा जा सके:

क. लाभदेयता पर टिप्पणियाँ

क.1 परिसंपत्तियां: वित्तीय परिसंपत्तियां

क.1.1 ऋण (नोट 7): 1799.19 करोड़ रु.

ऋण को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और वर्ष की हानि को 283.43 करोड़ रु. से कम करके दिखाया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(i) उपरोक्त में मेसर्स पायनियर गैस पावर लिमिटेड (पीजीपीएल) पर 434.72 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है, जो 31 मार्च 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईएफसीआई के पास अन्य ऋणदाताओं सहित पीजीपीएल की परिसंपत्तियों पर पहले पैरी-पासु चार्ज के रूप में प्रतिभूति है। तीन मूल्यांकनकर्ताओं की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट (फरवरी 2022) के अनुसार, परियोजना का औसत उचित मूल्य (अप्रचलित मूल्य सहित) 393.44 करोड़ रु. था। कंपनी ने जून 2022 में पूरी संपत्ति की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरह 375 करोड़ रु. के आरक्षित मूल्य के ऋण को मंजूरी दी। लेकिन यह ऋण आगे नहीं बढ़ सका और नए मूल्यांकन की मांग की गई (मई 2023)।

चूंकि प्रतिभूतियों का औसत उचित मूल्य 393.44 करोड़ रु. है, आईएफसीआई की 28.02 प्रतिशत हिस्सेदारी पर विचार करते हुए, अधिकतम संभावित वसूली 110.24 करोड़ रु. (393.44 करोड़ रु. का 28.02 प्रतिशत) है। अत: शेष राशि 324.48 करोड़ रु. (434.72 करोड़ रु. में 110.24 करोड़ रु. घटाकर) को बट्टे खाते में डाला जा सकता था।

324.48 करोड़ रु. की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि का अंकन 91.50 करोड़ रु. कम हुआ है (क्षति हानि भत्ता 232.98 करोड़ रु. के समायोजन के बाद 71.80 प्रतिशत) तथा ऋण भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया।

(ii) कंपनी द्वारा बकाया मूलधन की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क किये जाने के बारे में

ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल) को दिए गए 135.81 करोड़ रु. के ऋण के संबंध में एनसीएलटी ने परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया (फरवरी 2021)। तदनुसार, परिसमापन मूल्य 10.37 करोड़ रु. आंका गया। संपत्ति के परिसमापन के बाद कंपनी को 14.79 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई और उसे ब्याज खाते में समायोजित किया गया। चूंकि भविष्य में किसी प्रकार की वसूली की उम्मीद नहीं है, 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन को बट्टे खाते में डाला जा सकता था।

135.81 करोड़ रु. की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि 38.30 करोड़ रु. कम बतायी गई (क्षति हानि भत्ता 97.51 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण भी उतनी ही राशि से अधिक दिखाया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान टिप्पणी संख्या अ.1 (ii) में उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(iii) उपरोक्त में 31 मार्च 2023 तक मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) पर 151.50 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है।

कंपनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर अधिकतम वसूली योग्य राशि की गणना 31.43 करोड़ रु. की है और तदनुसार 70 करोड़ रु. के एक-मुश्त सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए सहमति दी (जनवरी 2020), जिसका एमआईएल द्वारा पालन नहीं किया गया। इसलिए, कंपनी ने ओटीएस रद्द कर दिया (दिसंबर 2020)। एमआईएल द्वारा 51 करोड़ रु. (ब्याज के 3 करोड़ रु. सहित) का एक नया ओटीएस प्रस्ताव (26 अगस्त 2022) प्रस्तुत किया गया। तदनुसार, कुल बकाया 151.50 करोड़ रु. के विरूद्ध अधिकतम संभावित वसूली केवल 51 करोड़ रु. है। इसलिए, 100.50 करोड़ रु. (151.50 करोड़ रु. 51 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि को माफ किया जा सकता था।

100.50 करोड़ रु. की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने से हानि को 28.34 करोड़ रु. कम दिखाया गया है (क्षति हानि भत्ता 72.16 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक दिखाया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमश: टिप्पणी संख्या अ.1 (i) और अ.1 (v) में इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(iv) 8 जून 2021 को स्वीकृत एनसीएलटी के निर्णय और रिजॉलूशन योजना के अनुसार, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) पर आईएफसीआई का दावा (1.03 प्रतिशत), 382.21 करोड़ रु. के बकाया के मुकाबले अधिकतम 70.31 करोड़ रु. तक सीमित था। इसके अलावा, प्रबंधन के अनुसार, सावधि जमाओं में 125 करोड़ रु. की राशि को लेनदारों में वितरित नहीं किया गया और 302 करोड़ रु. की राशि को 'सुरक्षित दावों के बजाय असुरक्षित दावों' के तहत गलत वर्गीकृत किया गया। इसे कंपनी के पक्ष में मानते हुए अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रु. (427 करोड़ रु. का 1.03 प्रतिशत) आंकी गई। इस प्रकार, 382.21 करोड़ रु. की बकाया राशि में से वीआईएल से अधिकतम वसूली 74.71 करोड़ रु. (70.31 करोड़ रु. जमा 4.40 करोड़ रु) हुई। इसलिए 307.50 करोड़ रु. (382.21 करोड़ रु. घटा 74.71 करोड़ रु.) को माफ किया जा सकता था।

307.50 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 86.71 करोड़ रु. कम बताया गया और ऋण को भी (क्षति हानि भत्ता 220.79 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) उतनी ही राशि से अधिक बताया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (iii) और क.1 (i) में उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(v) उपरोक्त में लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल) पर 90.94 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। एलटीएपीएल द्वारा डिफॉल्ट किये जाने के कारण, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के समक्ष मामला रखा गया। आरपी ने बताया कि कॉर्पोरेट देनदार के पास प्रतिभूतियों और वित्तीय संपत्तियों के अलावा कोई संपत्ति नहीं है और उसने पिछले 3-4 वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं किया गया है। यह पाया गया कि आईएफसीआई के पास केवल कोल्लम, केरल स्थित ऐ संपत्ति का विशेष प्रभार है, जिसका उचित मूल्य केवल 32.69 करोड़ रु. है। चूंकि कंपनी के पास कोई अन्य सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए 58.25 करोड़ रु. (90.94 करोड़ रु. घटा 32.69 करोड़ रु.) की शेष राशि माफ की जा सकती थी।

58.25 करोड़ रु. की शेष राशि को माफ नहीं करने से हानि 16.43 करोड़ रु. से कम दिखायी गई है और (क्षति हानि भत्ते 41.82 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टिप्पणी संख्या क.1 (vii) में वर्णित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(vi) उपरोक्त में आर्कोटेक लिमिटेड पर 59.21 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है। कंपनी द्वारा डिफॉल्ट किये जाने के कारण, आईएफसीआई ने बकाया राशि की वसूली के लिए दिवालिया याचिका दायर की (अप्रैल 2019)। हालाँकि, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में प्राथमिकता शुल्क कम करने के कारण, आईएफसीआई ने दिवाला याचिका को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और एनसीएलटी से इसे वापस (अगस्त 2022) ले लिया। आईएफसीआई के पास बावल (हरियाणा) में 83.70 करोड़ रु. (मार्च 2022) के संकटकालीन बिक्री मूल्य वाली संपत्ति पर अकेला पहला प्रभार है और कंपनी ने 15 मार्च 2022 को इसका कब्जा ले लिया। हालांकि, संपत्ति की बिक्री के लिए आईएफसीआई के प्रयास आगे नहीं बढ़े है, क्योंकि कामकाज जारी है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पूंजी ऋणदाताओं ने सलाह दी कि वे सरफेसी अधिनियम के तहत नीलामी का समर्थन नहीं करते है। इसलिए, इसे तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि न्यूनतम 60 प्रतिशत ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 139(9) के तहत सहमति न प्राप्त हो, जबकि आईएफसीआई के पास केवल 14.33 प्रतिशत मतदान अधिकार है। आईएफसीआई को ग्लिक्स सिक्योरिटीज प्रा. लि.[1] से नया प्रस्ताव (16 दिसंबर 2022) प्राप्त हुआ है। जिसमें आईएफसीआई का हिस्सा 41.64 करोड़ रु. का है जो पीएनबी (अग्रणी बैंक) के अनुमोदन के अधीन है। आईएफसीआई को 1.58 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं और निपटान राशि के अग्रिम हिस्से के शेष 0.50 करोड़ रु. (41.64 करोड़ रु. का 5 प्रतिशत) की प्रतीक्षा है।

चूंकि कुल बकाया 59.21 करोड़ रु. के विरुद्ध वसूली की अधिकतम संभावना केवल 41.64 करोड़ रु. है, शेष राशि 17.57 करोड़ रु. (59.21 करोड़ रु. घटा 41.64 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

17.57 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 4.95 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ते 12.62 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

(vii) उपरोक्त में 31 मार्च 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजना को लागू करने के लिए आईएल एंड एफएस समूह के तहत गठित एक एसपीवी, खेडसिन्नार एक्सप्रेसवे लिमिटेड (केएसईएल) पर 14.10 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। इस परियोजना को एनएचएआई द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आईएल एंड एफएस समूह ने एनसीएलटी में रिजॉलूशन योजना दायर की थी जिसे मार्च 2020 में मंजूरी दे दी गई थी। एनएचएआई ने केएसईएल के परियोजना खातों में समापन राशि का भुगतान (जून 2022) किया था और आईएफसीआई को 64.11 करोड़ रु. का अपना हिस्सा (31 मार्च 2023) प्राप्त हुआ और इसे उसी में समायोजित किया गया। चूंकि आगे कोई वसूली अपेक्षित नहीं है, इसलिए 14.10 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

14.10 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 3.98 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 10.12 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (क) और क.1 (viii) में इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(viii) उपरोक्त में उत्तम गैल्वा मेटालिक्स लिमिटेड (यूजीएमएल) पर 126.57 करोड़ रु. का मूल बकाया राशि शामिल है। यह ऋण वडोदरा स्थित 24.44 एकड़ भूमि (मूल्य 135.63 करोड़ रु.), मेसर्स टेन्साइल स्टील लिमिटेड (भूमि मालिक) की कॉर्पोरेट गारंटी और प्रमोटरों (उत्तम समूह) की व्यक्तिगत गारंटी के विशेष बंधक से सुरक्षित किया गया था। उत्तम ग्रुप ने (नवंबर 2016) पीएचसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (पीबीपीएल) को बंधक भूमि के सह-उधारकर्ता और डेवलपर के तौर पर शामिल किया। चूंकि इस्पात क्षेत्र गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था, पूरा यूजीएमएल और उत्तम समूह लिक्विडिटी संकट में फंस गया और यह खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया (जून 2018)।

---

[1] *ग्लिक्स सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड संकटग्रस्त संपत्तियों में निवेश करता है और उसने आर्कोटेक लिमिटेड की पहचान की और आईएफसीआई को इसका प्रस्ताव दिया है।*

यूजीएमएल को एनसीएलटी में शामिल किया गया (जुलाई 2018) और अनुमोदित रिजॉलूशन योजना दिसंबर 2020 में लागू की गई। योजना के अनुसार, आईएफसीआई को 11.67 करोड़ रु. की अग्रिम राशि, 28.81 करोड़ रु. के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), 11.37 करोड़ रु. के प्राप्तियोग्य असाइनमेंट और 0.13 करोड़ रु. के डिबेंचर प्राप्त हुए, जिन्हें तब से इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है। आईएफसीआई भी सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली के उपाय कर रहा है, हालांकि, सिविल कोर्ट, वडोदरा द्वारा दिए गए यथास्थिति निर्देश (जुलाई 2019) के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद, पीबीपीएल ने 15 महीने की अवधि में देय 80 करोड़ रु. के समझौता निपटान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2022)। 24.01 करोड़ रु. (28.81 करोड़ रु. में से) मूल्य के एनसीडी आईएफसीआई की खाता-बहियों में बने रहेंगे और यूजीएमएल के नए प्रबंधन (इवोइन्थमेटलिक्स लिमिटेड) द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव को क्रेडिट एवं संचालन समिति की सिफारिश पर निदेशकों की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित (01 मई 2023) कर दिया गया।

चूंकि कुल बकाया 102.56 करोड़ रु. में से वसूली की अधिकतम संभावना केवल 80 करोड़ रु. है, शेष राशि 22.56 करोड़ रु. (102.56 करोड़ रु. घटा 80 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

22.56 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 6.36 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 16.20 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

(ix) उपरोक्त में सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर 75.90 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। रिकॉर्ड के अनुसार, सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबंधित रिजॉलूशन योजना समाप्त हो गई थी और मामला परिसमापन में चला गया था। परिसमापन मूल्य 234 करोड़ रु. आंका गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रु. है। इसके अलावा, आईएफसीआई का 51.39 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिभूतियों[2] पर प्रभार है। चूँकि कुल बकाया 75.90 करोड़ रु. में से अधिकतम संभावित वसूली 51.56 करोड़ रु. (0.17 करोड़ रु. जमा 51.39 करोड़ रु.) है, बकाया राशि 24.34 करोड़ रु. (75.90 करोड़ रु. घटा 51.56 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

24.34 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डाले जाने के परिणामस्वरूप हानि को 6.86 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 17.48 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (iv) और क.1 (vi) में इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.1.2 निवेश (नोट संख्या 8): 1018.97 करोड़ रु.

(क) उपरोक्त में एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) के इक्विटी शेयरों में 208.10 करोड़ रु. (26.96 रु. प्रति शेयर की दर से 7,71,89,796 शेयर) का निवेश शामिल है। 31 दिसंबर 2019 के मूल्यांकन के आधार पर प्रति शेयर मूल्य 26.96 रु. लिया गया है। हालांकि, 31 मार्च 2022 तक एचएमईएल की अंकेक्षित बैलेंस शीट के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन[3] के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 13.64 रु. है। तदनुसार, एचएमईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 105.29 करोड़ रु. (7,71,89,796* रु.13.64) होना चाहिए।

नवीनतम उपलब्ध प्रति शेयर मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप निवेश को अधिक बताया गया और हानि को 102.81 करोड़ रु. (208.10 करोड़ रु. घटा 105.29 करोड़ रु.) से कम बताया गया।

(ख) लेखों पर दिये गये नोटों के नोट सं. 52 (ब) का संदर्भ आमंत्रित किया जाए, जिसमें कहा गया है कि, ''संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन बाहरी या आंतरिक रूप से हर तिमाही रिपोर्टिंग अवधि में करते है।'' लेकिन 14 मामलों में, निवेश मूल्य 166.61 करोड़ रु. दिखाया गया था। यह पिछली तिथि[4] पर किये गये उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च 2023 पर। इसके अलावा, लेखों पर दिये गये नोटों में भी इस आशय का कोई खुलासा नहीं किया गया।

31 मार्च 2023 को उचित मूल्य का उल्लेख न किये जाने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान टिप्पणी संख्या क.2 और क.1.2(ii) में इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.1.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट संख्या 9): 33.87 करोड़ रु.

उपरोक्त में जमा किये गये सेवा कर की 4.71 करोड़ रु. शामिल है, जो विरोध के कारण वसूली-योग्य सेवा कर के रूप में दर्शाए गई है। हालाँकि, सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 के तहत आवेदन दाखिल करते समय सेवा कर बकाया के 4.71 करोड़ रु. में से 4.53 करोड़ रु. (3.86 करोड़ रु. जमा 0.67 करोड़ रु.) की राशि को कंपनी द्वारा पहले ही समायोजित किया जा चुका है (दिसंबर 2019)। इसलिए, इसे उलट दिया जाना था। सेवा कर जमा को वापस न करने के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और हानि को 4.53 करोड़ रु. कम दिखाया गया।

---

[2] *पटना में 12.7 एकड़ भू-खण्ड: 27.04 करोड़ रु.; मेसर्स मोकामामुंगेर हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर: 5.90 करोड़ रु.; मेसर्स मोकामामुंगेर हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड प्रिफेरेंस शेयर: 7.50 करोड़ रु.; और मेसर्स नॉर्थ बिहार हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर: 10.95 करोड़ रु.।*

[3] *31 मार्च 2023 तक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं*

[4] *आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल टेक कंसल्टेंसी लिमिटेड (मार्च 2022), बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (मार्च 2022), क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दिसंबर 2022), गुजरात इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (मार्च 2022), आईटीसीओटी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड (मार्च) 2022), नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मार्च 2022), एसबीआई डीएचएफएल लिमिटेड (दिसंबर 2022), एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (सितंबर 2022), यूपी इंडस्ट्रियल एंड कंसल्टेंट लिमिटेड (मार्च 2022), वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड (मार्च 2021), रेवेंट प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड (दिसंबर 2021), रेवेंटमेटलकास्ट लिमिटेड (फरवरी 2022), ईएसएल स्टील लिमिटेड (मार्च 2022) और श्री शक्ति रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड (मार्च 2021)।*

ख. लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 25 मई 2023

कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(vii)(ब) के अनुसार लेखा-परीक्षक को रिपोर्ट में माल व सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों का राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर सहित वैधानिक बकाया, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई अन्य वैधानिक बकाया, जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किये गये है, और उस फोरम का नाम, जहां विवाद लंबित है, जैसे विवरण देने आवश्यक है।

कंपनी के पास विभिन्न फोरमों जैसे आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष 10 आयकर अपीलें लंबित है। लेकिन स्वतंत्र लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित केवल तीन मामलों को शामिल किया है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी पर 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत आकलन वर्ष 2009-10 और 2013-14 से 2016-17 तक की 8.15 करोड़ रु. की आयकर मांग बकाया है, जिसे लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सीएआरओ 2020 के उपर्युक्त खंड के गैर-अनुपालन के अलावा उपरोक्त सीमा तक अपर्याप्त है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के
लिए और उनकी ओर से

(एस. अहलादिनी पांडा)
प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा
(उद्योग एवं कॉरपोरेट मामले) नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.09.2023

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी), के अधीन 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्राक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा-परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह सूचित किया जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 25 मई 2023 की उनकी लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के द्वारा किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए), के अधीन, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा कर ली है। हमने आईएफसीआई लिमिटेड(कम्पनी) और अनुबन्ध-क में उल्लिखित सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है, परन्तु उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड(सहायक कम्पनी) की पूरक लेखा-परीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा-परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो मेरे ध्यान में आएं है और जिन पर मेरी राय देना अनिवार्य है जिससे कि वित्तीय विवरणों और इससे संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझा जा सके:

क. समेकित लाभदेयता पर टिप्पणियाँ

क.1 परिसंपत्तियां: वित्तीय परिसंपत्तियां

क.1.1 ऋण (नोट 7) - 1907.98 करोड़ रु.

ऋण को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और वर्ष की हानि को 283.43 करोड़ रु. से कम करके दिखाया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(i) उपरोक्त में मेसर्स पायनियर गैस पावर लिमिटेड (पीजीपीएल) पर 434.72 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है, जो 31 मार्च 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईएफसीआई के पास अन्य ऋणदाताओं सहित पीजीपीएल की परिसंपत्तियों पर पहले पैरी-पासु चार्ज के रूप में प्रतिभूति है। तीन मूल्यांकनकर्ताओं की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट (फरवरी 2022) के अनुसार, परियोजना का औसत उचित मूल्य (अप्रचलित मूल्य सहित) 393.44 करोड़ रु. था। कंपनी ने जून 2022 में पूरी संपत्ति की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरह 375 करोड़ रु. के आरक्षित मूल्य के ऋण को मंजूरी दी। लेकिन यह ऋण आगे नहीं बढ़ सका और नए मूल्यांकन की मांग की गई (मई 2023)।

चूंकि प्रतिभूतियों का औसत उचित मूल्य 393.44 करोड़ रु. है, आईएफसीआई की 28.02 प्रतिशत हिस्सेदारी पर विचार करते हुए, अधिकतम संभावित वसूली 110.24 करोड़ रु. (393.44 करोड़ रु. का 28.02 प्रतिशत) है। अत: शेष राशि 324.48 करोड़ रु. (434.72 करोड़ रु. में 110.24 करोड़ रु. घटाकर) को बट्टे खाते में डाला जाना था।

324.48 करोड़ रु. की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि का अंकन 91.50 करोड़ रु. कम हुआ है (क्षति हानि भत्ता 232.98 करोड़ रु. के समायोजन के बाद (71.80 प्रतिशत) तथा ऋण भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया।

(ii) कंपनी द्वारा बकाया मूलधन की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क किये जाने पर ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल) को दिए गए 135.81 करोड़ रु. के ऋण के संबंध में एनसीएलटी ने परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया (फरवरी 2021)। तदनुसार, परिसमापन मूल्य 10.37 करोड़ रु. आंका गया। संपत्ति के परिसमापन के बाद कंपनी को 14.79 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई और उसे ब्याज खाते में समायोजित किया गया। चूंकि भविष्य में किसी प्रकार की वसूली की उम्मीद नहीं है, 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन को बट्टे खाते में डाला जाना था।

135.81 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि 38.30 करोड़ रु. कम बतायी गई (क्षति हानि भत्ता 97.51 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण भी उतनी ही राशि से अधिक दिखाया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान टिप्पणी संख्या क.1 (ii) में उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(iii) उपरोक्त में 31 मार्च 2023 तक मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) पर 151.50 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है।

कंपनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर अधिकतम वसूली योग्य राशि की गणना 31.43 करोड़ रु. की है और तदनुसार 70 करोड़ रु. के एक-मुश्त सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए सहमति दी (जनवरी 2020), जिसका एमआईएल द्वारा पालन नहीं किया गया। इसलिए, कंपनी ने ओटीएस रद्द कर दिया (दिसंबर 2020)। एमआईएल द्वारा 51 करोड़ रु. (ब्याज के 3 करोड़ रु. सहित) का एक नया ओटीएस प्रस्ताव (26 अगस्त 2022) प्रस्तुत किया गया। तदनुसार, कुल बकाया 151.50 करोड़ रु. के विरूद्ध अधिकतम संभावित वसूली केवल 51 करोड़ रु. है। इसलिए, 100.50 करोड़ रु. (151.50 करोड़ रु. 51 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि को माफ किया जा सकता था।

100.50 करोड़ रु. की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने से हानि को 28.34 करोड़ रु. कम दिखाया गया है (क्षति हानि भत्ता 72.16 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक दिखाया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमश: टिप्पणी संख्या क.1 (i) और क.1 (v) में इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(iv) 8 जून 2021 को स्वीकृत एनसीएलटी के निर्णय और रिजॉलूशन योजना के अनुसार, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) पर आईएफसीआई का दावा (1.03 प्रतिशत), 382.21 करोड़ रु. के बकाया के मुकाबले अधिकतम 70.31 करोड़ रु. तक सीमित था। इसके अलावा, प्रबंधन के अनुसार, सावधि जमाओं में 125 करोड़ रु. की राशि को लेनदारों में वितरित नहीं किया गया और 302 करोड़ रु. की राशि को 'सुरक्षित दावों के बजाय असुरक्षित दावों' के तहत गलत वर्गीकृत किया गया। इसे कंपनी के पक्ष में मानते हुए अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रु. (427 करोड़ रु. का 1.03 प्रतिशत) आंकी गई। इस प्रकार, 382.21 करोड़ रु. की बकाया राशि में से वीआईएल से अधिकतम वसूली 74.71 करोड़ रु. (70.31 करोड़ रु. जमा 4.40 करोड़ रु) हुई। इसलिए 307.50 करोड़ रु. (382.21 करोड़ रु. घटा 74.71 करोड़ रु.) को माफ किया जा सकता था।

307.50 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 86.71 करोड़ रु. कम बताया गया और ऋण को भी (क्षति हानि भत्ता 220.79 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) उतनी ही राशि से अधिक बताया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (iii) और क.1 (i) में उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(v) उपरोक्त में लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल) पर 90.94 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। एलटीएपीएल द्वारा डिफॉल्ट किये जाने के कारण, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के समक्ष मामला रखा गया। आरपी ने बताया कि कॉर्पोरेट देनदार के पास प्रतिभूतियों और वित्तीय संपत्तियों के अलावा कोई संपत्ति नहीं है और उसने पिछले 3-4 वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं किया गया है। यह पाया गया कि आईएफसीआई के पास केवल कोल्लम, केरल स्थित ऐ संपत्ति का विशेष प्रभार है, जिसका उचित मूल्य केवल 32.69 करोड़ रु. है। चूंकि कंपनी के पास कोई अन्य सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए 58.25 करोड़ रु. (90.94 करोड़ रु. घटा 32.69 करोड़ रु.) की शेष राशि माफ की जानी थी।

58.25 करोड़ रु. की शेष राशि को माफ नहीं करने से हानि 16.43 करोड़ रु. से कम दिखायी गई है और (क्षति हानि भत्ते 41.82 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टिप्पणी संख्या क.1 (vii) में वर्णित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(vi) उपरोक्त में आर्कोटेक लिमिटेड पर 59.21 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है। कंपनी द्वारा डिफॉल्ट किये जाने के कारण, आईएफसीआई ने बकाया राशि की वसूली के लिए दिवालिया याचिका दायर की (अप्रैल 2019)। हालाँकि, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में प्राथमिकता शुल्क कम करने के कारण, आईएफसीआई ने दिवाला याचिका को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और एनसीएलटी से इसे वापस (अगस्त 2022) ले लिया। आईएफसीआई के पास बावल (हरियाणा) में 83.70 करोड़ रु. (मार्च 2022) के संकटकालीन बिक्री मूल्य वाली संपत्ति पर अकेला पहला प्रभार है और कंपनी ने 15 मार्च 2022 को इसका कब्जा ले लिया। हालांकि, संपत्ति की बिक्री के लिए आईएफसीआई के प्रयास आगे नहीं बढ़े है, क्योंकि कामकाज जारी है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पूंजी ऋणदाताओं ने सलाह दी कि वे सरफेसी अधिनियम के तहत नीलामी का समर्थन नहीं करते है। इसलिए, इसे तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि न्यूनतम 60 प्रतिशत ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 139(9) के तहत सहमति न प्राप्त हो, जबकि आईएफसीआई के पास केवल 14.33 प्रतिशत मतदान अधिकार है। आईएफसीआई को ग्लिक्स सिक्योरिटीज प्रा. लि.[1] से नया प्रस्ताव (16 दिसंबर 2022) प्राप्त हुआ है। जिसमें आईएफसीआई का हिस्सा 41.64 करोड़ रु. का है जो पीएनबी (अग्रणी बैंक) के अनुमोदन के अधीन है। आईएफसीआई को 1.58 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं और निपटान राशि के अग्रिम हिस्से के शेष 0.50 करोड़ रु. (41.64 करोड़ रु. का 5 प्रतिशत) की प्रतीक्षा है।

चूंकि कुल बकाया 59.21 करोड़ रु. के विरुद्ध वसूली की अधिकतम संभावना केवल 41.64 करोड़ रु. है, शेष राशि 17.57 करोड़ रु. (59.21 करोड़ रु. घटा 41.64 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

17.57 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 4.95 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ते 12.62 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

(vii) उपरोक्त में 31 मार्च 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजना को लागू करने के लिए आईएल एंड एफएस समूह के तहत गठित एक एसपीवी, खेडसिन्नार एक्सप्रेसवे लिमिटेड (केएसईएल) पर 14.10 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। इस परियोजना को एनएचएआई द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आईएल एंड एफएस समूह ने एनसीएलटी में रिजॉलूशन योजना दायर की थी जिसे मार्च 2020 में मंजूरी दे दी गई थी। एनएचएआई ने केएसईएल के परियोजना खातों में समापन राशि का भुगतान (जून 2022) किया था और आईएफसीआई को 64.11 करोड़ रु. का अपना हिस्सा (31 मार्च 2023) प्राप्त हुआ और इसे उसी में समायोजित किया गया। चूंकि आगे कोई वसूली अपेक्षित नहीं है, इसलिए 14.10 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

14.10 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 3.98 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 10.12 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (v) और क.1 (viii) में इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(viii) उपरोक्त में उत्तम गैल्वा मेटालिक्स लिमिटेड (यूजीएमएल) पर 126.57 करोड़ रु. का मूल बकाया राशि शामिल है। यह ऋण वडोदरा स्थित 24.44 एकड़ भूमि (मूल्य 135.63 करोड़ रु.), मेसर्स टेन्साइल स्टील लिमिटेड (भूमि मालिक) की कॉर्पोरेट गारंटी और प्रमोटरों (उत्तम समूह) की व्यक्तिगत गारंटी के विशेष बंधक से सुरक्षित किया गया था। उत्तम ग्रुप ने (नवंबर 2016) पीएचसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (पीबीपीएल) को बंधक भूमि के सह-उधारकर्ता और डेवलपर के तौर पर शामिल किया। चूंकि इस्पात क्षेत्र गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था, पूरा यूजीएमएल और उत्तम समूह लिक्विडिटी संकट में फंस गया और यह खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया (जून 2018)।

[1] ग्लिक्स सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड संकटग्रस्त संपत्तियों में निवेश करता है और उसने आर्कोटेक लिमिटेड की पहचान की और आईएफसीआई को इसका प्रस्ताव दिया है।

यूजीएमएल को एनसीएलटी में शामिल किया गया (जुलाई 2018) और अनुमोदित रिजॉलूशन योजना दिसंबर 2020 में लागू की गई। योजना के अनुसार, आईएफसीआई को 11.67 करोड़ रु. की अग्रिम राशि, 28.81 करोड़ रु. के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), 11.37 करोड़ रु. के प्राप्तियोग्य असाइनमेंट और 0.13 करोड़ रु. के डिबेंचर प्राप्त हुए, जिन्हें तब से इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है। आईएफसीआई भी सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली के उपाय कर रहा है, हालांकि, सिविल कोर्ट, वडोदरा द्वारा दिए गए यथास्थिति निर्देश (जुलाई 2019) के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद, पीबीपीएल ने 15 महीने की अवधि में देय 80 करोड़ रु. के समझौता निपटान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2022)। 24.01 करोड़ रु. (28.81 करोड़ रु. में से) मूल्य के एनसीडी आईएफसीआई की खाता-बहियों में बने रहेंगे और यूजीएमएल के नए प्रबंधन (इवोइन्थमेटलिक्स लिमिटेड) द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव को क्रेडिट एवं संचालन समिति की सिफारिश पर निदेशकों की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित (01 मई 2023) कर दिया गया।

चूंकि कुल बकाया 102.56 करोड़ रु. में से वसूली की अधिकतम संभावना केवल 80 करोड़ रु. है, शेष राशि 22.56 करोड़ रु. (102.56 करोड़ रु. घटा 80 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

22.56 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 6.36 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 16.20 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

(ix) उपरोक्त में सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर 75.90 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। रिकॉर्ड के अनुसार, सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबंधित रिजॉलूशन योजना समाप्त हो गई थी और मामला परिसमापन में चला गया था। परिसमापन मूल्य 234 करोड़ रु. आंका गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रु. है। इसके अलावा, आईएफसीआई का 51.39 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिभूतियों[2] पर प्रभार है। चूँकि कुल बकाया 75.90 करोड़ रु. में से अधिकतम संभावित वसूली 51.56 करोड़ रु. (0.17 करोड़ रु. जमा 51.39 करोड़ रु.) है, बकाया राशि 24.34 करोड़ रु. (75.90 करोड़ रु. घटा 51.56 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

24.34 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डाले जाने के परिणामस्वरूप हानि को 6.86 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 17.48 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (iv) और क.1 (vi) में इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.1.2 निवेश (नोट संख्या 8): 7700.07 करोड़ रु.

(i) उपरोक्त में एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) के इक्विटी शेयरों में 208.10 करोड़ रु. (26.96 रु. प्रति शेयर की दर से 7,71,89,796 शेयर) का निवेश शामिल है। 31 दिसंबर 2019 के मूल्यांकन के आधार पर प्रति शेयर मूल्य 26.96 रु. लिया गया है। हालांकि, 31 मार्च 2022 तक एचएमईएल की अंकेक्षित बैलेंस शीट के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन[3] के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 13.64 रु. है। तदनुसार, एचएमईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 105.29 करोड़ रु. (7,71,89,796* रु.13.64) होना चाहिए।

नवीनतम उपलब्ध प्रति शेयर मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप निवेश को अधिक बताया गया और हानि को 102.81 करोड़ रु. (208.10 करोड़ रु. घटा 105.29 करोड़ रु.) से कम बताया गया।

(ii) लेखों पर दिये गये नोटों के नोट सं. 52 (ख) का संदर्भ आमंत्रित किया जाए, जिसमें कहा गया है कि, ''संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन बाहरी या आंतरिक रूप से हर तिमाही रिपोर्टिंग अवधि में करते हैं।'' लेकिन 14 मामलों में, निवेश मूल्य 166.61 करोड़ रु. दिखाया गया था। यह पिछली तिथि[4] पर किये गये उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च 2023 पर। इसके अलावा, लेखों पर दिये गये नोटों में भी इस आशय का कोई खुलासा नहीं किया गया।

31 मार्च 2023 को उचित मूल्य का उल्लेख न किये जाने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान टिप्पणी संख्या क.2 और क.1.2(ii) में इसे इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(iii) **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** ने जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क लिमिटेड (एसोसिएट) के 85,04,288 गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों के निवेश का मूल्य 6.55 करोड़ रु. यानि 7.70 प्रति शेयर आंका और 2020-21 में नियुक्त वैल्यूअर द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर 1.96 करोड़ रु. की क्षति हानि का आकलन किया गया। 2020-21 के बाद से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

लेखा-परीक्षा में पाया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, एसोसिएट को क्रमशः 5.51 करोड़ रु. और 5.43 करोड़ रु. का घाटा हुआ और परिचालन से 0.71 करोड़ रु. और 0.77 करोड़ रु. का मामूली राजस्व अर्जित हुआ। इससे कंपनी द्वारा ऑडिट के लिए प्रस्तुत 31 मार्च 2023

---

[2] पटना में 12.7 एकड़ भूमि खण्डः 27.04 करोड़ रु.; मेसर्स मोकामामुंगेर हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड इक्विटी शेयरः 5.90 करोड़ रु.; मेसर्स मोकामामुंगेर हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड प्रिफेरेंस शेयरः 7.50 करोड़ रु.; और मेसर्स नॉर्थ बिहार हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड इक्विटी शेयरः 10.95 करोड़ रु.।

[3] 31 मार्च 2023 तक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं।

[4] आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल टेक कंसल्टेंसी लिमिटेड (मार्च 2022), बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (मार्च 2022), क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दिसंबर 2022), गुजरात इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (मार्च 2022), आईटीसीओटी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड (मार्च) 2022), नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मार्च 2022), एसबीआई डीएचएफएल लिमिटेड (दिसंबर 2022), एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (सितंबर 2022), यूपी इंडस्ट्रियल एंड कंसल्टेंट लिमिटेड (मार्च 2022), वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड (मार्च 2021), रेवेंट प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड (दिसंबर 2021), रेवेंटमेटलकास्ट लिमिटेड (फरवरी 2022), ईएसएल स्टील लिमिटेड (मार्च 2022) और श्री शक्ति रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड (मार्च 2021)।

को एसोसिएट की अनअंकेक्षित बैलेंस शीट के आधार पर शेयर पूंजी में 18.57 प्रतिशत की गिरावट आई और शेयर पूंजी 53.71 करोड़ रु. से घटकर 43.74 करोड़ रु. रह गई।

उपरोक्त संकेतों के आधार पर भविष्य में होने वाली हानि की पहचान की जानी चाहिए थी। लेकिन 31 मार्च 2023 तक कंपनी द्वारा किसी तरह की क्षति हानि की पहचान नहीं की गई, जो कि उसकी अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2(एफ)(बी)(II) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश का गैर-अनुपालन था, जिससें उल्लेख किया गया है कि, "इंड एएस 109 के दायरे में सभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को अन्य मानकों के साथ-साथ एफवीटीपीएल के मापदंड पर भी मापा जाए। उसके बाद शेयर पूंजी को उचित मूल्य पर मापा जाए और होने वाले बदलावों को लाभ-हानि खाते में अंकित किया जाए।"

इसके परिणामस्वरूप निवेश अधिक बताया गया और वर्ष की हानि को 5.58 करोड़ रु. ((रु. 7.70-रु.1.14[5]) *85,04,288) कम दिखाया गया।

क.1.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट संख्या 9): 786.06 करोड़ रु.

उपरोक्त में जमा किये गये सेवा-कर की 4.71 करोड़ रु. कर राशि शामिल है, जो विरोध के कारण वसूली-योग्य सेवा-कर के रूप में दर्शायी गई है। हालाँकि, सबका विश्वास (लीगेसी विवाद समाधान) योजना 2019 के तहत आवेदन दाखिल करते समय सेवा कर बकाया के 4.71 करोड़ रु. में से 4.53 करोड़ रु. (3.86 करोड़ रु. जमा 0.67 करोड़ रु.) की राशि को कंपनी द्वारा पहले ही समायोजित किया जा चुका है (दिसंबर 2019)। इसलिए, इसे रिवर्स किया जाना था।

सेवा कर जमा को वापस न करने के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और हानि को 4.53 करोड़ रु. कम दिखाया गया।

क.1.4 व्यापार प्राप्य (नोट संख्या 06) – 239.05 करोड़ रु.

उपरोक्त में **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** की होटल यूनिट, आईआईडीएल सुइट्स से संबंधित व्यापार प्राप्य के 1.51 करोड़ रु. शामिल है, जिसमें से 1.13 करोड़ रु. विभिन्न काल्पनिक प्रविष्टियों से संबंधित है, जैसा कि सहायक कंपनी के बोर्ड को फरवरी 2023 में सूचित किया गया था और जिसके विरुद्ध मात्र 0.63 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। चूंकि सहायक कंपनी ने स्वयं इन देनदारियों को काल्पनिक होने के कारण संदिग्ध माना है, इसलिए इन देनदारियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए था।

संदिग्ध देनदारों के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों को अधिक बताया गया और वर्ष की हानि को 0.50 करोड़ रु. (1.13 करोड़ रु. घटा 0.63 करोड़ रु.) कम बताया गया।

क.2 परिसंपत्तियां: गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

क.2.1 इन्वेंटरी – 71.46 करोड़ रु.

आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी) ने बेंगलुरु और कोलकाता में अपनी भूमि का मूल्य क्रमश: 11.77 करोड़ रु. और 16.59 करोड़ रु. के बजाय क्रमश: 12.77 करोड़ रु. और 16.86 करोड़ रु. निर्धारित किया, जिसके परिणामस्वरूप इन्वेंटरी को अधिक बताया गया और वर्ष के नुकसान को 1.27 करोड़ रु. कम बताया गया। यह समेकित वित्तीय विवरणों के (व्यापार में स्टॉक) संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं (क्यू)(क), जिसके अनुसार, ''इन्वेंट्री में सभी भूमि सम्पतियां शामिल है और इनका मूल्य लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य माना जाता है'' के अनुपालन का उल्लंघन है।

क.2.2 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) – 82.34 करोड़ रु.

उपरोक्त में **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** से संबंधित आकलन वर्ष (एवाई) 2019-20 और 2020-21 के लिए स्रोत पर काटा गया अग्रिम आयकर/कर शामिल है। आयकर विभाग ने क्रमश: 0.23 करोड़[6] के रिफंड को मंजूरी दी और कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए 0.83 करोड़[7] की मांग की। चूंकि प्रबंधन ने आदेशों का विरोध नहीं किया, इसलिए कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के अग्रिम आयकर को उलट दिया जाना चाहिए था और 0.23 करोड़ रु. की वसूली योग्य राशि दिखाई जानी चाहिए थी और कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 की 0.83 करोड़ रु. की देनदारी, 0.68 करोड़ रु. के अग्रिम आयकर को उलटने के बाद बुक किया जाना चाहिए था।

आयकर विभाग के आदेशों पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान कर परिसंपत्ति को 1.47 करोड़ रु. से अधिक बताया गया, प्रावधानों को 0.83 करोड़ रु. से कम बताया गया और वर्ष की हानि को 2.30 करोड़ रु. से कम बताया गया।

क.2.3 निवेश संपत्ति (नोट संख्या 12) – 298.16 करोड़ रु.

संपत्ति, संयंत्र व उपकरण और निवेशित संपत्तियों के बारे में कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या (जी) का संदर्भ ग्रहण किया जाए, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि ''मूल्यह्रास के लिए प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन-काल के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। मूल्यह्रास की गणना आनुपातिक आधार पर की जाती है, जिसमें निवेश में वृद्धि का माह शामिल है और बिक्री/निपटान का माह शामिल नहीं है। इमारतों और वाहनों के संबंध में अवशिष्ट मूल्य लागत का 5% माना जाता है।'' तदनुसार, **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** की निवेश संपत्ति (भवन) पर लगाया जाने वाला मूल्यह्रास 1.58 प्रतिशत ((100-5)/60)% होना चाहिए था, जो 0.15 करोड़[8] बनता है।

कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए 0.39 करोड़ रु. का मूल्यह्रास वसूलने के बाद निवेश संपत्ति का मूल्यांकन किया।

मूल्यह्रास की राशि अधिक दिखाने के परिणामस्वरूप निवेश संपत्ति को कम दिखाया गया और वर्ष की हानि को 0.24 करोड़ रु. से अधिक दिखाया गया।

---

[5] लेखा-परीक्षकों ने आईएफसीआई लिमिटेड की एक अन्य सहायक कंपनी (यानि आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, जिसने एसोसिएट कंपनी के 42 लाख शेयरों में भी निवेश किया है) द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रति शेयर मूल्य 1.14 रुपये माना है।

[6] आदेश दिनांक 28 जुलाई 2020 द्वारा

[7] आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2021 द्वारा

[8] 9.29 करोड़ *1.58 प्रतिशत

अ.3 देनदारियाँ: गैर-वित्तीय देनदारियाँ

अ.3.1 प्रावधान (नोट संख्या 23) – 183.65 करोड़ रु.

(i) तनावग्रस्त संपत्तियों के रिजॉलूशन हेतु आरबीआई की विवेकपूर्ण रूपरेखा में निर्धारित किया गया है कि उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, स्वामित्व में परिवर्तन लागू होने के बाद संबंधित उधार लेने वाली संस्थाओं के ऋणों को 'मानक' के रूप में जारी/उन्नत किया जा सकता है। हालाँकि, उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन की तिथि पर बैंक द्वारा उक्त खाते के विरुद्ध किये गए प्रावधानों की मात्रा (अतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर) को निगरानी अवधि की समाप्ति के बाद ही उलटा किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके दौरान संतोषजनक प्रदर्शन हो। संतोषजनक प्रदर्शन का मतलब है कि उधारकर्ता इकाई ने संबंधित अवधि के दौरान किसी भी समय डिफॉल्ट न किया हो।

निगरानी अवधि को इस तरह परिभाषित किया गया है, ***''रिजॉलूशन योजना के कार्यान्वयन की तारीख से उस तारीख तक की अवधि, जब तक कि रिजॉलूशन योजना के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 10 प्रतिशत और पुनर्गठन, यदि कोई हो, के मंजूर पूंजीगत ब्याज का भुगतान किया गया हो और यह ऋण पर ब्याज या मूलधन (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान की शुरुआत से कम से कम एक वर्ष के भीतर चुकाया गया हो''***

ऑडिट में पाया गया कि आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) ने 31 मार्च 2022 तक श्रीराम ईपीसी लिमिटेड (एसईएल) के विरुद्ध 4.96 करोड़ रु. (5.21 करोड़ रु. के सावधि ऋण के विरुद्ध 2.61 करोड़ रु. और 4.69 करोड़ रु. के घरेलू फैक्टरिंग के विरुद्ध 2.35 करोड़ रु.) का प्रावधान किया था। एसईएल के लिए एक रिजॉलूशन योजना को मंजूरी दी गई (09.03.2022) क्योंकि प्रबंधन में बदलाव संभावना व्यक्त की गई थी (कुवैत स्थित इकाई, मार्क एबी कैपिटल एलएलसी ने एसईएल में निवेश करने का प्रस्ताव दिया था) और योजना के अनुसार, ऋण की कुल बकाया राशि 13.24 करोड़[9] के मुकाबले 6.12 करोड़ रु. का तुरंत भुगतान प्राप्त करने के बाद खाते का पुनर्गठन किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने जुलाई 2022 से उपरोक्त ऋण पर ब्याज प्राप्त करना शुरू कर दिया और मार्च 2023 के अंत तक कुल 16.13 लाख रुपये ब्याज प्राप्त किया। चूंकि, मार्च 2023 तक कोई मूल[10] राशि प्राप्त नहीं हुई है और ब्याज की प्रथम भुगतान तिथि से एक वर्ष भी समाप्त नहीं हुआ है, रिजॉलूशन योजना के कार्यान्वयन के समय रखे गए 4.96 करोड़ रु. के प्रावधान को रिवर्स नहीं किया जाना चाहिए था।

प्रावधान राशि के गलत उलटफेर के परिणामस्वरूप प्रावधान को 4.96 करोड़ रु. की सीमा तक कम बताया गया और उसी राशि से वर्ष की हानि को भी कम बताया गया।

(ii) उपरोक्त में आईआईडीएल एरी, कोच्चि (**आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** द्वारा विकसित परियोजना) के स्वामियों/आवंटियों द्वारा दायर और विभिन्न उपभोक्ता मंचों पर लंबित मामलों के लिए प्रावधानित 0.40 करोड़ रु. शामिल नही है। सहायक कंपनी ने आईआईडीएल एरी, कोच्चि परियोजना के ठेकेदार को कुल प्रतिधारण राशि 0.80 करोड़ रु. में से पूर्ण और अंतिम निपटान हेतु 0.40 करोड़ रु. की प्रतिधारण राशि जारी करते हुए मालिकों/आवंटियों द्वारा विभिन्न उपभोक्ता मंचों पर दायर किये गये मामलों के कारण 0.40 करोड़ रु. का प्रावधान करने का निर्णय लिया।

हालाँकि, सहायक कंपनी द्वारा कानूनी मामलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम दर्शाया गया और 0.40 करोड़ रु. की हानि हुई।

क.4 देनदारियाँ: वित्तीय देनदारियाँ

क.4.1 अन्य वित्तीय देनदारियां (नोट संख्या 22) – 3756.33 करोड़ रु.

उपरोक्त में 20.39 करोड़ रु. शामिल नहीं है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सहायक कंपनी) द्वारा जारी राहत बांडों के बांडधारकों को भुगतान की जाने वाली राशि से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज है। इसके लिए बांडधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया। पिछले कुछ वर्षों में सहायक कंपनी द्वारा 20.39 करोड़ रु. के ब्याज को आय के रूप में दर्ज किया गया है।

चूँकि सावधि जमा की राशि सहायक कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, उस पर अर्जित ब्याज दायित्व है और सहायक कंपनी की आय नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय देनदारियों' को 20.39 करोड़ रु. से कम बताया गया है, साथ ही 'अन्य आय' को अधिक बताया गया है और चालू वर्ष की हानि को 1.18 करोड़ रु. से कम बताया गया है और अन्य इक्विटी को 19.21 करोड़ रु. से अधिक बताया गया है।

क.5 व्यय: वित्तीय संपतियों की हानि (नोट संख्या 32)

ऋण – (87.73 करोड़ रु.)

उपरोक्त राशि में मेसर्स अनिल लिमिटेड[11] के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि के रिवर्सल के लिए प्रावधान किये गये 0.84 करोड़ रु. शामिल है। **आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (सहायक कंपनी)** ने इस मामले में अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) की गणना करते समय सिक्योरिटी के मूल्य को 18.10 करोड़ रु. माना, जो फरवरी 2022 में आयोजित नीलामी के लिए निर्धारित संचय मूल्य था (बिक्री सफल नहीं हुई) और अगले तीन वर्षों के लिए गणना की गई अपेक्षित कानूनी लागत पर विचार करते हुए सिक्योरिटी प्राप्ति का वर्तमान मूल्य 8.23 करोड़ रु. है। हालाँकि, संपत्ति की बिक्री के लिए 03 मई 2023 को निर्धारित संचय मूल्य 16.28 करोड़ रु. था और इसलिए, सिक्योरिटी वसूली का वर्तमान मूल्य 7.39 करोड़ रु. बनता है।

नवीनतम संचय मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के व्यय व हानि को 0.84 करोड़ रु. (8.23 करोड़ रु. घटाकर 7.39 करोड़ रु.) कम बताया गया है।

---

[9] सावधि ऋण और घरेलू फैक्टरिंग पर ब्याज शामिल है।

[10] घरेलू फैक्टरिंग का कुल मूलधन 2.65 करोड़ है।

[11] ऋण संख्या: 2015912001

ब. समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ (नोट संख्या 37)

आयकर हेतु आकस्मिक देनदारियां – 9.36 करोड़ रु.

उपरोक्त में कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2014-15 से 2017-18 हेतु आयकर विभाग द्वारा उठाई गई 2.46 करोड़ रु. की मांग शामिल नही है। इसके विरुद्ध **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** द्वारा अपील दायर की गई है। इसलिए, इस राशि को भारतीय लेखांकन मानक 37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति) के पैरा 86 के अनुरूप आकस्मिक देयता के तहत दिखाया जाना चाहिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि, ''जब तक निकट भविष्य में निपटान में किसी भी आउटलो यानि बहिर्वाह की संभावना हो, कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देनदारी के प्रत्येक वर्ग के, जहां व्यावहारिक हो, आकस्मिक देनदारी की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण और उसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान प्रकट करना चाहिए।'' अत: उपरोक्त नोट उपरोक्त सीमा तक अपर्याप्त है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के
लिए और उनकी ओर से

(एस. अहलादिनी पांडा)
प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा
(उद्योग एवं कॉरपोरेट मामले) नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.09.2023

अनुलग्नक-क

आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनियों के नाम, जिनकी पूरक लेखा-परीक्षा की गई थी।

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार
1.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	सहायक कम्पनी
2.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	सहायक कम्पनी
3.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	सहायक कम्पनी
4.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहायक कम्पनी
5.	एमपीकॉन लिमिटेड	सहायक कम्पनी

आईएफसीआई लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आईएफसीआई की समेकित टिप्पणियाँ

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
क. समेकित लाभदेयता पर टिप्पणियाँ **क.1 परिसंपत्तियां: वित्तीय परिसंपत्तियां** **क.1.1 ऋण (नोट 7) - 1907.98 करोड़ रु.** ऋण को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और वर्ष की हानि को 283.43 करोड़ रु. से कम करके दिखाया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:	
(i) उपरोक्त में मेसर्स पायनियर गैस पावर लिमिटेड (पीजीपीएल) पर 434.72 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है, जो 31 मार्च 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईएफसीआई के पास अन्य ऋणदाताओं सहित पीजीपीएल की परिसंपत्तियों पर पहले पैरी-पासु चार्ज के रूप में प्रतिभूति है। तीन मूल्यांकनकर्ताओं की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट (फरवरी 2022) के अनुसार, परियोजना का औसत उचित मूल्य (अप्रचलित मूल्य सहित) 393.44 करोड़ रु. था। कंपनी ने जून 2022 में पूरी संपत्ति की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरह 375 करोड़ रु. के आरक्षित मूल्य के ऋण को मंजूरी दी। लेकिन यह ऋण आगे नही बढ़ सका और नए मूल्यांकन की मांग की गई (मई 2023)। चूंकि प्रतिभूतियों का औसत उचित मूल्य 393.44 करोड़ रु. है, आईएफसीआई की 28.02 प्रतिशत हिस्सेदारी पर विचार करते हुए, अधिकतम संभावित वसूली 110.24 करोड़ रु. (393.44 करोड़ रु. का 28.02 प्रतिशत) है। अत: शेष राशि 324.48 करोड़ रु. (434.72 करोड़ रु. में 110.24 करोड़ रु. घटाकर) को बट्टे खाते में डाला जा सकता था। 324.48 करोड़ रु. की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि का अंकन 91.50 करोड़ रु. कम हुआ है (क्षति हानि भत्ता 232.98 करोड़ रु. के समायोजन के बाद 71.80 प्रतिशत) तथा ऋण भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया।	i. **पायनियर गैस** अन्य लेनदारों ने भी ऋण खाते को 641.30 करोड़ रु. में बेचने का प्रयास किया (अगस्त 2022 में आयोजित जेएलएम सूक्ष्मों के अनुसार)। तदनुसार, मात्र अंतिम मूल्यांकन के आधार पर वसूली का अनुमान नही लगाया जा सकता है और वसूली राशि को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। यदि अभी इसे राइट-ऑफ किया जाता है, जब कि वसूली की राशि स्पष्ट तौर पर पता नहीं है, तो इससे हानि का अंकन अधिक होगा।
(ii) कंपनी द्वारा बकाया मूलधन की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क किये जाने के बाद ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल) को दिए गए 135.81 करोड़ रु. के ऋण के संबंध में एनसीएलटी ने परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया (फरवरी 2021)। तदनुसार, परिसमापन मूल्य 10.37 करोड़ रु. आंका गया। संपत्ति के परिसमापन के बाद कंपनी को 14.79 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई और उसे ब्याज खाते में समायोजित किया गया। चूंकि भविष्य में किसी प्रकार की वसूली की उम्मीद नही है, 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन को बट्टे खाते में डाला जा सकता था। 135.81 करोड़ रु. की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि 38.30 करोड़ रु. कम बतायी गई (क्षति हानि भत्ता 97.51 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण भी उतनी ही राशि से अधिक दिखाया गया है। **वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान टिप्पणी संख्या क. 1 (ii) में उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।**	ii. **ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड** ऋण की प्राथमिक प्रतिभूति वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा गिरवी रखी गई भूमि थी। चूंकि वीआईएल का रिजॉलूशन लंबित है, इसलिए उससे वसूली अनिश्चित है। आईएफसीआई ने वीओवीएल के रिजॉलूशन को वीआईएल के साथ समेकित करने के लिए एनसीएलटी में एक आवेदन भी दायर किया है, क्योंकि वीओवीएल से संबंधित संपत्तियों और नकदी प्रवाह पर आईएफसीआई का प्रभार है। जारी कार्यवाही के मद्देनजर, आईएफसीआई द्वारा दायर आवेदनों और अन्य मुकदमों के समापन पर ऋण के असुरक्षित हिस्से को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया जाएगा। यदि अभी इसे राइट-ऑफ किया जाता है, जब कि वसूली की राशि स्पष्ट तौर पर पता नहीं है, तो इससे हानि का अंकन अधिक होगा।
(iii) उपरोक्त में 31 मार्च 2023 तक मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) पर 151.50 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। कंपनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर अधिकतम वसूली योग्य राशि की गणना 31.43 करोड़ रु. की है और तदनुसार 70 करोड़ रु. के एक-मुश्त सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए सहमति दी (जनवरी	iii. **मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल)** चूंकि निपटान प्रस्ताव पर स्विस चैलेंज लागू था, इसलिए निपटान राशि स्पष्ट नही की गई थी। इसके अलावा, ओटीएस मामलों में, शेष गैर-वसूली योग्य राशि को पूरी ओटीएस राशि की प्राप्ति के बाद ही राइट-ऑफ किया जाता है, क्योंकि पूरी राशि प्राप्त न होने की स्थिति

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
2020), जिसका एमआईएल द्वारा पालन नही किया गया। इसलिए, कंपनी ने ओटीएस रद्द कर दिया (दिसंबर 2020)। एमआईएल द्वारा 51 करोड़ रु. (ब्याज के 3 करोड़ रु. सहित) का एक नया ओटीएस प्रस्ताव (26 अगस्त 2022) प्रस्तुत किया गया। तदनुसार, कुल बकाया 151.50 करोड़ रु. के विरूद्ध अधिकतम संभावित वसूली केवल 51 करोड़ रु. है। इसलिए, 100.50 करोड़ रु. (151.50 करोड़ रु. 51 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि को माफ किया जा सकता था। 100.50 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने से हानि को 28.34 करोड़ रु. कम दिखाया गया है (क्षति हानि भत्ता 72.16 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक दिखाया गया है। **वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (i) और क.1 (v) में इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।**	में, ओटीएस के निरस्तीकरण के बाद मूल देनदारियों को बहाल किया जाना है। इसलिए, यदि आवश्यक हो, तो शेष राशि का बट्टे खाते में डालने का कार्य, किसी भी समझौते के तहत परिकल्पित पूरी राशि की प्राप्ति के बाद किया जाएगा।
(iv) 8 जून 2021 को स्वीकृत एनसीएलटी के निर्णय और रिजॉलूशन योजना के अनुसार, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) पर आईएफसीआई का दावा (1.03 प्रतिशत), 382.21 करोड़ रु. के बकाया के मुकाबले अधिकतम 70.31 करोड़ रु. तक सीमित था। इसके अलावा, प्रबंधन के अनुसार, सावधि जमाओं में 125 करोड़ रु. की राशि को लेनदारों में वितरित नही किया गया और 302 करोड़ रु. की राशि को 'सुरक्षित दावों के बजाय असुरक्षित दावों' के तहत गलत वर्गीकृत किया गया। इसे कंपनी के पक्ष में मानते हुए अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रु. (427 करोड़ रु. का 1.03 प्रतिशत) आंकी गई। इस प्रकार, 382.21 करोड़ रु. की बकाया राशि में से वीआईएल से अधिकतम वसूली 74.71 करोड़ रु. (70.31 करोड़ रु. जमा 4.40 करोड़ रु.) हुई। इसलिए 307.50 करोड़ रु. (382.21 करोड़ रु. घटा 74.71 करोड़ रु) को माफ किया जा सकता था। 307.50 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 86.71 करोड़ रु. कम बताया गया और ऋण को भी (क्षति हानि भत्ता 220.79 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) उतनी ही राशि से अधिक बताया गया। **वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (iii) और क.1 (i) में इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।**	**iv. वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल)** चूंकि, वीआईएल की रिजॉलूशन योजना पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है, आईएफसीआई राशि स्पष्ट हो जाने के बाद ही, यानि रिजॉलूशन योजना के तहत आय प्राप्त होने पर ही, बट्टे खाते में डालने का निर्णय ले सकता है। आईएफसीआई ने वीओवीएल के रिजॉलूशन को वीआईएल के साथ समेकित करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया है, क्योंकि वीओवीएल से संबंधित संपत्तियों और नकदी प्रवाह पर आईएफसीआई का प्रभार है। जारी कार्यवाही के मद्देनजर, आईएफसीआई द्वारा दायर आवेदनों और अन्य मुकदमों के समापन पर ऋण के असुरक्षित हिस्से को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया जाएगा। यदि अभी इसे राइट-ऑफ किया जाता है, जब कि वसूली की राशि स्पष्ट तौर पर पता नही है, तो इससे हानि का अंकन अधिक होगा।
(v) उपरोक्त में लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल) पर 90.94 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। एलटीएपीएल द्वारा डिफॉल्ट किये जाने के कारण, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के समक्ष मामला रखा गया। आरपी ने बताया कि कॉर्पोरेट देनदार के पास प्रतिभूतियों और वित्तीय संपत्तियों के अलावा कोई संपत्ति नहीं है और उसने पिछले 3-4 वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं किया गया है। यह पाया गया कि आईएफसीआई के पास केवल कोल्लम, केरल स्थित ऐ संपत्ति का विशेष प्रभार है, जिसका उचित मूल्य केवल 32.69 करोड़ रु. है। चूंकि कंपनी के पास कोई अन्य सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए 58.25 करोड़ रु. (90.94 करोड़ रु. घटा 32.69 करोड़ रु.) की शेष राशि माफ की जा सकती थी। 58.25 करोड़ रु. की शेष राशि को माफ नहीं करने से हानि 16.43 करोड़ रु. से कम दिखायी गई है और (क्षति हानि भत्ते 41.82 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।	**v. लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल)** वर्तमान में इसका खाता सीआईआरपी प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस मामले में कानूनी राय के मद्देनजर दावा इसलिए दायर किया गया था क्योंकि रिजॉलूशन योजना प्राप्त होने की स्थिति में, दावा दायर न करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए योजना की रूपरेखा में उधारकर्ताओं के सभी ऋणों को रिजॉलूशन आवेदक को सौंपने का उल्लेख किया गया है। इससे आईएफसीआई को ऋण सौंपा जा सकता है और तीसरे पक्ष के बंधक से आईएफसीआई की वसूली खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा, चूंकि कंपनी सीआईआरपी प्रक्रिया से गुजर रही है, आईएफसीआई गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री से राशि प्राप्त होने पर राइट-ऑफ पर निर्णय लेगा। यदि अभी इसे राइट-ऑफ किया जाता है, जबकि वसूली राशि स्पष्ट तौर पर पता नही है, तो इससे हानि का अंकन अधिक होगा।

सीएजी की टिप्पणियाँ		आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ	
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान टिप्पणी संख्या क.1(vii) में वर्णित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।		
(vi)	उपरोक्त में आर्कोटेक लिमिटेड पर 59.21 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है। कंपनी द्वारा डिफॉल्ट किये जाने के कारण, आईएफसीआई ने बकाया राशि की वसूली के लिए दिवालिया याचिका दायर की (अप्रैल 2019)। हालाँकि, कॉर्पोरेट दिवाला रिजॉल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) में प्राथमिकता शुल्क कम करने के कारण, आईएफसीआई ने दिवाला याचिका को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और एनसीएलटी से इसे वापस (अगस्त 2022) ले लिया। आईएफसीआई के पास बावल (हरियाणा) में 83.70 करोड़ रु. (मार्च 2022) के संकटकालीन बिक्री मूल्य वाली संपत्ति पर अकेला पहला प्रभार है और कंपनी ने 15 मार्च 2022 को इसका कब्जा ले लिया। हालांकि, संपत्ति की बिक्री के लिए आईएफसीआई के प्रयास आगे नहीं बढ़े है, क्योंकि कामकाज जारी है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पूंजी ऋणदाताओं ने सलाह दी कि वे सरफेसी अधिनियम के तहत नीलामी का समर्थन नहीं करते है। इसलिए, इसे तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि न्यूनतम 60 प्रतिशत ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 139(9) के तहत सहमति न प्राप्त हो, जबकि आईएफसीआई के पास केवल 14.33 प्रतिशत मतदान अधिकार है। आईएफसीआई को ग्लिक्स सिक्योरिटीज प्रा. लि.[1] से नया प्रस्ताव (16 दिसंबर 2022) प्राप्त हुआ है। जिसमें आईएफसीआई का हिस्सा 41.64 करोड़ रु. का है जो पीएनबी (अग्रणी बैंक) के अनुमोदन के अधीन है। आईएफसीआई को 1.58 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं और निपटान राशि के अग्रिम हिस्से के शेष 0.50 करोड़ रु. (41.64 करोड़ रु. का 5 प्रतिशत) की प्रतीक्षा है। चूंकि कुल बकाया 59.21 करोड़ रु. के विरुद्ध वसूली की अधिकतम संभावना केवल 41.64 करोड़ रु. है, शेष बकाया राशि 17.57 करोड़ रु. (59.21 करोड़ रु. घटा 41.64 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। 17.57 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 4.95 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ते 12.62 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है। *[1] ग्लिक्स सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड संकटग्रस्त संपत्तियों में निवेश करता है और उसने आर्कोटेक लिमिटेड की पहचान की है और आईएफसीआई को इस बारे में एक प्रस्ताव दिया है।*	vi.	**आर्कोटेक लिमिटेड (एएल)** चूंकि लीड बैंक की मंजूरी लंबित है, हम इसकी प्रतीक्षा कर सकते है। सभी ऋणदाताओं द्वारा निपटान की मंजूरी के बाद आईएफसीआई को प्राप्त होने वाली वसूली राशि को स्पष्ट कर दिया जाएगा। यदि अभी इसे राइट–ऑफ किया जाता है, जब कि वसूली की राशि स्पष्ट तौर पर पता नहीं है, तो इससे हानि का अंकन अधिक होगा।
(vii)	उपरोक्त में 31 मार्च 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजना को लागू करने के लिए आईएल एंड एफएस समूह के तहत गठित एक एसपीवी, खेडसिन्नार एक्सप्रेसवे लिमिटेड (केएसईएल) पर 14.10 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। इस परियोजना को एनएचएआई द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आईएल एंड एफएस समूह ने एनसीएलटी में रिजॉल्यूशन योजना दायर की थी जिसे मार्च 2020 में मंजूरी दे दी गई थी। एनएचएआई ने केएसईएल के परियोजना खातों में समापन राशि का भुगतान (जून 2022) किया था और आईएफसीआई को 64.11 करोड़ रु. का अपना हिस्सा (31 मार्च 2023) प्राप्त हुआ और इसे उसी में समायोजित किया गया। चूंकि आगे कोई वसूली अपेक्षित नहीं है, इसलिए 14.10 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।	vii.	**खेड़सिनार एक्सप्रेसवे लिमिटेड (केएसईएल)** तब से 14.10 करोड़ रु. की राशि (तकनीकी रूप से) बट्टे खाते में डाल दी गई है।

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
14.10 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 3.98 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 10.12 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है। **वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1(v) और क.1(viii) में इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।**	
(viii) उपरोक्त में उत्तम गैल्वा मेटालिक्स लिमिटेड (यूजीएमएल) पर 126. 57 करोड़ रु. का मूल बकाया राशि शामिल है। यह ऋण वडोदरा स्थित 24.44 एकड़ भूमि (मूल्य 135.63 करोड़ रु.), मेसर्स टेन्साइल स्टील लिमिटेड (भूमि मालिक) की कॉर्पोरेट गारंटी और प्रमोटरों (उत्तम समूह) की व्यक्तिगत गारंटी के विशेष बंधक से सुरक्षित किया गया था। उत्तम ग्रुप ने (नवंबर 2016) पीएचसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (पीबीपीएल) को बंधक भूमि के सह-उधारकर्ता और डेवलपर के तौर पर शामिल किया। चूंकि इस्पात क्षेत्र गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था, पूरा यूजीएमएल और उत्तम समूह लिक्विडिटी संकट में फंस गया और यह खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया (जून 2018)। यूजीएमएल को एनसीएलटी में शामिल किया गया (जुलाई 2018) और अनुमोदित रिजॉल्यूशन योजना दिसंबर 2020 में लागू की गई। योजना के अनुसार, आईएफसीआई को 11.67 करोड़ रु. की अग्रिम राशि, 28.81 करोड़ रु. के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), 11.37 करोड़ रु. के प्राप्तियोग्य असाइनमेंट और 0.13 करोड़ रु. के डिबेंचर प्राप्त हुए, जिन्हें तब से इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है। आईएफसीआई भी सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली के उपाय कर रहा है, हालांकि, सिविल कोर्ट, वडोदरा द्वारा दिए गए यथास्थिति निर्देश (जुलाई 2019) के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद, पीबीपीएल ने 15 महीने की अवधि में देय 80 करोड़ रु. के समझौता निपटान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2022)। 24.01 करोड़ रु. (28.81 करोड़ रु. में से) मूल्य के एनसीडी आईएफसीआई की खाता-बहियों में बने रहेंगे और यूजीएमएल के नए प्रबंधन (इवोइन्थमेटलिक्स लिमिटेड) द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव को क्रेडिट एवं संचालन समिति की सिफारिश पर निदेशकों की कार्यकारी समिति द्वारा (01 मई 2023 को) अनुमोदित कर दिया गया। चूंकि कुल बकाया 102.56 करोड़ रु. में से वसूली की अधिकतम संभावना केवल 80 करोड़ रु. है, शेष राशि 22.56 करोड़ रु. (102.56 करोड़ रु. घटा 80 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। 22.56 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 6.36 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 16.20 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।	viii. **उत्तम गैल्वा मेटालिक्स लिमिटेड (यूजीएमएल)** कंपनी के निपटान प्रस्ताव को मई 2023 में मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, ओटीएस मामलों में, शेष गैर-वसूली योग्य राशि को पूरी ओटीएस राशि की प्राप्ति के बाद ही राइट-ऑफ किया जाता है, क्योंकि पूरी राशि प्राप्त न होने की स्थिति में, ओटीएस के निरस्तीकरण के बाद मूल देनदारियों को बहाल किया जाना है। इसलिए, यदि आवश्यक हो, तो शेष राशि का बट्टे खाते में डालने का कार्य, किसी भी समझौते के तहत परिकल्पित पूरी राशि की प्राप्ति के बाद किया जाएगा।
(ix) उपरोक्त में सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर 75.90 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। रिकॉर्ड के अनुसार, सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबंधित रिजॉल्यूशन योजना समाप्त हो गई थी और मामला परिसमापन में चला गया था। परिसमापन मूल्य 234 करोड़ रु. आंका गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रु. है। इसके अलावा, आईएफसीआई का 51.39 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिभूतियों[2] पर प्रभार है। चूँकि कुल बकाया 75.90 करोड़ रु. में से अधिकतम संभावित वसूली 51.56 करोड़ रु. (0.17 करोड़ रु. जमा 51.39 करोड़ रु.) है, बकाया राशि 24.34 करोड़ रु.	ix. **सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड** चूंकि गिरवी रखे शेयरों का उचित मूल्यांकन किये जाने का कार्य शुरू हो चुका है और प्रक्रिया जारी है, इसलिए वसूली होने वाली राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है। चूंकि वसूली राशि को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए बट्टे खाते में डालने से हानि का अधिक अंकन हो जाएगा।

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
(75.90 करोड़ रु. घटा 51.56 करोड़ रु.) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। 24.34 करोड़ रु. की बकाया राशि को बट्टे खाते में न डाले जाने के परिणामस्वरूप हानि को 6.86 करोड़ रु. कम बताया गया है (क्षति हानि भत्ता 17.48 करोड़ रु. (71.80 प्रतिशत) के समायोजन के बाद) और ऋण को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.1 (iv) और क.1 (vi) में इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नही की गई। *[2]पटना में 12.7 एकड़ भू-खण्ड: 27.04 करोड़ रु.; मेसर्स मोकामामुंगेर हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर: 5.90 करोड़ रु.; मेसर्स मोकामामुंगेर हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड प्रिफेरेंस शेयर: 7.50 करोड़ रु.; और मेसर्स नॉर्थ बिहार हाईवे लिमिटेड के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर: 10.95 करोड़ रु.।*	
क.1.2 निवेश (नोट संख्या 8) - 7700.07 करोड़ रु. (i) उपरोक्त में एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) के इक्विटी शेयरों में 208.10 करोड़ रु. (26.96 रु. प्रति शेयर की दर से 7,71,89,796 शेयर) का निवेश शामिल है। 31 दिसंबर 2019 के मूल्यांकन के आधार पर प्रति शेयर मूल्य 26.96 रु. लिया गया है। हालांकि, 31 मार्च 2022 तक एचएमईएल की अंकेक्षित बैलेंस शीट के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन[3] के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 13.64 रु. है। तदनुसार, एचएमईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 105.29 करोड़ रु. (7,71,89,796* रु.13.64) होना चाहिए। नवीनतम उपलब्ध प्रति शेयर मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप निवेश को अधिक बताया गया और हानि को 102.81 करोड़ रु. (208.10 करोड़ रु. घटा 105.29 करोड़ रु.) से कम बताया गया। *[3]31 मार्च 2023 का मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है।*	अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 08/08/2023 प्राप्त हो चुकी है। 31/12/2022 को मूल्यांकन 31.33/- प्रति शेयर नोट किया गया है।
(ii) लेखों पर दिये गये नोटों के नोट सं. 52(ब) का संदर्भ आमंत्रित किया जाए, जिसमें कहा गया है कि, ''संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन बाहरी या आंतरिक रूप से हर तिमाही रिपोर्टिंग अवधि में करते है।'' लेकिन 14 मामलों में, निवेश मूल्य 166.61 करोड़ रु. दिखाया गया था। यह पिछली तिथि[4] पर किये गये उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च 2023 पर। इसके अलावा, लेखों पर दिये गये नोटों में भी इस आशय का कोई खुलासा नही किया गया। 31 मार्च 2023 को उचित मूल्य का उल्लेख न किये जाने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को निर्धारित नही किया जा सकता है। **वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान टिप्पणी संख्या क. 2 और क.1.2(ii) में इंगित किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।** *[4]आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल टेक कंसल्टेंसी लिमिटेड (मार्च 2022), बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (मार्च 2022), क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दिसंबर 2022), गुजरात इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (मार्च 2022), आईटीसीओटी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड (मार्च) 2022), नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मार्च 2022), एसबीआई डीएचएफएल लिमिटेड (दिसंबर 2022)। एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (सितंबर 2022), यूपी इंडस्ट्रियल एंड कंसल्टेंट लिमिटेड (मार्च 2022), वेबकॉन कंसल्टिंग*	शून्य मूल्य वाले इक्विटी मामलों की स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और स्थिति पर नोट सी एंड ओसी के समक्ष रखा गया है। इस नये नोट को आईएफसीआई के निदेशक मंडल की अनुशंसा के लिए क्रेडिट एवं परिचालन समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस बीच मूल्यों को पिछली तिमाही में बताए गए मूल्यों पर ही बनाये रखा गया है और कोई नया मूल्यांकन नहीं किया गया है।

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
(इंडिया) लिमिटेड (मार्च 2021), रेवेंट प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड (दिसंबर 2021), रेवेंटमेटलकास्ट लिमिटेड (फरवरी 2022), ईएसएल स्टील लिमिटेड (मार्च) 2022) और श्री शक्ति रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड (मार्च 2021)	
(iii) **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** ने जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क लिमिटेड (एसोसिएट) के 85,04,288 गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों के निवेश का मूल्य 6.55 करोड़ रु. यानि 7.70 प्रति शेयर आंका और 2020-21 में नियुक्त वैल्यूअर द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर 1.96 करोड़ रु. की क्षति हानि का आकलन किया गया। 2020-21 के बाद से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। लेखा-परीक्षा में पाया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, एसोसिएट को क्रमश: 5.51 करोड़ रु. और 5.43 करोड़ रु. का घाटा हुआ और परिचालन से 0.71 करोड़ रु. और 0.77 करोड़ रु. का मामूली राजस्व अर्जित हुआ। इससे कंपनी द्वारा ऑडिट के लिए प्रस्तुत 31 मार्च 2023 को एसोसिएट की अनअंकेक्षित बैलेंस शीट के आधार पर शेयर पूंजी में 18.57 प्रतिशत की गिरावट आई और शेयर पूंजी 53.71 करोड़ रु. से घटकर 43.74 करोड़ रु. रह गई। उपरोक्त संकेतों के आधार पर भविष्य में होने वाली हानि की पहचान की जानी चाहिए थी। लेकिन 31 मार्च 2023 तक कंपनी द्वारा किसी तरह की क्षति हानि की पहचान नही की गई, जो कि उसकी अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2(एफ)(बी)(II) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश का गैर-अनुपालन था, जिससें उल्लेख किया गया है कि, "इंड एएस 109 के दायरे में सभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को अन्य मानकों के साथ-साथ एफवीटीपीएल के मापदंड पर भी मापा जाए। उसके बाद शेयर पूंजी को उचित मूल्य पर मापा जाए और होने वाले बदलावों को लाभ-हानि खाते में अंकित किया जाए।" इसके परिणामस्वरूप निवेश अधिक बताया गया और वर्ष की हानि को 5.58 करोड़ रु. ((रु. 7.70-रु.1.14[5]) *85,04,288) कम दिखाया गया। *[5]लेखा-परीक्षकों ने आईएफसीआई लिमिटेड की एक अन्य सहायक कंपनी (यानि आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, जिसने एसोसिएट कंपनी के 42 लाख शेयरों में भी निवेश किया है) द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रति शेयर मूल्य 1.14 रुपये माना है।*	**आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है**- अवलोकन को नोट कर लिया है और वर्तमान वित्त वर्ष यानि 2023-24 में मूल्यांकन कराया जाएगा।
क.1.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट संख्या 9): 786.06 करोड़ रु. (i) उपरोक्त में जमा किये गये सेवा-कर की 4.71 करोड़ रु. कर राशि शामिल है, जो विरोध के कारण वसूली-योग्य सेवा-कर के रूप में दर्शायी गई है। हालाँकि, सबका विश्वास (लीगेसी विवाद समाधान) योजना 2019 के तहत आवेदन दाखिल करते समय सेवा कर बकाया के 4.71 करोड़ रु. में से 4.53 करोड़ रु. (3.86 करोड़ रु. जमा 0.67 करोड़ रु.) की राशि को कंपनी द्वारा पहले ही समायोजित किया जा चुका है (दिसंबर 2019)। इसलिए, इसे रिवर्स किया जाना था। **सेवा कर जमा को वापस न करने के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और हानि को 4.53 करोड़ रु. कम दिखाया गया।**	मामले का मूल्यांकन किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2023-24 में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालाँकि, 30 जून, 2023 तक खाता-बहियों में आवश्यक प्रावधान किये गये है।
क.1.4 व्यापार प्राप्य (नोट संख्या 06) - 239.05 करोड़ रु. उपरोक्त में आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी) की होटल यूनिट, आईआईडीएल सुइट्स से संबंधित व्यापार प्राप्य के 1.51 करोड़ रु. शामिल है, जिसमें से 1.13 करोड़ रु. विभिन्न काल्पनिक प्रविष्टियों से संबंधित है, जैसा कि सहायक कंपनी के बोर्ड को फरवरी 2023 में सूचित किया गया था और जिसके विरुद्ध मात्र 0.63 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। चूंकि	**आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है**- अवलोकन को नोट किया गया और प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और वर्तमान वित्त वर्ष यानि 2023-24 में अतिरिक्त प्रावधान किए जाएंगे।

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
सहायक कंपनी ने स्वयं इन देनदारियों को काल्पनिक होने के कारण संदिग्ध माना है, इसलिए इन देनदारियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए था। **संदिग्ध देनदारों के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों को अधिक बताया गया और वर्ष की हानि को 0.50 करोड़ रु. (1.13 करोड़ रु. घटा 0.63 करोड़ रु.) कम बताया गया।**	
क.2 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां **क.2.1 इन्वेंटरी – 71.46 करोड़ रु.** (i) आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी) ने बेंगलुरु और कोलकाता में अपनी भूमि का मूल्य क्रमशः 11.77 करोड़ रु. और 16.59 करोड़ रु. के बजाय क्रमशः 12.77 करोड़ रु. और 16.86 करोड़ रु. निर्धारित किया, जिसके परिणामस्वरूप इन्वेंटरी को अधिक बताया गया और वर्ष के नुकसान को 1.27 करोड़ रु. कम बताया गया। यह समेकित वित्तीय विवरणों के (व्यापार में स्टॉक) संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं (क्यू)(अ), जिसके अनुसार, ''इन्वेंट्री में सभी भूमि सम्पतियां शामिल है और इनका मूल्य लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य माना जाता हैं'' के अनुपालन का उल्लंघन है।	**आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है–** इसमें 2023-24 की पहली तिमाही में सुधार करके अपडेट किया गया है।
क.2.2 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) – 82.34 करोड़ रु. (i) उपरोक्त में **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** से संबंधित आकलन वर्ष (एवाई) 2019-20 और 2020-21 के लिए स्रोत पर काटा गया अग्रिम आयकर/कर शामिल है। आयकर विभाग ने क्रमशः 0.23 करोड़[6] के रिफंड को मंजूरी दी और कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए 0.83 करोड़[7] की मांग की। चूंकि प्रबंधन ने आदेशों का विरोध नहीं किया, इसलिए कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के अग्रिम आयकर को उलट दिया जाना चाहिए था और 0.23 करोड़ रु. की वसूली योग्य राशि दिखाई जानी चाहिए थी और कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 की 0.83 करोड़ रु. की देनदारी, 0.68 करोड़ रु. के अग्रिम आयकर को उलटने के बाद बुक किया जाना चाहिए था। आयकर विभाग के आदेशों पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान कर परिसंपत्ति को 1.47 करोड़ रु. से अधिक बताया गया, प्रावधानों को 0.83 करोड़ रु. से कम बताया गया और वर्ष की हानि को 2.30 करोड़ रु. से कम बताया गया। [6]*आदेश दिनांक 28 जुलाई 2020 द्वारा* [7]*आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2021 द्वारा*	**आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है–** कर-निर्धारण वर्ष 20-21 के लिए, धारा 154 के तहत सुधार हेतु आवेदन दायर किया गया और कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए, आवेदन वर्तमान वित्त वर्ष यानि 2023-24 में दाखिल किया जाएगा। (सुधार हेतु आवेदन दाखिल करने की समय सीमा आदेश की तारीख से 4 वर्ष है)।
क.2.3 निवेश संपत्ति (नोट संख्या 12) – 298.16 करोड़ रु. (i) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण और निवेशित संपत्तियों के बारे में कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या (जी) का संदर्भ ग्रहण किया जाए, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि ''मूल्यह्रास के लिए प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन-काल के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। मूल्यह्रास की गणना आनुपातिक आधार पर की जाती है, जिसमें निवेश में वृद्धि का माह शामिल है और बिक्री/निपटान का माह शामिल नही है। इमारतों और वाहनों के संबंध में अवशिष्ट मूल्य लागत का 5% माना जाता है।'' तदनुसार, **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** की निवेश संपत्ति (भवन) पर लगाया जाने वाला मूल्यह्रास 1.58 प्रतिशत ((100-5)/60)% होना चाहिए था, जो 0.15 करोड़[8] बनता है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए 0.39 करोड़ रु. का मूल्यह्रास वसूलने के बाद निवेश संपत्ति का मूल्यांकन किया।	**आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है–** इसमें 2023-24 की पहली तिमाही में सुधार करके अपडेट किया गया है।

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
मूल्यह्रास की राशि अधिक दिखाने के परिणामस्वरूप निवेश संपत्ति को कम दिखाया गया और वर्ष की हानि को 0.24 करोड़ रु. से अधिक दिखाया गया। *[$]9.29 करोड़ रु. *1.58 प्रतिशत*	
क.3 देनदारियाँ: गैर-वित्तीय देनदारियाँ **क.3.1 प्रावधान (नोट संख्या 23) – 183.65 करोड़ रु.** (i) तनावग्रस्त संपत्तियों के रिजॉल्यूशन हेतु आरबीआई की विवेकपूर्ण रूपरेखा में निर्धारित किया गया है कि उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, स्वामित्व में परिवर्तन लागू होने के बाद संबंधित उधार लेने वाली संस्थाओं के ऋणों को 'मानक' के रूप में जारी/उन्नत किया जा सकता है। हालाँकि, उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन की तिथि पर बैंक द्वारा उक्त खाते के विरुद्ध किये गए प्रावधानों की मात्रा (अतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर) को निगरानी अवधि की समाप्ति के बाद ही उलटा किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके दौरान संतोषजनक प्रदर्शन हो। संतोषजनक प्रदर्शन का मतलब है कि उधारकर्ता इकाई ने संबंधित अवधि के दौरान किसी भी समय डिफॉल्ट न किया हो। निगरानी अवधि को इस तरह परिभाषित किया गया है, ''रिजॉल्यूशन योजना के कार्यान्वयन की तारीख ***से उस तारीख तक की अवधि, जब तक कि रिजॉल्यूशन योजना के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 10 प्रतिशत और पुनर्गठन, यदि कोई हो, के मंजूर पूंजीगत ब्याज का भुगतान किया गया हो और यह ऋण पर ब्याज या मूलधन (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान की शुरुआत से कम से कम एक वर्ष के भीतर चुकाया गया हो''*** ऑडिट में पाया गया कि आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) ने 31 मार्च 2022 तक श्रीराम ईपीसी लिमिटेड (एसईएल) के विरुद्ध 4.96 करोड़ रु. (5.21 करोड़ रु. के सावधि ऋण के विरुद्ध 2.61 करोड़ रु. और 4.69 करोड़ रु. के घरेलू फैक्टरिंग के विरुद्ध 2.35 करोड़ रु.) का प्रावधान किया था। एसईएल के लिए एक रिजॉल्यूशन योजना को मंजूरी दी गई (09.03.2022) क्योंकि प्रबंधन में बदलाव संभावना व्यक्त की गई थी (कुवैत स्थित इकाई, मार्क एबी कैपिटल एलएलसी ने एसईएल में निवेश करने का प्रस्ताव दिया था) और योजना के अनुसार, ऋण की कुल बकाया राशि 13.24 करोड़[9] के मुकाबले 6.12 करोड़ रु. का तुरंत भुगतान प्राप्त करने के बाद खाते का पुनर्गठन किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने जुलाई 2022 से उपरोक्त ऋण पर ब्याज प्राप्त करना शुरू कर दिया और मार्च 2023 के अंत तक कुल 16.13 लाख रुपये ब्याज प्राप्त किया। चूंकि, मार्च 2023 तक कोई मूल[10] राशि प्राप्त नही हुई है और ब्याज की प्रथम भुगतान तिथि से एक वर्ष भी समाप्त नहीं हुआ है, रिजॉल्यूशन योजना के कार्यान्वयन के समय रखे गए 4.96 करोड़ रु. के प्रावधान को रिवर्स नही किया जाना चाहिए था। प्रावधान राशि के गलत उलटफेर के परिणामस्वरूप प्रावधान को 4.96 करोड़ रु. की सीमा तक कम बताया गया और उसी राशि से वर्ष की हानि को भी कम बताया गया। [9]सावधि ऋण और घरेलू फैक्टरिंग पर ब्याज शामिल है [10]घरेलू फैक्टरिंग का कुल मूलधन 2.65 करोड़ रु. है	**आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) से संबंधित है। आईएफएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है–** जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, प्रावधान को तनावग्रस्त संपत्तियों के रिजॉल्यूशन हेतु विवेकपूर्ण ढांचे संबंधी आरबीआई परिपत्र दिनांक 7 जून 2019 के खंड-वाक्यों में एक व्याख्या त्रुटि के कारण रिवर्स किया गया था। सीएजी की टिप्पणी नोट की गई है। सीएजी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने जून 2023 को समाप्त तिमाही में 2.58 करोड़ रु. का अतिरिक्त प्रावधान किया है और सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में भी 2.35 करोड़ रु. का प्रावधान करेगी। जहां तक खातों के नोट्स में प्रकटीकरण का संबंध है, कंपनी ने खातों के नोट्स में नोट संख्या 41 और 54 में प्रावधानों का खुलासा किया है। हालाँकि, पर्याप्त स्पष्टता के लिए कंपनी ने 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के नोट्स में निम्नलिखित विवरण शामिल किए है: ''आरबीआई परिपत्र संख्या DBR.No.BP.BC.45 / 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 07.06.2019 के संदर्भ में वर्ष के दौरान कार्यान्वित रिजॉल्यूशन योजना से संबंधित प्रकटीकरण: मेसर्स एसईपीसी लिमिटेड के खाते में 13.24 करोड़ रु. का बकाया था, जिसे उप-मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उक्त आरबीआई परिपत्र के प्रावधानों के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इसका समाधान किया गया था। स्वामित्व में परिवर्तन होने के कारण, खाते को उप-मानक से मानक में अपग्रेड कर दिया गया था। रिजॉल्यूशन योजना को पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ द्वारा अनुमोदित किया गया था। रिजॉल्यूशन योजना की शर्तों के अनुसार कंपनी को 6.12 करोड़ रु. की अग्रिम राशि प्राप्त हुई।'' जहां तक बकाया डीएसबीएफ ऋणों पर सीएजी की टिप्पणी का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 4.51 करोड़ रु. के मूल डीएसबीएफ ऋणों के अलावा, कंपनी ने प्रमुख ऋणदाता, पंजाब नेशनल बैंक के अनुरूप, फरवरी 2021 में कोविड-19 आपातकालीन ऋणों (सीईसीएफ) के लिए तदर्थ सीमा भी मंजूर की थी। 19.04.2022 को आयोजित बैठक के ज्ञापन में केवल उन ऋणों का उल्लेख है जिन्हें सीडीआर के तत्वावधान में दिसंबर 2014 में पुनर्गठित किया गया था, जिसमें 4.51 करोड़ रु. का डीएसबीएफ भी शामिल है। हालाँकि, लेखांकन प्रणाली में, कोविड-19 आपातकालीन ऋण में डीएसबीएफ के हिस्से को भी मूल डीएसबीएफ ऋण में जोड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4.69 करोड़ रु. का आंकड़ा प्राप्त हुआ।

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
(ii) उपरोक्त में आईआईडीएल एरी, कोच्चि (आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी) द्वारा विकसित परियोजना) के स्वामियों/आवंटियों द्वारा दायर और विभिन्न उपभोक्ता मंचों पर लंबित मामलों के लिए प्रावधानित 0.40 करोड़ रु. शामिल नहीं है। सहायक कंपनी ने आईआईडीएल एरी, कोच्चि परियोजना के ठेकेदार को कुल प्रतिधारण राशि 0.80 करोड़ रु. में से पूर्ण और अंतिम निपटान हेतु 0.40 करोड़ रु. की प्रतिधारण राशि जारी करते हुए मालिकों/आवंटियों द्वारा विभिन्न उपभोक्ता मंचों पर दायर किये गये मामलों के कारण 0.40 करोड़ रु. का प्रावधान करने का निर्णय लिया। **हालाँकि, सहायक कंपनी द्वारा कानूनी मामलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम दर्शाया गया और 0.40 करोड़ रु. की हानि हुई।**	**आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है**– इसमें 2023-24 की पहली तिमाही में सुधार किया गया है और अपडेट किया गया है।
क.4 देनदारियाँ: वित्तीय देनदारियाँ **क.4.1 अन्य वित्तीय देनदारियां (नोट संख्या 22) – 3756.33 करोड़ रु.** उपरोक्त में 20.39 करोड़ रु. शामिल नही है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा **स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सहायक कंपनी)** द्वारा जारी राहत बांडों के बांडधारकों को भुगतान की जाने वाली राशि से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज है। जिसके लिए बांडधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया। पिछले कुछ वर्षों में सहायक कंपनी द्वारा 20.39 करोड़ रु. के ब्याज को आय की तरह दर्ज किया गया है। चूँकि सावधि जमा की राशि सहायक कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, उस पर अर्जित ब्याज दायित्व है और सहायक कंपनी की आय नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय देनदारियों' को 20.39 करोड़ रु. से कम बताया गया है, साथ ही 'अन्य आय' को अधिक बताया गया है और चालू वर्ष की हानि को 1.18 करोड़ रु. से कम बताया गया है और अन्य इक्विटी को 19.21 करोड़ रु. से अधिक बताया गया है।	**स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) से संबंधित है। एसएचसीआईएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है** "निगम 1998 से आरबीआई द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार रिलीफ बांडों के बांडधारकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। ऐसा करते समय, विभिन्न कारणों से कुछ बांड धारकों के बैंकरों को दिये गये भुगतान संबंधी निर्देश उनके बैंकरों द्वारा वापस कर दिए जाते है। निगम ऐसे बांड धारकों तक पहुंचने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करता है, ताकि कैश न कराये जा सके मोचन/अर्धवार्षिक ब्याज आय का भुगतान किया जा सके। अंतरिम अवधि में ऐसी राशि निगम के बैंक खातों में रखी जाती है और वित्तीय विवरणों में देनदारी के रूप में दिखाई देती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 सितंबर, 23 को बैंकों/स्टॉकहोल्डिंग को, राहत बांडों/बचत बांडों की परिपक्वता पर मोचन आय और उस पर अर्धवार्षिक ब्याज भुगतान के कारण, उनके पास अनकैश्ड जमाओं के संबंध में निर्देश जारी किए है। निर्देशों के अनुसार बैंकों/स्टॉकहोल्डिंग को ऐसे दावा न किये गये भुगतानों को, निर्दिष्ट समय-सीमा अंदर आरबीआई को वापस भेजना था। स्टॉकहोल्डिंग ने उक्त निर्देशों का अनुपालन किया है और इसका पालन करना जारी रखेगा। इस प्रकार, निगम ने लागू सेवा आवश्यकताओं, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और कर देनदारियों का विधिवत निर्वहन किया है।''
क.5 व्यय: वित्तीय संपतियों की हानि (नोट संख्या 32) **ऋण – (87.73 करोड़ रु.)** उपरोक्त राशि में मेसर्स अनिल लिमिटेड[11] के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि के रिवर्सल के लिए प्रावधान किये गये 0.84 करोड़ रु. शामिल है। आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) ने इस मामले में अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) की गणना करते समय सिक्योरिटी के मूल्य को 18.10 करोड़ रु. माना, जो फरवरी 2022 में आयोजित नीलामी के लिए निर्धारित संचय मूल्य था (बिक्री सफल नहीं हुई) और अगले तीन वर्षों के लिए गणना की गई अपेक्षित कानूनी लागत पर विचार करते हुए सिक्योरिटी प्राप्ति का वर्तमान मूल्य 8.23 करोड़ रु. है। हालाँकि, संपत्ति की बिक्री के लिए 03 मई 2023 को निर्धारित संचय मूल्य 16.28 करोड़ रु. था और इसलिए, सिक्योरिटी वसूली का वर्तमान मूल्य 7.39 करोड़ रु. बनता है। नवीनतम संचय मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के व्यय व हानि को 0.84 करोड़ रु. (8.23 करोड़ रु. घटा 7.39 करोड़ रु.) कम बताया गया है। *[11]ऋण सं.: 2015912001*	**आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ) से संबंधित है। आईवीसीएफ प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस प्रकार है:** अनिल लिमिटेड के मामले में आवश्यक प्रावधान, नवीनतम प्रतिभूति मूल्य मानते हुए जून 2023 में किया गया है।

सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
ख. समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ- आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ (नोट संख्या 37) - आयकर हेतु आकस्मिक देनदारियां - 9.36 करोड़ रु. उपरोक्त में कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2014-15 से 2017-18 हेतु आयकर विभाग द्वारा उठाई गई 2.46 करोड़ रु. की मांग शामिल नहीं है। इसके विरुद्ध **आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)** द्वारा अपील दायर की गई है। इसलिए, इस राशि को भारतीय लेखांकन मानक 37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति) के पैरा 86 के अनुरूप आकस्मिक देयता के तहत दिखाया जाना चाहिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि, ''जब तक निकट भविष्य में निपटान में किसी भी आउटलो यानि बहिर्वाह की संभावना हो, कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देनदारी के प्रत्येक वर्ग के, जहां व्यावहारिक हो, आकस्मिक देनदारी की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण और उसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान प्रकट करना चाहिए।'' अत: उपरोक्त नोट उपरोक्त सीमा तक अपर्याप्त है।	**आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस प्रकार है-** अवलोकन नोट कर लिया गया है। इसका वित्त वर्ष 2022-23 की बैलेंस शीट पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम वर्तमान वित्त वर्ष यानि 2023-24 में इसमें सुधार करेंगे।
स. लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ **स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 25 मई 2023** कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(vii)(ब) के अनुसार लेखा-परीक्षक को रिपोर्ट में माल व सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों का राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर सहित वैधानिक बकाया, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई अन्य वैधानिक बकाया, जो किसी भी विवाद के कारण जमा नही किये गये है, और उस फोरम का नाम, जहां विवाद लंबित है, जैसे विवरण देने आवश्यक है। कंपनी के पास विभिन्न फोरमों जैसे आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष 10 आयकर अपीलें लंबित है। लेकिन स्वतंत्र लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित केवल तीन मामलों को शामिल किया है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी पर 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत आकलन वर्ष 2009-10 और 2013-14 से 2016-17 तक की 8.15 करोड़ रु. की आयकर मांग बकाया है, जिसे लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सीएआरओ 2020 के उपर्युक्त खंड के गैर-अनुपालन के अलावा उपरोक्त सीमा तक अपर्याप्त है।	**वैधानिक लेखा-परीक्षक से संबंधित है। वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस प्रकार है:** कंपनी पहले ही वीएसवी योजना का लाभ उठा चुकी है और इस प्रकार, तकनीकी रूप से मांगें कंपनी के विरुद्ध लागू करने योग्य नहीं है। इसके अलावा, विभाग द्वारा की गई कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण, कंपनी ने बकाया अपीलों को वापस नहीं लेने का निर्णय लिया है, जिनका वीएसवी योजना के तहत निपटारा कर दिया गया है। इस प्रकार, बकाया आयकर देनदारियों की रिपोर्टिंग में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में भी यही प्रथा लगातार अपनाई गई है, जिस पर सीएजी द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। भविष्य में कंपनी यथास्थिति बनाए रखेगी।

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन 01400076

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक और
मुख्य वित्त अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कंपनी सचिव

दिनांक: 08 नवंबर, 2023

निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट

1. शासन प्रणाली के संबंध में कम्पनी का दर्शन:

निगमित शासन प्रणाली निष्पक्षता, इक्विटी, पारदर्शिता उत्तरदायित्व तथा सूचना के प्रसार के सिद्धान्त पर आधारित है। आईएफसीआई निगमित शासन प्रणाली के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में विश्वास रखता है क्योंकि यह इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आईएफसीआई सर्वोत्तम निगमित शासन प्रणाली को व्यवहार में लाने तथा कारोबार के संचालन में उच्चतम नीतिपरक मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्णत: वचनबद्ध है। हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन कंपनी की आचार संहिता तथा नैतिकता, कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों और समिति चार्टरों से सशक्त हुआ है। हमारी बोर्ड और प्रबंधन प्रक्रियाएं, लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे के आधारभूत सिद्धांतों को दर्शाती है।

2. निदेशक बोर्ड

(क) निदेशक बोर्ड का गठन, श्रेणी व उपस्थिति:

31 मार्च 2023 तक, कंपनी के बोर्ड में 7 (सात) निदेशक शामिल थे, जिनमें से 6 (छह) निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक थे जबकि 1 (एक) कार्यकारी निदेशक था जिसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया था (एमडी और सीईओ)।

बोर्ड का गठन, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सूचीकरण करार/सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सूचीकरण विनियम) के अनुरूप नही है। बोर्ड का गठन, आयोजित बैठकों की संख्या, बोर्ड बैठकों तथा पिछली वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति एवं सभी कम्पनियों में, जहां वे 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार निदेशक है, की निदेशिता तथा समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं	निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थिति विवरण			अन्य सभी कम्पनियों में निदेशिताओं/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या		
			वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हुई बोर्ड बैठकें		22 दिसम्बर,2022 को हुई वार्षिक महासभा	निदेशिताएं (समेत आईएफसीआई)	समितियों की सदस्यता (समेत आईएफसीआई)	समितियों की अध्यक्षता (समेत आईएफसीआई)
			आयोजित	उपस्थिति				
1.	श्री मनोज मित्तल	कार्यकारी निदेशक - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ)	7	7	हां	5	-	-
2.	श्री मुकेश कुमार बंसल (#)	गैर-कार्यकारी निदेशक- सरकारी निदेशक	2	2	लागू नही	4	2	-
3.	श्री कार्तिकेय मिश्र (#)	गैर-कार्यकारी निदेशक- सरकारी निदेशक	2	2	लागू नही	1	1	-
4.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	गैर-कार्यपालक निदेशक	7	7	हां	2	1	-
5.	प्रो. अरविन्द सहाय	गैर-कार्यपालक निदेशक	7	7	हां	3	5	1
6.	श्री सुरेंद्र बेहरा ($)	गैर-कार्यपालक निदेशक	2	2	हां	1	1	-
7.	श्री अरविन्द कुमार जैन ($)	गैर-कार्यपालक निदेशक	2	2	हां	6	5	2
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने वाले निदेशक								
1.	श्री सुनील कुमार बंसल (*)	कार्यकारी निदेशक - उप प्रबंध निदेशक	3	3	लागू नही	1	2	-
2.	श्री कनकसाबापथि कादिरेसन (%)	गैर-कार्यापालक निदेशक	4	4	लागू नही	1	-	-
3.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (@)	गैर-कार्यपालक - सरकारी निदेशक	5	3	नही	2	1	-
4.	सुश्री आनन्दिता सिन्हारे (@)	गैर-कार्यपालक - सरकारी निदेशक	5	3	नही	3	3	-

(#) श्री मुकेश कुमार बंसल और श्री कार्तिकेय मिश्रा को 02.02.2023 से बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

($) श्री सुरेंद्र बेहरा और श्री अरविंद कुमार जैन को 09.11.2022 को बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

(*) श्री सुनील कुमार बंसल 13.09.2022 से बोर्ड में नहीं रहे।

(%) श्री कनकसाबापति कादिरेसन 02.10.2022 से बोर्ड पर नहीं रहे।

(@) डॉ. भूषण कुमार सिन्हा और सुश्री अनिंदिता सिंहराय 06.01.2023 से बोर्ड में नहीं रहे।

टिप्पणियां:

1. बैठकों की संख्या उस अवधि के दौरान हुई बैठकों को दर्शाती है, जिसमें निदेशक बोर्ड के सदस्य थे।
2. ऊपर दर्शायी गई अन्य निदेशिताएं (आईएफसीआई लि. सहित) सभी सार्वजनिक कम्पनियों चाहे वह सूचीबद्ध है या नहीं है। अन्य निगमित निकायों, निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और गैर-लाभकारी संगठनों में धारित निदेशिताओं को उक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है।
3. उक्त समिति सदस्यता/अध्यक्षता में केवल लेखा-परीक्षा समिति और आईएफसीआई लि. सहित सभी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों (चाहे सूचीबद्ध हो या नहीं) में स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति शामिल है। अन्य निगमित निकायों में धारित समिति सदस्यता/अध्यक्षता ऊपर तालिका में शामिल नहीं की गई है।
4. सदस्यता की संख्या में समितियों में धारित अध्यक्षता शामिल है।
5. सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशकों के सम्बन्ध में, अन्य निदेशिता और समिति सदस्यता की स्थिति निदेशक द्वारा किए गए अन्तिम प्रकटन पर आधारित है।
6. कोई भी निदेशक एक दूसरे या कम्पनी के किसी प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक से सम्बन्धित नहीं है।
7. बोर्ड का कोई भी निदेशक इन सभी कम्पनियों, जिनमें वे निदेशक है, में 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है और 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार, अन्य पब्लिक कम्पनियों में उनकी स्थिति के बारे में आवश्यक प्रकटन निदेशकों द्वारा किया गया है।
8. किसी निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण सूचीकरण विनियम, जहां कहीं लागू हो, के अंतर्गत निर्धारित मानदण्ड के द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार, कम्पनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
9. सूचीबद्ध कंपनियों (केवल जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) में अन्य निदेशिता, जहां आईएफसीआई के बोर्ड का सदस्य निदेशक है और निदेशिता की श्रेणी: 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में कोई अन्य बोर्ड सदस्य निदेशिता धारण नही करता है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध कंपनियों का नाम और निदेशिता की श्रेणी
1.	श्री मुकेश कुमार बंसल	बैंक ऑफ बड़ौदा (गैर-कार्यकारी - सरकार द्वारा नामित निदेशक)
2.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. (गैर कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक)
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	एचआईएल लिमिटेड (स्वतंत्र निदेशक)

(ख) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या एवं तारीखें:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की 7 (सात) बैठकें हुई। 2022 में आयोजित बैठकों की तारीखें 18 मई, 28 मई, 10 अगस्त, 27 सितंबर, 09 नवंबर, 13 फरवरी और 2023 में 28 मार्च थी।

(ग) नए निदेशकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के विवरण वार्षिक महासभा की सूचना का भाग है।

(घ) 31 मार्च, 2023 तक किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय उपकरण नहीं थे।

(ङ) स्वतंत्र निदेशक के लिए परिचित होने का कार्यक्रम

परिचित होने का कार्यक्रम एक अनवरत् प्रक्रिया है। कम्पनी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने निदेशकों को उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और कम्पनी में उनके उत्तरदायित्वों, उद्योग के स्वरूप, जिसमें कम्पनी कार्यरत है, कम्पनी के कारोबार मॉडल के बारे में जानकारी देने का प्रयास करती है। परिचित होने के ऐसे कार्यक्रमों के विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर दिए जाते है, जिन्हें www.ifciltd.com / https://www.ifciltd.com/upload/Details-Familiarisation-Programme_new.pdf पर देखा जा सकता है। तथापि, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया गया था क्योंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(च) निदेशक बोर्ड कौशल/विशेषज्ञता/सक्षमता तय करने का चार्ट/मैट्रिक्स तथा उन निदेशकों के नाम जिनके पास ऐसा कौशल/विशेषज्ञता/सक्षमता है।

1.	शैक्षिक योग्यता	(i) कोई स्नातक/स्नातकोत्तर/एम.फिल/डाक्टरेट/ऐसी अन्य अर्हता रखता हो जैसा ठीक समझा जाए। (ii) कोई अन्य पेशेवर योग्यता/डिग्री/डिप्लोमा/ऐसी अन्य अर्हता रखता हो जैसा ठीक समझा जाए।
2.	अनुभव/विशेषज्ञता	(i) उचित कौशल, अनुभव और वित्त, विधि, प्रबंधन, बिक्री विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, कारपोरेट अभिशासन, तकनीकी प्रचालन या कम्पनी के कारोबार से संबंधित अन्य विषयों में एक या अधिक क्षेत्रों में जानकारी रखता हो। (ii) तरजीही रूप से अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम या मध्य पेशा पेशेवर विकास प्रशिक्षण किया हो जिसने उसको व्यवसाय परिवेश में बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाया हो।

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार, बोर्ड के सभी निदेशक ऊपर दी गई शैक्षिक योग्यता और अनुभव/सुविज्ञता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

3. लेखा-परीक्षा समिति:

(क) विचारार्थ विषय:

लेखा-परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय मुख्यत: कम्पनी के लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालनों की प्रभावशीलता का अध्ययन, आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले आवधिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबन्धन के साथ समीक्षा और नियामक मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है। समिति आन्तरिक लेखा-परीक्षकों और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों की तथ्यपरक समीक्षा करने तथा प्रबन्धन द्वारा उन पर पर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के लिए भी जवाबदेह है। समिति उनके शुल्क निर्धारण की संस्तुति करती है।

समिति अन्तर निगमित ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा, कम्पनी की वचनबद्धता या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबन्धन का मूल्यांकन, सार्वजनिक पेशकश की मार्फत जुटाई गई निधियों के अन्तिम उपयोग का अनुवर्तन, सतर्कता कार्य-प्रणाली की निगरानी तथा कम्पनी के सम्बन्धित पक्षकारों से संव्यवहारों का अनुमोदन अथवा उसके पश्चात् कोई आशोधन का कार्य करती है। समिति धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करती है और इसकी सूचना भी देती है।

(ख) समिति का गठन, बैठकें तथा उपस्थिति:

31 मार्च, 2023 तक, आईएफसीआई की ऑडिट समिति में चार (4) निदेशक शामिल थे, सभी 4 (चार) गैर-कार्यकारी निदेशक थे। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईएफसीआई के निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें हुई। 2022 में, बैठकें 14 अप्रैल, 28 मई, 10 अगस्त, 09 नवंबर, 13 फरवरी और 2023 में 28 मार्च को आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों में लेखापरीक्षा समिति की संरचना और निदेशकों की उपस्थिति नीचे दिखाई गई है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	प्रो. अरविन्द सहाय	अध्यक्ष*	30.10.2017	6	6
2.	मुकेश कुमार बंसल	सदस्य	02.02.2023	2	1
3.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.01.2020	6	6
4.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	2	2
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक जो सदस्य नहीं रहे					
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	13.09.2022	3	3
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य	06.01.2023	4	2

***टिप्पणी:** स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में प्रो. अरविन्द सहाय का समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था, जब तक कि कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया जाए।

लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में, जहां कहीं आवश्यक हुआ, समिति के निर्णय के अनुसार सांविधिक लेखा-परीक्षकों तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। कम्पनी सचिव लेखा-परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

4. नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति:

(क) विचारार्थ विषय:

समिति के विचारार्थ विषय में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों और नामित निदेशकों को छोड़कर) बनने के योग्य है तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति की सिफारिश करना है। समिति बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को देय किसी भी रूप में सभी पारिश्रमिकों एवं स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करने की सिफारिश करती है। समिति पेशा प्रबंध और उत्तराधिकार योजना सहित एचआर मामलों पर नीति का अनुशीलन भी करती है।

(ख) कार्य निष्पादन मूल्यांकन:

आईएफसीआई लि. की नामांकन व पारिश्रमिक समिति ने स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के मानदण्ड निर्धारित किए हैं। कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के मानदण्ड में उनकी भूमिका, कार्य तथा विभिन्न अन्य लक्षण शामिल है।

निदेशकों द्वारा उल्लिखित सुधारों के केन्द्रित क्षेत्रों में, बोर्ड की संरचना/समितियों की संरचना शामिल है, जो अभी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। चूंकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। प्रशासनिक मंत्रालय प्रभारी होने के नाते वित्तीय सेवा विभाग को अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध भेजा गया है और विभाग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की प्रतीक्षा है। हालाँकि, हमारे अनुरोध पर विचार करते हुए 1(एक) स्वतंत्र निदेशक, श्री उमेश कुमार गर्ग को भारत सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

(ग) समिति का गठन, बैठकें तथा उपस्थिति:

31 मार्च, 2023 को, समिति में चार निदेशक शामिल थे, ये सभी गैर-कार्यकारी निदेशक थे। वर्ष के दौरान, समिति की 4 (चार) बैठकें 10 अगस्त, 2022, 09 नवंबर, 2022, 13 फरवरी, 2023 और 28 मार्च, 2023 को आयोजित की गई। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 की लागू धाराओं के अनुरूप नहीं थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की संरचना और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दिखाई गई है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री अरविन्द कुमार जैन	अध्यक्ष*	09.11.2022	2	2
2.	श्री कार्तिकेय मिश्र	सदस्य	02.02.2023	2	0
3.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	04.06.2020	4	4
4.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	4
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक जो सदस्य नहीं रहे					
1.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य	06.01.2023	2	2
2.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	13.09.2022	1	1

* 'स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, श्री अरविंद कुमार जैन को 02.02.2023 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

(घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक के विवरण निम्नानुसार है:

(i) श्री मनोज मित्तल, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

विवरण	(लाख रुपए में)
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	35.46
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	4.13
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	2.56
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	7.64
अन्य-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.67
अन्य-अवकाश किराया रियायत	2.76
जोड़	**53.22**

(ii) श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबंध निदेशक, 01.04.2022 से 12.09.2022 तक

विवरण	(लाख रुपए में)
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	17.06
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	2.54
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	1.11
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	4.79
आय कर अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार अनुलाभ	1.72
अन्य-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.63
उपहार	2.05
सेवानिवृत्ति अवकाश	8.19
जोड़	**39.09**

(ङ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी द्वारा सरकारी नामित निदेशकों को छोड़कर गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक के लिए शुल्क अदा किया गया। बोर्ड की बैठक के लिए 40,000/- रुपए और निदेशकों की समिति की बैठक के लिए 20,000/- रुपए शुल्क अदा किया गया। इसके अलावा बोर्ड की अध्यक्षता और निदेशकों की समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए क्रमश: 10,000/- रुपए और 5,000/- रुपए अतिरिक्त बैठक शुल्क भी देय था। गैर कार्यपालक और स्वतंत्र निदेशकों बैठक शुल्क के अलावा कोई और पारिश्रमिक नहीं लेते है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(च) कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, उनमें से किसी के पास भी 31 मार्च, 2023 को आई.एफ.सी.आई. का कोई शेयर या कोई अन्य परिवर्तनीय प्रलेख नहीं है।

(छ) कंपनी के निदेशकों के पास कोई स्टॉक ऑप्शन्स नहीं है।

5. स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति:

(क) आईएफसीआई के निदेशकों की हितधारक संबंध समिति में 31 मार्च, 2023 तक चार गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल थे। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, समिति की 28 मई और 10 अगस्त 2022 को 3 (तीन) बार और 13 फरवरी को बैठक हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की संरचना और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दिखाई गई है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री अरविन्द कुमार जैन	अध्यक्ष*	09.11.2022	1	1
2.	श्री कार्तिकेय मिश्र	सदस्य	02.02.2023	1	0
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य	31.10.2017	3	3
4.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	1	1
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक जो सदस्य नहीं रहे					
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	13.09.2022	2	2

*स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, श्री अरविंद कुमार जैन को 02.02.2023 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ख) अनुपालन अधिकारी का नाम व पदनाम

श्रीमती प्रियंका शर्मा, कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
ई-मेल: complianceofficer@ifciltd.com

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, शेयरधारकों और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के बांडधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा बकाया शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

इक्विटी शेयर व बांड	
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**8648**
31 मार्च, 2023 को बकाया	**0**

(*) न्यायालय/सीडीआरएफ में बकाया मामलों से सम्बन्धित शिकायतों/मुद्दों को छोड़कर।

कम्पनी ने 1996 में सार्वजनिक निर्गम के अन्तर्गत जारी आईएफसीआई फैमिली बांडों को अवधि पूरी होने पर/कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए मोचित कर दिया था। बांडधारकों को मोचन राशि की अदायगी कर दी गई है। मोचन राशि के पुराने चैकों का बांडधारकों के अनुरोध पर भुगतान किया जा रहा है। निवेशकों से आईईपीएफ से निधि की वापसी के लिए प्राप्त आवेदनों पर समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है।

(घ) कंपनी ने शेयर हस्तांतरण, प्रसारण और स्थानान्तरण, नाम परिवर्तन/सुधार आदि से संबंधित निवेशक सेवा अनुरोधों के अनुमोदन के लिए अपने अधिकारियों की एक समिति गठित की है। चूंकि सेबी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 08 जून 2018 के अनुसार, 03 दिसंबर 2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के साथ पढ़ें, 01 अप्रैल, 2019 के बाद भौतिक रूप में शेयरों का हस्तांतरण प्रतिबंधित कर दिया गया है। कार्यकारी अधिकारियों की शेयर हस्तांतरण समिति अब महीने में चार बार के बजाय आवश्यकता पड़ने पर बैठकें करती है। शेयर हस्तांतरण आदि के सभी अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और प्रासंगिक सेबी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर पुष्टि-पत्र जारी किए गए। मुकदमेबाजी के अधीन चल रहे कुछ मामलों को छोड़कर, 15 दिनों से अधिक समय तक कोई भी शेयर हस्तांतरण का मामला लंबित नहीं था।

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने अप्रकाशित मूल्य प्रभावित करने वाली सूचना के उचित प्रकटन के लिए कार्य-विधि/प्रक्रिया संहिता तथा आन्तरिक लेन-देन पर नियंत्रण करने, अनुवर्तन करने और सूचना देने के लिए आचार संहिता को अपनाया है। कम्पनी ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की अवधारणा का पालन करती है, जिस समय मूल्य प्रभावित करने वाली अप्रकाशित सूचना प्रस्तुत की जानी होती है, उस समय कम्पनी अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को आईएफसीआई की प्रतिभूतियों का लेन-देन करने से रोकने के लिए ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की अवधारणा का भी पालन करती है। कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) विनियम, 2015 के अधीन उपयुक्त प्रकटन प्राप्त किए है।

(च) निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है, जिसे कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com / https://www.ifciltd.com/?q=en/content/code-conduct पर डाला गया है।

6. जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति:

(क) संदर्भ की शर्तें:

जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तों के अनुसार विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जानी है और यह संतोषजनक है कि जोखिमों को प्रबंधित करने की नीतियां और प्रक्रियाएं पहले से मौजूद है। समिति का कार्य जोखिम के नजरिए से संस्था की व्यावसायिक रणनीतियों और योजनाओं का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना और बोर्ड को इस बारे में उचित सलाह देना है। समिति प्रमुख नीतियों, साइबर सुरक्षा और इससे जुड़े जोखिम की समीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।

(ख) समिति की संरचना, बैठकें और उपस्थिति:

जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति की वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 4(चार) बैठकें, 2022 में 28 मई, 10 अगस्त, 09 नवंबर और 2023 में 13 फरवरी को सम्पन्न हुई। 31 मार्च, 2023 तक समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री सुरेंद्र बेहरा	अध्यक्ष*	09.11.2022	1	1
2.	श्री कार्तिकेय मिश्र	सदस्य	02.02.2023	1	0
3.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	14.02.2019	4	4
4.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	4
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	13.09.2022	2	2
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य	06.01.2023	3	2

*श्री सुरेंद्र बेहरा को दिनांक 02.02.2023 से समिति का नियमित अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने 13 फरवरी 2023 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

7. अन्य समितियों के विवरण:

कम्पनी में बोर्ड स्तर की अन्य समितियां भी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित ऐसी अन्य समितियों की बैठकों की संख्या, तारीखें एवं सदस्यों द्वारा उपस्थिति निम्नानुसार है:

(क) कार्यकारी समिति: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों की कार्यकारी समिति की बैठकें 01 अगस्त और 22 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई। 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार, समिति का गठन तथा उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष	12.06.2021	2	2
2.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.10.2017	2	2
3.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	1	1
4.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	1	1
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	13.09.2022	1	1

(ख) आईटी-रणनीति समिति- आईटी रणनीति समिति की वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2 (दो) बार 01 अगस्त 2022 और 20 जनवरी 2023 को बैठक हुई। 31 मार्च 2023 तक समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	अध्यक्ष	30.10.2017	2	2
2.	श्री मनोज मित्तल	सदस्य	12.06.2021	2	2
3.	श्री कार्तिकेय मिश्र	सदस्य	02.02.2023	0	0
4.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	1	1
5.	श्री पुष्पिंदर सिंह	बाहरी सदस्य	10.08.2021	2	2
6.	श्री हरजीत सिंह, सीआईओ और सीटीओ	सदस्य	10.08.2021	2	2
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	13.09.2022	1	1

(ग) कारोबार दायित्व सूचना समिति- समिति की वित्तीय वर्ष 2022-23 में केवल एक बैठक 09 नवम्बर, 2022 को हुई। 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार समिति के गठन और उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष	12.06.2021	1	1
2.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	-	-
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य	30.10.2017	1	1
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	13.09.2022	-	-
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य	06.01.2023	1	1

(घ) विलफुल डिफॉल्टरों पर समीक्षा समिति- समिति में 4 निदेशक शामिल थे। श्री मनोज मित्तल समिति के अध्यक्ष और श्री मुकेश कुमार बंसल, प्रोफेसर नारायणस्वामी बालाकृष्णन और श्री अरविंद कुमार जैन सदस्य है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ङ) गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की समीक्षा समिति और वसूली एवं एनपीए प्रबंधन समिति- गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की समीक्षा समिति और वसूली एवं एनपीए प्रबंधन समिति की वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 28 मई 2022, अगस्त 04 2022, 09 नवंबर 2022 और 13 फरवरी 2023 को 4(चार) बैठकें हुई। 31 मार्च 2023 को समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष	12.06.2021	4	4
2.	श्री कार्तिकेय मिश्र	सदस्य	02.02.2023	1	-
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	4
4.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	1	1
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	13.09.2022	2	2

7. महासभा:

(क) स्थान एवं समय, जहां पिछली तीन वार्षिक महासभाएं आयोजित की गईं:

क्र. सं.	वार्षिक महासभा की तारीख	स्थान	समय
1.	22.12.2022	सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से।	11:30 A.M.
2.	17.12.2021		
3.	22.12.2020		

पिछले वर्ष पोस्टल बैलेंट के जरिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए कोई विशेष संकल्प प्रस्तुत नही किया गया, क्योंकि ऐसी कोई मद नही थी, जिसे पोस्टल बैलेंट के जरिए पारित करवाना अपेक्षित था। हालाँकि, एक साधारण संकल्प डब्ल्यू.आर.टी. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ''श्री कनकसबापति कादिरेसन की नियुक्ति'' को पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित किया गया था।

(ख) पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में पारित विशेष संकल्पों का ब्योरा:

महासभा की तारीख	कम्पनी अधिनियम की धारा के अनुसार	विशेष संकल्पों का विवरण
22.12.2022	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 व 71 के अधीन	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
17.12.2021	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 व 71 के अधीन	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
22.12.2020	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 व 71 के अधीन	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 61 व 64 के अधीन	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि का अनुमोदन
	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए मौजूदा अनुच्छेद 3 के स्थान पर नया अनुच्छेद 3 जोड़ने का अनुमोदन

8. प्रकटन:

(क) सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी इंड एएस 24 (पूर्व में लेखांकन मानक-18) की अपेक्षानुसार वर्ष के दौरान, सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में लेखों की टिप्पणियों में किया गया है। सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार सामान्य कारोबार के दौरान मिलकर और नियमानुसार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं किए गए। कम्पनी में महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार तथा सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबंधित लेन-देन के बारे में एक नीति है और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com / https://www.ifciltd.com/2022/Policy%20on%20Materiality%20of%20Related%20Party%20 Transactions%20(RPTs)%20and%20Dealing%20with%20RPTs%20(1).pdf पर डाला गया है।

(ख) लेखांकन विवेचना का प्रकटन

कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण, कंपनियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (''इंड एएस'') और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 अनुभाग III के अनुसार, समय-समय पर संशोधित नियमों के तहत तैयार किए गए है। इन्हें कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया और 11 अक्टूबर 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। आरबीआई या अन्य नियामकों द्वारा जारी किये गये सभी नियमों, मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों को यथानुसार लागू किया जाएगा।

(ग) जोखिम प्रबंधन

कारोबार जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें कारोबार नामत: क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम से उठने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंध और कम किया जाता है। जोखिम प्रबंध प्रणाली की प्रभावशीलता उचित और प्रभावी जोखिम प्रबंधन संरचना बनाना है। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में आपकी कम्पनी ने संगठनात्मक ढांचे में आवश्यक भूमिका केन्द्र स्थापित किए है ताकि जोखिम प्रबंधन कार्यों को करने में सुविधा हो।

आईएफसीआई में जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना में निदेशक बोर्ड, निदेशकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी), कार्यपालकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) और एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) शामिल है।

आपकी कम्पनी आवधिक रूप से उधार देने की नीति और जोखिम प्रबंधन नीतियों, खजाना व निवेश नीति आदि की समीक्षा करती है ताकि उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं, विभिन्न वित्तपोषण/निवेश कार्यकलापों से मिली सीखने की अवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक से विनियमों और बदलाव के समय में कटौती के प्रति प्रयास को सुदृढ़ और उनके अनुरूप बनाया जा सके। आपकी कम्पनी ने प्रभावी क्रेडिट जोखिम प्रबंधन और स्वीकृत प्रक्रिया के प्रति प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे क्रिसिल और केयर से प्रीमियर सेवाएं और उत्पाद लिए है।

(घ) प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण बोर्ड रिपोर्ट का भाग है और यह वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

(ङ) पूंजी बाजार के सम्बंध में अनुपालन न करने के विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया और न ही कोई सख्ती अपनायी गई, सिवाय बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा कुछ नियामक प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए लगाए गए जुर्माने के। कंपनी पर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमावली 2015 के विनियम 17(1) और (2ए), 18(1), 19(1) और (2), 20 और 21 के लेखापरीक्षा समिति, निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधानों के गैर-अनुपालन के कारण जुर्माना लगाया गया था। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी और उसके निदेशक मंडल के नियंत्रण-क्षेत्र में नही आती है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया गया कि वे कंपनी पर जुर्माना और उसके आगे की कोई कार्रवाई न करें। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही तक, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया कुल समेकित बकाया जुर्माना 3,47,47,740 रु. (करों सहित) है, जिसमें बीएसई द्वारा माफ किया गया 1,02,31,500 रु. की राशि का जुर्माना भी शामिल है।

(च) आदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण

1. आईएफसीआई ने बोर्ड के स्वतंत्रा निदेशकों की अनुपस्थिति में बोर्ड, हितधारकों की संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति के सिवाय सूचीकरण विनियमों में यथानिर्दिष्ट निगमित शासन प्रणाली की आदेशात्मक अपेक्षाओं का विधिवत् अनुपालन किया गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, जो प्रशासनिक मंत्रालय है, को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन के अनुरोध हेतु पत्र भेजे गए। उक्त नियुक्तियां प्रतीक्षित है।
2. श्री सूर्यकांत गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव ने सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, की अनुसूची V के भाग ग में दिए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। उक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त, श्री सूर्यकांत गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव ने यह भी प्रमाणित किया है कि कम्पनी के बोर्ड पर किसी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त करने या बने रहने से विवर्जित या आयोग्य नही ठहराया गया है।

(छ) सहायक कंपनियाँ

31 मार्च, 2023 तक कंपनी की 6(छः) सहायक कंपनियां थी। जो इस प्रकार है - आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, एमपीसीओएन लिमिटेड और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंपनी की 7(सात) स्टेप-डाउन सहायक कंपनियां भी है- आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड, आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड, आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड, आईएफआईएन सिक्योरिटी फाइनेंस लिमिटेड, स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड और स्टॉकहोल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड। उपरोक्त सभी कंपनियों के संबंध में, सभी लागू लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकतानुसार विधिवत अनुपालन किया गया है, सिवाय ''प्रमुख'' सहायक-कंपनी के बोर्ड में आईएफसीआई के स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर। कंपनी ने ''प्रमुख'' सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए एक नीति भी बनाई है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com / https://www.ifciltd.com/2022/Policy%20for%20determination%20of%20Material%20Subsidiary.pdf पर रखा गया है।

(ज) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत दिया गया प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग है।

(झ) व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) के प्रावधानों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति है जिसे वर्ष के दौरान अपडेट किया गया। व्हिसिल ब्लोअर नीति के तहत, आईएफसीआई के निदेशक और कर्मचारी, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आईएफसीआई की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं/शिकायतों के बारे में ऑडिट समिति के अध्यक्ष को सूचित कर सकते है और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते है। नीति असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करती है। इसके तहत किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नही किया गया है।

(ञ) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

बोर्ड ने कम्पनी के कारोबार मॉडल तथा कम्पनी के कारोबार मानदंडों के जोखिम प्रोफाइल तथा निदेशकों के रूप में उनके दायित्वों के लिए अपने बोर्ड सदस्यों हेतु निदेशक प्रशिक्षण की एक नीति बनाई है।

(ट) विवेकसम्मत अपेक्षाओं के पालन का विवरण

कम्पनी ने **शेयरधारक के अधिकार** के संबंध में सूचीकरण विनियमावली, 2015 के विनियम 27(1) की निम्नलिखित विवेकसम्मत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन्हें अंगीकार किया है: वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को अलग-अलग न भेजकर उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाए और उसे उन स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रसारित किया जाए जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है।

(ठ) ऐसी कोई व्यय खाता बहियों में डेबिट नहीं किया गया है जो कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं है। प्रशासनिक व कार्यालय व्यय तथा वित्तीय व्यय कुल व्यय का क्रमशः 24.47% और 86.38% बनता है, जबकि पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 में यह क्रमशः 9.91% तथा 36.21% था।

(ढ) लिस्टिंग विनियमों के विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट प्रिफेरेंस आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण- वर्ष के दौरान, 16 सितंबर, 2022 को भारत सरकार से 100 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई थी, जो कंपनी की शेयर पूंजी में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में शेयर आवेदन राशि के रूप में थी। इसके बाद, फंड में निवेश करने के लिए भारत सरकार को प्रति इक्विटी शेयर रु.10.76/- (रु.0.76/- के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से 9,29,36,802 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए। धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे जुटाया गया है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी को 07 मार्च 2023 को 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष यानि 2023-24 में आवंटन किया गया है।

(ढ) नेटवर्क फर्म/नेटवर्क कम्पनी, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक भाग है, में सांविधिक लेखापरीक्षक या सभी कंपनियों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध कम्पनी और इसकी सहायक कंपनियों को सभी सेवाओं के लिए अदा किया गया कुल शुल्क - 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेण्डअलोन और समेकित के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे नीचे बताए गए है:

क्रम सं.	लेखा-परीक्षकों को भुगतान का विवरण	स्टैण्डअलोन सूचना (करोड़ रुपए)	समेकित सूचना (करोड़ रुपए)
1.	लेखा-परीक्षा शुल्क	0.27	1.42
2.	प्रमाणन और अन्य सेवाएं	0.06	0.13
3.	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.05	0.09
जोड़		**0.38**	**1.64**

(ण) क्रेडिट रेटिंग

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा नियत रेटिंग और रेटिंग का बदलाव:-

निम्न द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2022	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बदलाव*	31 मार्च, 2023
दीर्घकालीन (बांड/एनसीडी/सावधि ऋण)			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) बीबी	(बीडब्ल्यूआर) बीबी से डाउनग्रेड करके बीडब्ल्यूआर बी+ 04/10/2022 से प्रभावी	(बीडब्ल्यूआर) बी+
इकरा	(इकरा) बी+	रेटिंग (इकरा) बी+ 17/08/2022 से पुन: पुष्टि	(इकरा) बी+
केयर	(केयर) बीबी	रेटिंग (केयर) बीबी 06/07/2022 से पुन: पुष्टि	(केयर) बीबी
अल्पकालीन (वाणिज्यिक पेपर/अल्पकालीन उधार)			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) ए4+	(बीडब्ल्यूआर) ए4+ से डाउनग्रेड करके (बीडब्ल्यूआर) ए4 04/10/2022 से प्रभावी	(बीडब्ल्यूआर) ए4
इकरा	(इकरा) ए4	रेटिंग (इकरा) ए4 17/08/2022 को पुन: पुष्टि	(इकरा) ए4
अधीनस्थ बाण्ड			
केयर	(केयर) बीबी	रेटिंग (केयर) बीबी 06/07/2022 से पुन: पुष्टि	(केयर) बीबी
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) बीबी	(बीडब्ल्यूआर) बीबी से डाउनग्रेड करके बीडब्ल्यूआर बी+ 04/10/2022 से प्रभावी	(बीडब्ल्यूआर) बी+
इकरा	(इकरा) बी+	रेटिंग (इकरा) बी+ 17/08/2022 से पुन: पुष्टि	(इकरा) बी+

*डाउनग्रेड के औचित्य और अन्य विवरण कृपया बीएसई और एनएसई की वेबसाइट को देखें।

(त) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन:

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दाखिल शिकायतों की संख्या:- शून्य

(ख) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या:- शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या:- शून्य

(थ) ऋणों या अग्रिमों पर प्रकटीकरण: कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किसी भी ऐसी फर्म या कंपनी को कोई ऋण या अग्रिम या उधार नहीं दिया गया है, जिनमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित हो।

(द) सामग्री सहायक कंपनियों पर प्रकटीकरण:

सामग्री सहायक कंपनियों का नाम	संस्थापन की तारीख	निगमीकरण का स्थान	वैधानिक लेखा परीक्षक का नाम	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्तिध्या पुन: नियुक्ति की तिथि
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	10/10/2007	दिल्ली	रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी	31/08/2022
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28/07/1986	मुंबई	जी डी आप्टे एंड कंपनी	29/08/2022

(ध) वर्ष के दौरान कोई कमोडिटी धारण और/या व्यापार नहीं किया गया था। बकाया ईसीबी से संबद्ध विदेशी विनिमय जोखिम को करेंसी स्वैप/फ्यूचर/वायदा संविदा के रूप में हैजिंग के द्वारा कम किया गया है।

9. सम्प्रेषण के साधन:

आईएफसीआई के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय परिणाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस (सभी संस्करणों में अंग्रेजी) और जनसत्ता (सभी संस्करणों में हिंदी) समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां कंपनी की वेबसाइट (www.ifciltd.com / https://www.ifciltd.com/?q=en/content/financial-reports-0) पर भी प्रदर्शित की जाती है। सभी मूल्य-संवेदनशील जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना के माध्यम से जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाती है, जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड का। वर्ष के दौरान, संस्थानात्मक निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया।

10. शेयरधारकों के संबंध में सामान्य सूचना:

(i) वार्षिक महासभा

दिनांक : दिसम्बर 20, 2023

समय : प्रात: 11:30 बजे

स्थान : सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (इलेक्ट्रॉनिक साधन)

(ii) वित्तीय कैलेण्डर(अस्थायी):

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के परिणाम	: 11 अगस्त, 2023 का दूसरा सप्ताह
30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के परिणाम	: 08 नवम्बर, 2023 का दूसरा सप्ताह
31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के परिणाम	: फरवरी, 2024 का दूसरा सप्ताह
31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के परिणाम	: मई, 2024 का तीसरा सप्ताह

(iii) लेखाबंदी की तारीखें : गुरुवार, दिसंबर 14, 2023 से बुधवार, दिसंबर 20, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित)

(iv) लाभांश अदायगी की तारीख : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कम्पनी ने इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश की घोषणा नहीं की है।

(v) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता:

(क) इक्विटी शेयर दोनो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है:

-बीएसई लि. (बीएसई)
निगमित सेवाएं विभाग
25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400001

-दि नेशनल स्टॉक एकसचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएसई)
एक्सचेंज प्लाजा,
प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051

टिप्पणी:

(ब) वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, आईएफसीआई ने सभी फैमिली बांडों का मोचन कर दिया था और इन बांडों की सूचीबद्धता समाप्त करने की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी थी। सीरीज 47 से सीरीज 62 के अधीन निजी धारण के अधीन जारी किए गए बांड, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड (सीरीज 3) सबऑर्डिनेट बांड (सीरीज 5), कर-मुक्त बांड तथा पूर्ववर्ती एसएलआर बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। सार्वजनिक निर्गम की मार्फत जारी किए गए प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

(स) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क बीएसई तथा एनएसई को अदा किया जा चुका है।

(vi) स्टॉक कोड (इक्विटी) : 500106 (बीएसई)
आईएफसीआई (एनएसई)

आईएसआईएन संख्या
इक्विटी शेयर : आईएनई039ए01010

(vii) बाजार मूल्य आंकड़े: **(मूल्य रुपए में)**

माह एवं वर्ष	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बम्बई स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2022	13.75	11.15	13.74	11.12
मई, 2022	11.60	9.00	11.59	9.01
जून, 2022	11.05	8.25	11.04	8.30
जुलाई, 2022	10.15	8.60	10.13	8.60
अगस्त, 2022	11.55	9.70	11.50	9.70
सितम्बर, 2022	12.70	9.45	12.65	9.46
अक्तूबर, 2022	10.70	9.40	10.70	9.28
नवम्बर, 2022	14.15	9.95	14.14	9.98
दिसम्बर, 2022	16.65	11.65	16.65	11.66
जनवरी, 2023	14.90	11.75	14.89	11.75
फरवरी, 2023	12.90	10.70	12.91	10.78
मार्च, 2023	11.95	9.00	11.95	9.03

स्रोत: एनएसई/बीएसई

viii) व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में कार्य-निष्पादन:

वर्ष के दौरान एनएसई निफ्टी की तुलना में आईएफसीआई के शेयर का मूल्य:

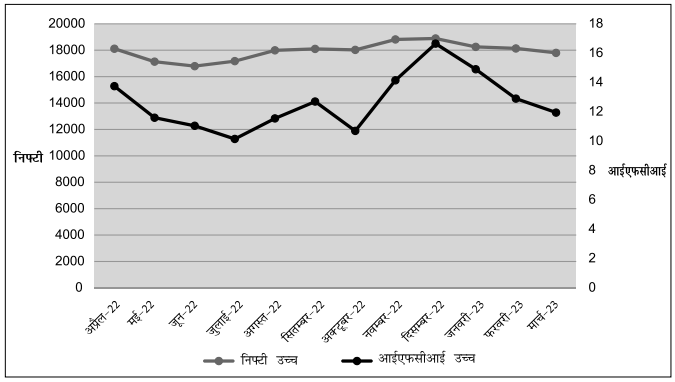

वर्ष के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आईएफसीआई के शेयर का मूल्य:

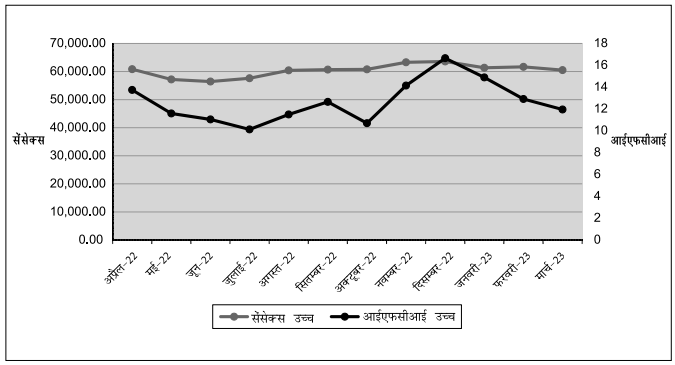

(ix) रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट्स (उनके पत्राचार विवरण सहित):

इक्विटी शेयरों व फैमिली बॉण्ड दोनों के लिए
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.
एफ-65, पहली मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020
वेबसाइट: www.mcsregistrars.com
ई-मेल: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
admin@mcsregistrars.com
bonds@mcsregistrars.com
फोन: 011-41406149/50/51/52

इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (सीरीज I व II) के लिए
बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसिज (प्रा.) लि.
बीटल हाऊस, तीसरा तल, 99 मदनगीर
लोकल शॉपिंग सेन्टर के पीछे
दादा हरसुखदास मंदिर के सामने
नई दिल्ली-110062
वेबसाइट: www.beetalfinancial.com
ई-मेल: ifci@beetalfinancial.com,
ifciinfrabonds@gmail.com
फोन: 011-29961281-83

इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (सीरीज III, IV व V) और प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों टैंच I व II के लिए	केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. सिलेनियम टावर बी, प्लाट नं. 31 व 32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सरलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 वेबसाइट: www.kfintech.com ई-मेल: einward.ris@kfintech.com फोन: 040-67162222
सबऑर्डिनेट बॉण्ड (सीरीज I व III) के लिए	लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली पश्चिम, मुम्बई-400083 वेबसाइट: www.linkintime.co.in ई-मेल: bonds.helpdesk@linkintime.co.in Team.bonds@linkintime.co.in फोन: 022-49186000/ 8108116767
अन्य सभी निजी रूप से धारित, कर-मुक्त बॉण्ड तथा अन्य किसी पूछताछ के लिए	आईएफसीआई लिमिटेड आईएफसीआई टावर 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677 वेबसाइट: www.ifciltd.com ई-मेल: ppbonds@ifciltd.com tier2bonds@ifciltd.com फोन: 011 – 41732000/41792800

(x) शेयर-अन्तरण पद्धति:

दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के साथ पठित सेबी की गजट अधिसूचना दिनांक 08 जून, 2018 के अनुसरण में 01 अप्रैल, 2019 से शेयरों का भौतिक स्थानांतरण रोक दिया गया है, अत: शेयरों के स्थानांतरण के पुराने मामले त्रुटियों को ठीक करने के बाद भौतिक रूप से प्राप्त शेयर आदि उनकी प्राप्ति की तारीख से 15/30 दिन की अवधि के भीतर स्थानांतरित कर दिए जाते है, बशर्ते कागजात वैध तथा सभी प्रकार से पूरे हों।

(xi) शेयरधारिता का वितरण (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार):

31 मार्च, 2023 को आईएफसीआई में शेयरधारकों की इक्विटी शेयरधारिता की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार है:

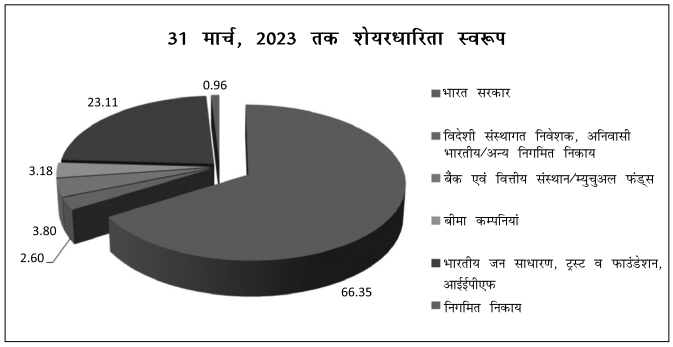

(क) शेयरधारिता का स्वरूप:

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई के इक्विटी शेयरों की शेयरधारिता का स्वरूप नीचे दिया गया है:

श्रेणी	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत सरकार	1,45,68,90,872	66.35	1,36,39,54,070	64.86
बैंक और वित्तीय संस्थान व म्युचुअल फंड्स	8,34,94,792	3.80	8,36,33,792	3.98
बीमा कम्पनियां	6,97,83,427	3.18	8,75,12,368	4.16
निगमित निकाय	2,10,24,397	0.96	2,04,82,947	0.97
विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय व अन्य निगमित निकाय	5,70,32,101	2.60	6,32,24,185	3.01
सार्वजनिक	50,77,02,518	23.12	48,41,83,943	23.02
जोड़	**2,19,59,28,107**	**100.00**	**2,10,29,91,305**	**100.00**

(ख) 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वितरण अनुसूची विस्तार का विश्लेषण:

क्रम सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
	से	तक				
1	1	500	405304	77.8522	61326964	2.7928
2	501	1000	50655	9.7300	42688638	1.9440
3	1001	2000	28825	5.5368	45166196	2.0568
4	2001	3000	10954	2.1041	28523349	1.2989
5	3001	4000	5080	0.9758	18487383	.8419
6	4001	5000	5330	1.0238	25540681	1.1631
7	5001	10000	7842	1.5063	59616503	2.7149
8	10001	50000	5647	1.0847	118496365	5.3962
9	50001	100000	591	0.1135	43531993	1.9824
10	100001 से ऊपर		379	0.0728	1752550035	79.8091
	जोड़		**520607**	**100.00**	**2195928107**	**100.00**

(xii) शेयरों को डी-मैट करना तथा तरलता:

31 मार्च, 2023 तक कम्पनी के लगभग 99.59% इक्विटी शेयरों को पहले ही डी-मैट किया जा चुका है। आईएफसीआई के शेयर देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और इनकी खरीद-फरोख्त सक्रिय रूप से होती है।

डी-मैट शेयर

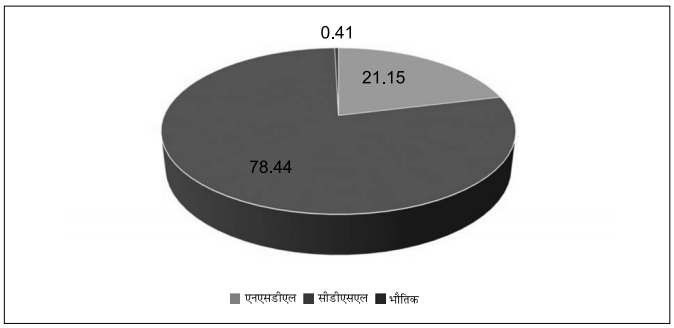

xiii) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय प्रलेख:

इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन के लिए कोई जीडीआर/एडीआर या वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय प्रलेख विचाराधीन नही है।

xiv) पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई एक सरकारी वित्तीय संस्थान और एक सरकारी कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 है।

क्षेत्रीय कार्यालय: हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई।

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में दिए गए अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कम्पनी ने बोर्ड के सदस्यों और अपने कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को अपनाया है। इस प्रकार अपनाई गई आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भी पुष्टि की जाती है कि कम्पनी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी के सभी कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों से उन पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा प्राप्त हुई है।

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसार प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसरण में निम्नानुसार यह प्रमाणित किया जाता है:

(क) वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद-प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई तथ्यात्मक असत्य विवरण नहीं दिया गया है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छुपाया गया है अथवा ऐसे विवरण नहीं है जो भ्रामक हो सकते है;

(ii) ये विवरण मिल कर कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं सही स्थिति प्रस्तुत करते है तथा विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप है।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया, जो धोखाधड़ी युक्त, अवैध अथवा कम्पनी की आचार-संहिता के विरुद्ध हो।

(ग) हम आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए उन्हें बनाए रखने का दायित्व स्वीकारते है और कि हमने कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा हमने ऐसे आन्तरिक नियंत्रणों के निरूपण या परिचालन में उन कमियों, यदि कोई हों, जिनकी हमें जानकारी थी, की सूचना लेखा-परीक्षकों एवं लेखा-परीक्षा समिति को दी है और हमने इन कमियों को दूर करने के प्रयास किए है और इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव करते है।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचना दी है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा कि इन्हें वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकटन करने के बारे में और

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाओं, जिनकी हमें जानकारी मिली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की उसमें सहभागिता, यदि कोई हो, के बारे में।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण इंड एएस के आधार पर तैयार किए गए है जो 18 जनवरी, 2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज पर आधारित 01 अप्रैल, 2018 को कम्पनी पर लागू होते है। भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य विनियामकों द्वारा जारी कोई अनुप्रयोग/मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निदेशों को उनके जारी होने पर क्रियान्वित किया जाएगा/प्रयोज्य बनाया जाएगा।

	ह./- **प्रसून**	ह./- **मनोज मित्तल**
दिनांक: 25 मई, 2023	मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली		डीआईएन: 01400076

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट

मैसर्स आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड (''कम्पनी'') द्वारा निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में निर्धारित किया गया था।

निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबन्धन का है। हमारी जांच कम्पनी द्वारा निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कम्पनी की लेखा-परीक्षा है और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते है कि:

(1) आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में बोर्ड, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति, स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन को छोड़कर कम्पनी ने उपर्युक्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में यथानिर्धारित निगमित शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन किया है।

(2) आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में किसी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशकों के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से विवर्जित या आयोग्य नहीं ठहराया गया है।

हम यह भी उल्लेख करते है कि यह अनुपालन न तो कम्पनी की भावी लाभप्रदता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबन्धन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

सूर्यकान्त गुप्ता
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
सीपी नं.: 10828
सदस्यता सं.: एफ9250
यूडीआईएन: एफ009250ई001375571
सहकर्मी समीक्षा सं.: 907/2020

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2023
स्थान: दिल्ली

कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

खण्ड क: सामान्य सूचना

I. सूचीबद्ध ईकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध की पहचान संख्या (सीआईएन)	एल74899डीएल1993जीओआई053677
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आईएफसीआई लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1993
4.	कार्यालय का पंजीकृत पता	आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
5.	कॉरपोरेट पता	आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
6.	ई-मेल	complianceofficer@ifciltd.com
7.	फोन	011-41732000
8.	वेबसाईट	www.ifciltd.com
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिर्पोटिंग की जा रही है	2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंजों का नाम जहॉ शेयर सूचीबद्ध है	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंण्डिया लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	₹ 2195,92,81,070
12.	नाम और संपर्क विवरण उस व्यक्ति का (फोन, ईमोल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:	श्रीमती प्रियंका शर्मा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी फोन: 011-41732000 ईमेल: complianceofficer@ifciltd.com;
13.	रिपोर्टिंग सीमा- क्या इस रिपोर्ट के तहत किये गये प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात एकल कंपनी के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात मूल कंपनी और सभी सहायक संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा है, को एक साथ लेकर) किये गये है।	स्टेण्डअलोन आधार पर

II. उत्पाद/सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	संस्था के कारोबार का %
1.	वित्त-पोषण गतिविधि	ब्याज आय	80%

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	वित्त-पोषण गतिविधि	64920	80%

III. क्रियाकलाप

16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या क्रियाकलाप/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	शून्य	04 संख्या	04 संख्या
अंतराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

17. संस्था द्वारा सेवित बाजार

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	4 (मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है? लागू नहीं है क्योंकि आईएफसीआई निर्यात में शामिल नहीं है।

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण: 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार, आईएफसीआई के कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की संख्या 432 है।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख / क)	सं. (ग)	% (ग / क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	149	99	66.44	50	33.56
2.	स्थायी (ङ) के अलावा अन्य	8	7	87.50	1	12.50
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	157	106	67.52	51	32.48
	श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	1	1	100.00	शून्य	शून्य
5.	स्थायी (छ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**कुल श्रमिक (च + छ)**	1	1	100.00	शून्य	शून्य

ख. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख / क)	सं. (ग)	% (ग / क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	1	शून्य	शून्य	1	100.00
2.	स्थायी (ङ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)**	1	शून्य	शून्य	1	100.00
	दिव्यांग श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	स्थायी (छ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**कुल दिव्यांग श्रमिक (च + छ)**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख / क)
निदेशक बोर्ड	7	0	00.00
प्रमुख प्रबंध कार्मिक	3	1	33.33

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान प्रकट करें)

	वित्तीय वर्ष 2022 - 23 (चालू वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)*			वित्तीय वर्ष 2021 - 22 (पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)*			वित्तीय वर्ष 2020 - 21 (पिछले वित्तीय वर्ष से पहले के वर्ष में टर्नओवर दर)*		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	5.26	5.45	10.71	4.96	8.26	13.22	3.68	4.44	8.12
स्थायी श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*स्वैच्छिक अलगाव (अर्थात त्याग पत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)।

V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

21. (क) होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम में से क्या है, इंगित करें	सूचीबद्ध संस्थान द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम 'क' में इंगित संस्थान, वित्तीय 2022–23 में सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारिक दायित्व पहल में भाग लेता है? (हाँ/नहीं)
1	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)	सहायक	52.86%	नही
2	स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड (एसडीएमएसएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएचसीआईएल द्वारा 100% धारित	नही
3	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड (एसएसएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएचसीआईएल द्वारा 100% धारित	नही

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम में से क्या है, इंगित करें	सूचीबद्ध संस्थान द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम 'क' में इंगित संस्थान, वित्तीय 2022–23 में सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारिक दायित्व पहल में भाग लेता है? (हाँ/नहीं)
4	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड (एसएसआईएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएचसीआईएल द्वारा 100% धारित	नही
5	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन)	सहायक	94.78%	नही
6	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड (आईसीओएम)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईएफआईएन द्वारा 100% धारित	नही
7	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड (आईसीएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईएफआईएन द्वारा 100% धारित	नही
8	आईएफआईएन सिक्योरिटी फाइनेंस लिमिटेड (आईएसएफएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईएफआईएन द्वारा 100% धारित	नही
9	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल)	सहायक	100%	नही
10	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड (आईआरपीएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईआईडीएल द्वारा 100% धारित	नही
11	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ)	सहायक कम्पनी	98.59%	नही
12	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल)	सहायक कम्पनी	99.90%	नही
13	एमपीकॉन लिमिटेड	सहायक कम्पनी	79.72%	नही
14	किटको	सहयोगी कम्पनी	20.26%	नही

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: हाँ

(ii) टर्नओवर (रूपये में) 5341086270

(iii) निवल मूल्य (रूपये में) 6260832957

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) के बारे में शिकायत/शिकायतें:

स्टेक होल्डर समूह, जिससे शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है? (हाँ/नहीं), यदि हां तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2021–22		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	लागू नही	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारको के अलावा)	हाँ (www.ifciltd.com)	8,406	-	-	2,244	-	-
शेयरधारक		269	-	-	492	-	-
कर्मचारी और श्रमिक		11	02	लबित शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।	06	06	-
ग्राहक		-	-	-	-	-	-
वैल्यू चैन साझेदार	लागू नही	-	-	-	-	-	-
अन्य (कृप्या निदिष्ट करें)	लागू नही	-	-	-	-	-	-

24. संस्था की महत्त्वपूर्ण उत्तरदायी व्यवसाय आचरण मुद्दो का सामान्य विवरण

क्र. सं.	निरुपित किए गए महत्त्वपूर्ण मुद्दे	जोखिम है या अवसर, इंगित करे।	जोखिम/अवसर के निरुपण का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करे।
1.	व्यावसायिक नैतिकता एवं शासन	अवसर	व्यवसाय प्रथाओं को नैतिकता एवं शासन के उच्चतम मानकों के अनुरूप बनाने से कंपनी को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलती है। यह कंपनी को जिम्मेदार और नैतिक निर्णय लेने में भी सहायता करता है, जिससे कॉर्पोरेट घोटालों और धोखाधड़ी को रोका जा सकता है।	–	सकारात्मक नैतिक व्यवहार अपनाने से ग्राहक निष्ठा में सुधार होता है, जिसके परिणामस्वरूप हितधारकों का कंपनी में विश्वास बढ़ता है। इससे खर्चो में भी कमी आती है, क्योंकि कंपनी को अनैतिक या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण वित्तीय हानियां नहीं उठानी पड़ती है।
2.	अनुपालन	जोखिम एवं अवसर	**जोखिम** अनुपालन विफलता के जोखिम के कारण कानूनी दंड, मौद्रिक शुल्क और जुर्माना लगाया जा सकता है और कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। **अवसर** लागू नियमों और विनियमों का निरंतर अनुपालन, निवेशकों का विश्वास बनाए रखता है और हितधारकों के भरोसे को मजबूत करता है, जिससे प्रतिष्ठा और वित्तीय लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है।	संबंधित अनुपालन अधिकारी नियमित रूप से नवीनतम और अद्यतन कानूनी नियमों और विनियमों के संबंध में अपडेट का पालन करते है और इन अद्यतनों का अनुपालन सुनिश्चित करते है। समूचे संगठन के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।	सकारात्मक इससे गैर-अनुपालन के कारण होने वाले खर्चो की बचत होती है। ऐसे खर्चो में जुर्माना, दंड और अन्य कानूनी शुल्क शामिल है। नकारात्मक जुर्माना/शुल्क/जुर्माना लगने से प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम भी पैदा होते है।
3.	डेटा सुरक्षा	जोखिम एवं अवसर	**जोखिम** डेटा सुरक्षा के लिए जोखिम से साइबर सुरक्षा हमले और आगे डेटा उल्लंघन हो सकते है जो कंपनी डेटा की सुरक्षा से समझौता कर सकते है। **अवसर** डेटा पर बढ़ती निर्भरता के कारण, डेटा सुरक्षा बनाए रखने से कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ-साथ बेहतर प्रतिष्ठा भी हासिल होती है। इससे उन खर्चो की भी बचत हो सकती है जो संभावित रूप से सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़े मुद्दों के कारण पैदा हो सकते है।	डेटा सुरक्षा पर एक मजबूत नीति बनाए रखने से डेटा सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है।	सकारात्मक यह जोखिमों को कम करने और डेटा सुरक्षा नियमों व विनियमों के गैर-अनुपालन से जुड़े संभावित जोखिमों को बचाने में मदद करता है। डेटा सुरक्षित रखने से कंपनी का संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहेगा।

क्र. सं.	निरुपित किए गए महत्त्वपूर्ण मुद्दे	जोखिम है या अवसर, इंगित करे।	जोखिम/अवसर के निरुपण का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करे।
4.	पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण	अवसर	कंपनी के वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों पहलुओं के प्रकटीकरण से, संबंधित हितधारकों और शेयरधारकों के बीच कंपनी के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनाने में मदद मिलती है। पारदर्शिता बनाए रखने, विशेष रूप से कंपनी के गैर-वित्तीय विवरणों के बारे में, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन-संबंधी पहलुओं के विवरण शामिल रहते हैं, से कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।	-	सकारात्मक इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे निवेशकों से अधिक निवेश आकर्षित होता है।
5.	कर्मचारी कल्याण	अवसर	कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक, छुट्टियाँ, अवकाश और कौशल विकास के अवसर जैसे लाभ प्रदान करने से कर्मचारियों की संतुष्टि और वफादारी बढ़ती है और साथ ही, मौजूदा प्रतिभा को बनाए रखने और नई प्रतिभा को आकर्षित करने में मदद मिलती है।	- -	सकारात्मक कर्मचारी कल्याण प्रदान करने से कर्मचारियों की संतुष्टि, वफादारी, उत्पादकता और प्रतिधारण में वृद्धि होगी, जिससे कंपनियों को आवश्यक कार्यबल बनाए रखने और सकारात्मक छवि बनाने में मदद मिलेगी। इससे अनुपस्थिति और भर्ती से संबंधित व्यय भी कम हो जाते हैं।
6.	डिजिटाइजेशन	अवसर	परिचालन प्रक्रियाओं का तेजी से और निरंतर डिजिटलीकरण करने से, व्यवसाय-संचालन को पेपर-लेस प्रोसेसिंग चक्र में पहुंचाने में मदद मिलती है।		सकारात्मक इससे लागत बचत सुनिश्चित होती है और सरकार की हरित पहल में भी योगदान सुनिश्चित होता है।

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा 2018 में उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एन.जी.आर.बी.सी.) निर्धारित किए गए थे। जो 2011 में एमसीए द्वारा व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जिम्मेदारियों के बारे में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों (एनवीजी) के आधार पर बनाए गए हैं। एन.जी.आर.बी.सी. को उद्योग एवं व्यवसायों को नियामक अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं से परे प्रदर्शन करने और उन्हें पर्यावरण एवं सामाजिक सहित व्यापक विकास लक्ष्यों में योगदान करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एन.जी.आर.बी.सी. नीचे दिए गए पी1-पी9 नामक नौ सिद्धांतों की पैरवी करता है:

पी1 व्यवसायों को ईमानदारी से और नैतिक, पारदर्शी व जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए।

पी2 व्यवसायों को ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए एवं ऐसी सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों।

पी3 व्यवसायों को अपने कर्मचारियों और अपनी मूल्य शृंखला के सभी कर्मचारियों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए।

पी7 व्यवसायों को, यदि सार्वजनिक और नियामक नीति में भागीदार बनाया जाता है, तो उन्हें पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शी तरीके से यह कार्य करना चाहिए।

पी8 व्यवसायों को सदैव समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

पी9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें उचित महत्व प्रदान करना चाहिए।

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती है। (हाँ/नही)	हां	हां	हां	हां	नही	हां	नही	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	-	हां	-	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	#	$	$	#		$		#	#
2. क्या संस्था ने नीति/नीतियों को प्रक्रियाओं में बदला है। (हाँ/नही)	हां	हां	हां	हां	-	हां	-	हां	हां
3. क्या सूचीकृत नीतियां आपके वेल्यू चेन पार्टनरों पर भी लागू है? (हाँ/नही)	हां	हां	हां	हां	-	हां	-	हां	हां
4. आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के साथ मैप किए गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/ प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. संस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।	-	-	-	-	-	@	-	-	-
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उददेश्यों को पूरा करने में संस्था का कार्य निष्पादन और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उसके कारण बताए	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	@	लागू नही	लागू नही	लागू नही

शासन प्रणाली, नेतृत्व और निरीक्षण

7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, कारोबार देयता रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का कथन (सूचीबद्ध कंपनी को इस प्रकटीकरण के संबंध में कुछ छूट प्राप्त है)

एक एनबीएफसी होने के नाते आईएफसीआई में उपरोक्त सिद्धांतों की प्रयोज्यता सीमित है। हालाँकि, कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन करते समय पर्यावरण, समुदायों के सामाजिक कल्याण और सर्वोत्तम शासन प्रथाओं के प्रति सजग है। कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का नियमानुसार पालन करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, ईएसजी के तहत कंपनी में सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से या इस संबंध में भारत सरकार की पहलों का समर्थन करके योगदान करने के प्रयास किए जा रहे है। कंपनी अपने कर्मचारियों एवं व्यावसायिक सहयोगियों को स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ और निष्पक्ष कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करती है। अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए, आईएफसीआई ने एक विशेष सीएसआर नीति एवं आचार संहिता भी बनायी है।

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	निदेशको की व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति
9. क्या कंपनी के पास सस्टेनेबिलिटी संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की कोई निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें।	हां, आईएफसीआई के पास बीआरएसआर के लिए बोर्ड की एक निर्दिष्ट समिति है यानी निदेशकों की व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा के विषय	इंगित करें कि क्या समीक्षा निदेशक/ बोर्ड की समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा की गई									कितनी बार (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/ किसी अन्य आधार पर, कृपया बतायें)								
	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
उपरोक्त नीतियों के सम्बन्ध में कार्य निष्पादन और अनुवर्तन कार्रवाई	समीक्षा निदेशको की समिति द्वारा की जा रही है।									वार्षिक समीक्षा								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी गैर-अनुपालन में सुधार																		

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी से अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन करवाया है?(हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं।	**पी.1**	**पी.2**	**पी.3**	**पी.4**	**पी.5**	**पी.6**	**पी.7**	**पी.8**	**पी.9**
	नही, लेकिन आईएफसीआई के बोर्ड द्वारा नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन नियमित आधार पर आंतरिक रूप से की जाती है।								

प्रासंगिक नीतियों के लिंक इस रिपोर्ट के अंत में दिये गये है।

$ पॉलिसी आंतरिक दस्तावेज है, इस कारण यह केवल कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध है।

@ हरित विद्यमान इमारतों के लाभ:-

पिछले साल कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को **ग्रीन बिल्डिंग** में बदलने का लक्ष्य रखा था। वर्ष के दौरान कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन

बिल्डिंग के रूप में मान्यता दे दी गई है।

हरित विद्यमान इमारतों से मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के उल्लेखनीय लाभ हो सकते है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ पानी और ऊर्जा की खपत में कमी है। ऊर्जा और जल-बचत से परिचालन संबंधी बचत 5-10% तक हो सकती है। भवन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थो को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। हरित विद्यमान इमारतों के अमूर्त लाभों में उच्च वायु गुणवत्ता, स्वास्थ्य और वहां रहने वाले या कार्यरत लोगों की संतुष्टि का उच्च स्तर शामिल है। रेटिंग प्रणाली में शामिल राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ निम्नलिखित है:

- जल संरक्षण
- उपभोक्ता अपशिष्ट का प्रबंधन
- ऊर्जा की बचत
- नई सामग्रियों पर निर्भरता कम
- रहने वालों का स्वास्थ्य एवं कल्याण।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नही'' है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नही आते है, बताए जाने वाले कारण:

प्रश्न	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
संस्था अपने व्यवसाय के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हाँ/नही)									
संस्था उस स्तर पर नही है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नही)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नही है (हाँ/नही)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नही)									
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)					#		#		

(#) एक एनबीएफसी होने के कारण, यह सिद्धांत लागू नहीं होता या सीमित मात्रा में लागू होता हैं। हालांकि, कंपनी भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों/ दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करती है।

खंड ग: सिद्धांत-वार कार्य निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 - व्यवसायों को पूरी निष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित किया जाए और इन सिद्धान्तों द्वारा अधिशासित होने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष में, सिद्धांतों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल विषय/ सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक बोर्ड	1	नियामक अद्यतन-सिद्धांत 1	100.00
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2	एडवांस बिजनेस नेगोशिएशन कार्यक्रम/ज्ञान साझाकरण सत्र: सीख और अनुभव-सलाहकारिता सेवाएं, डिकोड बीआरएसआर फ्रेमवर्क और अनुपालन तैयारी- 3 -दिवसीय कार्यक्रम - सिद्धांत 1 और 6	66.66
बीओडी और केएमपी के अलावा कर्मचारी	142	निवारक सतर्कता, वित्तीय मॉडलिंग, वित्तीय योजना, पीओएसएच, जीएसटी और अन्य व्यवहार-संबंधी कार्यक्रम - सिद्धांत 1, 5 और 6	98.00
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य

प्रभाव: उक्त विषयों/सिद्धांतों पर आयोजित प्रशिक्षणों ने कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सतर्क, नैतिक और जवाबदेह बनाने के साथ-साथ व्यवसाय की स्थिरता और जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद की।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/क्षतिपूर्ति/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (कंपनी या निदेशकों/केएमपी द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में दिया गया है (नोट करें: संस्था सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए अनुसार वास्तविक आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

शून्य

3. उपर्युक्त प्रश्न-2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण दिया गया है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

शून्य

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का कोई वेब-लिंक प्रदान करें।

इस संबंध में कंपनी में एक सतर्कता तंत्र बनाया गया है और कंपनी द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय भी अपनाए गए हैं:-

(i) फेयर प्रैक्टिस कोड - आईएफसीआई में फेयर प्रैक्टिस कोड के दिशानिर्देश कंपनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=en/content/fair-practices-code पर दिये गये इस लिंक पर उपलब्ध है।

(ii) कंपनी भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी के संबंध में सीवीसी की प्रक्रियाओं और मानदंडों तथा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित पीआईडीपीआई संकल्प (जनहित प्रकटीकरण और शिकायतकर्ता संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) जिसमें सीवीसी एक नामित एजेंसी है, का भी पालन करती है।

(iii) उपरोक्त के अलावा, आईएफसीआई ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई है।

(iv) अनुबंध या ठेके देने के बारे में, आईएफसीआई के पास एक केंद्रीकृत खरीद नीति है जिसे आईएफसीआई के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

5. **निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:** कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों पर रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार का कोई आरोप नही लगाया गया है। इसलिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई आवश्यकता नही है।

6. **हितो के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:** समीक्षाधीन अवधि के दौरान हितों के टकराव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुर्माने/दण्ड से संबंधित मुद्दों पर नियामक/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं, क्योंकि कोई मामला रिपोर्ट नही हुआ है।

नेतृत्व संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम: **शून्य**
2. क्या कंपनी के पास बोर्ड सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/उनका प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं है? (हां/नही) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें। **हाँ** कंपनी के पास बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता है, जो अन्य मामलों के साथ-साथ, उनके हितों के टकराव से निपटने की प्रक्रिया को भी कवर करती है। यह नीति https://www.ifciltd.com/?q=en/content/code-conduct पर उपलब्ध है।

सिद्धांत-2: व्यवसायों को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से सामग्री और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में संस्था द्वारा आवश्यक संकेत किए गए आरएण्डडी एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश का कुल आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश में प्रतिशत।

शून्य, चूंकि कंपनी वित्तीय सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है, ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय का दायरा सीमित है।

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी तौर पर निवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं है?

हाँ

ख. यदि हाँ, तो कितना प्रतिशत निवेश स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?

83.85%, आईएफसीआई की केंद्रीकृत खरीद नीति को नवंबर 2022 में संशोधित किया गया है, जो (i) माल एवं सामग्री खरीद मैनुअल, (ii) कार्य खरीद मैनुअल और (iii) परामर्शदात्री एवं अन्य सेवाएं प्राप्ति मैनुअल, जिसमें सार्वजनिक खरीद संबंधी सभी सीवीसी दिशानिर्देशों का विलय कर दिया गया है, की तर्ज पर शासकीय नियमों सहित नवीनतम नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप है। आईएफसीआई सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) और सीपीपी पोर्टल (सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल), जहां विक्रेता पंजीकृत होते है, की सेवाओं का लाभ उठा रहा है।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट पदार्थ के सम्बन्ध में अंत में अपने उत्पादों को सुरक्षित तरीके से दुबारा इस्तेमाल करने के लिए, उनके दुबारा उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान की प्रक्रियाओं का वर्णन करें,

लागू नहीं, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग में सिंगल-यूज प्लास्टिक आधारित स्टेशनरी सामग्री और क्रॉकरी सामग्री का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है।

4. क्या संस्था की गतिविधियों पर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू होता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी भौतिक यानि ठोस उत्पादों के निर्माण या बिक्री कार्य में शामिल नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कंपनी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग हेतु) या अपनी किन्हीं सेवाओं (सेवा उद्योग हेतु) का जीवन चक्र अवलोकन/आकलन (एलसीए) किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

   एनबीएफसी कंपनी होने के नाते आईएफसीआई पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है या इसकी सीमित प्रयोज्यता है। हालाँकि, कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी किये गए लागू निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करने की दिशा में प्रयासरत है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम है, जैसा कि जीवन चक्र अवलोकन/आकलन (एलसीए) या कोई अन्य ज्ञात जोखिम, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें, साथ में जोखिम कम करने के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख भी करें। **लागू नहीं**

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग हेतु) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग हेतु) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

   व्यवसाय और संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा किया गया पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की में लायी गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग की, मात्रा (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित तरीके से निपटान संबंधी विवरण, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें: **लागू नहीं**

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों का प्रतिशत)। **लागू नहीं, क्योंकि आईएफसीआई भौतिक उत्पादों बिक्री नहीं करती है।**

सिद्धांत-3: व्यवसायों द्वारा अपनी वैल्यू चेन्स में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का आदर किया जाए और उसे बढ़ाया जाए।

आवश्यक संकेतक

1. (क) कर्मचारियों के कल्याण के लिये उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियो का प्रतिशत										
	कुल(क)	स्वास्थ्य बीमा*		दुर्घटना बीमा**		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे-केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/क)	संख्या (ड़)	प्रतिशत (ड़/क)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/क)
	स्थायी कर्मचारी (अधिकारी)										
पुरूष	99	99	100	99	100	शून्य	शून्य	99	100	99	100
महिला	50	50	100	50	100	50	100	शून्य	शून्य	50	100
कुल	149	149	100	149	100	50	33.56	99	66.44	149	100
*आईएफसीआई की अपनी चिकित्सा योजना है।											
**आईएफसीआई की जीटीएलआई नीति सभी स्थायी कर्मचारियों और दो संविदा कर्मचारियों को कवर करती है।											
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरूष	7	7	100	7	100	शून्य	शून्य	7	100	7	100
महिला	1	1	100	1	100	1	100	शून्य	शून्य	1	100
कुल	8	8	100	8	100	1	12.50	7	87.50	8	100

(ख) श्रमिको के कल्याण के लिए किए गए उपायो का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए श्रमिको का प्रतिशत										
	कुल(क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे-केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/क)	संख्या (ड़)	प्रतिशत (ड़/क)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/क)
	स्थायी श्रमिक										
पुरूष	1	1	100	1	100	शून्य	शून्य	1	100	1	100
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	1	100	1	100	शून्य	शून्य	1	100	1	100
	स्थायी श्रमिको के अलावा										
पुरूष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृति लाभों का विवरण:-

	वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
लाभ	**कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या**	**कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिको की संख्या**	**प्राधिकरण के पास घटाया और जमा किया (हाँ/नहीं/ लागू नहीं)**	**कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या**	**कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिको की संख्या**	**प्राधिकरण के पास घटाया और जमा किया (हाँ/नहीं/ लागू नहीं)**
भविष्य निधि	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ग्रेच्युटी	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)						

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए आसान पहुंच है? यदि नही, तो क्या इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, आईएफसीआई लिमिटेड के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं।

दिव्यांग जनों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप, आईएफसीआई ने रैप, रेलिंग, वॉशरूम जैसी विशेष सुविधाएं स्थापित की है और उनकी जरूरतों के अनुसार अन्य आवश्यक बदलाव भी किए है:-

1. **रैप/रेलिंग और असेंबली एरिया:**- आईएफसीआई के पास दिव्यांग जनों के लिए विशेष रैप, असेंबली एरिया और रेलिंग की सुविधा है। उनके लिए समर्पित प्रवेश और निकास द्वार आसानी से सुलभ है, जिनमें कोई सीढ़ियाँ नही है। परिसर में भी रैप और रेलिंग की व्यवस्था की गई है और यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल है। सुरक्षाकर्मी भी उनकी मदद करते है।
2. **वॉशरूम:**- दिव्यांग जनों के लिए आईएफसीआई टावर में अलग शौचालय उपलब्ध है। वे साफ तौर पर पहचाने जाने योग्य और पहुंच योग्य है। अंदर पर्याप्त जगह है।
3. **विश्राम कक्ष:**- दिव्यांग जनों के लिए विश्राम कक्ष ग्राउंड लोर लॉबी में है, जहां वे जरूरत पड़ने पर या थकान महसूस होने पर आराम कर सकते है।
4. **लिफ्ट:**- दिव्यांग जनों के लिए लिट में रेलिंग, ब्रेल बटन और आवाज पहचानने की सुविधाएं आदि उपलब्ध है। ये सेवाएँ प्रत्येक मंजिल पर उपलब्ध करायी गयी है।

4. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार आईएफसीआई की समान अवसर नीति है। वेब लिंक इस प्रकार है: https://www.ifciltd.com/2019/Equal%20Opportunity%20Policy%201.pdf

5. माता-पिता बनने पर छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक*	
लिंग	कार्य पर वापसी का दर	प्रतिधारण दर (%)	कार्य पर वापसी का दर	प्रतिधारण दर
पुरूष	3	50	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	3	50	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	6	100	लागू नहीं	लागू नहीं

* वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी ने पैतृक छुट्टी का लाभ नहीं उठाया।

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई मैकेनिज्म उपलब्ध है? यदि हाँ, तो मैकेनिज्म का संक्षेप में विवरण दे।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो मैकेनिज्म का संक्षिप्त विवरण)
स्थायी श्रमिक	हाँ, आईएफसीआई की तीन चरण की शिकायत निवारण नीति है जिसमें रोजगार की स्थिति के संबंध में पूर्वनिर्धारित व्यवस्था है। शिकायतों का समाधान निम्नलिखित ढाचें के अनुसार किया जाता है: चरण 1 : रिपोर्टिंग अधिकारी चरण 2 : शिकायत निवारण समिति (एचआर समीक्षा समिति) चरण 3 : एमडी और सीईओ
स्थायी श्रमिक के अलावा	लागू नहीं

स्थायी कर्मचारी	हाँ, आईएफसीआई की तीन चरण की शिकायत निवारण नीति है जिसमें रोजगार की स्थिति के संबंध में पूर्वनिर्धारित व्यवस्था है। शिकायतों का समाधान निम्नलिखित संरचना के अनुसार किया जाता है: चरण 1 : रिपोर्टिंग अधिकारी चरण 2 : शिकायत निवारण समिति चरण 3 : एमडी और सीईओ
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नही

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	**वित्तीय वर्ष (चालू वित्तीय वर्ष 2022-23)**			**वित्तीय वर्ष (पिछला वित्तीय वर्ष 2021-22)**		
	सम्बधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	**सम्बधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं**	**प्रतिशत (ख/क)**	**सम्बधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक**	**सम्बधित श्रेणीमें कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं**	**प्रतिशत (घ/क)**
	(क)	**(ख)**		**(ग)**	**(घ)**	
कुल स्थायी कर्मचारी	149	137	91.95%	167	152	91.02%
- पुरूष	99	89	89.90%	110	98	89.09%
- महिला	50	48	96%	57	54	94.74%
कुल स्थायी श्रमिक*						
- पुरूष	1	0	0	2	0	0
- महिला	-	-	-	-	-	-

*श्रमिक कर्मचारी कुल कर्मचारियों का हिस्सा है, लेकिन अधिकारी एसोसिएशन के सदस्य नही है।

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	**वित्तीय वर्ष 2022-23**					**वित्तीय वर्ष 2021-22**				
	कुल (क)	**स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर**		**कौशल अपग्रेडेशन पर**		**कुल (घ)**	**स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर**		**कौशल अपग्रेडेशन पर**	
		संख्या (ख)	**प्रतिशत (ख/क)**	**संख्या (ग)**	**प्रतिशत (ग/क)**		**संख्या (घ)**	**प्रतिशत (ड़/घ)**	**संख्या (च)**	**प्रतिशत (च/घ)**
कर्मचारी										
पुरूष	95	शून्य	शून्य	91	95.79%	113	शून्य	शून्य	64	56.64%
महिला	50	शून्य	शून्य	45	90.00%	60	शून्य	शून्य	41	68.33%
कुल	145	शून्य	शून्य	136	93.79%	173	शून्य	शून्य	105	60.69%
श्रमिक										
पुरूष	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महिला	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* संविदा कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों से संबंधित प्रशिक्षण विवरण दर्ज किये गये है (इसमें बाहरी संगठनों में डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारी भी शामिल नही है)

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास की समीक्षा विवरण:

श्रेणी	**वित्तीय वर्ष 2022-23**			**वित्तीय वर्ष 2021-22**		
	कुल (क)	**संख्या (ख)**	**प्रतिशत (ख/क)**	**कुल (ग)**	**संख्या (घ)**	**प्रतिशत (घ/ग)**
कर्मचारियो (अधिकारी)						
पुरूष	98	72	73.47%	109	108	99.08%
महिला	48	41	85.42%	57	56	98.25%
कुल	146	113	77.40%	166	164	98.80%
श्रमिक (श्रमिक)						
पुरूष	1	1	100%	2	2	100%
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	1	100%	2	2	100%

कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षाओं के विवरण में वे सभी स्थायी कर्मचारी शामिल है जो संबंधित वित्तीय वर्ष में आईएफसीआई में वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के दायरे में थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यरत सभी कर्मचारियों और कामगारों की समीक्षा की जा रही है।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक परक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? ***(हाँ/नहीं)***। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली की कवरेज? **लागू नहीं, हालाँकि, आईएफसीआई अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करता है।**

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या है? **कंपनी द्वारा कोई खतरनाक कचरा उत्पन्न नहीं किया जाता, हालांकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।**

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से स्वयं को बचाये रखने के लिए प्रक्रियाएं है। (हाँ/नही) **कंपनी द्वारा कोई खतरनाक कचरा नहीं उत्पन्न किया जाता, हालांकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।**

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों के लिए गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)।
हाँ

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:
शून्य

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें: **आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं।**
आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए, जैसे कि अग्निशमन उपकरण, अग्निसुरक्षा उपकरण, लिफ्टों का रखरखाव, आपातकालीन संकेत, आपातकालीन निकास द्वार और लॉबी क्षेत्र। कोविड के बाद, अतिरिक्त उपायों का पालन किया गया जैसे वॉशरूम में सेंसर-चालित नल, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम सुविधा आदि।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा काम करने की स्थिति और स्वास्थ्य व सुरक्षा के बारे में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
कार्य करने की स्थिति	1	1		शून्य	शून्य	
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	

14. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयत्रो और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (कम्पनी या वैधानिक प्राधिकरणो या तीसरे पक्ष के द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण	100 (प्रधान कार्यालय और 4 क्षेत्रीय कार्यालय)
कार्य करने की स्थिति	-

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं के समाधान के लिए की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं है क्योंकि किसी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।**

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कंपनी (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु होने पर कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है। **हां**
2. ऐसे उपायों का ब्यौरा दें, जिनसे सुनिश्चित हो सके कि कंपनी द्वारा किये गये भुगतान में से वैधानिक बकाया काट लिया गया है और वैल्यू चेन भागीदारों द्वारा उसे जमा करा दिया गया है। **लागू नहीं**
3. उन कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या बताएं, जिन्हें कार्य के दौरान चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न-11 में वर्णित किया गया है) जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में नियुक्त किया गया: **शून्य**
4. क्या कंपनी निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम संचालित करती है? (हां नही)। **हाँ**
आईएफसीआई में ''सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की नीति'' लागू है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त करके उनके अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करना है।
5. वैल्यू चेन भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण: **शून्य**
6. वैल्यू चेन पार्टनरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं और कार्य-दशाओं के आकलन से पैदा होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी सुधारात्मक कार्यवाहियों का विवरण प्रदान करें: **शून्य**

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी के हितों का आदर करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कंपनी के प्रमुख स्टेकहोल्डर समूहों की पहचान करने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

   ऐसी कोई प्रक्रिया परिभाषित नहीं की गई है, हालांकि सूचीबद्ध कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि और एनबीएफसी एनडी एसआई होने के नाते, हितधारकों की श्रेणियों का उल्लेख नीचे बिंदु संख्या-2 में किया गया है।

2. अपनी कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ होने वाले सम्पर्को का ब्यौरा दें।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और उपेक्षित समूह के रूप में पहचान की गई है (हाँ/नहीं)	संवाद चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, अन्य)	आपसी सम्पर्क (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	सम्बंध का उद्देश्य और दायरा और इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाया गये मुख्य विषय
प्रतिभूति धारक (इक्विटी और बॉन्डधारक)	नही	ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, नोटिस, वेबसाइट आदि	आवश्यकता आधारित कार्यक्रम और सभी अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक कवर किए जाते है	ऋण चुकौती, मीटिंग अपडेट, केवाईसी संबंधी, शिकायत संबंधी
ग्राहक (सलाहकार व्यवसाय)	नही	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत विजिट, प्रस्तुतियाँ	घटना आधारित	कार्य आदेश/परियोजना संबंधित
कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित)	नही	ईमेल, वेबसाइट, इंट्रानेट, आंतरिक बैठकें	घटना आधारित	प्रशिक्षण, कार्य आदेश, शिकायत आदि
नियामक अधिकारी	नही	ईमेल, टेलीफोन, वेबसाइट आदि	त्रैमासिक, घटना आधारित	अनुपालन अपडेट
उधारकर्ता	नही	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात	मासिक, त्रैमासिक	फॉलो अप, नियमित अपडेट
ऋणदाता	नही	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात	मासिक, त्रैमासिक, घटना	फॉलो अप और नियमित अपडेट आधारित

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लेख करें या यदि परामर्श दिया गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है। **लागू नहीं**

   आईएफसीआई पर्यावरण एवं सामाजिक विषयों पर विभिन्न अधिकारियों, संबंधित मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण एवं सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है (हां/नही)। यदि हां, तो उदाहरण सहित विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को कंपनी की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया। **लागू नहीं**

3. कमजोर/हाशिये पर खड़े हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों और कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

   आईएफसीआई जीईएम में पंजीकृत है और कंपनी एम.एस.एम.ई. से खरीद को बढ़ावा देती है।

सिद्धांत 5: कंपनियों को मानव अधिकारों का आदर करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारी और श्रमिक, जिन्हें मानव अधिकार मुद्दों और संस्था की नीति(यों) के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है: **शून्य**
2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्न प्रारूप में दें:

श्रेणी	वित्तिय वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष					वित्तिय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतन वेतन के बराबर		न्यूनतन वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतन वेतन के बराबर		न्यूनतन वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)		संख्या (ड़)	प्रतिशत (ड़/घ)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरूष	121	शून्य	शून्य	111	100	111	शून्य	शून्य	111	100
महिला	61	शून्य	शून्य	57	100	57	शून्य	शून्य	57	100
स्थायी के अलावा										
पुरूष	-	शून्य	शून्य	-	-	10	शून्य	शून्य	10	100
महिला	-	शून्य	शून्य	-	-	2	शून्य	शून्य	2	100

श्रेणी	वित्तिय वर्ष 2022–23 चालू वित्तीय वर्ष					वित्तिय वर्ष 2021–22 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतन वेतन के बराबर		न्यूनतन वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतन वेतन के बराबर		न्यूनतन वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)		संख्या (ड़)	प्रतिशत (ड़/घ)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/घ)
श्रमिक										
स्थायी										
पुरूष	1	शून्य	शून्य	1	100	2	शून्य	शून्य	2	100
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरूष	शून्य	-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-
महिला	शून्य	-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

	पुरूष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी सम्बधिंत श्रेणी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी सम्बधिंत श्रेणी
निदेशक बोर्ड (बीओडी)	-	-	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (एमडी और डब्ल्यूटीडी शामिल है)	2 (एमडी और सीईओ) (सीएफओ)	52.75 लाख	1	39.89 लाख
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	119 (3 प्रतिनियुक्ति पर)	31.23 लाख (प्रतिनियुक्ति के लिए, पारिश्रमिक का भुगतान सम्बंधित संगठन द्वारा किया जाता है।)	60	29.99 लाख एसोसिएट्स सहित
श्रमिक	1	7.95 लाख		

4. क्या आपके पास व्यवसाय के दौरान पैदा होने वाले मानवाधिकार संबंधी शिकायत की सुनवाई करने के लिए कोई जिम्मेदार सम्पर्क-केन्द्र (व्यक्ति/समिति) है?
नहीं

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक मैकेनिज्म का वर्णन करें।
कर्मचारी शिकायतों का निवारण एक शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें मानवाधिकार से संबंधित ऐसे मुद्दों को शामिल करने की भी व्यापक गुंजाइश है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के बारे में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2022–23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021–22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	0	0		0	0	
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0		0	0	
बाल श्रम	0	0		0	0	
मजबूर श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0		0	0	
मजदूरी	0	0		0	0	
मानव अधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0		0	0	

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में प्रतिकूल परिणामों से शिकायतकर्ता की रक्षा करने की प्रणाली।
यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाती है। यह कानून शिकायतकर्ता को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते है। इसके अलावा, आईएफसीआई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी और कर्मचारी संघ भी है, जो कार्यस्थल पर भेदभाव सहित समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करते है। कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसरण में, जहां भी आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति https://www.ifciltd.com/2022/Whistle%20Blower%20Policy.pdf पर उपलब्ध है।

8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा है? (हाँ/नही) **नहीं**

9. वर्ष के लिए आकलन: **शून्य**

10. ऊपर दिए गए प्रश्न-9 में आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें: **शून्य**

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों/मुद्दों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।
कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मानवाधिकारों से संबंधित सभी मुद्दों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आईएफसीआई के पास विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति भी है।
2. कंपनी द्वारा संचालित मानवाधिकार संबंधी अनुपालन और उनके कवरेज का विवरण। **लागू नहीं**
3. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी का परिसर/कार्यालय विकलांग आगंतुकों के लिए भी सुलभ है? **हाँ**
4. वैल्यू चेन भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण: **लागू नहीं**
5. उपरोक्त प्रश्न-4 में वर्णित आकलनों से होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं**

सिद्धांत 6: कंपनी को पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति का आदर करना चाहिए तथा इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा इन्टेन्सिटी का विवरण:

पैरामीटर	**वित्तीय वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
बिजली की कुल खपत (क)	लगभग 2359320 किलोवाट प्रतिघंटा	लगभग 2111383 किलोवाट प्रतिघंटा
ईंधन की कुल खपत (ख)	लगभग 489.37 किलोवाट प्रतिघंटा	लगभग 25000 किलोवाट प्रतिघंटा
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	शून्य	शून्य
ऊर्जा की कुल खपत (क+ख+ग)	लगभग 2359809.37 किलोवाट प्रतिघंटा	लगभग 2136383 किलोवाट प्रतिघंटा
प्रति रूपये कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/रूपये में कारोबार)	2359809.37 (किलोवाट प्रतिघंटा)/ 36387000 (राशि) = 0.064	2136383 (किलोवाट प्रतिघंटा)/ 32940070 (राशि) = 0.064
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन कम्पनी द्वारा किया जा सकता है		

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/समीक्षा की गई है? (हाँ/नही) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं, हालाँकि, आईएफसीआई का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष से बिजली की खपत से संबंधित खुलासों के लिए गहन मूल्यांकन करना है।**

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के तौर पर पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं है? (हाँ/नही) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए है। यदि लक्ष्य प्राप्त नही किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, बताएं: **शून्य**

3. निम्नलिखित प्रारूप मे जल से संबधित निम्नलिखित खुलासो का विवरण उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	**वित्तीय वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)**	**वित्तिय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
स्रोत द्वारा निकासी (किलोलीटर में)		
(i) धरातल का पानी	लगभग 373 किलोलीटर	लगभग 362 किलोलीटर
(ii) भूजल		
(iii) थर्ड पार्टी जल		
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	लगभग 373 किलोलीटर	लगभग 362 किलोलीटर
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	लगभग 373 किलोलीटर	लगभग 362 किलोलीटर
प्रति रूपये टर्नओवर पर जल की तीव्रता (जल की खपत/टर्नओवर)	373 (इकाई) / 35920 (राशि) = 0.010	362 (इकाई) / 37591 (राशि) = 0.0096
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - कम्पनी द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/समीक्षा की गई है? (हाँ/नही) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

4. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई प्रणाली लागू की है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें: **लागू नहीं**
5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं हैं क्योंकि आईएफसीआई एक विनिर्माण कंपनी नहीं है।**
6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**
7. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें। **लागू नहीं**
8. संस्था द्वारा अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: **संस्था द्वारा कोई खतरनाक कचरा उत्पन्न नहीं किया जाता, हालांकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।**
9. आपके प्रतिष्ठान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक व जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई व्यवस्था का वर्णन करें। **कंपनी द्वारा कोई खतरनाक कचरा नहीं उत्पन्न किया जाता, हालांकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।**
10. क्या संस्था के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय संरक्षित क्षेत्र आदि) जिनमें पर्यावरणीय अनुमोद/अनुमतियां आवश्यक है, में कार्यस्थल/कार्यालय है, तो कृपया उल्लेख करें। निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें: **शून्य**
11. वर्तमान वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का विवरण: **लागू नहीं**
12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन कर रही है, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें: **हां, कंपनी भारत में लागू सभी पर्यावरण संरक्षण कानूनों/विनियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रही है।**

नेतृत्व संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) प्रदान करें: **शून्य**
   नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं**
2. पानी की निकासी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: **शून्य**
   नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं**
3. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में): **शून्य**
   जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक केन्द्र /प्लांट के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
   (i) क्षेत्र का नाम
   (ii) संचालन की प्रकृति
   (iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:
4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप-3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें: **शून्य**
5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न-10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम व उपचार गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**
6. यदि कंपनी ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में उसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहल के परिणाम भी बताएं: **लागू नहीं**
7. क्या कंपनी के पास व्यवसायिक निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों में/वेब लिंक में दें। **हाँ**
   आईएफसीआई के पास व्यवसायिक निरंतरता नीति है, जो सक्रिय योजना और रणनीति को कवर करती है, जो व्यवधान के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं या उत्पादों को बनाए रखती है। डिजास्टर रिकवरी (डीआर) किसी आपदा, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय कार्रवाई के कारण हुई हो, के बाद आईटी बुनियादी ढांचे तक पहुंच और कार्यक्षमता को बहाल करने की किसी संगठन की विशेष क्षमता होती है। डीआर को व्यापार निरंतरता का एक उपसमूह माना जाता है, जो स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों का समर्थन करने वाले आईटी सिस्टम, विघटनकारी घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके, चालू हो जाएं।
   आईएफसीआई का डेटा सेंटर आईएफसीआई टॉवर, नई दिल्ली में स्थित है और महत्वपूर्ण सीआईआईएस एप्लिकेशन ओरेकल डेटाबेस 12सी और एप्लिकेशन सर्वर 11जी के साथ सन स्पार्क सर्वर पर चल रहे है।
   आईएफसीआई ने मुंबई में सिफी डेटा सेंटर में डीआर साइट स्थापित की है, जो डेटाबेस, एप्लिकेशन और वर्चुअल मशीनों को रिप्लीकेट करती है। व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, आईएफसीआई समय-समय पर डीआर ड्रिल आयोजित करता है।
8. कंपनी की वैल्यू चेन के पर्यावरण पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में कंपनी द्वारा कौन-कौन से निवारक या अनुकूलन उपाय किए गए है। **शून्य**
9. वैल्यू चेन भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया हो। **लागू नहीं**

सिद्धांत 7: यदि कंपनी के व्यवसाय से सार्वजनिक और नियामक नीति प्रभावित होती है, तो उसे हर कार्य पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

क्र. सं.	विवरण	संख्या	ब्यौरा
1.	सदस्यताएं	i.	भारतीय बैंक संघ
		ii.	भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान

ख. शीर्ष के ऐसे 10 व्यापार व उद्योग मंडलों/संघों की (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार) सूची बनाएं, जिनमें कंपनी सदस्य है, या जिनसे वह संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों की पहुँच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	एसौचैम	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें। **शून्य**

नेतृत्व संकेतक

1. इकाई द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण: **शून्य**

सिद्धांत 8: कंपनी को समावेशी विकास और साम्यिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण। **शून्य**

2. ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) की जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें, जिनमें आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किये जा रहे हैं: **लागू नहीं**

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के मैकेनिज्म का वर्णन करें। **लागू नहीं**

4. आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त इनपुट साम्रगी का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट का प्रतिशत):

	वित्तीय वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
सीधे एमएसएमई / छोटे उत्पादको से प्राप्त किया गया	67.06%	10.96%
सीधे जिले और पड़ोसी जिलो से प्राप्त किया गया	-	-

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलनों में पता चले किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों में प्रश्न-1): **लागू नहीं**

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचान किये गये नामित पिछड़े जिलों में आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: **शून्य**

3. (क) क्या आपके पास कोई प्राथमिकता वाली खरीद नीति है, जिसके आधार पर आप छोटे/कमजोर समूह के आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं): **हाँ. आईएफसीआई के पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक केंद्रीकृत खरीद नीति है।**

(ख) आप किन छोटे/कमजोर समूहों से सामग्री/सेवाओं की खरीदारी करते है?

आईएफसीआई इन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीद करता है: एमएसएमई उद्यम

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है? **67.06%**

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्त वर्ष के दौरान) आपकी कंपनी के स्वामित्व वाली या आपकी कंपनी द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण: **शून्य, क्योंकि आईएफसीआई पारंपरिक ज्ञान के आधार पर कंपनी के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा में शामिल नहीं है।**

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है। **शून्य**

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के लाभार्थियों का %
1	सीएसआर पहल के तहत एनएसडीसी पाठ्यक्रम के अनुसार फैशन डिजाइनिंग में 90 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण	257 शामिल (207 अप्रत्यक्ष)	76%
2	*प्रेरणा परियोजना के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चयनित स्कूलों के छात्रों में उद्यमिता जागरूकता पैदा करने के लिए सीएसआर सहायता	510	50%
3	जिला बुलन्दशहर (यूपी) में विभिन्न खेल आयोजनों के लिए खेल उपकरण और सहायक उपकरण की खरीद के लिए सीएसआर सहायता	9455	86%
4	बृज मोहन ब्लाइंड स्कूल (बीएमएसबी), मेरठ के लिए 7.15 लाख रुपये की सीएसआर सहायता	45	100%
5	सुंदरबन क्षेत्र में सागर ब्लॉक के अम्फान चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में साफ पेयजल के लिए ट्यूबवेल लगाना	1240	83%

*कार्यान्वयन के अधीन

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायत और फीडबैक प्राप्त करने और उनका जवाब देने की प्रक्रिया का वर्णन करें।

बॉंड सर्विसिंग में निवेशकों के प्रश्नों/शिकायतों/समस्याओं के समाधान को आईएफसीआई द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

इक्विटी शेयरधारकों के संबंध में, कंपनी ने निवेशकों की समस्याओं/शिकायतों के निवारण के लिए एक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) नियुक्त किया है। साथ ही, कुछ प्रश्नों का समाधान सीधे कंपनी के संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है।

आईएफसीआई में इन-हाउस प्रबंधित बांडों के संबंध में, सभी सवालों/शिकायतों के उत्तर आईएफसीआई द्वारा सीधे निवेशकों को दिये जाते है। इसी प्रकार, आर एंड टीए के माध्यम से प्रबंधित बांडों के संबंध में, समस्याओं/शिकायतों का समाधान सीधे आर एंड टीए द्वारा किया जाता है। हालाँकि, यदि प्रश्नों को हल करने में किसी सहायता या समर्थन की आवश्यकता होती है, तो वह आईएफसीआई द्वारा प्रदान की जाती है।

निवेशकों की समस्याओं/शिकायतों की समाधान-प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए, विभाग में त्रैमासिक अंतराल पर, इस अवधि के अंत में शिकायतों के प्रकार, प्राप्त शिकायतों की संख्या, समाधान और लंबित समाधान, यदि कोई हो, को दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट संबंधित आर एंड टीए से प्राप्त की जाती है और संकलित की जाती है। ऐसे संकलित आंकड़ों के आधार पर, एक रिपोर्ट बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के समक्ष रखी जाती है।

स्कोर्स– सेबी के पास निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे स्कोर्स कहा जाता है। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को आईएफसीआई द्वारा प्राप्त किया जाता है और अंतरिम उत्तर और/या कार्रवाई रिपोर्ट संबंधित मुद्दों के आर एंड टीए के साथ मिलकर की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।

इसके अलावा, निवेशकों की शिकायतें और अनुरोध आईएफसीआई वेबसाइट पर बॉन्डधारक अनुभाग के माध्यम से भी प्राप्त किए जाते है

ईमेल से प्राप्त प्रश्नों या शिकायतों का उत्तर ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है। यदि किसी शिकायत/समस्या के समाधान के लिए कुछ समय की जरूरत होती है, तो निवेशक-अनुकूल संकेत के रूप में निवेशक को अंतरिम उत्तर भी भेजा जाता है। आर एंड टीए द्वारा देखें जा रहे बॉंड और इक्विटी के मामले में, आईएफसीआई में ईमेल/पत्र से प्राप्त निवेशकों की शिकायतें, आर एंड टीए को अग्रेषित की जाती है। इसके बाद आर एंड टीए निवेशक को ईमेल/पत्र से जवाब देता है और उसकी प्रति आईएफसीआई को भी भेजी जाती है।

निवेशकों से प्राप्त कुछ सामान्य शिकायतें इस प्रकार हैं:

1. बॉंड प्रमाणपत्रों में गलतियों का सुधार
2. डुप्लीकेट बॉंड प्रमाणपत्र जारी करना
3. बॉंडों का रिमैटरियलाइजेशन और डिमैटरियलाइजेशन
4. बॉंडों का ट्रांसमिशन
5. बॉंडों का बंटवारा
6. बैंक खाता, पता, ईमेल आईडी अपडेट करना
7. लॉक-इन अवधि में बॉंड के लिए कॉरपोरेट कार्रवाई
8. वारंटों का पुनर्वेधीकरण/बकाया राशि का भुगतान
9. आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश/शेयर/राशि की स्थिति।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, प्रमुख निवेशक शिकायतें/पत्राचार नाम/पते में परिवर्तन/बैंक विवरण में सुधार आदि के अंतर्गत आते है।

2. निम्नलिखित के बारे में कुल उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर में इन उत्पादों और/सेवाओं का प्रतिशत टर्नओवर: **लागू नहीं**

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या: **शून्य**

4. सुरक्षा मसलों के कारण प्रॉडक्ट रिकॉल की घटनाओं का विवरण: **लागू नहीं**

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? **(हाँ/नहीं)** यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

   हाँ. आईएफसीआई की अपनी आईएस व साइबर सुरक्षा नीति है, नीति की वार्षिक समीक्षा की जाती है। नीति एक आंतरिक दस्तावेज है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण, साइबर सुरक्षा और ग्राहक डेटा गोपनीयता, उत्पाद रिकॉल की घटनाओं, उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

   लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. ऐसे चैनल/प्लेटफॉर्म, जहां से कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।
   आईएफसीआई विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद/सेवाएँ प्रदान करता है। आईएफसीआई द्वारा प्रदान किये जा रहे वित्तीय उत्पाद कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इन्हें https://www.ifciltd.com/?q=en/content/financial-products पर देखा जा सकता है।

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।
   प्रासंगिक विवरणों से युक्त कंपनी की वेबसाइट रियल टाइम आधार पर अपडेट की जाती है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान आने / उनके बंद होने से पैदा होने वाले जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मौजूद प्रणाली।
   आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने से होने वाले सभी जोखिमों की जानकारी आईएफसीआई की वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाती है।

4. क्या कंपनी उत्पादों के बारे में स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी कंपनी ने कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, कंपनी के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या पूरी कंपनी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)
   हाँ। एक एनबीएफसी होने के नाते कंपनी विभिन्न वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके सभी वित्तीय उत्पादों का पर्याप्त खुलासा उसके उधारकर्ताओं और उसके निवेशकों को कंपनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=en/content/financial-products के माध्यम से किया जाए।

5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: **शून्य**
   क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या, प्रभाव सहित
   ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट का अनुबंध-1

कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक नीतियों के लिंक नीचे दिए गए है:-

नीतियो के नाम	**वैब-लिंक**
उचित व्यवहार संहिता	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/fair-practices-code
आचार संहिता	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/code-conduct
सतर्कता मैकेनिज्म	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/whistle-blower-policy
सीएसआर नीति	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/our-csr-policy

अन्य नीतियां आन्तरिक दस्तावेज है और केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ है।

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का कल्याण

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस संबंध में भारत सरकार की नीतियों का पालन करती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षण और छूट को लागू करने वाले दिशानिर्देशों का आपकी कंपनी द्वारा सख्ती से पालन किया जाता है। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपकी कंपनी आरक्षित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व देती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 92% एससी, 100% एसटी, और 78% ओबीसी कर्मचारियों को शामिल किया गया।

31 मार्च, 2023 तक, आपकी कंपनी में 148 नियमित कर्मचारी थे, जिनमें से 21 (14%) अन्य पिछड़े वर्गों से थे, 13 (9%) अनुसूचित जातियों से थे, और 1 (1%) अनुसूचित जनजाति से थे।

01 जनवरी, 2023 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरण:

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2023 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	श्रेणी I	152	13	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	संविदा पर*	9	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	162	13	1	23	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* कैलेंडर वर्ष के दौरान एक संविदा कर्मचारी शामिल हुआ और कार्यमुक्त हो गया।

01 जनवरी, 2023 को विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2023 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	21	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	डी	30	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	50	5	1	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	40	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	9	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	संविदा पर*	9	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	162	13	1	23	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

*** कैलेंडर वर्ष के दौरान एक संविदा कर्मचारी शामिल हुआ और कार्यमुक्त हो गया।**

दिव्यांग जनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व (31.12.2022 तक)

क्रम स.	समूह	कर्मचारियों का स्वरूप (31.12.2022 की स्थिति अनुसार)					कैलेण्डर वर्ष 2022 (अर्थात् 01.01.2022 से 30.12.2022) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																			
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नतियां									
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या				
		जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
1	श्रेणी I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी-III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी: (i) वीएच से अभिप्राय दृष्टि से विकलांग (अंधेपन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से विकलांग (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)
(iii) ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से विकलांग (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)
(iv) आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तता

प्रपत्र एओसी–1

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम परन्तुक के अनुसार सहायक कम्पनियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा)

भाग ''क'': सहायक कम्पनियां

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार **(करोड़ रुपए)**

क्र. सं.	सहायक कम्पनी का नाम	प्रत्यक्ष सहायक कम्पनियां						स्टैप डाउन सहायक कम्पनियां						
		आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फ़ंड्स लि.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.	आईएफसीआई फैक्टर्स लि.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	एमपीकॉन लि.	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि.	आईफिन कमोडिटीज लि.	आईफिन क्रेडिट लि.	आईफिन सिक्यूरिटीज फाइनेंस लि.	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिज लि.	एसएचसीआईएल सर्विसिज लि.	स्टॉक होल्डिंग सिक्युरिटीज आईएफएससी लि.
1.	शेयर पूंजी	60.37	427.09	279.44	41.53	21.05	1.00	0.01	5.00	2.50	30.01	55.75	6.09	20.00
2.	रिजर्व एवं अधिशेष निधि	111.86	95.79	-175.85	24.89	5,934.97	10.02	8.81	-1.57	-0.51	-0.66	-14.26	88.99	-5.76
3.	कुल परिसम्पत्तियां	179.06	550.25	259.88	85.39	8,948.01	20.71	17.24	6.07	1.99	29.49	172.48	267.67	17.44
4.	कुल देयताएं	6.83	27.37	156.29	18.97	2,991.99	9.69	8.42	2.64	-	0.14	130.99	172.59	3.20
5.	निवेश	28.88	137.56	10.70	36.15	6,665.39	-	-	-	-	2.54	-	-	-
6.	टर्नओवर	15.27	40.42	9.88	15.94	674.12	179.60	3.48	0.46	0.09	2.35	84.71	95.32	0.35
7.	कराधान पूर्व लाभ	4.88	16.46	-0.54	-3.82	209.71	6.01	2.15	-0.66	0.008	0.33	5.83	19.43	-1.85
8.	कराधान हेतु प्रावधान	-0.54	0.33	-3.67	-	31.60	1.60	0.84	0.00	-0.001	-0.06	0.88	5.54	-
9.	कराधान पश्चात् लाभ	5.42	16.13	-4.22	-3.82	178.11	4.41	1.31	-0.66	0.007	0.39	4.95	13.89	-1.85
10.	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	89.06	1.00	-	-	-	-	-	4.87	-
11.	शेयरधारिता %*	98.59%	100.00%	99.90%	94.78%	52.86%	79.72%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*स्टैप डाउन सहायक कम्पनियों के लिए दी गई शेयरधारिता का % उनकी तत्काल सम्बन्धित धारक कम्पनी की शेयरधारिता को दर्शाता है।

टिप्पणी: सभी सहायक कम्पनियां भारत में निगमित है और ये धारक कम्पनी के समान ही रिपोर्टिंग अवधि का पालन करती है। अर्थात 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 माह।

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्याकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

भाग ''ख'' : सहयोगी कम्पनियां व संयुक्त उद्यम

सहयोगी कम्पनियों व संयुक्त उद्यमों के सम्बंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	सहयोगी कम्पनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम	एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि.	गति इंफ्राक्ट्रक्चर भास्मे पावर प्रा. लि.$	किटको लि.$	नगाई पावर प्रा. लि.	शीगा एनर्जी प्रा. लि.	वदराज सीमेंट लि.	वदराज एनर्जी (गुजरात) लि.
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	**31-Mar-20**	**31-Mar-22**	**31-Mar-23**	**31-Mar-21**	**31-Mar-22**	**31-Mar-18**	**31-Mar-18**
2.	वर्ष के अंत में कम्पनी द्वारा धारित सहयोगी कम्पनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर							
	इक्विटी शेयरों की संख्या	13,85,40,000	4,50,20,000	19,950	56,40,000	5,10,00,000	6,39,16,797	3,60,00,000
	सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि-इक्विटी शेयर	137.29	45.02	0.04	5.17	51.00	63.92	35.44
	धारिता की सीमा	7.01%	38.73%	20.26%	26.46%	28.43%	3.20%	24.00%
3.	ऐसे कारण, जिनसे सहयोगी कम्पनी/ संयुक्त उद्यम का समेकन नहीं किया गया	इंड एएस 28, पैरा 20 के अनुसार कोई संस्था किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में एंड एएस 105 को किसी निवेश या निवेश के किसी भाग पर लागू करेगी जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदण्ड को पूरा करता है। किसी सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में, निवेश के रखे गए किसी भाग, जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया जो बिक्री होने के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, के भाग के निपटान तक इक्विटी विधि का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाएगा। निपटान होने के पश्चात् कोई कम्पनी सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में रखे गए हित को इंड एएस के अनुसार हिसाब में लेगी जब तक कि सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में रखा गया हित जारी रहता है जिस मामले में कम्पनी इक्विटी विधि का प्रयोग करती है। चूकि इन कंपनियों में निवेश को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तदनुसार, इन कम्पनियों को समेकित नहीं किया है।						
4.	कम्पनी का निवल मूल्य	1,954.75	116.44	31.48	-69.20	-261.16	-1,112.87	-137.35
	– इक्विटी शेयर पूंजी	1,975.06	116.24	9.85	365.47	179.42	2,000.00	150.00
	– अधिमान शेयर पूंजी		-					-
	– संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर पूंजी		-					
	– रिजर्व व अधिशेष	-20.01	0.20	21.63	-434.67	-440.58	-3,112.87	-287.35
5.	नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (केवल इक्विटी)	137.03	45.10	6.38	-18.31	-74.24	-35.57	-32.96
6.	वर्ष के लिए लाभ/हानि	-0.30	-	-5.11	-235.31	-70.09	-1,595.29	-212.99
	i. समेकन में शामिल किया गया	-	-	-	-	-	-	-
	ii. समेकन में शामिल नहीं किया गया	-0.30	-	-5.11	-235.31	-70.09	-1,595.29	-212.99

$ I-जीएएपी वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है।

^ अनंतिम वित्तीय पर आधारित

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्याकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण,

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **आईएफसीआई लिमिटेड** (''कम्पनी'') के संलग्न स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक विवरणों सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल है (जिसे इस रिपोर्ट में आगे ''स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा)। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के तहत अपेक्षित सूचना यथानुसार देते है और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार मामलों की स्थिति, कम्पनी की हानि, कुल व्यापक हानि, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन सहित यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उनके बारे में सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते है।

राय के लिए आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा पर मानकों (एसए) के अनुसार स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख इस रिपोर्ट के **''स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां''** नामक खण्ड में किया किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति-संहिता के अनुसार कम्पनी के स्वतंत्र लेखा-परीक्षक है और नीतिपरक अपेक्षाएं कम्पनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संगत है और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति-संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिपरक जिम्मेदारियां पूरी की है। हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

इम्फेसिस ऑफ मैटर:

1. हम स्टेज 3 परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता न देने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी संख्या 39** की ओर ध्यान आकर्षित करते है। तदनुसार, रिपोर्टिंग अवधि में ब्याज आय 209.50 करोड़ रु. (ईसीएल घटाकर) कम है।
2. हम **टिप्पणी संख्या 41** की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जहां सहायक कम्पनियों में निवेश का मूल्यांकन 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के आधार पर किया गया है।
3. हम **टिप्पणी संख्या 54** की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जहां पूँजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2023 को (-) 70.66% है, जो आर. बी.आई. द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 (आरबीआई/2017-18/181) डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18) द्वारा परिचालित निर्धारित दिशानिर्देश से कम है।
4. एक निश्चित मामले में, यह देखा गया कि एक पार्टी ने भारत सरकार की एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के तहत सहायता प्राप्त करने और अपने प्रस्ताव की समुचित तैयारी के लिए कंपनी को अपना सलाहकार/परामर्शदाता नियुक्त किया है। लेकिन कंपनी एसडीएफ योजना के तहत नोडल मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी/एजेंट के रूप में भी कार्य कर रही है। भारत सरकार से स्पष्ट अनुमोदन मिलने के बावजूद, किसी भी आवेदक को व्यावसायिक शर्तों पर दस्तावेजों/परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता/प्रशिक्षण देने की कंपनी की कार्रवाई और भारत सरकार की ओर से उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से कंपनी द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों की विश्वसनीयता काफी कमजोर होती है। साथ ही इससे कंपनी की स्वतंत्र स्थिति भी प्रभावित होती है।
5. कंपनी ने हमें नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 01.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के लिए लेखा परीक्षकों के साथ कोई विशिष्ट डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हमारे द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है।
6. कंपनी ने हमें सूचित किया है कि पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्रों के अनुसार, फाइलें और दस्तावेज लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, इसलिए हमने इनकी समीक्षा नहीं की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले वे मामले है, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में किया गया है और उन्हीं के आधार पर हमारी राय बनी है तथा हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रदान नहीं करते है। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखा-परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
1.	**ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति - प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल)** (लेखांकन नीति संख्या 6(ख) के साथ पठित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 53 देखें) अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने प्रबंधकीय निर्णयों के उच्चतर स्तर का पता लगाया है: ० ईसीएल मॉडल - क्षति हानि मूल्यांकन के लिए चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये मॉडल ईसीएल को मापने के मुख्य चालक है। ० विभिन्न चरणों का व्यक्तिगत रूप से निर्धारित वर्गीकरण -यदि व्यक्तिगत क्षति का उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण और अनुमान न लगाया जाए, तो ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण और अग्रिमों के वास्तविक मूल्य में महत्वपूर्ण असमानता हो सकती है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने प्रत्याशित ऋण हानि के सम्बन्ध में लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रलेख', में विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों, विभिन्न नियामक नवीनतम सूचनाओं, कम्पनी के आन्तरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा पद्धतियों में उनको अपनाया गया है: 1. ऋण परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुख्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन और जानकारी, ऋण क्षति का निर्धारण, उपयुक्त आंकड़ों की गुणवत्ता के निर्धारण सहित और प्रविष्ट वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा। 2. किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या किसी ऋण परिसम्पत्ति खाते का पता लगाने के लिए बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों की जांच-परीक्षण आधार पर ऋण परिसम्पत्ति खातों का सत्यापन/ प्रलेखों की समीक्षा, कार्य-निष्पादन।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
	इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम निर्धारण के भाग के रूप में हमने यह निर्धारण किया है कि ईसीएल के मूल्य में अल्पधिक आनुमानिक अनिश्चितता होती है जिसके साथ वित्तीय विवरणों की समग्र गुणवत्ता की अपेक्षा अधिक समुचित परिणामों की संभावनाए जुड़ी है। अवधारणाओं के अनुचित उपयोग के मामले में ऋण परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बताया जा सकता है। स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में ऋण परिसम्पत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए उस पर ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा मामला माना गया है।	3. किसी प्रतिकूल संकेत/टिप्पणी वाली ऋण परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा और अन्य किसी लेखा-परीक्षा/निरीक्षण प्रणाली की रिपोर्टो की समीक्षा और कम्पनी की नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा, ताकि ऐसी ऋण परिसम्पत्तियों और उसकी संभावित क्रेडिट हानि का समेकित वर्गीकरण किया जा सके। 4. पीडी और एलजीडी के परिकलन के लिए प्रयुक्त पद्धति में महत्त्वपूर्ण आंकड़ों के इनपुट की उपयुक्तता। 5. ईसीएल परिकलन में स्रोत पद्धतियों से आंकड़ों के प्रवाह की पूर्णता और सटीकता। 6. आर.बी.आई. के आईआरएसीपी मानदण्डों के आधार पर समग्र ऋण परिसम्पत्तियों का स्वतंत्र निर्धारण। **हमारा निष्कर्ष:** हमने क्रेडिट क्षति प्रभार और मान्य प्रावधान और इससे सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक माना है।
2.	**उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या 6(ख) के साथ पठित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 52 देखें। कम्पनी अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव संविदाएं करती है। इन डेरिवेटिव्स संविदाओं का एफवीटीपीएल पर वर्गीकरण किया जाता है और नकद प्रवाह प्रतिरक्षण (प्रतिरक्षा लेखांकन) के अधीन कतिपय डेरिवेटिव्स संविदाओं को पदनामित किया जाता है। हम डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन और प्रतिरक्षा लेखांकन को इसके महत्त्वपूर्ण जोखिम और इस तथ्य की वजह से कि इन अपेक्षाओं के अनुचित प्रयोग से आय विवरण पर महत्त्वपूर्ण असर पड़ सकता है, के कारण एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामला समझते है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** हम उन वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं और अन्तर्निहित संविदाओं के संभावित परिणामों तथा कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में प्रबन्धन की अन्तर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा करने के लिए अपने कार्य-दल को निर्देश देते है जिससे कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि का पता लगाया जा सके। हमारे कार्य-दल ने 31 मार्च, 2023 को निपटान के लिए बकाया/लम्बित के रूप में वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं का ऐसा उचित मूल्य निकालने के लिए सामान्य बाजार कार्य-विधियों और अन्य अन्तर्निहित अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यह निर्धारण करना कि मौजूदा लेखांकन मानकों और आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इसके डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए प्रकटन किया गया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
		हमारा निष्कर्ष: हमें उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं मिली है और सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक है।
3.	**सहायक और सहयोगी कम्पनियों में निवेश का मूल्यांकन** सहायक कम्पनियों में कम्पनी के निवेश का वास्तविक मूल्य कम्पनी के कुल निवल मूल्य का 2.01 गुना है। मूल कम्पनी के वित्तीय विवरणों और निवेशों की वसूली-योग्यता के सम्बन्ध में बाजार जोखिम के संदर्भ में निवेश की मात्रा के कारण इसे कम्पनी की लेखा-परीक्षा के दौरान बल दिया जाने वाला क्षेत्र माना गया था। अत: हमारी रिपोर्ट में यह एक लेखा-परीक्षा मामला माना गया था।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** सभी सहायक और सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा। **हमारा निष्कर्ष:** हमें निवेशों की वसूलनीयता में कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं मिला है और निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया गया है।
4.	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का निर्धारण** मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी पद्धतियों के स्वचालित नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर करते है। इस बात का जोखिम रहता है कि कर्तव्यों या यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अनुपयुक्त विभाजन (मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में) से हमारी लेखा-परीक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और लेखा-परीक्षा की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। हमने प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में इस पर विचार किया है क्योंकि किसी नियंत्रण चूक, वैधता विफलता, अनुचित इनपुट आंकड़े और आंकड़ों के अनुचित निस्तारण से प्रबन्धन और नियामकों को आंकड़ों की गलत सूचना मिल सकती है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में सूचना/इनपुट पर मुख्य नियंत्रण परिचालन का मूल्यांकित नमूना। **हमारा निष्कर्ष:** हमें वित्तीय लेखांकन और सूचना पर आईटी पद्धतियों से निकलने वाली सूचनाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं दिखी है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई संगत सूचना शामिल है, परन्तु इसमें इस लेखा-परीक्षक रिपोर्ट की तारीख को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है और हम उन पर आश्वासन के किसी रूप में निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते है।

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा-परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है। यदि हमारे

द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते है कि इस अन्य सूचना की महत्वपूर्ण गलतबयानी नही है, जो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक बोर्ड इन स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन मानकों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट सूचना देते है।

इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनको प्रस्तुत करते हुए कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन तथा उपयोग, उपयुक्त तथा विवेकसम्मत निर्णय लेने तथा अनुमान लगाने; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकार्डों के सही होने तथा उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू थे, के लिए स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करना शामिल है, जो सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते है और यह महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखेबाजी या त्रुटि हो, से मुक्त है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्रतिष्ठित फर्म के रूप में बने रहने की कम्पनी की क्षमता का मूल्यांकन करना है, प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित यथा प्रायोज्य मामलों को प्रकट करना और लेखांकन के आधार पर प्रतिष्ठित फर्म का प्रयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कम्पनी को समाप्त करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नही है।

निदेशक बोर्ड कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण, समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और हमारी राय सहित लेखा-परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है। समुचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परन्तु यह गारंटी नही है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाती है, जब यह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को समुचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद हो।

सांविधिक लेखा-परीक्षा के अनुसार लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते है और संपूर्ण लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते है। हम:

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करते है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए निष्पक्ष उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करते है और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी को न पता लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते है, ताकि उन परिस्थितियों में ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उचित है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(आई) के अधीन हम, कम्पनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमान और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन की समुचितता सुनिश्चित करते है।
- लेखांकन के प्रतिष्ठित फर्म के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते है और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर तय करते है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो प्रतिष्ठित फर्म के रूप में जारी रहने की कम्पनी की क्षमता के बारे में उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते है कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कम्पनी को प्रतिष्ठित फर्म के रूप में जारी रहने की संभावना को समाप्त कर सकती है।
- समग्र प्रस्तुतिकरण, ढांचे और वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु, जिसमें प्रकटन शामिल है, का मूल्यांकन करते है और देखते है कि क्या स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करते है कि उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया जा सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत कथनों की काफी अधिक व्यापकता है। इसलिए हो सकता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय भी, व्यक्तिगत तौर पर या समग्र रूप से प्रभावित हों। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी तरह के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ शासन संबंधी प्रभारियों से संपर्क करते है और हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान की गई आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय कमियों सहित लेखा-परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कार्य क्षेत्र और समय की योजना बनाते है।

हम शासन संबंधी प्रभारियों को विवरण भी प्रदान करते है जिसे हमने स्वतंत्र रूप से संगत नीतिपरक अपेक्षाओं से संकलित किया था और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संपर्क करते है, जिन पर हमारी स्वतंत्रता और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर प्रभाव पड़ सकता है।

शासन संबंधी अधिकारियों के साथ सम्प्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक उल्लेखनीय थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले है। हम इन मामलों का हमारी लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते है जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन कानून का विनियम बाधा नहीं डालता है या जब अत्यधिक विरली परिस्थितियों में हम निर्धारित करते है कि मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे सम्प्रेषण के समुचित रूप से सार्वजनिक हित अभिलाभों से अधिक भारी होने की संभावना रहती है।

अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसरण में भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षानुसार, हम इस आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण ''अनुबंध-क'' के रूप में संलग्न करते है।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार हम भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा उप-निदेश (क्रमश: भाग-क और भाग-ख) पर कम्पनी के लिए अपनी रिपोर्ट ''अनुबंध-ख'' में इसके साथ संलग्न करते है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम यह भी सूचित करते है कि:

(क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है;

(ख) हमारी राय में, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उपयुक्त खाता-बहियां रखी हुई है, जैसा कि इन खाता-बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन खाता-बहियों के अनुरूप है;

(घ) हमारी राय में उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है;

(ड.) कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार निदेशकों की अनर्हता के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 (2) कम्पनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कम्पनी है;

(च) कम्पनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में ''अनुबंध-ग'' के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय सूचना पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावोत्पदकता पर हमारी अनाशेधित राय व्यक्त करती है;

(छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, चूंकि यह एक सरकारी कम्पनी है, अत: कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी. एसआर.463(ई) के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती;

(ज) कम्पनी (लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

(i) कम्पनी ने अपने स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 35.2 देखें,

(ii) कम्पनी ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हानियां, यदि कोई हों, के लिए प्रयोज्य विधि और लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार लाभ व हानि खाते में उपयुक्त समायोजन किया है - वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 52 देखें;

(iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अन्तरित की जाने वाली राशियों का हस्तान्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

(iv) क) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो अधिक मूल्य की हो या महत्वपूर्ण हो) को (चाहे उधार ली गई निधि से हो या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य निधि से) कम्पनी द्वारा अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था (''मध्यस्थ'') सहित में अग्रिम या ऋण या निवेश के तौर पर प्रयोग नही किया गया है। इस तरह के कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा नहीं किये गये है कि कम्पनी (''अंतिम लाभार्थी'') की ओर से कोई मध्यस्थ किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कम्पनी द्वारा विदेशी संस्था (''फंडिंग पार्टियाँ'') सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (व्यक्तिगत रूप से या सामुहिक तौर पर) प्राप्त नहीं किया गया है। इस बारे में कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा, नही किये गये है कि फंडिंग पार्टी (''अंतिम लाभार्थी'') की ओर से किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसा कोई आश्वासन दिया जाएगा।

ग) लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुति, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी उल्लेखनीय गलतबयानी है।

(v) लेखा-परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

(vi) अकाउंटिंग सॉटवेयर का उपयोग करके खाते-बहियां बनाने के लिए कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान का पालन करती है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2023, से कंपनी पर लागू है, इसके तहत ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) के रिकॉर्ड रखने की सुविधा है। तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग करने का नियम कंपनी पर लागू नही है।

कृते मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन: 23099374BGSEQO5773

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की हमारी रिपोर्ट की अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा 1 में निर्दिष्ट अनुबन्ध-क

(i) (क) अ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे है। इनमें सभी मात्रात्मक विवरण और कुछ सम्पतियों जिनका सकल ब्लॉक मूल्य 197.92 करोड़ रु है और जिसका पूर्व के वर्षो में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, के अलावा सभी अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

ख) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, प्रबंधन वर्ष के दौरान एक बार अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करता है, जो हमारी राय में, कम्पनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए यह प्रथा उचित है। कम्पनी के प्रबंधन ने वर्ष के दौरान संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नही पाई गई है।

ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सभी अचल संपत्तियों (ऐसी संपत्तियों के अलावा जहां कम्पनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित है) का वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण कम्पनी के नाम पर किया जाता है।

घ) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने साल के दौरान अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण (संपति उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नही किया है।

ड.) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई या इस बारे में कोई मामला लंबित नही है।

(ii) अ) कम्पनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है; तदनुसार यह कोई इन्वेन्ट्री या सामग्री नहीं रखती है। इस प्रकार, कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3 (ii) (अ) इस पर लागू नहीं होता है।

ब) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी की सीमा स्वीकृति नहीं की गई है। इसलिए, कम्पनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3 (ii) (ब) इस पर लागू नहीं होता है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता कम्पनियों या दूसरे पक्षों में प्रतिभूत या अप्रतिभूत निवेश किया है, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है या ऋण के स्वरूप का कोई उधार और अग्रिम प्रदान किया है।

अ) चूंकि कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय ऋण प्रदान करना है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ए) का प्रावधान उस पर लागू नहीं होता है।

ब) कम्पनी, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी ('एनबीएफसी') होने के नाते, आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए निवेश, प्रदत्त गारंटी, प्रतिभूति और ऋण और गारंटियों की प्रकृति वाले सभी ऋणों और अग्रिमों के अनुदान संबंधी नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।

स) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों की प्रकृति वाले ऋण और अग्रिमों के संबंध में, मूलधन और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और ऐसे मामलों में जहां मूलधन का भुगतान और निर्धारित ब्याज प्राप्त नहीं होता है, कम्पनी द्वारा इसकी आवधिक नियामक रिपोर्टिंग के दौरान इसका संज्ञान लिया जाता है और आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उनका निपटान किया जाता है। ऐसी दशा में आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों पर विशेष जोर दिया जाता है।

य) 31.03.2023 तक नब्बे दिनों से अधिक की कुल बकाया राशि 5749.06 करोड़ रू. है। इसकी वसूली के लिए कंपनी द्वारा उचित कदम उठाए गए है।

र) चूंकि कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय ऋण देना है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(ई) का प्रावधान इस पर लागू नहीं होता है।

ल) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (76) में परिभाषित प्रमोटरों, संबंधित पक्षों को बिना शर्तों या भुगतान अवधि निर्धारण किए बिना, मांग करने पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने कोई ऐसे ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत शामिल की जा सकती है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान लोगों से किसी भी ऐसी जमा या धनराशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे धारा 73 से 76 या कम्पनी अधिनियम, 2013 और कम्पनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत जमा निधि माना जाता है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश इस पर लागू नहीं होते है। इसके अलावा, कम्पनी लॉ बोर्ड या नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसी जमा राशि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं।

(vi) केंद्र सरकार ने कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा 1 के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कम्पनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3(iv) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कम्पनी की लेखा-बहियों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते है कि:

क) कम्पनी नियमित रूप से इस पर लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर और अन्य सांविधिक नियमों के अनुसार देय राशियों सहित, अविवादित सांविधिक देय राशि, उचित प्राधिकारियों के पास जमा कराती आ रही है। इस संबंध में कम्पनी के खातों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई देय अविवादित राशि बकाया नहीं है।

ख) जहां कहीं भी किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई बकाया राशि निकाली गई है/मांग की गई है और कम्पनी द्वारा उसे विवादित बताया गया है, उसे निम्नलिखित मामलों को छोड़कर विरोध दर्ज कराते हुए जमा किया गया है:

अधिनियम का नाम	विवादित बकाया राशि का प्रकार	विवादित राशि (राशि करोड़ रु. में)	(क) में से लम्बित राशि जमा/समायोजित नहीं(राशि करोड़ में)	वर्ष जिससे मांग संबंधित है	फोरम, जिसमें विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961*	दंड	1.78	1.23	वित्तीय वर्ष 2015-16	सीआईटी (ए), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961*	आयकर	43.40	2.61	वित्तीय वर्ष 2016-17	सीआईटी (ए), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961*	आयकर	74.52	54.85	निर्धारण वर्ष 2019-20	सीआईटी (ए), नई दिल्ली
वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	सेवा कर और जुर्माना	1.80	1.80	वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2010-11	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली

*ऐसे आयकर मामले जो 31 मार्च 2023 को विवादित/अदेय के रूप में आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में प्रदर्शित है और राशि में ब्याज शामिल नही है।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने आय के रूप में कर-निर्धारण में ऐसे किसी भी लेनदेन का उल्लेख या खुलासा नहीं किया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान खाते-बहियों में आय के रूप में पहले दर्ज नहीं किया गया था।

(ix) अ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान और सरकार को ऋण के पुनर्भुगतान या उस पर लगे ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ब) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

स) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर पाया गया है कि कम्पनी ने सावधि ऋण के रूप में प्राप्त धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए यह प्राप्त किया गया था।

द) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, इस पर आदेश का खंड 3(ix)(डी) लागू नहीं होता है।

य) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चलता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कम्पनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यम के खाते में या उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी कम्पनी, संस्थान या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (ix) (ई) इस पर लागू नहीं है।

र) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कम्पनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(एफ) इस पर लागू नहीं होता है।

(x) अ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानि आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटायी है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ग)(अ) लागू नहीं होता है।

ब) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, भारत सरकार ने कंपनी में 17 सितंबर, 2022 और 07 मार्च, 2023 को क्रमशः 100 करोड़ रू. और 400 करोड़ रू. राशि की शेयर पूंजी का निवेश किया है। कंपनी ने 100 करोड़ रू. और 400 करोड़ रू. की प्राप्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को क्रमशः 27 अक्टूबर, 2022 को 10.76 रु. प्रति शेयर (0.76 रु. सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से 9,29,36,802 शेयर और 27 अप्रैल, 2023 को 13.62 रु. प्रति शेयर (3.62 रु. सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से 29,36,85,756 शेयर अधिमान्य आधार पर आवंटित किए है। इस संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 का अनुपालन किया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए धनराशि जुटाई गई थी।

(xi) अ) प्रदान की गई जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान कम्पनी द्वारा की गई कोई धोखाधड़ी नजर नहीं आयी। इसके अलावा एनबीएफसी व्यवसाय में संलग्न होने के कारण वर्ष के दौरान कम्पनी के खिलाफ पता चलने वाली धोखाधड़ी को नियामक प्रावधानों के अनुसार सूचित किया जाता है। वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गई अग्रिम संबंधी धोखाधड़ी की राशि रु. 439.28 करोड़ थी।

धोखाधड़ी की प्रकृति आम तौर पर अग्रिमों से संबंधित होती है, जिसका उधारकर्ताओं द्वारा 439.28 करोड़ रू. की राशि का दुरुपयोग किया जाता है।

ब) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कम्पनी के नियम 13 के तहत केंद्र सरकार के पास लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक नियम, 2014 में निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

स) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, निधि नियम, 2014 कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3(vii) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ हुए लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हों, के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) अ) हमारी राय में और जांच के आधार पर, कम्पनी के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली मौजूद है।

ब) हमने अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान, वर्ष के दौरान अब तक कम्पनी को जारी की गई लेखा-परीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है, जिसमें हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण एस. ए. 610 ''आंतरिक लेखा-परीक्षकों के कार्य का उपयोग'' में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार किया गया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत आता हो।

(xvi) अ) कम्पनी एक गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी है और उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकरण प्राप्त किया है। कम्पनी को गैर-बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने/जारी रखने की अनुमति दी गई है। कम्पनी को पंजीकरण संख्या बी-14.00009 दिनांक 18 अगस्त 2009 के माध्यम से बिना सार्वजनिक जमा स्वीकार किए गैर-बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

ब) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीयन या आवास वित्तीयन गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

स) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी कोर निवेश कम्पनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ब) लागू नहीं होता है।

द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी में समूह के भाग के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में और पिछले वित्तीय वर्ष में क्रमशः 621.01 करोड़ रु. और 1892.79 करोड़ रु. की नकद हानि हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, समयावधि घटने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है और तुलनपत्र की तिथि तक कम्पनी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं है, या मौजूद देनदारियां को तुलनपत्र के एक वर्ष की अवधि के भीतर भुगतान करने में समर्थ नहीं है। हमारी राय केवल एक अनुमान है और विभिन्न आकस्मिक घटनाओं और संभावित भावी परि.श्यों का आधार है। हालांकि, हम रिपोर्ट करते है कि यह कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते है कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो ऐसी कोई गारंटी देते है और न ही कोई आश्वासन देते है कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कम्पनी द्वारा भुगतान किया जायेगा या उनका निपटान किया जाएगा।

(xx) अ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी फंड में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान का अनुपालन करते हुए किसी भी व्यय न हो सकी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

ब) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के तहत किसी भी चालू सीएसआर परियोजना में कोई ऐसी राशि नहीं है जो खर्च न हो पायी हो।

कृते मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन: 23099374BGSEQO5773

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की हमारी रिपोर्ट की अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा 2 में निर्दिष्ट अनुबन्ध-ख

भाग क - निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कम्पनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेनों की प्रोसेसिंग से वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की स्थिति पर प्रभाव, यदि कोई हों, बतायें।	हां, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से प्रोसेस होते है। आयकर गणना और आस्थगित कर गणना एमएस एक्सेल पर मैन्युअल रूप से की गई है। यद्यपि दोनों प्रक्रियाओं में लेखांकन प्रविष्टियां केवल आईटी प्रणाली से ही पास की जाती है।
2.	क्या कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना हुई है या ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण/ब्याज आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	संदर्भाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है। ऋण चुकाने में कम्पनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है। हालांकि, कम्पनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एक ऋणदाता कम्पनी होने के नाते इसके पास ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डाले जाने वाले मामले है। बट्टे खाते में डालने/छूट देने वाले मामलों के विवरण इस प्रकार है: **क्र. | देय राशि की प्रकृति | राशि (करोड़ रु)** क. | ऋणों में छूट/माफी/तकनीकी अपलेखन | 267.95 ख. | पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/राइट-बैक | (34.11) ग. | देनदार बट्टे खाते में | 0.05 यह बताया गया कि छूट/बट्टे खाते में डालने का निर्णय व्यक्तिगत मामलों के आधार पर उपलब्ध प्रतिभूति सुरक्षा, उधारकर्ता/निवेशिती की स्थिति और लंबित मुकदमे पर विचार करते हुए प्रत्येक मामले में वसूली/वसूली की संभावना के उचित मूल्यांकन के बाद तय किया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने/छूट देने के मामलों में बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने/छूट की राशि की निर्धारित सीमा तक पूर्णतया खाता-बहियों में प्रावधान किया गया था।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया/उपयोग किया गया? यदि इनमें विचलन है तो ऐसे मामलों की सूची बनाएं।	लेखा-परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की/प्राप्त होने योग्य नही है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि का उचित हिसाब-किताब किया गया है और योजना के नियमों व शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त जानकारी पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा दिये गये उत्तरों पर आधारित है, जो इस रिपोर्ट के मैटर ऑफ इंफेसिस के पैरा 5 और 6 के अनुसार है।

भाग ख - उप-निर्देश

क्र.सं.	उप-निर्देश	उत्तर
1.	**निवेश** क्या सीजीएस/एसजीएस/बॉंड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के प्रलेख फिजिकल/डी-मैट रूप में उपलब्ध है और ये क्या ये कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के बराबर है? यदि नहीं, तो इनके विवरण का उल्लेख किया जा सकता है।	कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, सीजीएस/एसजीएस/बॉंड/डिबेंचर इत्यादि के संबंध में स्वामित्व प्रलेख फिजिकल/डीमैट रूप में उपलब्ध है और ये नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के अनुसार है। अ) जहां शेयर डीमैट या फिजिकल रूप में है लेकिन नमूना जांच के आधार पर पायी गई सीमा तक खाता-बहियों में शामिल नहीं है। **क्र.सं. | कम्पनी का नाम | प्रकार | शेयरों की संख्या** 1. | हिंडाल कंपनी भारत | फिजिकल | 116 2. | उड़ीसा सिंथेटिक्स लि. | फिजिकल | 100 3. | सिएल लि. | फिजिकल | 336348 4. | सिएल शुगर लि. | फिजिकल | 300 कंपनी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष से उपरोक्त शेयरों पर दावा करने की प्रक्रिया में है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>निर्देश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>इसके अलावा, कंपनियों के कुछ शेयर जो अब अस्तित्व में नहीं है, जीएम की समिति की तारीख 17.03.2023 के मिनट के अनुसार हिसाब नहीं दिया गया है।
ब) जहां शेयरों का लेखांकन बहीखातों में किया गया है, लेकिन नमूना जांच में पाये गये ये डीमैट या फिजिकल शेयर उपलब्ध नहीं है।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>शेयरों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एलएमएल लि. (प्रिफ्रे.)</td><td>21,50,912</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ओसीएम इंडिया लि.</td><td>5,89,743</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>समकोर ग्लास लि.</td><td>20,00,000</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सदर्न विंड फार्म प्रा. लि.</td><td>1,00,000</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि.(प्रिफ्रे.)</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि.</td><td>3,00,000</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कछार शुगर मिल्स लि.(प्रिफ्रे.)</td><td>14,953</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.</td><td>400</td></tr>
</table>
कंपनी उपरोक्त कंपनियों के संबंध में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया में है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ऋण
सभी पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों संबधी प्रावधानों के संबंध में- क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध सिक्योरिटी (प्रतिभूतियों) के वसूली योग्य मूल्य के आवधिक मूल्यांकन की प्रणाली लागू है और क्या इसके लिए वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है? इस संबंध में कोई कमी, यदि कोई हो, के सम्बंध में पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव सहित उपयुक्त रूप से टिप्पणी करें।</td><td>पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों सहित सभी ऋण पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के आकलन के लिए उचित प्रणाली बनायी गई है, जिसे तिमाही आधार पर अपडेट किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया समय-समय अपनायी जाती है और परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होने पर कभी भी अपनायी जा सकती है।
भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के नियमों को अपनाने के लिए कंपनी के वित्तीय खाते इंड एएस के अनुसार तैयार किए गये है। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार ऋण के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना करके परिसंपत्तियों में हानि की गणना इंड एएस के अनुसार की गई है। कंपनी इंड एएस मानदंडों बनाम आईआरएसी मानदंडों, जो भी लागू हों, के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान संबंधी नीति का पालन कर रही है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या कम्पनी द्वारा उधारकर्ता के साथ बकाया ऋण राशि की बुकिंग और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए किसी समाधान योजना/एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) पर समझौता हुआ है।</td><td>ओटीएस निपटान और समाधान योजना के संबंध में हानि और निपटान के लिए उचित लेखांकन समायोजन किया गया है।</td></tr>
</table>

कृते मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन: 23099374BGSEQO5773

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा-3 में निर्दिष्ट अनुबन्ध-ग

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा सहित उस तारीख की स्थितिनुसार आईएफसीआई लि. (''कम्पनी'') की स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीक्षा नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबन्धन का दायित्व

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में दिए गए आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीक्षा रिपोर्टिंग मापदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना और उनका रखरखाव करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। इन दायित्वों में ऐसे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियत्रणों के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो उनके सही होने तथा इसके कारोबार के प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करते है, जिनमें कम्पनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों का सही और पूर्ण होना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा-परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीखा पर आधारित स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') तथा दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित माने जाने वाले आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित नहीं है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा का नियोजन व निष्पादन इस प्रकार करें जिनसे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हों कि क्या स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किए गए है और उनका रखरखाव किया गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण समग्रत: प्रभावी रूप से कार्य कर रहे है।

हमारी लेखा-परीखा में स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग की हमारी लेखा-परीक्षा में स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करने, जोखिमों का निर्धारण, जिनसे महत्वपूर्ण हानि होती है, तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन व निरूपण शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है, वे स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त है।

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतिया और पद्धतियां शामिल है जो (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड, उपयुक्त विवरण में, सही रूप से तथा उनके संव्यवहारों और निपटान को उचित रूप से परिलक्षित करती है (2) जिनसे यह आश्वासन प्राप्त होता हो कि सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथावश्यक संव्यवहार रिकॉर्ड किए जाते है और कम्पनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किए जाते है और (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व निपटान को रोकने या उनका सही समय पर पता लगाने का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो।

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अन्तर्निहित परिसीमन

प्रबन्धन की मिलीभगत की सम्भावना या अयोग्य प्रबन्धन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्निहित परिसीमन से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चलता। भावी अवधियों में स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण भी ऐसे जोखिम के अधीन है जिनसे स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा पद्धतियों के अनुपालन में कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी में महत्वपूर्ण रूप से स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण के सम्बन्ध में, जहां तक हमारी जांच से प्रकट हुआ है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन: 23099374BGSEQO5773

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार
I. परिसम्पत्तियां			
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	3	**110.38**	112.43
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	4	**1,891.89**	648.37
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	**14.83**	2.02
(घ) व्यापार प्राप्य	6	**38.32**	30.52
(ङ) ऋण	7	**1,799.19**	2,382.59
(च) निवेश	8	**1,018.97**	1,683.60
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	**33.87**	49.93
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां		**4,907.45**	4,909.46
(2) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(क) सहायक कम्पनियों में निवेश	10	**1,257.70**	1,260.09
(ख) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश	11	**-**	-
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		**31.86**	48.28
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	12	**1,739.12**	1,852.75
(ङ) निवेश सम्पत्ति	13	**283.32**	271.41
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	14	**618.24**	634.49
(छ) कार्यशील पूंजी		**-**	-
(ज) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	**0.26**	0.43
(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	16	**92.11**	93.25
कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां		**4,022.61**	4,160.70
बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	17	**0.04**	0.04
कुल परिसम्पत्तियां		**8,930.10**	9,070.20
II. देयताएं एवं इक्विटी			
देयताएं			
(1) वित्तीय देयताएं			
(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	**-**	-
(ख) व्यापार देयताएं			
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं			
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	18	**62.26**	52.85
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	**4,590.31**	5,054.47
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	**443.09**	982.77
(ङ) अधीनस्थ देयताए	21	**774.67**	974.66
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	22	**2,349.99**	1,480.69
कुल वित्तीय देयताएं		**8,220.32**	8,545.44
(2) गैर-वित्तीय देयताएं			
(क) प्रावधान	23	**83.68**	79.31
(ख) अन्य गैर वित्तीय देयताएं	24	**-**	-
कुल गैर वित्तीय देयताएं		**83.68**	79.31
(3) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	**2,195.93**	2,102.99
(ख) अन्य इक्विटी	26	**(1,569.83)**	(1,657.54)
कुल इक्विटी		**626.10**	445.45
कुल देयताएं एवं इक्विटी		**8,930.10**	9,070.20

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	परिचालनों से राजस्व			
	ब्याज आय	27	**295.66**	592.88
	लाभांश आय		**51.35**	37.80
	किराया आय		**38.28**	35.74
	शुल्क एवं कमीशन आय		**59.05**	49.54
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)	28	**89.77**	40.98
I.	**परिचालनों से कुल राजस्व**		**534.11**	756.94
II.	अन्य आय	29	**11.15**	6.67
III.	**कुल आय (I+II)**		**545.26**	763.61
	व्यय			
	वित्त की लागत	30	**631.30**	922.88
	विदेशी मुद्रा हानि		**19.07**	18.52
	वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	31	**(79.29)**	1,373.32
	कर्मचारी हित व्यय	32	**99.27**	92.43
	मूल्यह्रास व परिशोधन	33	**24.07**	23.03
	अन्य व्यय	34	**36.41**	118.53
IV.	**कुल व्यय**		**730.83**	2,548.71
V.	**अपवादात्मक मद एवं करपूर्व लाभ (III- IV)**		**(185.57)**	(1,785.10)
VI.	अपवादात्मक मदें		**-**	-
VII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(185.57)**	(1,785.10)
VIII.	**कर व्यय:**			
	- चालू कर		**-**	-
	- पूर्व वर्षो के लिए कराधन		**-**	-
	- आस्थगित कर (निवल)	12	**102.01**	206.24
	कुल कर व्यय		**102.01**	206.24
IX.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(287.58)**	(1,991.33)
X.	**अन्य समग्र आय**			
क.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन-इक्विटी प्रतिभूतियां		**33.93**	140.98
	- एफवीटीओसीआई की बिक्री पर लाभ/(हानि) - इक्विटी प्रतिभूतियां		**(53.33)**	(102.70)
	- निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि)		**-**	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर - इक्विटी प्रतिभूतियां		**(11.86)**	(49.27)
	- निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि) पर कर		**-**	-
	उप जोड़ (क)		**(31.26)**	(10.99)
ख.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा।**			
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - उचित मूल्यों में निवल परिवर्तन		**(0.75)**	(10.54)
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - लाभ और हानि में पुन: वर्गीकृत		**-**	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा।			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर - ऋण		**0.24**	(13.80)
	उप जोड़ (ख)		**(0.51)**	(24.34)
	अन्य समग्र आय/(हानि) (क + ख)		**(31.77)**	(35.33)
XI.	**वर्ष हेतु कुल समग्र आय/(हानि) (IX+X)**		**(319.35)**	(2,026.66)
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर बेसिक अर्जन		**(1.31)**	(9.47)
	प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर डायल्यूटिड अर्जन		**(1.31)**	(9.47)

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्याकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क.	**परिचालन क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	कर-पूर्व निवल लाभ	**(185.57)**	(1,785.10)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**24.07**	23.03
	क्षति प्रावधान/बट्टे खाते डालना	**(79.29)**	1,373.32
	निवेशों पर वसूल न हुआ लाभ/(हानि)	**(95.44)**	(96.29)
	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों पर हानि		
	गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों पर हानि	-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	-	(0.02)
	वरीयता शेयरों पर ब्याज लागत		
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन तथा परिचालन क्रियाकलापों से पूर्व परिचालन लाभ	**(336.23)**	(485.06)
	परिचालन क्रियाकलापों के लिए समायोजन:		
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**742.39**	1,523.29
	ऋणों व अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**661.83**	2,674.80
	डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों में (वृद्धि)/कमी	**(12.81)**	(17.93)
	ट्रेड देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**9.41**	(112.83)
	अधिनस्थ देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**(199.99)**	(338.64)
	प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	**(8.17)**	26.54
	ऋण प्रतिभूतियों में वृद्धि/(कमी)	**(464.16)**	(2,216.31)
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(539.68)**	(1,302.93)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**(147.41)**	(249.07)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**1.14**	2.03
	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**14.98**	89.70
	अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**869.30**	(313.43)
	अन्य गैर वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	-	(0.42)
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**5.69**	(3.97)
	अन्य बैंक शेष राशियों में वृद्धि/(कमी)	**(1,243.52)**	(60.04)
	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	-	-
	कराधान से पूर्व नकद-प्रवाह	**(352.41)**	(286.13)
	आयकर (प्रदत्त)/वापसी-निवल	**16.42**	13.94
	परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**(483.40)**	(521.26)
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	परिसम्पत्ति प्लांट एवं उपकरण की खरीद/उनके लिए अग्रिम (पट्टाकृत परिसम्पत्तियों सहित)	**(32.47)**	(1.21)
	सहायक कंपनियों में निवेश	-	-
	निवेश संपत्ति की बिक्री से आय		
	सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की बिक्री	-	-
	अमूर्त पारिसम्पत्तियों की खरीद/उनके लिए अग्रिम	**0.17**	(0.03)
	परिसम्पत्ति प्लांट एवं उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की बिक्री से आय	**13.65**	0.24
	निवेश की बिक्री	-	1.13
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**(18.65)**	0.13
ग.	**वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों का निर्गम	**92.94**	61.01
	शेयर प्रीमियम (खर्चों का निवल)	**7.06**	38.99
	प्राप्त शेयर आवेदन राशि	**400.00**	-
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**500.00**	100.00
	नकद एवं नकद समकक्ष प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	**(2.05)**	(421.13)
	जोड़ें: अवधि के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	**112.43**	533.56
	अवधि के अन्त में नकद एवं नकद समकक्ष	**110.38**	112.43
	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष के विवरण:		
	हाथ में नकदी (डाक टिकटों सहित)	-	-
	बैंकों के पास शेष		
	- बैंक शेष	**7.27**	22.46
	- बैंक जमा	**67.28**	89.97
	संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	**35.83**	-
	हस्तगत एवं वसूलनीय एवं मार्गस्थ प्रेषण चेक	-	-
	वर्ष के अन्त में कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**110.38**	112.43

नकदी प्रवाहों की उपर्युक्त विवरणी इंड एएस 7 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार की गई है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।
इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी मे परिवर्तन	01 अप्रैल, 2021 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी मे परिवर्तन	31 मार्च, 2022 तक पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**31 मार्च, 2023 को शेष**
1,895.99	**-**	**1,895.99**	207.00	**2,102.99**	**-**	**2,102.99**	92.94	**2,195.93**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि	मानित इक्विटी अंशदान	क्षति रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष							अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख	अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख	परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	जोड़
				आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व	आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व	पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	पूंजी मोचन रिजर्व	डिबेंचर मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय			
01 अप्रैल, 2021 को शेष	**200.00**	**335.82**	**34.54**	**875.04**	**136.69**	**0.85**	**967.69**	**231.92**	**247.08**	**353.58**	**(2,529.14)**	**21.57**	**(452.89)**	**53.36**	**476.10**
वर्ष के लिए कुल समग्र आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,991.33)	(24.33)	(10.99)	-	(2,026.65)
वर्ष के दौरान स्थानांतरण आवेदन राशि	(200.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(200.00)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों का निर्गमन	-	-	-	-	-	-	93.00	-	-	-	-	-	-	-	93.00
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	(159.50)	159.50	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन मे/ से अन्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को शेष	**-**	**335.82**	**34.54**	**875.04**	**136.69**	**0.85**	**1,060.69**	**231.92**	**87.58**	**513.08**	**(4,520.47)**	**(2.76)**	**(463.88)**	**53.36**	**(1,657.54)**
वर्ष के लिए कुल समग्र आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(287.58)	(0.50)	(31.26)	-	(319.34)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों का निर्गमन	-	-	-	-	-	-	7.06	-	-	-	-	-	-	-	7.06
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन मे/ से अन्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष	**400.00**	**335.82**	**34.54**	**875.04**	**136.69**	**0.85**	**1,067.75**	**231.92**	**87.58**	**513.08**	**(4,808.06)**	**(3.26)**	**(495.14)**	**53.36**	**(1,569.83)**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्याकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 पृष्ठभूमि

दिल्ली, भारत में निगमित आईएफसीआई लिमिटेड (''कम्पनी'') सार्वजनिक क्षेत्र में एक गैर-बैंकिंग कम्पनी है। वर्तमान में सांविधिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित आईएफसीआई बीएसई एवं एनएसई पर सूचीबद्ध कम्पनी है। कम्पनी सभी क्षेत्रों में उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डे, सड़क, दूरसंचार रियल इस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और ऐसी ही अन्य सम्बद्ध उद्योग शामिल है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कम्पनी द्वारा ''कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर यथा-संषोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (''भा.ले.मा.'') के अनुसार किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए तथा इसके सहित कम्पनी ने मूल लागत परिणामों के तहत बीमांकन आधार पर तथा भारत में सामान्यतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (''भारतीय जीएएपी'' अथवा ''पूर्ववर्ती जीएएपी'') के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुप्रयोज्य लेखांकन मानक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुप्रयोज्य दिशा निर्देश अन्य सांविधिक प्रावधान एवं विनियम ढांचा शामिल है।

नीचे परिभाषित लेखांकन नीतियों के इन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई अवधि हेतु सुसंगत रूप में लागू किया गया है।

वित्तीय विवरण 28 मई, 2023 को कम्पनी के निदेषक मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत थे।

3. कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में दर्शाया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है। समस्त राशि करोड़ में मूल्यवर्णित है और जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, दो दशमलव तक पूर्णांकित है।

4. मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को छोड़कर है:

- एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- एफवीटीपीएल पर वित्तीय प्रलेख, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता-योजना परियोजनाओं का उचित मूल्य घटाकर परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य।

5. अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन ने आकलन, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया है जो वित्तीय विवरणों और उल्लेखित अवधि के लिए उल्लिखित आय एवं व्यय की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयता एवं परिसम्पत्ति सहित) की उल्लिखित राशियों को प्रभावित करते हों।

अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित सभी अवधियों में निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को निरन्तर लागू किया है।

क. राजस्व मान्यता

i. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वास्तव में वित्तीय प्रलेख के प्रत्याशित कार्य अवधि अथवा अल्प अवधि के जरिए अनुमानित आगामी नकदी प्राप्तियां को वहां छूट प्रदान करता है, जहां भी वित्तीय परिसम्पत्ति की निवल वास्तविक लागत उपयुक्त हो। ईआईआर को वित्तीय प्रलेख के सभी सांविधिक शर्तो को ध्यान में रख करके प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधर पर संगणित किया जाता है। परिकलन में समस्त शुल्क, लेनदेन लागत और सभी अन्य प्रीमियम अथवा संविदा पक्षों के बीच प्रदत्त अथवा प्राप्त छूट शामिल है, जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है।

ब्याज राजस्व को वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु (जब परिसम्पत्तियां क्षति क्रेडिट न हो) सकल वास्तविक राशि पर प्रयुक्त मूल ईआईआर पर मान्य किया जाता रहा हो। कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके द्वारा स्टेज-3 परिसम्पत्तियों(उन संपत्तियों को छोड़कर जो आईआरएसी मानदंड़ों के तहत मानक है) को दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से खाता बहियों में मान्यता नही दी जाएगी।

उन वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए, जो शुरुआती माान्यता पर क्रेडिट क्षतिग्रस्त थे, वहां ब्याज आय को वित्तीय परिसम्पत्ति के परिशोधित लागत पर क्रेडिट-समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करके परिकलित किया जाता है।

ii. दाण्डिक ब्याज एवं अन्य अतिदेय शुल्कों, जिन्हें प्रभावी ब्याज दर में शामिल नहीं किया जाता है, को वसूली की अनिश्चितता के कारण वसूली पर ही मान्य किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

iii. ऋणों एवं अग्रिमों के प्रति उधारों से प्राप्त राशि को सभी देय तारीखों में, सिवाय बातचीत द्वारा अथवा वार्तागत निपटानों के मामलों को छोड़कर, जहां विनियोजन निपटान शर्तो के अनुसार किया जाता है, उसी क्रम में अन्य डेबिटों, ब्याज अतिदेय और मूल अतिदेय के संबंध में पारिभाषित तारीख-वार विनियोजित किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

iv. ऋणों के पूर्व-भुगतान पर प्रीमियम/ब्याज दरों में कटौती को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

v. संबंधित कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों को लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

vi. एलसी कमीशन को समयोपरि मान्य किया जाता है, क्योंकि सेवाएं संविदा शर्तो के अनुसार दी जाती है।

vii. बेचे गए तथा बहियों में बकाया शेयरों के संबंध में अदावाकृत लाभांश को तीन वर्ष की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आय के रूप में मान्य किया जाता है।

ख. वित्तीय प्रलेख

I. आरंभिक मान्यता एवं मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब कम्पनी प्रलेखों की संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लेन-देन लागतों को, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के निर्गम (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं से भिन्न) शुरुआती माान्यता पर जैसा भी उपयुक्त हो, वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा इसमें से कम किया जाता है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

II. वर्गीकरण एवं परिवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियां

शुरुआती माान्यता पर, वित्तीय परिसम्पत्ति को परिवर्ती रूप में मूल्यांकित किया जाता है, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल के जरिए या तो परिशोधित लागत पर या फिर उचित मूल्य पर वर्गीकृत होता है।

व्यावसायिक मॉडल निर्धारण

कम्पनी व्यवसाय मॉडल का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करती है जिसमें परिसम्पत्ति को पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि यह व्यवसाय को व्यवस्थित करने के तरीके और प्रबंधन की उपलब्ध सूचना को अच्छी तरह दर्शाता है। विचारित जानकारी में निम्न शामिल है :

- संभाग हेतु 'पारिभाषित नीतियां एवं उद्देश्य तथा उन नीतियों का व्यवहारण परिचालन, विशेषत: यह कि प्रबंधन की कार्यनीति देयताओं की जो उन परिसम्पत्तियों को वित्त व्यवस्था प्रदाय कर रहे हैं अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री के जरिए नकदी प्रवाह वसूल कर रहे है; अवधि हेतु वित्तीय परिसम्पत्तियों की अवधि के अनुरूपण में एक विशेष ब्याज दर प्रोफाइल रखते हुए संविदात्मक ब्याज राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान देती है
- पूर्व अवधियों में बिक्री की आवृत्ति, मात्रा एवं समय निर्धारण, ऐसी बिक्री के कारण तथा बिक्री क्रियाकलापों के बारे में इसके अपवाद, तथापि, बिक्री क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को पृथकन में नहीं समझा जाता है, परन्तु समग्र मूल्यांकन के भाग के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के पारिभाषित उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और नकदी प्रवाह को क्रियान्वित किया जाता है

जोखिम, जो व्यवसाय मॉडल के निष्पादन को प्रभावित करता है, (और उस व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां) तथा उन जोखिमों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनके आरम्भिक मान्यता के बाद पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है; सिवाय उस अवधि के, जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति कर मूल्यांकन सिर्फ परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तो को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने की दिशा परिसम्पत्तियों को रखना है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्ते संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती है, जो सिर्फ मूल एवं ब्याज के भुगतान है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटा किसी क्षति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (''एफवीटीओसीआई'')

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है; यदि निम्नलिखित दोनों शर्तो को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को संग्रहीत करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचना दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्ते संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करता है, जो सिर्फ मूल एवं ब्याज के भुगतान है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर क्षति हानियों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वित्तीय परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि को कम नहीं किया जाता।

लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय प्रलेख को, जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकरण संबंधी मापदण्ड को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

इक्विटी प्रलेखों में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के संबंध में सभी इक्विटी निवेशों को (अर्थात सहायक कम्पनियों/सम्बद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश से भिन्न) एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है। तथापि, इक्विटी प्रलेख ने आरंभिक माान्यता पर, जिसे कारोबार हेतु नहीं रखा गया हो, कम्पनी ओसीआई में उचित मूल्य में अपरिवर्तनीय रूप से परवर्ती बदलावों को निरूपित करने का चयन कर सकती है। यह चुनाव निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव प्रलेख

डेरिवेटिव प्रलेखों का मूल्यांकन एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है।

वित्तीय देयताएं एवं इक्विटी प्रलेख

कम्पनी द्वारा जारी ऋण एवं इक्विटी प्रलेखों को या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में सांविदात्मक व्यवस्थाओं तथा वित्तीय देयता और इक्विटी प्रलेख की शर्तो के महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय देयताओं को आरंभिक मान्यता पर यथोचित लाभ अथवा हानि अथवा परिशोधित लागत के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी प्रलेख एक संविदा है जो इसकी सभी देयताओं को कम करने के बाद कम्पनी की परिसम्पत्तियों में अपशिष्ट ब्याज को प्रमाणित करता है। कम्पनी द्वारा जारी इक्विटी प्रलेखों को प्राप्त प्राप्तियों में मान्य किया जाता है जो सीधे लेनदेन लागतों पर आरोप्य होते है।

III. मूल्यांकन का आधार

परिशोधित लागत

परिषोधित लागत ऐसी राशि है, जिसमें वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयता का मूल्यांकन आरंभिक माान्यता घटाकर मूल चुकौती छूट की ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए संचयी परिशोधन के जमा अथवा घटा पर अथवा अधिग्रहण पर प्रीमियम पर और शुल्क अथवा लागत पर किया जाता है, जो ईआईआर के अभिन्न अंग है और वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए किसी हानि मंजूरी हेतु समायोजित किया जाता है।

उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा अथवा मूल में मूल्यांकन तारीख में बाजार भागीदारों के बीच अथवा इसके नहीं होने पर, अति लाभप्रद बाजार के बीच जिसके लिए कम्पनी की उस तारीख में पहुंच है; क्रमिक लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा। देयता का उचित मूल्य अलाभकारी जोखिम को दर्शाता है।

किसी एक के उपलब्ध होने पर कम्पनी उस प्रलेख के संबंध में क्रियाशील बाजार में उद्धत मूल्य का प्रयोग करते हुए प्रलेख के उचित मूल्य का मूल्यांकन करती है। बाजार को क्रियाशील तब समझा जाता है यदि सतत आधर पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त बारम्बारता एवं मात्रा के साथ परिसम्पत्तियों अथवा देयता के संबंध में लेन-देन किया जाता है।

यदि क्रियाशील बाजार में कोई उद्धत मूल्य न हो, तब कम्पनी मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है जो संगत इनपुटों के प्रयोग को बढ़ाता है और अमहत्वपूर्ण इनपुटों के प्रयोग को कम करता है। मूल्यांकन तकनीकी में वे सभी कारक शामिल होते है जो लेनदेन के मूल्यनिर्धारण में बाजार भागीदारों को ध्यान में रखेंगे।

IV. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को मान्यता/आशोधन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अवस्वीकरण।

वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को (अथवा जहां अनुप्रयोज्य हो, कार्यात्मक परिसम्पत्ति के भाग को अथवा इसी तरह के वित्तीय परिसम्पत्तियों के एक समूह के भाग को) मुख्यतया अमान्य अर्थात कम्पनी के तुलनपत्र से हटाया जाता है; किया जाता है, जब;

- परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो अथवा पूर्ण तरह से वसूल कर लिया गया हो, अथवा
- कम्पनी ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को स्थानान्तरित कर दिया है अथवा ''पास-थ्रो'' व्यवस्थापन के तहत किसी तीसरे पक्ष को अत्यधिक देरी के बिना पूर्ण रूप में प्राप्त नकदी प्रवाह को अदा करने की बाध्यता को स्वीकार कर लिया हो; और या तो (क) कम्पनी के परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं रिवॉर्डो को पर्याप्त रूप में स्थानान्तरित कर दिया हो या फिर (ख) कम्पनी ने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों और रिवॉर्डो को स्थानान्तरित किया हो, न ही पर्याप्त रूप में रखा हो, परन्तु परिसम्पत्ति के कंट्रोल को स्थानान्तरित किया हो।

जब कम्पनी ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार को स्थानान्तरित कर दिया हो, अथवा कोई पास-थ्रो व्यवस्था निष्पन्न की हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि इसे किस सीमा तक स्वामित्व के जोखिमों एवं रिवॉर्डो को रखना चाहिए। जब इसने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को न तो पर्याप्त रूप से स्थानान्तरित किया हो, न ही अपने पास रखा हो, न ही परिसम्पत्ति या कंट्रोल स्थानान्तरित किया हो; तो कम्पनी स्थानान्तरित परिसम्पत्ति को कम्पनी की निरस्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में निरन्तर मान्य करती है। कम्पनी स्थानान्तरित परिसम्पत्ति पर कम्पनी की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता के कारण प्राप्त प्रतिफल हेतु भी देयता को मान्य करती है। स्थानान्तरित परिसम्पत्ति और सम्बद्ध देयता का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाता है जो उस अधिकार एवं बाध्यताओं को दर्शाता है जो कम्पनी ने अपने पास रखे है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

वित्तीय परिसम्पत्ति के अमान्य करने पर, परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत (अमान्य परिसम्पत्ति के भाग हेतू निर्धारित रखरखाव राशि) और निम्न के जोड़ (i) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त की गई कोई नई परिसम्पत्ति घटा स्वीकृत कोई नई देयता शामिल है; और (ii) कोई संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे ओसीआई में स्वीकृत किया गया था, के बीच अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

कम्पनी वित्तीय देयता को तब अमान्य करती है, जब इसकी संविदात्मक बाध्यताएं मुक्त हो जाती है, अथवा रद्द हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है।

V. वित्तीय प्रलेखों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को छूट दी जाती है तथा निवल राशि का तुलन पत्र में उल्लेख किया जाता है जब कम्पनी को स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो और इसमें निवल आधर पर निपटान करने की धारणा हो अथवा परिसम्पत्ति की वसूली एवं देयता का साथ-साथ में निपटान करने की इच्छा हो।

VI. वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल के लिए उस अपसामान्य मंजूरी को स्वीकार करता है, जिनका मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर नहीं किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रलेख है।
- पट्टा प्राप्य
- जारी वित्तीय गारण्टी संविदाएं
- जारी ऋण प्रतिबद्धता

इक्विटी निवेशों पर क्षति को मान्य नहीं किया जाता है।

ईसीएल क्रेडिट हानियों की संमाक भारित अनुमान है। उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं है क्योंकि सभी नकदी के वर्तमान मूल्य को कम करता है, जो उल्लिखित तारीख के बाद 12 माह के भीतर संभव है।
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियां, परन्तु क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं - जो समस्त नकदी के वर्तमान मूल्य को कम करता है जो वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रत्याशित कार्य अवधि पर सभी संभावित चूक कार्यों के कारण है।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट है - जो सकल वास्तविक राशि और अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अन्तर के रूप में है।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं - जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अन्तर के वर्तमान मूल्य के रूप में है, जो कम्पनी को देय है, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह, जिसे कम्पनी प्राप्त करना चाहती है।

ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, कम्पनी कार्य अवधि प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि में हानि छूट का मूल्यांकन करती है।

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु हानि छूट को परिसम्पत्तियों के सकल रखरखाव राशि से कम किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि छूट को ओसीआई में मान्य किया जाता है।

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसम्पत्ति को तब बट्टेखाते (या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप में) डाला जाता है, जब वित्तीय परिसम्पत्ति के इसके पूरी तरह से अथवा उसके भाग के रूप में वसूल होने की उचित आशा न हो। यह सामान्य तौर पर ऐसा मामला है, जब कम्पनी पारिभाषित करती है कि कर्जदार के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा आय के स्रोत नहीं है, जिससे वह बट्टे खाते डाली गई राशियों की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस निर्धारण को व्यक्तिगत परिसम्पत्ति स्तर पर किया जाता है और लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभारित होता है।

तथापि, वित्तीय परिसम्पत्तियों को, जिन्हें बट्टे खाते डाला गया हो, जहां उपयुक्त हो अभी भी कानूनी राय ले करके कम्पनी की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्त्तन क्रियाकलापों के अध्यधीन रखा जा सकता है व की गई किसी भी वसूली को वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के समायोजन के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ग. सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

कम्पनी अपने निवेशों को लागत घटा संचित हानि, यदि हो पर सहायक कम्पनियों, संबद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में हिसाब में लेती है।

घ. पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब कभी भी बट्टे शर्ते स्वामित्व सभी जोखिमें एवं प्रतिफलों को पूरी तरह से पट्टेदार को अन्तरित होती है। सभी अन्य पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

i. **पट्टा देने वाले के रूप में कम्पनी**

वित्तीय पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशियों को पट्टों में कम्पनी के निवल निवेश की राशि पर प्राप्यों के तय में स्वीकार किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियों के लिए पारिभाषित किया जाता है, ताकि पट्टों के संबंध में कम्पनी की निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल की परिवर्तनीय आवधिक दर पर दर्शाया जा सके।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिचालन पट्टों में किराया आय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किराए को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोदभूत हुए हो, मान्य किया जाता है।

ii. **पट्टेदार के रूप में कम्पनी**

परिचालन पट्टों में किराया व्यय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किराए को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लागत प्रोद्भूत हुए हो, मान्य किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न आकस्मिक किरायों को उस अवधि में जिसमें के उपगत हुए है, व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

ङ. कर्मचारी लाभ

i. **अल्प अवधि कर्मचारी लाभ**

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ व्यगत होते है, जैसा कि संबंधित सेवा उपलब्ध हो। देयता को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के लिए मान्य किया जाता है; यदि कम्पनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. **नियोजन बाद लाभ**

क. परिभाषित अंशदान योजना

पेंशन

01 अप्रैल, 2008 से पहले, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय परिचालनरत पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत रखा गया था और तदनुसार जब भी देय हो मंहगाई भत्ता और परिवार पेंशन के लिए हकदार होते है। इस संबंध में किए गए अंशदान को जब भी देय हो, राजस्व में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी ने 01 अप्रैल, 2008 को मौजूदा कर्मचारियों के लिए अगस्त, 2008 में परिभाषित अंशदान योजना शुरू की और इसका ही चयन किया। कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि प्रशासन को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के न्यासियों द्वारा एक ग्रुप अधिवार्षिता नकदी संचयन योजना लागू करके सौंपा गया है।

ख. परिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि

कम्पनी पूर्वपरिभाषित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का परिभाषित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी की बाध्यता ऐसे परिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

उपदान

कम्पनी की उपदान के रूप में एक परिभाषित लाभ कर्मचारी योजना है। योजना के न्यासियों को एलआईसी की संबधित निधि का प्रशासन सौंपा गया है। वर्ष हेतु व्यय को इस संबंध में कम्पनी की वर्षान्त बाध्यता और योजना के वर्षान्त परिसम्पत्तियों के मूल्य के बीमांकन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अंशदान को कम्पनी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एलआईसी में जमा किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

कम्पनी की अस्पताल सुविधा एवं सामान्य चिकित्सा उपचार की कुछेक सीमाओं के तहत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कम्पनी की निवल बाध्यता को आगामी लाभ राशि का अनुमान लगा करके प्रत्येक योजना हेतु अलग से परिकलित किया जाता है। जिसे कर्मचारियों के वर्तमान लागतों में अपनी सेवा हेतु और किसी योजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य, यदि कोई काटा गया हो, के लिए बाद में अर्जित किया हो।

iii. **अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

कम्पनी की छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी किराया छूट के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को दर्शाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी की निवल बाध्यता आगामी लाभ की राशि है जो कर्मचारी का वर्तमान मूल्य है, और किसी संबंधित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किया गया है परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। किन्ही बीमांकन लाभों अथवा हानियों को उस अवधि में जिसमें वे उद्भूत हुए, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है। छुट्टी किराया छूट का प्रावधन बीमांकन मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

च. आय कर

i. **वर्तमान कर**

वर्तमान कर का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष हेतु कराधेय आय के संबंध में अदा किए जाने वाले प्रत्याशित राशि पर किया जाता है। वर्तमान कर में वर्ष हेतु कराधेय आय अथवा हानि पर देय कर और पूर्ववर्ती वर्षो के संबंध में देय कर के समायोजन पर देय कर शामिल है। इसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियम कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करके किया जाता है। आयकर

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर ('मैट') को लाभ और हानि विवरण में वर्तमान कर के रूप में मान्य किया जाता है। वर्तमान कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती है, यदि कम्पनी:

(क) को कानूनी रूप से स्वीकृत राशियों को प्रतियुक्ति करने का प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

(ख) या तो निवल आधार पर इसका निपटान करना चाहती हो या फिर परिसम्पत्ति की वसूली करना चाहती हो और साथ में देयता का निपटान करना चाहती हो।

ii. **आस्थगित कर**

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए और कराधन प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त राशियों के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशियों के बीच अस्थायी अन्तर के संबंध में मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में तथा प्रबंधन के आकलन के आधार पर पुनरीक्षा की जाती है, उस सीमा में कम किया जाता है, जिसमें इसकी अधिक संभावना नहीं हो कि संबंधित कर लाभ को वसूल किया जाएगा; ऐसी घटौतियों को रिवर्स किया जाता है, जब आगामी कराधन लाभ की संभावना में सुधार आता है।

अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुन: परिभाषित किया जाता है और काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह संभव हो सके कि आगामी कराधेय लाभ उनके संबंध में प्राप्य होंगे जिसके संबंध में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें, अस्थायी अन्तरों पर लागू किया जा सकता है जब उन्हें रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए लौटाया जा सकता हो।

आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर परिणामों को चित्रित करता है, जो रिपोर्टिंग तारीख में ऐसे तरीके से उत्पन्न होंगे जिसमें कम्पनी अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशि को वसूल कर सके अथवा इसका निपटान कर सके।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती है, यदि कम्पनी की :

क) चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

ख) आय करों से संबंधित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा वसूला जाता है।

प्रदत्त मैट के संबंध में अधिनियम के तहत उपलब्ध क्रेडिट को केवल परिसम्पत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब भी इसमें स्पष्टकारी प्रमाण हो कि कम्पनी उस अवधि में सामान्य आय कर का भुगतान करेगी जिस अवधि के लिए मैट क्रेडिट को सामान्य कर देयता के संबंध में प्रतितुलन हेतु आगे ले जाया जा सकता हो। परिसम्पत्ति के रूप में स्वीकृत मैट क्रेडिट की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और काफी हद तक रिकॉर्ड में लाया जाता है, उपरोक्त युक्तियुक्त प्रमाण अधिक समय तक मौजूद नहीं रहता।

छ. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा निवेश परिसम्पत्ति

मान्यता एवं मूल्यांकन

प्रयोग हेतु अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु धरित सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि पर तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है। लागत में संबंधित परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं संस्थापन में संबंधित गैर-वापसी योग्य कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल है। 5,000/- रूपए से कम कीमत वाली परिसम्पत्ति को खरीद के वर्ष में लाभ व हानि विवरण में प्रभारितत किया जाएगा।

निवेश परिसम्पत्ति में, किराया प्राप्त करने के लिए किराए पर दिया गया भवन शामिल है। कम्पनी निवेश परिसम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु लागत मॉडल का अनुपालन करती है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी कार्य अवधि पर सीधी कटौती विधि का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में पारिभाषित है। मूल्यह्रास को यथा-अनुपात आधार पर परिकलित किया जाता है, जिसमें परिवर्धन माह और बिक्री/निपटान माह का अपवर्जन शामिल है। पट्टाभूमि सुधार को सीधी कटौती आधार पर मूलाधर पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है। भवन एवं वाहनों के संबंध में अपशिष्ट मूल्य को लागत के 5% के रूप में समझा जाता है तथा अन्य परिसम्पत्ति के मामले में ''शून्य'' समझा जाता है।

अनुमानित उपयोगी मूल्यों, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए गए अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती है।

अस्वीकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब परिसम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से कोई आगामी आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की किसी मद के निपटान पर अथवा सेवा समाप्ति पर उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को बिक्री प्राप्तियों एवं परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है और लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ज. अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता एवं मूल्यांकन

अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें, समस्त व्यय शामिल होता है, जिसे इसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए एक उचित एवं सुसंगत आधार पर परिसम्पत्ति को सृजित करने, उत्पन्न करने अथवा तैयार करने के लिए सीधे आरोप्य अथवा परिभाषित किया जा सकता है।

परिशोधन

परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि तथा परिशोधन

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए जा रहे अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में पुनरीक्षा की जाती है।

बैलेंस शीट में दिखाई गई अमूर्त संपत्तियों में स्थायी लाइसेंस वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और पूंजीकरण की तारीख से छह साल की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित हैं।

अस्वीकरण

अमूर्त परिसम्पत्ति को निपटान पर अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न लाभों अथवा हानियां को, जो परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्राप्तियों एवं रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में मूल्यांकित हो, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है, जब परिसम्पत्ति अमान्य हो।

झ. गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में, कम्पनी अपनी गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों के रखरखाव राशि की (बिक्री हेतु रखे सम्पत्ति एवं आस्थगित कर सम्पत्ति से भिन्न) यह निर्धारण करने हेतु पुनरीक्षा करती है कि क्या इसमें क्षति का कोई संकेतन है। यदि कोई संकेतन मौजूद होता है: तब परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति की जांच करने हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के छोटे-छोटे समूह में एक साथ समूहित किया जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करता है; जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी अन्तर्प्रवाह का अत्यधिक स्वतंत्र प्रवाह है।

परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की ''वसूलनीय राशि'' इसके प्रचालित मूल्य तथा बिक्री हेतु इसके उचित मूल्य घटाकर लागत से अधिक होती है। ''प्रचलित मूल्य'' अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह पर आधरित होता है, जो पूर्व कर दर छूट का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है, जो परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की राशि एवं जोखिम विशेष के समय मान के वर्तमान बाजार निर्धरण को चित्रित करता है।

क्षति हानियों को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। क्षति हानि केवल उसी सीमा में प्रत्यावर्तित होती है, जिसमें परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि उस रखरखाव राशि से अधिक नहीं होती, जिसे परिभाषित किया जाना होगा, निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन राशि से अधिक नहीं होती, यदि क्षति क्षति को स्वीकार नहीं किया गया था।

ञ. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों में खर्चो एवं आय को लेन-देन की तारीख को अग्रवर्ती दर पर प्रचलित दरों पर हिसाब में लिया जाता है; यदि ऐसे लेनदेन के लिए अर्जित किया गया हो। विदेशी मुद्रा में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा विदेशी मुद्रा में उद्भूत आय एवं व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा लेखांकन अवधि के समाप्त होने की दिशा में सूचित दरों पर भारतीय रुपए में अन्तरित किया जाता है। विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ/हानियां, यदि कोई हो को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है।

ट. दावों, मुकदमेबाजी आदि से संबंधित प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है, जब कम्पनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई कानूनी एवं रचनात्मक बाध्यता हो, जिसके लिए यह संभावना हो कि नकदी प्रवाह आवश्यक होगा तथा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय किया जा सकता है। प्रावधानों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के प्रबंधन के उत्कृष्ट आकलन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दर पूर्वकर दर है जो देयता के लिए विशिष्ट धनराशि एवं जोखिमों के समय मान के वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है।

ठ. आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयता तब मौजूद रहती है जब इसमें संभावना हो, परन्तु संभाव्य बाध्यता नहीं हो, अथवा कोई वर्तमान बाध्यता न हो, जो संभव हो सकती है, परन्तु संभवत: संसाधनों के बहिर्प्रवाह अथवा उस वर्तमान बाध्यता के लिए आवश्यक नहीं होगी; जिसकी राशि को विश्वसनीयता से आकलित नहीं किया जा सकता हो।

आकस्मिक देयता में प्रावधन आवश्यक नहीं होते, परन्तु प्रकट किए जाते है, जब तक कि संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना अप्रत्यक्ष हो।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभव हो।

ड. नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में चालू खातो बैंकों में शेष एवं मियादी जमा राशियां, हस्तगत नकदी एवं चेक तथा संपार्श्विक ऋण एवं उधारी बाध्यता लेनदेनों पर उधार दी गई राशि शामिल है।

ढ़. खण्ड रिपोर्टिंग

परिचालन खण्डों का कम्पनी के मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराए गए आन्तरिक रिपोर्टिंग के साथ सुसंगत तरीके में उल्लेख किया जाता है। सीओडीएम, संसाधनों के निर्धारण हेतु और कम्पनी के परिचालन खण्डों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

ण. बिक्री हेतु रखी गई परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्तियों को बिक्री हेतु परिभाषित सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें अत्यधिक संभावना हो कि उन्हें मुख्यत: बिक्री के जरिए वसूल किया जाएगा बजाय निरन्तर प्रयोग के जरिए।

ऐसी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन पर लाभों एवं हानियां के साथ बिक्री हेतु उनकी रखरखाव राशि एवं उचित मूल्य घटाकर लागत से कम पर किया जाता है।

एक बार बिक्री सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होने पर परिसम्पत्तियों को अधिक समय तक परिशोधित, मूल्यह्रासित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं रखा जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3	**नकद एवं नकदी समतुल्य**		
	हस्तगत नकदी (डाक टिकटों सहित)*	**-**	-
	बैंकों में शेष		
	- बैंक शेष	**7.27**	22.46
	- बैंक में जमा राशि	**67.28**	89.97
	संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	**35.83**	-
	हाथ मे और संग्रह के तहत चैक और पारगमन मे प्रेषण	**-**	-
	जोड़	**110.38**	112.43

* संबंधित रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार नकद शेष राशि 100 रूपए (सौ रुपए) है।

4	**नकदी एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष**		
	क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना के तहत कम्पनी के पास रखी निधि के प्रति बैंक जमा राशियां		
	- बैंक में शेष	**0.02**	0.19
	- बैंक में जमा राशि ^	**321.48**	305.27
	पीएलआई योजना के तहत बैंकों के पास शेष राशि	**843.73**	50.57
	ऋण भुगतान के लिए बैंकों के पास शेष राशि	**458.71**	35.86
	अदावाकृत लाभांश खाता	**2.26**	5.92
	गारण्टियों के प्रति सीमान्त राशि के रूप में धारित बैंक शेष *	**44.90**	49.59
	न्यायालय और अधिकरण आदि के निर्देशन पर बैंक जमा राशि #	**220.79**	200.97
	जोड़	**1,891.89**	648.37
	^ 12 माह से अधिक के शेष शामिल है।		
	* 12 माह से अधिक के शेष शामिल है।	**-**	-
	# 12 माह से अधिक के शेष शामिल है।	**-**	-

5 डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख:

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	काल्पनिक राशि	**उचित मूल्य- परिसम्पत्तियां/ देयताएं**	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य- परिसम्पत्तियां/ देयताएं
भाग I				
मुद्रा डेरिवेटिव:				
- स्पॉट एण्ड फारवर्ड	**364.20**	**14.83**	370.57	2.02
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख- भाग I	**364.20**	**14.83**	370.57	2.02
भाग II				
उपरोक्त (भाग I) में सम्मिलित प्रतिरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु धारित डेरिवेटिव निम्नानुसार है:				
अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	**364.20**	**14.83**	370.57	2.02
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख - भाग II	**364.20**	**14.83**	370.57	2.02

डेरिवेटिव्स को विदेशी मुद्रा में किए गए ऋणों के लिए ब्याज दर एवं मूल जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए कम्पनी द्वारा प्रयोग किया गया है।
डेरिवेटिव से हुए प्रबंधन जोखिम के लिए टिप्पणी सं. 53 देखें

6	**प्राप्य राशियां:**	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
	(क) प्रतिभूत		
	- अच्छी समझी गई	**-**	-
	- संदिग्ध समझी गई	**-**	-
	(ख) अप्रतिभूत		
	- अच्छी समझी गई	**40.19**	31.85
	- संदिग्ध समझी गई	**-**	-
		40.19	31.85
	घटाएं: क्षति हेतु प्रावधान	**(1.87)**	(1.33)
	जोड़	**38.32**	30.52

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ट्रेड प्राप्यों का काल प्रभावन

31 मार्च, 2023 को	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					
	6 माह से कम	**6 माह- 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**जोड़**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	**30.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.81**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	**-**	**4.27**	**2.53**	**1.08**	**-**	**7.88**
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.50**	**1.50**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	-
	30.81	**4.27**	**2.53**	**1.08**	**1.50**	**40.19**
घटाएं: हानि के लिए प्रावधान	**-**	**0.20**	**0.12**	**0.05**	**1.50**	**1.87**
जोड़						**38.32**

31 मार्च, 2022 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	24.91	-	-	-	-	24.91
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	3.01	1.66	1.19		5.86
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	1.08	1.08
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	-
	24.91	3.01	1.66	1.19	1.08	31.85
घटाएं: हानि के लिए प्रावधान	-	0.13	0.07	0.05	1.08	1.33
जोड़						30.52

संबंधित पक्षों से एवं संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों से देय ट्रेड प्राप्यों के निबंध्नों एवं शर्तों के लिए टिप्पणी 47 को देखें।
क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिमों तथा व्यापार प्राप्यों से संबंधित हानि भत्तों की कम्पनी की जोखिमों पर टिप्पणी 53 में प्रकट किया गया है।

7 ऋण

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) मियादी ऋण	**5,565.23**	6,527.79
(ii) पट्टे पर देना	**0.04**	0.04
(iii) डिबेंचर	**876.32**	812.07
जोड़ (क) - सकल	**6,441.59**	7,339.90
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	**4,642.40**	4,957.31
जोड़ (क) - निवल	**1,799.19**	2,382.59
(ख) प्रतिभूति विवरण		
(i) मूर्त एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत	**4,006.14**	5,175.88
(ii) बैंक/सरकारी गारण्टी में शामिल	**57.91**	54.37
(iii) अप्रतिभूत	**2,377.54**	2,109.65
जोड़ (ख) - सकल	**6,441.59**	7,339.90
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	**4,642.40**	4,957.31
जोड़ (ख) - निवल	**1,799.19**	2,382.59
(ग) भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	**2.11**	54.11
(ii) अन्य	**6,439.48**	7,285.79
जोड़ (ग) - सकल	**6,441.59**	7,339.90
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	**4,642.40**	4,957.31
जोड़ (ग) - निवल	**1,799.19**	2,382.59
(घ) भारत से बाहर ऋण	**-**	-
जोड़ (घ) - सकल	**-**	-
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	**-**	-
जोड़ (घ) - निवल	**-**	-

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

8 निवेश

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर: अन्य समग्र आय के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	अन्य	जोड
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
31 मार्च, 2023 को						
(क)						
(i) म्युचअल फण्ड	-	-	**147.61**	-	-	**147.61**
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	-	**0.70**	-	-	-	**0.70**
(iii) राजकोष बिल	-	-	-	-	-	-
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	-	**19.98**	-	-	-	**19.98**
(v) इक्विटी प्रलेख	-	**26.72**	**591.70**	-	-	**618.42**
(vi) अन्य	-	-	-	-	-	-
उद्यम पूंजी	-	-	**109.71**	-	-	**109.71**
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	**118.60**	-	-	**118.60**
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट जमा	-	-	-	-	-	-
अधिमान शेयर	-	-	**3.95**	-	-	**3.95**
जोड़ - सकल (क)	-	**47.40**	**971.57**	-	-	**1,018.97**
(ख)						
(i) भारत में निवेश	-	**47.40**	**971.57**	-	-	**1,018.97**
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	-	**47.40**	**971.57**	-	-	**1,018.97**
(ग) घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	
(घ) जोड़ - निवल (क-ग)	-	**47.40**	**971.57**	-	-	**1,018.97**

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर: अन्य समग्र आय के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	अन्य	जोड
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
31 मार्च, 2022 को						
(क)						
(i) म्युचअल फण्ड	-	-	90.96	-	-	90.96
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	-	0.72	-	-	-	0.72
(iii) राजकोष विपत्र	-	533.09	-	-	-	533.09
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	-	93.29	-	-	-	93.29
(v) इक्विटी प्रलेख	-	54.75	600.92	-	-	655.67
(vi) अन्य	-					
उद्यम पूंजी	-	-	114.48	-	-	114.48
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	190.53	-	-	190.53
अधिमान शेयर	-	-	4.86	-	-	4.86
जोड़ - सकल (क)	-	681.85	1,001.75	-	-	1,683.60
(ख)						
(i) भारत में निवेश	-	681.85	1,001.75	-	-	1,683.60
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	-	681.85	1,001.75	-	-	1,683.60
(ग) घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	
(घ) जोड़ - निवल (क-ग)	-	681.85	1,001.75	-	-	1,683.60

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

9 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निवेशों पर ब्याज	**0.51**	2.44
प्रोद्भूत आय	**2.01**	14.31
कर्मचारियों को ऋण	**24.79**	26.41
अन्य जमा राशियां	**54.97**	57.57
अन्य संदिग्ध जमा राशियां	**12.12**	12.12
अन्य वसूलनीय राशियां	**9.84**	7.49
	104.24	120.34
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**70.37**	70.41
जोड़	**33.87**	49.93

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

10 सहायक कम्पनियों में निवेश

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सहायक कम्पनियों में निवेश	**1,381.72**	1,381.72
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	**124.02**	121.63
जोड़	**1257.70**	1260.09

11 इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए लेखागत निवेश

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सहयोगी कम्पनियों में निवेश	**-**	-
जोड़	**-**	-

12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

विवरण	01 अप्रैल, 2022 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	**31 मार्च, 2023 को**
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,743.55	-	(109.58)	-	**1,633.97**
अन्य	377.71	-	-	-	**377.71**
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	-	-	**-**
	2,121.27	-	-109.58	-	**2,011.68**
आस्थगित कर देयताएं:					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	241.43	-	(17.85)	-	**223.58**
निवेश	77.43	-	14.09	11.62	**103.14**
सहायक कम्पनियों में निवेश	(100.05)	-	(0.83)	-	**(100.88)**
36(i) (viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	**46.72**
उधार	2.98	-	(2.98)	-	**(0.00)**
	268.51	-	-7.57	11.62	**272.56**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	1,852.76	-	-102.01	(11.62)	**1,739.12**

13 निवेश सम्पत्ति

	सकल ब्लाक				**मूल्य ह्रास**				**निवल ब्लाक**	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	11.82	11.34	-	**23.16**	-	-	-	**-**	**23.16**	11.82
भवन	322.00	6.31	-	**328.31**	86.66	1.72	(5.03)	**93.41**	**234.90**	235.34
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	24.25	1.01	-	**25.26**	-	-	-	**-**	**25.26**	24.25
जोड़	358.07	18.66	-	**376.73**	86.66	1.72	(5.03)	**93.41**	**283.32**	271.41

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	9.84	1.98	-	11.82	-	-	-	-	11.82	9.84
भवन	192.75	129.25	-	322.00	17.10	2.73	(66.83)	86.66	235.34	175.65
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	0.02	24.23	-	24.25	-	-	-	-	24.25	0.02
जोड़	202.61	155.46	-	358.07	17.10	2.73	(66.83)	86.66	271.41	185.51

निवेश सम्पत्ति से अर्जित किराए की आय के विवरण के लिए, लाभ और हानि का विवरण देखे
31/03/2023 को निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य रूपए 554.37 करोड़ है (पिछले वर्ष-31/03/2022: रूपए 499.81 करोड़)

उचित मूल्यों का आकलन

i. उचित मूल्य क्रमानुक्रम

निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को बाहरी, स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांककों द्वारा निर्धारित किया गया है; जिसमें मूल्यांकित की जा रही सम्पत्ति का स्थान एवं श्रेणी में उपयुक्त मान्य पेशेवर योग्यताओं एवं नवीनतम अनुभव शामिल है। हालाँकि, मूल्यांकन आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त रिपोर्ट अवधि के आधार पर आंतरिक रूप से निर्धारित किया गया है।

समस्त निवेश सम्पत्ति हेतु उचित मूल्य मूल्यांकन को प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी के इनपुटों के आधार पर तीन स्तरीय उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. मूल्यांकन तकनीक

कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री तुलना तकनीक का पालन करती है। मूल्यांकन मॉडल आसपास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों में नवीनतम बिक्रियों मिलते-जुलते हित का सूचीयन की तुलना करके विषयगत सम्पत्ति के मूल्य पर विचार करती है। बिक्रियों का विश्लेषण करके, जो इच्छुक खरीददारों एवं विक्रेताओं के बीच ''आर्म-लैन्थ'' लेन-देन के रूप में मान्य हो, समायोजन, इसके आकार, स्थान, समय सुख-सुविधाओं एवं अन्य संगत कारकों को देखते हुए किया जाएगा, जब इस तरह के बिक्री मूल्य की वस्तुगत सम्पत्ति की संबंध में तुलना की गई हो। इस दृष्टिकोण को सामान्य रूप में मानक सम्पत्तियों के मूल्य हेतु तब प्रयोग किया जाता है जब वसूलनीय बिक्री साक्ष्य उपलब्ध हो।

14 सम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

	सकल ब्लाक				**मूल्य ह्रास**				**निवल ब्लाक**	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	97.15	-	11.34	**85.81**	-	-		**-**	**85.81**	97.15
भवन	315.71	19.26	6.31	**328.67**	(13.77)	15.25	5.03	**(3.55)**	**332.22**	329.48
पट्टा भूमि सुधार	0.04	-	-	**0.04**	0.04	-	-	**0.04**	**-**	-
संयंत्र एवं मशीनरी	8.18	-	-	**8.18**	2.03	0.59	-	**2.62**	**5.55**	6.15
फर्नीचर एवं फिक्सचर	5.89	0.00	0.00	**5.88**	5.49	0.17	0.00	**5.66**	**0.23**	0.39
वाहन	0.36	-	0.09	**0.27**	0.01	0.04	0.08	**(0.03)**	**0.30**	0.35
कार्यालय उपकरण	2.57	0.27	1.50	**1.34**	1.82	0.28	1.49	**0.61**	**0.73**	0.75
इलेक्ट्रीकल स्थापना एवं उपकरण	11.35	0.04	0.00	**11.39**	10.29	0.37	-	**10.66**	**0.73**	1.06
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	240.11	-	1.01	**239.10**	40.95	5.47	-	**46.42**	**192.68**	199.16
जोड़	681.35	19.57	20.25	**680.67**	46.86	22.17	6.61	**62.43**	**618.24**	634.49

	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	99.13	-	1.98	97.15	-	-	-	-	97.15	99.13
भवन	444.96	-	129.25	315.71	38.95	14.11	66.83	(13.77)	329.48	406.01
पट्टा भूमि सुधार	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	7.39	0.79	-	8.18	1.43	0.60	-	2.03	6.15	5.96
फर्नीचर एवं फिक्सचर	5.88	0.01	0.01	5.89	5.18	0.32	0.00	5.49	0.39	0.70
वाहन	0.33	0.20	0.17	0.36	0.14	0.03	0.16	0.01	0.35	0.19
कार्यालय उपकरण	2.71	0.21	0.35	2.57	1.72	0.44	0.34	1.82	0.75	0.99
इलेक्ट्रीकल स्थापना एव उपकरण	11.34	0.01	-	11.35	9.84	0.46	0.00	10.29	1.06	1.51
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	264.34	-	24.23	240.11	37.10	3.85	-	40.95	199.16	227.24
जोड़	836.13	1.21	155.98	681.35	94.39	19.80	67.34	46.86	634.49	741.73

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

15 अमूर्त परिसम्पत्तियां

	सकल ब्लाक				परिशोधन				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर	3.05	0.00	-	**3.05**	2.62	0.17	-	**2.79**	**0.26**	0.43
जोड़	3.05	0.00	-	**3.05**	2.62	-	-	**2.79**	**0.26**	0.43

	सकल ब्लाक				परिशोधन				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर	3.02	0.03	-	3.05	2.11	0.51	-	2.62	0.43	0.91
जोड़	3.02	0.03	-	3.05	2.11	0.51	-	2.62	0.43	0.91

16 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पूंजी अग्रिम	**0.82**	0.82
पूर्व प्रदत्त व्यय	**1.62**	0.22
अन्य परिसम्पत्तियां	**89.67**	92.21
जोड़	**92.11**	93.25

17 बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
विकास वित्तपोषण के तहत सहायता (एयूएफ)- सहायक कम्पनियां	**0.04**	0.04
जोड़	**0.04**	0.04

18 ट्रेड देयताएं

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया	**-**	-
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया	**62.26**	52.85
जोड़	**62.26**	52.85

ट्रेड देयताओं का काल प्रभावन

31 मार्च, 2023 को	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**				
	1 माह से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**जोड़**
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ii) अन्य	**37.47**	**4.14**	**1.48**	**19.17**	**62.26**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
जोड़					**62.26**

31 मार्च, 2022 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 माह से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	29.72	2.47	2.07	18.59	52.85
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़					52.85

इसमें कोई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम नहीं है, जिसको कम्पनी की देयताएं बाकी हों, जो सभी सूचना तारीखों को 45 दिन से अधिक अवधि से बकाया हो। इस सूचना को, जैसा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट किया जाना अपेक्षित है, काफी हद तक परिभाषित किया गया है जो कम्पनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिज्ञात ऐसे पक्षकारों की स्थिति के अनुसार है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

19 ऋण प्रतिभूतियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) बाण्ड		
- निजी रूप से धारित बाण्ड	**2,745.37**	3,238.65
- निजी रूप से रखे गए जीरो कूपन बॉण्ड	**327.55**	298.43
- अवसंरचना बॉण्ड	**346.70**	321.05
- सहायक कम्पनियों को जारी निजी रूप से धारित बॉण्ड	**75.00**	75.00
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नही ब्याज	**(187.66)**	(162.01)
(ii) कर मुक्त बॉण्ड (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट-बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	**45.00**	45.00
- अन्यों द्वारा धारित	**265.00**	265.00
(iii) असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों का सार्वजनिक निर्गम प्रतिभूत विमोच्य गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घटबढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	**10.00**	10.00
- अन्यों द्वारा धारित	**1,037.58**	1,025.28
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नही ब्याज	**(74.23)**	(61.93)
- अन्य (बॉण्ड/डिबेंचर आदि)	**-**	-
जोड़ (क)	**4,590.31**	5,054.47
(ख) भारत में/भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतिया		
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	**4,590.31**	5,054.47
(ii) भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	**-**	-
जोड़ (ख)	**4,590.31**	5,054.47

अन्य बॉण्ड की पुन:अदायगी की शर्ते

शृंखला	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख	राशि
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-40	20.79
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-39	22.82
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-38	25.05
अन्य बॉण्ड	9.90%	5-Nov-37	106.88
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-37	27.49
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-36	30.18
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-35	33.13
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-34	36.35
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-33	39.89
अन्य बॉण्ड	9.90%	5-Nov-32	106.88
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-32	43.79
जीरो कूपन बॉण्ड	9.75%	7-Jul-31	48.07
अन्य बॉण्ड	9.98%	29-Oct-30	250.00
अन्य बॉण्ड	9.75%	16-Jul-30	500.00
अन्य बॉण्ड	9.75%	13-Jul-30	250.00
अन्य बॉण्ड	9.70%	18-May-30	250.00
अन्य बॉण्ड	9.70%	4-May-30	250.00
अन्य बॉण्ड	9.75%	26-Apr-28	350.00
अन्य बॉण्ड	9.90%	5-Nov-27	106.88
अन्य बॉण्ड	10.12%	8-Oct-27	19.59
अन्य बॉण्ड	10.10%	8-Oct-27	5.15
इंफ्रा बॉण्ड	8.72%	31-Mar-27	23.11
इंफ्रा बॉण्ड	9.16%	15-Feb-27	40.02
इंफ्रा बॉण्ड	8.75%	12-Dec-26	10.68
अन्य बॉण्ड	9.55%	13-Apr-25	225.00
अन्य बॉण्ड	9.55%	5-Mar-25	200.00
अन्य बॉण्ड	9.75%	25-Jan-25	200.00
इंफ्रा बॉण्ड	8.50%	31-Mar-24	85.23
जोड़			**3,306.96**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

प्रतिभूत बॉण्डस की पुन:अदायगी की शर्तें

बाण्ड	ब्याज दर (% प्रतिवर्ष)	परिपक्वता की तारीख	राशि
कर मुक्त बॉण्ड	8.76%	31-Mar-29	145.00
सार्वजनिक निर्गम के बॉण्ड*	9.40%	13-Feb-25	325.37
सार्वजनिक निर्गम के बॉण्ड*	9.90%	1-Dec-24	647.99
कर मुक्त बॉण्ड*	8.39%	31-Mar-24	165.00
जोड़			**1,283.36**

* व्यक्तिगत निवेशक को 0.10% प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज देय है।

20 उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) मियादी ऋण		
- बैंक एवं अन्य पक्षकारों से	**75.00**	610.02
- अन्य पक्षकारों से		
- वित्तीय संस्थानों से	**-**	-
- केएफडब्ल्यू ऋण श्रंखला से	**364.25**	372.75
(ii) वित्त पट्टा दायित्व	**-**	-
(iii) मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण		
- बैंकों से	**-**	-
- अन्य पक्षकारों से	**3.84**	-
जोड़ (क)	**443.09**	982.77
(ख) भारत में/भारत से बाहर उधार (ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर)		
(i) भारत में उधार	**78.84**	610.02
(ii) भारत से बाहर उधार	**364.25**	372.75
जोड़ (ख)	**443.09**	982.77

बैंकों/वित्तिय संस्थानों से अन्य बॉण्डस की पुन:अदायगी की शर्तें

पुन: अदायगी का तरीका	ब्याज दर (% प्रतिवर्ष)	राशि	परिपक्वता की तारीख	अगली किस्त की तारीख	किस्तों की संख्या
तिमाही	7.40%	75.00	23-Nov-23	23-May-23	3.00
जोड़		**75.00**			

केएफडब्ल्यू ऋण श्रंखला की पुन:अदायगी की शर्तें

ऋणदाता का नाम	ब्याज दर (% प्रतिवर्ष)	राशि (यूरो)	राशि	परिपक्वता की तारीख	पुन: अदायगी	अगली किस्त की तारीख
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	7,68,983.12	6.88	31-दिसम्बर-26	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	1.25%	13,31,403.98	11.91	31-दिसम्बर-29	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	9,51,003.00	8.51	30-जून-30	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	10,14,403.19	9.07	31-दिसम्बर-30	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	16,15,682.26	14.45	30-जून-31	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	18,26,334.71	16.34	30-जून-32	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	20,88,627.25	18.68	31-दिसम्बर-33	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	29,39,928.33	26.30	30-जून-34	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	38,40,824.51	34.35	31-दिसम्बर-34	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	44,23,697.38	39.57	31-दिसम्बर-36	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	1,56,59,847.64	140.07	30-जून-38	छमाही	30-जून-23
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	42,64,174.43	38.14	31-दिसम्बर-32	छमाही	30-जून-23
जोड़		**4,07,24,909.79**	**364.25**			

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

21 अधीनस्थ देयताएं

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) अधीनस्थ – टियर-I बाण्ड	**923.72**	1,102.94
- घटाएं: प्रोद्भूत परन्तु देय नही ब्याज	**(149.05)**	(128.28)
जोड़ (क)	**774.67**	974.66
(ख) भारत में तथा भारत से बाहर अधीनस्थ देयताएं		
(i) भारत में अधीनस्थ देयताएं	**774.67**	974.66
(ii) भारत से बाहर अधीनस्थ देयताएं	**-**	-
जोड़ (ख)	**774.67**	974.66

अन्य बॉण्डों की पुनः अदायगी की शर्तें

शृंखला	**ब्याज दर**	**परिपक्वता की तारीख**	**राशि**
टियर II बॉण्ड	9.98%	5-अक्टूबर-37	20.00
टियर II बॉण्ड	9.98%	18-सितम्बर-37	50.00
टियर II बॉण्ड	9.98%	15-अक्टूबर-32	10.00
टियर II बॉण्ड	10.75%	31-अक्टूबर-26	102.49
टियर II बॉण्ड	10.75%	1-अगस्त-26	468.55
टियर II बॉण्ड	10.70%	28-फरवरी-27	123.63
जोड़			**774.67**

22 अन्य वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
उद्भूत परन्तु बॉण्डों एवं उधारों पर देय नही ब्याज	**696.62**	674.14
अप्रतिभूति ऋण	**-**	-
प्रतिभूति जमा	**11.84**	8.61
अदावाकृत लाभांश	**2.26**	5.92
अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर एवं ब्याज	**0.25**	0.46
निगम के पास रखा धन		
(क) अनुसूचित जाति क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना (भारत सरकार द्वारा निवेश)	**323.21**	306.54
(ख) पीएलआई योजना	**843.74**	50.00
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि	**76.74**	80.14
अन्य देयताएं	**395.33**	354.88
	2,349.99	1,480.69

23 प्रावधान

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
तुलन पत्र प्रकटन से परे क्षति प्रावधान	**33.49**	32.17
कर्मचारी लाभ*	**50.19**	47.14
जोड़	**83.68**	79.31

* इसमें ₹ 3.31 करोड़ के प्रावधान को उलटना शामिल है। वित्तीय वर्ष 23 में कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देनदारी पर।

24 अन्य गैर वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थागित राजस्व	**-**	-
	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

25 इक्विटी

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अधिकृत		
प्रत्येक 10/- रुपए के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	**4,000.00**	4,000.00
	4,000.00	4,000.00
निर्गमित		
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,26,31,75,561 इक्विटी शेयर	**2,263.18**	2,170.24
	2,263.18	2,170.24
अभिदत्त		
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,19,72,44,807 इक्विटी शेयर	**2,197.24**	2,104.31
	2,197.24	2,104.31
प्रदत्त		
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,19,59,28,107 इक्विटी शेयर	**2,195.93**	2,102.99
	2,195.93	2,102.99

इक्विटी शेयरों की संख्या एवं शेयर पूंजी का लेखा मिलान:

कम्पनी को भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी के शेयर पूँजी अभिदान खाते में 17 सितम्बर, 2022 को 100 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। इस संबंध में, निदेशकों की समितियों ने भारत सरकार को 27 अक्टूबर, 2022 को 10 रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 9,29,36,802 इक्विटी शेयर 10.76 रु. प्रति इक्विटी शेयर (0.76 रु. प्रति इक्विटी शेयर सुरक्षा प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए थे।

इसके अलावा, भारत सरकार से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 07 मार्च, 2023 को शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी के शेयर पूँजी अभिदान खाते में 400 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। इस संबंध में, निदेशकों की समितियों ने भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2023 को 10 रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 29,36,85,756 इक्विटी शेयर 13.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर (3.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर सुरक्षा प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए।

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
अवधि के शुरू में बकाया	**2,10,29,91,305**	**2,102.99**	1,89,59,93,092	1,895.99
जोड़ें: जारी किए गए शेयर	**9,29,36,802**	**92.94**	20,69,98,213.00	207.00
अवधि के अंत में बकाया	**2,19,59,28,107**	**2,195.93**	2,10,29,91,305	2,102.99
प्रदत्त शेयर पूंजी	**2,19,59,28,107**	**2,195.93**	2,10,29,91,305	2,102.99

इक्विटी शेयरों की शर्तें/संबद्ध अधिकार:

कम्पनी के पास केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, अर्थात 10/- रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाला इक्विटी शेयर, जिसके लिए प्रति शेयर एक वोट डालने की पात्रता है।

प्रवर्तकों की हिस्सेदारी

प्रवर्तकों का नाम	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	**1,45,68,90,872**	**66.35%**	**1.49%**	1,36,39,54,070	64.86%	3.84%

26 अन्य इक्विटी

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
i	**आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि**		
	आरम्भ शेष	**-**	200.00
	घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरण	**400.00**	(200.00)
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	**-**	-
	अंत शेष	**400.00**	**-**
ii	**आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**875.04**	875.04
	अन्त शेष	**875.04**	875.04

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

26 अन्य इक्विटी *(जारी रखें)*

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
iii	**क्षति रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**34.54**	34.54
	जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	**-**	-
	अन्त शेष	**34.54**	34.54
iii	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**136.69**	136.69
	अन्त शेष	**136.69**	136.69
iv	**पूंजी रिजर्व निधि**		
	आरम्भ शेष	**0.85**	0.85
	अन्त शेष	**0.85**	0.85
v	**प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**1,060.69**	967.69
	जोड़ें: इक्विटी शेयरों का निर्गम	**7.06**	93.00
	अन्त शेष	**1,067.75**	1,060.69
vi	**पूंजी मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**231.92**	231.92
	जोड़ें: प्रतिधरित आय से अन्तरण	**-**	-
	अन्त शेष	**231.92**	231.92
vii	**डिबेंचर मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**87.58**	247.08
	जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से अन्तरण	**-**	-
	जोड़ें: सामान्य रिजर्व में अन्तरण	**-**	(159.50)
	अन्त शेष	**87.58**	87.58
viii	**सामान्य रिजर्व निधि**		
	आरम्भ शेष	**513.08**	353.58
	जोड़ें: ऋणपत्र मोचन संरक्षित से अन्तरण	**-**	159.50
	अन्त शेष	**513.08**	513.08
ix	**मानित इक्विटी अंशदान**		
	आरम्भ शेष	**335.82**	335.82
	अन्त शेष	**335.82**	335.82
x	**प्रतिधारित अर्जन**		
	आरम्भ शेष	**(4,520.47)**	(2,529.14)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	**(287.58)**	(1,991.33)
	घटाएं : हानि रिजर्व मे स्थानांतरण	**-**	-
	अन्त शेष	**(4,808.06)**	(4,520.47)
xi	**अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	**(2.76)**	21.56
	जोड़ें : वर्ष के दौरान उचित मूल्य परिवर्तन	**(0.50)**	(24.34)
	अन्त शेष	**(3.26)**	(2.76)
xii	**अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	**(463.88)**	(452.89)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान उचित मूल्य परिवर्तन	**(31.26)**	(10.99)
	अन्त शेष	**(495.14)**	(463.88)
xiii	**पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन**		
	आरम्भ शेष	**53.36**	53.36
	जोड़ें : वर्ष के दौरान बीमांकन लाभ/हानि	**-**	-
	अन्त शेष	**53.36**	53.36
	जोड़	**(1,569.83)**	(1,657.52)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व निधि

भारत सरकार के शेयरधरिता में 50% से अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी की वृद्धि को देखते हुए, कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के तहत सरकारी कम्पनी बन गई है और इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अधीन एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी को 31.03.2019 तक आरबीआई अधिनियम के ऐसे उपबंधो से छूट दी गई है। चूंकि चालू वर्ष में निवल हानि हुई है अत: रिजर्व निधि में कोई अन्तरण नही किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम की धारा 36 (1)(viii) के अधीन वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त कारोबार से 20% लाभ अर्थात दीर्घ अवधि औद्योगिक वित्त व्यवस्था से निवल आय को इस रिजर्व में अन्तरण की अनुमति दी जाती है और इस पर करयोग्य का गणन करते समय छूट के रूप में अनुमति है। आयकर अधिनियम में, वित्त अधिनियम, 1998 में संशोधन करने से, वित्त वर्ष 1997-98 से सृजित रिजर्व निधि के रखरखाव पर एक शर्त रखी है। किसी भी निकासी पर कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1996-97 तक पूर्ववर्ती वर्ष में सृजित उक्त रिजर्व निधि के उपयोग पर कर देयता नहीं थी और तदनुसार, आस्थगित कर देयता (डीटीएल) को वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद अंतरित रिजर्व निधि में सृजित किया गया है।

पूंजी रिजर्व

पूंजी रिजर्व निधि जब्त शेयरों की आय को दर्शाती है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

पूंजी मोचन रिजर्व निधि, पूंजी के नये निर्गम के बिना अधिमान शेयरों के मोचन के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष राशि से अन्तरित राशि को दर्शाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 के तहत अपेक्षित है।

डिबेंचर मोचन रिजर्व

डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन सार्वजनिक पेशकश के जरिए आईएफसीआई लि. द्वारा जारी गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार किया गया है। निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना जीएसआर.571(ई) के द्वारा बाद में शेयर पूंजी तथा डिबेंचरों (नियमावली) 2014 हेतु संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया है। अत: मौजूदा बॉण्डों और डिबेंचरों के मामले में न तो सार्वजनिक निर्गम द्वारा न निजी धारण द्वारा अतिरिक्त डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन किया जाना था।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व निधि का सृजन प्रयोज्य विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए किया गया था।

मानित इक्विटी अंशदान

शेयरधारकों से अधिमान दर उधारों के संबंध में मानित इक्विटी अंशदान

प्रतिधारित आय

यह कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ के संचित अधिशेष/(घाटे) की तारीख को दर्शाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय में मान्य ऋण प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है। कम्पनी इक्विटी के ऐसे संघटक से राशि को प्रतिधारित आय में अन्तरित करती है जब संगत ऋण प्रलेखों को अमान्य किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय से मान्य कुछेक अभिज्ञात इक्विटी प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) के पुनर्मूल्यांकन में बीमांकन लाभ एवं हानियां तथा योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर) शामिल है।

27 ब्याज आय

विवरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	अन्य समग्र आय की मार्फत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर**	अन्य समग्र आय की मार्फत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋणों पर ब्याज	**-**	**269.14**	-	517.20
निवेशों से ब्याज आय	**26.51**	**-**	75.68	-
डिबेंचर पर ब्याज	**-**	**0.01**	-	
जोड़	**26.51**	**269.15**	75.68	517.20

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

28 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों पर निवल लाभ/(हानि)		
- इक्विटी प्रतिभूति	**58.23**	65.02
- डेरिवेटिव्स	**(0.69)**	(0.73)
- प्रतिभूति प्राप्तियां	**(2.44)**	7.53
- अधिमान शेयर	**41.80**	-
- उद्यम पूंजी निधियों की यूनिटें	**21.94**	13.93
- म्यूचुअल फण्ड की यूनिटें	**10.28**	26.08
(ख) अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों के अस्वीकरण पर निवल लाभ	**(39.36)**	(70.85)
(ग) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**89.76**	40.98
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- वसूल किए गए	**(5.68)**	(55.31)
- वसूल न किए गए	**95.44**	96.29
(घ) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**89.76**	40.98

29 अन्य आय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अस्वीकरण पर निवल लाभ/(हानि)	**-**	0.02
आयकर वापसी पर ब्याज	**3.77**	2.72
अन्य	**7.38**	3.93
जोड़	**11.15**	6.67

30 वित्त लागतें

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय देयताओं पर		
उधारों पर ब्याज	**631.30**	908.39
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	**-**	14.49
जोड़	**631.30**	922.88

31 वित्तीय प्रलेखों पर हानि

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	अन्य समग्र आय की मार्फत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर**	अन्य समग्र आय की मार्फत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋण*	**-**	**(79.75)**	-	1,423.42
निवेश	**(0.08)**		(50.03)	
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**0.54**	-	(0.07)
जोड़	**(0.08)**	**(79.21)**	(50.03)	1,423.35
* वर्ष के दौरान निवल बट्टे खाते सहित		**233.84**		1388.67

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

32 कर्मचारी हित व्यय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	**56.12**	59.26
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	**17.00**	12.60
नियोजन के पश्चात् लाभ पर व्यय	**18.25**	16.05
स्टाफ कल्याण व्यय	**7.90**	4.52
जोड	**99.27**	92.43

33 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	**22.35**	19.79
निवेश सम्पत्ति का मूल्यह्रास	**1.72**	2.73
अमूर्त परिसम्पत्ति का परिशोधन	**-**	0.51
जोड़	**24.07**	23.03

34 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
किराया	**0.51**	0.66
दरें एवं कर	**5.03**	4.63
बीमा	**0.17**	0.34
मरम्मत कार्य एवं रखरखाव कार्य		
- भवन	**10.29**	7.90
- आईटी	**1.99**	3.25
- अन्य	**0.17**	0.18
बिजली एवं जल प्रभार	**4.44**	4.12
सुरक्षा व्यय	**3.00**	2.91
लेखापरीक्षकों को भुगतान #	**0.32**	0.39
निदेशक शुल्क एवं व्यय	**0.17**	0.24
प्रकाशन एवं विज्ञापन	**0.56**	0.57
परामर्श एवं कानूनी खर्च	**4.28**	6.07
यात्रा एवं वाहन	**0.64**	0.47
प्रशिक्षण एवं विकास	**0.18**	0.09
डाक एवं टेलिफोन	**0.46**	0.32
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**0.19**	0.27
लिस्टिंग/फाइलिंग/अभिरक्षा शुल्क	**1.48**	2.06
पुस्तकालय एवं सदस्यता अंशदान	**0.22**	0.43
सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय	**-**	-
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों/बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों पर क्षति हानि	**2.39**	83.61
अन्य विविध व्यय	**(0.08)**	0.02
जोड़	**36.41**	118.53

लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए टिप्पणी संख्या 35 को देखें।

35 लेखा-परीक्षकों को भुगतान

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
लेखा-परीक्षा शुल्क	**0.23**	0.28
प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	**0.06**	0.08
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.03**	0.03
जोड	**0.32**	0.39

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

35.1 निगमित सामाजिक दायित्व व्यय के विवरण

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
(क) संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	**0.00**	0.00
(ख) किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
(ग) नकदी में अदा किया जाने वाला खर्च	-	-
(घ) अवधि के दौरान खर्च की गई राशि -		
- मानव पूंजी का विकास	**0.54**	0.02
- ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनवरत विकास क्रियाकलापों का विकास		
- खेल-कूद को बढ़ावा देना		
- अन्य कल्याण क्रियाकलाप	**0.11**	0.00
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	**0.00**	0.00
- प्रशासन एवं अन्य व्यय	**0.00**	0.00
- जल संरक्षण और स्वच्छता	**0.06**	0.2
जोड़ (घ)	**0.71**	0.22

- वर्तमान वर्ष के लिए कमी शून्य है
- पिछले वर्षो के लिए कमी शून्य है
- कमी का कारण – कोविड-19 महामारी के कारण परियोजनाए शुरू नही हो सकी
- जहाँ एक संविदात्मक दायित्व मे प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है। – शून्य

35.2 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	**आकस्मिक देयताएं#**		
(i)	ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे	**110.39**	108.93
(ii)	वित्तीय गारन्टियों को छोड़कर गारन्टियां	**3.22**	3.26
(iii)	कर मामले:		
	आय कर*	-	-
	सेवा कर/जीएसटी	-	-
	जोड़	**113.61**	112.19

लम्बित मुकद्दमेबाजी वाले मामलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना अपेक्षित नही है।

ख.	**प्रतिबद्धताएं**		
(i)	संविदा की अनुमानित राशि (पट्टा संविदा सहित), जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिमों को घटा कर)	-	0.90
(ii)	अनाहरित प्रतिबद्धताएं	**15.14**	15.14
	जोड़	**15.14**	16.03
ग.	**आकस्मिक परिसम्पत्तियां**	**शून्य**	शून्य

35.3 कर व्यय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. लाभ या हानि में मान्य राशियां		
कर व्यय (क)		
चालू कर व्यय	-	-
पूर्ववर्ती वर्षो से सम्बन्धित चालू कर व्यय/ (लाभ)	-	-
उप-जोड़ (क)	-	-
आस्थगित कर (ख)		
आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	**102.01**	206.24
उप-जोड़ (ग)	**102.01**	206.24
कर व्यय (क)+(ख)	**102.01**	206.24

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. प्रभावी ब्याज दर का मिलान

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
	प्रतिशत	**राशि**	प्रतिशत	राशि
कर-पूर्व लाभ/(हानि)		**(185.57)**		(1,785.10)
कम्पनी की 34.944% की घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर	**34.94%**	**(64.85)**	34.94%	(623.78)
निम्नलिखित का प्रभाव:				
कर से छूट आय	**0.00%**	**-**	0.00%	-
कटौती न किए गए व्यय	**-1.90%**	**3.53**	0.10%	(1.72)
चालू कर के लिए पूर्ववर्ती वर्षो से सम्बन्धित अनुमानों में परिवर्तन	**0.00%**	**-**	0.00%	-
चालू वर्ष का मूल्यह्रास, जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी गई	**3.69%**	**(6.84)**	0.36%	(6.35)
अन्य	**-91.70%**	**170.17**	-46.95%	838.09
प्रभावी कर दर/ कर व्यय	**-54.97%**	**102.01**	-11.55%	206.24

36 ट्रेड से प्राप्य और देय रशियों के अधीन दर्शाई गई कुछ शेष राशियां पुष्टीकरण के अधीन है।

37 कम्पनी को भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी के शेयर पूँजी अभिदान खाते में 17 सितम्बर, 2022 को 100 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। इस संबंध में, निदेशकों की समितियों ने भारत सरकार को 27 अक्टूबर, 2022 को 10 रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 9,29,36,802 इक्विटी शेयर 10.76 रु. प्रति इक्विटी शेयर (0.76 रु. प्रति इक्विटी शेयर सुरक्षा प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए थे। इसके अलावा, भारत सरकार से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 07 मार्च, 2023 को शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी के शेयर पूँजी अभिदान खाते में 400 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। इस संबंध में, निदेशकों की समितियों ने भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2023 को 10 रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 29,36,85,756 इक्विटी शेयर 13.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर (3.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर सुरक्षा प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए।

38 कम्पनी इंड एएस मानदंडों बनाम आईआरएसी मानदंडों, जो भी उचित हों, के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों संबंधी प्रावधानों की नीति का निरंतर पालन कर रही है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, भारतीय लेखा मानक 109 के तहत क्षति भत्ता आर.बी.आई. प्रूडेंशियल (आईआरएसीपी) मानदंड (मानक संपत्ति प्रावधान सहित) से अधिक है। तदनुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 तक भारतीय लेखा मानक के अनुसार खाता-बहियों में राशि के लिए प्रावधान किया है। 31 मार्च, 2023 तक के लिए निर्मित वर्तमान 34.54 करोड रु. के हानि संचय की राशि को रिवर्स नहीं किया गया है। यद्यपि ऋण-संपत्तियों पर ईसीएल की गणना पोर्टफोलियो के आधार पर की जाती है, फिर भी आर.बी.आई. के मानदंडों के अनुसार घोषित धोखाधड़ी वाले ऋण खातों पर पूर्ण हानि भत्ता दिया गया है।

39 कम्पनी ने अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किये है, जिसके तहत चरण 3 परिसंपत्तियों (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय को 01 अप्रैल 2021 से खाता-बहियों में आय के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज आय में 209.50 करोड़ रु. (ईसीएल घटाकर) कम हो गई। कंपनी ने इस संबंध में आरबीआई से स्पष्टीकरण मांगा है और उनके जवाब का इंतजार है।

40 वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 के प्रभाव को समाहित कर लिया है और धीरे-धीरे इसमें सुधार हो रहा है। कम्पनी को निकट भविष्य में अपने व्यवसाय में किसी बड़े व्यवधान और प्रभाव की आशंका नजर नहीं आती है।

41 सहायक कम्पनियों में निवेशों के मूल्यांकन पर 31 मार्च, 2023 की बजाय 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त अवधि के लिए सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों के आधार पर विचार किया है। इससे कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

42 भारतीय लेखांकन मानक 108-''परिचालन खण्ड'' द्वारा यथा अपेक्षित रिर्पोटिंग कारोबार/ भोगौलिक खण्ड के संदर्भ में कम्पनी केवल एक कारोबार खण्ड वित्तपोषण को काम करती है। अत: भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार कोई रिर्पोटिंग खण्ड नहीं है।

42.1 31 मार्च 2023 तक कम्पनी द्वारा इश्यू किए गए सभी प्रतिभूत बॉंडों और डिबेंचरों तथा बकाया राशियों पर, कम्पनी के बही ऋणों/प्राप्य राशियों पर फ्लोटिंग प्रभार से मूलधन और ब्याज के विरूद्ध 100 प्रतिशत सिक्योरिटी कवर बनाए रखा गया है।

42.2 ये वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 अनुभाग III के अनुसार तैयार किए गए है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है और 11 अक्टूबर 2018 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। आर.बी.आई. या अन्य नियामकों द्वारा जारी किये गये सभी नियमों, मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों को यथानुसार लागू किया जाएगा।

43 आईएफसीआई सहायक कम्पनियों में गड़बड़ी से होने वाली हानि (यदि कोई हो) की शुद्ध लागत पर निवेश कर रहा है और इसने प्रभावी तिथि यानि 1 अप्रैल, 2017 को निवेश के अग्रणी मूल्य के रूप में मानी जाने वाली लागत के लिए भारतीय लेखा मानक 101 के तहत एकमुश्त छूट का विकल्प चुना है। 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) में 27,91,54,700 इक्विटी शेयरों और दूसरी सहायक कंपनी, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) में 3,93,63,809 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। कंपनी ने आईएफएल और आईएफआईएन के शेयरों का आंतरिक रूप से उचित मूल्यांकन करवाया, जिसके अनुसार, आईएफएल के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 21.77 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया और आईएफआईएन के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 62.86 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। इसके लिए भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, ब्रेकअप मूल्य के लिए आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धतियां और तदनुसार, परिणामी गड़बड़ियों से होने वाली हानि को लाभ-हानि खाते में डाला गया है।

43.1 कंपनी में 31 मार्च, 2023 तक 1739.12 करोड़ रु. की आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध) है। कंपनी ने कंपनी की पुनरुद्धार योजना बनाने के लिए एक प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है। सलाहकार की रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय के साथ साझा की गई है और पुनरुद्धार योजना भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। भारत सरकार पहले ही कंपनी के परिचालन को जारी रखने के लिए आईएफसीआई में वित्त वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी निवेश कर चुकी है। इसलिए, प्रबंधन को भविष्य में कंपनी की उपलब्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त आय रहने का भरोसा है।

44 निधियों का उपयोग

वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई धन उधार नहीं लिया गया है।

44.1 पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन

वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी संपत्ति प्लांट और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

44.2 अनुसूची III के तहत अपेक्षित अन्य अतिरिक्त नियामक खुलासे

अ. ऋण एवं अग्रिम

कम्पनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति के ऐसे कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिये है, जो मांग पर चुकाने योग्य हों और जिनकी पुनर्भुगतान की शर्तें या अवधि पूर्व-परिभाषित नहीं हो।

ब. कार्यशील पूँजीगत कार्य का काल विश्लेषण

वर्तमान वित्त वर्ष के साथ-साथ विगत वित्तीय वर्ष में कोई पूँजीगत कार्य चालू नहीं है।

स. विकासशील अमूर्त संपत्ति का काल विश्लेषण

वर्तमान वित्त वर्ष के साथ-साथ विगत वित्तीय वर्ष मे कोई विकासशील अमूर्त संपत्ति नही है।

द. बेनामी संपत्ति:

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (धारा 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई और न ही कोई मामला लंबित है।

य. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारी

कम्पनी के पास चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिया गया कोई उधार नहीं है।

र. जानबूझकर चूककर्ता:

कम्पनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ल. बंद कम्पनियों के साथ संबंध:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कम्पनियों के साथ कम्पनी का कोई लेनदेन नहीं है।

व. कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) में प्रभार अथवा प्रभार मुक्ति का पंजीकरण

सांविधिक अवधि के परे आरओसी के पास किसी प्रभार या प्रभार मुक्ति का पंजीकरण कराना बाकि नही है।

श. कई स्तर की कम्पनियों वाली कम्पनियां:

एनबीएफसी होने के कारण कम्पनी पर अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) लागू नहीं है।

स. पुनर्गठन-योजना

वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 तक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पुनर्गठन-योजना को मंजूरी नही दी गई है।

ह. उधार ली गई निधियों का उपयोग:

(i) कम्पनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) को कोई धनराशि उधार नहीं दी है या उनमें निवेश नही किया है कि मध्यस्थ कम्पनी(''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से निरूपित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अन्तिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी प्रतिभूति या ऐसी ही कोई और गारंटी प्रदान करेगा।

(ii) कम्पनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) से कोई निधियां प्राप्त नही की है या उनमें निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कम्पनी(''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से निरूपित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अन्तिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी प्रतिभूति या ऐसी ही कोई और गारंटी प्रदान करेगा।

ष. अघोषित आय:

वर्ष के दौरान जब तक कि किसी योजना के तहत खुलासे से उन्मुक्ति मिली हो, कम्पनी ने ऐसे किसी भी लेनदेन के संदर्भ में किसी आय का खुलासा नहीं किया है जिसे खाता-बही में रिकार्ड नहीं किया गया हो और जिसका आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या खुलासा किया हो। (जैसे सर्च या सर्वे अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रावधान के तहत)

क्ष. क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण:

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई कारोबार नहीं किया है।

45 कर्मचारी हित

कम्पनी निम्नलिखित रोजगार पश्चात् योजनाओं का परिचालन करती है। -

i. परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी पेंशन के संबंध में मासिक अंशदान करती है जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। कम्पनी के पास निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा, कोई अन्य देयता नहीं है। अंशदान; जैसे ही वे प्रोद्भूत होते है, लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। ऐसे अंशदान के संबंध में व्यय के रूप में मान्य राशि निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
पेंशन निधि में अंशदान	**0.01**	0.01

ii. पारिभाषित लाभ योजना

(क) ग्रेच्युटी

कम्पनी की भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है, जो आईएफसीआई ग्रेच्युटी विनियमावली, 1968 द्वारा अधिशासित है। यह योजना कर्मचारी को सेवा के पहले 20 वर्षो के लिए आईएफसीआई में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अथवा छह माह से अधिक के उसके भाग के लिए एक माह के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि, अधिकतम बीस माह के वेतन और महंगाई भत्ता अथवा अठारह लाख रुपए, जो भी कम हो प्राप्त करने का अधिकार देती है। योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। यह परिभाषित लाभ योजना कम्पनी के बीमांकन जोखिमों जैसे कि लांगेविटी जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम को दर्शाता है।

योजना परिसम्पत्तियों का हाल ही का बीमांकन मूल्यांकन और ग्रेच्युटी हेतु परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन 31 मार्च, 2023 को किया गया था। परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत का मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया गया था।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी ग्रेच्युटी योजना और तुलनपत्र की तारीख को कम्पनी की वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	**(3.31)**	(1.03)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(क) निधिकरण

योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। निधिकरण अपेक्षाएं योजना की निधिकरण नीतियों में निर्दिष्ट ग्रेच्यूटी निधि के बीमांकक मूल्यांकन ढांचे पर आधारित है। योजना की निधि व्यवस्था निधिकरण प्रयोजनों के लिए पृथक बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है जिसके लिए पूर्वानुमान, नीचे भाग घ में दिए गए पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते है। कर्मचारी इस योजना में अंशदान नही करते।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी योजना में अनुमानित अंशदान 1.10 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	परिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य**	**निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता**	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	**24.90**	**25.93**	**(1.03)**	29.10	30.36	(1.26)
वर्तमान सेवा लागत	**1.36**	**-**	**1.36**	1.48	-	1.48
कर्टेलमेंट लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	**-**	**-**	**-**	-	-	-
ब्याज लागत (आय)	**1.82**	**(1.89)**	**(0.08)**	1.95	(2.03)	(0.08)
	3.18	**(1.89)**	**1.29**	3.43	(2.03)	1.40
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्न से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	**-**	**-**	**-**	-	-	-
- वित्तीय अनुमान	**-**	**-**	**-**	-	(0.27)	(0.27)
- अनुभव समायोजन	**(1.48)**	**-**	**(1.48)**	(1.19)	-	(1.19)
– योजना परिसम्पत्तियों पर	**-**	**0.05**	**0.05**	-	0.29	0.29
	(1.48)	**0.05**	**(1.43)**	(1.19)	0.02	(1.17)
नियोक्ता द्वारा अदा किया गया अंशदान	**-**	**-**	**-**	-	-	-
प्रदत्त लाभ	**(3.73)**	**(1.59)**	**(2.14)**	(6.44)	(6.44)	-
	(3.73)	**(1.59)**	**(2.14)**	(6.44)	(6.44)	-
वर्ष के अन्त में शेष	**22.88**	**26.18**	**(3.31)**	24.90	25.93	(1.03)

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
जीवन बीमा निगम में निवेश	**100%**	100%

कम्पनी द्वारा वार्षिक आधार पर, परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें कम्पनी देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए योजना प्रबंधक (बीमांकक) को बीमांकक देयता में निवल वृद्धि का अंशदान करती है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
छूट दर	**7.37%**	7.30%
आगामी वेतन वृद्धि	**6.00%**	6.00%
निकासी दर:		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु(वर्ष में)	**60**	60
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(1.02)**	**1.09**	(1.05)	1.13
आगामी वेतन वृद्धि (0.50% घट-बढ़)	**1.09**	**(1.02)**	1.14	(1.07)

यद्यपि विश्लेषण इस योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, इसलिए यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है।

मृत्यु दर एवं निकासियों के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसलिए इसके कारण परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया जाता।

(च) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
0 to 1 वर्ष	**3.11**	3.40
1 to 2 वर्ष	**3.09**	2.63
2 to 3 वर्ष	**0.84**	2.85
3 to 4 वर्ष	**0.72**	1.00
4 to 5 वर्ष	**1.94**	0.67
5 to 6 वर्ष	**0.66**	1.81
6 वर्ष से आगे	**12.53**	12.54
जोड़	**22.88**	24.90

31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.69 वर्ष (31 मार्च, 2022: 13.11 वर्ष) था।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते है, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते है। इस तरह कम्पनी निम्नलिखित विभिन्न जोखिमों के सम्पर्क में है-

वेतन वृद्धि: वास्तविक वेतन वृद्धि में योजना की देयता बढ़ेगी। आगामी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर पूर्वानुमान में वृद्धि से भी देयता बढ़ेगी।

निवेश जोखिम: यदि योजना को निधिकृत किया जाता है तो परिसम्पत्तियां देयताओं में असमानता हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख को अनुमानित छूट दर से कम हो जाता है, जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में अनुमानित मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते है।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते है, और निकासी दर में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

आईएफसीआई ने अपने कर्मचारियों और उन आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। योजना के अनुसार, कर्मचारी जो स्वैच्छिक कल्याण योजना (वीडब्ल्यूएस) के सदस्य है, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा खर्चो की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है। योजना के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को चिकित्सा लाभ एवं प्रतिपूर्ति की जाती है, यद्यपि इसकी उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और यह उस ग्रेड, जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, पर आधारित है और इस शर्त के अधीन है कि संबंधित कर्मचारी का पति/पत्नी अपने नियोक्ता, यदि कोई हो, से कोई चिकित्सा लाभ नहीं ले रहा हो। चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आईएफसीआई द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर परिचालित दरों के अनुसार केन्द्र, जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त के पश्चात निवास करता है, में कर्मचारियों पर लागू दरों पर की जाती है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी चिकित्सा लाभ योजना एवं तुलन पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	**32.11**	29.82

(क) निवल पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान:

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटनों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है:

	पारिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के आरम्भ में शेष	**29.82**	29.92
वर्तमान सेवा लागत	**0.10**	0.10
कम किए गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	**-**	-
ब्याज लागत (आय)	**2.18**	2.00
	2.28	2.10

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी रखें)

	पारिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)		
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):		
- जनसांख्यिकी अनुमान	**-**	-
- वित्तीय अनुमान	**-**	-
- अनुभव समायोजन	**0.42**	(1.15)
	0.42	(1.15)
प्रदत्त लाभ	**(0.40)**	(1.05)
	(0.40)	(1.05)
वर्ष के अन्त में शेष	**32.11**	29.82

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु योजना में प्रत्याशित अंशदान 0.30 करोड़ रुपए है।

(ख) योजना परिसम्पत्तियां

कम्पनी में उक्त सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के संदर्भ में कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं थी।

(ग) बीमांकन अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
छूट दर	**7.37%**	7.30%
आगामी चिकित्सा लागत वृद्धि	**3.00%**	3.00%
निकासी दर:		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	**60**	60
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)

(घ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते है।

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(1.11)**	**1.11**	(1.10)	1.09

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है।

मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नही होती है।

(ङ) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
0 to 1 वर्ष	**2.59**	2.41
1 to 2 वर्ष	**1.99**	1.85
2 to 3 वर्ष	**2.00**	1.86
3 to 4 वर्ष	**1.77**	1.64
4 to 5 वर्ष	**1.89**	1.75
5 to 6 वर्ष	**1.47**	1.37
6 वर्ष से आगे	**20.40**	18.95
जोड़	**32.11**	29.82

31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ देयता के दौरान भारित औसत 7.83 वर्ष (31 मार्च, 2022: 7.76 वर्ष) था।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(च) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते है। इस तरह कम्पनी निम्नलिखित विभिन्न जोखिमों के सम्पर्क में है-

चिकित्सा लागत वृद्धि: प्रति सेवानिवृत्त व्यक्ति वास्तविक चिकित्सा लागत में वृद्धि इस योजना की देयता को बढ़ायेगी। प्रति सेवानिवृत्त व्यक्ति पूर्वानुमान दर में वृद्धि चिकित्सा लागत में वृद्धि करेगी।

निवेश जोखिम: यदि योजना को निधिकृत किया जाता है तो परिसम्पत्तियां देयताओं में असमानता हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख को अनुमानित छूट दर से कम हो जाता है, जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामलों के मूल्यांकन में अनुमानित मामलों से कम अथवा अधिक होने पर, देयता पर प्रभाव पड़ सकता है।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में मान्य निकासियों और निकासी दर में परिवर्तन की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते है, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

(ग) भविष्य निधि

कम्पनी की परिभाषित लाभ भविष्य निधि है जो आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमनों द्वारा अधिशासित है। भविष्य निधि मासिक अंशदान राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है। आईएफसीआई संगत वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अधिसूचित दर पर भविष्य निधि शेष पर ब्याज अदा कर रहा है। भविष्य निधि को विधिवत रूप से गठित एवं मान्य प्रशासकों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में पीएफ देयता के प्रति निर्दिष्ट निवेश किए जाने को अनुमोदित किया है। इस प्रयोजनार्थ, निवेशों को ईपीएफओ तथा ईपीएफ छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निवेश स्वरूप को अधिसूचित करने सम्बन्धी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएफ देयता के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी भविष्य निधि योजना की स्थिति एवं तुलनपत्र की तारीख में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	**(9.90)**	(9.81)

(क) निधिकरण

चालू वर्ष 2018-19 के दौरान, कम्पनी ने अपने कुछ निवेशों को भविष्य में निधि देयता के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, म्युचूअल फण्ड में निर्दिष्ट किया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि योजना में प्रत्याशित अंशदान 1.07 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	परिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य**	**निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता**	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	**82.40**	**92.22**	**(9.81)**	82.87	94.02	(11.15)
ब्याज लागत/(आय)	**2.93**	**-**	**2.93**	5.22		5.22
वर्तमान सेवा लागत	**1.03**	**-**	**1.03**	1.19	-	1.19
	3.96	**-**	**3.96**	6.41	-	6.41
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि(लाभ):						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	**-**	**-**	**-**	-	-	-
- वित्तीय अनुमान	**-**	**-**	**-**	-	-	-
- अनुभव समायोजन	**-**	**-**	**-**	1.69	-	1.69
– योजना परिसम्पत्तियों पर	**-**	**1.03**	**(1.03)**	-	4.83	(4.83)
	-	**1.03**	**(1.03)**	1.69	4.83	(3.14)
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया अंशदान	**-**	**-**	**-**	6.59	6.59	-
प्रदत्त लाभ	**-**	**-**	**-**	(15.16)	(15.16)	-
नियोक्ता का अंशदान	**-**	**3.01**	**(3.01)**	-	1.19	(1.19)
निपटान/अन्तरण	**-**	**-**	**-**	-	0.75	(0.75)
	-	**3.01**	**(3.01)**	(8.57)	(6.64)	(1.94)
वर्ष के अंत में शेष	**86.36**	**96.26**	**(9.90)**	82.40	92.22	(9.81)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश	**100%**	100%

वार्षिक आधार पर, कम्पनी द्वारा परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें कम्पनी पूल में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करती है जो बाद में, जोखिम देयता को व्यवस्थित करने के लिए निवेश करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
छूट दर	**7.37%**	7.30%
खाता बही शेष पर अनुमानित सांविधिक ब्याज दर	**8.15%**	8.10%
निधि पर ब्याज अर्जन में अनुमानित वर्ष/चालू कमी	**0.30%**	0.30%
मृत्यु संख्या दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)
अशक्तता	**कुछ नहीं**	कुछ नही
निकासी दर (आयु से संबंधित)		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष के बीच	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते है।

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(0.08)**	**0.09**	(0.06)	0.07

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नही लेता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नही होती है।

(च) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1 वर्ष	**11.72**	10.55
2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	**22.22**	20.13
5 से 10 वर्ष के बीच	**14.21**	20.96
10 वर्ष से अधिक	**31.71**	30.76
जोड़	**79.86**	82.40

31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.69 वर्ष (31 मार्च, 2022: 13.11 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते है, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते है। इस तरह कम्पनी निम्नलिखित विभिन्न जोखिमों के सम्पर्क में रहती है-

निवेश जोखिम: यदि योजना को निधिकृत किया जाता है तो परिसम्पत्तियां देयताओं में असमानता हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख को अनुमानित छूट दर से कम हो जाता है, जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते है।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में मान्य निकासियों और निकासी दर में परिवर्तन की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते है, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

iii. अन्य दीर्घ अवधि नियोजन लाभ

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा अवकाश किराया रियायत प्रदान करती है, जिसे आगामी वर्षो हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियों हेतु लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि निम्नानुसार है-

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि		
अवकाश नकदीकरण	**0.70**	0.48
अवकाश किराया रियायत	**4.12**	0.04
चिकित्सा लाभ	**1.97**	2.13

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

46 परिसम्पत्तियां एवं देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

निम्न सारणी वसूली या निपटान के अपेक्षित समय के अनुसार विश्लेषित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विश्लेषण को दर्शाती है।

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	12 माह के भीतर	**12 माह के बाद**	**कुल**	12 माह के भीतर	12 माह के बाद	कुल
I. परिसम्पत्तियां						
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(क) नकदी एवं नकद समतुल्य	**110.38**	**-**	**110.38**	112.43	-	112.43
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	**1,891.89**	**-**	**1,891.89**	648.37	-	648.37
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	**14.83**	**-**	**14.83**	2.02	-	2.02
(घ) प्राप्य राशियां	**38.32**	**-**	**38.32**	30.52	-	30.52
(ड.) ऋण	**63.85**	**1,735.34**	**1,799.19**	147.97	2,234.62	2,382.59
(च) निवेश	**399.06**	**619.91**	**1,018.97**	983.40	700.20	1,683.60
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**4.38**	**29.49**	**33.87**	19.55	30.38	49.93
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**2,522.71**	**2,384.74**	**4,907.45**	1,944.26	2,965.20	4,909.46
(2) गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(क) सहायक कम्पनियों में निवेश	**-**	**1,257.70**	**1,257.70**	-	1,260.09	1,260.09
(ख) निवेशितों की लेखागत इक्विटी	**-**	**-**	**-**	-	-	-
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	**-**	**31.86**	**31.86**	48.28	-	48.28
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	**-**	**1,739.12**	**1,739.12**	-	1,852.75	1,852.75
(ड.) निवेश सम्पत्ति	**-**	**283.32**	**283.32**	-	271.41	271.41
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	**-**	**618.24**	**618.24**	-	634.49	634.49
(छ) कार्यशील पूंजी	**-**	**-**	**-**	-	-	-
(ज) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	**-**	**0.26**	**0.26**	-	0.43	0.43
(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	**1.62**	**90.49**	**92.11**	0.22	93.03	93.25
कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	**1.62**	**4,020.99**	**4,022.61**	48.50	4,112.20	4,160.70
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां	**0.04**	**-**	**0.04**	0.04	-	0.04
कुल परिसम्पत्तियां	**2,524.37**	**6,405.73**	**8,930.10**	1,992.80	7,077.40	9,070.20
II. देयताएं एवं इक्विटी						
देयताएं						
(1) वित्तीय देयताएं						
(क) ट्रेड देयताएं						
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	**-**		**-**	-		-
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	**62.26**		**62.26**	52.85		52.85
(ख) ऋण प्रतिभूतियां	**250.23**	**4,340.08**	**4,590.31**	293.29	4,761.18	5,054.47
(ग) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**106.62**	**336.47**	**443.09**	523.32	459.45	982.77
(घ) अधीनस्थ देयताएं	**-**	**774.67**	**774.67**	100.00	874.66	974.66
(ड.) अन्य वित्तीय देयताएं	**1,223.90**	**1,126.09**	**2,349.99**	524.61	956.08	1,480.69
कुल वित्तीय देयताएं	**1,643.01**	**6,577.31**	**8,220.32**	1,494.07	7,051.37	8,545.44
(2) गैर-वित्तीय देयताएं						
(क) प्रावधान	**2.49**	**81.19**	**83.68**	2.41	76.90	79.31
(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	**0.43**	**(0.43)**	**-**	-	-	-
कुल गैर-वित्तीय देयताएं	**2.92**	**80.76**	**83.68**	2.41	76.90	79.31
कुल देयताएं	**1,645.93**	**6,658.07**	**8,304.00**	1,496.48	7,128.27	8,624.75
निवल	**878.44**	**(252.34)**	**626.10**	496.32	(50.87)	445.45

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

47 सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन

i. सम्बद्ध पक्षकार का नाम एवं संबंध का स्वरूप:-

क.	सबंध का स्वरूप	सम्बद्ध पक्षकार का नाम
	सहायक कम्पनियां	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि. (आईफिन) आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. (आईवीसीएफ) आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (आईआईडीएल) आईएफसीआई फैक्टर्स लि. (आईएफएल) एमपीकॉन लि. स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एसएचसीआईएल) आईफिन कमोडिटीज लि. (आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) आईफिन क्रेडिट लि. (आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) आईफिन सिक्युरिटीज़ फाइनेंस लि. (आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि. (आईआईडीएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) एसएचसीआईएल सर्विसिज़ लि. (एसएचसीआईएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) स्टॉक होल्डिंग डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिज लि. (एसएचसीआईएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) स्टॉक होल्डिंग सिक्युरिटीज़ आईएफसीआई लिमिटेड (एसएसआईएल)
	सहयोगी कम्पनियां*	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट बिक्री हेतु धारित सहयोगी कम्पनियां - अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि. - गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा. लि. - किटको लि. - नगई पावर प्रा. लि. - शिगा इनर्जी प्राइवेट लि. - वडराज सीमेंट लि. - वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.

*31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों के खातों का समेकन नहीं किया गया। लेकिन भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी कम्पनियों के नाम सम्बद्ध पक्षकार में दर्शाए गए है।

संयुक्त उद्यम	आईएफसीआई सीकामोर कैपिटल एडवाईजर्स प्रा.लि. (स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन)
सीएसआर क्रियाकलाप के लिए निगमित न्यास	आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	श्री मनोज मित्तल - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (12 जून 2021 से) श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबंध निदेशक (13 सितंबर 2022 तक) श्री. प्रसून - मुख्य वित्तीय अधिकारी (16 सितंबर 2021 से) सुश्री प्रियंका शर्मा - कंपनी सचिव (16 सितंबर 2021 से) श्री मुकेश कुमार बंसल (02 फरवरी 2023 से) श्री कार्तिकेय मिश्रा (02 फरवरी 2023 से) प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन (30 अक्टूबर 2017 से) प्रो. अरविंद सहाय (30 अक्टूबर 2017 से) श्री सुरेंद्र बेहरा (09 नवंबर 2022 से) डा. भूषण कुमार सिन्हा (06 जनवरी 23 तक) सुश्री आनन्दिता सिन्हारे (06 जनवरी 2023 तक) श्री अरविन्द कुमार जैन (09 नवम्बर 2022 से)
एक ही सरकार के नियंत्रण में कम्पनियां	कम्पनी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रा का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार कम्पनियां, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण है अथवा संयुक्त नियंत्रण है अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें रिपोर्टिंग कम्पनी और अन्य कम्पनियों को सम्बद्ध पक्षकार के रूप में समझा जाएगा। कम्पनी ने सरकार से संबंधित कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ii. वर्ष के दौरान सम्बद्ध पक्षकार लेन-देन और तुलनपत्र की तारीख को सम्बद्ध पक्षकारों से प्राप्य एवं इन्हें देय शेष राशियां:-

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन-देन का स्वरूप		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. सहायक एवं सहयोगी कम्पनियां				
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**1.03**	1.04
	(ii)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	**0.05**	0.30
	(iii)	डिपाजिटरी सेवाएं	**-**	0.01
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय है	**0.23**	0.40
	(v)	आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईफिन के कर्मचारियों को प्रदत्त/देय वेतन	**0.11**	0.10
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फण्ड लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**1.65**	1.65
	(ii)	प्राप्त व्यावसायिक शुल्क	**0.18**	0.19
	(iii)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	**1.78**	1.63
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय है	**0.67**	-
	(v)	आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईवीसीएफ के कर्मचारियों को प्रदत्त/देय वेतन	**0.18**	-
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.	(i)	प्राप्त लाभांश	**-**	-
	(ii)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**0.59**	1.00
	(iii)	प्रदत्त किराया और रखरखाव राशि	**-**	-
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	**8.95**	8.95
	(v)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय ह	**0.55**	0.51
	(vi)	आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईआईडीएल के कर्मचारियों को प्रदत्त/देय वेतन	**-**	0.10
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**1.52**	2.84
	(ii)	प्राप्त व्यावसायिक शुल्क	**0.06**	0.06
	(iii)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय है	**0.37**	0.47
	(iv)	आईएफसीआई मे प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईएफसीआई फैक्टस के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान/देय	**0.27**	-
स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i)	आईएफसीआई द्वारा प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**2.59**	2.46
	(ii)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	**2.10**	2.10
	(iii)	प्राप्त लाभांश	**37.41**	30.05
	(iv)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	**0.01**	-
	(v)	प्राप्त बैठक शुल्क	**0.14**	0.14
एमपीकॉन	(i)	प्राप्त लाभांश	**0.93**	0.08
	(ii)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	**1.86**	0.52
	(iii)	प्राप्त किराया	**-**	-
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय ह	**0.51**	0.48
स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	(i)	ब्रोकरेज/प्रोफेशनल शुल्क का भुगतान	**0.01**	0.01
	(ii)	प्राप्त बैठक शुल्क	**0.03**	-
स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड	(i)	प्राप्त बैठक शुल्क	**0.01**	-
	(ii)	प्राप्त सलाह एवं मूल्यांकन शुल्क	**-**	-
स्टॉकहोल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड	(i)	प्राप्त बैठक शुल्क	**0.05**	-
	(ii)	प्राप्त सलाह एवं मूल्यांकन शुल्क	**-**	-
किटको	(i)	बैठने का शुल्क प्राप्त	**0.01**	-
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट	(i)	सीएसआर क्रियाकलापों हेतु अंशदान	**-**	-
	(ii)	आईएफसीआई द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए वसूला गया/वसूलनीय वेतन/अन्य स्थापना व्यय		

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी रखें)

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ख. एक ही सरकार के नियंत्रण वाली कम्पनियां			
सीईजीएसएससी, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन -एससी/एसटी के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड	**0.38**	0.05
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	कमीशन-एमसिप्स	**5.05**	3.86
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स	**3.19**	2.00
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	एजेंसी शुल्क एसपीईसीएस	**1.98**	3.75
रसायन व उर्वरक मंत्राालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स	**1.39**	1.66
रसायन व उर्वरक मंत्राालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस	**2.20**	2.00
रसायन व उर्वरक मंत्राालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स पार्क्स	**1.90**	1.90
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस पार्क्स	**0.76**	0.76
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्राालय, भारत सरकार	अनुवर्तन एजेंसी शुल्क	**3.39**	7.80
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - आईटी - हार्डवेयर	**0.55**	3.50
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई व्हाइट गुड्स	**3.00**	1.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई ऑटो योजना	**2.00**	4.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई एसीसी योजना	**1.10**	0.20
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सेमीकंडक्टर मिशनारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई टेक्सटाइल	**5.58**	0.42
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - सेमीकंडक्टर फैब्स योजना	**3.25**	-
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - फैब्स योजना प्रदर्शित करें	**1.00**	-
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - कंपाउंड सेमीकंडक्टर/एटीएमपी/ओएसएटी योजना	**1.38**	-
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)	योजना प्रबन्धन शुल्क - ड्रोन और ड्रोन घटक	**1.40**	-
भारी उद्योग मंत्रालय	योजना प्रबन्धन शुल्क - प्रसिद्धि II	**4.22**	-
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई खिलौने	**1.00**	-
एसडीएफ, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्राालय, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन - चीनी विकास निधि	**9.64**	9.15
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	प्राप्त सलाहकारी एवं मूल्यांकन शुल्क	**0.06**	0.06
केन्द्र सरकार	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय	**33.13**	33.13
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	किराए से आय	**3.37**	1.69
कम्पनी रजिस्ट्रार	किराए से आय	**2.61**	2.85
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड(पहले पोस्को)	किराए से आय	**6.66**	6.27
एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस	किराए से आय	**0.25**	0.25
युनाइटिड इण्डिया इंश्योरेंस	किराए से आय	**0.26**	0.26
केनरा बैंक	किराए से आय	**0.41**	0.39
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	किराए से आय	**3.44**	2.21
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का क्षतिपूरण			
अल्पअवधि कर्मचारी लाभ		**1.74**	1.58
नियोजन के बाद परिभाषित लाभ		**-**	-
क्षतिपूरित अनुपस्थितियां		**0.08**	0.11
शेयर आधारित भुगतान		**-**	-
सेवा समाप्ति लाभ		**0.02**	0.19
बैठक में भाग लेने का शुल्क		**0.11**	0.18

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

घ. सम्बद्ध पक्षकार का बकाया शेष

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	**10.00**	10.00
- आईएफसीआई द्वारा दिए गए ऋण	**-**	-
आईएफसीआई इफ्रांस्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	**95.00**	95.00
- आईएफसीआई द्वारा अभिदत्त बॉण्ड/डिबेन्चर	**-**	-
आईआईडीएल रियलटर्स प्रा. लि.	**-**	-
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.		
- आईएफसीआई द्वारा अभिदत्त बॉण्ड/डिबेन्चर	**-**	-
स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	**25.00**	25.00
एसएचसीआईएल सर्विसेज लि.	**-**	-
स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	**-**	-
स्टॉकहोल्डिंग सेक्यूरीटिज आईएफसीआई लिमिटेड	**-**	-
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईफिन)	**-**	-
आईफिन सेक्यूरीटिज फाइनेंस लि.		
- प्राप्य बकाया	**-**	-
आईफिन कमोडिटीज लि.	**-**	-
आईफिन क्रेडिट लि.	**-**	-
एमपीकॉन लिमिटेड	**-**	-

निबंधन एवं शर्तें

इन संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन आर्म्सलेंथ आधार पर मूल्य पारिभाषित है।

48 पट्टे

क. पट्टेदार के रूप में पट्टा

पट्टे विशेष तौर पर 11 माह की अवधि के लिए होते है, इसमें उस अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतानों को बाजार किरायों को दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर पुन: बातचीत की जाती है।

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i. आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अन्त में रद्द किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:		
(क) एक वर्ष के बाद नही	**0.23**	0.25
(ख) एक वर्ष के बाद, परन्तु पांच वर्ष के बाद नही	**-**	-
(ग) पांच वर्ष के बाद	**-**	-
ii. लाभ अथवा हानि में प्रभारित राशि	**0.51**	0.66

ख. पट्टादाता के रूप में पट्टे

कम्पनी अपने भवन को (निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत) परिचालन पट्टा आधार पर देती है। पट्टे सामान्य तौर पर 11 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए होते है, जिसमें उस अवधि के बाद इसे नवीकृत किए जाने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतान को बाजार किराए दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर इसके लिए पुन: बातचीत की जाती है।

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i. आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अंत में रद्द न किए जाने वाले परिचालन पट्टों के तहत आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:		
(क) एक वर्ष के बाद नही	**36.22**	33.09
(ख) एक वर्ष के बाद परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	**69.97**	39.00
(ग) पांच वर्ष के बाद	**22.17**	12.19
ii. लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां	**38.28**	35.74

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

49 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

			यूनिट	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
i	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ संगणना			
		लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	रुपए	**(287.58)**	(1,991.33)
		घटाएं: अधिमान लाभांश	रुपए	**-**	-
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ	रुपए	**(287.58)**	(1,991.33)
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	**2,195,928,107**	2,102,991,305
ii	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ संगणना (संभावित शेयरधारकों सहित)			
		लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	रुपए	**(287.58)**	(1,991.33)
		घटाएं: अधिमान लाभांश	रुपए	**-**	-
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ (संभावित शेयरधारकों सहित)	रुपए	**(287.58)**	(1,991.33)
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	संख्या	**2,195,928,107**	2,102,991,305
		प्रति शेयर अर्जन (भारित औसत)			
		बेसिक	रुपए	**(1.31)**	(9.47)
		डायल्युटिड	रुपए	**(1.31)**	(9.47)

50 परिचालन खण्ड

कम्पनी के बोर्ड की मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में परिभाषित है। कम्पनी के परिचालन खण्ड कम्पनी के संघटकों के अनुरूप इस प्रकार स्थापित है कि इनका मूल्यांकन भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में दी गई परिभाषा के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। कम्पनी मुख्यतया वित्तपोषण का कार्य करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार पृथक उल्लेखनीय खण्ड नही है।

क. उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना:

कम्पनी केवल एक उत्पाद में कार्य करती है अर्थात कारपोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। अत:, पृथक प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना:

कम्पनी की सम्पूर्ण बिक्री उन ग्राहकों को की जाती है, जो भारत में रहते है। कम्पनी की परिसम्पत्तियां भी भारत में स्थित है।

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना (बाहरी ग्राहकों से):

कम्पनी को ग्राहकों से राजस्व प्राप्त नही होता, जो कि कम्पनी के 10% अथवा अधिक राजस्व को दर्शाता हो।

51 वित्तीय परिसम्पत्तियों का अन्तरण

सामान्य कार्य प्रक्रिया में, कम्पनी लेन देन करती है जो ग्राहकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के अन्तरण से होता है। टिप्पणी 2 में परिभाषित लेखांकन नीति के अनुसार अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी परिपूर्णता में अथवा कम्पनी के निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में मान्य किया जाता है अथवा उनकी परिपूर्णता में अमान्य किया जाता है।

कम्पनी उन वित्तीय परिसम्पत्तियों को अन्तरित करती है जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य नहीं है, जिन्हें मुख्यतया परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री के जरिए किया जाता है।

क. स्थानान्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो अपनी परिपूर्णता में मान्य नहीं हैं

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री ऐसा लेनदेन है, जिनमें कम्पनी ऋण एवं अग्रिमों को असमेकित विशेष वाहन को बेचती है और साथ ही साथ उक्त वाहन द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अधिकांश भाग को खरीदती है। प्रतिभूति प्राप्तियां वाहन द्वारा खरीदी गई ऋणों द्वारा संपार्श्विकीकृत होते है और इसलिए प्रतिभूति प्राप्तियों का नकद प्रवाह खरीदे गए ऋणों की वसूली पर निर्भर करता है।

कम्पनी अपनी सम्पूर्णता में ऋणों के उस भाग को निरन्तर मान्यता देती है, जिसके संबंध में प्रतिभूति प्राप्तियों का कम्पनी द्वारा अभिदान किया गया है क्योंकि यह अन्तरित ऋण के उस भाग के संदर्भ में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूर्ण रूप में बनाए रखता है। स्थानान्तरित ऋण के भाग, जिसके लिए नकद प्रतिफल प्राप्त होता है, को अमान्य किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी उन सभी अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को परिभाषित करती है, जिन्हें उनकी सम्पूर्णता और उससे जुड़ी देयताओं में अमान्य नही किया जाता।

	रखरखाव राशि		उचित मूल्य		
	परिसम्पत्तियां- ऋण	देयताएं- उधार	परिसम्पत्तियां- ऋण	देयताएं- उधार	निवल स्थिति
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों(एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री					
31 मार्च, 2023 का	**61.30**	**-**	**217.40**	**-**	**217.40**
31 मार्च, 2022 को	49.64	-	150.94	-	150.94

ख. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें उनकी सम्पूर्णता में मान्य नहीं किया जाता

परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री

कम्पनी ने अमान्य करने की छूट ली है और उनकी सम्पूर्णता में ऋणों को अमान्य किया है जिसके संबंध में प्रतिभूति प्राप्तियों को कम्पनी द्वारा अभिदत्त किया गया है। कम्पनी ने लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर बाद में मूल्यांकित प्रतिभूति प्राप्तियों में उक्त निवेश को वर्गीकृत किया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 89.77 करोड़ रुपए (वर्ष 2021-22 में 40.98 करोड़ रुपए) के उचित मूल्य को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2023 को प्रतिभूति प्राप्तियों पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) -2.43 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2022 को -36.83 करोड़ रुपए) है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

निम्नलिखित सारणी, उन परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को दर्शाती है, जो कम्पनी की अन्तरित परिसम्पत्तियों, जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य है में निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता को दर्शाती है।

	रखरखाव राशि	उचित मूल्य	
	परिसम्पत्तियां–प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	परिसम्पत्तियां–प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	देयताएं
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री			
31 मार्च, 2023 को	**118.60**	**118.60**	**-**
31 मार्च, 2022 को	190.53	190.53	-

एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में इसकी निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता से हानि के कारण कम्पनी के अधिकतम जोखिम को दर्शाने वाली राशि उनकी रखरखाव राशि है।

52 वित्तीय प्रलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. श्रेणी के तहत वित्तीय प्रलेख

निम्नलिखित सारणी वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को दर्शाती है।

	31 मार्च, 2023 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	**-**	**-**	**110.38**
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	**-**	**-**	**1,891.89**
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	**14.83**	**-**	**-**
प्राप्य राशियां	**-**	**-**	**38.32**
ऋण	**-**	**-**	**1,799.19**
निवेश	**971.57**	**47.40**	**-**
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**33.87**
	986.40	**47.40**	**3,873.65**
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख			
ट्रेड देयताएं	**-**	**-**	**62.26**
ऋण प्रतिभूतियां	**-**	**-**	**4,590.31**
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**-**	**-**	**443.09**
अधीनस्थ देयताएं	**-**	**-**	**774.67**
अन्य वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**2,349.99**
	-	**-**	**8,220.32**

	31 मार्च, 2022 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	112.43
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	648.37
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	2.02	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	30.52
ऋण	-	-	2,382.59
निवेश	1,001.75	681.85	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	49.93
	1,003.77	681.85	3,223.84
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	
ट्रेड देयताएं	-	-	52.85
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	5,054.47
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	982.77
अधीनस्थ देयताएं	-	-	974.66
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	1,480.69
	-	-	8,545.44

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. मूल्यांकन ढांचा

संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय सूचना के प्रयोजनार्थ तिमाही सूचना अवधि के लिए या तो बाहरी रूप से या फिर आन्तरिक रूप से अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट नियंत्रणों में उल्लेखनीय मूल्यनिर्धारण का सत्यापन, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय इनपुटों की पुनरीक्षा और मूल्यांकन समायोजन शामिल है।
कम्पनी निम्नलिखित उचित मूल्य अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उचित मूल्यों का मूल्यांकन करती है, जो मूल्यांकन करने में प्रयोग किए गए इनपुट्स के महत्व को दर्शाता है।
स्टेज 1: इनपुट, जो एक जैसी परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में बाजार मूल्यों (असमायोजित) को उद्धृत करता है।
स्टेज 2: वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्य, जिनकी सक्रिय बाजार में ट्रेडिंग नही की जाती, का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेखनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती है जैसे कि वित्तीय प्रलेखों की पर्याप्त पूर्ण अवधि के लिए सक्रिय बाजारों में एक जैसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का उद्धृत मूल्य, परन्तु स्टेज-1 इनपुट के रूप में मान्य नहीं, है। यदि उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट, जिसमें प्रलेख महत्वपूर्ण हो, प्रलेख को स्टेज-2 में शामिल किया जाता है।
स्टेज 3: यदि एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधरित नही होता है, तो प्रलेखों को स्टेज-3 में शामिल किया जाता है। अर्थात स्टेज-3 इनपुट में उस जोखिम को वहन करने की दिशा में बाजार भागीदारों द्वारा अपेक्षित जोखिम और जोखिम प्रीमियम के बारे में बाजार भागीदारों के पूर्वानुमान शामिल है। यह परिस्थितियों में उपलब्ध उत्कृष्ट जानकारी के आधार पर स्टेज-3 इनपुट तैयार करता है।
मूल्यांकन तकनीकों का उद्देश्य उस उचित मूल्य मूल्यांकन को प्राप्त करना है, जो ऐसे मूल्य को दर्शाता है, जो परिसम्पत्ति के बेचने पर प्राप्त होगा, अथवा मूल्यांकन की तारीख को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा।
तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मूल्यांकित, वित्तीय प्रलेखों के साथ-साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण पर्यवेक्षित इनपुट्स के लिए स्टेज-2 और स्टेज-3 उचित मूल्यों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीको को दर्शाया जाता है।

ग. उचित मूल्य अनुक्रम

यह भाग वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए आकलनों एवं अनुमानों को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार है:

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं-आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2023 को	**लेवल-1**	**लेवल-2**	**लेवल-3**	**जोड़**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	**-**	**14.83**	**-**	**14.83**
निवेश	**192.73**	**228.31**	**597.93**	**1,018.97**
	192.73	**243.14**	**597.93**	**1,033.80**
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
	-	-	-	-

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2023 को	**परिशोधित लागत**	**लेवल-1**	**लेवल-2**	**लेवल-3**	**जोड़**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	**1,799.19**	**-**	**-**	**1,799.19**	**1,799.19**
	1,799.19	**-**	**-**	**1,799.19**	**1,799.19**
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	**4,590.31**	**-**	**-**	**4,590.31**	**4,590.31**
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**443.09**	**-**	**443.09**	**-**	**443.09**
अधीनस्थ देयताएं	**774.67**	**-**	**-**	**774.67**	**774.67**
	5,808.07	**-**	**443.09**	**5,364.98**	**5,808.07**

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2022 को	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	2.02	-	2.02
निवेश	777.40	305.02	601.18	1,683.60
	777.40	307.04	601.18	1,685.62
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
	-	-	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2022 को	परिशोधित लागत	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	2,382.59	-	-	2,382.59	2,382.59
निवेश	-	-	-	-	-
	2,382.59	-	-	2,382.59	2,382.59
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	5,054.47	-	-	5,054.47	5,054.47
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	982.77	-	982.77	-	982.77
अधीनस्थ देयताएं	974.66	-	-	974.66	974.66
	7,011.90	-	982.77	6,029.13	7,011.90

वास्तविक मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख

तुलनपत्र पर कुछेक वित्तीय प्रलेखो का वास्तविक मूल्य उनके उचित मूल्य पर अनुमानित होते है। इन वित्तीय प्रलेखों में हस्तगत नकदी, अन्य बैंकों में शेष ट्रेड से प्राप्य, ट्रेड देयताएं तथा कुछेक अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं शामिल है। रखरखाव मूल्यों को इन वित्तीय प्रलेखों के संबंध में अनुमानित उचित मूल्यों हेतु स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे अल्प अवधि स्वरूप के होते है और उनकी अभिलेखबद्ध राशियां अनुमानित उचित मूल्य की होती है अथवा मांग पर प्राप्य एवं देय होती है।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख और परिशोधित लागत पर रखे गए वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य

स्वरूप	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण पर्यवेक्षीय इनपुट
अनुद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियां	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति / छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/छूट दर
अधिमान शेयर	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति/ बट्टागत नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दरें
ऋण	बट्टागत नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दरें
ऋण प्रतिभूतियां	बट्टागत नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दरें
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	बट्टागत नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दरें
अधीनस्थ देयताएं	बट्टागत नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दरें

ii) लेवल-3 उचित मूल्य

लेवल-3 उचित मूल्यों का लेखामिलान

निम्नलिखित सारणी, लेवल-3 उचित मूल्यों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखामिलान को दर्शाती है:

विवरण	**लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर**	**अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर**	**अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर**
01 अप्रैल 2022 को शेष	4.86	-	596.32
कुल लाभ अथवा हानियां:			
- लाभ अथवा हानि में	-	-	(106.70)
- ओसीआई में	-	-	-
खरीद	-	-	-
निपटान	(0.91)	-	104.36
लेवल - 3 में अन्तरित	-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष	**3.95**	**-**	**593.98**

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

विवरण	**लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर**	**अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर**	**अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर**
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	(106.70)
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) - उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	-	-
लाभ अथवा हानि-वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	0.91	-	(211.06)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
01 अप्रैल, 2021 को शेष	4.87	586.67
कुल लाभ अथवा हानियां:		
- लाभ अथवा हानि में	-	(30.83)
खरीद	-	-
निपटान	(0.01)	40.48
31 मार्च, 2022 को शेष	4.86	596.32

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:		
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	(30.83)
लाभ अथवा हानि – वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन:		
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	0.01	(71.31)

53 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के क्रियाकलाप मुख्यतया मौजूदा प्रबंधन समिति के प्रबंधन हेतु क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के अधीन होते है। समिति का कार्य इन जोखिमों की पहचान करना, मॉनीटर करना, व्यवस्थित करना तथा इन जोखिमों में कमी लाना है, कम्पनी यह भी सुनिश्चित करती है कि यह आन्तरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करती है, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करती है और पर्याप्त ऋण प्रलेखन का रखरखाव करती है।

अपने उधार क्रियाकलाप के संबंध में कम्पनी ने जोखिमों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध लगाए है। इसमें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित अन्तराल पर तथा तदर्थ आधार पर विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जाती है और ये वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है, जिससे जोखिम मॉनीटरिंग में मदद मिलती है। कम्पनी ने किसी उल्लंघन के मामले में जोखिमों को कम करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई है।

क. जोखिम प्रबंधन ढांचा

जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना एवं निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी कम्पनी के निदेशक बोर्ड की है। निदेशक बोर्ड ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) बनाई है, जो कम्पनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालकों की जोखिम एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) द्वारा निरीक्षण कार्य में आरएएलएमसीडी की सहायता की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित पुनरीक्षा करता है, जिसके परिणामों की सूचना मासिक आधार पर आरएएलएमसीई को दी जाती है।

ख. क्रेडिट जोखिम

ऋणों एवं अग्रिमों, नकद एवं नकद समकक्ष, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जमा और किसी अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों से क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होते है।

यदि कोई ग्राहक अथवा वित्तीय प्रलेखों का प्रतिपक्षकार अपनी संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है तो कम्पनी को वित्तीय हानि के कारण क्रेडिट जोखिम होता है और ये जोखिम मुख्यतया ग्राहकों को कम्पनी के ऋणों एवं अग्रिमों, व्यापार प्राप्यों, ऋण प्रतिभूतियों में ऋणों एवं निवेशों से उत्पन्न होते है।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के क्रेडिट जोखिम की संभावना मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक/देनदार की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होती है। तथापि, प्रबंधन उन कारकों पर भी विचार करता है, जो इसके ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते है, जिसमें उद्योग से संबद्ध चूक जोखिम, व्यवसाय विशिष्ट जोखिम, प्रबंधन जोखिम, पारगमन विशिष्ट जोखिम और परियोजना से संबंधित जोखिम शामिल है।

वित्तीय परिसम्पत्ति को ''क्रेडिट क्षति'' माना जाता है, जब एक अथवा एक से अधिक घटनाक्रम घटित हो, जिनका वित्तीय परिसम्पत्ति के अनुमानित आगामी नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। साक्ष्य, जिसकी वित्तीय परिसम्पत्ति क्रेटिड क्षतिपूर्ण है, में निम्नलिखित उल्लेखनीय आंकड़े शामिल है:

- निर्गमकर्ता या ऋणी की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- संविदा का उल्लंघन, जैसे कि चूक
- आर्थिक एवं संविदात्मक कारणों के लिए ऋणी का कर्जदाता, ऋणी की वित्तीय कठिनाई के संबंध में ऋणी को रियायत प्रदान करने, जिस पर ऋणदाता अन्यथा विचार नही करेगा।
- यह संभव हो रहा है कि ऋणी दिवालिया हो जाएगा या फिर अन्य वित्तीय पुनर्गठन करेगा।
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसम्पत्ति का सक्रिय बाजार से विलुप्त होना।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की भारी छूट पर खरीद अथवा का उत्पन्न होना, जो उपगत क्रेडिट हानि को दर्शाता है

जोखिम प्रबंधन समिति ने एक क्रेडिट नीति बनाई है, जिसके तहत प्रत्येक नये ग्राहक की कम्पनी के मानक भुगतान से पहले और सुपुर्दगी शर्तो एवं निबंधनों के प्रस्तुत करने से पहले क्रेडिट साख के संबंध में व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाता है। कम्पनी की पुनरीक्षा में न्यूनतम अन्तिम आन्तरिक रेटिंग, बाहरी रेटिंग, शामिल है, यदि वे उपलब्ध हो, पृष्ठभूमि सत्यापन, वित्तीय विवरण, आयकर विवरणी, क्रेडिट एजेंसी सूचना, उद्योग सूचना आदि शामिल है। प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा बनाई गई है और समय-समय पर आवधिक रूप से इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक हो, इसमें आशोधन किए जाते है। निर्धारित सीमा से अध्कि के किसी भी ऋण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) चूक की संभावना (पीडी)

चूक की संभावना (पीडी) उस संभावना को दर्शाती है जिसमें ऋणी भविष्य में अपनी देयताओं में चूक करेगा। भारतीय लेखांकन मानक 109 में ऋणी के स्टेज आबंटन के आधार पर 12 माह की अवधि एवं जीवनकालिक अवधि के लिए पृथक चूक संभावना का प्रयोग करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के लिए प्रयुक्त चूक संभावना में संस्थान के भावी राय को दर्शाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए (अर्थात इसमें कोई संरक्षणवाद अथवा आशावाद शामिल नही होना चाहिए)।

संस्थान की चूक की ऐतिहासिक संभावना तक पहुँचने के लिए आईएफसीआई आन्तरिक कर्जदार की रेटिंग का उपयोग करते हुए पारगमन मैट्रिक एप्रोच का उपयोग किया गया है।

(ग) चूक की परिभाषा

चूक को भारतीय लेखाकंन मानक में परिभाषित नही किया गया है। कोई भी संस्था ऐसी त्रुटिपूर्ण परिभाषा का प्रयोग करेगी जो उसकी आन्तरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के अनुरूप हो और जिसे जब भी उपयुक्त हो गुणात्मक संकेतक माना जाए। यदि किसी ऋण को चूकग्रस्त माना जाता है और इसलिए उसे निम्नलिखित मामलों में ईसीएल परिकलनों के लिए स्टेज-3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त) माना जाएगा:

- ऋणी के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंग्स का सीआर-9 अथवा सीआर-10 तक ह्रास होना (मूल रेटिंग एवं वर्तमान रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- आरबीआई के विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा रही परिसम्पत्ति पर।
- ऋण मूल्य में क्षति वाली परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना पर।
- 90 दिन से अधिक अवधि तक देय परिसम्पत्तियों पर

(घ) चूक पर जोखिम (ईएडी)

चूक पर जोखिम (ईएडी) वित्तीय प्रलेखों की सकल रखरखाव राशि को दर्शाता है जो क्षति परिकलन के अधीन है।

(ङ) चूक से हुई क्षति (एलजीडी)

चूक से हुई क्षति के लेन-देन से उत्पन्न हानि का अनुमान है। चूक से हुई हानि का एलजीडी संघटक परिसम्पत्ति गुणवत्ता के मुक्त विरूपण है और इस प्रकार विभिन्न स्टेजों के संबंध यह एक समान रूप में लागू होता है। ऋण पोर्टफोलियों के संबंध में एनपीए खातों, जो पिछले 7 वर्षो में उत्पन्न हुए है, और जिन्हें 3 वर्ष से अधिक अवधि वाले एनपीए खातों के साथ बंद कर दिया गया है, (बन्द रूप में स्वीकृत), को चूक से हुई हानि के परिकलन के लिए ध्यान में रखा गया है।

(च) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि

प्रत्येक सूचना तारीख को कम्पनी यह पता लगाएगी कि किसी वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह निर्धारण करते समय कम्पनी प्रत्याशित क्रेडिट क्षति की राशि में परिवर्तन की बजाय वित्तीय प्रलेख की अनुमानित अवधि पर हुई चूक के जोखिम में परिवर्तन का प्रयोग करेगी। यह निर्धारण करने के लिए कम्पनी सूचना तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम की तुलना आरंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम से करेगी और उचित एवं समर्थनीय सूचना को ध्यान में रखेगी, जो अनुचित लागत अथवा प्रयास के बिना उपलब्ध है, जो आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि का द्योतक है। चूंकि वित्तीय प्रलेख को सूचना की तारीख पर ऋण जोखिम कम निर्धारित किया जाना है, अत: कम्पनी यह मान लेती है कि वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हुई है।

ऋणों एवं अग्रिमों के लिए एसआईसीआर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तो को ध्यान में रखा गया है:

- 3 रेटिंग ग्रेडों तक ऋणियों के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंगों का कम हो जाना (मूल रेटिंग एवं चालू रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- निवेश ग्रेड से उप-निवेश ग्रेड में ऋणियों की रेटिंग का कम हो जाना;
- ऋण मूल्य में क्षति के बगैर परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना पर।
- 60 दिन से अधिक अतिदेय परिसम्पत्तियों पर।

(छ) अनुमानित क्रेडिट हानियों हेतु प्रावधान

निम्नलिखित सारणी स्टेज-1, 2 और 3 में ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिमों, ऋण प्रतिबद्धताओं, वित्तीय गारण्टियों, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की अतिदेय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**79.36**	-	-	-	**79.36**
ग्रेड 7-8 : उच्च जोखिम	-	**100.46**	-	-	**100.46**
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	**4,490.79**	-	**4,490.79**
	79.36	**100.46**	**4,490.79**	-	**4,670.61**
हानि भत्ता	**(2.65)**	**(17.23)**	**(3,488.22)**	-	**(3,508.10)**
वास्तविक मूल्य	**76.71**	**83.23**	**1,002.57**	-	**1,162.51**

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड					
रेटिंग - 1 से 6	**209.32**	-	-	-	**209.32**
रेटिंग - 7 से 8	-	-	-	-	-
रेटिंग - 9 से 10	-	-	**1,561.74**	-	**1,561.74**
	209.32	-	**1,561.74**	-	**1,771.06**
हानि भत्ता	**(11.92)**	-	**(1,122.34)**	-	**(1,134.26)**
वास्तविक मूल्य	**197.40**	-	**439.40**	-	**636.80**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	30.81	-	30.81
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	4.07	0.20	4.27
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	2.41	0.12	2.53
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.03	0.05	1.08
3 वर्ष से अधिक	-	1.50	1.50
	38.32	1.87	40.19
हानि भत्ता	-	(1.87)	(1.87)
वास्तविक मूल्य	**38.32**	**-**	**38.32**

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	33.15	-	33.15
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.67	-	0.67
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.01	-	0.01
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	0.04	0.04	0.08
3 वर्ष से अधिक	-	70.33	70.33
	(33.87)	70.37	104.24
हानि भत्ता	-	(70.37)	(70.37)
वास्तविक मूल्य	**33.87**	**-**	**33.87**

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
बीबीबी- से एएए	23.59	-	-	23.59
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	0.00	-
	23.59	-	-	23.59
हानि भत्ता	(0.02)	-	-	(0.02)
परिशोधित लागत	23.57	-	-	23.57
उचित मूल्य	**20.68**	**-**	**-**	**20.68**

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**5.71**	**-**	**-**	**-**	**5.71**
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	**7.57**	**-**	**-**	**-**	**7.57**
ग्रेड 9-10 : हानि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	13.28	**-**	**-**	**-**	**13.28**
हानि भत्ता	**(0.59)**	**-**	**-**	**-**	**(0.59)**
वास्तविक मूल्य	**12.69**	**-**	**-**	**-**	**12.69**
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग्रेड 9-10 : हानि	**45.81**	**-**	**-**	**-**	**45.81**
	45.81	**-**	**-**	**-**	**45.81**
हानि भत्ता	**(32.89)**	**-**	**-**	**-**	**(32.89)**
वास्तविक मूल्य	**12.92**	**-**	**-**	**-**	**12.92**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2022 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	131.17	-	-	-	131.17
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	220.50	-	-	220.50
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	5,101.47	-	5,101.47
	131.17	220.50	5,101.47	-	5,453.14
हानि भत्ता	(4.28)	(39.36)	(3,722.47)	-	(3,766.10)
वास्तविक मूल्य	126.89	181.14	1,379.00	-	1,687.03

	31 मार्च, 2022 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड					
रेटिंग - 1 से 6	35.00	-	-	-	35.00
रेटिंग - 7 से 8	-	184.81	-	-	184.81
रेटिंग - 9 से 10	-	-	1,666.96	-	1,666.96
	35.00	184.81	1,666.96	-	1,886.76
हानि भत्ता	(0.78)	(70.55)	(1,119.87)	-	(1,191.20)
वास्तविक मूल्य	34.22	114.26	547.08	-	695.56

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	24.91	-	24.91
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	2.88	0.13	3.01
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	1.59	0.07	1.66
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.14	0.05	1.19
3 वर्ष से अधिक	-	1.08	1.08
	30.52	1.33	31.85
हानि भत्ता	-	(1.33)	(1.33)
वास्तविक मूल्य	**30.52**	**-**	**30.52**

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	49.58	-	49.58
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	0.01	-	0.01
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.05	-	0.05
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	0.30	0.01	0.31
3 वर्ष से अधिक	-	70.39	70.39
	49.93	70.41	120.34
हानि भत्ता	-	(70.41)	(70.41)
वास्तविक मूल्य	**49.93**	**-**	**49.93**

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियां में निवेश

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
बीबीबी- से एएए	631.93	-	-	631.93
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	0.00	-
	631.93	-	-	631.93
हानि भत्ता	**(0.10)**	**-**	**-**	**(0.10)**
परिशोधित लागत	**631.83**	**-**	**-**	**631.83**
उचित मूल्य	**627.09**	**-**	**-**	**627.09**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2022 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं – ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	7.57	-	-	-	7.57
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	-	-	-
	13.28	-	-	-	13.28
हानि भत्ता	(1.01)	-	-	-	(1.01)
वास्तविक मूल्य	12.26	-	-	-	12.26
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं – अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	17.15	-	-	-	17.15
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	45.81	-	-	-	45.81
	62.96	-	-	-	62.96
हानि भत्ता	(31.16)	-	-	-	(31.16)
वास्तविक मूल्य	31.80	-	-	-	31.80

(झ) ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति संबंधी छूट में उतार-चढ़ाव

वित्त संबंधी परिसम्पत्तियों, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति के लिए भत्ते में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम

हानि भत्ते का लेखामिलान		**जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता**		
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	**वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही**	**वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई**	**जोड़**
31 मार्च, 2021 को हानि भत्ता	**32.32**	**114.01**	**4,833.02**	**4,979.35**
स्टेज-1 में अन्तरण	0.00	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	(0.78)	0.78	-	0.00
स्टेज-3 में अन्तरण	-	28.08	28.09	56.17
हानि भत्ते का निवल मूल्यांकन	6.34	(59.39)	315.01	261.96
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	0.00	-	0.00	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(2.44)	(44.12)	(327.45)	(374.01)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	(1,126.20)	(1,126.20)
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को हानि भत्ता	**35.44**	**39.36**	**3,722.47**	**3,797.26**
स्टेज-1 में अन्तरण	0.00	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	(9.79)	(9.79)
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	0.98	-6.41	199.65	194.22
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	0.00	0.00	0.00	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(0.30)	(15.70)	(172.39)	(188.39)
बट्टे खाते डालना	-	-	(251.70)	(251.70)
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	**36.12**	**17.25**	**3,488.24**	**3,541.60**

परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों और अग्रिमों पर बकाया संविदात्मक राशि जो 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए थे और अभी भी प्रवर्तन गतिविधि के अधीन है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम – ग्रीनफील्ड

हानि भत्ते का लेखामिलान		जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	जोड़
31 मार्च 2021 को हानि भत्ता	**16.21**	**0.00**	**1,261.27**	**1,277.48**
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	(2.55)	2.55	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(4.18)	68.00	250.68	314.50
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(7.69)	-	(129.59)	(137.29)
बट्टे खाते डालना	-	-	(262.48)	(262.48)
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को हानि भत्ता	**1.80**	**70.55**	**1,119.87**	**1,192.22**
स्टेज-1 में अन्तरण	10.92	(70.55)	-	(59.63)
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.78)	0.00	13.52	12.74
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(11.05)	(11.05)
बट्टे खाते डालना	-	-		
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को हानि भत्ता	**11.9373**	**(0.00)**	**1,122.34**	**1,134.28**

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

हानि भत्ते का लेखामिलान		जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	जोड़
31 मार्च, 2021 को हानि भत्ता	**0.09**	**-**	**50.03**	**50.12**
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	0.01	-	-	0.01
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(50.02)	(50.02)
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को हानि भत्ता	**0.10**	**-**	**0.01**	**0.11**
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.03)	-	-	(0.03)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	**0.07**	**-**	**0.01**	**0.08**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(अ) धारित संपार्श्विक एवं अन्य क्रेडिट संवर्धन

संपार्श्विक सुरक्षित प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण, ऋण के मूल्य के संबंध में पर्याप्त नहीं हो सकता। सभी ऋणियों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऋण प्रतिभूत है, कम्पनी की आन्तरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। उपर बताए गए संपार्श्विक के अतिरिक्त, कम्पनी अन्य प्रकार के संपार्श्विक भी धारित करती है कि जैसे की द्वितीय प्रभार और प्लवमान प्रभार जिसके लिए विशेष मूल्य सामान्यत: उपलब्ध नहीं होते। कम्पनी में विनिर्दिष्ट श्रेणी के संपार्श्विक स्वीकार करने और क्रेडिट जोखिम कम करने की आंतरिक नीतियां है। ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संपार्श्विक के प्रकार निम्नानुसार है।

1. अचल परिसम्पित्तियों का बंधक
2. चल सम्पत्ति का आडमान
3. बैंक और सरकारी गारंटियां
4. प्रलेखों को गिरवी रखना, जिनकी मार्फत प्रवर्तक का अंशदान परियोजना में दिया गया है।
5. प्रवर्तक शेयरधारिता को गिरवी रखना
6. प्रवर्तको की निगमित और व्यक्तिगत गारंटियां

(ट) जोखिम संकेन्द्रण

कम्पनी सेक्टर द्वारा और भौगोलिक अवस्थिति द्वारा क्रेडिट जोखिम के संकेन्द्रण को मॉनीटर करती है। ऋणों एवं अग्रिमों से ऋण जोखिम के संकेन्द्रण का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
वास्तविक राशि		
सेक्टर द्वारा सकेन्द्रण		
निगमित:		
निर्माण उद्योग	**66.96**	150.72
विशाखन	**749.54**	750.82
विशाखित अवसंरचना	**571.99**	577.20
लौहा व इस्पात	**179.05**	253.79
विविध विनिर्माण एवं अन्य उद्योग	**219.85**	249.94
विविध खाद्य उत्पाद	**229.93**	236.69
विविध सेवाएं	**341.27**	304.35
मोटर वाहन एवं उसके भाग	**124.13**	128.21
एनबीएफसी	**168.73**	168.73
अन्य	**985.76**	1,094.78
विद्युत उत्पादन	**1263.15**	1,328.03
रीयल इस्टेट	**364.45**	510.12
सड़क निर्माण	**759.17**	993.16
जहाज निर्माण एवं मरम्मत कार्य	**51.25**	170.10
स्टील के उत्पाद	**126.80**	247.56
कपड़ा उत्पाद	**20.52**	20.94
जोड़	**6,223**	7,185
स्थान के तहत संकेन्द्रण		
भारत	**6,223**	7,185

ऋणों और अग्रिमों के लिए स्थान द्वारा संकेन्द्रण ग्राहक के अधिवास देश पर आधरित है

*ऋण राशि में प्रोद्भूत, परन्तु देय नहीं ब्याज और स्टेज-3 आय शामिल नही है।

(ठ) आशोधित/पुनर्संरचित ऋण

जब कम्पनी अमहत्वपूर्ण समय अवधि से भिन्न अवधि के लिए ऋणी की वित्तीय कठिनाइयों के संबंध में आर्थिक एवं कानूनी कारणों से रियायत प्रदान करती है, तो संबंधित ऋण को कठिनाईग्रस्त पुनर्संरचित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रियायतों में ब्याज दर में कटौती जो चालू बाजार दर से कम हो, भुगतान की अवधि को बढ़ाना, मूलधन माफ करना, अधिकतम वसूली हेतु संयम या सोच समझ कर अन्य कार्रवाई करना शामिल है। ऋणों, जिसके लिए शर्तो को आशेधित किया गया है और जिसके लिए ऋणी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, को टीडीआर माना गया है।

जोखिम प्रबन्धन की दृष्टि से यदि किसी परिसम्पत्ति को एक बार छोड़ दिया जाता है या आशेधित किया जाता है तो कम्पनी का विशेष विभाग दबावग्रस्त परिसम्पत्ति का तब तक निरन्तर अनुवर्तन करता है जब तक यह पूर्णत: या अन्तत: अमान्य नही हो जाती।

यदि मौजूदा करार को रद्द किया जाता है और नया करार पूरी तरह से भिन्न शर्तो के साथ निष्पादित किया जाता है या यदि मौजूदा करार की शर्तो को इस तरह आशोधित किया जाता है कि पुन: परक्रमित ऋण पूरी तरह से एक अलग प्रलेख बन जाता है तो ऋण, जिस पर पुन: बातचीत की गई हो, को अमान्य कर दिया जाता है। जहां पुन: बातचीत करने पर ऐसे ऋण अमान्य नहीं होते तो वहां क्षति को प्रारंभिक मूल क्रेडिट जोखिम दर की तुलना में जोखिम दर में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए निरन्तर निर्धारित किया जाता है।

इसमें आशेधित परिसम्पत्तियां, जिन्हें उस अवधि में छोड़ दिया गया था, नहीं थी और तदनुसार कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई थी।

(ड) शासन ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार जहां मौजूदा भारिबैंक मानदण्डों के अनुसार प्रावधन भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन यथापरिकलित ईसीएल से अधिक होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के उपबन्धों के अनुसार पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन अपेक्षित प्रावधन से कम होती है तो इसकी अन्तराल राशि को कर-पश्चात् निवल लाभ या हानि से एक अलग 'क्षति रिजर्व' में समायोजित किया जाएगा।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ग. नकदी जोखिम

संस्थान की देयताओं, जब भी वे देय होती है, को पूरा करने में असमर्थता की संभावना होने पर नकदी जोखिम होता है। आईएफसीआई के परिप्रेक्ष्य से, यह मूल रूप से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न में असमानता से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम के विश्लेषण में संस्थान की सतत आधार पर सिर्फ नकदी स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नहीं होता है बल्कि इस बात की जांच करना भी है कि सुखद परन्तु मुश्किल दौर में निधियन अपेक्षाएं कैसे प्रभावित हो सकती है। निवल निधिकरण अपेक्षाओं को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आगामी स्वरूप के पूर्वानुमानों के आधार पर संस्थान की भावी नकदी उपलब्धता का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें परिपक्वता लैडर सुविधा का उपयोग करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है और तब नकदी निर्धारण हेतु समय सीमा में संचयी निवल उपलब्धता को परिकलित किया जाता है।

वर्तमान में, निवल निधिकरण अपेक्षाओं के मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु परिपक्वता लैडर तथा चुनिंदा परिपक्वता तारीखों को निधियों की संचयी अधिशेष या घाटे के परिकलन के प्रयोग को मानक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में आरबीआई द्वारा परिभाषित एएलएम प्रपत्र को अलग-अलग समय बैण्ड में नकदी प्रवाह असमानता के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा रहा है। नकदी उपलब्धता को परिसम्पत्तियों देयताओं एवं ऑफ बैलेंस शीट मदों के प्रक्षेपित आगामी स्वभाव के आधर पर अलग-अलग समय अवधियो में रखा जाता है। उपरोक्त नकदी उपलब्ध्ता के अलावा, संस्थान ऋणों की समय पूर्व अदायगियो, देयताओं को समय से पहले समाप्त करना और कुछेक प्रलेखों में दिए गए विकल्पों के प्रयोग के प्रभाव का भी पता लगाएगा, जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद पुट/काल विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नकदी, बहिर्प्रवाह को उस तारीख में परिभाषित किया जा सकता है, जिस तारीख को देयताएं देय होती है, देनदार पहले की तारीख को जल्दी समय पुर्व अदायगी करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है अथवा आरंभिक तारीख की आकस्मिकताओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।

कम्पनी ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले नकदी निवेशों की पहचान करने और नकदी विस्तार अनुपात को परिकलित करने का कार्य शुरू किया है।

इसके अलावा, कम्पनी निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट श्रृंखलाओं का रखरखाव करती है :

- 128.3 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट सुविधा, जो प्रतिभूत है। ब्याज, 7.75% और 8.21% के बीच देय होगा।
- 130 करोड़ रुपए की सुविधा, जो अप्रतिभूत है और अल्प अवधि वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु आहरित किया जा सकता है। ब्याज : 9.57% की दर पर देय होगा (भारित औसत दर)।

नकदी जोखिम हेतु प्रकटन

निम्नलिखित सूचना की तारीख को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वताएं है। राशियां सकल एवं छूट प्राप्त नहीं है तथा इनमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल नहीं है और नेटिंग करारों का प्रभाव शामिल नहीं है।

31 मार्च, 2023 को	**संविदात्मक नकद प्रवाह**									
	वास्तविक राशि	**सकल नाममात्रा अन्तर्प्रवाह/ (बहिर्प्रवाह)**	**1 दिन से 30 दिन**	**1-2 माह**	**2-3 माह**	**3-6 माह**	**6 माह से 1 वर्ष**	**1-3 वर्ष**	**3-5 वर्ष**	**5 बर्ष से अधिक**
नॉन डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
उधार	**443.09**	**439.26**	**-**	**25.00**	**15.81**	**25.00**	**40.81**	**63.26**	**61.55**	**207.83**
जारी ऋण प्रतिभूतियां	**4,590.31**	**4,051.33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250.23**	**936.09**	**900.09**	**1,964.93**
अधीनस्थ देयताएं	**774.67**	**1,313.30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**662.27**	**-**	**651.04**
डेरिवेटिव वित्तीय देयताए										
ट्रेडिंग										
- बहिर्प्रवाह										
- अन्तर्प्रवाह										
जोखिम प्रबंधन:										
- बहिर्प्रवाह										
- अन्तर्प्रवाह	**14.83**	**14.83**	**14.83**							
नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां										
ऋण एवं अग्रिम	**1,799.19**	**6,223.16**	**2.54**	**3.54**	**17.78**	**14.91**	**25.08**	**90.34**	**63.43**	**6,005.54**
निवेश प्रतिभूतियां	**1,018.97**	**3,652.77**	**358.58**	**-**	**39.24**	**0.62**	**0.62**	**2.48**	**6.86**	**3,244.37**

31 मार्च, 2022 को	संविदात्मक नकद प्रवाह									
	वास्तविक राशि	सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/ (बहिर्प्रवाह)	1 दिन से 30 दिन	1-2 माह	2-3 माह	3-6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 बर्ष से अधिक
नॉन डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
उधार	982.77	991.50	-	25.00	71.13	281.25	145.94	184.55	59.57	224.06
जारी ऋण प्रतिभूतियां	5,054.47	5,054.17	-	-	2.80	53.20	237.29	1,823.59	275.69	2,661.60
अधीनस्थ देयताएं	974.66	974.67	-	-	-	100.00	-	100.00	694.67	80.00
डेरिवेटिव वित्तीय देयताए										
ट्रेडिंग										
- बहिर्प्रवाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्तर्प्रवाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोखिम प्रबंधन:										
- बहिर्प्रवाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्तर्प्रवाह	2.02	-	-							
नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां										
ऋण एवं अग्रिम	2,382.59	7,185.10	4.65	6.73	22.67	40.76	73.16	155.39	79.34	6,802.40
निवेश प्रतिभूतियां	1,683.60	4,328.52	594.11	298.89	-	89.78	0.62	41.72	3.72	3,299.68

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

संविदात्मक नकद-प्रवाह	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- 12 माह के भीतर	**4.38**	19.55
- 12 माह के बाद	**29.49**	30.38
सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	**33.87**	49.93
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- 12 माह के भीतर	**1,223.90**	524.61
- 12 माह के बाद	**1,126.09**	956.08
सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	**(2,349.99)**	(1,480.69)

उपरोक्त सारणी में व्यक्त अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों हेतु धारित डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं से संबंधित संविदात्मक अछूटप्राप्त नकदी उपलब्धता को दर्शाता है और जिन्हें सामन्य तौर पर संविदा की अवधि पूरी होने से पहले समाप्त नहीं किया जाता है। प्रकटन उन डेरिवेटिव्स जिनके लिए निवल नकद निपटान हो चुका है, की निवल नकद प्रवाह राशियों को दर्शाता है और उन डेरिवेटिव्स को दर्शाता है जिनका समानान्तर सकल निपटान हो चुका है, के सकल नकद अन्तर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह की राशियों को भी दर्शाता है।

उपरोक्त सारणी में परिवर्तनीय ब्याज दर ऋणों पर ब्याज भुगतान को सूचना की तारीख को बाजार अग्रगामी ब्याज दरों को दर्शाया गया है और इन राशियों को बाजार ब्याज दर परिवर्तन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आकस्मिक प्रतिफल एवं डेरिवेटिव प्रलेखों पर आगामी नकदी प्रवाह उपरोक्त सारणी में ब्याज दरों और विनियम दरों अथवा आकस्मिक परिवर्तन से अन्तरनिहित उपयुक्त स्थितियों से भिन्न हो सकती है। इन वित्तीय देयताओं के अलावा, यह अपेक्षित नहीं है कि परिपक्वता विश्लेषण में शामिल नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से पहले उत्पन्न हो सकता है, अथवा एकदम भिन्न राशियों में व्यक्त हो सकता है।

निम्न सारणी कम्पनी की आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धता की परिपक्वताओं के द्वारा संविदात्मक समापन को दर्शाती है। प्रत्येक अनाहरित ऋण प्रतिबद्धता को प्रारंभिक तारीख वाले समय अवधि में शामिल किया गया है, इसे निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है।

	मांग पर	1 दिन से 30 दिन	1-2 माह	2-3 माह	3-6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
31 मार्च, 2023 को										
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	**15.14**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.14**
31 मार्च, 2022 को										
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	15.14

(घ) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें, वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाह बाजार परिवर्तनों जैसे कि ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों तथा इक्विटी मूल्यों में परिवर्तन के कारण कम-ज्यादा होगा। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी बाजार जोखिम के प्रकटनों को या तो वर्तमान या फिर दीर्घ अवधि पोर्टफोलियो में वर्गीकृत करती है और इनमें से प्रत्येक पोर्टफोलियो को अलग-अलग रूप से व्यवस्थित करती है।

आईएफसीआई में बाजार जोखिम प्रबंधन ढांचे में जोखिम की पहचान, सीमाओं एवं ट्रिगर्स की स्थापना, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम मॉनीटरिंग, जोखिम रिपोर्टिंग तथा जहां अत्यावश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। इस बात को उजागार करना सुसंगत है कि आरंभिक निवेश ग्रेड रेटिंग, निवेश सीमाएं, मंजूरी प्राधिकार, स्टॉप-लॉस ट्रीगर्स सहित नियंत्रण प्रणाली, इक्विटी व्यापार सहित विभिन्न खजाना उत्पादों हेतु अपेक्षित अनुपालन आदि जैसे ब्यौरों को आईएफसीआई की वर्तमान खजाना एवं निवेश नीति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

(क) बाजार-जोखिम - ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

कम्पनी का कोई ट्रेडिंग पोर्टपफोलियो नहीं है।

(ख) बाजार जोखिम - नॉन-ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

(i) मुद्रा जोखिम

कम्पनी को काफी हद तक मुद्रा जोखिम की संभावना होती है जहां मुद्राओं, जिसमें उधार मुख्यतया मूल्यवर्गित होते है, और कम्पनी की संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं के बीच असमानता होती है। कम्पनी की मुख्य कार्यात्मक मुद्रा रुपए है। मुद्रा, जिसमें ये लेनदेन मुख्य रूप से मूल्यवर्गित होते है, यूरो है।

मुद्रा जोखिम, जो कम्पनी के यूरो बैंक ऋण की मूल राशि से संबंधित है, को प्रगामी संविदाओं का उपयोग करते हुए पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है जो उसी तारीख में परिपक्व होते है, जिस तारीख को वे ऋण चुकौती के लिए देय होते है।

सामान्य तौर पर, उधार मुद्राओं में मूल्यवर्गित होते है, जो कम्पनी के अन्तर्निहित परिचालनों - मुख्यतया रुपए द्वारा सृजित नकदी उपलब्धता से मेल खाते है। इसके अलावा, उधारों पर ब्याज उधार की मुद्राओं में मूल्यवर्गित होता है। यह डेरिवेटिवों को निष्पादित किए बगैर आर्थिक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराता है और इसलिए इन परिस्थितियों में प्रतिरक्षी लेखांकन का प्रयोग नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित अन्य मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में कम्पनी की नीति यह सुनिश्चित करती है कि इसके निवल जोखिमों को अल्पकालिक असंतुलनो को दूर करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं को खरीद अथवा बेच कर स्वीकार्य स्तर पर रखा जाए।

मुद्रा जोखिम हेतु प्रकटन

मुद्रा जोखिम हेतु कम्पनी का प्रकटन, जैसा कि प्रबंधन को सूचना दी गई है, के संक्षिप्त मात्रात्मक आंकड़े निम्नुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	भारतीय रुपए	यूरो	भारतीय रुपए	यूरो
उधार	**364.25**	**4.07**	372.75	4.43
मान्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में निवल प्रकटन	**364.25**	**4.07**	372.75	4.43

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

संवेदी विश्लेषण

31 मार्च को सभी मुद्राओं के मद्दे रुपए एवं यूरो का उचित रूप से संभावित सुदृढ़ीकरण (दुर्बलीकरण) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा और नीचे दर्शाई गई राशियों के तहत इक्विटी एवं लाभ अथवा हानि को प्रभावित करेगा। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तनों, विशेषत ब्याज दरें, स्थिर रहती है और पूर्वानुमान बिक्री एवं खरीद के किसी प्रभाव को अनदेखा करता है।

	लाभ अथवा हानि		कर घटाकर इक्विटी	
	सुदृढ़ीकरण	दुर्बलीकरण	सुदृढ़ीकरण	दुर्बलीकरण
31 मार्च, 2023				
यूरो (10% उतार-चढ़ाव)	**36.43**	**(37.28)**	**23.70**	**(24.25)**
31 मार्च, 2022				
यूरो (10% उतार-चढ़ाव)	37.28	(42.48)	24.25	(27.64)

(ii) बाजार दर जोखिम

कम्पनी बाजार दर जोखिम को कम करने के लिए प्लवमान दर देयताओं एवं प्लवमान दर परिसम्पत्तियों के अन्तराल को कम करने का प्रयास करती है। इसे अस्थायी दर पर उधारों के रूप में प्राप्त किया जाता है और आईएफसीआई की प्रमुख उधार दर से जुड़ी दरों पर उधार दिया जाता है, जिसे बाद में अन्यों के बीच इसके उधारों की लागत से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, ब्याज की बाजार दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण आईएफसीआई की निवल ब्याज आय तथा आईएफसीआई की इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव को समझने के लिए आवधिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज दर संवेदी विवरण को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है और विभिन्न समयावधि समूहों में अन्तराल को समझने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रकटन

कम्पनी के ब्याज दर वाले वित्तीय प्रलेखों की ब्याज दर प्रोफाइल, जैसा कि प्रबंधन को सूचित किया गया है, निम्नानुसार है:

विवरण	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
स्थिर दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	-
वित्तीय देयताएं	**5,364.98**	6,029.13
परिवर्तनीय दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	**1,799.19**	2,382.59
वित्तीय देयताए	**443.09**	982.77

स्थिर दर प्रलेखों हेतु उचित मूल्य संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन का लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सूचना की तारीख को उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण यह मानता है कि अन्य सभी परिवर्तन विशेषत: विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

परिवर्तनीय दर प्रलेखों हेतु नकदी प्रवाह संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों तक इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि अथवा कमी होगी। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तन, विशेषत: विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

	लाभ अथवा हानि		कर घटा कर इक्विटी	
	100 आधार बिन्दु वृद्धि	100 आधार बिन्दु कमी	100 आधार बिन्दु वृद्धि	100 आधार बिन्दु कमी
31 मार्च, 2023				
परिवर्तनीय दर प्रलेख	**4.43**	**(4.43)**	**2.88**	**(2.88)**
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				
31 मार्च, 2022				
परिवर्तनीय दर प्रलेख	9.83	(9.83)	6.39	(6.39)
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				

(iii) इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें, इक्विटियों का उचित मूल्य इक्विटी सूचकांकों के स्तर में और व्यक्तिगत स्टॉकों के बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी आती है। गैर-ट्रेडिंग इक्विटी मूल्य जोखिम प्रकटन उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों से उत्पन्न होता है। इक्विटी मूल्य जोखिम कारोबार के प्रयोजन से रखी गई प्रतिभूतियों पर अधिक प्रयोज्य होता है। चूंकि कम्पनी दीर्घ अवधि निवेशों पर बल देती है और वर्तमान निवेशों को (ट्रेडिंग प्रयोजनों हेतु धारित निवेश) निम्न स्तर रखा जाता है अत: आईएफसीआई में महत्वपूर्ण इक्विटी मूल्य जोखिम की संभावना नहीं हो सकती।

54. पूंजी प्रबंधन

पूंजी पर्याप्तता ढांचे का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी वित्तीय संस्थान के पास अपने कारोबार में जोखिमों से उत्पन्न किसी अप्रत्याशित हानियों के कारण हुए आघातों को सहने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएफसीआई को सरकारी स्वामित्व वाली एक एनबीएफसी-एनडी-एसआई है, जिसे जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात हेतु न्यूनतम पूंजी का रखरखाव करना आवश्यक है। पूंजी प्रबंधन मौजूदा विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम पूंजी के इष्टतम उपयोग को अनिवार्य बनाता है। आईएफसीआई में उपयुक्त जोखिम क्षमता ढांचा है और यह वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी अपेक्षाओं और पर्याप्तता का परिकलन करती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

i) विनियामक पूंजी

कम्पनी की विनियामक पूंजी में निम्नलिखित घटकों की राशि शामिल है:

- सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) पूंजी, जिसमें साधारण शेयर पूंजी, संबंधित शेयर प्रीमियम, प्रतिधारित आय और घोषित लाभांश हेतु समायोजन के बाद रिजर्व तथा कल्याण हेतु कटौती, अमूर्त परिसम्पत्तियां और उन मदों से संबंधित अन्य विनियामक समायोजन शामिल है, जिन्हें इक्विटी में शामिल नहीं किया जाता है, परन्तु पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु अलग से हिसाब में लिया जाता है।
- टियर-2 पूंजी, जिसमें अधिमान शेयर, अर्हक अधीनस्थ देयताएं और प्रत्याशित हानियों पर कोई अधिक क्षति शामिल है।

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) पूंजी	**(2,596.49)**	(2,874.44)
टियर-2 पूंजी प्रलेख	**14.57**	5.06
कुल विनियामक पूंजी	**(2,581.92)**	(2,869.38)
जोखिम भारित परिसम्पत्तियां	**3,653.84**	4,424.67
सीआरएआर (%)	**-70.66%**	-64.96%
सीआरएआर-टियर - I पूंजी (%)	**-71.06%**	0.11%
सीआरएआर-टियर - II पूंजी (%)	**0.40%**	-64.85%

निवल स्वामित्व निधियों के परिकलन के प्रयोजन से डीटीए को मैट क्रेडिट हकदारिता माना गया है।

* एनबीएफसी में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ते और भारिबैंक के विवेकसम्मत मानदण्डों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) के अधीन अपेक्षित प्रावधान के अंतराल को समायोजित किया है, इसलिए 34.54 रूपए को राशि को 'क्षति रिजर्व' में लिया गया है।

ii. पूंजी आबंटन

प्रत्येक परिचालन अथवा क्रियाकलाप हेतु आबंटित पूंजी की राशि को जोखिम समायोजित पूंजी पर प्रतिफल को कम करने के उद्देश्य से लिया जाता है। पुंजी का आबंटन वर्ष के आरम्भ में तैयार की गई वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर विभिन्न कारोबार के लिए किया जाता है। पूंजी आबंटन हेतु विभिन्न प्रतिफलों में मौजूदा परिचालनों एवं क्रियाकलापों के साथ आपसी सहभागिता, प्रबंधन तथा अन्य संसाधन की उपलब्धता और कम्पनी के दीर्घकालिक कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप क्रियाकलाप के लाभ शामिल है।

55 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर लागू भारिबैंक के परिपत्रों के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रकट की गई है। इन प्रकटनों में जब तक विशेषरूप से उल्लेख ना किया जाए भारतीय लेखांकन मानकों का समायोजन नहीं किया गया है:

(i) कम्पनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में एक डिवेंचर न्यासी के रूप में पंजीकृत है और इसका पंजीकरण कोड ''आईएनडी 000000002'' है।

(ii) ''31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आईएफसीआई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के मामले में, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, के निदेशक मंडल और समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाते आ रहे है।

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने के उत्तर में, कंपनी द्वारा स्पष्ट किया गया कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ वित्तीय सेवा विभाग के पास ही निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय का प्रभारी है। उसके द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, लागू नियामक प्रावधानों के अनुसार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया गया कि वे कंपनी पर जुर्माना न लगाएं या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करें।

हमारी दलीलों पर विचार करते हुए, बीएसई ने 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त अवधि के लिए उपरोक्त गैर-अनुपालन के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया था। लेकिन विनियमन 20 से संबंधित 1,82,000 रु. के जुर्माने की राशि को माफ नहीं किया गया जो 30 जून, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान हितधारकों की संबंध समिति की संरचना से संबंधित था। एनएसई द्वारा अभी तक कोई छूट नहीं दी गई है। हालाँकि, एनएसई ने उत्तर दिया था कि कंपनी द्वारा सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप नियमों का अनुपालन करने के बाद ही छूट का आवेदन दिया जा सकता है और आईएफसीआई को सलाह दी गई है कि वह लागू विनियमों का अनुपालन करने के लिए पहले निदेशकों की नियुक्ति करे और बाद में छूट पाने के लिए आवेदन करे।

आज की तारीख तक, सितंबर 2018 से मार्च 2023 तक समाप्त तिमाहियों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया कुल समेकित बकाया जुर्माना (लागू करों सहित) 3,47,47,740 रु. है।"

(iii) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग में बदलाव निम्नानुसार है:

दीर्घ अवधि (बॉण्ड/एनसीडी/मियादी ऋण)

निम्न के द्वारा रेटिंग	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
इकरा	**17/08/2022 से इकरा बी+**	26/11/2021 से इकरा बी+
केयर	**06/07/2022 से केयर बीबी**	13/08/2021 से केयर बीबी
ब्रिकवर्क	**04/10/2022 से बीडब्ल्यूआर बी+**	24/08/2021 से बीडब्ल्यूआर बीबी

अल्प अवधि (वाणिज्यिक पेपर/अल्पावधि उधर)

निम्न के द्वारा रेटिंग	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
इकरा	**17/08/2022 से इकरा ए4**	26/11/2021 से इकरा ए4
ब्रिकवर्क	**04/10/2022 से बीडब्ल्यूआर ए4**	24/08/2021 से बीडब्ल्यूआर ए4+

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

पुनर्संरचित प्रतिभूत एनसीडी के लिए

निम्न के द्वारा रेटिंग	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
केयर	**वापस लिया गया***	13/08/2021 से केयर बीबी+
ब्रिकवर्क	**वापस लिया गया***	24/08/2021 से बीडब्ल्यूआर बीबी+

अधीनस्थ बॉण्ड

निम्न के द्वारा रेटिंग	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
इकरा	**17/08/2022 से इकरा बी+**	26/11/2021 से इकरा बी+
केयर	**06/07/2022 से केयर बीबी**	24/08/2021 से केयर बीबी
ब्रिकवर्क	**04/10/2022 से बीडब्ल्यूआर बी+**	13/08/2021 से बीडब्ल्यूआर बीबी

(iv) ग्राहक शिकायतों से संबंधित प्रकटन

विवरण	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
(क) अवधि के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	**-**	-
(ख) अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**8,648**	1,830
(ग) अवधि के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	**8,648**	1,830
(घ) अवधि के अन्त में लंबित शिकायतों की संख्या	**-**	-

(v) पूंजी और जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात (सीआरएआर)

विवरण	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
(क) पूंजी और जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात (सीआरएआर)	**-70.66%**	-64.85%
(i) कोर सीआरएआर	**-71.06%**	-64.96%
(ii) अनुपूरक सीआरएआर	**0.40%**	0.11%
(ख) जुटाया गया अधीनस्थ ऋण, टियर-II पूंजी के रूप में बकाया (करोड़ रुपए)	**0.00**	0.00
(ग) जोखिम भारित परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपए)		
(i) तुलन-पत्र की मदों पर	**3,535.33**	4,288.88
(ii) तुलन-पत्र से बाहर की मदों पर	**118.51**	135.79

(vi) लिए गए ऋण और अग्रिम, उन पर प्रोद्भूत परंतु अदा न किए गए ब्याज सहित

विवरण	**31 मार्च, 2023 को**		31 मार्च, 2022 को	
	बकाया	**अतिदेय**	बकाया	अतिदेय
(क) ऋणपत्र:				
(i) प्रतिभूत	**1,283.35**	**-**	1,283.35	-
(ii) अप्रतिभूत	**-**	**-**	-	-
(ख) आस्थगित क्रेडिट्स	**-**	**-**	-	-
(ग) मियादी ऋणं	**75.00**	**-**	618.55	-
(घ) अन्तर निगमित ऋण एवं उधार	**-**	**-**	-	-
(घ) सीबीएलओ/वाणिज्यिक पेपर	**3.85**	**-**	-	-
(च) अन्य ऋण (एफसी ऋण सहित)	**364.25**	**-**	372.75	-
(छ) आईएफसीआई के पास रखी गई निधियां	**-**	**-**	-	-
(ज) बॉण्ड	**4,081.62**	**-**	4,745.79	-

कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा बॉण्ड/ऋणपत्र धारकों की देयताओं की चुकौती में कोई चूक नही की है।

(vii) शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घ अवधि) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण

श्रेणी	**31 मार्च, 2023 को**		31 मार्च, 2022 को	
	बाजार/ब्यौरा/उचित मूल्य/एनएवी	**बही मूल्य**	बाजार/ब्यौरा/उचित मूल्य/एनएवी	बही मूल्य
सम्बद्ध पक्षकार				
(क) सहायक कम्पनियां	**3,941.68**	**1,546.41**	3,734.66	1,546.41
(ख) एक ही समूह की कम्पनियां	**7.41**	**0.04**	8.42	0.04
(ग) संयुक्त उद्यम	**-**	**0.01**	-	0.01
(घ) सम्बद्ध पक्षकारों से भिन्न	**1,327.37**	**2,106.30**	1,923.14	2,782.38
जोड़	**5,276.46**	**3,652.76**	5,666.22	4,328.84

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(viii) निवेश के ब्यौरे एवं प्रावधान में उतार-चढ़ाव:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) भारत में निवेश का मूल्य		
मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
निवेशों का निवल मूल्य		
(ख) निवेशों पर मूल्यह्रास के संबंध में धारित प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	लागू नहीं (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निवेश उचित मूल्य पर किए जाने है, अत: यह इस पर लागू नहीं होता)	
(i) आरम्भ शेष		
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/का पुनरांकन		
(iv) अन्त शेष		

(ix) विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ऋण क्रियाकलापों के संबंध में हिसाब में ली गई पट्टाकृत परिसम्पत्तियां एवं किराए पर लिए गए स्टॉक तथा अन्य परिसम्पत्तियां	-	-

(x) वित्तपोषित परिसम्पत्तियों का ऋणी समूह-वार वर्गीकरण :

श्रेणी	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1 सम्बद्ध पक्षकार		
(क) सहायक कम्पनियां	-	-
(ख) एक ही समूह की कम्पनियां	-	-
2 सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	**1,972.70**	2,726.62
जोड़	**1,972.70**	2,726.62

यह राशि अलाभकारी एवं मानक पुनर्संरचित परिसम्पत्तियों के मद्दे प्रावधान को घटा कर है।

(xi) एकल ऋणी सीमा के विवरण - सकल प्रकटन के आधार पर एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई

संस्था का नाम	31 मार्च, 2023 को						31 मार्च, 2022 को					
	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %
पाईनियर गैस पावर लिमिटेड (पीजीपीएल)							434.73	124	0.00	0	434.73	124%
विडियोकॉन इंडस्ट्रीस लिमिटेड							383.64	109	0.00	0	394.73	112%
जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड							367.19	104	0.00	0	367.19	104%
कोसटल एन्र्जन प्राईवेट लिमिटेड							298.72	85	5.91	2	304.63	87%
शिगा एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड							242.23	69	0.00	0	242.23	69%
एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड							0.00	0	208.10	59	208.10	59%
किशनगढ़ गुलाबपुरा टॉलवे लिमिटेड							184.81	53	0.00	0	199.95	57%
हिन्दुस्तान कंसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड							92.71	26	0.00	0	190.53	54%
सुपरटैक लिमिटेड							186.46	53	0.00	0	186.46	53%
ईएमसी लिमिटेड							176.51	50	0.00	0	176.51	50%
सिरी इन्फस्ट्रक्चर फाईनेन्स लिमिटेड (एसआईएफएल)							168.73	48	0.00	0	168.73	48%
बारवा अडा एक्सप्रेसवे लिमिटेड							166.04	47	0.00	0	166.04	47%
मधुकॉन ईन्फा लिमिटेड (एमआईएल)							151.60	43	0.00	0	151.60	43%
ईएआरसी ट्रस्ट - एससी 285 आधुनिक पावर							0.00	0	150.94	43	150.94	43%
जेपी ईन्फाटैक लिमिटेड							150.12	43	0.00	0	150.12	43%
रिलायंस नवेल एंड ईजीनियरिंग लिमिटेड							147.21	42	0.00	0	147.21	42%
पैन इड़िया नैटर्वक लिमिटेड							145.00	41	0.00	0	145.00	41%
सेया इंडस्ट्रीस लिमिटेड							142.21	40	0.00	0	142.21	40%
ग्रान ईलेक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड							135.81	39	0.00	0	135.81	39%
रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड							135.05	38	0.00	0	135.05	38%
उत्तम गालवा मैटालिक्स लिमिटेड							126.58	36	0.00	0	126.58	36%
आईवीआरसीएल इदौर गुजरात टौलवेस लिमिटेड							125.00	36	0.00	0	125.00	36%
आईवीआरसीएल चिंगापल्ली टौलवेस लिमिटेड							124.99	36	0.00	0	124.99	36%
गुजरात स्टेट पैट्रोलियम कार्पोरेशन							0.00	0	123.22	35	123.22	35%
बीएस लिमिटेड							120.77	34	0.00	0	120.77	34%
फ्यूचर ब्रांडस लिमिटेड							91.00	26	0.00	0	117.92	34%
शिव वाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन लिमिटेड							114.77	33	0.00	0	114.77	33%
रिलायंस मैराईन एंड ऑफशार लिमिटेड							113.91	32	0.00	0	113.91	32%

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी रखें)

संस्था का नाम	31 मार्च, 2023 को						31 मार्च, 2022 को					
	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %
अनिल लिमिटेड							113.58	32	0.00	0	113.58	32%
क्लीरिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड							0.00	0	121.60	35	122.00	35%
ईऐआरसी ट्रस्ट एससी 242-लूक्सरा इन्फ्रास्ट्रक्चर							0.00	0	107.31	30	107.31	30%
मारूति क्लीन कोल एंह पावर लिमिटेड							103.52	29	0.00	0	103.52	29%
आईएल एण्ड एफएस एनर्जी डेवलपमैंट कम्पनी लिमिटेड							100.00	28	0.00	0	100.00	28%
एमटेक औटो लिमिटेड							96.30	27	0.71	0	97.01	28%
बिलटेक बिल्डिंग एलिमेंटस लिमिटेड							94.84	27	0.00	0	94.84	27%
क्वालिटी लिमिटेड							93.80	27	0.00	0	93.80	27%
कुन्ड्ली मानेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड							92.09	26	0.00	0	93.50	27%
लिज ट्रेडर्स एंड एंजेट्स प्राईवेट लिमिटेड							91.41	26	0.00	0	91.41	26%
यूफलैक्स लिमिटेड							88.73	25	0.00	0	88.73	25%
नौर्थ ईस्ट्न डैव. फिन. कॉपोरेशन लिमिटेड							0.00	0	86.62	25	87.00	25%
सूराना इंडस्ट्रीस लिमिटेड							83.51	24	0.00	0	83.51	24%
खेड सिनार एक्सप्रेसवे लिमिटेड							78.21	22	0.00	0	78.21	22%
सीएंडसी प्रोजेक्टस लिमिटेड							75.90	22	0.00	0	75.90	22%
एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड							72.14	20	0.00	0	72.14	20%
गुजरात स्टेट ईन्वेस्टमैंट लिमिटेड (सीरिज़ 4 डिबेन्चर) [9.45] 28-सितम्बर-22							0.00	0	71.35	20	71.35	20%
वीसीएफ फॉर एससीएस-आईएफसीआई वैन्चर कैपिटल फंडस लिमिटेड							0.00	0	74.97	21	74.97	21%
शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड							65.00	18	0.00	0	65.00	18%
कल्पतरू लिमिटेड							60.00	17	0.00	0	60.00	17%
आरगोट्रैक लिमिटेड							59.21	17	0.00	0	59.21	17%
इग्जैक्ट डैवलैपर्स एंड प्रमौट्रस प्राईवेट लिमिटेड							53.00	15	0.00	0	59.00	17%
अंसल हाउसिंग एडं कंसट्रक्शन लिमिटेड							57.57	16	0.00	0	58.33	17%
रेन्बो पेपरस लिमिटेड							52.86	15	0.00	0	52.86	15%
हीरा कंसट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड							48.25	14	0.00	0	48.25	14%

* एकल उधारकर्ता सीमा की गणना के लिए, ''टियर I पूंजी'' को पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में माना जाता है। 31 मार्च, 2022 तक आईएफसीआई की ''टियर 1 पूंजी'' (-) 2,874 करोड़ रू. थी, इसलिए एकल उधारकर्ता की सीमा का उल्लंघन हुआ है।

(xii) ऋणी समूह सीमा के विवरण - सकल प्रकटन के आधार पर एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई

समूह नाम	31 मार्च, 2023 को						31 मार्च, 2022 को					
	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियो का %
जयप्रकाश							545.76	155.10	-	-	545.76	155.10
विडियोकॉन							530.54	150.77	-	-	530.54	150.77
अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप							399.37	113.49	-	-	399.37	113.49
आईएल एवं एफएस							381.58	108.44	-	-	381.58	108.44
ऐस्सल							315.99	89.80	-	-	317.40	90.20
ईएआरसी							-	-	286.75	81.49	286.75	81.49
आईवीआरसीएल							249.99	71.04	-	-	249.99	71.04
मधुकॉन							164.90	46.86	-	-	164.90	46.86
फ्यूचर							123.85	35.20	-	-	123.85	35.20
फलैक्स							131.45	37.35	-	-	131.45	37.35
एमटैक ग्रुप							128.12	36.41	0.71	0.20	128.83	36.61
शिववानी							114.86	32.64	-	-	114.86	32.64

*समूह उधारकर्ता सीमा की गणना के लिए, ''टियर I पूंजी'' को पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में माना जाता है। 31 मार्च, 2022 तक आईएफसीआई की ''टियर 1 पूंजी'' (-) 2,874 करोड़ रू. थी, इसलिए समूह उधारकर्ता सीमा का उल्लंघन हुआ है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xiii) अग्रिमों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	**3,913.25**	3,754.58
बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिए गए अग्रिमों का एनबीएफसी के कुल जोखिम की तुलना में प्रतिशत	**33.74%**	22.95%

*प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(xiv) जोखिमों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	**4,020.39**	4,197.78
बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिए गए अग्रिमों का एनबीएफसी के कुल जोखिम की तुलना में प्रतिशत	**34.67%**	25.65%

*प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(xv) अलाभकारी परिसम्पत्तियों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल जोखिम	**1499.82(12.93%)**	1501.27(9.17%)

*प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(xvi) अलाभकारी परिसम्पत्तियों की स्थिति

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1 सकल अलाभकारी परिसम्पत्तियां		
(क) सम्बद्ध पक्षकार	**-**	-
(ख) सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	**5749.06**	6,514.89
2 निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियां		
(क) सम्बद्ध पक्षकार	**-**	
(ख) सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	**1499.18**	2,057.99
ऋण के समाधन में अपेक्षित परिसम्पत्तियां	**17.50**	-

xvii) अलाभकारी परिसम्पत्तियों में उतार-चढ़ाव

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियां (%)	**76.00%**	75.43%
(ii) एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)		
(क) आरम्भ शेष	**6514.90**	7,801.01
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	**34.91**	379.38
(ग) वर्ष के दौरान कमी	**800.75**	1,665.49
(i) अपग्रेडेशन	**0**	0.00
(ii) वसूली (अपग्रेड किये खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	**536.88**	803.99
(iii) तकनीकी/प्रुडेन्शियल बट्टे खाते में डाली रकम	**145.03**	595.54
(iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा बट्टे खाते में डाली रकम	**118.84**	265.96
(d) अन्त शेष	**5,749.06**	6,514.90
(iii) निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियों का उतार-चढ़ाव		
(क) आरम्भ शेष	**2057.99**	2,816.73
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	**0.00**	323.89
(ग) वर्ष के दौरान कमी	**558.81**	1,082.63
(घ) अन्त शेष	**1499.18**	2,057.99
(iv) अलाभकारी परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधनों में उतार-चढ़ाव (मानक परिसम्पत्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) आरम्भ शेष	**4,456.91**	4,984.30
(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	**409.72**	595.03
(ग) अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/का पुनरांकन	**616.75**	1,122.42
(घ) अन्त शेष	**4,249.88**	4,456.91

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

एनपीए वसूली

	कुल (करोड़ रुपये)	कुल (करोड़ रुपये)
एनपीए बही संचलन के अनुसार वसूली (क)	536.88	803.99
मेमो रिकवरी (ख)	195.70	390.76
ऐसे मामलों से वसूली जो वित्तीय वर्ष के दौरान मानक थे लेकिन समापन पर एनपीए थे।	0.00	71.19
31 मार्च को अंतिम शेष राशि	**732.58***	**1123.56****

*इसमें एसआर के रूप में 92.34 करोड़ रू. की वसूली शामिल है

** ईएआरसी ट्रस्ट एससी-241-तिलकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में एसआर की बिक्री से अतिरिक्त रूप से 161.10 करोड़ रुपये वसूले गए।

तकनीकी बट्टे खाते मे उतार-चढ़ाव

विवरण	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
1 अप्रैल को तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालने का प्रारंभिक शेष	**5,370.69**	4,863.62
जोडे: वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना	**118.86**	595.54
घटाए: वसूली/खाता बंद होने के कारण कटौती	**160.23**	88.47
31 मार्च को अंतिम शेष राशि	**5,329.32**	5,370.69

xviii) क्षेत्र-वार एनपीए

क्षेत्र		**कुल अग्रिम की तुलना में अलाभकारी परिसम्पत्तियों का %**	
		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1	कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्रियाकलाप	**-**	-
2	एमएसएमई	**-**	-
3	निगमित ऋणी	**92.39%**	90.67%
4	सेवाएं	**-**	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	**-**	-
6	वाहन ऋण	**-**	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	**-**	-

(xix) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान एवं आकस्मिताएं

प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के अलग-अलग विवरण	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**0**	0
अलाभकारी परिसम्पत्तियों के संबंध में प्रावधान	**-207.02**	-527.4
आयकर के संबंध में किया गया प्रावधान		
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	**-2.42**	-17.76
ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य अग्रिमों के मद्दे प्रावधान	**0**	0

(xx) भू-सम्पदा क्षेत्र हेतु जोखिम

श्रेणी	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
(क) प्रत्यक्ष जोखिम		
(i) **आवासीय बंधक** – आवासीय सम्पत्ति, जो ऋणी के कब्जे में है या होगी या किराये पर दी जाती है, पर बंधक द्वारा पूर्णरूप से प्रतिभूत उधार (15 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत गृह ऋण को अलग से दर्शाया जा सकता है।)	**-**	-
(ii) **वाणिज्यिक भू-सम्पदा** – वाणिज्यिक भू-सम्पदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोजनीय वाणिज्यिक परिसर, विविध परिवार आवासीय भवन, बहुत से किरायेदारों वाला वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डारण स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधरित (एएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।	**364.45**	520.60
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिम :	**-**	-
(ख) अप्रत्यक्ष जोखिम नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसीज) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित जोखिम	**-**	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxi) पूंजी बाजार के जोखिम

विवरण		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की यूनिटों में सीधे निवेश, जिसकी निगमित निधि को समग्र रूप से ऋण में निवेश नहीं किया जाता है;	**2745.55**	2822.83
(ii)	व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों, एवं इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधियों की यूनिटों में निवेश हेतु - शेयरों/बॉण्डों/ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के मद्दे अथवा स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	**0.00**	-
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधियों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	**484.97**	485.12
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जो शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधि की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा काफी हद तक प्रतिभूत है, अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉंडों/परिवर्तनीय ऋणपत्रों/इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधि की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति से अग्रिमों को पूरी तरह से समाहित नहीं किया जाता;	**0.00**	0.00
(v)	स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों को गारण्टियां	**0.00**	0.00
(vi)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के मद्दे अथवा स्पष्ट आधार पर निगमित निकायों को संसाधन जुटाने की प्रत्याशा से नई कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए मंजूर किए गए ऋण;	**-**	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण;	**50.11**	50.11
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं	**-**	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण		
(x)	वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए सभी एक्सपोजर:		
	(i) श्रेणी I	**104.71**	104.45
	(ii) श्रेणी II		
	(iii) श्रेणी III		
पूंजी बाजार हेतु कुल प्रकटन		**3,385.34**	3,412.40

xxii) प्रतिभूतिकरण कम्पनी/पुनर्संरचना कम्पनी (एससी/आरसी) को बेची गई परिसम्पत्तियां

विवरण		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1	खातों की संख्या	**3**	5**
2	एससी/आरसी को बेचे गए समग्र बकाया खाते	**319.02**	679.18
3	समग्र प्रतिफल	**189.64***	288.57
4	पूर्ववर्ती वर्षों में अन्तरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	**73.89**	96.26
5	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ/(हानि)	**189.64***	75.58

* इसमें 92.34 करोड़ रू. की एसआर वसूली शामिल है

**एक सुरक्षा रसीद की बिक्री शामिल है

(xxiii) सुपुर्द किए गए लेन-देन के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सुपुर्द किए गए लेन-देन के ब्यौरे	-	-

(xxiv) खरीदी गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियों के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
कुल बकाया (करोड़ रुपए)	-	-
उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	-	-
कुल बकाया (करोड़ रुपए)	-	-

(xxv) एससी/आरसी से भिन्न को बेची गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियां विवरण

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
एससी/आरसी से भिन्न को बेची गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

(xxvi) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्ज

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्ज	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxvii) अग्रगामी दर करार/ब्याज दर स्वैप के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रगामी दर करार/ब्याज दर स्वैप के ब्यौरे	-	-

(xxviii) मात्रात्मक प्रकटन

विवरण		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	मुद्रा डेरिवेटिव्ज - हैजिंग	**364.20**	370.57
	मार्क्ड टू मार्केट पोजिशन		
	(क) परिसम्पत्तियां	**13.08**	-0.94
	(ख) देयता	**-5.32**	-0.02
(ii)	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज	-	

(xxix) मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन

वित्तीय वर्ष		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशियां		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की जोखिम भारित औसत अवधि	
			मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पहले	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
(i)	वित्त वर्ष 2022-23	-	-	-	-	-
(ii)	वित्त वर्ष 2021-22	-	-	-	-	-

(xxx) क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो अभी स्टैण्ड-स्टिल अवधि में है)

विवरण	सूचना की तारीख को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुनर्संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	-	-	-

(xxxi) 31 मार्च, 2023 को दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों (एस4ए) की लाभदायक संरचना हेतु योजना का प्रकटन

	खातों की संख्या, जहां एस4ए लागू किया गया है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग क में	भाग ख में	
वित्तीय वर्ष 2022-23					
(i) मानक के रूप में वर्गीकृत	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
(ii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
वित्त वर्ष 2021-22					
(i) मानक के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00
(ii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत	2	97.92	51.4	46.52	78.45

(xxxii) एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते, जो वर्तमान मे स्टेण्ड-स्ट्रिल स्थिति में हैं)

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व को बदलने का निर्णय लिया है	सूचना की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां इक्विटी में ऋण का संपरिवर्तन/इक्विटी शेयरों के बंधक को प्रभावी करना लंबित हो।		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां इक्विटी में ऋण का संपरिवर्तन/इक्विटी शेयरों के बंधक को प्रभावी किया गया है।		उन खातों के संबंध में सूचना तारीख की बकाया राशि, जहां नये शेयर जारी करके या प्रवर्तक की इक्विटी बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है।	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में रूप में	मानक के रूप में रूप में	एनपीए के रूप में रूप में	मानक के रूप में रूप में	एनपीए के रूप में रूप में	मानक के रूप में रूप में	एनपीए के रूप में रूप में
वित्तीय वर्ष 2022-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxiii) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना का प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टेण्ड-स्ट्रिल स्थिति में है)

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या जहां एसडीआर प्रभावी किया गया हो	सूचना की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन लंबित हो।		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन किया गया हो	
		मानव के रूप में वर्गीकृत	मानव के रूप में वर्गीकृत	मानव के रूप में वर्गीकृत	मानव के रूप में वर्गीकृत	मानव के रूप में वर्गीकृत	मानव के रूप में वर्गीकृत
वित्तीय वर्ष 2022-23	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-22	-	-	-	-	-	-	-

(xxxiv) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता पद्धति:

31 मार्च, 2023 को

विवरण	1 दिन से 30 दिन	1 माह से 2 माह	2 माह से 3 माह	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
देयताएं									
बैंकों से उधार	**-**	**25.00**	**15.81**	**25.00**	**40.81**	**63.26**	**61.55**	**207.83**	**439.26**
बाजार उधार	**-**	**-**	**-**	**-**	**250.23**	**1,598.35**	**900.09**	**2,615.96**	**5,364.63**
जोड़	**-**	**25.00**	**15.81**	**25.00**	**291.04**	**1,661.61**	**961.64**	**2,823.79**	**5,803.89**
परिसम्पत्तियां									
अग्रिम	**2.54**	**3.54**	**17.78**	**14.91**	**25.08**	**90.34**	**63.43**	**6,005.54**	**6,223.16**
निवेश	**358.58**	**-**	**39.24**	**0.62**	**0.62**	**2.48**	**6.86**	**3,244.37**	**3,652.77**
जोड़	**361.12**	**3.54**	**57.02**	**15.53**	**25.70**	**92.82**	**70.29**	**9,249.91**	**9,875.93**

31 मार्च, 2022 को

विवरण	1 दिन से 30 दिन	1 माह से 2 माह	2 माह से 3 माह	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
देयताएं									
बैंकों से उधार	-	25.00	71.13	281.25	145.94	184.55	59.57	224.06	991.50
बाजार उधार	-	-	2.80	153.20	237.29	1,923.59	970.36	2,741.60	6,028.84
जोड़	-	25.00	73.93	434.45	383.23	2,108.14	1,029.93	2,965.66	7,020.34
परिसम्पत्तियां									
अग्रिम	4.65	6.73	22.67	40.76	73.16	155.39	79.34	6,802.40	7,185.10
निवेश	594.11	298.89	-	89.78	0.62	41.72	3.72	3,299.68	4,328.52
जोड़	598.76	305.62	22.67	130.54	73.78	197.11	83.06	10,102.08	11,513.62

(xxxv) पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

(सभी राशियां करोड़ रुपए मे है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क्रम	संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के तहत					अन्य					जोड				
सं.	परिसम्पत्ति वर्गीकरण		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानिकारक	जोड़	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानिकारक	जोड़	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानिकारक	जोड़
1	वित्त वर्ष के 01 अप्रैल, को पुनर्संरचित खाते (आरम्भिक आंकड़े)**	ऋणियों की संख्या	-	-	2	-	**2**	1		13	2	**16**	**1**	-	**15**	**2**	**18**
		बकाया राशि	-	-	147.21	-	**147.21**	11.66		1,072.53	38.26	**1122.45**	**11.66**	-	**1,219.74**	**38.26**	**1,269.66**
		उस पर प्रावधान	-	-	136.00	-	**136.00**	1.63		742.70	38.26	**782.59**	**1.63**	-	**878.70**	**38.26**	**918.59**
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना #	ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-										
		बकाया राशि	-	-	-	-	-										
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-										
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी को अपग्रेड करना*	ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-										
		बकाया राशि	-	-	-	-	-										
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-										
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिन पर उच्चतर प्रावधान और/अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में अतिरिक्त जोखिम भार समाप्त हो गया है और इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाए जाने की जरूरत नहीं है	ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-										
		बकाया राशि	-	-	-	-	-										
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-										
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की श्रेणी को कम करना *	ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-										
		बकाया राशि	-	-	-	-	-										
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-										
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना	ऋणियों की संख्या	-	-	-	-											
		बकाया राशि	-	-	-	-	-										
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-										
7	वर्ष के दौरान बंद किये गये खाते	ऋणियों की संख्या	-	-		-	-	1.00		3		**4**	**1**	**0**	**3**	**0**	**4**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	11.66		103.81		**115.47**	**11.66**	**0.00**	**103.81**	**0.00**	**115.47**
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	1.63		66.91		**68.54**	**1.63**	**0.00**	**66.91**	**0.00**	**68.54**
8	वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अन्तिम आंकड़े)	ऋणियों की संख्या	-	-	2	-	**2**			10	2	**12**	**0**	**0**	**12**	**2**	**14**
		बकाया राशि			28.36	-	**28.36**			945.16	38.26	**983.42**	**0**	**0**	**973.52**	**38.26**	**1,011.78**
		किए गए प्रावधान			17.14	-	**17.14**			722.44	38.26	**760.70**	**0**	**0**	**739.58**	**38.26**	**777.84**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxvi) ईसीएल-आईएफसीआई लि. के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकटन

एनबीएफसी में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर(एनबीएफसी).सीसी.पीडी. संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी ने भारतीय लेखांकन 109 के अधीन क्षति भत्ते और भारिबैंक के विवेकसम्मत मानदण्डों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) के अधीन अपेक्षित प्रावधान के अंतर को समायोजित किया है, इसलिए 34.54 रूपए को राशि को 'क्षति रिजर्व' में लिया गया है।

31 मार्च, 2023 का

भारिबैंक के मानदण्डों के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण		भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल वास्तविक राशि	भा.ले.मा. 109 के अनुसार अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वास्तविक राशि	आईआरएसीपी मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदण्डों के बीच अंतर की राशि
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
लाभकारी परिसम्पत्तियां							
मानक		**स्टेज 1**	**286.97**	**14.57**	**272.40**	**1.15**	**13.42**
		स्टेज 2	**100.46**	**17.24**	**83.22**	**0.40**	**16.84**
		स्टेज 3	**86.09**	**61.81**	**24.28**	**0.34**	**61.47**
उप-जोड़			**473.52**	**93.62**	**379.90**	**1.89**	**91.72**
अलाभकारी परिसम्पत्तियां (एनपीए)							
अवमानक		**स्टेज 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
संदिग्ध-1 वर्ष तक		**स्टेज 3**	**118.52**	**85.10**	**33.42**	**36.92**	**48.18**
1 से 3 वर्ष		**स्टेज 3**	**1,036.89**	**792.07**	**244.82**	**563.98**	**228.09**
3 वर्ष से अधिक		**स्टेज 3**	**4,450.49**	**3,411.26**	**1,039.24**	**3,505.83**	**(94.57)**
अव-मानक के लिए उप-जोड़			**5,605.91**	**4,288.43**	**1,317.48**	**4,106.72**	**181.70**
हानिकारक		**स्टेज 3**	**143.15**	**104.23**	**38.92**	**143.15**	**(38.92)**
एनपीए के लिए उप-जोड़			**5,749.06**	**4,392.66**	**1,356.40**	**4,249.88**	**142.78**
जोड			**6,222.58**	**4,486.28**	**1,736.30**	**4,251.77**	**234.51**
गारंटियों, ऋण प्रतिबद्धताओं जैसी अन्य मदे, जो भा.ले.मा. 109 के दायरे में आती है परन्तु चालू आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने (आईआरएसीपी) के मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती		**स्टेज 1**	**59.09**	**33.48**		**-**	**33.48**
		स्टेज 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		स्टेज 3	**217.40**	**156.09**	**61.31**	**-**	**156.09**
प्रोद्भूत आय (स्टेज 1)		**स्टेज 1**	**1.72**	**-**	**1.72**	**-**	**-**
		स्टेज 1	**288.69**	**14.57**	**274.12**	**1.15**	**13.42**
		स्टेज 2	**100.46**	**17.24**	**83.22**	**0.40**	**16.84**
		स्टेज 3	**6,052.55**	**4,610.57**	**1,441.98**	**4,250.22**	**360.35**
जोड़			**6,441.70**	**4,642.37**	**1,799.33**	**4,251.77**	**390.60**

(xxxvii) भारिबैंक के मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-सिस्टिमीकल इम्पोर्टेंट नॉन-डिपॉजिट टेकिंग कम्पनी और डिपॉजिट टेकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार नकदी जोखिम प्रबन्धन ढांचे और नकदी कवरेज अनुपात पर मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रकटन

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों पर आधारित संकेन्द्रण (निक्षेपों और उधारों दोनों)

क्र.सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए)	कुल निक्षेपों का %
1	22	2,643.95	45.52%

(ii) 20 सबसे बड़े निक्षेप

क्र.सं.	प्रतिपक्षकार	राशि (करोड़ रूपए)	कुल निक्षेपों का %
	शून्य		

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(iii) 20 सबसे बड़े उधार

क्र.सं.	ऋणदाता/निवेशक का नाम	राशि (करोड़ रूपए)	कुल उधारों का %
1	केएफडब्ल्यू लाएबिलिटी	364.25	6.27%
2	दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि.	230.55	3.97%
3	ट्रस्टीज जैब्स सी पी फण्ड	202.15	3.48%
4	फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया सीपीएफ ट्रस्ट	161.7	2.78%
5	दि मुम्बई डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि.	147	2.53%
6	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि. (रिफायनरी डिवीजन) कर्मचारी भविष्य निधि	126.9	2.18%
7	केएसआरटीसी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	123.9	2.13%
8	ए पी एस आर टी सी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	120.5	2.07%
9	पंजाब नेशनल बैंक	119	2.05%
10	भारतीय स्टेट बैंक	115	1.98%
11	पावर ग्रिड कर्मचारी भविष्य निधि फंड ट्रस्ट	103.83	1.79%
12	आईएफसीआई एन्फास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट लिमिटेड	95	1.64%
13	भगिंया ग्रामीण विकास बैंक	93.3	1.61%
14	नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	81.64	1.41%
15	रामकृष्ण मिशन	81.93	1.41%
16	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम. एस. आर. टी. सी. सीपीएफ	77.9	1.34%
17	एक्सिस बैंक लिमिटेड	77	1.33%
18	हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि राउरकेला	74.8	1.29%
19	ठाणे जिला सेंट्रल सहकारी बैंक लिमिटेड	65	1.12%
20	जीडब्ल्यूएसएसबी-ईसीपीएफ ट्रस्ट	63	1.08%
21	आईओसीएल इम्प्लॉयज पीआरएमबी फण्ड	60	1.03%
22	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का भविष्य निधि	59.6	1.03%
	जोड़	**2,643.95**	**45.52%**

(iv) महत्वपूर्ण प्रलेख/उत्पाद पर आधारित निधियन संकेन्द्रण

क्र.सं.	प्रलेख/उत्पाद का नाम	राशि (करोड़ रूपए)	कुल निक्षेपों का % *
1	निजी रूप से धारित बॉण्ड	2,979.40	51.30%
2	सार्वजनिक एनसीडीज	973.35	16.76%
3	अधीनस्थ बॉण्ड	774.67	13.34%
4	विदेशी मुद्रा देयता	364.25	6.27%
5	जीरो कूपन बॉण्ड	327.55	5.64%
6	कर मुक्त बॉण्ड	310.00	5.34%
7	सावधि ऋण	75.00	1.29%
8	सीबीएलओ उधार	3.85	0.07%
	कुल जोड़	**5,808.07**	**100.00%**

*31 मार्च, 2023 तक बकाया मूल देनदारी पर प्रतिशत की गणना की गई

(v) स्टॉक अनुपात

क्र.सं.	विवरण	अनुपात	Limit
1	अल्पकालिक देनदारियाँ / कुल संपत्ति *	18.43%	Not exceeding 30%
2	अल्पकालिक देनदारियाँ / दीर्घकालिक संपत्तियाँ*	25.69%	Not exceeding 40%
3	वाणिज्यिक पत्र / कुल संपत्ति **	-	Not exceeding 10%
4	1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता/कुल संपत्ति वाले एनसीडी #	-	Not exceeding 10%
5	दीर्घकालिक (> 1 वर्ष) संपत्तिध्कुल संपत्ति *	71.73%	Not exceeding 85%
6	अल्पकालिक देनदारियाँ / कुल देनदारियाँ *	19.82%	Not exceeding 30%

* अनुपातों की गणना इंड एस बैलेंस के अनुसार की जाती है

** वाणिज्यिक पत्र का कोई ओ/एस नहीं

1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली कोई भी एनसीडी जारी नहीं की गई थी

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

नकदी कवरेज अनुपात

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए		31.12.2022 को समाप्त अवधि के लिए		30.09.2022 को समाप्त अवधि के लिए		30.06.2022 को समाप्त अवधि के लिए	
उच्च गुणवत्ता वाली नकद परिसम्पत्तियां	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि
कुल उच्च गुणवत्ता वाली नकद परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	**16,269**	**7,014**	15,943	10,193	45978	29902	45658	35388
नकद बर्हिप्रवाह								
डेरिवेटिव जोखिम से सम्बन्धित बर्हिप्रवाह और अन्य संपार्श्विक अपेक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	**5,660**	**6,509**	2,032	2,337	10175	10175	27608	27608
अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल नकद बर्हिप्रवाह (1+2+3+4)	**5,660**	**6,509**	2,032	2,337	10175	10175	27608	27608
नकद अन्तरप्रवाह								
पूर्णत: कार्यनिष्पादन जोखिमों से अन्तर प्रवाह	**721**	**541**	736	552	867	867	1242	1242
ऋण श्रृंखला – क्रेडिट या नकदी सुविधाएं या अन्य आकस्मिक निधियन	-	-	-	-	0	0	0	0
अन्य नकद अन्तर प्रवाह	**2,651**	**1,988**	5,000	3,750	5030	2515	11630	5815
कुल नकद अन्तर प्रवाह	**3,372**	**2,529**	5,736	4,302	5897	3382	8274	7057
कुल एचक्यूएलए		**7,014**		10,193		29902		35388
शुद्ध नकद प्रवाह		**3,980**		-1,965		6793		20551
कुल नकद बर्हिप्रवाह का 25%		**1,627**		584		2544		6902
नकदी कवरेज अनुपात		**176**		1,745		440		172

आपकी कम्पनी ने पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए अनेक विवेकसम्मत उपाय किए है। एलसीआर के प्रमुख चालक ऋण अदायगी के कारण बर्हिप्रवाह और मानक पुनर्अदायगियों और एनपीए वसूली के कारण अन्तर प्रवाह है। बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार उपलब्ध अधिशेष निधियों का नियोजन मुख्य रूप से तरल पारस्परिक निधियों, सरकारी प्रतिभूतियों (जी.सेक/खजाना बिलों), वाणिज्यिक पेपरों और अन्य मुद्रा बाजार प्रलेखों में किया जाता है। आपकी कम्पनी का यह प्रयास रहता है कि एलसीआर सुविधजनक और निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत बना रहे।

xxxviii) क्षेत्रवार जोखिम

सेक्टर्स	2022-23			2021-22		
	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और अहफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (रू. करोड़)	**सकल एनपीए (रू. करोड़)**	**उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत**	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और अहफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (रू. करोड़)	सकल एनपीए (रू. करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत
2. उद्योग						
क. खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	**214.81**	**114.81**	**53.45**	214.81	114.81	53.45
ख. खाद्य प्रसंस्करण	**286.81**	**280.18**	**97.69**	312.34	305.72	97.88
ग. पेय पदार्थ और तम्बाकू	**8.57**	**0.00**	**0.00**	35.03	19.14	54.65
घ. कपड़ा	**122.17**	**65.30**	**53.45**	159.74	67.21	42.07
न. कागज एवं कागज उत्पाद	**53.42**	**52.91**	**99.04**	53.42	52.91	99.04
च. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु उत्पाद	**80.48**	**0**	**0.00**	80.48	0.00	0.00
छ. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	**145.06**	**143.57**	**98.98**	144.69	143.21	98.98
ज. रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	**79.37**	**0.24**	**0.30**	100.16	0.24	0.24
झ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	**75.58**	**0.05**	**0.07**	75.58	0.05	0.07
न. मूल धातु एवं धातु उत्पाद	**465.19**	**327.27**	**70.35**	671.03	522.76	77.90
प. सभी इंजीनियरिंग	**591.01**	**570.82**	**96.58**	640.35	620.16	96.85
फ. वाहन, वाहन के हिस्से और परिवहन उपकरण	**146.56**	**124.15**	**84.71**	162.46	128.23	78.93
ब. रत्न एवं आभूषण	**65.69**	**65.69**	**100.00**	65.69	65.69	100.00
भ. निर्माण	**661.93**	**596.40**	**90.10**	667.69	588.77	88.18
म. 1.1 विद्युत उत्पादन	**1715.87**	**1133.54**	**66.06**	1806.66	1176.77	65.14
म. 1.4 सौर नवीकरण ऊर्जा	**25.00**	**0**	**0.00**	35.00	0.00	0.00
म. 1.5 अन्य	**12.83**	**12.73**	**99.22**	12.84	12.74	99.22
म. 2 दूरसंचार	**403.29**	**135.10**	**33.50**	465.25	135.10	29.04
म. 3 सड़कें	**761.43**	**475.87**	**62.50**	994.00	701.97	70.62
म. 8 अन्य अवसंरचना	**990.90**	**546.59**	**55.16**	1114.96	670.65	60.15
य. अन्य उद्योग	**3036.05**	**1103.83**	**36.36**	3785.61	1188.77	31.40
कुल योग	**9942.00**	**5749.06**	**57.83**	11597.79	6514.89	56.17

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

सेक्टर्स	2022-23			2021-22		
अन्य उद्योग	**कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और अहफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (रू. करोड़)**	**सकल एनपीए (रू. करोड़)**	**उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत**	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और अहफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (रू. करोड़)	सकल एनपीए (रू. करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत
सभी उप-क्षेत्र फ्लैगिंग के लिए उपलब्ध होंगे (उप-क्षेत्र को उस समूहध्कंपनी की प्रमुख कंपनी के परिचालन खंड का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिसके शेयर गिरवी रखे जा रहे है)।	**7.51**	**0**	**0**	12.27	0.00	0
सहयोगी कंपनी	**83.16**	**0**	**0**	83.16	0.00	0
बैंकों	**43.58**	**0**	**0**	44.04	0.00	0
ऋण और निवेश की टोकरी	**0.33**	**0.33**	**100**	0.83	0.83	100.00
दलाल और अन्य पूंजी बाजार सहभागी	**72.93**	**0**	**0**	74.18		0.00
निर्माण सामग्री	**97.49**	**95.75**	**98.21**	108.66	95.75	88.12
व्यापार सेवाएं	**32.93**	**32.67**	**99.21**	33.27	33.01	99.22
वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति	**491.55**	**364.45**	**74.14**	647.72	420.83	64.97
सरकारी प्रतिभूतियां	**42.08**		**0.00**	575.48	0.00	0.00
विविध कॉर्पोरेट				4.44	0.00	0.00
अधिकार वाली कंपनी				20.19		0.00
होल्डिंग कंपनी-पर्यटन और संबंधित गतिविधि (बुनियादी ढांचे के तहत के अलावा)	**90.94**	**90.94**	**100.00**	91.41	91.41	100.00
होटल (गैर-इन्फ्रा)	**56.80**	**30.72**	**54.08**	56.80	30.72	54.08
सूचान प्रौद्योगिकी सेवाएं	**53.79**	**36.79**	**68.40**	53.79	36.79	68.40
मीडिया एवं मनोरंजन	**145.00**	**145.00**	**100.00**	145.00	145.00	100.00
विविध. अन्य उत्पाद	**10.12**	**1.20**	**11.86**	40.27	15.05	37.38
विविध सेवाएं	**1.00**		**0.00**	1.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड्स	**263.56**		**0.00**	121.08		0.00
एनबीएफसी	**291.94**	**169.25**	**57.97**	361.17	169.25	46.86
अलौह धातु	**113.72**	**59.26**	**52.11**	113.72	59.26	52.11
मुद्रण, प्रकाशन और संबद्ध उद्योग।	**0.00**	**0.00**	**100.00**	0.00	0.00	100.00
खुदरा ब्रांड श्रृंखला	**86.84**	**77.45**	**89.19**	100.24	90.84	90.63
सहायक कंपनी	**1036.16**		**0.00**	1053.31		0.00
पर्यटन एवं संबंधित गतिविधि (बुनियादी ढांचे के अलावा)	**14.62**	**0.04**	**0.26**	43.03	0.04	0.09
वेंचर कैपिटल फंड			**0.00**	0.59	0.00	0.00
थोक व्यापार	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**3036.05**	**1103.83**	**36.36**	3785.62	1188.77	31.40

नोट:

i. उपरोक्त प्रकटीकरण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न और रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित ''बैंक क्रेडिट का क्षेत्रीय परिनियोजन'' रिपोर्ट पर आधारित होंगे।

ii. उपरोक्त प्रकटीकरण में, यदि किसी सेक्टर में, किसी विशिष्ट सब-सेक्टर/उद्योग में एक्सपोजर किसी एनबीएफसी की टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे उस सेक्टर के तहत अलग से प्रकट किया जाएगा। साथ ही, एक सेक्टर के भीतर, यदि एक्सपोजर विशिष्ट सब-सेक्टर/उद्योग टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत से कम है, तो ऐसे एक्सपोजर को क्लब किया जाएगा और उस सेक्टर के तहत ''अन्य'' के रूप में प्रकट किया जाएगा।

(xxxix) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

विवरण	**वित्त वर्ष 22-23**	वित्त वर्ष 21-22
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	**1546.45**	1563.60
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	**1546.45**	1563.60
कुल एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में कुल इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर	**13.33%**	9.56%

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xl) संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी	सहायक		सहयोगी/संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		अन्य		कुल	
सामान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उधारी	130.00	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00	130.00
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जमा की नियुक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	-	-	-	1.18	1.22	-	-	-	-	1.18	1.22
निवेश	1,546.41	1,546.41	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	1,546.45	1,546.45
अचल/ अन्य संपत्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल/ अन्य संपत्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज का भुगतान*	11.05	11.05	-	-	-	-	-	-	-	-	11.05	11.05
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* संचयी ब्याज का छोड़कर 10.77 8.98

अन्य लेन-देन के लिए कृपया नोट संख्या 47 देखें।

(xli) संधियों का उल्लंघन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्षो के दौरान लिए गए ऋण या जारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में डिफॉल्ट या अनुबंध के उल्लंघन का कोई मामला नही था।

(xlii) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों में विचलन

आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय उपकरणों पर कर-पूर्व लाभ और गड़बड़ी हानि के 5 प्रतिशत से अधिक की राशि के लिए अतिरिक्त प्रावधानों का आकलन नहीं किया है, और न ही इस अवधि के दौरान रिपोर्ट में दर्ज गए सकल एनपीए के 5% से अधिक के किसी अतिरिक्त सकल एनपीए की पहचान की है।

(xliii) शिकायतों का खुलासा

संसाधन विभाग को ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	**0**	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या*	**8379**	1830
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	**8379**	1830
	3.1 जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	**0**	0
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**0**	0
	एनबीएफसी को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें		
5	एनबीएफसी को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या	**10**	7
	5.1 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	**9**	7
	5.2 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	**1**	0
	5.3 5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल के कार्यालय द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद कई शिकायतों का समाधान किया गया	**0**	0
6	निर्धारित समय के भीतर लागू नही किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों के अलावा)	**0**	0

*वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 22 के दौरान संसाधन विभाग से संबंधित क्रमशः आरबीआई से प्राप्त 8 और 11 शिकायतें शामिल है

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

शिकायतों के आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या।
1		2	3	4	5	6
चालू वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23						
ग्राउंड 1	आवंटन सूचना/बांड प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ग्राउंड 2	ब्याज/मोचन/बायबैक राशि की प्राप्ति न होना	**0**	**8379**	**357.87**	**0**	**0**
ग्राउंड 3	लाभांश न मिलना	**0**	**258**	**-41.63**	**0**	**0**
ग्राउंड 4	अन्य	**0**	**11**	**-47.61**		
ग्राउंड 5						
अन्य						
कुल		**0**	**8648**	**277.14**	**0**	**0**
पिछला वर्ष 2021-22						
ग्राउंड 1	आवंटन सूचना/बांड प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना	0	0	0	0	
ग्राउंड 2	ब्याज/मोचन/बायबैक राशि की प्राप्ति न होना	0	1830	-10.47	0	0
ग्राउंड 3	लाभांश न मिलना	0	442	33.13	0	0
ग्राउंड 4	अन्य	0	21	10.52		
ग्राउंड 5						
अन्य						
कुल		0	2293	-4.08	0	0

56 31.03.2023 को करंसी फ्यूचर्स/फारवर्ड सौदों में ओपन इन्ट्रस्ट

स्थिति (31.03.2023 की स्थिति अनुसार)

विवरण		मूल्य तिथि	प्रतिपक्षकार	समाहित यूनिटों की संख्या (यूरो एवं यूएसडी)
1	यूरो/भारतीय रुपए	28 अप्रैल 2023	इंडसइंड बैंक	4,07,19,000.00

57 विदेशी मुद्रा प्रकटन, जो डेरिवेटिव प्रलेख के तहत अथवा अन्यथा प्रतिरक्षित नही है 0.001 मिलियन अमेरिकी डॉलर है (मार्च, 2022 को समाप्त पिछला वर्ष : 0.001 मिलियन अमेरिकी डालर) और -0.01 मिलियन यूरो (मार्च, 2022 को समाप्त पिछला वर्ष : 2502 मिलियन यूरो), जो 0.08 करोड़ रुपए के बराबर है (मार्च 2022 को समाप्त पिछला वर्ष : 2.10 करोड़ रुपए)

58 रेपो और रिवर्स रेपो लेन देनों के अधीन बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों के विवरण

विवरण		अवधि के दौरान अधिकतम बकाया	अवधि के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2023 को बकाया
रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां				
1	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-
2	निगमित बॉण्ड	-	-	-
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतिया				
1	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-
2	निगमित बॉण्ड	-	-	-

अधिकतम एवं औसत बकाया प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर आधरित है।

59 पिछले वर्ष के आंकड़ो को, जहां कही आवश्यक है, चालू अवधि के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण,

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **आईएफसीआई लिमिटेड** (जिसे यहाँ आगे ''कम्पनी'' कहा गया है) और इसकी सहायक कम्पनियों (कम्पनी और सहायक कम्पनियों को मिलाकर जिन्हें ''समूह'' कहा गया है) की 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश व अन्य स्पष्टीकरण सूचनाओं (जिन्हें आगे ''समेकित वित्तीय विवरण'' कहा गया है) की लेखा-परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के तहत यथानुसार अपेक्षित सूचना देते है और 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार मामलों की स्थिति, कम्पनी की समेकित हानि, समेकित कुल व्यापक हानि, इसके समेकित नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में समेकित परिवर्तनों सहित यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप के बारे में सत्य एवं स्पष्ट सूचना प्रदान करते है।

राय का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपार्ट के **'समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां'** नामक खण्ड में वर्णित है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी नीति-संहिता के अनुसार समूह के स्वतंत्र लेखा-परीक्षक है और कम्पनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत निर्धारित नीतिपरक अपेक्षाएं समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा-परीक्षा के संगत है और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति-संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिपरक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

1. इम्फेसिस ऑफ मैटर

क. इम्फेसिस ऑफ मैटर -आईएफसीआई लिमिटेड

1. हम चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता न देने वाली लेखांकन नीति में बदलाव के संबंध में वित्तीय विवरणों के **नोट संख्या 40(iii)** पर ध्यान आकर्षित करते है। तद्नुसार, समीक्षाधीन अवधि के लिए ब्याज आय 209.50 करोड़ रुपये (ईसीएल का शुद्ध) कम है।
2. हम **नोट संख्या 40 (vi)** पर ध्यान आकर्षित करते है जहां पूंजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2023 को (-)70.66% है, जो आरबीआई के परिपत्र दिनांक 31 मई, 2018 (आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर (पीडी) सीसी. नंबर 092/03.10.001/2017-18) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश से कम है।
3. एक निश्चित मामले में, यह देखा गया कि एक पार्टी ने भारत सरकार की एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के तहत सहायता प्राप्त करने और अपने प्रस्ताव की समुचित तैयारी के लिए कंपनी को अपना सलाहकार/परामर्शदाता नियुक्त किया है। लेकिन कंपनी एसडीएफ योजना के तहत नोडल मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी/एजेंट के रूप में भी कार्य कर रही है। भारत सरकार से स्पष्ट अनुमोदन मिलने के बावजूद, किसी भी आवेदक को व्यावसायिक शर्तों पर दस्तावेजों/परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता/प्रशिक्षण देने की कंपनी की कार्रवाई और भारत सरकार की ओर से उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से कंपनी द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों की विश्वसनीयता काफी कमजोर होती है, साथ ही इससे कंपनी की स्वतंत्र स्थिति भी प्रभावित होती है।
4. कंपनी ने हमें नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 01.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के लिए लेखा-परीक्षकों के साथ कोई विशिष्ट डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, हमारे द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है।
5. कंपनी ने हमें सूचित किया है कि पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्रों के अनुसार, फाइलें और दस्तावेज लेखा-परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, इसलिए हमने इनकी समीक्षा नहीं की है।

ख. मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड-इम्फेसिस ऑफ मैटर

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते है:

क. समेकित वित्तीय विवरणों का **नोट सं. 43** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में निर्णय लंबित रहने तक, एक बैंक के साथ जारी मुकदमेबाजी के परिणाम से संबंधित है। प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, कंपनी माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रतिभूति जमा के रूप में रखी गई एफडीआर की वसूली के प्रति आशान्वित है, इसलिए लाभ व हानि विवरण में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. व्यापार देय, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, अन्य वर्तमान देनदारियों और अन्य चालू परिसंपत्तियों से शेष राशि की प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त न होने से संबंधित मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में।

ख.1 मैसर्स स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड-इम्फेसिस ऑफ मैटर

सहायक कम्पनी ''स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड'' के संबंध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने निम्नलिखित मैटर ऑफ इन्फेसिस दिया है:

1. हम कम्पनी के परिसर में आग लगने के कारण तीसरे पक्ष के प्रति कम्पनी के दायित्व के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर **टिप्पणी सं. 45** की ओर ध्यान आकर्षित करते है।

ग. मैसर्स एमपीसीओएन लिमिटेड के मामले में इम्फेसिस ऑफ मैटर

1. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 37 की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जिसमें कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमे के

कारण होने वाले लाभ/हानि से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन किया गया है।

2. 63,66,745 रु. की राशि से संबंधित कर, अग्रिम व व्यय की कुछ प्रविष्टियों से संबंधित प्रावधानों को सीधे संचय एवं अधिशेष खाते में समायोजित किया गया है।

3. यह देखा गया है कि 31.03.2023 तक बैलेंस शीट में 8,84,24,463 रु. की विविध देनदारी दिखायी गई है। विविध देनदारों से संबंधित अवधि तालिका नीचे दी गई है:-

रु. लाख में

विभाग	कुल	6 महीने तक	>6 माह से 1 वर्ष तक	>1 वर्ष से 3 वर्ष तक	>3 वर्ष	>3-5 वर्ष	>5-7 वर्ष	>7-10 वर्ष	>10
एकेएस	314	-	-	33	-	248	32	-	1
रायपुर	179	-	-	9	-	87	75	8	-
जीडब्ल्यूएल	66	-	-	3	-	7	27	29	-
जेबीपी	60	-	-	-	-	22	29	9	-
एबी	53	-	-	-	-	-	-	53	-
एसजी	53	-	-	-	-	-	53	-	-
एसबीजे	49	-	-	-	-	7	-	41	-
आरकेएस	35	-	-	-	-	35	-	-	-
एसबीजे	17	-	-	-	-	-	17	-	-
केकेए	15	-	-	0	-	15	-	-	-
पीकेएस	14	-	-	1	-	13	-	-	-
आईएनडी	13	-	-	-	-	13	-	-	-
एमएसके	13	-	-	-	-	13	-	-	-
ए जे	2	-	-	2	-	-	-	-	-
सीएसयू	1	-	-	-	-	-	-	1	-
भोपाल	0	0	0	-	-	-	-	-	-
कुल	**884**	**0**	**0**	**48**	**-**	**461**	**232**	**142**	**1**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष का कुल टर्नओवर 17883 लाख रु. है और वित्तीय वर्ष में बिल की गई लगभग 100% राजस्व की वसूली हुई। देनदारों की बकाया 884 लाख रु. की राशि चालू वित्तीय वर्ष से पहले की अवधि से संबंधित है। चालू वित्तीय वर्ष में तदर्थ आधार पर कुल देनदार शेष खाते में खराब व संदिग्ध ऋणों के लिए 150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

देनदारों से शेष राशि की पुष्टि के लिए कोई पूर्व-परिभाषित प्रणाली नहीं है और कंपनी के ग्राहकों द्वारा देनदार शेष राशि का नियमित आधार पर सत्यापन नही किया जा रहा है।

ये सभी देनदार ग्राहकों के लिए परिचालन दायित्व है। सीमा अधिनियम (लिमिटेशन एक्ट) 1963 के प्रावधानों के कारण ये वसूली के लिए अदालत में स्वीकार्य नही है। प्रबंधन ने इसके लिए सीमा अवधि पर कानूनी राय प्राप्त की और विद्वान वकील ने पुष्टि की है कि देनदार शेष के मामले में सीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार्य अवधि 3 वर्ष की है।

अब प्रबंधन द्वारा सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक देनदार शेष की स्वीकार्यता की स्थिति जानने के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ की नियुक्ति की जानी है।

इसके अलावा 3 वर्ष से अधिक पुराने प्रत्येक देनदार शेष के लिए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान करने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रावधानों के प्रभाव को इन वसूली-योग्य शेष राशि के लिए, विशेष रूप से संबंधित दायित्व को रिवर्स करके, ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे संबंधित तालिका एक अलग पैराग्राफ में दी गई है।

4. यह पाया गया है कि 31.03.2023 को बैलेंस शीट में तीन साल से अधिक अवधि वाले 463.34 लाख रु. के व्यापार देय बकाया है। ये व्यापार देय सीधे तौर पर 835.75 लाख रु. के विविध देनदारों से संबंधित है। ये देय शेष वसूली-योग्य शेष पर निर्भर है। इन देय और वसूली-योग्य शेष राशि की शुद्ध स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

रु. लाख में

विवरण	बुढ़ापा - 3 वर्ष से अधिक
विविध देनदार	835.75
व्यापार देनदारियां	463.34
सटीक स्थिति	**372.41**

5. कंपनी के पास ग्राहकों, जमाओं, विविध देनदारों और विविध लेनदारों से अग्रिम के रूप में विभिन्न मदों में लंबे समय से बकाया राशि है। इन सभी के शेष की पुष्टि/सत्यापन होना बाकी है। (31 मार्च 2023 तक 3 साल और उससे अधिक की वसूली-योग्य शेष राशि सिक्योरिटी जमा खाते में 96.98 लाख रु. और विक्रेताओं/पार्टियों को अग्रिम खाते में 53.09 लाख रु. है।)

6. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लागू है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है। 4 आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की गई और इनमें विस्तृत विश्लेषण के साथ वित्तीय नियंत्रण पर विस्तृत जांच की सिफारिश की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो व्यवसाय के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

7. कंपनी की संपत्तियों का मैनेजमेंट द्वारा नियमित आधार पर सत्यापन और प्रमाणीकरण किया जा रहा है। संपत्तियों की श्रेणी के अनुसार मार्किंग और टैगिंग को, प्राथमिकता के आधार पर स्वतंत्र पेशेवर द्वारा सत्यापित कराये जाने की आवश्यकता है।

8. कंपनी में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं की पहचान और निगरानी के लिए कोई पूर्वनिर्धारित व्यवस्था नहीं है।

घ. मैसर्स आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. – इम्फेसिस ऑफ मैटर

1. हम चरण 3 की परिसंपत्तियों पर ब्याज आय की मान्यता समाप्त करने की दिशा में लेखांकन नीति में परिवर्तन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के **टिप्पणी 47सी** की ओर ध्यान आकर्षित करते है। तदनुसार, ब्याज आय 11.60 करोड़ रु. कम है। वर्ष का शुद्ध लाभ 5.17 करोड़ रु. (ईसीएल और आस्थगित कर घटाकर) कम है।

ड. इम्फेसिस ऑफ मैटर – मैसर्स आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड

1. कंपनी की खाता-बहियों में 86.38 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ दिखायी गई है, जो इंड-एएस 12 और विवेकपूर्ण लेखांकन अवधारणा के अनुरूप नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों की एक सीमा तक मान्यता दी जाए। क्योंकि यह भी संभव है कि कुछ ऐसे कर योग्य लाभ उपलब्ध हों, जिनके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

2. कंपनी की ऋण संपत्ति का बड़ा हिस्सा यानि 97% गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गया है। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान कोई नया ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं किया है। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास आज की तिथि तक कोई चालू बिजनेस मॉडल नहीं है। इन घटनाओं या स्थितियों से संकेत मिलता है कि कंपनी में भौतिक अनिश्चितता है, जो व्यवसाय जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती है।

एफ. इम्फेसिस ऑफ मैटर – मैसर्स आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड

1. हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 47 बी(जी) पर ध्यान आकर्षित करते है, जो फाइनेंशियल सिटी बेंगलुरु स्थित 12.77 करोड़ रुपये की पट्टा-सह-बिक्री की भूमि वाली इन्वेंट्री से संबंधित है, जो 12 वर्षों के लिए पट्टे पर थी और जिसका पट्टा समझौता 30.09.2022 को समाप्त हो गया है। पट्टा समझौते को नवीनीकृत करने का अनुरोध पत्र केआई एडीबी में जमा किया गया है और उसका नवीनीकरण किया जाना शेष है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में समेकित राय को संशोधित नहीं किया गया है।

2. मुख्य रिपोर्ट में सूचित किए गए महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले वे मामले है, जो लेखांकन के पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में किया गया और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले मुख्य लेखा-परीक्षा मामलों के सम्बन्ध में, मामलों का निर्धारण नीचे इस प्रकार किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
1.	**ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति – प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल)** (लेखांकन नीति संख्या 6(ख) के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 56 देखें) अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने निर्णयों के उच्चतर स्तर का पता लगाया है: ० ईसीएल मॉडल – क्षति हानि मूल्यांकन के लिए चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये मॉडल ईसीएल को मापने के मुख्य चालक है। ० विभिन्न चरणों का व्यक्तिगत रूप से निर्धारित वर्गीकरण -यदि व्यक्तिगत क्षति का उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण और अनुमान न लगाया जाए, तो ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण और अग्रिमों के रखरखाव मूल्य में महत्वपूर्ण असमानता हो सकती है। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम निर्धारण के भाग के रूप में हमने यह निर्धारण किया है कि ईसीएल का मूल्य समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए हमारी अहमियत से अधिक उपयुक्त परिणामों की संभावित श्रेणी सहित अत्यधिक अनुमानों की अनिश्चितता है। अवधारणाओं के अनुचित उपयोग के मामले में ऋण परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बताया जा सकता है। समेकित वित्तीय विवरणों में ऋण परिसम्पत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए उस पर ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा मामला माना गया है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने प्रत्याशित ऋण हानि के सम्बन्ध में लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रलेख', में विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों, विभिन्न नियामक नवीनतम सूचनाओं, कम्पनी के आन्तरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा पद्धतियों में उनको अपनाया गया है: 1. ऋण परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुख्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन और जानकारी, ऋण क्षति का निर्धारण, उपयुक्त आंकड़ों की गुणवत्ता के निर्धारण और वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा सहित, प्रविष्टि की जानी चाहिए। 2. किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या किसी ऋण परिसम्पत्ति खाते का पता लगाने के लिए बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों की जांच-परीक्षण आधार पर ऋण परिसम्पत्ति खातों का सत्यापन/ प्रलेखों की समीक्षा, कार्य-निष्पादन। 3. किसी प्रतिकूल संकेत/टिप्पणी वाली ऋण परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा और अन्य किसी लेखा-परीक्षा/निरीक्षण प्रणाली की रिपोर्टो की समीक्षा और कम्पनी की नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा, ताकि ऐसी ऋण परिसम्पत्तियों और उसकी संभावित क्रेडिट हानि का समेकित वर्गीकरण किया जा सके। 4. पीडी और एलजीडी के परिकलन के लिए प्रयुक्त पद्धति में आलोच्य आंकड़ों के इनपुट की उपयुक्तता। 5. ईसीएल परिकलन में स्रोत पद्धतियों से आंकड़ों के प्रवाह की पूर्णता और सटीकता। 6. आर.बी.आई. के आईआरएसीपी मानदण्डों के आधार पर समग्र ऋण परिसम्पत्तियों का निर्धारण। **हमारा निष्कर्ष:** हमने क्रेडिट हानि शुल्क और मान्य प्रावधान और संबंधित प्रकटीकरणों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार्य और संतोषजनक पाया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
2.	**वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या च(ख) के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 55 देखें। कम्पनी अपनी मुद्रा और बाजार दर जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव संविदाओं की प्रविष्टि करती है। इन डेरिवेटिव्स संविदाओं का एफवीटीपीएल पर वर्गीकरण किया जाता है और नकद प्रवाह प्रतिरक्षण (प्रतिरक्षा लेखांकन) के अधीन कुछ डेरिवेटिव्स संविदाओं को पदनामित किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण जोखिम के कारण एक मुख्य लेखा-परीक्षा मामले के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन और प्रतिरक्षा लेखांकन पर विचार किया जाता है तथा इस तथ्य का ध्यान रखा जाता है कि इन अपेक्षाओं के अनुचित उपयोग से आय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** हम उन वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं और अन्तर्निहित संविदाओं के संभावित परिणामों तथा कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में प्रबन्धन की अन्तर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा करने के लिए अपने कार्य-दल को निर्देश देते है जिससे कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि का पता लगाया जा सके। हमारे कार्य-दल ने 31 मार्च, 2022 को निपटान के लिए बकाया/लम्बित के रूप में वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं का ऐसा उचित मूल्य निकालने के लिए सामान्य बाजार कार्य-विधियों और अन्य अन्तर्निहित अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यह निर्धारण करना कि मौजूदा लेखांकन मानकों और आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इसके डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए प्रकटन किया गया है। **हमारा निष्कर्ष:** हमें उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं मिली है और सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक है।
3.	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का निर्धारण** मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी पद्धतियों के स्वचालित नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर करते है। इस बात का जोखिम रहता है कि कर्त्तव्यों या यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अनुपयुक्त विभाजन (मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में) से हमारी लेखा-परीक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और लेखा-परीक्षा की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में सूचना/इनपुट पर मुख्य नियंत्रणों के सैंपल का मूल्यांकन किया। **हमारा निष्कर्ष:** हमें वित्तीय लेखांकन और सूचना पर आईटी पद्धतियों से निकलने वाली सूचनाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार कोई विशेष कमी नहीं दिखी है।
	हमने प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में इस पर विचार किया है क्योंकि किसी नियंत्रण चूक, वैधता उल्लंघन, अनुचित इनपुट आंकड़े और आंकड़ों के अनुचित निस्तारण से प्रबन्धन और नियामकों को आंकड़ों की गलत सूचना मिल सकती है।	

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचनाएं

कम्पनी का निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन अन्य सूचनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई संगत सूचनाएं शामिल हैं, परन्तु इनमें इस लेखा-परीक्षक रिपोर्ट की तारीख को समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है और हम उन पर आश्वासन के किसी रूप में निष्कर्ष व्यक्त नही करते है।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना और ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा-परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते है कि किसी अन्य सूचना की महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं हुई है, जिससे हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित हो। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन समेकित वित्तीय विवरणों जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सत्य एवं उचित दृष्टिकोण प्रकट करते है, को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं को पूरा करने और अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कम्पनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

समूह में शामिल कंपनियों से संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा, समूह में धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन करने व उन्हें इस्तेमाल करने, ऐसे निर्णय लेने व अनुमान लगाने जो उचित तथा विवेकसम्मत हों; और वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, उनके कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। साथ ही ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करना भी उनका उत्तरदायित्व है, जो गड़बड़ी, धोखेबाजी या त्रुटि से मुक्त सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हों।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल कम्पनियों के संबंधित निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व संबंधित कम्पनियों की सुचारू रूप से कारोबार करते रहने की क्षमता का मूल्यांकन करना है, जिसमें विभिन्न कम्पनियों से संबंधित, सम्बद्ध मामलों को प्रकट करना और उनका लेखांकन निरंतरता के आधार पर करना जब तक कि निदेशक मण्डल का संबंधित कम्पनियों को समाप्त करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा न हो या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों से संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित वित्तीय विवरण, समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिसमें हमारी राय शामिल है, भी जारी करना है। समुचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाती है, जब यह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को समुचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते है और संपूर्ण लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते है। साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करते है, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों। ऐसे जोखिमों के लिए निष्पक्ष उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करते है और ऐसे लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से बड़ा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते है, ताकि उन परिस्थितियों में ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उचित है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन हम, कम्पनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमान और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन की समुचितता सुनिश्चित करते है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन की चालू प्रतिष्ठान की अवधारणा के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते है और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर तय करते है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, जो चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की कम्पनी की क्षमता के बारे में बड़ा संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते है कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें इसे वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त है तो अपनी राय में संशोधित करना अपेक्षित है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह को चालू प्रतिष्ठान बने रहने की संभावना को समाप्त कर सकती है।
- समग्र प्रस्तुतिकरण, ढांचे और वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु, जिसमें प्रकटन शामिल है, का मूल्यांकन करते है और देखते है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करते है कि उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया जा सकता है।
- समूह की कम्पनियों या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय सूचनाओं से संबंधित पर्याप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते है, जिससे कि समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त की जा सके।

समेकित वित्तीय विवरणों में गलत कथनों की काफी अधिक व्यापकता है। इसलिए हो सकता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय भी, व्यक्तिगत तौर पर या समग्र रूप से प्रभावित हों। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी तरह के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में समूह और इसकी कम्पनियों, जिनके कि हम स्वतंत्र लेखा-परीक्षक है, के शासन संबंधी प्रभारियों से हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान की गई आंतरिक नियंत्रण में अन्य मामलों, उल्लेखनीय कमियों सहित लेखा-परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कार्य क्षेत्र और समय के बारे में संपर्क करते है।

हम शासन संबंधी प्रभारियों को ऐसे विवरण भी प्रदान करते है, जिन्हें हमने स्वतंत्र रूप से संगत नीतिपरक अपेक्षाओं से संकलित किया और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संपर्क करते है, जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर प्रभाव पड़ सकता है।

शासन संबंधी अधिकारियों के साथ सम्प्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते है जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक उल्लेखनीय थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले है। हम इन मामलों का हमारी लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते है जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन कानून का विनियम बाधा नहीं डालता है या जब अत्यधिक विरली परिस्थितियों में हम निर्धारित करते है कि मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे सम्प्रेषण के समुचित रूप से सार्वजनिक हित अभिलाभों से अधिक भारी होने की संभावना रहती है।

अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार हम भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा उप-निदेश (क्रमश: भाग-क और भाग-ख) पर समूह के लिए अपनी रिपोर्ट ''अनुबंध-क'' में इसके साथ संलग्न करते है।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम यह भी सूचित करते है कि:
   (क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है;
   (ख) हमारी राय में, समूह ने विधि द्वारा अपेक्षित उपयुक्त समेकित वित्तीय विवरण बना रखे है, जैसा कि इन खाता-बहियों और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टो की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए गये समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ तथा हानि विवरण, अन्य व्यापक आय, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में समेकित परिवर्तन खाता-बहियों के अनुरूप है;
   (घ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है;
   (ड.) कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार निदेशकों की अनर्हता के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 (2) समूह की कम्पनियों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ये सरकारी कम्पनियां है;
   (च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में ''अनुबंध-ब'' के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; और
   (छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के

सम्बन्ध में, चूंकि यह एक सरकारी कम्पनी है, अत: कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी. एसआर.463(ई) के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम की धारा 197 लागू नही है;

(ज) कम्पनी (लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. समेकित वित्तीय विवरणों में विचाराधीन मुकदमों का समूह की वित्तीय स्थिति पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 37 देखें;

ii. समूह ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हानियां, यदि कोई हों, के लिए प्रयोज्य विधि और लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार लाभ व हानि खाते में उपयुक्त समायोजन किया है - समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 55 देखें;

iii. कम्पनी और भारत में इसकी निगमित कम्पनियों द्वारा निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अन्तरित की जाने वाली राशियों का हस्तान्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

iv. क) कम्पनी और इसकी भारत में निगमित सहायक कम्पनियों, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षण किया गया है, के प्रबंधन ने हमें बताया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो अधिक मूल्य की हो या महत्वपूर्ण हो) को (चाहे उधार ली गई निधि से हो या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य निधि से) कम्पनी या इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था (''मध्यस्थ'') सहित में अग्रिम या ऋण या निवेश के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह के कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा नही किये गये है कि कम्पनी या सहायक कम्पनियों (''अंतिम लाभार्थी'') की ओर से कोई मध्यस्थ किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

ख) कम्पनी और इसकी भारत में निगमित सहायक कम्पनियों, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षण किया गया है, के प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कम्पनी या इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेशी संस्था (''फंडिंग पार्टियां'') सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (व्यक्तिगत रूप से या सामुहिक तौर पर) प्राप्त नही किया गया है। इस बारे में कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा, नहीं किये गये है कि फंडिंग पार्टी (''अंतिम लाभार्थी'') की ओर से किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसा कोई आश्वासन दिया जाएगा।

ग) कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों के लिए अपनायी गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुति, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी उल्लेखनीय गलतबयानी हुई है।

v. वर्ष के दौरान, मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमपीसीओएन लिमिटेड ने लाभांश घोषित किया या उसका भुगतान किया, जो मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सांविधिक लेखा-परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi. कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते-बहियां बनाने के लिए कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान का पालन करती है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2023, से कंपनी पर लागू है, इसके तहत ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) के रिकॉर्ड रखने की सुविधा है। तद्नुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग करने का नियम कंपनी पर लागू नही है।

3. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश''/''सीएआरओ'') के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामले लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाते हैं। तद्नुसार, हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट, जिनमें सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, के अनुसार हमें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा-परीक्षा रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा-परीक्षकों द्वारा कोई अयोग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी (मान्यताओं को छोड़कर) नहीं मिली।

कृते मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन: 23099374BGSEQP1745

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

समेकित वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा 2 में निर्दिष्ट अनुबंध–क।

भाग क – निर्देश

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>निर्देश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कम्पनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेनों की प्रोसेसिंग से वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की स्थिति पर प्रभाव, यदि कोई हों, बतायें।</td><td>हां, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से प्रोसेस होते है। आयकर गणना और आस्थगित कर गणना एमएस एक्सेल पर मैन्युअल रूप से की गई है। यद्यपि दोनों प्रक्रियाओं में लेखांकन प्रविष्टियां केवल आईटी प्रणाली से ही पास की जाती है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना हुई है या ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण/ब्याज आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब रखा जाता है?
(यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के लिए भी लागू होता है)</td><td>संदर्भाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है। ऋण चुकाने में कम्पनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।
हालांकि, कम्पनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एक ऋणदाता कम्पनी होने के नाते इसके पास ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डाले जाने वाले मामले है। बट्टे खाते में डालने/छूट देने वाले मामलों के विवरण इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>देय राशि की प्रकृति</th><th>राशि (करोड़ रु)</th></tr>
<tr><td>क.</td><td>ऋणों में छूट/माफी/तकनीकी अपलेखन</td><td>267.95</td></tr>
<tr><td>ख.</td><td>पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/राइट-बैक</td><td>(34.11)</td></tr>
<tr><td>ग.</td><td>देनदार बट्टे खाते में</td><td>0.05</td></tr>
</table>
यह बताया गया कि छूट/बट्टे खाते में डालने का निर्णय व्यक्तिगत मामलों के आधार पर उपलब्ध प्रतिभूति सुरक्षा, उधारकर्ता/निवेशिती की स्थिति और लंबित मुकदमे पर विचार करते हुए प्रत्येक मामले में वसूली/वसूली की संभावना के उचित मूल्यांकन के बाद तय किया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने/छूट देने के मामलों में बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने/छूट की राशि की निर्धारित सीमा तक पूर्णतया खाता-बहियों में प्रावधान किया गया था।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया/उपयोग किया गया? यदि इनमें विचलन है तो ऐसे मामलों की सूची बनाएं।</td><td>लेखा-परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की/प्राप्त होने योग्य नहीं है।
इसके अलावा, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि का उचित हिसाब-किताब किया गया है और योजना के नियमों व शर्तो के अनुसार धनराशि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त जानकारी पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा दिये गये उत्तरों पर आधारित है, जो इस रिपोर्ट के मैटर ऑफ इंफेसिस के पैरा 5 और 6 के अनुसार है।</td></tr>
</table>

भाग ख – उप-निर्देश

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>उप-निर्देश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>निवेश
क्या सीजीएस/एसजीएस/बॉंड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के प्रलेख फिजिकल/डी-मैट रूप में उपलब्ध है और ये क्या ये कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के बराबर है? यदि नहीं, तो इनके विवरण का उल्लेख किया जा सकता है।</td><td>कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, सीजीएस/एसजीएस/बॉंड/डिबेंचर इत्यादि के संबंध में स्वामित्व प्रलेख फिजिकल/डीमैट रूप में उपलब्ध है और ये नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के अनुसार है।
अ) जहां शेयर डीमैट या फिजिकल रूप में है लेकिन नमूना जांच के आधार पर पायी गई सीमा तक खाता-बहियों में शामिल नहीं है।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>प्रकार</th><th>शेयरों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>हिंडाल कंपनी भारत</td><td>फिजिकल</td><td>116</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>उड़ीसा सिंथेटिक्स लि.</td><td>फिजिकल</td><td>100</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>एसआईईएल लि.</td><td>फिजिकल</td><td>336348</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>एसआईईएल शुगर लि.</td><td>फिजिकल</td><td>300</td></tr>
</table>
कंपनी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष से उपरोक्त शेयरों पर दावा करने की प्रक्रिया में है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>निर्देश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>इसके अलावा, कंपनियों के कुछ शेयर जो अब अस्तित्व में नहीं है, जीएम की समिति की तारीख 17.03.2023 के मिनट के अनुसार हिसाब नहीं दिया गया है।
ब) जहां शेयरों का लेखांकन बहीखातों में किया गया है, लेकिन नमूना जांच में पाये गये ये डीमैट या फिजिकल शेयर उपलब्ध नहीं है।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>शेयरों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एलएमएल लि. (प्रिफ्रे.)</td><td>21,50,912</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ओसीएम इंडिया लि.</td><td>5,89,743</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>समकोर ग्लास लि.</td><td>20,00,000</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सदर्न विंड फार्म प्रा. लि.</td><td>1,00,000</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि.(प्रिफ्रे.)</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि.</td><td>3,00,000</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कछार शुगर मिल्स लि.(प्रिफ्रे.)</td><td>14,953</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.</td><td>400</td></tr>
</table>
कंपनी उपरोक्त कंपनियों के संबंध में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया में है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ऋण
सभी पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों संबधी प्रावधानों के संबंध में- क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध सिक्योरिटी (प्रतिभूतियों) के वसूली योग्य मूल्य के आवधिक मूल्यांकन की प्रणाली लागू है और क्या इसके लिए वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है? इस संबंध में कोई कमी, यदि कोई हो, के सम्बंध में पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव सहित उपयुक्त रूप से टिप्पणी करें।</td><td>पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों सहित सभी ऋण पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के आकलन के लिए उचित प्रणाली बनायी गई है, जिसे तिमाही आधार पर अपडेट किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया समय-समय अपनायी जाती है और परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होने पर कभी भी अपनायी जा सकती है।
भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के नियमों को अपनाने के लिए कंपनी के वित्तीय खाते इंड एएस के अनुसार तैयार किए गये है। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार ऋण के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना करके परिसंपत्तियों में हानि की गणना इंड एएस के अनुसार की गई है। कंपनी इंड एएस मानदंडों बनाम आईआरएसी मानदंडों, जो भी लागू हों, के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान संबंधी नीति का पालन कर रही है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या कम्पनी द्वारा उधारकर्ता के साथ बकाया ऋण राशि की बुकिंग और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए किसी समाधान योजना/एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) पर समझौता हुआ है।</td><td>ओटीएस निपटान और समाधान योजना के संबंध में हानि और निपटान के लिए उचित लेखांकन समायोजन किया गया है।</td></tr>
</table>

कृते मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन: 23099374BGSEQP1745

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध – ''ख''

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

आईएफसीआई लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कम्पनी'' कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के क्रम में, 31 मार्च, 2023 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, हमने कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो उस तारीख तक भारत में निगमित कम्पनियां है, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिपण्णी में दिए गए आन्तरिक नियन्त्राण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदण्ड पर आन्तरिक नियन्त्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करना और उनका रखरखाव करना कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित है, के सम्बन्धित निदेशक बोर्ड का दायित्व है। इन दायित्वों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो उनके सही होने तथा इसके कारोबार के प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करते है, जिनमें सम्बन्धित कम्पनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों का सही और पूर्ण होना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित है, की समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखा-परीक्षा मार्गदर्शक टिप्पणी (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') तथा दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानको तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित माने जाने वाले, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन के मानकों के अनुसार की है, जो आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखा-परीक्षा दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू होते है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखांकन का नियोजन व निष्पादन इस प्रकार करें जिनसे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हों कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण स्थापित किए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है एवं क्या ऐसे नियन्त्रण समग्रत: प्रभावी रूप से कार्य कर रहे है।

हमारी लेखा-परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर जानकारी प्राप्त करने, जोखिमों का निर्धारण, जिनसे महत्वपूर्ण दुर्बलता मौजूद होती है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के निरूपण का मूल्यांकन करने और परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता की जांच करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो उस तारीख तक भारत में निगमित कम्पनियां है, की समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण का अभिप्राय

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण का अभिप्राय भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों हेतु समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में ऐसी नीतियां और पद्धतियां शामिल है जो (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड, उपयुक्त विवरण में, सही रूप से तथा उनके संव्यवहारों और निपटान को उचित रूप से परिलक्षित करती है (2) जिनसे यह आश्वासन प्राप्त होता हो कि सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथा आवश्यक संव्यवहार रिकॉर्ड किए जाते है और कम्पनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किए जाते है और (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व निपटान को रोकने या उनका सही समय पर पता लगाने का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का अन्तर्निहित परिसीमन

प्रबन्धन की मिलीभगत की सम्भावना या प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रणों का अनुचित उल्लंघन करने सहित समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के अन्तर्निहित परिसीमन से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नही चलता। भावी अवधियों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेण भी ऐसे जोखिम के अधीन है जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा पद्धतियों के अनुपालन में कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित कम्पनियां है, में महत्वपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बंध मे ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे जिनका आधार दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखा-परीक्षा पर जारी मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित वित्तीय नियन्त्रण के आवश्यक संघटकों का ध्यान रखकर सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आन्तरिक नियन्त्रण सम्बंधी मानदंड रहा है। मानदण्ड पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31 मार्च, 2023 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

मैसर्स आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड के मामले में इम्फेसिस ऑफ मैटर

हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते है कि आंतरिक लेखा-परीक्षक, जिसने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता को सत्यापित किया है, कंपनी का कर्मचारी है और वह कंपनी के परिचालन विभाग का प्रमुख भी है। इसके अलावा, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति की समीक्षा के संबंध में नियंत्रण वातावरण और संबंधित जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया मे कंपनी में कुछ कमियां है। आमतौर पर इस तरह की कंपनी में जोखिम रहित प्रक्रिया स्थापित होने की उम्मीद की जाती है।

उपरोक्त मामले के संबंध में राय संशोधित नहीं की गई है।

कृते मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन: 23099374BGSEQP1745

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार समेकित तुलन पत्र

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार
I.	**परिसम्पत्तियां**			
	(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	3	**1,036.77**	966.30
	(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	4	**2,720.15**	1,328.15
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	**14.83**	2.02
	(घ) ट्रेड से प्राप्य	6	**239.05**	242.57
	(ङ.) ऋण	7	**1,907.98**	2,623.48
	(च) निवेश	8	**7,700.07**	6,540.90
	(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	**786.06**	734.77
	कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां		**14,404.91**	12,438.19
	(2) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(क) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश	10	**-**	-
	(ख) सामान सूची		**71.46**	73.89
	(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		**82.34**	68.97
	(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	11	**430.02**	924.40
	(ङ) निवेश सम्पत्ति	12	**298.16**	286.76
	(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	13	**962.65**	960.90
	(छ) कार्यशील पूंजी		**5.49**	11.51
	(ज) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		**5.64**	4.11
	(झ) गुडविल	14	**446.64**	446.64
	(ञ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	**56.38**	47.01
	(ट) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	16	**167.52**	217.43
	कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां		**2,526.29**	3,041.62
	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां	17	**7.54**	7.54
	कुल परिसम्पत्तियां		**16,938.73**	15,487.35
II.	**देयताएं एवं इक्विटी**			
	(1) वित्तीय देयताएं			
	(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	**-**	-
	(ख) देय राशियां			
	(I) व्यापार देयताएं			
	(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	18	**17.89**	0.87
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		**257.13**	390.00
	(II) अन्य देय राशियां			
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		**-**	-
	(ii) सूक्ष्म उद्यमो और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		**-**	-
	(II) अन्य देय राशियां			
	(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताए	18	**-**	-
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		**-**	2.23
	(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	**4,733.59**	5,095.43
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	**511.55**	1,025.02
	(ङ) अधीनस्थ देयताएं	21	**774.67**	974.66
	(च) अन्य वित्तीय देयताएं	22	**3,756.33**	2,752.23
	कुल वित्तीय देयताएं		**10,051.16**	10,240.44
	(2) गैर-वित्तीय देयताएं			
	(क) प्रावधान	23	**183.65**	156.68
	(ख) अन्य गैर वित्तीय देयताएं	24	**35.08**	35.67
	कुल गैर वित्तीय देयताएं		**218.73**	192.35
	(3) इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	**2,195.93**	2,102.99
	(ख) अन्य इक्विटी	26	**1,570.79**	715.10
	मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय इक्विटी		**3,766.72**	2,818.09
	गैर नियंत्रक ब्याज		**2,902.12**	2,236.47
	कुल इक्विटी		**6,668.84**	5,054.56
	कुल देयताएं एवं इक्विटी		**16,938.73**	15,487.35

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**परिचालनों से राजस्व**			
	ब्याज आय	27	**382.17**	676.94
	लाभांश आय		**105.60**	62.39
	किराया आय		**49.94**	26.76
	शुल्क एवं कमीशन आय	28	**489.59**	62.46
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ	29	**86.42**	46.21
	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)		**2.31**	22.29
	सेवाओं की बिक्री		**369.11**	655.17
	परिचालनों से कुल राजस्व		**1,485.14**	1,552.22
II.	**अन्य आय**	30	**33.73**	43.44
III.	**कुल आय**		**1,518.87**	1,595.66
IV.	**व्यय**			
	वित्त लागतें	31	**641.62**	943.07
	शुल्क एवं कमीशन व्यय		**92.55**	76.86
	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	29	**-**	-
	वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	32	**(86.14)**	1,391.26
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत		**4.05**	15.69
	व्यापार स्टॉक की खरीद		**0.61**	10.39
	कर्मचारी हित व्यय	33	**303.85**	311.04
	मूल्यह्रास व परिशोधन	34	**73.93**	66.39
	अन्य व्यय	35	**461.08**	303.25
	कुल व्यय		**1,491.55**	3,117.95
V.	**अपवादात्मक मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III- IV)**		**27.32**	(1,522.29)
	अपवादात्मक मदें		**1.24**	1.02
VI.	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**		**26.08**	(1,523.31)
VII.	**कर व्यय:**			
	- चालू कर		**45.43**	35.11
	- पूर्ववर्ती वर्षो हेतु कराधान		**0.07**	-
	- आस्थगित कर (निवल)	11	**100.36**	202.78
	कुल कर व्यय		**145.86**	237.89
VIII.	**अवधि हेतु लाभ/(हानि)**		**(119.78)**	(1,761.20)
	इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखागत निवल लाभ का हिस्सा		**-**	-
IX.	**अवधि हेतु लाभ/(हानि)**		**(119.78)**	(1,761.20)
X.	**अन्य समग्र आय**			
क.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन - इक्विटी प्रतिभूतियां		**1,710.86**	2,444.49
	- एफवीटीओसीआई की बिक्री पर लाभ/(हानि) - इक्विटी प्रतिभूतियां		**(53.33)**	(102.70)
	- परिभाषित लाभ बाध्यता पर बीमांकक लाभ/(हानि)		**2.08**	1.85
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर कर - इक्विटी प्रतिभूतियां		**(390.82)**	(565.28)
	- परिभाषित लाभ बाध्यता पर बीमांकक लाभ/(हानि) पर कर		**(0.67)**	0.02
	उप जोड़ (क)		**1,268.12**	1,778.38
ख.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा**			
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - उचित मूल्य में निवल परिवर्तन		**(0.75)**	(10.54)
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - लाभ और हानि में पुन: वर्गीकृत		**-**	-
	- विदेशी मुद्रा परिचालन के वित्तीय विवरणों के अन्तरण में विनिमय अन्तराल		**1.30**	0.50
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा।			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर कर ऋण प्रतिभूतियां		**0.24**	(13.80)
	उप जोड़ (ख)		**0.79**	(23.84)
	अन्य समग्र आय (क + ख)		**1,268.91**	1,754.54
XI.	**अवधि हेतु कुल समग्र आय**		**1,149.13**	(6.66)
XII.	**मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय वर्ष हेतु लाभ**		**(207.80)**	(1,831.34)
	गैर-नियंत्रक ब्याज		**87.98**	70.14
XIII.	**मूल कम्पनी के इक्विटीधारकों को देय वर्ष हेतु कुल समग्र आय**		**448.45**	(920.40)
	गैर नियंत्रक ब्याज		**700.66**	913.76
XIV.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	प्रत्येक 10/- रुपए प्रति शेयर बेसिक अर्जन		**(0.95)**	(8.71)
	प्रत्येक 10/- रुपए प्रति शेयर डायल्यूटिड अर्जन		**(0.95)**	(8.71)

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क.	**परिचालन क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	कर-पूर्व निवल लाभ	**26.08**	(1,523.31)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**73.93**	66.39
	क्षति प्रावधन/बट्टे खाते डालना	**(86.14)**	1,391.26
	निवेशों पर अवसूलीकृत लाभ/(हानि)	**248.14**	150.78
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	**(0.22)**	(0.02)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों तथा परिचालन क्रियाकलापों से पूर्व परिचालन लाभ	**261.79**	85.10
	परिचालन क्रियाकलापों के लिए समायोजन:		
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**249.47**	1,096.59
	सामान सूची में (वृद्धि)/कमी	**2.43**	14.74
	ऋणों व अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**801.65**	2,826.10
	डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों में (वृद्धि)/कमी	**(12.81)**	(2.02)
	व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**(118.08)**	(228.33)
	अधीनस्थ देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	**(199.99)**	(338.64)
	प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	**3.52**	(48.94)
	ऋणों प्रतिभूतियों में वृद्धि/(कमी)	**(361.84)**	(2,275.55)
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(513.47)**	(1,331.93)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**112.67**	(202.88)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां में (वृद्धि)/कमी	**(51.29)**	803.29
	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**51.21**	(145.50)
	अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**971.48**	(764.89)
	अन्य गैर वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**(0.59)**	23.11
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**29.05**	6.14
	अन्य बैंक शेष राशियों में वृद्धि/(कमी)	**(1,392.00)**	12.56
	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**-**	3.77
	कराधान से पूर्व नकद-प्रवाह	**(392.14)**	(61.52)
	आयकर (प्रदत्त)/वापसी-निवल	**(56.10)**	7.79
	परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**(335.57)**	(256.61)
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद/उनके लिए अग्रिम (पट्टाकृत सम्पत्तियों सहित)	**(64.48)**	(23.32)
	सहायक कंपनियों में निवेश		
	निवेश सम्पत्तियों की बिक्री से आय	**(11.39)**	(0.00)
	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद/उनके लिए अग्रिम	**(1.07)**	(5.61)
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की बिक्री से आय	**17.98**	(2.21)
	निवेश की बिक्री	**-**	1.13
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**(58.96)**	(30.01)
ग.	**वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	प्राप्त शेयर आवेदन राशि	**400.00**	-
	अधिमान शेयरों का समयपूर्व मोचन	**-**	-
	इक्विटी शेयरों का निर्गम	**92.94**	61.01
	शेयर प्रीमियम (व्यय घटा कर)	**7.06**	38.99
	प्रदत्त लाभांश	**(35.00)**	(26.82)
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**465.00**	73.18
	नकद एवं नकद समकक्ष प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**70.47**	(213.44)
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	**966.30**	1,179.74
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**1,036.77**	966.30
	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष के विवरण:		
	हाथ में नकदी (डाक टिकटों सहित)	**3.98**	3.27
	बैंकों में शेष राशियां		
	- बैंक शेष	**655.45**	596.92
	- बैंक निक्षेप	**341.51**	281.10
	संपार्श्विक उधार एवं ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	**35.83**	85.00
	हाथ में व वसूली के अधीन तथा मार्गस्थ धन प्रेषण के अधीन चैक	-	-
	वर्ष के अंत में कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**1,036.77**	966.30

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।
इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सैनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी मे परिवर्तन	01 अप्रैल, 2021 तक पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी मे परिवर्तन	31 मार्च, 2022 तक पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**31 मार्च, 2023 को शेष**
1,895.99	**-**	**1,895.99**	**207.00**	**2,102.99**	**-**	**2,102.99**	**92.94**	**2,195.93**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	मानित इक्विटी अंशदान शेयर धारक	आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि	आरक्षित एवं अधिशेष निधि: आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आ. नि.	पूंजी रिजर्व	आकस्मिक रिजर्व निधि	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	पूंजी मोचन रिजर्व निधि	ऋण पत्र मोचन रिजर्व निधि	समामेलन रिजर्व निधि	सामान्य रिजर्व निधि	क्षतिपूर्ति हानि रिजर्व निधि	प्रतिधारित आय	अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख	अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख	विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व निधि	परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को कुल देय राशि	कुल गैर नियंत्रक ब्याज	जोड़
31 मार्च, 2021 को शेष	**335.82**	**200.00**	**924.23**	**136.74**	**0.85**	**37.30**	**1,032.06**	**300.05**	**260.08**	**(0.60)**	**374.01**	**132.00**	**(2,167.56)**	**21.55**	**203.66**	**0.35**	**51.43**	**1,841.97**	**1,286.53**	**3,128.49**
वर्ष हेतु कुल समग्र आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,831.34)	(24.34)	933.88	0.26	1.11	(920.42)	913.76	(6.66)
प्रतिधारित आय मे/ से स्थानांतरण	-	-	0.52	-	-	30.89	93.00	-	(159.50)	-	166.38	7.57	(138.86)	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान आवेदन धन हस्तांतरण	-	(200.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(200.00)	-	(200.00)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर सहित प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.82)	(26.82)
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.45)	-	-	-	-	(6.45)	63.00	56.55
31 मार्च, 2022 को शेष	**335.82**	**-**	**924.75**	**136.74**	**0.85**	**68.19**	**1,125.06**	**300.05**	**100.58**	**(0.60)**	**540.39**	**139.57**	**(4,144.22)**	**(2.79)**	**1,137.54**	**0.61**	**52.54**	**715.10**	**2,236.47**	**2,951.55**
वर्ष हेतु कुल समग्र आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(207.80)	0.18	655.30	0.69	0.75	448.63	700.66	1,149.29
प्रतिधारित आय मे/से अन्तरण	-	-	1.10	-	-	52.00	-	-	-	-	13.66	9.05	(75.88)	-	0.08	-	-	0.00	-	0.00
वर्ष के दौरान आवेदन धन हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	7.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.06	-	7.06
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00
कर सहित प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35.00)	(35.00)
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	-	(0.00)
31 मार्च, 2023 को शेष	**335.82**	**400.00**	**925.84**	**136.74**	**0.85**	**120.19**	**1,132.12**	**300.05**	**100.58**	**(0.60)**	**554.05**	**148.62**	**(4,427.91)**	**(2.61)**	**1,792.92**	**1.30**	**53.30**	**1,570.79**	**2,902.12**	**4,472.91**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्याकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियां और समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियां

1. समूह सूचना

क. पृष्ठभूमि

दिल्ली, भारत में निगमित आईएफसीआई लिमिटेड (''कम्पनी'') सार्वजनिक क्षेत्र में एक गैर-बैंकिंग कम्पनी है। वर्तमान में सांविधिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित आईएफसीआई बीएसई एवं एनएसई में सूचीबद्ध कम्पनी है। कम्पनी पूरे स्प्रेक्ट्रम में उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डे, सड़कें, दूरसंचार, विद्युत, रीयल इस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और ऐसी ही अन्य सहयोगी उद्योग शामिल है। ग्रुप का पंजीकृत कार्यालय 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 पर है। अपनी सहायक कम्पनी के साथ कम्पनी को सामूहिक रूप से ''समूह'' कहा गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को ग्रुप द्वारा ''कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (''भा.ले.मा.'') के अनुसार तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए ग्रुप ने मूल लागत परिपाटी के तहत बीमांकन आधार पर तथा भारत में सामान्यतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (''भारतीय जीएएपी'' अथवा ''पूर्ववर्ती जीएएपी'') के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुप्रयोज्य लेखांकन मानक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अनुप्रयोज्य दिशानिर्देश, अन्य सांविधिक प्रावधान एवं विनियम ढांचा शामिल है।

नीचे परिभाषित लेखांकन नीतियों को इन समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अवधि हेतु सुसंगत रूप में लागू किया गया है।

वित्तीय विवरण 28 मई, 2022 को समूह के निदेशक-मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत थे।

(ख) कार्यात्मक एवं दर्शाई गई मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में दर्शाया जाता है, जो समूह की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है। समस्त राशि करोड़ में मूल्यांकित है और जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, दो दशमलव तक पूर्णांकित है।

(ग) मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को छोड़कर है:

- एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- एफवीटीपीएल पर वित्तीय प्रलेख, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता-योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य घटाकर परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य।
- बिक्री हेतु रखी गई परिसम्पत्तियां - उचित मूल्य घटाकर बिक्री लागत पर मूल्यांकित।

(घ) अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन ने आकलन, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया है जो वित्तीय विवरणों और उल्लेखित अवधि के लिए उल्लिखित आय एवं व्यय की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयता एवं परिसम्पत्ति सहित) की उल्लिखित राशियों को प्रभावित करते हों। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान प्रासंगिक एवं उचित है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

(ङ) समेकन के सिद्धान्त एवं इक्विटी लेखांकन

क. सहायक कम्पनियां

सहायक कम्पनियां वे सभी कम्पनियां है, जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह का कम्पनी पर नियंत्रण होता है, जब ग्रुप, कम्पनी में इसकी अन्तर्ग्रस्तता से परिवर्तनीय विवरणों का खुलासा हो अथवा इन पर अधिकार हो और कम्पनी के संगत क्रियाकलापों पर सीधे इसके अधिकार के जरिए उन विवरणियों को प्रभावित करने की क्षमता हो। सहायक कम्पनियां उस तारीख से पूरी तरह समेकित होती है, जिस तारीख को कंट्रोल को समूह को स्थानान्तरित किया जाता है, वे उस तारीख से विसमेकित हो जाते है जिस तारीख को कंट्रोल समाप्त हो जाता है।

समूह, मूल कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को जोड़ता है, जिसमें वह परिसम्पत्तियों की मदों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति जोड़ता है। अन्तर कम्पनी लेन-देनों, शेषों तथा ग्रुप कम्पनियों के बीच लेन देनों पर वसूल नही किए गए लाभों को हटा दिया जाता है। वसूल किए गए हानियों को भी हटा दिया जाता है, जब तक कि लेनदेन स्थानान्तरित परिसम्पत्ति की क्षति का साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। सहायक कम्पनियों की ग्रुप द्वारा अपनाई गई नीतियों के प्रति सुसंगता सुनिश्चित करने के लिए, जहां आवश्यक हो, लेखांकन नीतियों के परिवर्तित किया गया है।

परिणामों में गैर-नियंत्रक ब्याजों एवं सहायक कम्पनियों में क्रमशः इक्विटी समेकित लाभ एवं हानि विवरण में, समेकित इक्विटी में परिवर्तन विवरण में तथा तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. सहयोगी कम्पनियां

सहयोगी कम्पनियां सभी वे कम्पनियां है, जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, परन्तु नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। सामान्यतौर पर यह ऐसा मामला होता है, जहां, समूह का 20% और 50% के बीच मताधिकार होता है। सहयोगी कम्पनियों में निवेश को शुरू में लागत पर मान्य होने के बाद इक्विटी लेखांकन विधि का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाता है।

ग. संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों में ब्याज को समेकित तुलनपत्र में शुरू में लागत पर मान्य होने के बाद इक्विटी विधि (नीचे (घ) को देखें) का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाता है।

घ. इक्विटी पद्धति

इक्विटी लेखांकन विधि के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद लाभ एवं हानि में निवेशकर्त्ता के अधिग्रहण के बाद लाभ अथवा हानि के ग्रुप के शेयर को और अन्य समग्र आय में निवेशकर्त्ता के ग्रुप के अन्य समग्र आय के शेयर को मान्य करने के लिए इसके बाद समायोजित किया जाता है। सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले लाभांशों को निवेश की रखरखाव राशि में कटौती के रूप में मान्य किया जाता है।

(च) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समूह ने इन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी अवधियों पर निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया है।

क. राजस्व मान्यता

i. वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर ('ईआईआर') पद्धति का उपयोग करके अर्जित आधार पर मान्यता दी जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय सौदों के अपेक्षित जीवन काल या कम अवधि के माध्यम से, जहां वित्तीय परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि के लिए उपयुक्त हो, के अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को उचित तरीके से छूट प्रदान करती है। ईआईआर की गणना वित्तीय सौदों की सभी संविदात्मक शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। गणना में सभी शुल्क, लेनदेन लागत, और अन्य सभी प्रीमियम या अनुबंध के लिए पक्षों के बीच भुगतान या प्राप्त छूट शामिल है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सकल वहन राशि पर लागू मूल ईआईआर पर ब्याज राजस्व को मान्यता दी जाती है (जब परिसंपत्ति क्रेडिट क्षति नहीं है)। कंपनी ने अपनी लेखा नीति में बदलाव किया है जिसके तहत चरण-3 की संपत्ति (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) की आय को 01 अप्रैल 2021 से खाता-बहियों में मान्यता नहीं दी जाएगी।

उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जिनकी प्रारंभिक मान्यता पर ऋण हानि हुई थी, ब्याज आय की गणना वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करके की जाती है।

ii. दाण्डिक ब्याज एवं अन्य अतिदेय शुल्कों को, जिन्हें प्रभावी ब्याज दर में शामिल नहीं किया जाता है, वसूली की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्य किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

iii. ऋणों एवं अगिम्रों के प्रति ऋणियों से प्राप्त राशि को सभी दये तारीखों में, सिवाय एकबारगी अथवा वार्तागत निपटानों के मामलों को छोडकर, जहां विनियोजन निपटान शर्तो के अनुसार किया जाता है, उसी क्रम में अन्य डेबिटों, ब्याज अतिदेय और मूल अतिदेय के संबंध में परिभाषित तारीख-वार विनियोजित किया जाता है।

iv. ऋणों के पूर्व-भुगतान पर प्रीमियम/ब्याज दरों में कटौती को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

v. संबंधित कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों को लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

vi. एलसी कमीशन को समयोपरि मान्य किया जाता है, क्योंकि सेवाएं संविदा शर्तो के अनुसार दी जाती है।

vii. बेचे गए तथा बहियों में बकाया शेयरों के संबंध में अदावाक्त लाभांश को तीन वर्ष की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आय के रूप में मान्य किया जाता है।

viii. वास्तविक अभिरक्षा सेवाओं से प्राप्त आय को ग्राहकों के साथ करारों के अनुसार मासिक आधार पर मान्य किया जाता है।

ix. दलाली आय को विनिमय द्वारा लेनदेनों के पुष्टिकरण पर लेनदेन की कारोबारी तारीख को मान्य किया जाता है।

x. प्राप्त सेवा शुल्कों को पिछले कारोबारी कार्य पूरे होने पर आय के रूप में मान्य किया जाता है। पिछले कारोबारी परिचालन को इलैक्ट्रोनिक खण्ड के तहत निपटान पर और पेपर खण्ड के तहत प्रतिभूतियों के दायर करने/सुपुर्दगी पर पूर्ण रूप में समझा जाता है।

xi. निक्षेपी सेवाओं के लिए लाभर्थी खाता धारकों/क्लीयरिंग सदस्यों से प्राप्त वार्षिक रखरखाव खर्चो को संविदा अवधि पर समानुपात आधर पर परिशोधित किया जाता है।

xii. नकारे गए/बाउंस्ड चेक पर संग्रहीत खर्चो को वास्तविक आधार पर मान्य किया जाता है।

xiii. डिजिटलाइजेशन एवं सॉफ्टवेयर सेवाओं से आय को समय अवधि में मान्य किया जाता है। सॉफ्टवेयर उत्पादों से प्राप्त आय को या तो उत्पाद की डिलीवरी अथवा संस्थान पर मान्य किया जाता है।

xiv. आतिथ्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को बीमांकन आधार पर मान्य किया जाता है:

(i) बिक्री मूल्य को प्रकाशित रैकदर घटाकर ग्राहकों को दी गई छूट के आधार पर परिभाषित किया जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा में आय: दी गई सेवाओं के लिए बिलों को भारतीय रुपए में तैयार किया जाता है। इन बिलों के प्रति विदेशी मुद्रा में प्राप्त

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

भुगतान को, भुगतान की तारीख में प्रचलित दर/दरों पर क्रेडिट किया जाता है और हिसाब में लिया जाता है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न लाभों/हानियों को वसूली पर हिसाब में लिया जाता है।

xv. निर्मित परिसम्पत्तियां के रीयल इस्टेट विकास से प्राप्त राजस्व को या तो प्वाइंट इन टाइम या फिर अवधि पर मान्य किया जाता है। शर्तो जिनमें राजस्व को समयोपरि मान्य किया जाएगा:

क) ग्राहक कम्पनी के निष्पादन द्वारा, जैसा कम्पनी पूरा करती है, उपलब्ध कराए गए लाभों को साथ के साथ प्राप्त करती है और उपयोग में लाती है।

ख) कम्पनी का निष्पादन परिसम्पत्ति को सृजित करता है अथवा बढ़ाता है (अर्थात प्रक्रियारत कार्य) जिसे ग्राहक कंट्रोल करता है, जैसा कि परिसम्पत्ति सृजित होती है अथवा संवर्धित होती है।

ग) कम्पनी का निष्पादन कम्पनी के वैकल्पिक प्रयोग के साथ परिसम्पत्ति सृजित नही करता और कम्पनी का तारीख में पूरे किए गए निष्पादन हेतु भुगतान का प्रवर्त्तनीय अधिकार है।

xvi. परियोजना लागत में भूमि की लागत, ऐसे परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं विकास की अनुमानित लागत शामिल है। बिक्री योग क्षेत्र के अनुमानों एवं लागतों की आवधिक रूप में पुनरीक्षा की जाती है तथा ऐसे परिवर्तन अवधि में मान्य ऐसे अनुमानों में किन्ही परिवर्तनों के प्रभाव को परिभाषित किया जाता है।

(i) बाहरी परियोजना सेवाओं से प्राप्त राजस्व को लागत जमा विधि के आधार पर मान्य किया जाता है। एक निश्चित उचित प्रतिशत निर्माण के संबंध में उपगत लागत में जोड़ा जाता है और जोड़ को राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है। राजस्व को प्वाइंट इन टाइम आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है जब शर्तो को समयोपरि पूरा नही किया जाता हो।

(ii) कारोबार स्टॉक में रखे सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त राजस्व को उक्त परिसम्पत्ति के कंट्रोल के अन्तरण पर मान्य किया जाता है।

xvii. सहायता अनुदान (जीआईए)/राज्य सरकार के विभाग/अन्य एजेंसियों द्वारा सौंपे गए इसी तरह के अन्य कार्यक्रम के तहत परियोजना परामर्श उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आदि पर आय एवं व्यय को समयोपरि आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. वित्तीय प्रलेख

I. आरंभिक मान्यता एवं मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब ग्रुप प्रालेख के संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाता है। वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लेन-देन लागतों को, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं वित्तीय देयताओं के निर्गम पर देय होते है (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं से भिन्न) शुरूआती मान्यता पर, जैसा भी उपयुक्त हो, वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा इसमें से कम किया जाता है।

II. वर्गीकरण एवं परवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

शुरुआती मान्यता पर, वित्तीय परिसम्पत्ति को परिवर्ती रूप में मूल्यांकित किया जाता है, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु ग्रुप के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल के जरिए या तो परिशोधित लागत पर या फिर उचित मूल्य पर वर्गीकृत होता है।

व्यावसायिक मॉडल मूल्यांकन

समूह व्यवसाय मॉडल का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करता है, जिसमें परिसम्पत्ति को एक पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि यह व्यवसाय को व्यवस्थित करने के तरीके और प्रबंधन का उपलब्ध सूचना को अच्छी तरह दर्शाता है। विचारित सूचना में निम्न शामिल है:

- पोर्टफोलियो हेतु परिभाषित नीतियां एवं उद्देश्य तथा उन नीतियों का व्यवहारत: परिचालन, विशेषत: यह कि प्रबंधन की कार्यनीति देयताओं की जो उन परिसम्पत्तियों को वित्त व्यवस्था प्रदान कर रहे है अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री के जरिए नकदी प्रवाह वसूल कर रहे है अवधि हेतु वित्तीय परिसम्पत्तियों की अवधि के अनुरूपण में एक विशेष ब्याज दर प्रोफाइल रखते हुए संविदात्मक ब्याज राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान देती है;
- पूर्व अवधियों में बिक्री की आवृत्ति, मात्रा एवं समय निर्धारण, ऐसी बिक्री के कारण तथा भावी बिक्री क्रियाकलापों के बारे में इसके अपवाद तथापि, बिक्री क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को पृथकन में नहीं समझा जाता है, परन्तु समग्र मूल्यांकन के भाग के रूप में उल्लेख करता है वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु ग्रुप के परिभाषित उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और नकदी प्रवाह को क्रियान्वित किया जाता है;

जोखिम, जो व्यवसाय मॉडल के निष्पादन को प्रभावित करता है, (और उस व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां) तथा उन जोखिमों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनके आरम्भिक मान्यता के बाद पुन: वर्गीकृत नही किया जाता है, सिवाय उस अवधि के, जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिपर्फ परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तो को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने की दिशा में परिसम्पत्तियों को रखना है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती हैं, जो सिर्फ मूल एवं ब्याज के भुगतान है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटाकर किसी अनर्जक क्षति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (''एफवीटीओसीआई'')

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तो को पूरा किया जाता है :

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को संग्रहीत करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचना दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरुपित करती है, जो सिर्फ मूल एवं ब्याज के भुगतान है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अनर्जक हानियों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वित्तीय परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि को कम नहीं किया जाता।

लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय प्रलेख को, जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण संबंधी मापदण्ड को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तदन्तर इनका उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है एवं उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

इक्विटी प्रलेखों में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के संबंध में सभी इक्विटी निवेशों को एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है। तथापि, इक्विटी प्रलेख ने आरंभिक मान्यता पर, जिसे कारोबार हेतु धारित नही किया गया हो, समूह ओसीआई में उचित मूल्य में अपरिवर्तनीय रूप से परवर्ती बदलावों को निरूपित करने का चयन कर सकता है। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव प्रलेख

डेरिवेटिव प्रलेखों का मूल्यांकन एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है।

वित्तीय देयताएं एवं इक्विटी प्रलेख

समूह द्वारा जारी ऋण एवं इक्विटी प्रलेख को या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में सांविदात्मक व्यवस्थाओं तथा वित्तीय देयता और इक्विटी प्रलेख की शर्तो के महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय देयताओं को आरंभिक मान्यता पर यथोचित लाभ अथवा हानि अथवा परिशोधित लागत के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार उन्हें हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी प्रलेख एक संविदा है जो इसकी सभी देयताओं को कम करने के बाद समूह की परिसम्पत्तियों में अपशिष्ट ब्याज को प्रमाणित करता है। समूह द्वारा जारी इक्विटी प्रलेखों को प्राप्त प्रतिफल में मान्य किया जाता है जो सीधे निवल लेनदेन लागतों पर आरोप्य होते है।

III. मूल्यांकन का आधार

परिशोधित लागत

परिशोधित लागत ऐसी राशि है, जिसमें वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयता का मूल्यांकन आरंभिक मान्यता घटाकर मूल चुकौती छूट की ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए संचयी परिशोधन के जमा अथवा घटा पर अथवा अधिग्रहण पर प्रीमियम पर और फीस अथवा लागत पर किया जाता है, जो ईआईआर के अभिन्न अंग है और जिसे वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए किसी हानि मंजूरी हेतु समायोजित किया जाता है।

उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा अथवा मूलधन में मूल्यांकन तारीख में बाजार भागीदारों के बीच अथवा इसके नही होने पर, अति लाभप्रद बाजार के बीच जिसके लिए कम्पनी की उस तारीख में पहुंच है क्रमिक लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा। देयता का उचित मूल्य अलाभकारी जोखिम को दर्शाता है।

किसी एक के उपलब्ध होने पर समूह उस प्रलेख के संबंध में क्रियाशील बाजार में उद्धत मूल्य का प्रयोग करते हुए प्रलेख के उचित मूल्य का मूल्यांकन करती है। बाजार को क्रियाशील तब समझा जाता है यदि सतत आधार पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त बारम्बारता एवं मात्रा के साथ परिसम्पत्तियों अथवा देयता के संबंध में लेन-देन किया जाता है।

यदि क्रियाशील बाजार में कोई उद्धरत मूल्य न हो, तब कम्पनी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है जो संगत इनपुटों के प्रयोग को बढ़ाता है और अमहत्वपूर्ण इनपुटों के प्रयोग को कम करता है। मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक शामिल होते है जो लेनदेन के मूल्य निर्धारण में बाजार भागीदारों को ध्यान में रखेंगे।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

IV. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण/आशोधन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण

वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को (अथवा जहां अनुप्रयोज्य हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के किसी भाग या ऐसी ही वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह के किसी भाग) को मुख्यतया तब अमान्य (अर्थात समूह के तुलन-पत्र से हटाया जाता है) किया जाता है, जब:

- परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गए हों अथवा पूरी तरह से वसूल कर लिया गया हो, अथवा
- समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया है अथवा या तो ''पास-थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्षकार को अत्यधिक देरी के बिना पूर्ण रूप में प्राप्त नकदी प्रवाह को अदा करने की बाध्यता को स्वीकार कर लिया हो और या तो (क) समूह ने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं लाभों को पर्याप्त रूप में अन्तरित कर दिया हो, या फिर (ख) समूह ने न तो परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही रखा हो, परन्तु परिसम्पत्ति के कंट्रोल को अन्तरित कर दिया हो।

जब समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया हो, अथवा कोई पास-थ्रू व्यवस्था आरम्भ की हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि इसे किस सीमा तक स्वामित्व के जोखिमों एवं लाभों को रखना चाहिए। जब इसने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को न तो पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही अपने पास रखा हो, न ही परिसम्पत्ति का कंट्रोल अन्तरित किया हो तो समूह अन्तरित परिसम्पत्ति को समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में निरन्तर मान्य करती है। समूह अन्तरित परिसम्पत्ति पर समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता के कारण प्राप्त प्रतिफल हेतु भी देयता को मान्य करता है। अन्तरित परिसम्पत्ति और उससे जुड़ी देयता का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाता है जो उस अधिकार एवं बाध्यताओं को दर्शाता है जो समूह ने अपने पास रखे है।

वित्तीय परिसम्पत्ति के अमान्य करने पर, परिसम्पत्ति की रखरखाव लागत (अमान्य परिसम्पत्ति के भाग हेतु परिभाषित रखरखाव राशि) और निम्न के जोड़ (i) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त की गई कोई नई परिसम्पत्ति घटाकर स्वीकृत कोई नई देयता शामिल है); और (ii) कोई संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे ओसीआई में स्वीकृत किया गया था, के बीच के अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

समूह वित्तीय देयता को तब अमान्य करता है, जब इसकी संविदात्मक बाध्यताएं मुक्त हो जाती है, अथवा रद्द हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती हैं।

V. वित्तीय प्रलेखों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है तथा निवल राशि का तुलन पत्र में उल्लेख किया जाता है, जब समूह को स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और इसमें निवल आधार पर निपटान करने की धारणा हो अथवा परिसम्पत्ति की वसूली एवं देयता का साथ-साथ में निपटान करने की इच्छा हो।

VI. वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

समूह सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल के लिए उस क्षति भत्ते को स्वीकार करता है, जिनका मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर नहीं किया जाता है:

- वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रलेख है
- पट्टा प्राप्य
- जारी की गई वित्तीय गारन्टी संविदाएं
- जारी ऋण प्रतिबद्धता

इक्विटी निवेशों पर किसी क्षति हानि को मान्य नहीं किया जाता है।

ईसीएल क्रेडिट हानियों के संभावित भारित अनुमान हैं। उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं है क्योंकि सभी नकदी के वर्तमान मूल्य को कम करता है, जो उल्लिखित तारीख के बाद 12 माह के भीतर संभव है।
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियां, परन्तु क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं - जो समस्त नकदी के वर्तमान मूल्य को कम करता है जो वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रत्याशित कार्य अवधि पर सभी संभावित चूक कार्यो के कारण है।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट है - जो सकल रखरखाव राशि और अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अन्तर के रूप में है।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं - जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अन्तर के वर्तमान मूल्य के रूप में है, जो समूह को देय है, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह, जिसे समूह प्राप्त करना चाहता है।

व्यापार प्राप्यों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, समूह कार्य अवधि प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि में हानि भत्ते का मूल्यांकन करता है।

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु हानि भत्ते को परिसम्पत्तियों के सकल वास्तविक राशि से कम किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि भत्ते को ओसीआई में मान्य किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसम्पत्ति को तब बट्टेखाते (या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप में) डाला जाता है, जब वित्तीय परिसम्पत्ति के इसके पूरी तरह से अथवा उसके भाग के रूप में वसूल होने की उचित आशा न हो। यह सामान्य तौर पर ऐसा मामला है, जब समूह यह निर्धारित करता है कि कर्जदार के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा आय के स्रोत नही हैं, जिससे वह बट्टे खाते डाली गई राशियों की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न नही कर सकता है। इस निर्धारण को व्यक्तिगत परिसम्पत्ति स्तर पर किया जाता है।

तथापि, वित्तीय परिसम्पत्तियों को, जिन्हें बट्टेखाते डाला गया हो, जहां उपयुक्त हो कभी भी कानूनी राय ले करके समूह की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन क्रियाकलापों के अधीन रखा जा सकता है। की गई किसी भी वसूली को वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के समायोजन के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ग. पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब कभी भी पट्टे की शर्तें स्वामित्व को सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूरी तरह से पट्टेदार को अन्तरित की जाती हैं। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

I. पट्टादाता के रूप में समूह

वित्तीय पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशियों को पट्टों में समूह के निवल निवेश की राशि पर प्राप्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियों के लिए परिभाषित किया जाता है, ताकि पट्टों के संबंध में समूह की निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल को निरन्तर आवधिक दर पर दर्शाया जा सके।

परिचालन पट्टों से किराया आय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ समूह की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष, जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोदभूत हुए हों, में मान्य किया जाता है।

II. पट्टेदार के रूप में समूह

परिचालन पट्टों में किराया व्यय को सामान्यतौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ पट्टादाता की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लागत प्रोदभूत हुए हों, मान्य किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न आकस्मिक किरायों को उस अवधि में, जिसमें वे उपगत हुए है, व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

घ. कर्मचारी लाभ

i. अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ व्ययगत होते है, जैसा कि संबंधित सेवा उपलब्ध हो। देयता को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के लिए मान्य किया जाता है यदि समूह के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. नियोजन के बाद लाभ

क. परिभाषित अंशदान योजना

पेंशन

01 अप्रैल, 2008 से पहले, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय परिचालनरत पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत रखा गया था और तदनुसार के जब भी देय हो, मंहगाई और परिवार पेंशन के लिए हकदार होते है। इस संबंध में किए गए अंशदान को जब भी देय हो, राजस्व में प्रभारित किया जाता है। ग्रुप ने 01 अप्रैल, 2008 को मौजूदा कर्मचारियों के लिए अगस्त, 2008 में परिभाषित अंशदान योजना शुरू की और इसका ही चयन किया। कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि प्रशासन को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के न्यासियों द्वारा एक ग्रुप अधिवर्षिता नकदी संचयन योजना लागू करके सौपा गया है।

भविष्य निधि

आईएफसीआई से भिन्न ग्रुप कम्पनियां स्थानीय विनियमनों के अनुसार सार्वजनिक रूप से नियंत्रित भविष्य निधि में भविष्य निधि अंशदान करती है। एक बार अंशदान अदा करने पर समूह की ओर भुगतान देयता नही होती है। अंशदान को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में हिसाब में लिया जाता है और अंशदान को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जब भी वे देय हो।

ख. परिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि

आईएफसीआई पूर्व परिभाषित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का परिभाषित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह की बाध्यता ऐसे परिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

उपदान

समूह की उपदान के रूप में एक परिभाषित लाभ कर्मचारी योजना है। योजना के न्यासियों को एलआईसी की संबधित निधि का संचालन सौपा गया है। वर्ष हेतु व्यय को इस संबंध में समूह की वर्षान्त देयता और योजना के वर्षान्त परिसम्पत्तियों के मूल्य के बीमांकन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अंशदान को समूह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एलआईसी में जमा किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

समूह की अस्पताल सुविधा एवं सामान्य चिकित्सा उपचार की कुछेक सीमाओं के तहत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में समूह की निवल देयता को आगामी लाभ राशि का अनुमान लगा करके प्रत्येक योजना हेतु अलग से परिकलित किया जाता है, जिसे कर्मचारियों के वर्तमान लागतों में अपनी सेवा हेतु और किसी योजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य, यदि कोई काटा गया हो, के लिए प्रतिफल में अर्जित किया जाता है।

ऐसे परिभाषित लाभ योजना के तहत देयता के वर्तमान मूल्य को प्रक्षेपित प्रोदभूत लाभ विधि (वही जो प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि है) का प्रयोग करते हुए बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारिता के अतिरिक्त यूनिट को बढ़ावा देने के रूप में मान्य किया जाता है और अंतिम देयता तैयार करने के लिए अलग से प्रत्येक यूनिट का मूल्यांकन करता है।

देयता को अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। परिभाषित लाभ योजना के तहत देयता के वर्तमान मूल्य को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त छूट दरें तुलनपत्र की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार उत्पादन पर आधरित होती है। जब परिकलन समूह हेतु संभावित परिसम्पतियों में निष्पन्न होता हो, तो स्वीकृत परिसम्पति योजना के आगामी अंशदान में योजना से किन्हीं वापसियों के रूप में अथवा कटौतियों के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है।

परिभाषित लाभ योजना देयता में परिवर्तन सेवा, ब्याज तथा पुनर्मूल्यांकनों से उत्पन्न परिवर्तनों में द्विभाजित होता है तथा परिभाषित लाभ योजना परिसम्पति में परिवर्तन ब्याज आय और पुनर्मूल्यांकन के बीच द्विभाजित होता है। सेवा लागत एवं निवल ब्याज लागत। आय के कारण परिवर्तन को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसम्पति) का पुनर्मूल्यांकन जिसमें निम्न शामिल है, को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है।

- बीमांकक लाभ एवं हानियां;
- योजना परिसम्पतियों पर प्रतिफल जिसमें निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पति) पर निवल ब्याज में शामिल राशियां शामिल नही है।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह की अवकाश नकदीकरण और अवकाश किराया रियायत के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को दर्शाता है। अवकाश नकदीकरण के संबंध में समूह की निवल बाध्यता आगामी लाभ की राशि है जो कर्मचारी का वर्तमान मूल्य है और किसी संबंधित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किया गया है। परिकलन, प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। किन्हीं बीमांकक लाभों अथवा हानियों को उस अवधि में, जिसमें वे उद्भूत हुए, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है। अवकाश किराया रियायत का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

च. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार परिभाषित अवधि हेतु कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट (कर आधार एवं बही आधार के बीच अस्थायी अन्तरों के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल है। इसे काफी हद तक लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है, क्योंकि यह कारोबार संयोजन से संबंधित होता है अथवा इक्विटी अथवा ओसीआई में सीधे मान्य मदों से संबंधित होता है।

I. चालू कर

चालू कर का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष हेतु कराधेय आय के संबंध में अदा किए जाने वाले प्रत्याशित राशि पर किया जाता है। वर्तमान कर में वर्ष हेतु कराधेय आय अथवा हानि पर देय कर और पूर्ववर्ती वर्षो के संबंध में देय कर के समायोजन पर देय कर शामिल है। इसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग कर के किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर ('मैट') को लाभ और हानि विवरण में वर्तमान करके रूप में मान्य किया जाता है।

वर्तमान कर परिसम्पत्तियां एवं देयताओं का समायोजन तभी किया जाता है, यदि समूह:

(क) के पास कानूनी रूप से स्वीकृत राशियों को प्रतितुलित करने का प्रवर्त्तनीय अधिकार हो और

(ख) या तो निवल आधार पर इसका निपटान करना चाहता हो या फिर परिसम्पत्ति की वसूली करना चाहता हो और साथ में देयता का निपटान करना चाहता हो।

II. आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए और कराधान प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त राशियों के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशियों के बीच अस्थायी अन्तर के संबंध में मान्य किया जाता है। आस्थिगित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में तथा प्रबंधन के आंकलन के आधार पर पुनरीक्षा की जाती है, इन्हें उस सीमा में कम किया जाता है, जिसमें इसकी अधिक संभावना नहीं हो कि संबंधित कर लाभ को वसूल किया जाएगा; ऐसी कटौतियों को तब रिवर्स किया जाता है, जब आगामी कराधान लाभ में सुधार की संभावना हो।

अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुन: परिभाषित किया जाता है और काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जिससे

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

यह संभव हो सके कि आगामी कराधेय लाभ उनके संबंध में प्राप्य होंगे, जिसके संबंध में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें, आस्थायी अन्तरों पर लागू किया जा सकता है, जब उन्हें रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए रिवर्स किया जा सकता हो।

आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर परिणामों को चित्रित करता है, जो रिपोर्टिंग तारीख में ऐसे तरीके से उत्पन्न होंगे, जिसमें समूह अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशि को वसूल कर सके अथवा इसका निपटान कर सके।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं का समायोजन तभी किया जाता है, यदि समूह :

(क) चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो और

(ख) आय करों से संबंधित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को एक ही कराधन प्राधिकारी द्वारा वसूला जाता है।

प्रदत्त मैट के संबंध में अधिनियम के तहत उपलब्ध क्रेडिट को केवल परिसम्पत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब भी इसमें स्पष्टकारी प्रमाण हो कि समूह उस अवधि में सामान्य आय कर का भुगतान करेगी जिस अवधि के लिए मैट क्रेडिट को सामान्य कर देयता के संबंध में प्रतितुलन हेतु आगे ले जाया जा सकता हो। परिसम्पत्ति के रूप में स्वीकृत मैट क्रेडिट की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और काफी हद तक रिकॉर्ड में लाया जाता है, उपरोक्त युक्तियुक्त प्रमाण अधिक समय तक मौजूद नहीं रहता।

(छ) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा निवेश सम्पत्ति

मान्यता एवं मूल्यांकन

प्रयोग हेतु अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु धारित सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का लागत घटाकर संचित मूल्यह्रास और संचित अनर्जक हानि पर तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है। लागत में संबंधित सम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं संस्थापन में संबंधित गैर-वापसी योग्य कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल है।

निवेश सम्पत्ति में, किराया प्राप्त करने के लिए किराए पर दिया गया भवन शामिल है। समूह निवेश परिसम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु लागत मॉडल का अनुपालन करती है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी कार्य अवधि पर सीधी कटौती विधि का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II में परिभाषित है। मूल्यह्रास को यथा-अनुपात आधर पर परिकलित किया जाता है, जिसमें परिवर्धन के माह को शामिल किया जाता है और बिक्री/निपटान के माह को शामिल नही किया जाता है। पट्टा भूमि सुधार को सीधी कटौती आधार पर मूलाधार पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है। भवन एवं वाहनों के संबंध में अपशिष्ट मूल्य को लागत के 5% के रूप में माना जाता है तथा अन्य परिसम्पत्ति के मामले में ''शून्य'' माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी मूल्यों, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए गए अनुमान में किन्ही परिवर्तनों के कारण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती है।

कम्पनी के कारोबार एवं परिचालनों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, एसएचसीआईएल तथा एसएचसीआईएल की स्टेप डाउन सहायक कम्पनी को कुछेक परिसम्पत्तियों के लिए कम समय वाली माना गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

परिसम्पत्ति का स्वरूप	अपनाई गई उपयोगी कार्य अवधि	कम्पनी अधिनियम में उपयोगी कार्य अवधि
कम्प्यूटर सर्वर्स एवं नेटवर्क	4 वर्ष	6 वर्ष
मोबाइल	2 वर्ष	5 वर्ष
वाहन	3 वर्ष	8 वर्ष
भवन	58 वर्ष	60 वर्ष
एसएचसीआईएल महापे भवन	63 वर्ष	60 वर्ष

अमान्यता

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब परिसम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से कोई आगामी आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की किसी मद के निपटान पर अथवा सेवा समाप्ति पर उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को बिक्री प्राप्तियों एवं परिसम्पत्ति की वास्तविक राशि के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता एवं मूल्यांकन

अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें, समस्त व्यय शामिल होता है, जिसे इसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए एक उचित एवं सुसंगत आधार पर परिसम्पत्ति को सृजित करने, उत्पन्न करने अथवा तैयार करने के लिए सीधे दिया जा सकता है अथवा आबंटित किया जा सकता है।

परिशोधन

परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि तथा परिशोधन विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए जा रहे अनुमान में किन्ही परिवर्तनों के संबंध में पुनरीक्षा की जाती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

बैलेंस शीट में दिखाई गई अमूर्त संपत्तियों में स्थायी लाइसेंस वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और पूंजीकरण की तारीख से छह साल की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित हैं।

आईफिन के मामले में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 40% आगामी पुनरांकित मूल्य विधि की दर पर परिशोधित किया गया है।

अमान्यता

अमूर्त परिसम्पत्ति को निपटान पर अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न लाभों अथवा हानियों को, जो परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्राप्तियों एवं रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में मूल्यांकित हो, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है जब परिसम्पत्ति अमान्य हो।

(झ) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में, समूह अपनी गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों के वास्तविक राशि की (बिक्री हेतु रखे सम्पत्ति एवं आस्थगित कर सम्पत्ति से भिन्न) यह निर्धारण करने हेतु पुनरीक्षा करता है कि क्या इसमें क्षति का कोई संकेतन है। यदि कोई संकेतन मौजूद होता है तब परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति की जांच करने हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के छोटे-छोटे समूह में एक साथ समूहित किया जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी अन्तर्प्रवाह का अत्यधिक स्वतंत्र प्रवाह है।

परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की ''वसूलनीय राशि'' इसके प्रचलित मूल्य तथा बिक्री हेतु इसके उचित मूल्य घटाकर लागत से अधिक होती है। ''प्रचलित मूल्य'' अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जो पूर्व कर दर छूट का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है, जो परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की राशि एवं जोखिम विशेष के समय मूल्य के वर्तमान बाजार निर्धारण को चित्रित करता है।

अनर्जक हानियों को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। अनर्जक हानि केवल उसी सीमा में प्रत्यावर्तित होती है, जिसमें परिसम्पत्ति की वास्तविक राशि उस रखरखाव राशि से अधिक नहीं होती, जिसे परिभाषित किया जाना होगा, निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन राशि से अधिक नहीं होती, यदि अनर्जक क्षति को स्वीकार नहीं किया गया था।

(ञ) विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों में खर्चों एवं आय को लेन-देन की तारीख को अग्रवर्ती दर पर प्रचलित दरों पर हिसाब में लिया जाता है यदि ऐसे लेन देन के लिए बुक किया गया हो। विदेशी मुद्रा में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा विदेशी मुद्रा में उद्भूत आय एवं व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (फेडाई) द्वारा सूचित दरों पर भारतीय रुपए में अन्तरित किया जाता है। विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ/हानियां, यदि कोई हों, को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है।

आतिथ्य कारोबार से संबंधित विदेशी मुद्रा शेष राशियों को वर्ष के अन्त में टीटी खरीददारी दर के समापन पर परिवर्तित किया गया है।

(ट) दावों, मुकदमेबाजी आदि से संबंधित प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है, जब समूह की पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई कानूनी एवं रचनात्मक बाध्यता हो, जिसके लिए यह संभावना हो कि नकदी प्रवाह आवश्यक होगा तथा बाध्यता की राशि को एक विश्वसनीय किया जा सकता है। प्रावधानों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान देयता के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के प्रबंधन के उत्कृष्ट आकलन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दर पूर्व कर दर है जो देयता के लिए विशिष्ट धनराशि एवं जोखिमों के समय मूल्य पर वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है।

(ठ) आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयता तब मौजूद रहती है जब इसमें संभावना हो, परन्तु संभाव्य देयता नहीं हो, अथवा कोई वर्तमान देयता न हो, जो संभव हो सकती है, परन्तु संभवत: संसाधनों के बहिर्प्रवाह अथवा उस वर्तमान बाध्यता के लिए आवश्यक नहीं होगी। जिसकी राशि को विश्वसनीयता से आकलित नहीं किया जा सकता हो। आकस्मिक देयताओं में प्रावधान आवश्यक नही होते, परन्तु तब तक प्रकट किए जाते है, जब तक कि संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम हो।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभव हो।

(ड) नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में चालू खातों में बैंकों में शेष एवं मियादी जमा राशियां, हस्तगत नकदी एवं चैक तथा संपार्श्विक ऋण एवं उधार बाध्यता लेन-देनों पर उधार दी गई राशि शामिल है।

(ढ) खण्ड रिपोर्टिंग

परिचालन खण्डों का समूह के मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराए गए आन्तरिक रिपोर्टिंग के साथ सुसंगत तरीके में उल्लेख किया जाता है। सीओडीएम, संसाधनों के निर्धारण हेतु और समूह के परिचालन खण्डों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

(ण) बिक्री हेतु परिसम्पतियां

परिसम्पतियों को बिक्री हेतु धारित सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें अत्यधिक संभावना हो कि उन्हें मुख्यत: निरन्तर प्रयोग के बजाय बिक्री के जरिए वसूल किया जाएगा।

ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन पर लाभों एवं हानियों के साथ बिक्री हेतु उनकी वास्तविक राशि एवं उचित मूल्य घटाकर लागत से कम पर किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

एक बार बिक्री सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होने पर परिसम्पतियों को अधिक समय तक परिशोधित, मूल्यह्रासित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं रखा जाता है।

(त) उधार लागत

सामान्य एवं विशिष्ट उधार लागतें, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण अथवा मान्य परिसम्पतियों के उत्पादन पर देय होती है, उस अवधि में पूंजीकृत होती है, जब परिसम्पति को इसके अभिप्रेत प्रयोग अथवा बिक्री के लिए पूर्ण एवं तैयार करना आवश्यक हो। अर्हक परिसम्पतियां वो परिसम्पतियां है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग अथवा बिक्री के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। अर्हक परिसम्पतियों पर उनके व्यय तक विशिष्ट उधारियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण हेतु उपयुक्त उधार लागतों से कम किया जाता है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि में खर्च किया जाता है जिस अवधि में वे उद्भूत होते है।

(थ) स्टॉक-इन-ट्रेड

(क) सामान सूची में भूमि शामिल है (जो स्थानान्तरणीय ढांचे के साथ अथवा इसके बगैर है), जिसमें मौजूदा/जोड़ी गई चारदीवारी, भूमि एवं भवन/आवासीय परिसर, विकास और/ अथवा बिक्री हेतु अधिगृहीत/खरीदे गए निर्मित फ्लोर, उनमें मौजूद अन्य स्थानान्तरणीय/निपटान योग्य परिसम्पतियां शामिल है। इन्हें निम्नतर लागत अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, जो विशेष रूप से इस संबंध में उपगत खरीद/अधिग्रहण और अन्य खर्चो के कारण होते है।

(ख) आतिथ्य कारोबार की सम्पत्ति सूची में खरीदे गए उपभोज्य वस्तुओं का अन्त शेष शामिल होता है। मूल्यांकन हेतु विचारित लागत मूल्य का पता लगाने के लिए एफआईएफओ विधि का पालन किया जाता है। अन्त सामान सूचियों को लागत अथवा प्रतिस्थापक मूल्य, जो भी कम हो, पर अप्रचलन और नुकसान की व्यवस्था के बाद मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) कारोबार हेतु रखी प्रतिभूतियों और निपटान की प्रक्रिया में एसएचसीआईएल पर तैयार किए गए प्रतिभूतियों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा जाता है और इन्हें निम्नतर लागत अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(घ) संपार्श्विक के रूप में प्राप्त या ग्राहकों द्वारा सीधे ही स्टॉक एक्सचैजों में जमा कराई गई जमा रशिदों की प्रतिभूतियों को संलग्न वित्तीय विवरणों में दर्ज नही किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3	**नकद एवं नकदी समतुल्य**		
	हस्तगत नकदी (डाक टिकटों सहित)	**3.98**	3.27
	बैंकों में शेष		
	- बैंक शेष	**655.45**	596.92
	- बैंक में जमा राशि	**341.51**	281.10
	संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ) (ट्रेजरी बिलों के प्रति प्रतिभूत)	**35.83**	85.00
	जोड़	**1,036.77**	966.30

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
4	**नकदी एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष**		
	क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना के तहत समूह के पास रखी निधि के प्रति बैंक जमा राशियां		
	- बैंक में शेष	**115.64**	0.19
	- बैंक में जमा राशि ^	**1,001.24**	321.91
	पीएलआई योजना के तहत बैंकों के पास शेष राशि	**843.73**	50.57
	ऋण भुगतान के लिए बैंकों के पास शेष राशि	**458.71**	-
	अदावाकृत लाभांश खाता	**2.26**	5.92
	गारण्टियों के प्रति मार्जिन राशि के रूप में धरित बैंक शेष *	**45.10**	385.63
	न्यायालय और अधिकरण आदि के निर्देशन पर बैंक जमा राशि	**220.79**	49.59
	अन्य बैंक शेष/निक्षेप #	**32.68**	514.34
	जोड़	**2,720.15**	1,328.15
	* 12 माह से अधिक के शेष शामिल है।	**-**	184.41
	# 12 माह से अधिक के शेष शामिल है।	**-**	182.53

5 डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख:

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	काल्पनिक राशि	**उचित मूल्य- परिसम्पतियां**	**उचित मूल्य- देयताएं**	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य- परिसम्पतियां	उचित मूल्य- देयताएं
भाग-I						
मुद्रा डेरिवेटिव्स:						
- स्पॉट एण्ड फॉरवड	**364.20**	**14.83**	**-**	370.57	2.02	-
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख - भाग-I	**364.20**	**14.83**	**-**	370.57	2.02	-
भाग-II						
उपरोक्त (भाग-I) में सम्मिलित प्रतिरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु धारित डेरेविटव निम्नानुसार है:						
अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	**364.20**	**14.83**	**-**	370.57	2.02	-
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख - भाग-II	**364.20**	**14.83**	**-**	370.57	2.02	-

डेरिवेटिव्स को विदेशी मुद्रा में किए गए ऋणों के लिए ब्याज दर एवं मूल जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए समूह द्वारा प्रयोग किया गया है।

डेरिवेटिव से हुए प्रबंधन जोखिम के लिए टिप्पणी सं. 56 देखें

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
6	**प्राप्य राशियां:**		
(क)	प्रतिभूत		
	- शोध्य समझी गई	**-**	25.04
	- संदिग्ध समझी गई	**-**	6.94
(ख)	अप्रतिभूत		
	- शोध्य समझी गई	**232.76**	207.10
	- संदिग्ध समझी गई	**45.87**	40.03
	- अन्य	**1.50**	0.00
		280.13	279.12
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	**41.08**	36.55
	जोड़	**239.05**	242.57

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ट्रेड प्राप्यों को काल प्रभावन

31 मार्च, 2023 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	**6 माह-1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**जोड़**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - शोध्य समझी गई	**232.76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**232.76**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	**37.99**	**4.27**	**2.53**	**1.08**	**-**	**45.87**
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट क्षति	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.50**	**1.50**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य समझी गई	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(vii) अन्य प्राप्य	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	270.75	**4.27**	**2.53**	**1.08**	**1.50**	**280.13**
कम: क्षति के लिए प्रावधान	**37.71**	**-**	**-**	**-**	**3.37**	**41.08**
जोड़						**239.05**

* 31.03.2023 को एसएचसीआईएल का बिल ना किया गया राजस्व 19.12 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 17.32 करोड़ रूपये)

31 मार्च, 2022 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - शोध्य समझी गई	197.04	17.15	4.65	3.23	8.91	230.99
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.86	3.45	23.67	6.26	7.08	41.32
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	1.08	1.08
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	(0.01)	(0.00)	(0.01)	0.05	4.51	4.54
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	0.01	0.02	0.93	0.96
(vii) अन्य प्राप्य	0.23	-	-	-	-	0.23
	198.12	20.60	28.31	9.57	22.52	279.12
कम: क्षति के लिए प्रावधान	2.15	0.66	15.14	5.12	13.48	36.55
जोड़						242.57

संबंधित पक्षों से एवं संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों से देय ट्रेड प्राप्यों के निबंधनों एवं शर्तों के लिए टिप्पणी 50 को देखें।
क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिमों तथा व्यापार प्राप्यों से संबंधित हानि भत्तों की कम्पनी की जोखिमों पर टिप्पणी 56 में प्रकट किया गया है।

7 ऋण

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) मियादी ऋण	**5,816.89**	6,850.96
(ii) पट्टे पर देना	**0.04**	0.04
(iii) फैक्टरिंग	**280.45**	367.04
(iv) डिबेंचर	**876.32**	812.07
जोड़ (क) - सकल	**6,973.71**	8,030.12
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	**5,065.72**	5,406.64
जोड़ (क) - निवल	**1,907.98**	2,623.48
(ख) प्रतिभूति विवरण		
(i) मूर्त एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत	**4,215.28**	5,400.68
(ii) बैंक/सरकारी गारण्टी में शामिल	**60.55**	130.26
(iii) अप्रतिभूत	**2,697.88**	2,499.17
जोड़ (ख) - सकल	**6,973.71**	8,030.12
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	**5,065.72**	5,406.64
जोड़ (ख) - निवल	**1,907.98**	2,623.48
(ग) भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	**2.11**	54.39
(ii) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	**6,971.60**	7,975.73
जोड़ (ग) - सकल	**6,973.71**	8,030.12
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	**5,065.72**	5,406.64
जोड़ (ग) - निवल	**1,907.98**	2,623.48

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्ध हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 56 में दिया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

8 निवेश

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर: अन्य समग्र आय के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	अन्य	जोड़
31 मार्च, 2023 को						
(क)						
(i) म्युचअल फण्ड	**-**	**-**	**174.30**	**-**	**-**	**174.30**
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	**50.44**	**0.70**	**-**	**-**	**-**	**51.14**
(iii) ट्रैजरी बिल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	**66.01**	**19.98**	**-**	**-**	**95.00**	**180.99**
(v) इक्विटी प्रलेख	**-**	**6,441.98**	**595.17**	**-**	**7.55**	**7,044.70**
(vi) अन्य						
उद्यम पूंजी	**-**	**-**	**115.68**	**-**	**-**	**115.68**
प्रतिभूति प्राप्तियां	**-**	**10.71**	**118.60**	**-**	**-**	**129.31**
वाणिज्यिक पत्र	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अधिमान शेयर	**-**	**-**	**3.95**	**-**	**-**	**3.95**
जोड़ - सकल (क)	**116.45**	**6,473.37**	**1,007.71**	**-**	**102.55**	**7,700.07**
(ख)						
(i) भारत में निवेश	**116.45**	**6,473.37**	**1,007.71**	**-**	**102.55**	**7,700.07**
(ii) भारत से बाहर निवेश						
जोड़ - सकल (ख)	**116.45**	**6,473.37**	**1,007.71**	**-**	**102.55**	**7,700.07**
(ग) घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(घ) जोड़ - निवल (क-ग)	**116.45**	**6,473.37**	**1,007.71**	**-**	**102.55**	**7,700.07**

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर: अन्य समग्र आय के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	अन्य	जोड़
31 मार्च, 2022 को						
(क)						
(i) म्युचअल फण्ड	-	-	112.90	-	-	112.90
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	36.88	0.72	-	-	-	37.60
(iii) ट्रैजरी बिल		533.09				533.09
(iii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	30.51	93.29	-	-	-	123.80
(v) इक्विटी प्रलेख	-	4,803.79	614.50			5,418.29
(vi) अन्य	-	-	119.83	-	-	119.83
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	190.53	-	-	190.53
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
अधिमान शेयर	-	-	4.86	-	-	4.86
जोड़ - सकल (क)	67.39	5,430.89	1,042.62	-	-	6,540.90
(ख)						
(i) भारत में निवेश	67.39	5,430.89	1,042.62		-	6,540.90
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	67.39	5,430.89	1,042.62	-	-	6,540.90
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(ग) जोड़ - निवल (क-ग)	67.39	5,430.89	1,042.62	-	-	6,540.90

क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिम हेतु तथा ऋणों के सम्बन्ध में हानि भत्ते के प्रति समूह का जोखिम टिप्पणी 56 में दिया गया है

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

9 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रतिभूति निक्षेप	**1.94**	24.42
प्रोद्भूत आय		
- निवेशों पर ब्याज	**34.40**	2.88
- अन्य आय	**2.01**	28.36
अबिलीकृत राजस्व	**19.12**	17.32
क्लियरिंग हाउस से निपटान पर देय राशियां	**-**	226.76
स्टाम्प शुल्क भुगतान के संबंध में सरकार से वसूलनीय राशि	**-**	0.25
ग्राहकों एवं दलालों, अन्यों से निपटान पर देय राशियां	**-**	223.56
अन्य अग्रिम प्राप्य	**135.01**	0.01
कर्मचारियों को ऋण	**26.30**	28.04
अन्य जमा राशियां	**105.73**	190.50
अन्य संदिग्ध जमा राशियां	**12.12**	21.69
अन्य प्राप्य राशियां	**509.46**	50.95
	846.09	814.75
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**60.04**	79.98
जोड़	**786.06**	734.77

क्रेडिट और मुद्रा जोखिम एवं ऋणों से संबंधित हानि भत्ते के बारे में समूह का जोखिम टिप्पणी 56 में दिया गया है

10 इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखागत निवेश

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सहयोगी कम्पनियों में निवेश	**-**	-
जोड़	**-**	-

11 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

विवरण	01 अप्रैल, 2022 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	**31 मार्च, 2023 को**
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,743.56	-	(109.59)	-	**1,633.97**
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	-	-	**-**
अन्य	(450.60)	-	(379.24)	(0.67)	**(830.50)**
	1,292.96	-	(488.83)	(0.67)	**803.46**
आस्थगित कर देयताएं:					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	241.43	-	(17.85)	-	**223.58**
निवेश	77.43	-	(364.87)	390.58	**103.14**
36(i) (viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल धारा	46.72	-	-	-	**46.72**
उधार	2.98	-	(2.98)	-	**(0.00)**
	368.56	-	(385.70)	390.58	**373.44**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	924.40	-	(103.13)	(391.25)	**430.02**

12 निवेश सम्पत्ति

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	11.82	11.34	-	**23.16**	-	-	-	**-**	**23.16**	11.82
भवन	331.47	6.31	-	**337.78**	88.14	1.72	(5.03)	**94.89**	**242.89**	243.32
फ्लैट	9.29	-	-	**9.29**	1.94	0.52	-	**2.45**	**6.84**	7.36
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	24.25	1.01	-	**25.26**	-	-	-	**-**	**25.26**	24.25
जोड़	376.84	18.66	-	**395.50**	90.08	2.23	(5.03)	**97.34**	**298.16**	286.76

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	9.84	1.98	-	11.82	-	-	-	-	11.82	9.84
भवन	192.75	129.25	-	322.00	17.10	2.73	(66.83)	86.66	235.34	175.65
फ्लैट	9.29	-	-	9.29	1.66	0.28	-	1.94	7.36	7.63
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टाकृत भूमि	0.02	24.23	-	24.25	-	-	-	-	24.25	0.02
जोड़	202.61	155.46	-	358.07	17.10	3.00	(66.83)	90.08	286.76	201.14

निवेश सम्पत्ति से अर्जित किराए की आय के विवरण के लिए, लाभ और हानि का विवरण देखे।
पट्टे पर दी गयी निवेश सम्पत्ति के विवरण के लिए नोट 51 देखें।

निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य (भूमि एवं भवन)

विवरण	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
आईएफसीआई लिमिटेड	**554.37**	499.81
आईएफसीआई ईन्फास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट लिमिटेड	**57.22**	56.20

उचित मूल्यों का मूल्यांकन

i. उचित मूल्य क्रमानुक्रम

निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकित की जा रही सम्पत्ति के स्थान एवं श्रेणी में उपयुक्त मान्य पेशेवर योग्यताओं एवं नवीनतम अनुभव रखने वाले बाहरी, स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांककों द्वारा निर्धारित किया गया है। हालाँकि, मूल्यांकन आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त रिपोर्ट अवधि के आधार पर आंतरिक रूप से निर्धारित किया गया है।

निवेश सम्पत्ति वा उचित मूल्य, (जैसा कि वित्तिय विवरणों मे प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए मापा गया है) एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित होता है जैसा कि कम्पनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है।

समस्त निवेश सम्पत्ति हेतु उचित मूल्य मूल्यांकन को प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी के इनपुटों के आधार पर लेवल 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. मूल्यांकन तकनीक

कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री तुलना तकनीक का पालन करती है। मूल्यांकन मॉडल आसपास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों में नवीनतम बिक्रियों/एक जैसी हित की सूचीकरण की तुलना करके विषयगत सम्पत्ति के मूल्य पर विचार करती है। इच्छुक खरीददारों एवं विक्रेताओं के बीच ''आर्म-लेन्थ लेन-देन की अर्हता पूरी करने वाली बिक्रियों का विश्लेषण करके, समायोजन, इसके आकार, स्थान, समय सुख सुविधाओं एवं अन्य संगत कारकों को देखते हुए किया जाएगा, जब इस तरह के बिक्री मूल्य की वस्तुगत सम्पत्ति के संबंध में तुलना की गई हो। इस दृष्टिकोण को सामान्य रूप में मानक सम्पत्तियों के मूल्य हेतु तब प्रयोग किया जाता है जब वसूलनीय बिक्री साक्ष्य उपलब्ध हो।

13 सम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

	सकल ब्लाक				**मूल्य ह्रास**				**निवल ब्लाक**	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	159.17	-	11.34	**147.83**	0.09	0.03	-	**0.12**	**147.71**	159.08
भवन	504.39	32.36	6.31	**530.44**	2.98	18.68	5.03	**16.64**	**513.80**	501.40
पट्टा भूमि सुधार	4.17	1.48	-	**5.65**	1.86	1.57	-	**3.44**	**2.21**	2.31
संयंत्र एवं मशीनरी	111.19	14.06	0.32	**124.93**	36.50	9.50	0.21	**45.79**	**79.14**	74.69
फर्नीचर एवं फिक्सचर	26.96	0.56	0.18	**27.34**	22.22	0.93	0.14	**23.00**	**4.34**	4.74
वाहन	4.54	-	0.92	**3.62**	2.14	0.87	0.89	**2.12**	**1.50**	2.40
कार्यालय उपकरण	62.50	15.73	4.54	**73.69**	46.50	11.11	4.47	**53.14**	**20.55**	16.00
इलेक्ट्रीकल स्थापना एवं उपकरण	12.33	0.14	0.00	**12.47**	10.66	0.49	-	**11.15**	**1.33**	1.67
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	240.19	-	1.01	**239.18**	41.57	5.53	-	**47.10**	**192.08**	198.62
जोड़	1,125.43	64.34	24.62	**1,165.15**	164.52	48.72	10.75	**202.50**	**962.65**	960.90

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्री होल्ड भूमि	161.09	0.06	1.98	159.17	-	0.09	-	0.09	159.08	161.09
भवन	633.54	0.10	129.26	504.39	52.24	17.56	66.82	2.98	501.40	581.30
पट्टा भूमि सुधार	3.56	0.72	0.11	4.17	1.17	0.76	0.06	1.86	2.31	2.39
संयंत्र एवं मशीनरी	105.11	7.43	1.36	111.19	28.39	8.72	0.61	36.50	74.69	76.72
फर्नीचर एवं फिक्सचर	26.41	0.67	0.12	26.96	21.19	1.11	0.08	22.22	4.74	5.22
वाहन	2.80	2.19	0.46	4.54	1.92	0.67	0.45	2.14	2.40	0.88
कार्यालय उपकरण	51.85	11.61	0.96	62.50	39.00	8.43	0.94	46.50	16.00	12.85
इलेक्ट्रीकल स्थापना एव उपकरण	11.82	0.54	0.03	12.33	10.08	0.61	0.03	10.66	1.67	1.73
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	264.42	-	24.23	240.19	37.72	3.85	-	41.57	198.62	226.70
जोड़	1,260.61	23.32	158.49	1,125.43	191.72	41.78	68.98	164.52	960.90	1,068.89

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्ति का पुर्नमूल्यांकन नही किया है।

14 गुडविल

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सकल ब्लॉक		
(i) आरम्भ शेष	**446.64**	446.64
(ii) परिवर्धन	**-**	-
(iii) व्यावसायिक संयोजनों के जरिए अधिग्रहण	**-**	-
(iv) निपटान	**-**	-
(v) अन्य समायोजन	**-**	-
(vi) अन्त शेष	**446.64**	446.64
क्षति प्रावधान		
(i) आरम्भ शेष	**-**	-
(ii) व्यावसायिक संयोजनों के जरिए अधिग्रहण	**-**	-
(iii) अवधि हेतु क्षति	**-**	-
(iv) निपटान	**-**	-
(v) प्रावधान में रिवर्सल	**-**	-
(vi) अन्य समायोजन	**-**	-
(vii) अन्त शेष	**-**	-
निवल गुडविल	**446.64**	446.64

15 अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां

	सकल ब्लाक				**परिशोधन**				**निवल ब्लाक**	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2023 को**	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19.63	1.07	-	**20.70**	14.28	2.58	-	**16.86**	**3.84**	5.35
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	99.16	31.94	1.31	**129.79**	57.81	20.38	0.63	**77.56**	**52.23**	41.35
लाइसेंस एवं बिक्री केन्द्र	0.60	-	-	**0.60**	0.29	-	-	**0.29**	**0.31**	0.31
जोड़	119.39	33.01	1.31	**151.10**	72.38	22.96	0.63	**94.71**	**56.38**	47.01

	सकल ब्लाक				**परिशोधन**				**निवल ब्लाक**	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2022 को**	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2022 को**	31 मार्च, 2021 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	14.17	5.46	-	19.63	11.75	2.53	-	14.28	5.35	2.42
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	87.79	23.00	11.62	99.17	45.06	18.95	6.21	57.80	41.35	42.73
लाइसेंस एवं फ्रैचाइजी	0.60	-	-	0.60	0.17	0.12	-	0.29	0.31	0.43
गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	102.57	28.45	11.62	119.40	56.99	21.60	6.21	72.38	47.01	45.58

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

16 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पूंजी अग्रिम	**5.95**	5.67
पूर्व प्रदत्त व्यय	**21.48**	19.97
भविष्य निधि – परिसम्पत्ति	**-**	92.21
सांविधिक देय राशियां	**4.36**	60.12
अन्य परिसम्पत्तियां	**135.72**	39.46
	167.52	217.43
घटाएं – क्षति हानि हेतु प्रावधन	**-**	-
जोड़	**167.52**	217.43

17 बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
विकास वित्तपोषण के तहत सहायता (एयूएफ)– सहायक कम्पनियां	**7.54**	7.54
जोड़	**7.54**	7.54

18 देय राशियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I ट्रेड देयताएं		
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया	**17.89**	0.87
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया	**257.13**	390.00
जोड़	**275.02**	390.87

ट्रेड देयताओं का काल प्रभावन

31 मार्च, 2023 को	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**				
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**जोड़**
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	**17.89**	**-**	**-**	**-**	**17.89**
(ii) अन्य	**232.34**	**4.14**	**1.48**	**19.17**	**257.13**
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(iv) विवादित बकाया – अन्य	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
जोड़					**275.02**

31 मार्च, 2022 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	0.87	-	-	-	0.87
(ii) अन्य	358.93	4.88	3.34	22.79	389.95
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	0.00	0.03	0.02	-	0.05
जोड़					390.87

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
II अन्य देय राशियां		
सूक्ष्म, उद्यमों एवं लघु उद्यमों को देय का कुल बकाया	**-**	-
सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यमों को छोड़कर क्रेडिटरों को देय का कुल बकाया	**-**	2.23
जोड़	**-**	2.23

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार 31 मार्च, 2023 को आपूर्तिकर्ताओं को अतिदेय राशियां 17.89 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.87 करोड़ रूपए) है। यह सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जानी अपेक्षित है, जिसका निर्धारण समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिनिर्धारित ऐसे पक्षकारों की मौजूदा स्थिति तक निर्धारित की गई है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

19 ऋण प्रतिभूतियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) बॉण्ड		
- निजी रूप से धारित बॉण्ड	**3,149.11**	3,238.66
- निजी रूप से रखे गए जीरो कूपन बॉण्ड	**327.55**	311.47
- अवसंरचना बॉण्ड	**159.04**	478.95
- सहायक कंपनियों को निजी तौर पर रखे गए बांड जारी किए	**-**	-
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	**(187.66)**	(162.01)
(ii) कर मुक्त बॉण्ड (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट-बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
- अन्यों द्वारा धरित	**265.00**	265.00
(iii) एनसीडी का पब्लिक इश्यू प्रतिभूत, मोच्य गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट-बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
- सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा आयोजित	**-**	-
- अन्यों द्वारा धारित	**1,047.59**	1,025.27
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	**(74.23)**	(61.92)
(iv) निजी रूप से धारित बॉण्ड (आईएफसीआई लि. की प्राप्य राशियों पर घट-बढ़ प्रभार एवं सरकारी प्रतिभूतियों पर लियन द्वारा प्रतिभूत गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर)		
- अन्य (बॉण्ड/डिबेंचर आदि)	**2.21**	-
जोड़ (क)	**4,733.59**	5,095.43
(ख) भारत में और भारत से बाहर		
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	**4,733.59**	5,095.43
(ii) भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	**-**	-
जोड़ (ख)	**4,733.59**	5,095.43

20 उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) मियादी ऋण		
- बैंक एवं अन्य पक्षकारों से	**75.00**	633.32
- अन्य पक्षकारों स		
- वित्तीय संस्थानों से	**-**	-
- केएफडब्ल्यू ऋण श्रंखला से	**364.25**	372.75
(ii) बैंकों से मांग पर पुनर्देय योग्य ऋण	**26.70**	18.95
(iii) अन्य	**45.60**	-
जोड़	**511.55**	1,025.02
(ख) भारत में/भारत से बाहर		
(i) भारत में ऋण	**147.30**	652.27
(ii) भारत से बाहर ऋण	**364.25**	372.75
जोड़	**511.55**	1,025.02

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

21 अधीनस्थ देयताएं

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) अधीनस्थ - टियर-II बॉण्ड	**923.72**	1,101.29
- घटाएं: प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज	**(149.05)**	(126.63)
जोड़ (क)	**774.67**	974.66
(ख) भारत में/भारत से बाहर		
(i) भारत में अधीनस्थ देयता	**774.67**	974.66
(ii) भारत से बाहर अधीनस्थ देयता	**-**	-
जोड़ (ख)	**774.67**	974.66

22 अन्य वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बॉण्डों और उधारों पर प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज	**707.68**	677.95
अप्रतिभूत ऋण	**-**	0.02
प्रतिभूति निक्षेप	**13.38**	9.81
अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर एवं ब्याज	**0.25**	0.46
निगम के पास रखा धन		
(क) अनुसूचित जाति क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना (भारत सरकार द्वारा धारित)	**323.21**	306.54
(ख) पीएलआई योजना	**843.74**	50.00
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि	**633.67**	80.14
राहत व बचत बॉण्डों पर अदावाकृत मोचन आय एवं ब्याज	**-**	19.67
निकासी गृह, ग्राहकों एवं दलालों को निपटान पर देय राशियां	**-**	439.77
स्टाम्प शुल्क संग्रहण के संबंध में सरकार को देय राशियां	**-**	95.54
अग्रिम निक्षेप भागीदार प्रभार, ग्राहकों से अग्रिम, सांविधिक देयताएं जिसमें भविष्य निधि एवं कर शामिल हैं (निपटान पर देय राशि सहित)	**-**	419.65
फैक्टरिंग के प्रति संविदात्मक देयता	**-**	5.95
अदावाकृत लाभांश	**2.27**	5.93
पट्टा देयताओं के उपयोग का अधिकार	**-**	47.09
अन्य देयताएं (ट्रेड निक्षेप और अन्य देय राशियां)	**1,232.12**	593.70
	3,756.33	2,752.23

23 प्रावधान

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
तुलनपत्र प्रकटन से परे क्षति प्रावधान	**95.86**	32.17
कर्मचारी लाभ	**87.79**	70.29
अन्य व्ययों हेतु प्रावधान	**-**	29.77
दावों हेतु प्रावधान - दीर्घ अवधि प्रावधान	**-**	24.46
जोड़	**183.65**	156.68

कर्मचारी लाभ पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 49 देखें।

24 अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम से प्राप्त आय	**35.08**	7.76
प्रशिक्षण हेतु प्राप्त सहायता अनुदान	**-**	1.53
सांविधिक देयताएं	**-**	23.70
अन्य	**-**	2.67
	35.08	35.67

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

25 इक्विटी

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अधिकृत		
प्रत्येक 10 रुपए के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	**4,000.00**	4,000.00
	4,000.00	4,000.00
निर्गमित		
प्रत्येक 10 रुपए के 2,26,31,75,561 इक्विटी शेयर	**2,263.18**	2,170.24
	2,170.24	1,963.24
अभिदत्त		
प्रत्येक 10 रुपए के 2,19,72,44,807 इक्विटी शेयर	**2,197.24**	2,104.31
	2,104.31	1,897.31
प्रदत्त		
प्रत्येक 10 रुपए के 2,19,59,28,107 इक्विटी शेयर	**2,195.93**	2,102.99
	2,102.99	1,895.99

इक्विटी शेयरों की संख्या एवं शेयर पूंजी का लेखा मिलान:

कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए भारत सरकार से 17 सितम्बर, 2022 को 100 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। इस संबंध में, निदेशकों की समितियों ने 27 अक्टूबर, 2022 को 10.76 रु. प्रति इक्विटी शेयर (0.76 रु. प्रति शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से भारत सरकार को 10/- रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 9,29,36,802 इक्विटी शेयर आवंटित किए थे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 07 मार्च, 2023 को भारत सरकार से 400 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई थी। इस संबंध में, निदेशकों की समिति ने 27 अप्रैल, 2023 को 13.62/- रु. प्रति इक्विटी शेयर की दर से 10/- रु. के अंकित मूल्य वाले 29,36,85,756 इक्विटी शेयर (3.62/- रु. प्रति इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) भारत सरकार को आवंटित किये थे।

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
अवधि के शुरू में बकाया	**2,10,29,91,305**	**2,102.99**	1,89,59,93,092	1,895.99
जोड़ें: भारत सरकार को जारी किए गए शेयर	**9,29,36,802**	**92.94**	20,69,98,213	207.00
अवधि के अंत में बकाया	**2,19,59,28,107**	**2,195.93**	2,10,29,91,305	2,102.99
प्रदत्त शेयर पूंजी	**2,19,59,28,107**	**2,195.93**	2,10,29,91,305	2,102.99

इक्विटी शेयरों की शर्तें/संबद्ध अधिकार:

समूह के पास केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, अर्थात 10/- रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाला इक्विटी शेयर है, जिसके लिए प्रति शेयर एक वोट डालने की पात्रता है।

शेयरधारक जिनके पास 5% से अधिक इक्विटी शेयर है।

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	**1,45,68,90,872**	**66.35%**	**1.49%**	1,36,39,54,070	64.86%	3.84%

26 अन्य इक्विटी

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
i	**आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि**		
	आरम्भ शेष	**-**	200.00
	घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण	**-**	(200.00)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	**400.00**	-
	अन्त शेष	**400.00**	-
ii	**आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**924.75**	924.23
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अंतरण	**1.10**	0.52
	अन्त शेष	**925.84**	924.75

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

26 अन्य इक्विटी *(जारी रखें)*

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
iii	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि**		
	आरम्भ शेष	**136.74**	136.74
	अन्त शेष	**136.74**	136.74
iv	**पूंजी रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**0.85**	0.85
	सहयोगी कम्पनियों की बिक्री	**-**	-
	अन्त शेष	**0.85**	0.85
v	**प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि**		
	आरम्भ शेष	**1,125.06**	1,032.06
	जोड़ें : इक्विटी शेयरों का निर्गम	**7.06**	93.00
	अन्त शेष	**1,132.12**	1,125.06
vi	**पूंजी मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**300.05**	300.05
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**-**	-
	अन्त शेष	**300.05**	300.05
vii	**डिवेंचर मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**100.58**	260.08
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**-**	-
	जोड़ें : सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	**-**	(159.50)
	अन्त शेष	**100.58**	100.58
viii	**सामान्य रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**540.39**	374.01
	जोड़ें :	**13.66**	166.38
	अन्त शेष	**554.05**	540.39
ix	**मानित इक्विटी अंशदान**		
	आरम्भ शेष	**335.82**	335.82
	घटाएं : अधिमान शेयरों का समय-पूर्व मोचन	**-**	-
	अन्त शेष	**335.82**	335.82
x	**क्षति-हानि रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**139.57**	132.00
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**9.05**	7.57
	अन्त शेष	**148.62**	139.57
xi	**प्रतिधारित आय**		
	आरम्भ शेष	**(4,144.22)**	(2,167.56)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	**(207.80)**	(1,831.34)
	घटाएं : पूंजी मोचन रिजर्व में अन्तरण	**-**	-
	घटाएं : भारिबैंक अधिनियम की धारा 45 आईसी के अधीन रिजर्व में अन्तरण	**(1.10)**	158.98
	घटाएं : सामान्य रिजर्व में अन्तरण	**(13.66)**	(166.38)
	घटाएं : क्षतिपूर्ति रिजर्व में अन्तरण	**(9.05)**	(7.57)
	घटाएं : आकस्मिकता रिजर्व निधि हेतु अन्तरण	**(52.00)**	(30.89)
	घटाएं : प्रतिभूति प्रीमियम	**-**	(93.00)
	घटाएं : लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	**-**	-
	जोड़ें : अन्य	**(0.08)**	(6.46)
	अन्त शेष	**(4,427.90)**	(4,144.22)
xii	**अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	**(2.79)**	21.55
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**0.18**	(24.34)
	अन्त शेष	**(2.61)**	(2.79)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

26 अन्य इक्विटी *(जारी रखें)*

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
xiii अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख		
आरम्भ शेष	**1,137.54**	203.66
जोड़ें : प्रतिधरित आय से अन्तरण	**0.08**	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**655.30**	933.88
अन्त शेष	**1,792.92**	1,137.54
xiv परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		
आरम्भ शेष	**52.54**	51.43
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**0.75**	1.11
अन्त शेष	**53.30**	52.54
xv आकस्मिक रिजर्व		
आरम्भ शेष	**68.19**	37.30
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**52.00**	30.89
अन्त शेष	**120.19**	68.19
xvi विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व		
आरम्भ शेष	**0.61**	0.35
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**0.69**	0.26
अन्त शेष	**1.30**	0.61
xvii समामेलन रिजर्व		
आरम्भ शेष	**(0.60)**	(0.60)
अन्त शेष	**(0.60)**	(0.60)
जोड़ शेष	**1,570.79**	715.10

आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के अधीन रिजर्व

भारत सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी में शेयरधारिता में 50% से अधिक वृद्धि हो जाने से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अधीन समूह एक सरकारी कम्पनी बन गया है और इसलिए सरकारी कम्पनियों को प्राप्त छूट को देखते हुए, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईसी के तहत सृजित सांविधिक रिजर्व निधि में कोई अन्तरण नहीं किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) द्वारा वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त कारोबार, अर्थात दीर्घ अवधि औद्योगिक वित्तपोषण से निवल आय का 20% लाभ इस रिजर्व निधि में अन्तरण करने की अनुमति देती है और इस पर कर योग्य आय का परिगणन करते समय कटौती करने की अनुमति है। आयकर अधिनियम में, वित्त अधिनियम, 1998 में संशोधन करने से, वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित रिजर्व निधि के रखरखाव पर एक शर्त रखी है। किसी भी निकासी पर कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1996-97 तक पूर्ववर्ती वर्ष में सृजित उक्त रिजर्व निधि के उपयोग पर कर देयता नहीं थी और तदानुसार, वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद अन्तरित निधि में आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन किया गया है।

पूंजी रिजर्व निधि

पूंजी रिजर्व निधि जब्त किए गए शेयरों की आय को दर्शाता है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को दर्ज करने के लिए किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार इसे उपयोग में लाया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 80 की अपेक्षा के अनुसार पूंजी मोचन रिजर्व निधि, पूंजी के नये निर्गम के बिना अधिमान शेयरों के मोचन के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष राशि से अन्तरित राशि को दर्शाता है।

डिबेंचर मोचन रिजर्व

डिबेंचर मोचन रिजर्व निधि का सृजन सार्वजनिक निर्गम की मार्फत आईएफसीआई लि. द्वारा जारी किए गए गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार किया गया है। बाद में निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 16.08.2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-57(ई) के द्वारा शेयर पूंजी और डिबेंचर हेतु नियमों (नियम 2014) को संशोधित कर दिया गया इसलिए मौजूदा बॉण्डों और डिबेंचरों के मामले में न तो बॉण्डों के सार्वजनिक निर्गम हेतु और न ही निजी धारण हेतु किसी अतिरिक्त डिबेंचर मोचन का रिजर्व सृजन किया गया है।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व का सृजन अनुप्रयोज्य विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए किया गया था।

मानित इक्विटी अंशदान

शेयरधारकों से अधिमान दर उधार के संबंध में मानित इक्विटी अंशदान।

प्रतिधारित आय

यह समूह द्वारा अर्जित लाभ के संचित अधिशेष/(कमी) की तारीख को निरूपित होता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

आकस्मिक रिजर्व
आकस्मिक रिजर्व निधि को उत्पन्न किन्हीं आकस्मिकताओं के मामले में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट रिजर्व निधि पर देय निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए सृजित किया गया था।

विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व
विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व निधि को प्रस्तुतीकरण करेंसी में विदेशी सहायक कम्पनी के संपरिवर्तन पर उत्पन्न विनिमय अन्तराल में से सृजित किया जाता है।

समामेलन रिजर्व
यह दो अथवा अधिक कम्पनियों के विलयन पर सृजित रिजर्व निधि को दर्शाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख
इसमें अन्य समग्र आय में मान्य ऋण प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है। समूह इक्विटी के ऐसे संघटक से राशि को प्रतिधरित आय में अन्तरित करता है जब संगत ऋण प्रलेखों को अमान्य किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख
इसमें अन्य समग्र आय से मान्य कुछेक अभिज्ञात इक्विटी प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है।

परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन
परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पति) के पुनर्मूल्यांकन में बीमांकक लाभ एवं हानियां तथा योजना परिसम्पतियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर) शामिल है।

27 ब्याज आय

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर**	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋणों पर ब्याज	**-**	**267.58**	-	544.67
निवेशों से ब्याज आय	**80.01**	**16.49**	84.32	(4.09)
निक्षेप राशियों पर ब्याज	**0.01**	**1.66**	7.21	36.23
अन्य ब्याज आय	**-**	**16.43**	-	8.60
जोड़	**80.01**	**302.15**	91.53	585.41

28 शुल्क एवं कमीशन आय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
निधि प्रबंधन शुल्क	**12.67**	9.89
व्यवसाय सेवा शुल्क एवं कमीशन (गारण्टी कमीशन सहित)	**476.90**	51.17
आवेदन एवं प्रशासनिक प्रभार	**0.03**	1.40
जोड़	**489.59**	62.46

29 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि की मार्फत उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों पर निवल लाभ/(हानि)		
- इक्विटी प्रतिभूतिया	**55.39**	70.04
- डेरिवेटिव्स	**(0.69)**	(0.73)
- प्रतिभूति प्राप्तियां	**(2.44)**	7.53
- अधिमान शेयर	**41.80**	-
- उद्यम पूंजी निधियों की यूनिटें	**21.94**	14.12
- म्यूचअल फण्ड्स की यूनिटें	**10.28**	26.11
(ख) अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों के अमान्य होने पर निवल लाभ	**(39.86)**	(70.85)
(ग) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**86.42**	46.21
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- वसूल किए गए	**(6.13)**	(51.14)
- वसूल न किए गए	**92.55**	97.36
(घ) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**86.42**	46.21

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

30 अन्य आय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अमान्य होने पर निवल लाभ/(हानि)	**0.22**	0.02
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	**-**	0.12
बिक्री के लिए धारित संपत्ति की बिक्री पर लाभ (निवल)	**-**	-
आयकर वापसी से ब्याज	**4.75**	2.72
भूमि से आस्थगित आय	**-**	4.43
सहयोगी कम्पनियों की बिक्री पर लाभ	**-**	0.89
पुनरांकित विविध शेष (निवल)	**-**	13.83
अन्य	**28.75**	21.42
जोड़	**33.73**	43.44

31 वित्त लागतें

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
उधारों पर ब्याज	**633.81**	928.29
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	**0.99**	8.29
अन्य ब्याज व्यय	**0.02**	1.40
पट्टा देयता उपयोग के अधिकार पर ब्याज	**-**	4.86
बैंक प्रभार	**6.80**	0.22
जोड़	**641.62**	943.07

32 वित्तीय प्रलेखों पर क्षति

विवरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर**	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋण*	**-**	**(87.73)**	-	1,439.83
निवेश	**(0.08)**	**0.63**	(50.03)	-
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	**-**	**1.05**	-	(0.02)
अन्य परिसम्पतियां	**-**	**-**	-	1.51
जोड़	**(0.08)**	**(86.04)**	(50.03)	1,441.32
* वर्ष के दौरान निवल बट्टे खाते डाले गए सहित।		**239.06**		1,388.83

33 कर्मचारी हित व्यय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	**232.40**	252.54
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	**31.41**	26.69
रोजगार पश्चात् लाभ पर व्यय	**21.47**	18.90
स्टाफ कल्याण व्यय	**18.57**	12.62
अन्य	**-**	0.28
जोड़	**303.85**	311.04

34 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	**51.14**	41.77
निवेश सम्पत्ति का मूल्यह्रास	**-**	3.01
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन	**22.78**	21.60
जोड़	**73.93**	66.39

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

35 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
किराया	**1.27**	3.16
दरें एवं कर	**7.79**	7.34
बीमा	**8.47**	7.02
मरम्मत एवं रखरखाव कार्य		
- भवन	**15.79**	15.19
- प्लांट एवं मशीनरी	**-**	14.77
- आईटी	**19.67**	3.96
- अन्य	**3.17**	3.85
बिजली एवं पानी का खर्च	**17.08**	15.19
सुरक्षा व्यय	**7.60**	7.72
लेखापरीक्षकों को भुगतान *	**1.58**	1.66
निदेशक शुल्क एवं व्यय	**0.50**	0.45
प्रकाशन एवं विज्ञापन	**6.28**	0.76
परामर्श एवं कानूनी प्रभार	**14.17**	18.32
यात्रा एवं वाहन	**6.22**	6.17
प्रशिक्षण एवं विकास	**1.44**	1.20
डाक एवं दूरभाष	**3.98**	4.12
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**11.14**	9.57
लिस्टिंग/फाइलिंग/अभिरक्षा शुल्क	**9.58**	18.02
पुस्तकालय एवं सदस्यता अंशदान	**0.37**	0.56
सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय	**1.98**	0.87
विज्ञापन एवं कारोबार संवर्धन	**-**	3.21
संचार लागत	**-**	7.68
आउटसोर्सिंग व्यय एवं फीट ऑन स्ट्रीट	**-**	24.87
तकनीकी जानकारी शुल्क	**-**	90.13
सॉफ्टवेयर व्यय	**-**	16.70
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	**19.10**	18.54
अन्य विविध व्यय	**303.91**	2.21
जोड़	**461.08**	303.25

* लेखापरीक्षकों को भुगतान के विवरण के लिए टिप्पणी 36 देखें।

36 लेखा-परीक्षकों को भुगतान

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षा शुल्क	**1.42**	1.45
प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	**0.13**	0.15
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.09**	0.06
जोड़	**1.65**	1.66

37 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. आकस्मिक देयताएं#		
(i) ऋणों के रूप में स्वीकार न किए गए दाव	**124.92**	122.18
(ii) वित्तीय गारण्टियों को छोड़कर गारण्टियां	**3.22**	3.26
(iii) ईपीसीजी लाइसेंसों के तहत निर्यात बाधयताएं	**0.02**	2.75
(iv) कर मामले:		
आय कर*	**9.36**	2.21
सेवा कर/जीएसटी	**-**	-
जोड़	**137.52**	130.40

*लंबित मुकद्दमेबाजी वाले मामलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31 मार्च, 2023 को वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

37 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया) *(जारी रखे)*

		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ख.	**प्रतिबद्धताएं**		
(i)	संविदा की अनुमानित राशि (पट्टा संविदा सहित) जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिम घटा कर)	**13.05**	23.88
(ii)	अनाहरित प्रतिबद्धताएं	**26.39**	20.34
	जोड़	**39.44**	44.22
ग.	**आकस्मिक परिसम्पतियां**	**शून्य**	शून्य

38 कर व्यय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. लाभ या हानि में मान्य राशि		
चालू कर (क)		
चालू कर व्यय	**45.43**	35.11
पूर्ववर्ती वर्षो से सम्बन्धित कर व्यय/(लाभ)	**0.07**	-
उप-जोड़ (क)	**45.50**	35.11
आस्थगित कर (ख)		
आस्थगित कर व्यय/ (क्रेडिट)	**100.36**	202.78
उप-जोड़ (ख)	**100.36**	202.78
कर व्यय (क) + (ख)	**145.86**	237.89

ख. प्रभावी कर दर का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
कर पूर्व लाभ		**26.08**		(1,523.31)
समूह की घरेलू कर दर 34.944% का उपयोग करते हुए कर	**34.94%**	**9.11**	34.94%	(532.31)
निम्नलिखित का प्रभाव:				
कर मुक्त आय	**0.00%**	**-**	0.00%	-
गैर कटौती योग्य व्यय	**0.00%**	**-**	0.00%	-
चालू कर के लिए पूर्ववर्ती वर्षो से सम्बन्धित अनुमानों में परिवर्तन	**0.27%**	**0.07**	0.00%	-
चालू वर्ष का मूल्यह्रास जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को मान्य नहीं किया गया।	**-26.23%**	**(6.84)**	0.42%	(6.35)
अन्य	**550.31%**	**143.52**	-50.98%	776.55
प्रभावी कर दर	**559.28%**	**145.86**	-15.62%	237.89

39 ट्रेड से प्राप्य और देय राशियों के अधीन दर्शाई गई कुछेक शेष राशियों की पुष्टि की जानी है।

40 आईएफसीआई लिमिटेड के मामले में

(i) कंपनी को शेयर आवेदन राशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर पूंजी की सदस्यता के लिए भारत सरकार से 17 सितंबर, 2022 को 100 करोड़ रु. की रकम प्राप्त हुई है। इस संबंध में, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने 27 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार को 10.00 रु. अंकित मूल्य वाले 9,29,36,802 इक्विटी शेयरों का 10.76 रु. प्रति इक्विटी शेयर (रु. 0.76 प्रति इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से प्रिफेरेन्शियल आवंटन किया। इसके अलावा, 07 मार्च, 2023 को भारत सरकार से शेयर आवेदन राशि के रूप में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी की सदस्यता के लिए 400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस संबंध में, निदेशक-समिति ने 27 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार को 10.00 रु. अंकित मूल्य वाले 29,36,85,756 इक्विटी शेयर 13.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर (रु. 3.62 प्रति इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए।

(ii) कम्पनी भारतीय लेखांकन मानक मानदंडों बनाम आईआरएसी मानदंडों, जो भी उच्च हों, के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान की नीति का लगातार पालन कर रही है। 31 मार्च, 2023 को, भारतीय लेखा मानक 109 के तहत क्षति भत्ता आरबीआई प्रूडेंशियल (आईआरएसीपी) मानदंड (मानक संपत्ति प्रावधान सहित) से अधिक है। तदनुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 तक खाता-बहियों में इंड-एएस के अनुसार राशि का प्रावधान किया है। 31 मार्च, 2023 तक बनाए गए 34.54 करोड़ रुपये के मौजूदा क्षति हानि संचय को रिवर्स नहीं किया गया है। यद्यपि ऋण आस्तियों पर ईसीएल की गणना पोर्टफोलियो के आधार पर की जाती है। फिर भी आरबीआई के मानदंडों के अनुसार धोखाधड़ी वाले घोषित ऋण खातों पर पूर्ण हानि भत्ता का प्रावधान किया गया है।

(iii) कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) 01 अप्रैल 2021 से खाता-बहियों में मान्य नहीं होगी। तदनुसार वित्तीय वर्ष में ब्याज आय 209.50 करोड़ रु. (ईसीएल के शुद्ध) कम है। कंपनी ने इस संबंध में आरबीआई से स्पष्टीकरण मांगा है और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(iv) वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 के प्रभावों को समाहित कर लिया है और धीरे-धीरे इसमें सुधार हो रहा है। कम्पनी को निकट भविष्य में अपने व्यवसाय में किसी बड़े व्यवधान और प्रभाव की आशंका नजर नहीं आती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(v) ये वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 अनुभाग (III) के अनुसार तैयार किए गए है, जिसे कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था और 11 अक्टूबर 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। आर.बी.आई. या अन्य नियामकों द्वारा जारी किये गये सभी नियमों, मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों को यथानुसार लागू किया जाएगा।

(vi) पूँजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2023 को (-)70.66% है, जो आर.बी.आई. के दिशानिर्देश संबंधी परिपत्र दिनांक 31 मई, 2018 (आरबीआई/2017-18/181) डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18) द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।

(vii) कंपनी में 31 मार्च, 2023 तक 1739.12 करोड़ रु. की आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध) है। कंपनी ने कंपनी की पुनरुद्धार योजना बनाने के लिए एक प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है। सलाहकार की रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय के साथ साझा की गई है और पुनरुद्धार योजना भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। भारत सरकार पहले ही कंपनी के परिचालन को जारी रखने के लिए आईएफसीआई में वित्त वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी निवेश कर चुकी है। इसलिए, प्रबंधन को भविष्य में कंपनी की उपलब्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त आय रहने का भरोसा है।

41 भारतीय लेखांकन मानक 108 - ''परिचालन खंड'' द्वारा अपेक्षित व्यवसाय/भौगोलिक खंड की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कम्पनी के संचालन में वित्तपोषण का केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है। इसलिए, लेखांकन मानक 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट करने योग्य खंड नही है।

42 31 मार्च 2023 तक कम्पनी द्वारा इश्यू किए गए सभी सुरक्षित बॉंडों और डिबेंचरों तथा बकाया राशियों पर, कम्पनी के बही ऋणों/प्राप्य राशियों पर फ्लोटिंग प्रभार से मूलधन और ब्याज के विरूद्ध 100 प्रतिशत सिक्योरिटी कवर बनाए रखा गया है।

स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में

43 स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) ने वर्ष 2000-01 के दौरान 'डीएसक्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 7,20,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए कैश ऑन पेआउट' योजना के तहत कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई) में एक ग्राहक के साथ 2,445 लाख रुपये का लेनदेन किया था। सीएसई द्वारा उक्त लेनदेन की पुष्टि की गई थी, जिसके आधार पर पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए थे। कंपनी द्वारा चेकों को उनकी नियत तारीख से पहले उनका भुगतान रोक दिया गया था, क्योंकि अंतर्निहित व्यापार लेनदेन को सीएसई द्वारा नॉन-बोनाफाइड यानि अलाभकर बताया गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया था। एक बैंक, जिसने उक्त चेकों के बदले वित्तीय सहायता दी थी, ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कंपनी के खिलाफ मांग का नोटिस जारी किया। बैंक ने कंपनी और ग्राहक से राशि की चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में एक आवेदन भी दायर किया। कंपनी ने बैंक के दावे का खंडन किया। डीआरटी में बैंक का आवेदन खारिज कर दिया गया और केवल ग्राहक को उत्तरदायी ठहराया गया। बैंक और ग्राहक ने डीआरटी के आदेश के खिलाफ ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अपील दायर की थी। 23 सितंबर, 2011 के डीआरएटी आदेश के तहत अपील की अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राशि पर 1 अगस्त, 2001 से 19% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, जो वसूली होने तक त्रैमासिक अवधि पर लागू होगा और बैंक ग्राहक और कंपनी दोनों से राशि वसूल करने का हकदार है। कंपनी ने 30 नवंबर, 2011 को उच्च न्यायालय, कलकत्ता में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जिसे स्वीकार कर लिया गया लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। इसलिए, कंपनी ने डीआरएटी आदेश, वसूली प्रमाण पत्र और पीठासीन द्वारा जारी मांग के नोटिस पर अंतरिम राहत नही देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। उच्चतम न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2012 के अपने आदेश के तहत वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी और कलकत्ता उच्च न्यायालय से चार महीने की अवधि के भीतर पुनरीक्षण आवेदन का निपटान करने का अनुरोध किया। साथ ही कंपनी को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अल्पकालिक जमा के माध यम से आदेश की तारीख से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर कलकत्ता उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में 3,000 लाख रु. जमा करने को कहा गया। तद्नुसार, कंपनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय, रजिस्ट्री में राशि जमा कर दी थी। पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया। कंपनी ने मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई, 2015 के अपने आदेश के तहत निष्पादन कार्यवाही के संचालन पर रोक लगा दी और कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास राशि जमा करने के लिए कंपनी के नाम पर सावधि जमा रसीद जारी की गई, जिस पर रजिस्ट्रार के पक्ष में कम से कम 3,000 लाख रुपये की राशि का पृष्ठांकन किया गया। तद्नुसार, कंपनी द्वारा राशि जमा की गई। कंपनी ने हाई कोर्ट (3,000 लाख रु.) और सुप्रीम कोर्ट (3,000 लाख रु.) में कुल 6,000 लाख रु. जमा किए, जिसे बैलेंस शीट में ''अन्य गैर-चालू वित्तीय संपत्तियां'' शीर्षक के तहत ''प्रतिभूति व अन्य जमाएं, अच्छे माने गये'' के उप-शीर्षक में दिखाया गया है। बैंक को कोलकाता उच्च न्यायालय में जमा रकम 3,000 लाख रुपये, ब्याज सहित निकालने की छूट दी गई, जो एसएलपी में अंतिम निर्णय के अधीन है। तद्नुसार, 38,04,44,259.69 रुपये की राशि बैंक को जारी की गई। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश द्वारा, बैंक को सुप्रीम कोर्ट में जमा धनराशि में से 1,500 लाख रु., अर्जित ब्याज सहित अतिरिक्त धनराशि निकालने का निर्देश दिया। तद्नुसार, 15,45,06,971 रु. की राशि बैंक को जारी की गई। विशेष अनुमति याचिका को 08 फरवरी, 2017 को सिविल अपील में परिवर्तित कर दिया गया है और मामला अंतिम निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। मामला जनवरी 2020 की साप्ताहिक सूची में आ रहा था। 2020 में कोई सुनवाई नहीं हुई थी और शीघ्र सुनवाई के विकल्प तलाशे गए थे। बैंक ने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए 06 दिसंबर, 2021 अनुरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चार सप्ताह की अवधि में, लगभग 11 जनवरी, 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मामला सूचीबद्ध किया गया और 19 अप्रैल, 2023 को इस पर विचार किया गया। अब इसे 11 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में बैंक को जारी की गई धनराशि अंतिम निर्णय के अधीन है। विवाद की प्रकृति को देखते हुए आकस्मिक दायित्व की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले के अंतिम निर्णय के लंबित रहने और कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन की राय में, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ व हानि विवरण में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

44 (i) स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) ने वर्ष 1992-93 में स्टाफ क्वार्टर की तरह इस्तेमाल करने के लिए एकमुश्त बिक्री के आधार पर एमएचएडीए से चेंबूर, तिलक नगर में 9216 वर्ग फुट के 18 आवासीय लैट, कब्जा और आवंटन-पत्र प्राप्त करके, खरीदे थे। कंपनी के पक्ष में लैटों का पंजीकरण लंबित रहने तक, इन संपत्तियों को 'चल संपत्तियां - भवन' के खाते में दिखाया गया है। कंपनी संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क कर रही है। कंपनी ने म्हाडा द्वारा आवंटित चेंबूर, तिलक नगर स्थित बिल्डिंग नं. 166 के कॉनवेयेंस के संबंध में एमसी दिनांक 27 दिसंबर 2019 के माध्यम से श्री सुभाष भालचंद्र सावंत को सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार म्हाडा के साथ कार्य कर रहा था और सख्त फॉलो-अप कार्रवाई के बाद, उसे कार्यकारी अभियंता, कुर्ला डिवीजन द्वारा सूचित किया गया कि चूंकि कॉनवेयेंस स्टॉकहोल्डिंग के नाम पर किया जाएगा, इसलिए भूमि पर प्रीमियम राशि यानि 2.5% की दर से 16,03,584 रु. व लागू करों का भुगतान म्हाडा को करना होगा। भुगतान हो जाने के बाद, स्टॉकहोल्डिंग को उक्त परिसर का स्वामित्व सौंपा जाएगा और उसे 0.16 लाख रु. प्रति वर्ष का पट्टा किराया सरकार को नही देना होगा। तद्नुसार, 11 अप्रैल 2022 को इस संबंध में आंतरिक अनुमोदन लिया गया और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर मुंबई बोर्ड को पे-ऑर्डर के माध्यम से 16.04 लाख रुपये और लागू करों का भुगतान किया गया। कंपनी इस भुगतान के संबंध में म्हाडा से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) का इंतजार कर रही है। इस बीच, कंपनी ने म्हाडा द्वारा मांगे गये सभी आवश्यक दस्तावेज, विधिवत स्वीकृत कन्वेयेन्स डीड के ड्राट सहित, जमा कर दिए थे।

44 (ii) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के मामले में, जनवरी 2021 में अलवर में ई-स्टांपिंग सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ) काउंटर पर 14.50 लाख रुपये की राशि कम जमा करने की घटना हुई थी। एक कर्मचारी ने स्वयं द्वारा एकत्र की गई सारी नकदी जमा नहीं की थी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में दावा दायर किया गया था और दिसंबर, 2021 में बीमा कंपनी द्वारा 13.35 लाख रुपये की राशि का निपटान किया गया। उक्त कर्मचारी के वेतन से 0.69 लाख रुपये की वसूली की गई और पुलिस अधिकारियों ने भी उक्त कर्मचारी से 0.25 लाख रु. की राशि बरामद की। अलवर में ई-स्टांपिंग एसआरओ काउंटर पर नकदी कम जमा करने का मामला बंद माना गया है, क्योंकि बीमाकर्ता ने स्टॉकहोल्डिंग के दावे पर कार्रवाई पूरी कर दी है। नवंबर, 2021 में कोलकाता आरएनएम कार्यालय में धोखाधड़ीपूर्ण ट्रांसमिशन का एक मामला सामने आया। इसमें एक ग्राहक के डीमैट खाते से 73 लाख रुपये के शेयरों की बिक्री की गई थी। आंतरिक ऑडिट के दौरान समय पर धोखाधड़ी का पता चला। कंपनी ने त्वरित कार्रवाई की और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में पाई गई थी, जिसे बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया। स्टॉकहोल्डिंग ने 9 दिसंबर, 2021 को बीमा कंपनी के पास बीमा दावा प्रस्तुत किया। शेयरों की बहाली पर हुआ नुकसान, 73 लाख रुपये को खातों में ''भुगतान किए दावे'' के रूप में दर्ज किया गया है।

इस संबंध में, स्टॉकहोल्डिंग ने पंजाब नेशनल बैंक में बैंक खाते को डीफ्रीज करने का आदेश जारी करने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता में एक याचिका दायर की। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 18 अक्टूबर, 2022 को एक आदेश पारित किया, जिसके तहत उन्होंने बैंक खाते को डीफ्रीज करने और सुरोजीत मित्रा के पीएनबी खाते से स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खाते में 67,35,411.58 रुपये की धनराशि जमा करने का आदेश दिया। यह धनराशि 29 अक्टूबर, 2022 को स्टॉकहोल्डिंग के खाते में जमा हुई। इसके अलावा,

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

हमने उक्त राशि पर जमा ब्याज राशि निकालने के लिए भी आवेदन किया। न्यायालय का विचार था कि एफआईआर राशि पर आदेश पहले ही दिया जा चुका है और उसी आवेदन के तहत ब्याज राशि के लिए दूसरा आवेदन नही किया जा सकता है। इसके लिए नया आवेदन दाखिल किया जा सकता है। लेकिन नये आवेदन को दाखिल करने का व्यय, ब्याज (लगभग 1 लाख रुपये) से अधिक होगा। इसके अलावा, 23 मार्च 2023 को कानूनी फीस पर खर्च हुई 3.15 लाख रुपये की धनराशि भी बीमे से प्राप्त हुई। बैंक और बीमा से प्राप्त राशि को देखते हुए, इस दावे को पूर्ण और अंतिम निपटान प्राप्त माना जा सकता है और आगे इसे बंद माना जा सकता है।

कंपनी ने कोष में गबन का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया। फॉरेंसिक ऑडिटर द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों पर गबन का कोई और वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नही है।

44 (iii) 11 दिसंबर 2017 को कंपनी के महापे परिसर में आग लगने की घटना हुई। जांच के लिए बीमा कंपनी ने सर्वेक्षक नियुक्त किए। 28 जुलाई, 2021 को निगम को अग्नि बीमा दावे के रूप में 1,405 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई। सर्वेक्षकों ने आग से कंपनी की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया। कंपनी ने इंटीरियर और बेसमेंट की मरम्मत करने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में महापे इंटीरियर्स फर्निशिंग हेतु मरम्मत एवं रखरखाव खाते में व्यय हुई राशि 37.85 लाख रुपये (पिछले वर्ष महापे इंटीरियर्स फर्निशिंग खाते में 129.79 लाख रुपये) हस्तांतरित की गई।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप और सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन नियमों के कारण मरम्मत/नवीनीकरण कार्य पूरा होने में देरी हुई। अगस्त 2020 के अंत में काम फिर से शुरू हुआ और पूरा हुआ, महापे इंटीरियर से संबंधित प्रमुख कार्य पूरा हो गया।

44 (iv) स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के मामले में, व्यापार देय, व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, अन्य वर्तमान देनदारियों और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दिखाई देने वाली शेष राशियां, पुष्टि और परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

45 स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के मामले में

(क) 11 दिसंबर, 2017 को कंपनी के महापे परिसर में आग लगने की घटना हुई। बीमा कंपनी ने अभी तक दावे का निपटान नही किया है।

(ख) कंपनी को अपने ग्राहकों से दस्तावेजों के नुकसान के दावे प्राप्त हो रहे है। अधिकांश ग्राहकों ने ऑडिट पूरा कर लिया है, जबकि अन्य अंतिम दावों के लिए दस्तावेजों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अपने ऑडिटरों द्वारा ऑडिट कराने के विभिन्न चरणों में है। वास्तविक दावों का पता नही चल पाने के कारण कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक के खाते-बहियों में ऐसे प्राप्य दावों/आकस्मिक देनदारियों और संबंधित बीमा दावों के लिए प्रावधान/प्रकटीकरण नहीं किया है। साथ ही, कंपनी कानूनी कार्यवाही में एक पक्ष भी है। लेकिन ऐसी कोई संभावना नही है कि इन कार्यवाहियों से उसकी वित्तीय स्थिति, संचालन स्थिति या नकदी प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, ऐसे पक्ष(ों) के दावे जिनके संबंध में प्रबंधन को कानूनी सलाहकार ने सलाह दी है कि वे अनुचित है और मान्य नही है, उन्हें भी आकस्मिक देनदारियां नहीं माना गया है।

46 एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81, 193 और 285 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चौथी अदालत, गिरगांव, मुंबई की अदालत से 6 मार्च 2018 को समन प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2008-09 से पहले के मामले के बारे में था। इस बारे में एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड ने पूर्व में क्षेत्रीय निदेशक, मुंबई के समक्ष कंपाउंडिंग आवेदन दायर किये थे। लेकिन बाद में छानबीन करने पर पाया गया कि कंपाउंडिंग आवेदनों का पता नहीं चल पा रहा है। कानूनी सलाहकारों की सलाह पर हमने आरओसी के पास 11 सितंबर, 2018 को एक नया कंपाउंडिंग आवेदन दायर किया। कंपाउंडिंग शुल्क न्यायालय का विशेषाधिकार है, लेकिन पिछले कंपाउंडिंग आदेशों, दंडात्मक प्रावधान और जैसा कि वकीलों के साथ चर्चा की गई है, कंपाउंडिंग आवेदन के कारण देयता कोई महत्वपूर्ण राशि नहीं होगी और यह वर्तमान में अनिश्चित है।

47 निम्न के मामलों में

क. आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल):-

अ) अनिवार्य परिवर्तनीय संचयी प्रिफेरेन्स शेयरों पर लाभांश का बकाया 61.03 करोड़ रुपये है जिसके लिए मंजूरी के नियमों व शर्तों के अनुसार प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल):-

अ) इन्वेंटरी में एक ऐसी संपत्ति भी शामिल है, जिसके खिलाफ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-।। ने पुरानी कंपनी, अर्थात हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड (एचएसजीएल) द्वारा डिफॉल्ट की वसूली का आदेश दिया है। उक्त आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय थी कि दायित्व का आकलन करने में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। तद्नुसार, पीएफ विभाग को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नए सिरे से निर्णय लेने की छूट देते हुए, विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है।

ब) कंपनी को एआईजी स्टांप गाजियाबाद से 150.02 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी का कम भुगतान करने के लिए नोटिस मिला है। माननीय उच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में स्टे दे दिया है और मामले पर अंतिम निर्णय आना शेष है।

स) मैसर्स सुबीर इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईआईडीएल के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 25.01.2018 को एक निर्णय पारित किया गया था। इसमें आईआईडीएल को दावेदार को 2118 लाख रुपये के कुल दावे के विरुद्ध, 768.00 लाख रु. रुपये, 27.10.2016 से 6% की दर से ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। (भुगतान किये जाने वाले दावे की रकम में 309.00 लाख रुपये की वैट राशि और 272.00 लाख रुपये की सिक्योरिटी जमा राशि शामिल थी)। आईआईडीएल ने इस फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 400.00 लाख रूपये की धनराशि न्यायालय में जमा करा दी गई है।

द) कंपनी की गाजियाबाद स्थित परियोजना 21 माइलस्टोन रेजीडेंसी से संबंधित कई मामले रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण/रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं। विनय कुमार बालियान और राजेश कुमार सिंह के दो मामलों में, रेरा प्राधिकरण द्वारा कुर्की आदेश दिये गये थे। जिसके खिलाफ कंपनी ने आरईएटी में अपील दायर की है। इसके अलावा, कंपनी ने आरईएटी के समक्ष एक और अपील दायर की है, जिसमें ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार कंपनी को 91.64 लाख रुपये की राशि जमा करनी थी और कंपनी द्वारा यह धनराशि जमा भी करायी गई है।

य) आर्बिट्रेटर ने 21.02.2022 को एक निर्णय पारित किया, इसमें पाया गया था कि दावेदार को 4,42,47,534 रू. की कुल राशि का हकदार पाया गया है, जो आईआईडीएल द्वारा अपने काउंटर क्लेम के तहत एसबीटीएल से 2,0060,587 रु. की वसूली-योग्य राशि के विरूद्ध थी। आईआईडीएल द्वारा किए गए कार्य हेतु प्रतिधारण धनराशि और आईआईडीएल के प्रति-दावे के तहत वसूली-योग्य परिसमाप्त क्षति की 1,00,00,000 रु. धनराशि एसबीटीएल से वसूली-योग्य थी। उक्त राशि को एसबीटीएल को देय राशि के विरुद्ध समायोजित करने के बाद, एसबीटीएल मात्र 1,41,86,947 रुपये की राशि का हकदार होगा।

तद्नुसार, सभी विवादों के पूर्ण और अंतिम निपटान में एसबीटीएल के पक्ष में 1,41,86,947 रु. और विवादों से उत्पन्न दावों और प्रतिदावों के साथ-साथ 5.08.2019 से 9% प्रति वर्ष की दर से एसबीटीएल के पक्ष में दी गई राशि पर ब्याज सहित अंतिम राशि का भुगतान किया गया। मध्यस्थ द्वारा यह निर्णय दिया गया था। इसके अलावा, एसबीटीएल 15,00,000 रु. की दर से मध्यस्थता कार्यवाही की आनुपातिक लागत का भी हकदार होगा। 26.07.2022 को एसबीटीएल को इसका भुगतान किया गया।

र) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा-परीक्षा के लिए ऑडिट किया, और प्रारंभिक आपत्ति मेमो (पीओएम) जारी किए। पीओएम में से एक में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर रखरखाव एएमसी खर्चों को अनुबंध की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाना है, जिसे त्रुटि के कारण व्यय खाते में दर्ज किया गया। तद्नुसार 9,23,401 रु. को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, जबकि इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में चालू व्यय के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्ययों का अधिक अंकन हुआ, लाभ का कम अंकन हुआ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 9,23,401 रु. कम दिखायी गई।

ल) इन्वेंट्री में फाइनेंशियल सिटी बेंगलुरु की संपत्ति के लीजहोल्ड अधिकार शामिल है, जिसका मूल्य 12.77 करोड़ रु. है। इसका पट्टा 30 सितंबर 2022 को पहले ही समाप्त हो चुका है। लेकिन यह अवधि समझौते के खंड-वाक्य सं. 23 के तहत आगे बढ़ायी जा सकती है। आईआईडीएल ने पहले ही विस्तार के लिए आवेदन कर दिया है, जो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा आईआईडीएल को लीज की विस्तारित अवधि में लीज-सह-बिक्री का पूरा अधिकार है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ग. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड:-

चरण-3 परिसंपत्तियों पर आय की मान्यता रद्द करने के बारे में लेखांकन नीति में बदलाव किया गया है। कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) 1 अप्रैल, 2021 से खाता-बहियों में दर्ज नही की जाएगी। तदनुसार, वर्ष के दौरान ब्याज आय को 11.60 करोड़ रु. कम करके आंका गया और वर्ष का शुद्ध लाभ भी 5.17 करोड़ रु. (ईसीएल व आस्थगित कर का शुद्ध) कम बताया गया है।

घ. आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड:-

सहायक कंपनी आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड के संबंध में, दुनिया भर में और भारत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में खासी गिरावट और अस्थिरता पैदा हुई। इससे आर्थिक गतिविधियों में भी मंदी छायी रही। लेकिन कोविड-19 के बाद लॉकडाउन संबंधी नियमों के परिणामस्वरूप लिस्टेड/कोटेड इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की कीमतों में कोई खास गिरावट नही आई और शेयरों, म्यूचुअल फंड और मार्जिन फंडिंग पोर्टफोलियो के बदले में दिए गए ऋणों में अंतर्निहित सिक्योरिटी मूल्य में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नही देखी गई। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कंपनी ने उधारकर्ताओं के पिछले इतिहास और कंपनी के उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति में संभावित तनाव के कारण होने वाले क्रेडिट डिफॉल्ट के जोखिम के आधार पर अपना अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रावधान किया है। इसके अलावा, महामारी से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण, कंपनी की स्थिति पर वास्तविक प्रभाव वर्तमान अनुमानों के अनुरूप नहीं रहा। कंपनी महामारी के दूरगामी प्रभाव को देखते हुए भविष्य की आर्थिक स्थितियों में होने वाले हर महत्वपूर्ण बदलाव की बारीकी से निगरानी करती रहेगी। इसके अलावा, कंपनी द्वारा कराया गया प्रभाव मूल्यांकन कंपनी की चालू परिचालन क्षमता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संकेत नही देता है।

48 अनुसूची III के तहत अपेक्षित, अन्य अतिरिक्त नियामक प्रकटीकरण

स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और आईएससीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) के मामले में

क) अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख:

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति का विवरण	कुल मूल मूल्य	निम्न के नाम पर धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक, प्रमोटर व निदेशकों के रिश्तेदार या प्रमोटरों, निदेशकों के कर्मचारी हैं	संपत्ति धारण करने की अवधि	कम्पनी के नाम पर नहीं होने का कारण और क्या संपत्ति विवादग्रस्त है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	तिलक नगर में 18 फ्लैट- 9216 वर्ग फीट	1.11 करोड़	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नही	01/05/1993 से	संपत्ति का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पंगुरवेल, अरियूर राजस्व ग्राम, जिला- विलनपुर, पुडुचेरी (क्षेत्र 21.279 एकड़)	10.01 करोड़	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र)	नही	14 साल और 08 महीने	एक सर्वेक्षण में सम्पति की पहचान मंदिर की भूमि के रूप में की गई है जिसके कारण पंजीकरण नही हुआ है। आईआईडीएल संबंधित प्राधिकारी के साथ इस मुद्दे को हल करने की प्रक्रिया में है।

ख) i) कार्यशील पूंजीगत परियोजना (एसएचसीआईएल) का समय विश्लेषण:

	मार्च 2023 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
कार्यशील पूंजीगत परियोजना	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएं प्रगति पर					
- महापे में तीसरी बिल्डिंग परियोजना	**4.56**	**0.04**	**0.02**	**0.07**	**4.69**
सर्वर स्विच	**0.80**	**-**	**-**	**-**	**0.80**
जोड़	**5.36**	**0.04**	**0.02**	**0.07**	**5.49**

	मार्च 2022 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
कार्यशील पूंजीगत परियोजना	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर:-					
- महापे में तीसरी बिल्डिंग परियोजना	4.25	4.24	2.36	0.02	10.87
- क्लाउड रेजिलेंसी ऑर्केस्ट्रा प्रोजेक्ट	-	-	0.64	-	0.64
जोड़	4.25	4.24	3.00	0.02	11.51

ii) कार्यशील पूंजीगत परियोजनाओं का विवरण, जिसका समापन होना शेष है और या जिसकी 31 मार्च, 2023 को मूल योजना की तुलना में लागत अधिक हो गई है:

	समापन में लगने वाला समय			
कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
महापे कार्यालय में तीसरी इमारत परियोजना - (पूरा होना शेष है, लेकिन इसकी लागत मूल योजना लागत से अधिक नहीं है)	**4.69**	**-**	**-**	**-**

मूल योजना के अनुसार परियोजना पूर्ण होने में समय शेष है। हालांकि, परियोजना की लागत इसकी मूल योजना लागत से अधिक नही है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाओं का विवरण, जिसका समापन होना शेष है और या जिसकी 31 मार्च, 2022 को मूल योजना की तुलना में लागत अधिक हो गई है:

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	समापन में लगने वाला समय			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
महापे कार्यालय में तीसरी इमारत परियोजना – (पूरा होना शेष है, लेकिन इसकी लागत मूल योजना लागत से अधिक नही है)	**10.87**	-	-	-
जनरल टेक्नोलॉजीज द्वारा क्लाउड रेजिलिएशन ऑर्केस्ट्रा प्रोजेक्ट (पूरा होना शेष है लेकिन इसकी लागत मूल योजना लागत से अधिक नही है)	-	**0.64**	-	-

मूल योजना के अनुसार परियोजना पूर्ण होने में समय शेष है। हालांकि, परियोजना की लागत इसकी मूल योजना लागत से अधिक नही है।

ग) i) विकासशील अमूर्त संपत्तियों (एसएचसीआईएल) का समय विश्लेषण:

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	मार्च 2023 की अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर:					
- एस्टाम्पिंग सॉफ्टवेयर का विकास	**0.23**	-	-	-	**0.23**
प्रगति पर परियोजनाएँ: एसएसएल	**1.55**	**3.86**			**5.41**
कुल	**1.78**	**3.86**	-	-	**5.64**

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	मार्च 2022 की अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर:					
- स्वैप सॉफ्टवेयर इंस्टालेशन प्रोजेक्ट	-	0.16	-	-	0.16
- मोबाइल एप्लिकेशन प्रोजेक्ट	0.09	-	-	-	0.09
सहायक कम्पनियों की प्रगतिशील परियोजनाएं	3.86	-	-	-	3.86
कुल	3.95	0.16	-	-	4.11

ii) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों का विवरण, जिनका पूरा होना अतिदेय है या 31 मार्च, 2023 को इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है:

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	समापन में लगने वाला समय			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
-	-	-	-	-

मूल योजना के अनुसार परियोजना पूर्ण होने में समय शेष है। हालांकि, परियोजना की लागत इसकी मूल योजना लागत से अधिक नही है।

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों का विवरण, जिनका पूरा होना अतिदेय है या 31 मार्च, 2022 को इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है:

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	समापन में लगने वाला समय			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
एसडब्ल्यूएपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट (पूरा होने में देरी हुई है लेकिन इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में अधिक नही है)	0.16	-	-	-

मूल योजना के अनुसार परियोजना पूर्ण होने में समय शेष है। हालांकि, परियोजना की लागत इसकी मूल योजना लागत से अधिक नही है।

घ) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिट (आईआईडीएल) के मामले कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

इन्वेंटरी के संबंध में मात्रात्मक जानकारी

विवरण	खरीद		बिक्री	
	चालू वर्ष			
	इकाइयाँ (स्थान)	(स्थान)	इकाइयाँ (स्थान)	(स्थान)
भूमि एवं भवन	-	-	-	1.70
मशीनरी उपकरण	-	-	-	-
मौजूदा संपत्तियों पर अतिरिक्त लागत	-	-	-	-
कच्चे माल की उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.51	-	2.15
	पिछले वर्ष			
भूमि एवं भवन	-	-	-	11.54
मशीनरी उपकरण	-	-	-	-
मौजूदा संपत्तियों पर अतिरिक्त लागत	-	-	-	-
कच्चे माल की उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.45	-	1.46

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	आरंभिक स्टॉक		आखरी स्टॉक	
	चालू वर्ष			
	इकाइयाँ (स्थान)	(स्थान)	इकाइयाँ (स्थान)	(स्थान)
भूमि एवं भवन	-	57.95	-	57.95
मशीनरी उपकरण	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर है	-	15.50	-	13.21
उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.36	-	0.23
	Previous Year			
भूमि एवं भवन	-	57.95	-	57.95
मशीनरी उपकरण	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर है	-	30.27	-	15.50
उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.38	-	0.36

टिप्पणी:

1 भूमि और भवनों में विभिन्न क्षेत्रों की इकाइयाँ शामिल है जिनके प्रकार/निर्माण/विकास के चरण के लिए अलग-अलग विवरण है, जिसके लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण के लिए इसे व्यक्तिगत रूप से वर्णनात्मक बनाना व्यावहारिक नहीं है।

2. उपभोग्य सामग्रियों और स्टोर में विभिन्न एफ एंड बी, हाउस कीपिंग, डीजल और इंजीनियरिंग से संबंधित स्टोर शामिल है, जिनके लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण के लिए इसे व्यक्तिगत रूप से वर्णनात्मक बनाना व्यावहारिक नहीं है।

48 (ङ) बेनामी संपत्ति:

बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई या इस बारे में कोई मामला लंबित नही है।

48 (च) चालू परिसंपत्तियों की सिक्योरिटी पर उधार

एसएचसीआईएल के मामले को छोड़कर, खाता-बहियों के अनुसार समूह के पास एसएचसीआईएल द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर की गई चालू परिसंपत्तियों के तिमाही रिटर्न या विवरणों और वर्तमान परिसंपत्तियों की सिक्योरिटी पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में

व्यापार प्राप्यध्पुस्तक ऋण (वर्तमान संपत्ति) की सुरक्षा पर उधार लेना:

त्रैमासिक रिटर्न/विवरण का विवरण	बहीखातों के अनुसार व्यापार प्राप्य (करोड़ रू.)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत रिटर्न/विवरण के अनुसार व्यापार प्राप्य (करोड़ रू.)	मतभेद, यदि कोई हो
तिमाही - I	98.26	98.26	-
तिमाही - II	98.98	98.98	-
तिमाही - III	124.56	124.56	-
तिमाही - IV	अभी देय नहीं है और विवरण	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है	-

48 (छ) जानबूझकर चूककर्ता:

कम्पनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता करने का दोषी यानि विलफुल डिफॉल्टर घोषित नही किया गया है।

48 (ज) बंद की गई कम्पनी के साथ संबंध:

कम्पनी का कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कम्पनी की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।

48 (झ) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण:

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार नहीं किया है।

48 (त्र) कंपनियों के अधीन कंपनियां:

कम्पनी एक एनबीएफसी है, अत: अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) लागू नहीं है।

48 (ट) व्यवस्था की योजना

वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई है

48 (ठ) उधार ली गई निधियों का उपयोग:

(i) कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) को कोई धनराशि उधार नही दी है या उनमें निवेश नहीं किया है। इस तरह के कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा नही किये गये है कि कम्पनी (''अंतिम लाभार्थी'') की ओर से कोई मध्यस्थ किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या किसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

(ii) कम्पनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है। इस तरह के कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा नही किये गये है कि कम्पनी (''अंतिम लाभार्थी'') की ओर से कोई मध्यस्थ किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या किसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

48 (ड़) अघोषित आय:

वर्ष के दौरान कम्पनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों) के अधीन किसी अन्य योजना के तहत प्रकटीकरण से छूट मिलने के अलावा, कर-निर्धारणों में वर्ष के दौरान किसी ऐसे लेनदेन से हुई आय का समर्पण या खुलासा नहीं किया है, जिसे खाते-बहियों में दर्ज न किया गया हो।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

48 (ढ) कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) में प्रभार या संतुष्टि का पंजीकरण:

स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में

प्रभारों का विवरण/पंजीकृत किए जाने वाले संतुष्टि प्रभार	राशि(रू.)	पंजीकरण की देय तिथि	विलम्ब
1994 में स्टॉक होल्डिंग द्वारा यूटीआई के पक्ष में बनाये गये प्रभार जो 1998 में चुकाए गये*	10,00,000.00	30-12-1994	No
इंडियन ओवरसीज बैंक के पक्ष में बनाये गये प्रभार, एमसीए वेबसाइट के अनुसार**	2,75,000.00	22-09-1988	No

*प्रभार चुकाए गये है और कम्पनी एमसीए वेबसाइट से प्रभारों को हटाने की प्रक्रिया में है।

**एमसीए वेबसाइट पर प्रभार प्रदर्शित हो रहा है, हालांकि कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक के पक्ष में कोई प्रभार सृजित नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, को छोड़कर, वैधानिक अवधि के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि लंबित नही है।

49 कर्मचारी हित

समूह निम्नलिखित रोजगार पश्चात् योजनाओं का परिचालन करती है। -

i. परिभाषित अंशदान योजना

समूह पेंशन के संबंध में मासिक अंशदान करती है जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। कम्पनी के पास निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा, कोई अन्य देयता नहीं है। अंशदान; जैसे ही वे उत्पन्न होते है, उन्हें लाभ और हानि विवरण में प्रभारित कर दिया जाता है। ऐसे अंशदान के संबंध में व्यय के रूप में मान्य राशि निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
पेंशन निधि में अंशदान	**0.01**	0.01
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	**8.69**	8.29
कर्मचारी अधिवर्षिता निधि में अंशदान	**5.15**	4.37

ii. परिभाषित लाभ योजना

(क) उपदान

समूह की भारत में एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है, जो उपदान के भुगतान अधिनियम, 1972 के द्वारा अधिशासित है। यह योजना उस कर्मचारी, जिसने कम से कम पांच वर्ष को निरन्तर सेवा पूरी की है, को की गई प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए पन्द्रह दिन अथवा छह माह से अधिक उसके भाग के लिए उपदान (अधिकतम सीमा-20,00,000/- लाख) प्राप्त करने के लिए अधिकृत करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन पर आधारित है। यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निधिकृत है। यह परिभाषित लाभ योजना समूह के बीमांकन जोखिमों जैसे कि लॉगइविटी जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज पर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम को दर्शाता है।

योजना परिसम्पतियों का नवीनतम बीमांकक मूल्यांकन और उपदान हेतु परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार किया गया था। परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत का मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया गया था।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित सारणी उपदान योजना की स्थिति और तुलन-पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	**6.60**	8.61

(क) निधियन

यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। निधियन अपेक्षाएं योजना की निधियन नीतियों में निर्दिष्ट उपदान निधि के बीमांकक मूल्यांकन ढांचे पर आधारित है। योजना की निधि व्यवस्था निधियन प्रयोजनों के लिए पृथक बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है, जिसके लिए पूर्वानुमान, नीचे भाग ङ में परिभाषित पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते है। कर्मचारी इस योजना में अंशदान नहीं करते।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु उपदान योजना में अनुमानित अंशदान 1.10 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	परिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य**	**निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता**	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	**77.12**	**68.51**	**8.61**	80.18	70.54	9.64
वर्तमान सेवा लागत	**4.91**	**-**	**4.91**	4.99	-	4.99
कटौती सहित पिछली सेवा लागत लाभ/हानियां	**-**	**-**	**-**	-	-	-
ब्याज लागत (आय)	**5.73**	**5.62**	**0.11**	5.62	5.16	0.46
	10.65	**5.62**	**5.02**	10.61	5.16	5.45

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी रखें)

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	परिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य**	**निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता**	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्न से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	**(0.00)**	**-**	**(0.00)**	(0.06)	-	(0.06)
- वित्तीय अनुमान	**(0.57)**	**-**	**(0.57)**	(1.99)	(0.25)	(1.74)
- अनुभव समायोजन	**(2.45)**	**(0.09)**	**(2.36)**	(0.98)	(0.29)	(0.69)
– योजना परिसम्पत्तियों पर	**-**	**0.02**	**(0.02)**	-		-
	(3.03)	**(0.07)**	**(2.96)**	(3.03)	(0.54)	(2.49)
नियोक्ता द्वारा अदा किया गया अंशदान	**-**	**1.39**	**(1.39)**	-	3.82	(3.82)
प्रदत्त लाभ	**(7.76)**	**(5.07)**	**(2.69)**	(10.64)	(10.48)	(0.16)
	(7.76)	**(3.68)**	**(4.08)**	(10.64)	(6.66)	(3.98)
वर्ष के अन्त में शेष	**76.98**	**70.38**	**6.60**	77.12	68.51	8.61

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
जीवन बीमा निगम में निवेश	**100%**	100%

समूह द्वारा वार्षिक आधार पर, परिसम्पति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें समूह देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए योजना प्रबंधक (बीमांकक) को बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
छूट दर	**7.37%**	7.30%
आगामी वेतन वृद्धि	**6.00%**	6.00%
निकासी दर:		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	**60**	60
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते है।

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(1.20)**	**1.27**	(1.22)	1.31
आगामी वेतन वृद्धि (0.50% घट-बढ़)	**1.27**	**(1.20)**	1.32	(1.25)

यद्यपि, विश्लेषण योजना के अधीन प्रत्याशित नकद प्रवाह के पूर्ण वितरण को हिसाब में नही लेता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मृत्यु संख्या दर एवं निकासियों के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नही होती है और इसलिए इसके कारण परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया जाता।

(च) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
0 to 1 वर्ष	**3.23**	3.67
1 to 6 वर्ष	**8.11**	9.42
6 वर्ष से आगे	**15.00**	15.41
जोड़	**26.35**	28.50

31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.69 वर्ष (31 मार्च, 2022: 13.11 वर्ष) थी।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते है, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते है। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है:

वेतन वृद्धियां: वास्तविक वेतन वृद्धियों से योजना की देयता बढ़ेगी। आगामी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर पूर्वानुमान में वृद्धि से भी देयता बढ़ेगी।

निवेश जोखिम: यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं बेमेल होती है तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम होती है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते है।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

आईएफसीआई अपने कर्मचारियों और उन आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। योजना के अनुसार, कर्मचारी जो स्वैच्छिक कल्याण योजना (वीडब्ल्यूएस) के सदस्य है, वे सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है। योजना के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को चिकित्सा लाभ एवं प्रतिपूर्ति की जाती है, यद्यपि इसकी उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और यह उस ग्रेड, जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, पर आधारित है और इस शर्त के अधीन है कि संबंधित कर्मचारी का पति/पत्नी अपने नियोक्ता, यदि कोई हो, से कोई चिकित्सा लाभ नही ले रहा हो। चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आईएफसीआई द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर परिचालित दरों के अनुसार केन्द्र, जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त उपरान्त निवास करता है, में कर्मचारियों पर लागू दरों पर की जाती है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी चिकित्सा लाभ योजना एवं तुलन पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	**32.11**	29.82

(क) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान:

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है:

	परिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के आरम्भ में शेष	**29.82**	29.92
वर्तमान सेवा लागत	**0.10**	0.10
कम किए गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	**-**	2.00
ब्याज लागत(आय)	**2.18**	
	2.28	2.10
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)		
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):		
- जनसांख्यिकी अनुमान	**-**	-
- वित्तीय अनुमान	**-**	-
- अनुभव समायोजन	**0.42**	(1.15)
	0.42	(1.15)
प्रदत्त लाभ	**(0.40)**	(1.05)
	(0.40)	(1.05)
वर्ष के अन्त में शेष	**32.11**	29.82

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु योजना में प्रत्याशित अंशदान 0.30 करोड़ रुपए है।

(ख) योजना परिसम्पत्तियां

सेवानिवृत्ति के बाद उक्त चिकित्सा लाभ योजना के संदर्भ में समूह के पास कोई योजना परिसम्पतियां नहीं थी।

वार्षिक आधार पर समूह द्वारा परिसम्पति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिससे समूह देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए एक सीमित निधि में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि मे अंशदान करता है।

(ग) बीमांकन अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
छूट दर	**7.37%**	7.30%
आगामी चिकित्सा लागत वृद्धि	**3.00%**	3.00%
निकासी दर:		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	**60**	60
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(घ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(1.11)**	**1.11**	(1.10)	1.09

यद्यपि, विश्लेषण योजना के अधीन प्रत्याशित नकद प्रवाह के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान देता है। मुद्रास्फिति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध मे संवेदनशीलता अनुप्रयोज्य नही है।

(ङ) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
0 to 1 वर्ष	**2.59**	2.41
1 to 2 वर्ष	**1.99**	1.85
2 to 3 वर्ष	**2.00**	1.86
3 to 4 वर्ष	**1.77**	1.64
4 to 5 वर्ष	**1.89**	1.75
5 to 6 वर्ष	**1.47**	1.37
6 वर्ष से आगे	**20.40**	18.95
जोड़	**32.11**	29.82

31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ देयता के दौरान भारित औसत 7.83 वर्ष (31 मार्च, 2022: 7.76 वर्ष) था।

(च) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते है, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते है। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है:

चिकित्सा लागत वृद्धि: वास्तविक चिकित्सा लागत में प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति में वृद्धि इस योजना की देयता को बढ़ाएगा। प्रति सेवानिवृत्त व्यक्ति पूर्वानुमान दर में वृद्धि चिकित्सा लागत में वृद्धि करेगी।

निवेश जोखिम: यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं बेमेल होती है तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम होती है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते है।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

(ग) भविष्य निधि

कम्पनी की परिभाषित लाभ भविष्य निधि है जो आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमनों द्वारा अधिशासित है। भविष्य निधि मासिक अंशदान राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है। आईएफसीआई संगत वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अधिसूचित दर पर भविष्य निधि शेष पर ब्याज अदा कर रही है। भविष्य निधि को विधिवत रूप से गठित एवं मान्य प्रशासकों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में पीएफ देयता के मद्दे विशिष्ट निर्दिष्ट निवेश अनुमोदित किया है। इस प्रयोजनार्थ, निवेशों को ईपीएफओ तथा ईपीएफ छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निवेश पद्धति को अधिसूचित करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएफ देयता के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी भविष्य निधि योजना की स्थिति एवं तुलन-पत्र की तारीख में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसम्पति)	**(9.90)**	(9.81)

(क) निधिकरण

चालू वर्ष 2018-19 के दौरान, कम्पनी ने अपने कुछ निवेशों को भविष्य में निधि देयता के मद्दे में सरकारी प्रतिभूतियों, म्युचुअल फण्ड में चिन्हित किया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि योजना में प्रत्याशित अंशदान 1.36 करोड़ रुपए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	परिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य**	**निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता**	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	**82.40**	**92.22**	**(9.81)**	82.87	94.02	(11.15)
वर्तमान सेवा लागत	**2.93**		**2.93**	1.19		1.19
ब्याज लागत/(आय)	**1.03**		**1.03**	5.22		5.22
	3.96	**-**	**3.96**	6.41	-	6.41
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि(लाभ):						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	**-**	**-**	**-**	-	-	-
- वित्तीय अनुमान	**-**	**-**	**-**	-	-	-
- अनुभव समायोजन	**-**	**-**	**-**	1.69		1.69
– योजना परिसम्पत्तियों पर	**-**	**1.03**	**(1.03)**		4.83	(4.83)
	-	**1.03**	**(1.03)**	1.69	4.83	(3.14)
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया अंशदान	-	-	-	6.59	6.59	-
प्रदत्त लाभ	**-**	**-**	**-**	(15.16)	(15.16)	-
नियोक्ता का अंशदान	**-**	**3.01**	**(3.01)**	-	1.19	(1.19)
निपटान/अन्तरण	**-**	**-**	**-**	-	0.75	(0.75)
	-	**3.01**	**(3.01)**	(8.57)	(6.64)	(1.94)
वर्ष के अंत में शेष	**86.36**	**96.26**	**(9.90)**	82.40	92.22	(9.81)

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**100%**	100%

वार्षिक आधार पर, समूह द्वारा परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें समूह पूल में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करता है जो बाद में, जोखिम देयता को व्यवस्थित करने के लिए निवेश करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
छूट दर	**7.37%**	7.30%
खाता बही शेष पर प्रत्याशित सांविधिक ब्याज दर	**8.15%**	8.10%
निधि पर ब्याज आय में प्रत्याशित वर्ष/वर्तमान कमी	**0.30%**	0.30%
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)
अशक्तता	**None**	None
निकासी दर (आयु से संबंधित)		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते है।

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(0.08)**	**0.09**	(0.06)	0.07

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(च) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1 वर्ष	**11.72**	10.55
2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	**22.22**	20.13
6 से 10 वर्ष के बीच	**14.21**	20.96
10 वर्ष से अधिक	**31.71**	30.76
जोड़	**79.86**	82.40

31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.69 वर्ष (31 मार्च, 2022: 13.11 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते है, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते है। इस तरह कम्पनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करती है-

निवेश जोखिम: यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं बेमेल होती है तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम होती है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते है।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में मान्य निकासियों और निकासी दर में परिवर्तन की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते है, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

iii. अन्य दीर्घ अवधि नियोजन लाभ

समूह अपने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा अवकाश किराया रियायत प्रदान करता है, जिसे आगामी वर्षो हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि निम्नानुसार है -

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि		
अवकाश नकदीकरण	**1.85**	0.66
अवकाश किराया रियायत	**4.12**	0.47
चिकित्सा लाभ	**1.97**	2.13

50 सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन

i. सम्बद्ध पक्षकार का नाम एवं संबंध का स्वरूप:-

क.	**सबंध का स्वरूप**	**सम्बद्ध पक्षकार का नाम**
	सहयोगी कम्पनियां*	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट बिक्री हेतु धारित सहयोगी कम्पनियां - अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि. - गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा. लि. - किटको लि. - नगई पावर प्रा. लि. - शिगा इनर्जी प्राइवेट लि. - वडराज सीमेंट लि. - वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.

*31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों के खातों का समेकन नही किया गया। लेकिन भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी कम्पनियों के नाम सम्बद्ध पक्षकार में दर्शाए गए है।

संयुक्त उद्यम	आईएफसीआई सीकामोर कैपिटल एडवाईजर्स प्रा.लि. (स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन)
सीएसआर क्रियाकलाप के लिए निगमित न्यास	आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*	श्री मनोज मित्तल - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (12 जून 2021 से) श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबंध निदेशक (13 सितंबर 2022 तक) श्री. प्रसून - मुख्य वित्तीय अधिकारी (16 सितंबर 2021 से) सुश्री प्रियंका शर्मा - कंपनी सचिव (16 सितंबर 2021 से) श्री मुकेश कुमार बंसल (02 फरवरी 2023 से) श्री कार्तिकेय मिश्रा (02 फरवरी 2023 से) प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन (30 अक्टूबर 2017 से) प्रो. अरविंद सहाय (30 अक्टूबर 2017 से) श्री सुरेंद्र बेहरा (09 नवंबर 2022 से) श्री अरविन्द कुमार जैन (09 नवम्बर 2022 से) डा. भूषण कुमार सिन्हा (06 जनवरी 23 तक) सुश्री आनन्दिता सिन्हारे (06 जनवरी 2023 तक)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

एक ही सरकार के नियंत्रण में कम्पनियां

समूह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार कम्पनियां, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण है अथवा संयुक्त नियंत्रण है अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, तब रिपोर्टिंग कम्पनी और अन्य कम्पनियों को सम्बद्ध पक्षकार के रूप में माना जाएगा। समूह ने सरकार से सम्बद्ध कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए है।

ii. तुलनपत्र की तारीख को वर्ष के दौरान सम्बद्ध पक्षकारों से प्राप्य और उन्हें देय शेष लेन-देन:

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. सहयोगी कम्पनियां			
किटको	(i) बैठने का शुल्क प्राप्त	0.01	-
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट	(i) सीएसआर क्रियाकलापों हेतु अंशदान	-	-
	(ii) आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय है	-	-
ख. एक ही सरकार के नियंत्रण वाली कम्पनियां			
सीईजीएसएससी, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन -एससी/एसटी के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड	0.38	0.05
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	कमीशन-एमसिप्स	5.05	3.86
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स	3.19	2.00
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	एजेंसी शुल्क एसपीईसीएस	1.98	3.75
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स	1.39	1.66
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस	2.20	2.00
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स पार्क्स	1.90	1.90
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस पार्क्स	0.76	0.76
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	अनुवर्तन एजेंसी शुल्क	3.39	7.80
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - आईटी - हार्डवेयर	0.55	3.50
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई व्हाइट गुड्स	3.00	1.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई ऑटो योजना	2.00	4.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई एसीसी योजना	1.10	0.20
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई टेक्सटाइल	5.58	0.42
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - सेमीकंडक्टर फैब्स योजना	3.25	-
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - फैब्स योजना प्रदर्शित करें	1.00	-
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - कंपाउंड सेमीकंडक्टर/एटीएमपी/ओएसएटी योजना	1.38	-
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)	योजना प्रबन्धन शुल्क - ड्रोन और ड्रोन घटक	1.40	-
भारी उद्योग मंत्रालय	योजना प्रबन्धन शुल्क - प्रसिद्धि II	4.22	-
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई खिलौने	1.00	-
एसडीएफ, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन - चीनी विकास निधि	9.64	9.15
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	प्राप्त सलाहकारी एवं मूल्यांकन शुल्क	0.06	0.06
केन्द्र सरकार	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय	33.13	33.13
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	किराए से आय	3.37	1.69
केनरा बैंक	किराए से आय	0.41	0.39
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	किराए से आय	3.44	2.21

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी रखें)

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्ति			
अल्पावधि कर्मचारी लाभ		5.92	6.08
नियोजन के बाद परिभाषित लाभ		-	0.29
क्षतिपूरित अनुपस्थिति		0.08	0.33
शेयर आधारित भुगतान		-	0.19
सेवा समाप्ति लाभ		0.02	-
बैठक में भाग लेने का शुल्क		0.20	0.27

निबंधन एवं शर्तें

इन सम्बद्ध पक्षकारों से सभी संव्यवहारों के मूल्य आर्म्स लेंग्थ आधार पर है

51 पट्टे

क. पट्टेदार के रूप में पट्टा

पट्टे विशेष तौर पर 11 माह की अवधि के लिए होते हें, जिसमें उस अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतानों को बाजार किरायों को दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर बातचीत के द्वारा पुनः निर्धारित किए जाते है।

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i. आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अन्त में रद्द किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:		
(क) एक वर्ष के बाद नही	**0.23**	0.29
(ख) एक वर्ष के बाद, परन्तु पांच वर्ष के बाद नही	**-**	-
(ग) पांच वर्ष के बाद	**-**	-
ii. लाभ अथवा हानि में प्रभारित राशि	**6.04**	9.38

ख. पट्टादाता के रूप में पट्टे

समूह अपने भवन को (निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत) परिचालन पट्टा आधार पर देता है। पट्टे सामान्य तौर पर 11 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए होते है, जिसमें उस अवधि के बाद इसे नवीकृत किए जाने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतान को बाजार किराए दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर इसके लिए पुनः बातचीत की जाती है।

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i. आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अन्त में, रद्द न किए जा सकने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:		
(क) एक वर्ष के बाद नही	**36.22**	33.09
(ख) एक वर्ष के बाद परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	**69.97**	39.00
(ग) पांच वर्ष के बाद	**22.17**	12.19
ii. लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां	**38.28**	35.74

52 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

			यूनिट	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
i	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ का संगणन			
		लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	करोड़ रुपए में	**(207.80)**	(1,831.34)
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ	करोड़ रुपए में	**(207.80)**	(1,831.34)
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	**2,19,59,28,107**	2,10,29,91,305
ii	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ का संगणन (संभावित शेयरधारकों सहित)			
		लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	करोड़ रुपए में	**(207.80)**	(1,831.34)
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ (संभावित शेयरधारकों सहित)	करोड़ रुपए में	**(207.80)**	(1,831.34)
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	**2,19,59,28,107**	2,10,29,91,305
		प्रति शेयर अर्जन (भारित औसत)			
		बेसिक	रुपए	**(0.95)**	(8.71)
		डायल्युटिड	रुपए	**(0.95)**	(8.71)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

53 परिचालन खण्ड

बोर्ड की मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में परिभाषित है। समूह के परिचालन खण्ड समूह के संघटकों के अनुरूप इस प्रकार स्थापित है कि इनका मूल्यांकन भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में दी गई परिभाषा के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। समूह मुख्यतया वित्तपोषण का कार्य करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार कोई अलग उल्लेखनीय खण्ड नही है।

क. उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना:

समूह केवल एक उत्पाद में कार्य करता है अर्थात कारपोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। अत: पृथक प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना:

समूह की सम्पूर्ण बिक्री उन ग्राहकों के लिए की जाती है, जो भारत में रहते है। समूह की परिसम्पत्तियां भी भारत में स्थित है।

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना (बाहरी ग्राहकों से):

समूह को ग्राहकों से राजस्व प्राप्त नही होता, जो कि समूह के 10% अथवा अधिक राजस्व को दर्शाता हो।

54 वित्तीय परिसम्पत्तियों का अन्तरण

सामान्य कार्य प्रक्रिया में, समूह ऐसे लेन देन करता है जो ग्राहकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के अन्तरण से होता है। टिप्पणी 2 में परिभाषित लेखांकन नीति के अनुसार अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी परिपूर्णता में अथवा समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में मान्य किया जाता है अथवा उनकी परिपूर्णता में अमान्य किया जाता है।

समूह उन वित्तीय परिसम्पत्तियों को अन्तरित करता है जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य नही है, जिन्हें मुख्यतया परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री के जरिए किया जाता है।

क. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें उनकी परिपूर्णता में अमान्य नहीं किया गया है

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री ऐसा लेनदेन है, जिनमें समूह ऋण एवं अग्रिमों को गैर असमेकित विशेष इकाई को बेचती है और साथ ही साथ उक्त इकाई द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अधिकांश भाग को खरीदती है। प्रतिभूति प्राप्तियां इकाई द्वारा खरीदे गए ऋणों द्वारा संपार्श्विकीकृत होती है और इसलिए प्रतिभूति प्राप्तियों का नकद प्रवाह खरीदे गए ऋणों की वसूली पर निर्भर करता है।

समूह अपनी सम्पूर्णता में ऋणों के उस भाग को निरन्तर मान्यता देता है, जिसके संबंध में प्रतिभूति प्राप्तियों का समूह द्वारा अभिदान किया गया है क्योंकि यह अन्तरित ऋण के उस भाग के संदर्भ में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूर्ण रूप में धारित रखता है। अन्तरित ऋण के भाग, जिसके लिए नकद प्रतिफल प्राप्त होता है, को अमान्य किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी एक ऐसी अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्ति जिसे पूरी तरह से अमान्य नही किया गया है, की वास्तविक राशि एवं उचित मूल्यों को और उससे जुड़ी देयताओं को दर्शाती है।

	वास्तविक राशि		उचित मूल्य		
	परिसम्पत्तियां–ऋण	देयताएं–उधार	परिसम्पत्तियां–ऋण	देयताएं–उधार	निवल स्थिति
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों(एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री					
31 मार्च, 2023 को	**61.30**	**-**	**217.40**	**-**	**217.40**
31 मार्च, 2022 को	74.95	-	176.73	-	176.73

ख. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें पूरी तरह से अमान्य किया गया है।

परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

समूह ने अमान्य करने की छूट ली है और उनकी सम्पूर्णता में ऋणों को अमान्य किया है जिसके संबंध में प्रतिभूति प्राप्तियों को समूह द्वारा अभिदत्त किया गया है। समूह ने लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर बाद में मूल्यांकित प्रतिभूति प्राप्तियों में उक्त निवेश को वर्गीकृत किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 86.42 करोड़ रू. (2021-22 में 46.21 करोड़ रू.) का उचित मूल्य लाभ/(हानि) पहचाना है। 31 मार्च 2023 को सुरक्षा प्राप्तियों पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) 41.80 करोड़ रू. है (31 मार्च 2022 - शून्य)

निम्नलिखित सारणी, उन परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को दर्शाती है, जो समूह की पूरी तरह से अमान्य व अन्तरित की गई परिसम्पत्तियों के साथ निरन्तर जुड़ाव को प्रदर्शित करती है।

	वास्तविक राशि	उचित मूल्य	
	परिसम्पत्तियां–प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	परिसम्पत्तियां–प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	देयताएं
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री			
31 मार्च, 2023 को	**118.60**	**118.60**	**-**
31 मार्च, 2022 को	414.55	414.55	-

एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में इसकी निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता से हानि के कारण कम्पनी के अधिकतम जोखिम को दर्शाने वाली राशि उनकी वास्तविक राशि है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

55 वित्तीय प्रलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. श्रेणी के तहत वित्तीय प्रलेख

निम्नलिखित सारणी वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की वास्तविक राशि एवं उचित मूल्यों को दर्शाती है।

	31 मार्च, 2023 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	**1,036.77**
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	**2,720.15**
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	**14.83**
प्राप्य राशियां	-	-	**239.05**
ऋण	-	-	**1,907.98**
निवेश	**1,007.71**	**6,473.37**	**219.00**
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	**786.06**
	1,007.71	**6,473.37**	**6,923.83**
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख			-
ट्रेड देयताएं	-	-	**275.02**
अन्य देयताएं	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	**4,733.59**
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	**511.55**
अधीनस्थ देयताएं	-	-	**774.67**
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	**3,756.33**
	-	-	**10,051.16**

	31 मार्च, 2022 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	966.30
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	1,328.15
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख		-	2.02
प्राप्य राशियां	-	-	242.57
ऋण	-	-	2,623.48
निवेश	1,042.62	5,430.89	67.39
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	734.77
	1,042.62	5,430.89	5,964.68
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख			-
ट्रेड देयताएं	-	-	390.87
अन्य देयताएं	-	-	2.23
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	5,095.43
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	1,025.02
अधीनस्थ देयताएं	-	-	974.66
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	2,752.23
	-	-	10,240.44

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. मूल्यांकन ढांचा

संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय सूचना के प्रयोजनार्थ तिमाही सूचना अवधि के लिए या तो बाहरी रूप से या फिर आन्तरिक रूप से अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट नियंत्रणों में उल्लेखनीय मूल्यनिर्धारण का सत्यापन, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय इनपुटों की पुनरीक्षा और मूल्यांकन समायोज शामिल है।

समूह निम्नलिखित उचित मूल्य अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उचित मूल्यों का मूल्यांकन करता है, जो मूल्यांकन करने में प्रयोग किए गए इनपुट्स के महत्व को दर्शाता है।

लेवल 1: इनपुट, जो एक जैसी परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार मूल्य (असमायोजित) होते है।

लेवल 2: वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्य, जिनकी सक्रिय बाजार में ट्रेडिंग नहीं की जाती, का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेखनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती है जैसे कि वित्तीय प्रलेखों की पर्याप्त पूर्ण अवधि के लिए सक्रिय बाजारों में एक जैसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का उद्धृत मूल्य, परन्तु लेवल-1 इनपुट के रूप में मान्य नही है। यदि उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट, जिसमें प्रलेख महत्वपूर्ण हो, प्रलेख को लेवल-2 में शामिल किया जाता है।

लेवल 3: यदि एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित नही होता है, तो प्रलेखों को लेवल-3 में शामिल किया जाता है। अर्थात लेवल-3 इनपुट में उस जोखिम को वहन करने की दिशा में बाजार भागीदारों द्वारा अपेक्षित जोखिम और जोखिम प्रीमियम के बारे में बाजार भागीदारों के पूर्वानुमान शामिल है। यह परिस्थितियों में उपलब्ध उत्कृष्ट जानकारी के आधार पर लेवल-3 इनपुट तैयार करता है।

मूल्यांकन तकनीकों का उद्देश्य उस उचित मूल्य मूल्यांकन को प्राप्त करना है, जो ऐसे मूल्य को दर्शाता है, जो परिसम्पत्ति के बेचने पर प्राप्त होगा, अथवा मूल्यांकन की तारीख को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा।

तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मूल्यांकित, वित्तीय प्रलेखों के साथ-साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण पर्यवेक्षित इनपुट्स के लिए लेवल-2 और लेवल-3 उचित मूल्यों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीको को दर्शाया जाता है।

उचित मूल्य अनुक्रम

यह भाग वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए आकलनों एवं अनुमानों को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार है:

(क) उचित मूल्य पर मान्य और मूल्यांकित तथा

(ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकित और जिनके लिए वित्तीय प्रलेखों में उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता है।

उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए समूह ने अपने वित्तीय प्रलेखों को लेखांकन मानक के अधीन परिभाषित तीन स्तरों में वर्गीकरण किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया है।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं-आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2023 को	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	14.83		14.83
निवेश	194.38	228.31	7,277.38	7,700.07
	194.38	243.14	7,277.38	7,714.90
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख				-
	-	-	-	-

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2023 को	परिशोधित लागत	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,907.98			1,907.98	1,907.98
	1,907.98	-	-	1,907.98	1,907.98
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	4,733.59			4,733.59	4,733.59
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	511.55		511.55		511.55
अधीनस्थ देयताएं	774.67			774.67	774.67
	6,019.81	-	511.55	5,508.26	6,019.81

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2022 को	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख		-		-
निवेश	781.19	305.02	5,454.69	6,540.90
	781.19	305.02	5,454.69	6,540.90
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख				-
	-	-	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2022 को	परिशोधित लागत	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	2,623.48			2,623.48	2,623.48
	2,623.48	-	-	2,623.48	2,623.48
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	5,095.43			5,095.43	5,095.43
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,025.02		1,025.02		1,025.02
अधीनस्थ देयताएं	974.66			974.66	974.66
	7,095.11	-	1,025.02	6,070.09	7,095.11

वास्तविक मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख

तुलनपत्र पर कुछेक वित्तीय प्रलेखो का वास्तविक मूल्य उनके उचित मूल्य पर अनुमानित होते है। इन वित्तीय प्रलेखों में हस्तगत नकदी, अन्य बैंकों में शेष ट्रेड से प्राप्य, ट्रेड देयताएं तथा कुछेक अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं शामिल है। वास्तविक मूल्यों को इन वित्तीय प्रलेखों के संबंध में अनुमानित उचित मूल्यों हेतु स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे अल्प अवधि स्वरूप के होते है और उनकी अभिलेखबद्ध राशियां अनुमानित उचित मूल्य की होती है अथवा मांग पर प्राप्य एवं देय होती है।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख और परिशोधित लागत पर निष्पन्न वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य

स्वरूप	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण पर्यवेक्षीय इनपुट
अनुद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियां	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति / छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/छूट दर
अधिमान शेयर	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति/ छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/छूट दर
ऋण	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
ऋण प्रतिभूतियां	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
अधीनस्थ देयताएं	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें

ii) लेवल-3 उचित मूल्य

लेवल-3 उचित मूल्यों का लेखामिलान

निम्नलिखित सारणी, लेवल-3 उचित मूल्यों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखामिलान को दर्शाती है:

विवरण	अधिमान शेयरों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनुद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश
31 मार्च 2022 को शेष	4.86	-	5,449.83
कुल लाभ अथवा हानियां:	-	-	-
- लाभ अथवा हानि में	-	-	1,719.24
- ओसीआई में	-	-	-
खरीद	-	-	-
निपटान	(0.91)	-	104.36
लेवल - 3 में अन्तरित	-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष	**3.95**	**-**	**7,273.43**

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया जाता है:

विवरण	अधिमान शेयरों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनुद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश
लाभ अथवा हानि में स्वीकृत कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	1,719.24
अन्य राजस्व			
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) - उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	-	-
लाभ अथवा हानि-वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन:			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	0.91	-	1,614.88

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	अधिमान शेयरों में निवेश	अनुद्धृत इक्विटी प्रलेख में निवेश
31 मार्च, 2021 को शेष	4.87	3,133.06
कुल लाभ अथवा हानियां:	-	-
- लाभ अथवा हानि में	-	2,276.29
- ओसीआई में	-	
खरीद	-	
निपटान	(0.01)	40.48
31 मार्च, 2022 को शेष	4.86	5,449.83

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

विवरण	अधिमान शेयरों में निवेश	अनुद्धृत इक्विटी प्रलेख में निवेश
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:		
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	2,276.29
अन्य राजस्व		
लाभ अथवा हानि-वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताआ से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन:		
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	0.01	2,235.81

56 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह के क्रियाकलाप मुख्यतया मौजूदा प्रबंधन समिति के प्रबंधन हेतु क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के अधीन होते है। समिति का कार्य इन जोखिमों की पहचान करना, मॉनीटर करना, व्यवस्थित करना तथा इन जोखिमों में कमी लाना है, समूह यह भी सुनिश्चित करता है कि यह आन्तरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन हो, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करता है और पर्याप्त ऋण प्रलेखन का रखरखाव करता है।

अपने उधार क्रियाकलाप के संबंध में समूह ने जोखिमों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध लगाए है। इसमें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित अन्तराल पर तथा तदर्थ आधार पर विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जाती है और ये वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे जोखिम मॉनीटरिंग में मदद मिलती है। समूह ने किसी उल्लंघन के मामले में जोखिमों को कम करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई है।

क. जोखिम प्रबंधन ढांचा

जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना एवं निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी समूह के निदेशक बोर्ड की है। निदेशक बोर्ड ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) बनाई है, जो समूह की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालकों की जोखिम एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) द्वारा निरीक्षण कार्य में आरएएलएमसीडी की सहायता की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित पुनरीक्षा करता है, जिसके परिणामों की सूचना मासिक आधार पर आरएएलएमसीई को दी जाती है।

ख. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, ऋणों एवं अग्रिमों, नकदी एवं नकदी समकक्षों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जमा और किसी अन्य वित्तीय परिसम्पतियों से उत्पन्न होते है।

क्रेडिट जोखिम, समूह को वित्तीय हानि का जोखिम होता है, यदि कोई ग्राहक अथवा वित्तीय प्रलेखों का प्रतिपक्षकार संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है और मुख्यतया ग्राहकों को समूह के ऋणों एवं अग्रिमों से, ग्राहकों से व्यापार प्राप्यों से, ऋण प्रतिभूतियों में ऋणों एवं निवेशों से उत्पन्न होते है।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

समूह की क्रेडिट जोखिम की संभावना मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक/देनदार की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होती है। तथापि, प्रबंधन उन कारकों पर भी विचार करता है, जो इसके ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते है, जिसमें उद्योग से संबद्ध चूक जोखिम, व्यवसाय विशिष्ट जोखिम, प्रबंधन जोखिम, पारगमन विशिष्ट जोखिम और परियोजना से संबंधित जोखिम शामिल है।

वित्तीय परिसम्पति को ''क्रेडिट क्षति'' समझा जाता है, जब एक अथवा एक से अधिक घटनाक्रम, जिनका वित्तीय परिसम्पति के अनुमानित आगामी नकद प्रवाह पर निर्धारणीय प्रभाव हो, घटित होता है। साक्ष्य, जिनसे प्रतीत हो कि एक वित्तीय परिसम्पति क्रेडिट क्षतिग्रस्त है, में निम्न उल्लेखनीय आंकड़े शामिल होते है:

- निर्गमकर्ता अन्यथा ऋणी की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई।
- संविदा का उल्लंघन, जैसे कि चूक।
- ऋणी को कर्ज देने वाला, ऋणी की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक एवं संविदात्मक कारणों के लिए जिसमें ऋणी को रियायत दी गई हो कि कर्ज देने वाला अन्यथा विचार नहीं करेगा।
- यह संभव हो रहा है कि ऋणी दिवालिया होगा या फिर अन्य वित्तीय पुनर्गठन करेगा।
- सक्रिय बाजार का वित्तीय कठिनाईयों के कारण उस वित्तीय परिसम्पति के जरिए विलुप्त होना।
- भारी छूट पर वित्तीय परिसम्पति की खरीद अथवा तैयार करना जो उपगत क्रेडिट हानि को दर्शाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

जोखिम प्रबंधन समिति ने एक क्रेडिट नीति बनाई है, जिसके तहत प्रत्येक नये ग्राहक की समूह के मानक भुगतान से पहले और प्रदायगी शर्तों एवं निबंधनों के प्रस्ताव से पहले क्रेडिट साख के संबंध में व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता है। समूह की पुनरीक्षा में न्यूनतम अनंतिम आन्तरिक रेटिंग, बाहरी रेटिंग, शामिल है, यदि वे उपलब्ध हो, पृष्ठभूमि सत्यापन, वित्तीय विवरण, आयकर विवरणी, क्रेडिट एजेंसी सूचना, उद्योग सूचना आदि शामिल है। प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित की गई है और समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक हो, इसमें आशोधन किए जाते है। परिभाषित सीमा से अधिक के किसी भी ऋण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है।

(ख) चूक की संभावना (पीडी)

चूक की संभावना (पीडी) उस संभावना को दर्शाती है जिसमें ऋणी भविष्य में अपनी देयताओं में चूक करेगा। भारतीय लेखांकन मानक 109 में ऋणी के स्टेज आबंटन के आधार पर 12 माह की अवधि एवं जीवनकालिक अवधि के लिए पृथक चूक संभावना का प्रयोग करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के लिए प्रयुक्त चूक संभावना में संस्थान के भावी राय को दर्शाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए (अर्थात इसमें कोई संरक्षणवाद अथवा आशावाद शामिल नहीं होना चाहिए)।

संस्थान की चूक की ऐतिहासिक संभावना तक पहुँचने के लिए आईएफसीआई द्वारा आन्तरिक आब्लाइजर रेटिंग का उपयोग करते हुए पारगमन मैट्रिक एपरोच का उपयोग किया गया है।

(ग) चूक की परिभाषा

चूक को भारतीय लेखाकंन मानक में परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी संस्था ऐसी त्रुटिपूर्ण परिभाषा का प्रयोग करेगी जो उसकी आन्तरिक क्रडिट जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के अनुरूप हो और जिसे जब भी उपयुक्त हो गुणात्मक संकेतक माना जाए। यदि किसी ऋण को चूकग्रस्त माना जाता है और इसलिए उसे निम्नलिखित मामलों में ईसीएल परिकलनों के लिए स्टेज-3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त) माना जाएगा:

- ऋणी के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंग्स का सीआर-9 अथवा सीआर-10 तक ह्रास होने पर (मूल रेटिंग एवं वर्तमान रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- परिसम्पत्ति को आरबीआई के विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर।
- ऋण मूल्य में क्षति होने के बाद परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना किए जाने पर।
- 90 दिन से अधिक अवधि तक देय परिसम्पत्तियों पर।

(घ) चूक पर प्रकटन (ईएडी)

चूक पर प्रकटन (ईएडी) वित्तीय प्रलेखों की सकल वास्तविक राशि को दर्शाता है जो क्षति परिकलन के अधीन है।

(ङ) चूक से हुई क्षति (एलजीडी)

चूक से हुई क्षति के लेन-देन से उत्पन्न क्षति का अनुमान है। चूक से हुई क्षति का एलजीडी संघटक परिसम्पत्ति गुणवत्ता के मुक्त विरूपण है और इस प्रकार विभिन्न स्टेजों के संबंध में यह एक समान रूप में लागू होता है। ऋण पोर्टफोलियों के संबंध में एनपीए खातों को, जो पिछले 7 वर्षों में उत्पन्न हुए है, और जिन्हें 5 वर्ष से अधिक अवधि वाले एनपीए खातों के साथ बंद कर दिया गया है, (बन्द रूप में स्वीकृत), को चूक से हुई क्षति के परिकलन के लिए ध्यान में रखा गया है।

(च) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि

प्रत्येक सूचना तारीख को कम्पनी यह पता लगाएगी कि किसी वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह निर्धारण करते समय कम्पनी प्रत्याशित क्रेडिट क्षति की राशि में परिवर्तन की बजाय वित्तीय प्रलेख की अनुमानित अवधि पर हुई चूक के जोखिम में परिवर्तन का प्रयोग करेगी। यह निर्धारण करने के लिए कम्पनी सूचना तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम की तुलना आरंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम से करेगी और उचित एवं समर्थनीय सूचना को ध्यान में रखेगी, जो अनुचित लागत अथवा प्रयास के बिना उपलब्ध है, जो आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि का द्योतक है। चूंकि वित्तीय प्रलेख को सूचना की तारीख पर ऋण जोखिम कम निर्धारित किया जाना है, अत: कम्पनी यह मान लेती है कि वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हुई है।

ऋणों एवं अग्रिमों के लिए एसआईसीआर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा गया है:

- 3 रेटिंग ग्रेडों तक ऋणियों के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंगों का कम हो जाना (मूल रेटिंग एवं चालू रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- निवेश ग्रेड से उप-निवेश ग्रेड में ऋणियों की रेटिंग का कम हो जाना;
- ऋण मूल्य में क्षति के बगैर परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना पर।
- 60 दिन से अधिक अतिदेय परिसम्पत्तियों पर।

(छ) अनुमानित क्रेडिट हानियों हेतु प्रावधान

निम्नलिखित सारणी स्तर-1, 2 और 3 में ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिमों, ऋण प्रतिबद्धताओं, वित्तीय गारण्टियों, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पतियों की अतिदेय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**79.36**	-	-	-	**79.36**
ग्रेड 7-8 : उच्च जोखिम	-	**100.46**	-	-	**100.46**
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	**4,490.79**	-	**4,490.79**
अन्य	**14.87**	-	**369.65**	-	**384.52**
	94.23	**100.46**	**4,860.44**	-	**5,055.13**
हानि भत्ता	**(7.07)**	**(17.62)**	**(3,806.37)**	-	(3,831.06)
वास्तविक मूल्य	**87.16**	**82.84**	**1,054.07**	-	**1,224.07**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम – ग्रीनफील्ड					
रेटिंग – 1 से 6	**209.32**	**-**	**-**	**-**	**209.32**
रेटिंग – 7 से 8	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
रेटिंग – 9 से 10	**-**	**-**	**1,561.74**	**-**	**1,561.74**
	209.32	**-**	**1,561.74**	**-**	**1,771.06**
हानि भत्ता	**(11.92)**	**-**	**(1,122.34)**	-	**(1,191.20)**
वास्तविक मूल्य	**197.40**	**-**	**439.40**	**-**	**579.86**

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	30.81	-	30.81
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	4.07	0.20	4.27
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	2.41	0.12	2.53
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.03	0.05	1.08
3 वर्ष से अधिक	-	1.50	1.50
अन्य	-	-	-
	38.32	1.87	40.19
हानि भत्ता	-	(1.87)	(1.87)
वास्तविक मूल्य	**38.32**	**-**	**38.32**

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	33.15	-	33.15
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.67	-	0.67
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.01	-	0.01
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	0.04	0.04	0.08
3 वर्ष से अधिक	-	70.33	70.33
अन्य	-	-	-
	33.87	70.37	104.24
हानि भत्ता	-	(70.37)	(70.37)
वास्तविक मूल्य	**33.87**	**-**	**33.87**

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	जोड़
बीबीबी– से एएए	23.59	-	-	23.59
बीबी– से बीबी+	-	-	-	-
बी– से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	0.00	-
	23.59	-	-	23.59
हानि भत्ता	(0.02)	-	-	(0.02)
परिशोधित लागत	**23.57**	**-**	**-**	**23.57**
उचित मूल्य	**20.68**			**20.68**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज-1	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	**पीओसीआई**	**जोड़**
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**5.71**	**-**	**-**	**-**	**5.71**
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	**7.57**	**-**	**-**	**-**	**7.57**
ग्रेड 9-10 : हानि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	13.28	**-**	**-**	**-**	**13.28**
हानि भत्ता	**(0.59)**	**-**	**-**	**-**	**(0.59)**
वास्तविक मूल्य	**12.69**	**-**	**-**	**-**	**12.69**
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग्रेड 9-10 : हानि	**45.81**	**-**	**-**	**-**	**45.81**
	45.81	**-**	**-**	**-**	**45.81**
हानि भत्ता	**(31.16)**	**-**	**-**	**-**	**(31.16)**
वास्तविक मूल्य	**14.65**	**-**	**-**	**-**	**14.65**

	31 मार्च, 2022 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	131.17	-	-	-	131.17
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	220.50	-	-	220.50
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	5,101.47	-	5,101.47
अन्य	127.35	1.26	561.61	-	690.22
	258.51	221.76	5,663.08	-	6,143.35
हानि भत्ता	(8.89)	(39.75)	(4,166.79)	-	(4,215.43)
वास्तविक मूल्य	249.62	182.01	1,496.29	-	1,927.92

	31 मार्च, 2022 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड					
रेटिंग - 1 से 6	35.00	-	-	-	35.00
रेटिंग - 7 से 8	-	184.81	-	-	184.81
रेटिंग - 9 से 10	-	-	1,666.96	-	1,666.96
	35.00	184.81	1,666.96	-	1,886.76
हानि भत्ता	(0.78)	(70.55)	(1,119.87)	-	(1,191.20)
वास्तविक मूल्य	34.22	114.26	547.08	-	695.56

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	**क्रेडिट क्षतिग्रस्त**	**जोड़**
6 माह से कम	195.97	2.15	198.12
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	19.94	0.66	20.60
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	13.17	15.14	28.31
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	4.45	5.12	9.57
3 वर्ष से अधिक	9.04	13.48	22.52
अन्य	-	-	-
	242.57	36.55	279.12
हानि भत्ता	-	(36.55)	(36.55)
वास्तविक मूल्य	**242.57**	**-**	**242.57**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	49.58	-	49.58
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	0.01	-	0.01
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.05	-	0.05
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	0.30	0.01	0.31
3 वर्ष से अधिक	-	70.39	70.39
अन्य	288.14	406.27	694.41
	338.07	476.68	814.75
हानि भत्ता	-	(79.98)	(79.98)
वास्तविक मूल्य	**338.07**	**396.70**	**734.77**

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियां में निवेश

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
बीबीबी- से एएए	631.93	-	-	631.93
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	0.00	-
	631.93	-	-	631.93
हानि भत्ता	(0.10)	-	-	(0.10)
परिशोधित लागत	**631.83**	**-**	**-**	**631.83**
उचित मूल्य	**627.09**	**-**	**-**	**627.09**

	31 मार्च, 2022 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं और वित्तीय गारंटी अनुबंध - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	7.57	-	-	-	7.57
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	-	-	-
	13.28	-	-	-	13.28
हानि भत्ता	(1.01)	-	-	-	(1.01)
वास्तविक मूल्य	12.26	-	-	-	12.26
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	17.15	-	-	-	17.15
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	45.81	-	-	-	45.81
	62.96	-	-	-	62.96
हानि भत्ता	(31.16)	-	-	-	(31.16)
वास्तविक मूल्य	31.80	-	-	-	31.80

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(झ) ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में क्षति संबंधी भत्ते में उतार-चढ़ाव:

वित्त संबंधी परिसम्पत्तियों, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति के लिए भत्ते में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम

हानि भत्ते का लेखामिलान		जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही हुई	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	जोड़
01 अप्रैल, 2021 को हानि भत्ता	**40.05**	**217.51**	**5,154.98**	**5,412.54**
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	(0.78)	0.78	-	0.00
स्टेज-3 में अन्तरण	-	28.08	28.09	56.17
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	3.22	(162.50)	437.53	278.25
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(2.44)	(44.12)	(327.45)	(374.01)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	(1,126.35)	(1,126.35)
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को हानि भत्ता	**40.05**	**39.75**	**4,166.79**	**4,246.59**
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	(9.79)	(9.79)
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	0.98	(6.41)	199.65	194.22
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(0.32)	(15.70)	(172.39)	(188.41)
बट्टे खाते डालना	-	-	(263.56)	(263.56)
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	(1.22)	(1.22)
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	**40.71**	**17.64**	**3,919.48**	**3,977.83**

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम – ग्रीनफील्ड

हानि भत्ते का लेखामिलान		जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही हुई	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	जोड़
01 अप्रैल, 2021 को हानि भत्ता	**16.21**	**0.00**	**1,261.27**	**1,277.48**
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	(2.55)	2.55	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(4.18)	68.00	250.68	314.50
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(7.69)	-	(129.59)	(137.29)
बट्टे खाते डाले गए			(262.48)	(262.48)
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को हानि भत्ता	**1.80**	**70.55**	**1,119.87**	**1,192.22**
स्टेज-1 में अन्तरण	10.92	(70.55)	-	(59.63)
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.78)	0.00	13.52	12.74
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(11.05)	(11.05)
बट्टे खाते डालना			-	-
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	**11.94**	**(0.00)**	**1,122.34**	**1,134.28**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए परिशोधन लागत पर मापे गए ऋणों और अग्रिमों पर बकाया संविदात्मक राशि अभी भी प्रवर्तन गतिविधि के अधीन है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

हानि भत्ते का लेखामिलान	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता			
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही हुई	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	जोड़
01 अप्रैल, 2021 को हानि भत्ता	**0.09**	**-**	50.02	**50.11**
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	0.01	-	-	0.01
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(50.02)	(50.02)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को हानि भत्ता	**0.10**	**-**	**0.00**	**0.11**
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.03)	-	-	**(0.03)**
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	**0.07**	**-**	**0.00**	**0.08**

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड के मामले में, एनबीएफसी में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन के संबंध में, आरबीआई अधिसूचना संख्या ''डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च 2020 की अपेक्षानुसार कम्पनी ने इंड एएस 109 के तहत हानि भत्ते और आरबीआई प्रूडेंशियल (आईआरएसीपी) मानदंड (मानक संपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान के बीच अंतर को विनियोजित किया है। तदनुसार 105.03 करोड़ रु. की राशि को ''क्षति संचय'' में हस्तांतरित किया गया है।

(झ) धारित संपार्श्विक प्रतिभूति एवं अन्य क्रेडिट संवर्धन

संपार्श्विक प्रतिभूति प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण के लिए ली गई संपार्श्विक प्रतिभूति, ऋण के मूल्य के संबंध में पर्याप्त नहीं हो सकता। सभी ऋणियों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऋण प्रतिभूत है, कम्पनी की आन्तरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। उपर बताए गए संपार्श्विक प्रतिभूति के अतिरिक्त, कम्पनी अन्य प्रकार के संपार्श्विक भी धारित करती है कि जैसे की द्वितीय प्रभार और प्लवमान प्रभार, जिसके लिए विशेष मूल्य सामान्यत: उपलब्ध नहीं होते। कम्पनी में विनिर्दिष्ट के श्रेणी के संपार्श्विक स्वीकार करने और क्रेडिट जोखिम कम करने की आंतरिक नीतिया है। ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संपार्श्विक के प्रकार निम्नानुसार है।

1. अचल परिसम्पित्तियों का बंधक
2. चल परिसम्पित्तियों का आडमान
3. बैंक और सरकारी गारंटियां
4. प्रलेखों को गिरवी रखना, जिनकी मार्फत प्रवर्तक का अंशदान परियोजना में दिया गया है।
5. प्रवर्तक शेयरधारिता को गिरवी रखना
6. प्रवर्तको की निगमित और व्यक्तिगत गारंटियां

(ञ) आशोधित/पुनर्संरचित ऋण

जब समूह गैर-महत्वपूर्ण समय अवधि से भिन्न अवधि के लिए ऋणी की वित्तीय मुश्किलों से संबंधित आर्थिक एवं कानूनी कारणों से छूट प्रदान करता है, तो संबंधित ऋण को कठिनाईग्रस्त पुनर्संरचित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छूटों में ब्याज दर में कटौती जो चालू बाजार दर से कम हो, भुगतान अवधि को बढ़ाना, मूलधन माफ करना, अधिकतम वसूली हेतु अभिप्रेत परिहार अथवा अन्य कार्रवाई शामिल हो सकती है। ऋण, जिसके लिए अवधि में आशोधन किया गया है, और जिसके लिए ऋणी वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है, को कठिनाईग्रस्त पुनर्संरचित ऋण माना जाता है।

जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से, परिसम्पति के एक बार रोक लेने अथवा आशोधित करने पर समूह की दबावग्रस्त परिसम्पतियों संबंधी विशेष विभाग इसके जोखिम का निरन्तर अनुवर्तन करता है जब तक कि यह पूरी तरह से और अंतिम रूप से अमान्य नहीं हो जाता है।

ऋण, जिस पर पुन: बातचीत की गई हो, को अमान्य किया जाता है, यदि मौजूदा करार को रद्द किया जाता है और नया करार पूरी तरह से भिन्न शर्तो के साथ किया जाता है या यदि मौजूदा करार की शर्तो को इस तरह आशोधित किया जाता है कि पुन: परक्रमित ऋण पूरी तरह से एक अलग प्रलेख बन जाता है।

जहां पुन: बातचीत करने पर ऐसे ऋण अमान्य नही होते तो वहां क्षति को प्रारंभिक मूल क्रेडिट जोखिम दर की तुलना मे जोखिम दर में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए निरन्तर निर्धारित किया जाता है।

इसमें आशोधित परिसम्पत्तियां नहीं थी, जिन्हें उस अवधि में छोड़ दिया गया था, और तदनुसार समूह को कोई हानि नहीं हुई थी।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ट) शासन ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार जहां मौजूदा भारिबैंक मानदण्डो के अनुसार प्रावधान भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन यथा परिकलित ईसीएल से अधिक होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के उपबन्धों के अनुसार पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधन सहित) के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम होता है तो इसकी अन्तराल राशि कर-पश्चात् निवल लाभ या हानि से एक अलग 'क्षति रिजर्व' में समायोजित किया जाएगा।

ग. नकदी जोखिम

संस्थान की देयताओं, जब भी वे देय होती है, को पूरा करने में असमर्थता की संभावना होने पर नकदी जोखिम होता है। समूह के परिप्रेक्ष्य से, यह मूल रूप से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न में असमानता से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम के विश्लेषण में संस्थान की सतत आधार पर सिर्फ नकदी स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नही होता बल्कि इस बात की जांच करना भी है कि सुखद परन्तु मुश्किल दौर में निधियन अपेक्षाएं कैसे प्रभावित हो सकती है। निवल निधिकरण अपेक्षाओं को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आगामी स्वरूप के पूर्वानुमानों के आधार पर संस्थान के भावी नकदी उपलब्धता का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें परिपक्वता लैडर सुविधा का उपयोग करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है और तब नकदी निर्धारण हेतु समय सीमा में संचयी निवल उपलब्धता को परिकलित किया जाता है।

वर्तमान में, निवल निधिकरण अपेक्षाओं के मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु परिपक्वता लैडर तथा चुनिंदा परिपक्वता तारीखों को निधियों की संचयी अधिशेष या घाटे के परिकलन के प्रयोग को मानक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित एएलएम प्रपत्र को अलग-अलग समय बैण्ड में नकदी प्रवाह असमानता के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा रहा है। नकदी उपलब्धता को परिसम्पत्तियों देयताओं एवं ऑफ बैलेंस शीट मदों के प्रक्षेपित आगामी स्वभाव के आधार पर अलग-अलग समय अवधियो में रखा जाता है। उपरोक्त नकदी उपलब्धता के अलावा, संस्थान ऋणों की समय पूर्व अदायगियो, देयताओं को समय से पहले समाप्त करना और कुछेक प्रलेखों में दिए गए विकल्पों के प्रयोग के प्रभाव का भी पता लगाएगा, जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद पुट/काल विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नकदी, बहिर्प्रवाह को उस तारीख में परिभाषित किया जा सकता है, जिस तारीख को देयताएं देय होती है, देनदार पहले की तारीख को जल्दी समय पूर्व अदायगी करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है अथवा आरंभिक तारीख की आकस्मिकताओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।

इसके अलावा, कम्पनी निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट श्रंखलाओं का रखरखाव करती है:

- 128.30 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट सुविधा, जो प्रतिभूत है। ब्याज, 7.75% और 8.21% के बीच देय होगा।
- 130 करोड़ रुपए की सुविधा, जो अप्रतिभूत है और जिसे अल्प अवधि वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु लिया जा सकता है। ब्याज: 9.57% (भारित औसत दर) की दर पर देय होगा

नकदी जोखिम हेतु प्रकटन

सूचना की तारीख को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित है। राशियां सकल एवं छूट प्राप्त नहीं है तथा इनमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल है और नेटिंग करारों का प्रभाव शामिल नहीं है।

31 मार्च, 2023 को	संविदात्मक नकद प्रवाह						
	रखरखाव राशि	सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/ (बर्हिप्रवाह)	6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं							
उधार	**511.55**	**580.34**	**206.89**	**40.81**	**63.26**	**61.55**	**207.83**
जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां	**4,733.59**	**4,053.54**	**-**	**250.34**	**938.19**	**900.09**	**1,964.93**
अधीनस्थ देयताएं	**774.67**	**1,313.30**	**-**	**-**	**662.27**	**-**	**651.04**
डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां							
अग्रवर्ती एवं तात्कालिक	**14.83**	**14.83**	**14.83**	**-**	**-**	**-**	**-**
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां							
ऋण एवं अग्रिम	**1,907.98**	**6,326.01**	**41.61**	**25.08**	**90.34**	**87.03**	**6,081.95**
निवेश प्रतिभूतियां	**7,700.07**	**3,699.85**	**398.64**	**8.56**	**34.54**	**7.29**	**3,250.82**

31 मार्च, 2022 को	संविदात्मक नकद प्रवाह						
	रखरखाव राशि	सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/ (बर्हिप्रवाह)	6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं							
उधार	1,025.02	1,166.53	394.51	145.94	342.45	59.57	224.06
जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां	5,095.43	5,067.22	56.08	248.16	1,825.69	275.69	2,661.60
अधीनस्थ देयताएं	974.66	974.67	100.00	-	100.00	694.67	80.00
डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां							
अग्रवर्ती एवं तात्कालिक	-	-	-	-	-	-	-
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां							
ऋण एवं अग्रिम	2,623.48	7,444.16	147.82	111.50	160.99	108.97	6,914.88
निवेश प्रतिभूतियां	6,540.90	4,376.77	984.28	6.62	63.49	4.72	3,317.66

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

गैर-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां संविदात्मक नकद प्रवाह	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- 12 माह के भीतर	**638.85**	544.30
- 12 माह के बाद	**243.51**	352.33
सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	**882.36**	896.63
अन्य वित्तीय देयताएं		
- 12 माह के भीतर	**2,054.93**	1,361.52
- 12 माह के बाद	**1,126.46**	958.68
सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	**(3,181.39)**	(2,320.20)

उपरोक्त सारणी मे व्यक्त अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों हेतु धारित डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं से संबंधित संविदात्मक अछूटप्राप्त नकदी उपलब्धता को दर्शाता है और जिन्हें सामन्य तौर पर संविदा की अवधि पूरी होने से पहले समाप्त नही किया जाता है। प्रकटन उन डेरिवेटिव्स की निवल नकद प्रवाह राशियो को दर्शाता है जिनके लिए निवल नकद निपटान हो चुका है और उन डेरिवेटिव को दर्शाता है जिनका समानान्तर सकल निपटान हो चुका है, के सकल नकद अन्तर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह की राशियों को भी दर्शाता हैं।

उपरोक्त सारणी में परिवर्तनीय ब्याज दर ऋणों पर ब्याज भुगतान को सूचना की तारीख को बाजार अग्रगामी ब्याज दरों को दर्शाया गया है और इन राशियों को बाजार ब्याज दर परिवर्तन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आकस्मिक प्रतिफल एवं डेरिवेटिव प्रलेखों पर आगामी नकदी प्रवाह उपरोक्त सारणी में ब्याज दरों और विनियम दरों अथवा आकस्मिक परिवर्तन से अन्तरनिहित उपयुक्त स्थितियों से भिन्न हो सकती है। इन वित्तीय देयताओं के अलावा, यह अपेक्षित नही है कि परिपक्वता विश्लेषण में शामिल नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से पहले उत्पन्न हो सकता है, अथवा एकदम भिन्न राशियों में व्यक्त हो सकता है।

निम्न सारणी ग्रुप की आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धता की परिपक्वताओं के द्वारा संविदात्मक समापन को दर्शाती है। प्रत्येक अनाहरित ऋण प्रतिबद्धता को प्रारंभिक तारीख वाले समय अवधि में शामिल किया गया है, इसे निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है।

	मांग पर	6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
31 मार्च, 2023 को							
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	**26.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.39**
31 मार्च, 2022 को							
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	20.34	-	-	-	-	-	20.34

(घ) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें, वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाह बाजार परिवर्तनों जैसे कि ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों तथा इक्विटी मूल्यों में परिवर्तन के कारण कम-ज्यादा होगा। समूह या तो ट्रेडिंग या गैर-ट्रेडिंग पोर्टफोलियों में बाजार जोखिम का प्रकटन करता है और प्रत्येक पोर्टफोलियों के लिए अगल-अलग व्यवस्था करता है। ऐसे जोखिम, ट्रेडिंग पोर्टफोलियों के लिए बाजार जोखिम के रूप में व्यवस्थित किए जाते है और वीएआर कार्यप्रणाली, जो जोखिम परिवर्तनों के बीच अन्तर निर्भरता को दर्शाती है, के आधार पर इनका अनुवर्तन किया जाता है। गैर-ट्रेडिंग स्थितियों का व्यवस्थापन और अनुवर्तन अन्य संवेदी विश्लेषण का उपयोग कर के किया जाता है। ऐसे सभी लेन देन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अर्न्तगत किए जाते है।

क) बाजार-जोखिम - ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

वीएआर कार्यप्रणाली के उद्देश्य एवं सीमाएं

समूह पिछले पांच वर्षो से मूल डेटा के आधार पर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में संभावित परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए समरूप मॉडलों का प्रयोग करता है। वीएआर मॉडलों को सामान्य बाजार परिवेश में बाजार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया जाता है। मॉडलों में माना जाता है कि सामान्य बाजार परिवेश को प्रभावित करने वाले जोखिम कारकों में उत्पन्न कोई परिवर्तन एक सामान्य वितरण का पालन करेंगे। संवितरण को घातांकीय रूप से भारित मूल डाटा का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है। इस तथ्य के कारण कि वीएआर जानकारी प्रदान करने के लिए मूल आंकड़ों पर अधिक निर्भर करता है और यह जोखिम कारकों के भावी परिवर्तनों एवं आशोधनों का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान नही लगाता। बड़े बाजारों की संभाव्यता कम महत्व की हो सकती है, यदि जोखिम कारक में परिवर्तन सामान्य वितरण अनुमान के सदृश नही होते है।

वीएआर जोखिम कारकों पर लगाए गए पूर्वानुमानों एवं विशिष्ट प्रलेखों हेतु ऐसे कारकों के बीच संबंध के कारण कम अथवा अधिक अनुमान भी लगा सकते है। फिर भी दिन भर में स्थिति बदल सकती है, वीएआर प्रत्येक कार्य दिवस के समापन पर पोर्टफोलियो के जोखिम को दर्शाता है और किसी हानि को हिसाब में नही लेता, जो 99% विश्वासनीय स्तर से परे हो सकता है।

व्यवहार्यत: वास्तविक ट्रेडिंग परिणाम वीएआरए परिकलन से भिन्न होंगे। विशेषत: परिकलन दबावग्रस्त बाजार स्थितियां में लाभ एवं हानियों के सार्थक संकेतन प्रदान नहीं करते। वीएआर मॉडलों की विश्वसनीयता को निर्धारित करने के लिए वास्तविक परिणामो को वीएआर परिकलन में प्रयुक्त पूर्वानुमानों एवं पैरामीटरों की वैधता की जांच के लिए नियमित रूप में मॉनीटर किया जाता है।

वीएआर पूर्वानुमान

वीएआर, जिसमें समूह का मूल्यांकन 99% विश्वसनीय स्तर का प्रयोग करते हुए संभावित होने का एक अनुमान है, जिसे अधिक होने की आशा नहीं होती, यदि वर्तमान बाजार जोखिम स्थितियों को एक दिन के लिए अपरिवर्तित रखा जाना हो। 99% विश्वसनीय स्तर के प्रयोग का तात्पर्य है कि एक दिन के समस्तर के भीतर, इससे अधिक की हानियों के लिए वीएआर आंकड़े को सामान्य बाजार स्थितियों के औसत पर दिखाना चाहिए, जो एक बार में प्रत्येक सौ दिन से अधिक न हो।

चूंकि, वीएआर समूह के बाजार जोखिम प्रबंधन का अभिन्न अंग है, वीएआर सीमा को सभी ट्रेडिंग परिचालनों के लिए स्थापित किया गया है और प्रबन्धन द्वारा प्रकटनों की सीमा के प्रति हर रोज पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

ख) बाजार जोखिम - गैर-ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

(i) मुद्रा जोखिम

समूह को काफी हद तक मुद्रा जोखिम की संभावना है कि मुद्राओं, जिसमें उधार मुख्यतया मूल्यवर्गित होते है और समूह की संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं के बीच असमानता है। समूह की मुख्य कार्यात्मक मुद्रा रुपए है। मुद्रा, जिसमें ये लेनदेन मुख्य रूप से मुल्यवर्गित होते हैं, वह यूरो है।

मुद्रा जोखिम, जो समूह के यूरो बैंक ऋण की मूल राशि से संबंधित है, को प्रगामी संविदाओं का उपयोग करते हुए पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है जो उसी तारीख में परिपक्व होते है, जिस तारीख को वे ऋण चुकौती के लिए देय होते है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

सामान्य तौर पर, उधार मुद्राओं में मूल्यवर्गित होते है, जो समूह के अन्तर्निहित परिचालनों – मुख्यतया रुपए द्वारा सृजित नकदी उपलब्धता से मेल खाते है। इसके अलावा, उधारों पर ब्याज उधार की मुद्राओं में मूल्यवर्गित होता है। यह डेरिवेटिवों को निष्पादित किए बगैर आर्थिक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराता है और इसलिए, इन परिस्थितियों में प्रतिरक्षी लेखांकन का प्रयोग नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित अन्य मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में समूह की नीति यह सुनिश्चित करती है कि इसके निवल जोखिमों को अल्पकालिक असंतुलनों को दूर करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं को खरीद अथवा बेच कर स्वीकार्य स्तर पर रखा जाए।

मुद्रा जोखिम हेतु प्रकटन

मुद्रा जोखिम हेतु समूह का प्रकटन, जैसा कि प्रबंधन को उल्लेख किया गया है, के संक्षिप्त मात्रात्मक आंकड़े निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	भारतीय रुपए	यूरो	भारतीय रुपए	यूरो
उधार	**364.25**	**4.07**	372.75	4.43
मान्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में निवल प्रकटन	**364.25**	**4.07**	372.75	4.43

संवेदी विश्लेषण

31 मार्च को सभी मुद्राओं के मद्दे रुपए एवं यूरो का उचित रूप से संभावित सुदृढ़ीकरण (दुर्बलीकरण) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा और नीचे दर्शाई गई राशियों के तहत इक्विटी एवं लाभ अथवा हानि को प्रभावित करेगा। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तनों, विशेषत ब्याज दरें, स्थिर रहती है और पूर्वानुमान बिक्री एवं खरीद के किसी प्रभाव को अनदेखा करता है।

	लाभ अथवा हानि		कर घटाकर इक्विटी	
	सुदृढ़ीकरण	दुर्बलीकरण	सुदृढ़ीकरण	दुर्बलीकरण
31 मार्च, 2023	**36.43**	**(37.28)**	**23.70**	**(24.25)**
यूरो (10% घटबढ़)				
31 मार्च, 2022	37.28	(42.48)	24.25	(27.64)
यूरो (10% घटबढ़)				

(ii) ब्याज दर जोखिम

समूह बाजार दर जोखिम को कम करने के लिए प्लवमान दर देयताओं एवं प्लवमान दर परिसम्पत्तियों के अन्तराल को कम करने का प्रयास करता है। इसे अस्थायी दर पर उधारों के रूप में प्राप्त किया जाता है और समूह की प्रमुख उधार दर से जुड़ी दरों पर उधार दिया जाता है, जिसे बाद में अन्यों के बीच इसकी उधारो की लागत से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, ब्याज की बाजार दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण समूह की निवल ब्याज आय तथा समूह की इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव को समझने के लिए आवधिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज दर संवेदी विवरण को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है और विभिन्न समयावधि समुहों में अन्तराल को समझने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रकटन

समूह की ब्याज दर वाले वित्तीय प्रलेखों की ब्याज दर प्रोफाइल, जैसा कि प्रबंधन को उल्लेख किया गया है, निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
स्थिर दर वाले प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	**131.72**	267.33
वित्तीय देयताएं	**5,508.27**	6,090.19
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	**1,799.19**	2,382.59
वित्तीय देयताए	**443.09**	999.90

स्थिर दर प्रलेखों हेतु उचित मूल्य संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन का लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सूचना की तारीख को उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण यह मानता है कि अन्य सभी परिवर्तन विशेषत: विदेशी मुद्रा विनियम दरें स्थिर रहेंगी।

परिवर्तनीय दर प्रलेखों हेतु नकदी प्रवाह संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों तक इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि अथवा कमी होती। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तन, विशेषत: विदेशी मुद्रा विनियम दरें स्थिर बनी रहेंगी।

	लाभ अथवा हानि		कर घटाकर इक्विटी	
	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी
31 मार्च, 2023				
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख	**4.43**	**(4.43)**	**2.88**	**(2.88)**
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				
31 मार्च, 2022				
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख	10.00	(10.00)	6.50	(6.50)
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(iii) इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें, इक्विटियों का उचित मूल्य इक्विटी सूचकांकों के स्तर में और व्यक्तिगत स्टॉकों के बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी आती है। गैर-ट्रेडिंग इक्विटी मूल्य जोखिम प्रकटन उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों से उत्पन्न होता है। इक्विटी मूल्य जोखिम कारोबार के प्रयोजन से रखी गई प्रतिभूतियों पर अधिक प्रयोज्य होता है। चूंकि कम्पनी दीर्घ अवधि निवेशों पर बल देती है और वर्तमान निवेशों को (ट्रेडिंग प्रयोजनों हेतु धारित निवेश) निम्न स्तर रखा जाता है अत: समूह में महत्वपूर्ण इक्विटी मूल्य जोखिम की संभावना नहीं हो सकती।

57 अन्य कम्पनियां में हित

(क) सहायक कम्पनियों में हित

i. 31 मार्च, 2023 को समूह की सहायक कम्पनियों का विवरण नीचे दिया गया है। जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, उनके पास केवल इक्विटी शेयरों की शेयर पूंजी है जिसे प्रत्यक्ष रूप में समूह द्वारा रखा जाता है और स्वामित्व हित के अनुपालन को समूह द्वारा धारित मताधिकार के बराबर रखा जाता है। निगमन अथवा पंजीकरण देश भी उनके मूल कारोबार स्थान में होता है।

संस्था का नाम	निगमन देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		मुख्य क्रियाकलाप
		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2023**	31 मार्च, 2022	
प्रत्यक्ष सहायक कम्पनियां						
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. (आईवीसीएफ)	भारत	**98.59%**	98.59%	**1.41%**	1.41%	संस्थागत सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (आईआईडीएल)	भारत	**100.00%**	100.00%	**0.00%**	0.00%	इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रीयल इस्टेट क्षेत्र
आईएफसीआई फैक्टर्स लि. (आईएफएल)	भारत	**99.90%**	99.90%	**0.10%**	0.10%	फैक्टरिंग सेवाएं, संबद्ध उत्पाद, सामान्य प्रयोज्य ऋण
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि. (आईफिन)	भारत	**94.78%**	94.78%	**5.22%**	5.22%	मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय
स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एसएचसीआईएल)	भारत	**52.86%**	52.86%	**47.14%**	47.14%	कस्टोडियन एवं डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट
एमपीकॉन लि.	भारत	**79.72%**	79.72%	**20.28%**	20.28%	परामर्शी सेवाएं
स्टैप डाउन सहायक कम्पनियां						
आइफिन की सहायक कम्पनियां						
आइफिन कमोडिटीज लिमिटेड-आइफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**94.78%**	94.78%	**5.22%**	5.22%	विनिमय आधारित कमोडिटी ट्रेडिंग
आईफिन क्रेडिट लि. - आइफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**94.78%**	94.78%	**5.22%**	5.22%	कोई व्यावसायिक क्रियाकलाप नही
आइफिन सिक्युरिटीज फाइनेंस लिमिटेड-आइफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**94.78%**	94.78%	**5.22%**	5.22%	निधियों का विलयन, शेयरों तथा सम्पत्ति के प्रति ऋण एवं प्रोमोटर निधियन
आईआईडीएल की सहायक कम्पनी						
आईआईडीएल रियलटर्स प्रा. लि. - आईआईडीएल की पूर्ण स्वमित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**100.00%**	100.00%	**0.00%**	0.00%	रीयल स्टेट
एसएचसीआईएल की सहायक कम्पनी						
एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड - एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**52.86%**	52.86%	**47.14%**	47.14%	दलाली सलाहकारी सेवाएं
स्टॉकहोल्डिंग डोक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि. - एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**52.86%**	52.86%	**47.14%**	47.14%	वास्तविक अभिरक्षा सेवाएं, डिजीटाइजेशन और सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री
स्टॉकहोल्डिंग सिक्युरिटी आईएफएससी लि. - एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**52.86%**	52.86%	**47.14%**	47.14%	आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में निवेशकों को सेवा समाधान

ii. नीचे प्रत्येक सहायक कम्पनी के बारे में वित्तीय जानकारी को संक्षेप में दिया गया है, जिनके गैर-नियंत्रक हित है, जो समूह के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सहायक कम्पनी के लिए व्यक्त राशियां अन्तर कम्पनी विलोपन से पहले की है।

संक्षिप्त तुलन पत्र

विवरण	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (समेकित)		एमपीकॉन लि.	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
चालू परिसम्पतियां	**2,243.61**	1,917.18	**11.83**	8.15
चालू देयताएं	**1,637.61**	1,572.29	**4.13**	9.47
निवल चालू परिसम्पतियां	**606.00**	344.89	**7.70**	(1.32)
गैर चालू परिसम्पतियां	**6,948.80**	5,401.45	**8.87**	9.77
गैर-चालू देयताएं	**1,549.21**	1,151.62	**5.54**	-
निवल गैर-चालू परिसम्पतियां	**5,399.59**	4,249.83	**3.33**	9.77
निवल परिसम्पतियां	**6,005.58**	4,594.72	**11.03**	8.45

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (समेकित)		एमपीकॉन लि.	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
परिचालन से राजस्व	**593.99**	564.33	**178.83**	76.04
वर्ष हेतु लाभ	**184.77**	148.31	**4.41**	1.20
अन्य समग्र आय	**1,298.41**	1,789.61	**0.09**	(0.10)
कुल समग्र आय	**1,484.48**	1,937.92	**4.50**	1.10
गैर नियंत्रक ब्याज पर देय कुल समग्र आय	**699.78**	913.53	**0.91**	0.22

(ख) सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में हित

i. नीचे 31 मार्च, 2023 को समूह की सहयोगी कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे दिए गए है, निदेशकों की राय में वे समूह के लिए महत्वपूर्ण है।

संस्था का नाम	कारोबार का स्थान	स्वामित्व का %	संबंध	मूल क्रियाकलाप	लेखांकन	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
						वास्तविक मूल्य	उचित मूल्य (यदि उद्धृत हो)	वास्तविक मूल्य	उचित मूल्य (यदि उद्धृत हो)
इंस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट (आईएलडी)	भारत	शून्य	सहयोगी कम्पनी	कौशल विकास प्रदान करना	इक्विटी लेखांकन	**शून्य**	**अनुद्धृत**	शून्य	अनुद्धृत
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन	भारत	शून्य	सहयोगी कम्पनी	सीएसआर क्रियाकलापों हेतु आयकर अधिनियम के तहत न्यास	इक्विटी लेखांकन	**शून्य**	**अनुद्धृत**	शून्य	अनुद्धृत

ii. नीचे दी गई सारणी समूह की सहयोगी कम्पनियों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करती है। प्रकट की गई जानकारी सम्बन्धित सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों को दर्शाती है और ना कि इन राशियों में समूह के हिस्से को।

निम्न सहयोगी कम्पनियों के संबंध में संक्षिप्त वित्तीय जानकारी वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध नही है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जानकारी प्रबंधन के पास उपलब्ध है और नीचे पुन: दी गई है।

	इंस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट		आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
देयताएं				
निगमित निकाय निधि	1.25	1.25	0.11	0.11
अधिशेष निधि	(7.53)	(6.63)	-	-
निर्दिष्ट निधि	-	-	-	-
सामान्य निधि	-	-	2.67	2.60
आयकर की धारा 11(2) के तहत विशेष निधि	-	-	-	-
कैम्पस और चल परिसम्पतियां निधि	11.98	12.04	-	-
उपदान रिजर्व निधि	-	-	-	-
संचयी अवकाश निधि	-	-	-	-
अन्य निधियां	-	-	-	-
चालू देयता एवं प्रावधान	1.30	1.49	0.01	0.02
	7.00	8.15	2.79	2.73
परिसम्पत्तियां				
आईएफसीआई एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से निधिकृत परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
अनुदान से निधिकृत परिसम्पतियों से भिन्न परिसम्पतियां	-	-	-	-
निवेश	2.35	2.92	1.49	2.67
गैर-चालू परिसम्पतियां	2.93	3.20	-	-
चालू परिसम्पतियां, ऋण एवं अग्रिम	1.72	2.03	1.30	0.06
एमडीआई-मुर्शिदाबाद	-	-	-	-
	7.00	8.15	2.79	2.73

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

लाभ एवं हानि विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
राजस्व	1.09	1.82	0.58	1.79
कर-पश्चात् लाभ	(0.90)	(0.71)	-	0.31
अन्य समग्र आय	-	-	-	-
कुल समग्र आय	(0.90)	(0.71)	-	0.31
प्राप्त लाभांश	-	-	-	-

(ग) सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यम की सूची जो समेकित नहीं है

कम्पनी	समेकन न होने के कारण
सहयोगी कम्पनी	
अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमी पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
किटको लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
नागई पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
शिगा इनर्जी प्राइवेट लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
वडराज सीमेंट लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
संयुक्त उद्यम	
आईएफसीआई सिकामोर कैपीटल एडवाइजर प्रा. लि.	स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन

(घ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अधीन अतिरिक्त प्रकटन

संस्था का नाम	निवल परिसम्पति		लाभ अथवा हानि में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसम्पति का %	राशि (करोड़ रूपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रूपए)	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि (करोड़ रूपए)	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि (करोड़ रूपए)
मूल कम्पनी								
आईएफसीआई लि.								
31-मार्च-23	**9.39%**	**626.09**	**240.09%**	**(287.58)**	**-2.50%**	**(31.77)**	**-27.79%**	**(319.35)**
31-मार्च-22	8.81%	445.45	113.07%	(1,991.34)	-2.01%	(35.33)	30430.44%	(2,026.67)
सहायक कम्पनी (भारतीय)								
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.								
31-मार्च-23	**2.58%**	**172.23**	**-4.52%**	**5.42**	**-0.04%**	**(0.52)**	**0.43%**	**4.90**
31-मार्च-22	3.30%	166.74	0.17%	(2.97)	0.01%	0.15	42.44%	(2.83)
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.								
31-मार्च-23	**1.55%**	**103.59**	**3.52%**	**(4.22)**	**0.11%**	**1.37**	**-0.25%**	**(2.85)**
31-मार्च-22	2.11%	106.44	0.55%	(9.67)	**-0.01%**	(0.11)	146.81%	(9.78)
एमपीकॉन लि.								
31-मार्च-23	**0.17%**	**11.02**	**-3.69%**	**4.42**	**0.01%**	**0.09**	**0.39%**	**4.51**
31-मार्च-22	0.17%	8.45	-0.07%	1.20	-0.01%	(0.10)	-16.60%	1.11
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31-मार्च-23	**7.87%**	**524.88**	**-14.56%**	**17.43**	**0.00%**	**(0.04)**	**1.51%**	**17.39**
31-मार्च-22	10.04%	507.49	-0.51%	9.03	0.00%	(0.01)	-135.51%	9.02
स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31-मार्च-23	**90.05%**	**6,005.59**	**-154.26%**	**184.77**	**102.43%**	**1,299.71**	**129.18%**	**1,484.48**
31-मार्च-22	90.90%	4,594.71	-8.42%	148.31	102.00%	1,789.61	-29097.88%	1,937.92

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी रखें)

संस्था का नाम	निवल परिसम्पति		लाभ अथवा हानि में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसम्पति का %	राशि (करोड़ रूपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रूपए)	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि (करोड़ रूपए)	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि (करोड़ रूपए)
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31-मार्च-23	**0.97%**	**64.90**	**1.42%**	**(1.71)**	**-0.04%**	**(0.52)**	**-0.19%**	**(2.22)**
31-मार्च-22	1.33%	67.12	-0.04%	0.72	0.02%	0.33	-15.72%	1.05
गैर-नियंत्रण हित								
31-मार्च-23	**43.52%**	**2,902.12**	**-73.45%**	**87.98**	**48.28%**	**612.68**	**60.97%**	**700.66**
31-मार्च-22	44.25%	2,236.47	-3.98%	70.14	48.08%	843.62	-13720.12%	913.76
समेकन समायोजन								
31-मार्च-23	**-56.11%**	**(3,741.59)**	**105.44%**	**(126.29)**	**-48.24%**	**(612.09)**	**-64.26%**	**(738.38)**
31-मार्च-22	-60.90%	(3,078.32)	-0.76%	13.38	-48.08%	(843.62)	12466.13%	(830.24)
जोड़								
31-मार्च-23	**100.00%**	**6,668.84**	**100.00%**	**(119.78)**	**100.00%**	**1,268.91**	**100.00%**	**1,149.13**
31-मार्च-22	100.00%	5,054.56	100.00%	(1,761.20)	100.00%	1,754.54	100.00%	(6.66)

57.1 पिछली अवधि के ऑकड़ों को चालू अवधि के ऑकड़ों के अनुरूप, जहां कही आवश्यक समझा गया, पुर्नसमूहित/पुर्नव्यवस्थित किया गया।

58 पूंजी प्रबंधन

पूंजी पर्याप्तता ढांचे का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी वित्तीय संस्थान के पास अपने कारोबार में जोखिमों से उत्पन्न किसी अप्रत्याशित हानियों के कारण हुए आघातों को सहने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएफसीआई जो एक सरकारी स्वामित्व वाली एक एनबीएफसी-एनडी-एसआई है, को जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात हेतु न्यूनतम पूंजी का रखरखाव करना आवश्यक है। पूंजी प्रबंधन मौजूदा विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम पूंजी के अधिकतम उपयोग को अनिवार्य बनाता है। आईएफसीआई में उपयुक्त जोखिम क्षमता ढांचा है और यह वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी अपेक्षाओं और पर्याप्तता का परिकलन करता है।

i. समूह सभी संस्थाओं, जो समूह का भाग है, के लिए जोखिम संम्पत्ति के प्रति न्यूनतम पूंजी का अनुपात बनाकर रखना है आर तदनुसार समूह में सभी संस्थाओं के बीच पूंजी अपेक्षाओं की व्यवस्था करता है।

ii. **पूंजी आबंटन**

प्रत्येक परिचालन या क्रियाकलाप को आबंटित पूंजी की राशि जोखिम समायोजित पूंजी पर प्रतिफल के न्यूनीकरण के उद्देश्य से किया जाता है। विभिन्न करोबारों के लिए वर्ष के आरम्भ में ही वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर पूंजी आबंटन किया जाता है। पूंजी आबंटन के लिए विभिन्न विचारनीय विषयों में मौजूदा परिचालानों और क्रियाकलापों में तालमेल, प्रबंधन और अन्य स्रोतों की उपलब्धता तथा कम्पनी के दीर्घ अवधि नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप क्रियाकलाप के लाभ शामिल है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम. के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 099374

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2023

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्याकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

प्रसून
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रो.अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन: 03218334

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

आईएफसीआई के कार्यालय

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार

पंजीकृत कार्यालय
आईएफसीआई लिमिटेड

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
टेलीफोन: +91-11-4179 2800, 4173 2000
वेबसाइट: www.ifciltd.com
सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677

क्षेत्रीय कार्यालय

कोलकाता
चटर्जी इन्टरनेशनल सेन्टर
(तृतीय तल) 33-ए, जवाहर लाल नेहरु मार्ग
पिन–700 071
फोन: +91-33-2226 2672, 2265 3344
फैक्स: +91-33-2217 1618

हैदराबाद
तारामंडल काम्प्लेक्स
(8वां तल), 5-9-13 सैफाबाद
पिन–500 004
फोन: +91-40-2324 3505/06/07
फैक्स: +91-40-2324 1138

मुम्बई
अर्नेस्ट हाऊस, (9वां तल)
एनसीपीए मार्ग,
नरीमन प्वाइंट
पिन-400 021
फोन: +91-22-6129 3400

रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स

इक्विटी शेयरों व फैमिली बॉण्डस के लिए:
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.
एफ-65, पहली मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल
एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 020
वेबसाइट: www.mcsregistrars.com
ई-मेल: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com;
admin@mcsregistrars.com
फोन: +91-11-4140 6149/50/51/52
फैक्स: +91-11-4170 9881

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्डस (सीरीज I व II) के लिए:
बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसिज प्रा. लि.
बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगीर
लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
दादा हरसुख दास मंदिर के पास
नई दिल्ली-110 062
फोन: +91-11-2996 1281-83
फैक्स: +91-11-2996 1284
ई-मेल: ifci@beetalfinancial.com

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्डस (सीरीज III, IV व V) व आईएफसीआई एनसीडी (ट्रेंच I व II) के लिए
केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.
निगमित व पंजीकृत कार्यालय :
केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.
सिलेनियम टावर बी, प्लाट नं. 31 व 32,
गोचीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुड्डा, श्रीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद-500 032
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com
फोन : 040-6716 1589 / 1672/ 1678
फैक्स: +91-040- 2300-1153
टोल फ्री नं. 1800-309-4001
सीआईएन नं.यू67200टीजी2017पीटीसी117649

सबऑर्डिनेट बॉण्डस (सीरीज I व III) के लिए:
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
सी-101, 247 पार्क
एल बी एस मार्ग, विक्रोली पश्चिम
मुम्बई-400 083
फोन: +91-22-4918 6270
फैक्स: +91-22-4918 6060
ई-मेल: bonds.helpdesk@linkintime.co.in

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्डस सीरीज I व II, सबऑर्डिनेट बॉण्डस, कर-मुक्त बॉण्डस, अन्य नियमित प्रतिफल वाले बॉण्डस के लिए डिबेंचर ट्रस्टी

पंजीकृत कार्यालय:
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसिज लि.
एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड
पांडूरंग बुधकर मार्ग, वर्ली,
मुम्बई-400 025

पत्राचार के लिए पता:
ध्यानाकर्षण: मुख्य परिचालन अधिकारी
पता:
भूतल, एक्सिस हाउस,
वाडिया इंटरनेश्नल सेंटर
पांडूरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुम्बई-400 025
फोन: 022-6226-0050/54
फैक्स: 022-49186060
टोल फ्री नं. 1800-1020-878
ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.in

डेस्क कार्यालय:
द्वितीय तल, 25 पूसा रोड,
करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास,
नई दिल्ली-110005

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्डस सीरीज III, IV व V
के लिए डिबेंचर ट्रस्टी
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज़ लि.
पंजीकृत कार्यालय: एशियन बिल्डिंग, भूतल
17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट
मुम्बई-400 001
फोन: +91-22-4080 7000-01
फैक्स: +91-22-6631 1776
वेबसाइट: www.idbitrustee.in
ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

नियमित बॉण्डस सीरीज 47, 50 व 51
के लिए डिबेंचर ट्रस्टी
सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसिज़ लि.
पंजीकृत कार्यालय: तृतीय तल, (ईस्ट विंग)
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
एमएमओ बिल्डिंग, 55 एम जी रोड
मुम्बई-400 001
फोन: +91-22-2261 6217
फैक्स: +91-22-2261 6208
वेबसाइट: www.cfsl.in
ई-मेल: info@cfsl.in

सुपुर्दगी न होने पर कृपया निम्नलिखित को लौटाएं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.
एफ–65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया,
फेज–I, नई दिल्ली–110 020